1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] दसवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या 9

मंगलवार,

21 जुलाई, 1998

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी इस बात के लिए क्षमा मांगें कि मीणा, गूजरों को इन्होंने + + +और+ + +कैसे कहा ? उनका अपमान किया है उन्होंने, राजस्थान के इस पवित्र सदन में इन जातियों से माफी मांगें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा ।

श्री रामस्वरूप मीणा : जब तक माफी नहीं मांगेंगे-सदन नहीं चलने देंगे तब तक । यह राजस्थान का पवित्र सदन नहीं चल सकता इसलिए आप उनसे माफी मंगवाएं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य रामस्वरूप जी, बिराजें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सदस्य सारे हाउस के ऊपर हो जाए, यह ठीक नहीं है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य रामस्वरूप जी, कृपया बिराजें ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मीणा, गूजरों को+ + +कहा है । आप उनके हिमायती बनते हो ?+ + +(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक सदस्य सारे हाउस को रोज-रोज व्यवधान करे, यह बिलकुल उचित नहीं है । इनको आप कन्ट्रोल करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा ।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : प्रश्न संख्या 176 ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : वह तो रहे । आप तो बैठिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये सचेतक महोदय कोई बूस्टर हैं क्या जो हर चीज को बूस्ट करते रहते हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं आप, माननीय सदस्य । माननीय रामस्वरूप जी, आप किधर देख रहे हैं ? रामस्वरूप जी, आप आसन की तरफ देखा करें । अब क्या कह दिया ?

+ + +अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

Page No. 2

(2)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : जो शब्द मीणा, गूजरों के लिए + + + कहा है रामस्वरूप जी ने, उसको एक्सपंज कराइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं उसको एक्सपंज करता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : कौन बोलता है + + + कहा है ? असत्य बोलते हो आप। (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उसको एक्सपंज कर दिया। आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

फागी में अनिवार्य शिक्षा नीति की क्रियान्विति

176. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र फागी में अनिवार्य शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में इसी शिक्षा सत्र से उक्त नीति को क्रियान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस तरह ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : प्राथमिक शिक्षा को जयपुर जिले में फागी विधान सभा क्षेत्र सहित अनिवार्य किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोई निर्णय अभी नहीं लिया है।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में एक प्रोविजन दिया गया है कि अनिवार्य शिक्षा लागू की जाएगी। यह देश आजाद होने के 10 साल के बाद लागू की जानी थी परन्तु आज देश को आजाद हुए 50 साल हो गये हैं, न केन्द्र सरकार ने कोई ध्यान दिया है न राज्य सरकार ने। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अनिवार्य शिक्षा लागू करने का क्या आधार है ? जयपुर जिले में साक्षरता का क्या प्रतिशत है, तहसीलवार बताएं। फागी में साक्षरता का प्रतिशत औसत से अधिक यदि नहीं है तो जिले में अनिवार्य शिक्षा लागू की जाए। मेरा चौथा प्रश्न यह है कि आपने 1996-97 में झुन्झुनूं और राजसमन्द जिले में अनिवार्य शिक्षा लागू करने की घोषणा की थी, क्या इन दोनों जिलों में अनिवार्य शिक्षा लागू हो गयी है ? अगर नहीं की गयी है तो क्यों नहीं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में बहुत ही अहम मुद्दा है कि देश की आजादी के बाद संविधान लागू होने के साथ ही हमने अनुच्छेद 45 के तहत यह तय किया था कि हम 10 वर्ष में सम्पूर्ण देश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू कर देंगे। लेकिन केन्द्र सरकार इसको नहीं कर पायी। इसी प्रकार से राज्य सरकार ने भी आज से 34 वर्ष पहले 1964 में ही हमारे यहां राजस्थान प्राथमिक शिक्षा एक्ट बनाया और उसके तहत हमने भी

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रयास किया कि हम अनिवार्य शिक्षा को किसी भी प्रकार से लागू करें। 1964 से लेकर 34 वर्ष गुजर गये, हम अनिवार्य शिक्षा को लागू नहीं कर सके। राज्य सरकार ने इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के बाद पिछले साल बजट 1997-98 में अपना मन बनाया और कहा कि आखिर हम कहीं न कहीं से शुरूआत करें और इसलिए हमने राजसमन्द और झुन्झुनूं दो जिलों का चयन किया। वहां अनिवार्य शिक्षा लागू की जाए इसके लिए हमने अपने प्रयास शुरू किये। हम इस विषय को लेकर कैबिनेट में भी गये अपना जो पुराना 1964 का एक्ट है, उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए। कैबीनेट में 15.4 का जो आयोजन था उसमें विचार-विमर्श किया गया और इस मामले को स्थगित रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये कि फिलहाल झुन्झुनूं और राजसमन्द जिलों में शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार और उनके सुधार पर ध्यान दिया जाए। साथ ही यह भी देखा जाए कि भारत सरकार द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने की दिशा में क्या कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार से यदि कोई दिशा-निर्देश प्राप्त हों तो उन्हें भी ध्यान में रखकर इसकी योजना बनाई जाए।

सवाल यह है कि एक्ट बनाने में तो कोई एतराज नहीं है। पहले भी हमने बनाया है जिसको हम लागू नहीं कर पाये। आज भी अगर हम एक्ट बना लें, उसके अनुसार कोई भी अगर बच्चों को प्रवेश नहीं दिलवाए और उसकी उपस्थिति का इन्द्राज करने वाला यह सूचना दे कि फलां अभिभावक का बच्चा नहीं आ रहा है तो उसमें कुछ सजा के प्रावधान भी दिये हुए हैं। लेकिन जो सुविधाएं अभी हमें उपलब्ध करानी हैं उसकी उपलब्धि के बिना हम इस प्रकार के कठोर नियमों को डालेंगे तो हम राजस्थान के लोगों को इसकी ओर आकर्षित नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमने एक कोशिश यह की है कि वहां आवश्यकता क्या है ? उस आवश्यकता को हमने ढूंढ लिया। उसके लिए, जिला कलेक्टर की बैठक करके उनकी क्या रिक्वायरमेंट हैं, उनका हमने चयन किया। उसके आधार पर हम उसकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। इसलिए लोक जुम्बिश को हमने राजसमन्द जिला दिया है और डी. पी. ए. पी. जो वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो प्रोजेक्ट हमें मिल रहा है वह हमने झुन्झुनूं जिले को दिया है ताकि वहां की जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करके प्रारम्भिक ढांचा तैयार कराये और फिर उसको लागू करें जिससे कानून के प्रावधानों में जनता को जबरदस्ती की उलझन पैदा नहीं हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर अभी इसको रोका है और केन्द्र सरकार को भी देख रहे हैं कि वह इस दृष्टि से क्या मदद करती है और क्या दिशा-निर्देश उनसे हमें प्राप्त होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरजीराम बुरडक।

श्री शांतीलाल चोईवाल (राजसमंद) : उपाध्यक्ष महोदय, अनिवार्य शिक्षा का प्रश्न है। राजसमंद को इसमें टेकअप किया गया है इसलिए मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न राजसमंद का नहीं है। यह जयपुर जिले में....

श्री शांतीलाल खोईवाल : यह अनिवार्य शिक्षा का प्रश्न है। राजसमंद का तो नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता ने रैफर किया है। मेरा एक छोटा-सा निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मौका देंगे बोलने का ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये ना।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : प्रश्न संख्या 177.

श्री शांतीलाल खोईवाल : राजसमंद जिले को अनिवार्य शिक्षा के तहत दो वर्ष पहले चयनित किया गया था। दो वर्ष पहले चयनित करने के बाद आज दिन तक सिर्फ वहां वातावरण का सृजन किया जा रहा है, दो साल पहले की घोषणा में आज दिन तक कोई कांक्रीट वर्क नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि क्या राज्य सरकार अनिवार्य शिक्षा के तहत नई प्राथमिक शालाएं खोलने का विचार रखती है ?

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : उसमें एक ही सवाल पूछा, दूसरा मिलना चाहिए।

श्री शांतीलाल खोईवाल : और साथ ही उच्च प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शालाओं को भी क्रमोन्नत श्रेणी में विचार रखती है, इसका मंत्री महोदय खुलासा करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में पहले ही इस बात को बता दिया है।

श्री उपाध्यक्ष बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो आवश्यकताएं वहां की हैं, वहां के जिला कलेक्टर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने मंगाकर सारी उसको डिस्कस की। दोनों जिला कलेक्टर्स को बुला कर उस पर विचार-विमर्श हुआ। कौन-कौन-से स्थानों पर हमें किस-किस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है, उसको हमने आइडेंटीफाई कर लिया और उसके आधार पर हम आगे प्रोसेस में जा रहे हैं कि हम कितना उसमें करेंगे। इस बार जो कुछ भी हमको बजट में मिला है वह 550 स्कूल हैं लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम अपनी लोक जुम्बिश और बाकी योजनाओं के माध्यम से कुछ साधन जुटा कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। वह हमारे पास आइडेंटिफाइड हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री शांतिलाल खोईवाल : दो वर्ष तक विचार-विमर्श ही करते रहे।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने झुन्झुनूं जिले का जिक्र किया है और राजसमंद का किया। दोनों जिलों के कलेक्टरों को बुलाकर....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया।

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट साहब। बहुत इम्पोर्टेंट है। जिले का मामला

(श्री रामनारायण चौधरी)

है, इम्पोर्टेंट है । कलेक्टरों की जन-प्रतिनिधियों से जिला परिषद से, पंचायत समितियों से, एम. एल. एज. और एम. पी. से किसी से कोई कंसल्टेशन झुन्झुनूं जिले में नहीं हुई और राजसमंद का तो वे जानें ।

श्री शांतिलाल खोईवाल : राजसमद में भी नहीं हुई है ।

श्री रामनारायण चौधरी : तो फिर कलेक्टर ने क्या आपको रिपोर्ट दे दी ? कलेक्टर बाहर से आयी हुई चिड़िया है, दो महीने के लिये आये हैं, 6 महीने के लिये आये हैं । उनको क्या तो जिले की ज्योग्राफी का पता है और क्या उनको सामाजिक परिस्थितियों का पता है ? किस गांव का उनके पास क्या ग्राफ है ? उन्होंने पटवारियों से और तहसीलदारों से ले लिये । मान्यवर, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, संवैधानिक व्यवस्था को हम लागू करने के लिये जा रहे हैं और जन-प्रतिनिधि का इनवाल्वमेंट नहीं है । आपके जिले में आपको नहीं पूछा । विधायकों को नहीं पूछा, एम. पी. को नहीं पूछा, किसलिए ये इंस्टीट्यूशन्स बनाई है ? किस परपज के लिए बनाई हैं ? कलेक्टर को पूछ लिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दी, क्या + + + रिपोर्ट दे दी कलेक्टर ने ? यही पता नहीं है, ऐसी रिपोर्ट दी है कि आज दो सौ जगहें ऐसी हैं झुन्झुनूं जिले में जहां प्राइमरी स्कूलों की जरूरत है और उन्होंने 40 स्थान भेज दिए ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के हमारे नार्म्स हैं कि स्कूल कितनी दूरी पर होगा, कितनी आबादी हमें उस स्कूल से कवर करनी पड़ेगी और यदि यह एक्ट हम लागू करते हैं तो उसकी जो मन्शा है डेढ़ किलोमीटर या तीन किलोमीटर की, इसको ध्यान रखते हुए कितने गांव ऐसे होंगे जिनको हमें इस दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना है । उपाध्यक्ष महोदय, केवल झुन्झुनूं और राजसमन्द जिले का ही नहीं, हमने राजस्थान का भी टोटल सर्वे किया है । आज की तारीख में जो नार्म इस एक्ट में है, उसको ध्यान में रखकर शत प्रतिशत पालना करें तो 17 हजार प्राइमरी स्कूल खोलने की हमारी रचना उससे बनती है । लेकिन कोई यह कह दे कि एक ही साल में तो एक्ट 1964 में पास करके 34 साल तक जिस पर आप काम नहीं कर पाए इस पर हमने काम शुरु किया तो हमको आपने उलटा उलाहना दे दिया । हमने कम से कम प्रयास तो शुरू किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी हम इसकी पालना करेंगे ।

श्री रामनारायण चौधरी : जन प्रतिनिधियों का इन्वाल्वमेंट नहीं है । कलेक्टर को क्या पता कि सिचुएशन क्या है जिले की और वहां पर क्या हो सकता है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने प्रत्येक जिले में जन प्रतिनिधियों के साथ भी कलेक्टरों को कहकर बैठक आयोजित की जिसमें प्रधान थे, सारी पंचायत समितियों के सदस्य थे । 13 मई, 1997 को हमने

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

Page No. 6

(6)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जिला प्रमुख और प्रधानों को बुलाकर इस विषय पर चर्चा की थी। उनकी सारी बात समझने की कोशिश की। 13 मई, 1997 को हमने यह काम किया है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है, हो सकता है कि उस दिन आप नहीं थे।

श्री रामनारायण चौधरी : राजसमन्द के विधायक वे रहे, वे आपकी पार्टी के हैं, प्रबुद्ध, सजग, सतर्क और विजिलेंट हैं और झुन्झुनूं जिले का मैं हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य, राजसमन्द के मेरे हैं तो आप भी मेरे हैं क्योंकि वहां पर रहने वाले बच्चे सब मेरे हैं, मेरे विभाग के ही बच्चे हैं। मुझे राजसमन्द और झुन्झुनूं जिले में अन्तर करने का मन नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा बच्चों की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति करना मेरा धर्म है। उसके आधार पर मैंने इस काम को करने की कोशिश की है। कोई कमी-खामी रही है तो उसको और सुधार लेंगे, यह निवेदन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई सवाल नहीं होगा। श्री हरजीराम बुरड़क।

लाडनूं में सांस्कृतिक भवन निर्माण प्रकरण

177. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं जिला नागौर के वार्ड नं. 23 में जिला कलेक्टर, नागौर द्वारा सांसद क्षेत्रीय विकास योजना के तहत सांस्कृतिक भवन का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो किस उद्देश्य के लिए तथा इस निर्माण कार्य में क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि भवन निजी भूमि पर बनाया गया है जबकि दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त भवन सार्वजनिक या सरकारी भूमि पर ही बनाया जाना चाहिए था ? यदि हां, तो क्यों तथा इसमें कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी, हां। सांस्कृतिक भवन का निर्माण सांसद की संस्तुति के अनुसार सांस्कृतिक गतिविधियों के उद्देश्य के लिए कराया गया है। उक्त भवन का निर्माण राजकीय/पंचायत की स्वामित्व वाली भूमि पर नहीं कराया गया है, जो एक अनियमितता है।

(2) जी, हां। सरपंच, ग्राम पंचायत, आसोटा, ग्राम सेवक, तत्कालीन विकास अधिकारी व कनिष्ठ अभियंता प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं। अभिकरण द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर को लिखा गया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, यह भवन दो लाख रुपए की लागत का आज से तीन साल पहले बना था और

(श्री हरजीराम बुरडक)

दिशा-निर्देशों के विपरीत यह निजी भूमि पर बनाया गया। दो साल पहले इसी विधान सभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में, इन्हीं माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि यह सार्वजनिक भूमि पर बनना चाहिए था, निजी भूमि पर बन गया, अब इनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। दो साल तक यह मामला डी. आर डी. ए. स्तर पर पड़ा रहा। आज मंत्रीजी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जिला परिषद, सी. ई. ओ. को लिखा है।

प्रथम दृष्ट्या तो यह है कि जिस अधिकारी ने इसको स्वीकृत किया, उसको यह देखना चाहिए था कि यह भूमि सार्वजनिक है या नहीं। दूसरा इसमें यह कहा गया है कि सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए इस भवन का निर्माण हो रहा है। निर्माण होने के पहले क्या गतिविधियां चल रही थीं और आज क्या गतिविधियां चल रही हैं, इस बारे में आपने कुछ नहीं कहा। उस समय भी आपने यही कहा था दो साल पहले, कि इसमें यह गलती हुई है और हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। दो साल बाद आप कह रहे हैं कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सी ई.ओ को इसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए लिखा है, तो आप यह बताइए कि जिस अथोरिटी ने इसको स्वीकार किया, क्या उसके खिलाफ कार्यवाही आप करेंगे? क्या आप दोषी नहीं मानेंगे उसको?

दूसरा यह है कि म्यूनिसिपल एरिये में पंचायत ने यह निर्माण करवाया है, इसके क्या कारण थे? सांसद विकास कोटे से पंचायत को इसमें शामिल तो कर दिया लेकिन पंचायत तो वहीं कार्य करेगी जहां उसका कार्यक्षेत्र है। जहां म्यूनिसिपैलिटी का कार्यक्षेत्र है वहां पंचायत क्यों कराए?

तीसरा प्रश्न है कि आज वह भवन सार्वजनिक भूमि पर नहीं बना हुआ है और प्राइवेट भूमि पर बना हुआ है। या तो आप उस भवन को कब्जे में लेकर म्यूनिसिपैलिटी को सौंपिये या जिसने निर्माण करा कर पैसा उठाया है, उससे पैसा लेकर जमा करवाइए। दोनों में से कौनसा कार्य आप करेंगे और कब तक करेंगे?

श्री अनंग कुमार जैन : उपाध्यक्ष महोदय, किन परिस्थितियों में स्वीकृति दी गई और वहां निर्माण के बारे में जो परिस्थितियां थीं, मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा कि यह भवन अनुसूचित जाति के खटीक समाज की बड़ी प्रबल इच्छा थी। उन्होंने लगातार समाज के कई लोगों से सम्पर्क किया लेकिन कोई भी उनको अपनी तरफ से धन देने के लिए तैयार नहीं हुआ। माननीय सदस्य से भी उन्होंने निवेदन किया। उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि उस वार्ड में ऐसा कोई भवन बन जाए जिसको वे सार्वजनिक उपयोग में ला सकें, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, झगड़ा इस बात का नहीं है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों के फायदे के लिए कोई भवन नहीं बने इसलिए उन्होंने इस विषय को उठाया है। लेकिन आपका अधिकार है उठाने का, एक अनियमितता

(श्री अनंग कुमार जैन)

उसमें जरूर हुई है जिसको मैंने प्रथम दृष्ट्या अपने जवाब में स्वीकार किया है। क्योंकि जो गलती है वह तो गलती है और अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो उस गलती का खामियाजा उस अधिकारी को भुगतना पड़ेगा। राज्य सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से सक्षम है और राज्य सरकार इसमें किसी को बख्शेगी नहीं।

लेकिन इसके साथ-साथ एक और निवेदन है कि उन्होंने जिस वक्त भवन निर्माण की स्वीकृति दी, उनकी समाज के सभी लोगों से, तत्कालीन सांसद महोदय से भी बातचीत हुई है और उन्होंने यह कहा था कि यह भवन आप अपने कोष से निर्माण करवा दें। हम कई वर्षों से यहां के लोकल जन प्रतिनिधियों, एम. एल. ए. और सभी लोगों के पास घूमते रहे, सब चुनाव के टाइम आते थे और यह कहते थे कि हमको आप वोट दे दें, हम आपका भवन बनवा देंगे लेकिन आज तक किसी ने बनवाया नहीं। लेकिन चूंकि भैरोंसिंह शेखावत की सरकार है और संवेदनशील सरकार है, यह चाहती थी कि अनुसूचित जाति के लोगों के अंदर भी इस प्रकार के भवन निर्माण हों और राज्य सरकार के पैसे का वहां उपयोग हो इसलिए सांसद महोदय ने स्वेच्छा से वहां जन प्रतिनिधि खटीक समाज के जो थे, उनको आश्वस्त किया। लिखित में हमारे पास पत्र भी है। सरपंच साहब को उन्होंने अधिकृत किया कि आप हमारी भूमि पर सार्वजनिक भवन निर्माण करवा दें, इस अण्डरस्टैंडिग के साथ कि यह सम्पत्ति राज्य सरकार की रहेगी। सांसद कोष के अन्दर भी यह प्रावधान है कि अगर कोई ऐसी जमीन जिस पर कोई भवन बनाया जाता है, उस जमीन का स्वामी अगर सरकार को यह लिखकर दे दे, विभाग को यह लिखकर दे दे कि यह सम्पत्ति या यह भूमि भवन निर्माण होने के बाद राज्य सरकार में निहित रहेगी तो उसके बाद ऐसी कोई अनियमितता नहीं होगी। उसका कारण यह है कि ग्राम विकास कार्य जो करवाए जा रहे हैं उनके बारे में राज्य सरकार का यह रुख है कि जहां तक हो सके स्थानीय व्यक्तियों के लिए, समाज के गरीब तबकों के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए अधिक से अधिक उस पैसे का उपयोग हो। इन तमाम बातों को दृष्टि-गोचर रखते हुए तत्कालीन प्रोजेक्ट डाइरेक्टर जो वहां कार्यरत थे, उनको उस समाज के लोगों ने लिखकर दिया और उसके आधार पर उन्होंने भवन निर्माण करवा दिया। आज भी भवन निर्माण में कोई अनियमितता नहीं हुई है। माननीय सदस्य एक ही प्रश्न को पिछले तीन साल से लगातार उठा रहे हैं। आपने कभी यह ऐतराज नहीं किया कि भवन निर्माण में गड़बड़ हुई है, भवन अच्छा नहीं बना। भवन अच्छा बना है और निर्माण में पूरा पैसा लगा।

आपका सवाल अगर यह है कि खटीक समाज को क्यों दे दिया तो इसकी तकलीफ तो मैं माननीय सदस्य, दूर नहीं कर सकता क्योंकि सांसद महोदय भी चाहते थे और राज्य सरकार भी चाहती थी। वास्तव में इस वर्ग को इस पैसे की जरूरत है। लाडनूं जैसे कस्बे में, माननीय उपाध्यक्षजी, आप भी परिचित हैं और माननीय सदस्य भी

(श्री अनंग कुमार जैन)

परिचित हैं कि इतने बड़े-बड़े धनी-मानी लोग रहते हैं लेकिन जब उनके समाज में कोई पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं होगा तो उनकी कोई तो परवाह करेगा। राज्य सरकार उनकी परवाह करेगी। राज्य सरकार ने इस दृष्टि से यह भवन निर्माण वहां पर करवाया है। इन सब के बावजूद भी खटीक समाज के द्वारा हमको लिखकर दिया गया है कि यह प्लाट जिस पर भवन बना, राज्य सरकार में निहित रहेगा। जिस पर हमने उनको पत्र लिखकर कहा है।

मैंने कहा है कि उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए पी. डी., नागौर को लिख दिया गया है। अगर वे भूमि के लिए राज्य सरकार में निहित होने का नहीं लिखकर देंगे तो निश्चित रूप से चाहे कोई अधिकारी हो, कोई भी सरपंच हो, कोई भी ग्राम पंच हो, उनके ऊपर नियमों के अन्तर्गत कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने पहले लिखित में पढ़ा, जी हां, इसमें अनियमितताएं हुई हैं और अभी आप कह रहे थे कि कोई अनियमितता नहीं हुई है। मेरा शुरू से सवाल यह है कि आप इसको सार्वजनिक करके म्यूनिसिपैलिटी को सम्भला दीजिए। अब वह सार्वजनिक होगा तो कहां खटीक समाज अलग होगा? दूसरे समाज नहीं हैं क्या वहां पर? वास्तविकता यह है कि वहां एक खटीक डी आर. डी. ए., चूरू में पी डी है, उसने उस समय सांसद से मिल मिलाकर यह सैंक्शन निकलवा दी। इस बात को आप घुमा फिराकर उलटा आरोप लगा रहे हैं कि ये नहीं चाहते। वहां खटीकों के कितने घर हैं? हरिजनों के कितने घर हैं? आप खटीकों के लिए बना रहे हैं और दूसरों को वंचित कर रहे हैं। आप अगर समाज के लिए यह भवन बना रहे हैं तो इसको सार्वजनिक भवन घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं, यह मेरा सीधा-सा सवाल है।

दूसरा आपने कहा कि तत्कालीन पी.डी. ने स्वीकृत कर दिया। सांसद क्षेत्र विकास कोटे मे पी. डी. का, डी. आर. डी. ए. का कोई रोल नहीं है, वहां सिर्फ कलेक्टर है। कलेक्टर दूसरी जगह का डील नहीं करके डी. आर. डी. ए. के थ्रू डील करता है। इसलिए आप यह घोषित करिए कि यह इतने दिनों में सार्वजनिक घोषित कर दिया जाएगा।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे माननीय सदस्य की और मेरे सामने बैठे हैं उन साथियों की मानसिकता नजर आती है। सौभाग्य से वहां पी. डी. खटीक था। राज्य सरकार के वहां हर सरकारी अधिकारी को निर्देश है कि चाहे वह किसी समाज का हो, समाज का जो अनुसूचित जाति का वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, गरीब तबका है उसके प्रति संवेदनशील रहे। इसलिए मान लीजिए वह खटीक था और उसने एम. पी. साहब से भी निवेदन कर दिया हो, मैं एक परिस्थिति निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि इस समाज के पास पैसा नहीं है कि इस समाज के लिए एक भवन निर्माण कर देंगे तो ये अपने सार्वजनिक कार्यक्रम यहां कर सकेंगे, कभी इनकी कोई बारात आयी तो ठहर सकेगी, शादी-ब्याह का कार्य सम्पन्न हो सकेगा।

(श्री अनंग कुमार जैन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आप जानते हैं ऐसे सैंकड़ों गांव हैं जिनमें इस समाज के पास ऐसा कोई भवन नहीं है जहां 50-25 आदमी भी बैठ सकें। कल माननीय सुजानसिंह जी फरमा रहे थे कि आज भी उन लोगों के कच्चे मकान हैं। वह खटीक पी. डी. होना ही आपको अखर रहा है। यदि वह खटीक नहीं होता और दूसरी जाति का होता तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होती। इसमें इस बात की दिक्कत नहीं है, इसमें सवाल इस बात का है कि.... (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : उपाध्यक्ष महोदय, ये बात को घुमा रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : इनको तकलीफ है कि मेरे से नहीं पूछा। जो भवन निर्माण हुआ है उसको वर्षों तक बनने नहीं दिया। उस पी. डी. ने ... (व्यवधान) गरीब आदमी के लिए भवन क्यों बना दिया, इस बात की तकलीफ है।

श्री हरजीराम बुरडक : अगर आपने शिड्यूल्ड कास्ट के लिए बनाया होता तो वहां 500 घर हरिजनों के हैं उनके लिए क्यों नहीं बनाया ? आपने 15 घर खटीकों के हैं उनके लिए क्यों बनाया ? अगर आप अनुसूचित जाति के लिए बनाना चाहते थे तो वहां 500 घर हरिजनों के हैं। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : ऐसे चार भवन ही बता दो। (व्यवधान) अपने कोटे से चार भवन ही बनाइए। एक भवन इन्होंने गरीब आदमी के लिए या अनुसूचित जाति के लिए बनाया हो, ऐसा एक भी बता दो। इनको इस बात की तकलीफ हो रही है कि अनुसूचित जाति के मोहल्ले में वह भवन क्यों बन गया। राज्य सरकार का पैसा लगा है, राज्य सरकार इस बात के लिए.... (व्यवधान)......

श्री हरजीराम बुरडक : वह बना हरिजनों के मोहल्ले में और कब्जा खटीकों के हाथ में। आपको पता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन : राज्य सरकार इस बात के लिए तत्पर है। अगर वह नहीं लिखकर देगा तो मैंने स्वयं अपनी प्रथम लाइन मे यह मंजूर किया है कि इसके अंदर अनियमितता हुई है। मैंने कहां छिपाने की कोशिश की ? राज्य सरकार ऐसे दोषी आदमी को बचाने का प्रयास नहीं करती है। लेकिन इसके साथ-साथ राज्य सरकार संवेदनशील भी है, राज्य सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को ऊपर उठाना चाहती है। लेकिन राज्य सरकार नारों से ऊपर उठाना नहीं चाहती। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस तरह की सरकार है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नारों से नहीं उठाना चाहती है, उनको वास्तविक फायदा देकर ऊपर उठाना चाहती है। आपने चालीस साल तक नारे दे-देकर उनको ऊपर उठाया है। इसलिए अगर एक भवन बन गया तो कोई पहाड़ नहीं टूट गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर जिसके अंदर करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ, दूसरे कामों के अंदर

(श्री अनंग कुमार जैन)

हुआ, दो लाख रुपये का एक भवन बन गया तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट गया। यह तो सार्वजनिक काम में आता है। इन सबके बावजूद फिर भी उस समाज ने लिखकर नहीं दिया तो राज्य सरकार निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी।

श्री हरजीराम बुरडक : फालतू बात करते हैं आप तो। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य। उत्तर पर्याप्त है। कोई अनियमितता हुई है तो राज्य सरकार कार्यवाही करेगी। नैक्स्ट, श्री अमराराम। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री हरजीराम बुरडक : उत्तर गलत है। इसलिए दे रहे हैं कि जिस वार्ड में.... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : प्रश्न संख्या 178.

श्री हरजीराम बुरडक : जिस वार्ड में बना है उस वार्ड में खटीक का एक भी घर नहीं है, सारे घर हरिजनों के हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : खटीकों को दबाया जा रहा है। इनको बर्दाश्त नहीं होता। (व्यवधान) केवल वोट लेने की बात की जा रही है और आप सबको + + +। सार्वजनिक काम के लिए, उस बिल्डिंग के लिए लिया गया है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : कांग्रेस ने तो खटीक को मुख्य मंत्री बनाया। आपको तीन बार मौका मिला और तीनों बार एक ही को बनाया। आप इस बारे में हमको क्या राय दोगे ? (व्यवधान) कांग्रेस ने खटीक को मुख्य मंत्री बनाया। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार करने वालों पर कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : यदि ऐसी व्यवस्था सरकार कर दे कि एम. पी. डवलपमेंट फण्ड के जितने काम हैं उनकी सूचना स्थानीय विधायक को दी जाएगी तो मैं समझता हूं कि ट्रांसपेरिटी आएगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : इसमें आप क्यों राजनीति कर रहे हो ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ये अनुसूचित जाति के लोगों को बदमाश कहते हैं, गुण्डे कहते हैं। एक खटीक के लिए आप ऐसा कह रहे हो ?

श्री जगदीप धनखड़ : चतुर्वेदीजी, आप तो यह कहते हैं कि आपकी सड़कें बिलकुल ठीक हैं। चलते हैं तो आंतें बाहर आ जाती हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपीत की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय रामस्वरूप जी। नैक्स्ट, श्री अमराराम।

सहकारी भूमि विकास बैंक, सीकर में अनियमितताएं

178. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक में हुई अनियमितता की जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बैंक में किसानों को ऋण प्राथमिकता/सुविधानुसार दिया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि कई किसानों को अवधिपार ऋण होने के बाद भी दुबारा अन्य प्रयोजनार्थ ऋण दिया गया है ? यदि हा, तो किन नियमों के तहत ?

सहकारिता मंत्री (श्री सुजान सिंह यादव) : (1) जी, हां। गत तीन वर्षों में सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. की राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियमान्तर्गत धारा 70 की दो जांचें कराई गईं। एक जांच रिपोर्ट दिनांक 31-11-97 को जारी हुई किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस बाबत निगरानी प्रार्थना-पत्र के निर्णय में इसे दिनांक 24-12-97 को अपास्त कर दिया गया। दूसरी जांच रिपोर्ट अभी परीक्षणाधीन है, इसके विधि रूप से जारी होने पर इसे दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) ऋण प्राथमिकता के आधार पर ही दिये जाने के निर्देश हैं। अपवाद की जो शिकायतें आई हैं, तत्संबंधी जांच जारी है।

(3) किसानों को अवधिपार ऋण बकाया होने की स्थिति में अन्य प्रयोजनार्थ ऋण नहीं दिया जाता है।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक तो यह जानना चाहूंगा कि जो 31-11-97 को जांच की गई है इसमें कौन अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाये गये थे ? अगर दोषी पाये गये थे तो उनके खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई और वे अब कहां पर पदस्थापित हैं ?

दूसरा, यह है कि जो दूसरी जांच करायी गई है, जो अभी परीक्षणाधीन है; क्या प्राथमिक जांच में अनियमितताएं पायी गई हैं और क्या जिन अधिकारी और पद धिकारियों के कारण अनियमितताएं हुई हैं वे उस बैंक में मौजूद हैं ? अगर मौजूद हैं तो उनसे क्या आपकी जांच प्रभावित नहीं होगी ?

दूसरे प्रश्न में दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर ही दिए जाने के आदेश हैं, लेकिन फिर भी क्या इस तरह की गड़बड़ियां की गई हैं और उनमें क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सुजान सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अनियमितताओं की दो शिकायतें प्राप्त हुईं। एक शिकायत तो पूर्णमल, भोलाराम, हरिराम इन लोगों ने की कि जो ऋण की पत्रावलियां हैं उनमें अनियमितताएं

Page No. 13

(13)

(श्री सुजानसिंह यादव)

हुई हैं । इसमें परसराम और रामेश्वर हालांकि शिकायतकर्ता नहीं हैं, लेकिन इनकी शिकायत में इनको शामिल किया गया है । कुल पत्रावलियां 944 थीं जिसमें से पांच फर्मों की पत्रावलियां 402 और दूसरी फर्मों की 148, इस तरह से 550 पत्रावलियां थीं । मैं इस बात को मानता हूं और माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि यह एक तरह का बहुत भारी घपला था, मनमानी थी । हमने इंक्वायरी करायी तो उसी बैंक में अध्यक्ष के भाई-भतीजे हैं और जिन फर्मों का जिक्र किया ये फर्में भी उनकी हैं । माननीय सदस्य ने यह कहा कि चुनाव कराओ, हमने चुनाव कराये । चुनाव कराने के बाद आपाधापी में जो चैयरमैन वहां का है, उसकी दुकान है । उनके भाई-बन्धु पी. एल डी बी. में अधिकारी है । इस प्रकार की अनियमिततायें हुई हैं कि अपने आदमियों की जो पत्रावलियां आयीं वे तो पास कर दी गयीं और दूसरे लोगों की पत्रावलियां जो दूसरे से सम्बन्धित थीं उनको रजिस्टर नहीं किया और उनको खाते में पटक दिया । जब हमने इंक्वायरी करवाई तो मालूम पड़ा कि 50 पत्रावलियां ऐसी थीं जिनको रजिस्टर ही नहीं किया उसने कि उनके अध्यक्ष के भाई-भतीजे हैं । भारी अनियमिताएं हैं उनके पक्ष की पत्रावलियां आती हैं तो फोरन पास हो जाती है और दूसरे पक्ष की पत्रावलियां आती हैं तो पास नहीं होती हैं, उनको वापस फेंक देते हैं । कोई राजेन्द्र सिंह महरिया हैं, ये उन्हीं के परिवार से सम्बन्धित हैं, इन्होंने उन पत्रावलियों को रजिस्टर नहीं किया । उसके निमित्त हमने उनको निलम्बित किया जांच में और आज वे निलम्बित हैं । पर भूमि विकास बैंक के कानून में प्रावधान यह है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज नहीं सकते । हमने कोशिश की मगर अध्यक्ष के होते हुए वह एग्जीक्यूट नहीं हो पाया । हमारा पी. एल. डी. बी. सैक्रेटरी है वह कमजोर है उनके डर के मारे और उन्हीं के आधिपत्य में कई पी. एल. डी. बी. सैक्रेटरी वहां पिट चुके हैं बैंक में ।

श्री राजेन्द्र पारीक : शारीरिक रूप से या किस तरह कमजोर है ?

श्री सुजानसिंह यादव : आप सुनिये । मैं स्थानान्तरण कर नहीं सकता । पी.एल.डी. बी. सैक्रेटरी कमजोर होने के कारण कई पी.एल.डी.बी. सैक्रेटरी की वहां पर पिटाई कर दी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें तो सही । पारीक साहब, स्पष्ट जवाब दे रहे हैं, कृपया बिराजिये । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्रीजी, इसको इस तरह से.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराज जाएं । पारीक साहब, मंत्री महोदय बहुत स्पष्ट और साफ अन्तर्मन से जवाब दे रहे हैं । (व्यवधान) रामस्वरूप जी, हर समय बोलना आवश्यक नहीं है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इनके लिए आवश्यक है ।

श्री सुजानसिंह यादव : एक कानून में प्रावधान यह है कि वहां के जितने भी अधिकारी पी.एल.डी बी. सैक्रेटरी लगते हैं

Page No. 14

(14)

(श्री सुजानसिंह यादव)

उनका एक आधिपत्य है। हमारे पी. एल. डी. बी. सैक्रेटरी के पिटने के आधार पर ये जो पी.एल.डी.बी. सैक्रेटरी हैं ये भी डरे हुए हैं। हमने कहा कि इनका स्थानानन्तरण करो तो उसने कहा कि मुझे पिटना है क्या हम उसका कोई सहयोग नहीं कर सकते। इसके आधार पर यह राजेन्द्र महरिया हैं जो उन्हीं का भाई-बन्धु हैं. उसने 50 पत्रावलियां रजिस्टर नहीं कीं और उनको लोन नहीं दिया गया। इसी के आधार पर यह शिकायत की गयी। शिकायत होने पर हमारे नोटिस में जब यह बात आयी तब हमने 15-7-98 को उनके पास एक शो-कॉज नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के बाद वह प्रक्रिया तो आज विचाराधीन है।

दूसरी शिकायत भी इसी तरह की शिकायत है। दूसरी शिकायत में जगदीश मीणा, मूलाराम, लक्ष्मण, जयप्रकाश वगैरह ने एक शिकायत की। इसका भी चौंकाने वाला प्रभाव आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस व्यक्ति को 95 हजार का लोन दिया गया। 95 हजार का लोन देने के बाद वहां पर नकद पद्धति से भुगतान की पद्धति चालू हो गयी। उन्होंने उसको लोन देना नहीं चाहा और वह लोन सीधा उस फर्म को भेज दिया। फर्म में यह आवेदन जिस जगदीश मीणा ने दिया था वह यह चाहता था कि मुझे नकद पैसे दें क्योंकि नकद पद्धति लागू हो गयी थी। इन्होंने उसकी अवहेलना करके यह चैक उस डीलर के पास भेज दिया। डीलर ने उसमें आब्जेक्शन लगाकर दो दिन का ब्याज लगाकर वापस बैंक को चैक भेज दिया। अब इसकी इन्क्वायरी हुई। यह कहता है कि मुझे लोन ही नहीं मिला तो मेरे खिलाफ रिकवरी किस बात की, जब वह चैक वापस आ गया। सही बात है कि लोन उसको दिया ही नहीं तो रिकवरी किस बात की। लोन इसलिए नहीं दिया गया कि वे लोन देना चाहते नहीं थे। इस कारण से देना नहीं चाहते थे कि उनकी फर्म के नाम से वह ड्राफ्ट था नहीं।

दूसरी चार व्यक्तियों की शिकायत है। उनकी भी शिकायत इस तरह की थी। 92 में ऋण पत्रावलियां स्वीकृत हुई थीं और इनको भी लोन नहीं दिया गया। एक प्रक्रिया है फाइल की कि लोन की जो पत्रावलियां पास होती हैं उस पर दस्तखत करवा लेते हैं कि हमने यह सामान प्राप्त कर लिया। इस तरह की है। जब इनको नोटिस जारी किया तो नोटिस जारी करने के बाद आस-पास के लोगों को पूछा, उनके मकानों से भी मालूम किया तो इन्होंने कभी लोन ही नहीं लिया। लोन नहीं लिया तो भी इनके खिलाफ नोटिस जारी हो गये। नोटिस जारी होने के बाद हमने जानकारी में दो व्यक्तियों को निलम्बित कर दिया वहां के कर्मचारियों को। उन्होंने सचिव को एक अपील दायर की। अपील दायर करने के बाद सैक्रेटरी ने आदेश दिया कि इनकी सुनवाई पूर्ण रूप से नहीं हुई इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रार साहब को फाइल वापस दे दी। इसी दौरान वह फाइल तो रजिस्ट्रार साहब के पास आयी और उन्होंने सुनने के पहले ही जोइंट रजिस्ट्रार के यहां एक दरख्वास्त दे दी कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमको लोन नही दिया गया और हमसे जबरदस्ती लोन वसूल किया जा रहा है। जोइंट रजिस्ट्रार ने वहां के एक अधिकारी को यह

(श्री सुजानसिंह यादव)

जांच दी। उसने पत्रावलियों में उनको खतम कर दिया, कि ये आवेदक असत्य बोलते हैं इसलिए पत्रावलियों को निरस्त कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किस्सा तो यह है कि धांधलियां हुई हैं, गड़बड़ी हुई है। मैंने सम्बन्धित अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिये कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्यवाही की जाए। यदि कार्यवाही में वह सही मिले तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल है।

श्री अमरराराम (धोद) : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : बहुत गड़बड़ घोटाला हुआ है। स्कैण्डल है स्कैण्डल। मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि इसके अन्दर स्कैण्डल है। ये स्कैण्डल को दबाना चाहते हैं, फैक्ट्स को सप्रैस करना चाहते हैं।

श्री अमरराराम (धोद) : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया कि सीकर जिले के किसानों का पैसा मात्र चेयरमैन और उसके भाई-भतीजों ने बांटकर खाया....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह उन्होंने कह दिया।

श्री अमरराराम (धोद) : वही तो मैं पूछ रहा हूं। मन्त्रीजी ने मान लिया कि अध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री अमरराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने अधिकारी लिप्त हैं ? (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी यह मान रहे हैं कि वहां इतनी अनियमितताएं हो रही हैं तो मंत्री महोदय कौनसी कार्यवाही का विचार कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अमरराराम (धोद) : अनियमितताएं हो रही हैं, किसानों के पैसे खाये हैं, ऐसे चेयरमैन को यह सरकार नहीं हटायेगी तो क्या उसको बचाकर सरकार यह चाहती है कि सीकर जिले के किसानों का पैसा यह चेयरमैन और इनके परिवार वाले बांटकर ऐसे ही खाते रहें ? जैसे कल दहाड़ करके मंत्रीजी कह रहे थे, अगर भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो इस बैंक के चेयरमैन को हटाइये जिसने सबसे ज्यादा गड़बड़ियां की हैं। केवल इसमें ही नहीं, यह चेयरमैन एक करोड़ रुपया को-आपरेटिव बैंक का पूरा का पूरा जीम गया जिस पर कोआपरेटिव बैंक ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। वही चेयरमैन है जो कोआपरेटिव बैंक का एक करोड़ रुपया जीम गया और आज भूमि विकास बैंक का पैसा जीम रहा है। अगर उसको सरकार हटाती है तो समय बता दे कि सरकार उसको हटा रही है आज और

(श्री अमराराम)

नहीं हटाती है तो मैं यह मानूंगा कि सरकार ऐसे भ्रष्टाचारी और किसानों के पैसे खाने वाले को संरक्षण दे रही है। मंत्री महोदय स्पष्ट कर दें। सैक्रेटरी, आपके अधिकारी नियमानुसार काम नहीं कर सकते, केवल उनकी फर्म का आ जाए तो कर देंगे और अगर उनकी फर्म का नहीं आया तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर दूसरा कोई लोन लेने जाएगा तो उनका रजिस्टर नहीं होगा। अगर किसी भी सरकार का कोई भी मंत्री ट्रांसफर करना चाहे और ट्रांसफर नहीं कर सके तो वह चेयरमैन क्या नियमों के अनुसार होगा ? इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है ? आप कब उसको हटायेंगे, यह बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री महादेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार को यह पता लग गया कि वहां भारी अनियमिततायें हो रही हैं और खुद मंत्री महोदय इस बात को मान रहे हैं तो मंत्री महोदय ऐसी कौनसी कार्यवाही कर रहे हैं जिससे ये अनियमिततायें रुकें ?

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि वहां के सचिव की पिटाई हुई है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों ने सचिव की पिटाई की उनके खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह विभाग का दायित्व नहीं बनता था कि उन लोगों के खिलाफ कोई एफ.आई.आर, लॉज होती ? एफ.आई.आर. लॉज हुई तो किसके खिलाफ हुई और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही आज तक की गयी ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने पहले वाली रिपोर्ट भी टेबल नहीं की और दूसरी वाली रिपोर्ट भी टेबल नहीं की। कौनसे कानून के अन्तर्गत आप इस प्रकार से तथ्यों को छिपाना चाहते हैं ? आज सूचना के अधिकार का अगर इस हाउस को अधिकार नहीं है तो फिर किसको हो सकेगा ? इसलिए वह कारण स्पष्ट करें कि आपने वे दोनों रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं कीं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, वैसे तो आपने काफी साफ कह दिया।

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब तो पहले ही काफी स्पष्ट कह दिया है। अध्यक्ष को हटाने की जहां तक बात है, वह जन प्रतिनिधि है, चुना हुआ है, उसके खिलाफ लिखित में कोई दोषारोपण लगाया नहीं गया है। कानून अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूं। यदि उनके खिलाफ कोई शिकायतें प्रस्तुत की जाए तो उसके आधार पर हम इंक्वायरी करके उस इंक्वायरी के आधार पर उनको हटा भी सकते हैं। मगर इस तरह की कोई पत्रावलियां मेरे पास मौजूद नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : शिकायत ही नहीं आई कोई।

श्री सुजानसिंह यादव : ऐसी शिकायतें माने के बाद....

श्री महादेव सिंह : शिकायतें तो बहुत मा रही हैं । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मिलीभगत है, मिलीभगत है ।

श्री ममराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, वह बैंक का चेयरमैन है, घर का चेयरमैन नहीं है । यह बैंक का चेयरमैन है । मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि उनके रहते हुए....

श्री महादेव सिंह : माप स्वय स्वीकार कर रहे हैं कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माप जो सवाल पूछते हैं सुनिये । मापने कोई सवाल पूछा है.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जब स्वयं माप स्वीकार कर रहे हैं कि.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पारीक साहब, पारीक साहब, थोड़ा सुन लें उनको । सुन तो लें ।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन सिर्फ इतना-सा है कि जब सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि सीकर भूमि विकास बैंक में बहुत ज्यादा धांधलियां हुई हैं, सचिव को पीटा गया है, पत्रावलियां गड़बड़ पाई गई हैं, जिस व्यक्ति ने लोन नहीं लिया उसके खिलाफ इन्होंने लोन को (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय खड़े हुए हैं, जवाब दे रहे हैं, माप बीच में उठ रहे हैं । माप उनके जवाब में व्यवधान डाल रहे हैं ।

श्री महादेव सिंह : मंत्री महोदय जवाब नहीं दे रहे हैं. मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजिये । मैं दूसरा सवाल ले लूं ? माप जवाब नहीं चाहते तो मैं दूसरा सवाल ले लूं ?

श्री महादेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब नहीं दे रहे हैं । मंत्री महोदय यह स्वीकार कर रहे हैं कि ये अनियमितताएं हुई हैं । वे जवाब कब दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माप बैठिये । बैठिये माप । बैठ जाइये । बैठिये माप ।

श्री सुजानसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मापसे निवेदन किया कि इस पी. एल. डी. बी. सैक्रेटरी को नहीं पीटा, पहले के पी. एल. डी बी. सैक्रेटरी को पीटा है । उसने कोई एफ. माई. मार. दर्ज नहीं कराई इस तरह की, पर मेरे ध्यान में यह बात है कि इन्होंने मपने तरीके से ही मापाधापी की है । मब जो पी. एल. डी. बी. सैक्रेटरी मौजूद हैं वे भी इस बात से भयभीत है कि कहीं मैं भी नहीं पिट जाऊं । वह करने में अक्षम है । मापको शिकायत है इस पी. एल डी बी. सैक्रेटरी की तो इसको बदलने का अधिकार तो मेरे पास है । जिन कर्मचारियों ने गड़बड़ी की है उनको निलम्बित भी .

श्री उपाध्यक्ष : नो सवाल । नैक्स्ट, श्री मीमराज माटी ।

श्री महादेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है एक।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, बिराजिये आप। अब कोई सवाल का जवाब आप नहीं दें। भीमराज भाटी। नैक्स्ट (व्यवधान) आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको पसीना पोंछने की इजाजत तो दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पारीक साहब, आप धीरे-धीरे बहुत पुराने होते जा रहे हैं। कृपया अपने पुरानेपन का ध्यान रखें। श्री भाटी साहब। कृपया बिराजिये आप। मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा।

श्री महादेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक सुझाव देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आपके सुझाव की आवश्यकता नहीं है। पहले बिराजिये आप। बैठिये आप, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। फिर आप समय क्यों बरबाद करते हैं? आप बिराजिये पहले। आप बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, आप बिराजिये। प्रश्नकर्ता ने पूरक प्रश्न काफी कर लिये, उनका जवाब मंत्री महोदय ने दे दिया। अब आप बिराजिये। वह अंकित नहीं हो रहा है। भीमराज भाटी।

श्री महादेव सिंह : × × ×

श्री भीमराज भाटी : प्रश्न संख्या 179.

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री महादेव सिंह : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बैठिये। (व्यवधान)

जिला पाली के पशु औषधालयों में रिक्त पद

179. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति पाली व रोहट (पाली) में वर्तमान में कहां-कहां पशु औषधालय हैं तथा प्रत्येक में कौन-कौनसे पद स्वीकृत हैं? क्या स्वीकृत पद अनुसार इन औषधालयों में अधिकारी/कर्मचारी पदस्थापित हैं? यदि नहीं, तो क्यों? औषधालयवार रिक्त पद रहने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्तमान में उक्त क्षेत्र में स्थापित औषधालयों को पर्याप्त मानती है? यदि हां, तो किस आधार पर?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में और नये पशु औषधालय खोलने, रिक्त पदों पर

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भीमराज भाटी)

अधिकारी/कर्मचारियों को नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री अर्जुनसिंह देवड़ा) : (1) पंचायत समिति पाली में चार पशु चिकित्सालय एवं पंचायत समिति रोहट में तीन पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं। प्रत्येक में स्वीकृत पद और उन पदों पर पदस्थापन की कारण सहित विवरण की सूची "क" और "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार पंचायत समिति पाली एवं रोहट क्षेत्र में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाएं पर्याप्त हैं।

(3) वर्ष 1998-99 में राज्य में 25 पशु चिकित्सा संस्थाएं खोलने का प्रावधान है। वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति उपलब्ध होने के उपरान्त ही स्थानों का चयन किया जाना सम्भव हो सकेगा। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ सूचनाएं नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से आज जो सूचना मुझे बाद में प्राप्त हुई है उससे माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा। जैसाकि कल पशुपालन की मांग पर चर्चा हो रही थी, पाली में अभी कल ही वायद, जैतारण, गुढ़ाएन्दला, नागलाई, चाणोद, देसूरी, बीजापुर, दूदोड़, नाणा, मावड़ा, कालियास, दायलाना कलां, इस प्रकार 2 नये पशु चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी गयी है और आज पाली में एक भी पद रिक्त नहीं है। मैंने रात में ही अधिकारियों को निर्देश दे दिये थे, वे आ गये। यहां पर पशुधन चिकित्सक के दो पद रिक्त हैं। हर साल एग्जाम होकर नया जो बैंच है वह हमारे पास में आ जाता है, इस साल भी परीक्षा होने बाद में जो कैंडीडेट उपलब्ध होंगे, निश्चित रूप से उनको लगाकर भर दिया जाएगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं लेकिन यह लैप्स कैसा है ? दो फरवरी, 1997 से ये पोस्टें खाली थीं, अब यह प्रश्न किया तब जाकर इन्होंने पद भर दिये, सब अच्छा काम हो गया। पशु चिकित्सालय इस वक्त खुले हुए हैं-गुंदोज में खुला है, रूपावास में खुला है, मांडावास में खुला है, वापाद में खुला है, इन पशु चिकित्सालयों को खोलने के लिए पशुओं की संख्या का कोई मापदण्ड है या कोई दूरी का मापदण्ड है या नहीं, क्योंकि एक इस कोने में खुला है और दूसरी ओर 50 किलोमीटर दूर खुला है और तीसरा उससे भी अधिक 30 किलोमीटर दूर खुला है। यह जो मूक पशु है उसके इलाज के लिए कोई एक निश्चित नीति या कोई मापदण्ड है क्या जिसके आधार पर पशु चिकित्सालय खुलते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई गलत खुल गया क्या ? गलत खुला क्या ?

श्री भीमराज भाटी : नहीं, ये जो पहले के खुले हुए हैं वही खुले हैं। इसके बाद में

(श्री भीमराज भाटी)

अब खोलने का कोई मापदण्ड नहीं है। कोई 50 किलोमीटर दूर इस कोने में खुला हुआ है, बीच के सारे लोगों के लिए, पशुओं के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है कहीं पर। लोगों की पुकार तो यहां कोई कर सकता है लेकिन मूक पशुओं की कौन पुकार करेगा ? बीमार पशु को कैसे लेकर जाना ? इसका कोई आधार है क्या, मापदण्ड कुछ बना रखे हैं क्या ?

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : मैं बताता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पाली में अभी 54 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं। राजस्थान में लगभग 17233 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय कार्यरत है जबकि पाली में 13164 पशुओं की संख्या पर एक पशु चिकित्सालय कार्यरत है। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान में सिर्फ चार ऐसे जिले हैं जिनमें कि 50 से अधिक पशु चिकित्सालय हैं— जयपुर, जोधपुर, पाली और भीलवाड़ा। इसके अलावा अजमेर में 42 चिकित्सालय हैं, अनूपगढ़ में 20, बांसवाड़ा में 26, बारां में 24, भरतपुर में 36, बीकानेर में, बूंदी में 22, दौसा में 24, धौलपुर में 17, डूंगरपुर में 25, यह इस प्रकार काफी लम्बी लिस्ट है और पाली में 54 पशु चिकित्सालय हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं भी मानता हूं कि राजस्थान में काफी होने चाहिए लेकिन संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पाली में काफी पशु चिकित्सालय हैं और.....

श्री उपाध्यक्ष : सबसे अधिक हैं, सबसे अधिक।

श्री भीमराज भाटी : मैं दूरी की बात कर रहा हूं, सरकार, दूरी की बात कि कितनी दूरी है। कोई दूरी तो सुनिश्चित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल बैरवा। बिराजिये, माननीय सदस्य। उत्तर पर्याप्त है, माननीय सदस्य।

श्री भीमराज भाटी : मैंने दो मापदण्ड पूछे हैं सिर्फ कि दो पशु चिकित्सालयों के बीच में कितनी दूरी हो ?

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : माननीय सदस्य, वैसे 10 किलोमीटर के रेडियस में एक पशु चिकित्सालय स्थापित होना चाहिए, यह व्यवस्था है।

श्री भीमराज भाटी : हां, तो यह भी अपर्याप्त है न।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

जिला टोंक में कृषि भूमि का आवासीय उपयोग

180. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में टोंक जिले के शहरों में कृषि भूमि रिहायशी प्लाटों के प्रयोग में ली जा रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कराये बिना पट्टे/मकान आबंटित किये जा रहे हैं ?

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं तथा सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि भूमि पर कालोनियां स्थापित करने का कार्य किन्हीं सरकारी समितियों/एजेंसियों व निजी व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी, हां। यह सही है कि गत पांच वर्षों में टोंक जिले के शहरों में कृषि भूमि गैर कृषि कार्यों के (रिहायशी) प्लाटों के लिए प्रयोग में ली गई है। शहरवार विवरण संलग्न है।

(2) जी, नहीं। टोंक जिले में कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित कराये बिना पट्टे/मकान आबंटित करने सम्बन्धी कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, नहीं। टोंक जिले के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमियों पर सहकारी समिति एवं प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा कालोनियां स्थापित करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अपर्याप्त और भ्रामक है। जो इसका उत्तर आना चाहिए था उस सबको आपने अवाजिब तरीके से टाल दिया है। कृषि भूमि पर कोई अतिक्रमण करता है तो उसकी रिपोर्ट आपके यहां पर तहसील में जरूर होती है। हमारे देहात के अन्दर एक बीघा, आधा बीघा, दो बिस्वा, पांच बीघा, इस तरीके के जो अतिक्रमण हैं उन सबके खिलाफ तो आपने केस रजिस्टर कर रखे हैं, धारा 91 के नोटिस दे रखे हैं। नोटिस ही नहीं दे रखे, उन पर कार्यवाही करके तीन-तीन महीने की सजा दे रखी है। कम से कम ऐसी 200 बीघा जमीनें हैं, जो टोंक के अंदर, निवाई में, मालपुरा में हैं....

श्री उपाध्यक्ष : वे 91 के होंगे।

श्री बनवारीलाल बैरवा : ये भी 91 में ही आते हैं। जो शहरी क्षेत्र की सीमाओं के अन्दर सिवाय चक जमीनें हैं या कृषि भूमि है और कृषि भूमियों का जो उपयोग कर रहे हैं उनके ऊपर। आपके यहां पर यह तो जानकारी होनी ही होनी चाहिए कि कृषि भूमि के काम को अकृषि भूमि में आप कैसे ले लेंगे। दूसरी बात कि शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन है बहुत सारी उसके अन्दर। क्या यह आपकी जानकारी में है कि एस सी. की जमीनें हैं, इन जमीनों का उन लोगों को बेचान हो गया है जो इस वर्ग से सम्बन्धित नहीं है ? अगर है तो यह तो एब-इनीशियो गलत है। एब-इनीशियो गलत है तो आपको कार्यवाही करनी चाहिए। नहीं की है आपने तो यह आपकी खामी है। उस खामी को अब आप कैसे दुरस्त करेंगे, माननीय मंत्री महोदय, इसका जवाब फर्माएं।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र में जो सूची हमने साथ में दी है अतिक्रमण की या अनियमित

(श्री गंगाराम चौधरी)

रूपांतरण की, उसके अनुसार टौंक जिले में कुल 708 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अनियमित रूप से रूपांतरण किया है। कुछ रूपांतरण के प्रकरण भी विचाराधीन है जिन पर कार्यवाही जारी है। अनुसूचित जाति के खातेदारों ने अगर किसी दूसरे को बेची है तो यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, मैं सूचना एकत्रित नहीं कर पाया लेकिन रजिस्ट्री तो अनुसूचित जाति के सदस्यों की दूसरों के लिए होती नहीं हैं। अब बिना रजिस्ट्री करे किसी ने किसी दूसरे को कब्जा दे दिया है, इसकी जानकारी बराबर अब तक राज्य सरकार के पास नहीं है। अगर जानकारी हो गई तो इस सम्बन्ध में हम कानूनी कार्यवाही सख्ती से करेंगे। प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में मैंने कहा था कि इस प्रकार की जानकारी राज्य सरकार को तो नहीं है कि सोसाइटीज या एजेंसियों ने किसी दूसरे को दे दी। प्रश्न के भाग तीन में और दो में यह था कि क्या यह सही है कि मकानात वगैरह बिना निर्माण किये हुए ही पट्टे लोगों ने दे दिये, तो पट्टे देने की बात की तो हमें जानकारी होती नहीं है, जब निर्माण होता है तभी कार्यवाही होती है और धारा 90-ए सपठित धारा 91 में अनियमित निर्माण के लिए मुकदमे चलाये जाते हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रश्न का भाग तीन है, क्या यह सही है कि कृषि भूमि पर कालोनियां स्थापित करने का कार्य किन्हीं सहकारी समितियों, एजेंसियों व प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, यदि हां, तो उनका विवरण क्या है। आपका जवाब है-जी नहीं। टौंक जिले के शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि पर सहकारी समितियों एवं प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा कालोनी स्थापित करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, पटवारी को जरा-जरा-सी बात की खबर रहती है। अब वह चला कर उस पर कार्यवाही नहीं करना चाहे, आपको सूचना नहीं देना चाहे तो वह अलग बात है। लेकिन यह उनकी जानकारी में है कि यह शिड्यूल्ड कास्ट का खेत है और नॉन शिड्यूल्ड कास्ट के लोग इसके ऊपर काबिज हो रहे हैं। अगर वह है तो आपके यहां पर कानून में प्रावधान है उस बात का कि उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। न तो आपने उन एजेंसियों के बारे में कोई जवाब दिया है, चलिए नहीं दिया है, लेकिन जो इस वर्ग से सम्बन्धित नहीं है उन लोगों के खिलाफ आप कार्यवाही करें जिन्होंने उस पर कब्जे कर रखे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सदस्य, आपको जानकारी हो तो मुझे जानकारी दे दें, सरकार को दे दें, कलेक्टर को दे दें, या और कोई शिकायत इस प्रकार की आएगी तो जानकारी करके इंक्वायरी कर ली जाएगी और एक्शन लिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनदास मदान।

श्री बनवारी लाल बैरवा : वे सब, माननीय, बी. जे. पी. के लोग हैं....

श्री उपाध्यक्ष : बिना आज्ञा के बोल रहे हैं आप, माननीय सदस्य।

श्रम विभाग में अधिकारियों/निरीक्षकों के रिक्त पद

181. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के श्रम विभाग में कहां-कहां पर किन-किन अधिकारियों/निरीक्षकों के पद कब-कब से रिक्त हैं ?

(2) उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और अब उक्त रिक्त पद कब तक भर दिए जायेंगे ?

(3) उक्त विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति (डी. पी. सी.) कितने समय से कार्य नहीं कर रही है ?

राज्य मंत्री, श्रम (श्री नन्दलाल मीणा) : (1) श्रम विभाग में अधिकारियों/निरीक्षकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है ।

(2) विभाग में अधिकारियों के रिक्त पदों को पदोन्नतियों द्वारा भरने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, खण्डपीठ जयपुर की एकल व खण्डपीठ द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसरण में श्रम कल्याण अधिकारियों के पदों पर अधिकारियों की संग्रहित वरिष्ठता सूचियां क्रमश: आदेश दिनांक 18-10-93 तथा दिनांक 8-11-95 द्वारा जारी की गई है । माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने तथा न्यायालय का स्थगनादेश प्रभावी रहने के कारण पदोन्नतियां नहीं हो सकती हैं । निरीक्षकों के सभी पदों तथा श्रम कल्याण अधिकारियों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों पर सीधी भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित राजस्थान श्रम कल्याण नियम, 1958 की अनुसूची के एच्छिक विषय में संशोधन कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण लोक सेवा आयोग को संशोधित अर्चना नहीं भेजे जा सकने से सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने की कार्यवाही नहीं हो सकी हैं । अधिकारियों के रिक्त पद माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयोपरांत डी.पी.सी. की कार्यवाही कर भरे जा सकेंगे । रिक्त पदों को भरने के लिए तदर्थ पदोन्नतियां करने की कार्यवाही विचाराधीन है । श्रम कल्याण अधिकारियों के सीधी भर्ती के तथा निरीक्षकों के पदों को भरने के लिए नियमों में प्रस्तावित संशोधन की कार्यवाही चल रही है । संशोधन के उपरांत राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्चना भेजकर चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध करवाने पर पदों को भर दिया जाएगा ।

(3) निरीक्षक का पद सीधी भर्ती होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति का प्रावधान नहीं है । श्रम कल्याण अधिकारियों के अतिरिक्त श्रम आयुक्त स्तर तक के अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समितियों के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट-"ख" पर उपलब्ध है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्युत्तर पर मैं केवल मात्र आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि विभाग कितना सक्रिय है । आप देखिये,

(श्री अर्जुनदास मदान)

श्रम कल्याण अधिकारी की डी. पी. सी. 14-2-89 से नहीं हुई, मतलब पूरे नौ साल से। सहायक श्रम आयुक्त की डी. पी. सी. 8-1-92 से नहीं हुई, श्रम आयुक्त की 3-7-91 से नहीं हुई, संयुक्त श्रम आयुक्त की 16-3-91 से नहीं हुई। यानि कोई भी डी पी.सी पिछले साल से लेकर दस वर्ष से तो हुई नहीं और एक पद जिसको सृजित किया गया 11-4-94 को, वह भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न रखा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने उसे स्वीकारा और उसका पद सृजित हुआ जिस पर सबसे पहले मेरे ख्याल से मल्होत्रा साहब लगे, बाद में श्याम लालजी आये और वर्तमान में मिस्टर माथुर वहां काम कर रहे हैं। मेरा तो निवेदन केवल मात्र इतना है कि जब दस-दस साल तक आप डी. पी. सी. नहीं करेंगे किसी विभाग की, तो प्रमोशंस कहां से होंगे? विसंगतियां और अदालतों में जाने का क्रम तब होता है जब डी.ओ.पी. से सलाह भी ली जा रही है। अगर आप डिपार्टमेंट आफ पर्सनल से सलाह ले लें और वहां से पूरी सूची मंगा लें, उसमें किसकी वरीयता बनती है, कौन कनिष्ठ है, कौन वरिष्ठ है, यदि उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए तो ये झगड़े नहीं हों। मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि जो दस-दस साल से आपने इनकी डी.पी.सी. नहीं बैठाई उसके ऊपर विचार करें।

मंत्री महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है, क्योंकि श्रम विभाग से सम्बन्धित विषय है कि जब श्रम के अधिकारियों के अधिकारों की रक्षा नहीं होगी तो वे मजदूरों के अधिकारों की रक्षा कैसे करेंगे? सबसे बड़ा दुःख है। और तीसरा सवाल मेरा यह है कि आप अगर नहीं भी कर रहे तो अब आप एडहाक अपाइंटमेंट कब देंगे? माननीय, यहां पर असिस्टेंट श्रम आयुक्त को डिप्टी के पद पर और ईवन जोइंट के पद पर भी लगा रखा है, तो बाकी पदों के ऊपर आप कब तक करेंगे? ये मेरे तीन मूल प्रश्न हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग का जो कैडर है वह श्रम निरीक्षक से प्रारम्भ होता है। श्रम निरीक्षक की सीधी भर्ती के पश्चात् श्रम कल्याण अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त आदि उच्च अधिकारी जो हैं, वे बाई प्रमोशन हैं। श्रम कल्याण अधिकारी श्रम निरीक्षक के बाद का पद है, पचास प्रतिशत सीधी भर्ती और पचास प्रतिशत प्रमोशन के जरिये ये पद भरे जाते हैं। आर.पी.ए.सी. के माध्यम से जो सीधी भर्ती के पद हैं और जो विभागीय पदोन्नति के आधार पर पद भरे जाते हैं उन पदों में विसंगति है।

(12.00)

आवश्यकता के अनुसार आर.पी.एस.सी. के माध्यम से जो हमको रिक्त पद 50 फीसदी चाहिए थे उसके आधार पर आर. पी. एस. सी. ने वे पद नहीं भरे और सीधी भर्ती जो प्रमोशन के आधार पर हुई थी, 50 फीसदी के आधार पर ही आगे अधिकारियों के प्रमोशन होते रहे। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, 1987 में श्रम कल्याण अधिकारी का एक पद जो सीधी भर्ती के द्वारा भरा गया गया था उसमें हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गयी कि जो सीधी भर्ती के पद हैं और

(श्री नन्दलाल मीणा)

जो बाई प्रमोशन पद हैं उनमें विसंगतियां हैं। जो प्रमोशन हुआ है उसमें सीधी भर्ती के जो श्रम कल्याण अधिकारी थे उनका जो क्लेम बनता था वह नहीं पाने की वजह से हाई-कोर्ट ने इस पर स्थगन आदेश दे दिया। इसी की वजह से, उपाध्यक्ष महोदय, यह डी. पी. सी. नहीं हो पाई है। जो रिक्तियां अभी हैं, उन्होंने यह भी बताया है कि कौन-कौनसी रिक्तियां हैं और डी. पी. सी. कब हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रिक्तियों का सवाल है विभाग में अतिरिक्त श्रम आयुक्त का एक पद है जिसमें से एक खाली है। संयुक्त श्रम आयुक्त के 11 पद हैं उनमें से एक पद रिक्त है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चहता हूं कि जितना जल्दी हो सके एडहाक प्रमोशन की कार्यवाही करके इन रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, एक-आधा मिनट ...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

श्री अर्जुनदास मदान : साहब, अब इतना तो आप बंधन मत डालिये।

श्री उपाध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

श्री अर्जुनदास मदान : इस विषय को आप इतना साधारण समझ रहे हैं, साहब, मैं क्या निवेदन करूं ?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्य

229. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्री-माधोपुर) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली उत्पादन, सिंचाई, ग्रामीण विकास, गृह निर्माण, सड़कों आदि के लक्ष्य क्या थे और उनके मुकाबले कितने लक्ष्य प्राप्त किये गये ?

(2) लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी क्यों रही तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) राज्य की आठवीं पंचवर्षीय योजना के बिजली उत्पादन, सिंचाई, ग्रामीण विकास, गृह निर्माण, सड़कों आदि के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की सूचना परिशिष्ट-1 अनुसार है।

(2) लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारणों का उल्लेख उपरोक्त परिशिष्ट-1 में किया गया है। लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

राजस्व अभियान का स्थगन

230. **श्री भोला भाई** (सागवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भीखा भाई)

क्या यह सही है कि राजस्व अभियान को माह मई, 1998 से प्रारम्भ करने की उद्घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो क्या सभी जिलों में जिला कलेक्टरों ने इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली थीं ? यदि हां, तो अभियान को स्थगित करने के क्या कारण रहे ? उक्त तैयारियों पर कितना व्यय हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में मई माह में समस्या समाधान अभियान प्रारम्भ करने की घोषणा की गई थी। इसकी तैयारियां जिला कलेक्टरों ने पूर्ण कर ली थी। इस अभियान को 01 जून एवं तत्पश्चात् 15 जून के लिए स्थगित किया गया। 15 जून से प्रारम्भ होने वाले अभियान को राज्य में मौसम व अत्यधिक गर्मी के कारण स्थगित करना पड़ा। इस अभियान की तैयारी में लगभग 4 लाख रुपये खर्च हुए।

कृषि भूमि में बंटाईदार का हक

231. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि भूमि में बटाईदार के हक क्या हैं तथा कृषि उत्पादन में बटाईदार का कानूनी हिस्सा कितना है ?

(2) क्या सरकार काश्त गिरदावरी शुरू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जिला सीकर में गत चार वर्षों में भूमिहीनों को कितनी भूमि का आवंटन किया गया ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। कृषि उत्पादन में बटाईदार के कानूनी हिस्से का कोई विधिक प्रावधान नहीं है।

(2) जी, नहीं। काश्त गिरदावरी से अनावश्यक विवाद बढ़ने की संभावनाएं रहती है।

(3) जिला सीकर में गत चार वर्षों में कृषि प्रयोजनार्थ भूमिहीनों को कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है।

ग्राम कापडियावास (जयपुर) में आम रास्ते पर अतिक्रमण

232. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील जयपुर के ग्राम कापड़ियावास से कालवाड़ रोड तक पूर्व में काश्तकारों की सहमति से आम रास्ता निकाला गया था ? यदि हां, तो खसरा नं. सहित नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस आम रास्ते पर कई बार अतिक्रमण हुए, जिन्हें हटाया गया ? यदि हां, तो कब-कब ?

(3) क्या सरकार इस आम रास्ते को स्थाई रखने का विचार रखती है ? यदि

(श्री गोपीराम जाट)

हां, तो बार-बार अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कापडियावास से कालवाड़ रोड तक कौनसा आम रास्ता निकाला जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि तहसील जयपुर के ग्राम कापडियावास से कालवाड़ रोड तक पूर्व में काश्तकारों की तहसील से तहसीलदार, जयपुर के प्रस्तावानुसार ग्राम कालवाड़ स्थित खसरा नं. 130/6 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा (गैर खातेदारी से समर्पित भूमि) का किस्म सिवाय चक बारानी से सिवाय चक गै मु. रास्ते में परिवर्तन की स्वीकृति दिनांक 15-3-97 को दी जाकर आम रास्ता निकाला गया है। उक्त रास्ते की नक्शे की छाया प्रति संलग्न है।

(2) जी, हां। यह सही है कि माह 6/96, 12/96, 4/97 व 1/98 में रूगनाथ पुत्र बीज्या तथा बीछा पुत्र नोला अहीर सा. रामला का बास द्वारा अतिक्रमण किया गया। उक्त अतिक्रमण के विरुद्ध नायब तहसीलदार, कालवाड़ द्वारा मि. नं. 165/96 में रा. लैं रे. एक्ट की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 17 6-96 को अतिक्रमी को बेदखल करने का निर्णय पारित किये गये। उक्त अतिक्रमी को दिनांक 27-6-96 को उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (प्रथम) द्वारा पुलिस इमदाद की सहायता से बेदखल किया गया। मि. नं. 391/96 में नायब तहसीलदार, कालवाड़ के निर्णय दिनांक 9-12-96 द्वारा अतिक्रमियों को सिविल कारावास व बेदखली के आदेश पारित किये गये। मि. नं. 57/97 में नायब तहसीलदार ने निर्णय दिनांक 28-5-97 द्वारा अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91 (6) के तहत थाना कालवाड़ व उप पुलिस अधीक्षक को पत्र क्रमांक आरए/617 दिनांक 28-5-97 व 619 दिनांक 20-5-97 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई। मि. नं. 39/98 में नायब तहसीलदार, कालवाड़ के निर्णय दिनांक 24 2-98 की पालना में उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-प्रथम मय पुलिस सहायता से दिनांक 29-5-98 को अतिक्रमण हटाया जाकर रास्ता खुलवाया गया।

(3) जी, हां। इस संबंध में बार-बार अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमियों को लगान की शास्ती से दण्डित कर मौके से बेदखल करने के आदेश तथा सिविल कारावास की सजा से भी धारा 91 के तहत दण्डित किया गया है। नायब तहसीलदार के निर्णय दिनांक 17-6-96 व 24-2-98 की पालना में उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-प्रथम व पुलिस इमदाद से रास्ते को चालू करवाया गया है।

(छाया प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

विधान सभा क्षेत्र पाली में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण

233. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भीमराज भाटी)

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में चारागाह भूमि कितनी है ? ग्रामवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चारागाह/सिवाय चक भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त चारागाह भूमि से अवैध कब्जा हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में 12273.60 हैक्टेयर चरागाह भूमि है। ग्रामवार एवं क्षेत्रफलवार विवरण संलग्न है। परिशिष्ट "क, ख"

(2) चरागाह (सिवाय चक) भूमि पर किये गये नाजायज कब्जे संबंधी व्यक्तिवार, ग्रामवार सूचियां संलग्न हैं। परिशिष्ट "ग, घ"

(3) चरागाह भूमि पर किये गये अवैध कब्जों में से 548 प्रकरण में भौतिक बेदखली की गई। 18 प्रकरणों में सिविल कारावास की सजा दी गई। 5 मामलों में धारा 91 (6) के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई एवं 32 प्रकरणों में मौके पर पक्का निर्माण होने से भौतिक बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम मूंडला तहसील सराड़ा में भू-नियमन में अनियमितताएं

234. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सराड़ा (उदयपुर) में पिछले सेटलमेंट के समय अमीनों द्वारा किसानों की खातेशुदा, आवंटित एवं कब्जेशुदा जमीन को खारिज कर देने और मालिकाना हक बदल देने के मामले प्रकाश में आये हैं ?

(2) क्या ग्राम पंचायत पिलादर तहसील सराड़ा में ग्राम मूंडला के पुराने नक्शे के अनुसार आराजी नं. 293/12, 293/17, 293/14, 293/1क, 293/1ख, 293/1ग, 293/1ड़, 293/20, 293/21, 293/19, 293/4, 293/1घ, 293/18, 293/15, 293/5, 293/2 में कई वर्षों से पुराने कब्जाधारी हैं ? क्या यह सही है कि यह भूमि अन्य लोगों के नाम कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तहसील सराड़ा (उदयपुर) में पिछले सैटलमेन्ट के दौरान किसानों को आबंटित भूमि जो राजस्व रिकार्ड में खातेदार एवं गैर खातेदार दर्ज कर रखी थी, को मौके पर कब्जा नहीं होने या कब्जा दूसरे खसरा नम्बर में होने व पटवार ट्रेस में तरमीम नहीं होने से सिवायचक दर्ज किया गया था।

(राजस्व मंत्री)

(2) ग्राम पंचायत पिलादर तह. सराड़ा के ग्राम मूंडला के साबिक खसरा नं. 293/1क, 293/1ख, 293/1ग, 293/1घ, 293/2, 293/4, 293/5, 293/7, 293/12, 293/14, 293/15, 293/17, 293/19 जिनके वर्तमान बन्दोबस्त में जो खसरा नम्बर कब्जे के आधार पर बनाये गये हैं, उनके इंद्राजात में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ है। शेष साबिक ख. नं. 293/15, 293/18, 293/20, 293/21 जिन पर आबंटियों के मौके पर कब्जे नहीं थे और ना ही पटवार ट्रेस में तरमीम थी, को सिवायचक अंकित किया गया था। भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही की गई थी, इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

ग्राम बिचपड़ी (तहसील आमेर) के आम रास्ते पर अतिक्रमण

235. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बिचपड़ी तहसील आमेर, जिला जयपुर की ढाणी सीमेण्ट वाली कोठी पर आने-जाने के रास्ते पर कतिपय व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों और कब से, किन-किन व्यक्तियों द्वारा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रास्ते पर से अतिक्रमण हटाकर रास्ता चालू करवाने हेतु श्री हनुमान, घासी व अन्य ग्रामीणों ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं ? यदि हां, तो किन-किन को, कब-कब और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ढाणी के आम रास्ते से अतिक्रमण हटाकर उसे चालू कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) अब उक्त रास्ता कब तक चालू करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम बिचपड़ी में सीमेन्ट वाली ढाणी की कोठी पर आने जाने का एक रास्ता गत खसरा नम्बर 236 सिवाय चक तथा ख नं. 88 व 91 स्व. मोती पुत्र चन्द्रा कौम् बागड़ा ब्राह्मण की खातेदारी में होकर जाता था। जिसे खातेदार स्व. मोती के पुत्रान जीवन व भूरा ने अपनी खातेदारी भूमि में मिलाकर रास्ता समाप्त कर दिया है और बन्द कर दिया है। इस कोठी के आगे सीस्यावाली कोठी पर रास्ता जाता है जिसे ढाणी सीमेन्टवाली ने बन्द कर रखा है। विवाद यह है कि यदि सीस्योंवाली कोठी तक का रास्ता ढाणी सीमेन्टवालों द्वारा खोल दिया जाता है तो जीवन, भूरा भी अपनी खातेदारी में होकर ढाणी सीमेन्ट वालों के लिए रास्ता चालू कर देंगे। अतिक्रमण किसी भी व्यक्ति का नहीं है। हाल ही में भू-प्रबन्ध विभाग से प्राप्त नवीन रेकार्ड में खातेदार स्व मोती पुत्र चन्द्रा की खातेदारी में होकर जाने वाले रास्ते को दर्शाया गया है। जिसके नये खसरा नम्बर 135 व 135/419 है।

Page No. 30

(30)

(राजस्व मंत्री)

(2) यह सही है कि वर्ष 1996 में श्री हनुमान पुत्र पन्ना बागड़ा नि. बिचपड़ी ने स्व. मोती पुत्र चन्द्रा बागड़ा की खातेदारी भूमि में से सीमेन्टवाली कोठी तक के रास्ते को चालू कराने की मांग की थी, इस पर तहसीलदार, ग्रामेर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत प्रकरण संख्या 6/96 दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की। उक्त प्रकरण में दिनांक 13-2-97 को तहसीलदार, आमेर द्वारा दोनों पक्षकारों की अदम हाजरी में प्रकरण खारिज कर दिया जिसकी अपील प्रार्थी हनुमान द्वारा आज तक नहीं की गई। उक्त प्रार्थी द्वारा तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी, आमेर को प्रार्थना-पत्र पेश किये हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला कार्यालय में भी रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ बागड़ा ब्राह्मण द्वारा एक प्रार्थना-पत्र जुलाई, 95 में प्रस्तुत किया गया था जो मूल ही तहसीलदार, आमेर को जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। तहसीलदार, आमेर द्वारा दिनांक 13-10-95 को मूल ही प्रकरण इस रिपोर्ट से भिजवाया कि रिकार्ड एवं नक्शे में ख. नं. 102 से आगे कोई रास्ता मौके व रिकार्ड में नहीं है। जिला कार्यालय द्वारा तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट पर दिनांक 20-10-95 को उक्त प्रकरण ड्राप कर दिया गया।

(3) प्रश्न संख्या 1 व 2 के उत्तर के अनुसार कोई अतिक्रमण नहीं है क्योंकि रिकार्ड व नक्शे के अनुसार कोई रास्ता नहीं है।

(4) रिकार्ड एवं नक्शे के अनुसार कोई रास्ता नहीं है। जो विवादित रास्ता है वह खातेदारी भूमि में से था और यह खातेदार की सहमति पर ही चालू किया जाना सम्भव है।

कृषि उपज मंडी समिति खाजूवाला एवं लूणकरणसर की आय

236 **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1997-98 में मंडी खाजूवाला एवं लूणकरणसर की आय कितनी थी तथा उक्त आय का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया ?

(2) वर्ष 1996-97 व 1997-98 में उक्त मंडी क्षेत्रों में किन-किन कार्यों के लिये कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 में खाजूवाला से 3 पी. डब्लू. एम. सम्पर्क सड़क की स्वीकृति दी गई थी ? क्या उक्त सड़क चक 3 पी. डब्लू. एम. पंचायत मुख्यालय तक बनाई जा चुकी है ? यदि नहीं, तो इसे पूर्ण करने हेतु कब स्वीकृति दी जायेगी ?

(4) उक्त सड़क को पूर्ण करने हेतु मंडी समिति खाजूवाला ने प्रस्ताव कब भेजे व उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति खाजूवाला व लूणकरणसर की आमदनी तथा उपयोग का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	नाम मण्डी समिति	कुल आय (रु. लाख)	व्यय		योग कुल व्यय
			संस्थापन	निर्माण कार्य	
1.	खाजूवाला	228.10	39.41	280.97	320.38
2.	लूणकरणसर	66.26	20.74	38.59	59.33

(2) वर्ष 96-97 व 97-98 कार्यों सहित स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। यह सही है कि वर्ष 94-95 में खाजूवाला से चक 3 पी डब्लू. एम. तक 5.00 कि. मी. सड़क की स्वीकृति दी गई थी तथा वर्ष 97-98 तक 4.00 कि. मी. सड़क का निर्माण कराया जा चुका है। पंचायत मुख्यालय 3 पी. डब्लू. एम. खाजूवाला से 9.00 कि. मी. दूरी पर है। अतः सड़क पंचायत मुख्यालय तक नहीं बन पायी है।

उक्त अधूरी सड़क को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11-6-98 द्वारा मण्डी विकास कोष से पूरा कराने हेतु 5.00 कि. मी लम्बाई की 50.00 लाख रुपये (अनुमानित लागत) की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है।

(4) उक्त अधूरी सड़क को पूरी करने हेतु प्रस्ताव मण्डी समिति खाजूवाला ने 23-12-97 को भेजे थे। अब उक्त सड़क को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11-6-98 को मण्डी निधि से निर्माण पूरा कराये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

कृषि उपज मंडी भीलवाड़ा द्वारा स्वीकृत सड़कें

237. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भीलवाड़ा जिले में कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा गत पांच वर्षों में सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो किस किस मंडी से कौन-कौन सी सड़क की स्वीकृति जारी हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भीलवाड़ा की मंडी से भादूलहारीया थाना शिवपुर गुरलों से

(श्री कालूलाल गूजर)

भोपालगढ़ सड़क रामपुरिया एवं कोचरीया अप्रोच रोड के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में दी गई स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार हैं :—

नाम मण्डी समिति	स्वीकृत सड़क	स्वीकृत वर्ष
भीलवाड़ा	1. केडिया से भगवानपुरा	93–94
	2. चितामबा से धुवाला	94–95
	3. एन. एच. रोड से आरजिया पालडी	94–95
	4. बडालियास से हनुमान जी शेष कार्य	95–96
	5. मालोला से धूलाखेड़ा	97–98
	6. शाहपुरा से डाबला कचरा	97–98
	7. भीलवाड़ा ब्यावर सड़क से खातोली	97–98
विजयनगर	1. शाहपुरा गुलाबपुरा से आनन्दीपुरा	96–97
(गौण मण्डी यार्ड गुलाबपुरा)	2. बडला पंचायत से गुलाबपुरा रूपहिली रोड तक	97–98
	3. गढवाली का खेड़ा पंचायत मु. से आसीन्द शाहपुरा रोड तक	97–98

(2) प्रश्न में उल्लेखित सम्पर्क सड़कों के प्रस्तावों की स्थिति निम्नानुसार है :–

1. भादू से लुहारिया रोड	—	कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।
2. थाना से शिवपुर रोड	—	प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । प्रस्तावित सम्पर्क सड़क की वरियता के संबंध में मण्डी समिति से स्पष्टीकरण चाहा गया है । सूचना प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।
3. गुरलो से भोपालगढ़ रोड	—	कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।
4. रामपुरिया अप्रोच रोड	—	कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।
5. कोचरिया अप्रोच रोड	—	कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

कृषि उपज मंडी नागौर द्वारा स्वीकृत सड़कें

238. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडियों द्वारा गांवों में सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में नागौर जिले में किस-किस कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में कौन-कौनसी सड़क कितनी-कितनी राशि खर्च करके बनाई जाएंगी ?

(2) क्या इस वर्ष नागौर जिले में किसी कृषि मण्डी यार्ड का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर और कितनी लागत से ?

(3) नागौर जिले की कौन-कौनसी कृषि उपज मण्डी ने किस-किस मण्डी यार्ड में दुकानें आबंटित की है ? इस वर्ष सहित गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । नागौर जिले में वर्ष 98-99 में निम्न सड़कों का निर्माण करवाया जाना है :–

नाम मण्डी समिति	नाम सम्पर्क सड़क	लम्बाई कि. मी.	लागत (लाख रु. में)
नागौर	1. आवलियासर से बोसेनी	5.00	38.52
	2. कुचेरा खजवाना रोड़ से गाजू	1.50	9.63
मेड़तासिटी	1. मेड़ता रोड़ से ओलादन	5.00	27.48
	2. मेड़ता रोड़ से रियाश्यामदास	6.00	49.46
	3. भैरुंदा अजमेर रोड़ से निम्बोला	1.80	9.89
	4. पसरोलिया से चांवंडियाकलां	6.00	32.97
	5. इन्द्रावट से सिरवासनी पिसिंग लेंथ	2.25	18.54
	6. जारोदा रोड़ से जैसास अखेराज	1.20	6.59

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा मण्डी विकास निधि के अन्तर्गत दिनांक 11-6-98 को सम्पर्क सड़कें स्वीकृत की गई है । जिनका निर्माण सन् 2000 तक करवाया जाना प्रस्तावित है । सड़कों का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है । ये सड़कें इस सर्त के साथ स्वीकृत की गई है कि इनके निर्माण प्रारम्भ कराने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि इनकी स्वीकृति किसी अन्य विभाग से तो नहीं हो गई है ।

Page No. 34

(३५)

(राज्य मंत्री, कृषि)

(2) जी, हां। मुख्य मण्डी यार्ड डीडवाना 102.28 लाख, नागौर मण्डी का गौण मंडी यार्ड कुचेरा एवं फल सब्जी यार्ड क्रमश: 45 लाख एवं 77.12 लाख एवं जायल 66.97 लाख की परियोजना लागत अनुसार निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) सूचना निम्नानुसार है :—

नाम मण्डी समिति	आवंटित दुकानों की संख्या 95-96	96-97	97-98	98-99
कुचामन सिटी	19	—	5 (गोदाम)	—
डेगाना	—	—	3 (फुटकर)	—
नागौर	—	36	23 (फल सब्जी)	—

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

जिला करौली एवं सवाईमाधोपुर में निर्मित एनीकट

239. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1995 से अब तक जिला करौली एवं सवाई मोधपुर में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा कितने एनीकट बनाये गये और इन कितनी पर राशि व्यय की गई ?

(2) जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा उक्त जिलों में वर्ष 1997-98 में कितने कार्य कराये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 95 से अब तक (जून-98) जिला सवाई माधोपुर में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा पूर्व वर्षों के अपूर्ण एनीकटों की संशोधित स्वीकृति प्राप्त कर तीन एनीकटों का निर्माण कार्य करवाया गया है तथा उन पर 17.06 लाख रुपये लागत आयी है। कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	एनीकट का नाम	संशोधित स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
1.	माडा योजना	1. मेडी	6.54	6.50	पूर्ण
		2. करेला	4.76	4.70	पूर्ण
2.	निबन्ध योजना	1. गोविन्दपुरा	5.89	5.86	पूर्ण

जिला करौली में कोई कार्य नहीं करवाया गया है।

(राज्य मंत्री, कृषि)

(2) जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 97-98 में विभिन्न योजनाओं में जिला सवाई माधोपुर में 32 कार्य एवं जिला करौली में 24 कार्य, कुल 56 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

कृषि उपज मंडी समिति रामगंज मंडी में अनियमितताएं

240. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कोटा जिले में वर्ष 1993 में कृषी उपज मण्डी समिति रामगंज मण्डी के सचिव तथा अन्य व्यक्तियों की मिली-भगत से जाली विक्रय रसीद छपवाने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या इस सम्बन्ध में तत्कालीन उप खण्ड अधिकारी द्वारा कोई जांच की गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब इस मामले की पुनः जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 3-7-93 को।

(2) जी, नहीं।

(3) जानकारी मिलने के पश्चात् उप खण्ड अधिकारी एवं प्रशासक, कृषि उपज मण्डी समिति से जांच कराई जा चुकी है।

न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण

241. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर निश्चित कर रखी है ? यदि हां, तो इस समय न्यूनतम मजदूरी क्या है और कब से ? इस सन्दर्भ में जारी अधिसूचना/आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के पास न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से ?

(3) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा इसके क्या आधार हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्तमान में राज्य में न्यूनतम मजदूरी की प्रचलित दरें 1-5-98 से लागू है जो अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिकों के लिए क्रमशः 44/- रुपये, 47/- रुपये व 50/- रुपये प्रति दिन है। इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(2) चूंकि 2 माह पूर्व ही न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की गई है। अतः

(राज्य मंत्री, श्रम)

वर्तमान में सरकार के पास मजदूरी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 5 अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की दो प्रक्रियायें वर्णित हैं तथा राज्य सरकार द्वारा अपने प्रस्ताव प्रकाशित कर उस पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करके तथा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल की राय प्राप्त कर प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि करने का मुख्य आधार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली वृद्धि तथा पिछली न्यूनतम दर हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति लूणकरणसर एवं बीकानेर के विद्यालयों के रिक्त पद

242. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में पंचायत समिति लूणकरणसर एवं बीकानेर में किस-किस ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्राथमिक शालाओं के क्रमोन्नयन की स्वीकृति दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्रमोन्नत शालाओं में स्वीकृति के प्रथम वर्ष में किस-किस अध्यापक की नियुक्ति की गई। सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक कार्यरत नहीं है?

(4) क्या सरकार उक्त शालाओं में नियमानुसार अध्यापकों की नियुक्ति हेतु बजट प्रावधान के बावजूद नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में किसी सम्बन्धि अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी?

(5) क्या सरकार उक्त शालाओं में आवश्यक संख्या में अध्यापक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की पंचायत समिति लूणकरणसर एवं बीकानेर में वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों की क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त शालाओं में स्वीकृति के प्रथम वर्ष में नियुक्त अध्यापकों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी, नहीं।

(4) बजट प्रावधान के तहत स्वीकृत पदों के विरुद्ध अध्यापकों को नियुक्ति/पदोन्नति प्रदान की गई थी, परन्तु अध्यापकों द्वारा कार्य ग्रहण नहीं करने के कारण वर्तमान में पद रिक्त चल रहे हैं। अतः किसी

(शिक्षा मंत्री)

अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई विचार नहीं है।

(5) स्वीकृत पदों के अनुसार नियुक्तियां दिये जाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय छाजुओं का खेड़ा (भीलवाड़ा) का क्रमोन्नयन

243. श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल) : क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में वर्ष 1998-99 में राजस्थान में स्कूलें क्रमोन्नत करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) राज्य में उक्त वर्ष के दौरान कुल कितनी स्कूलों को प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार संस्कृत स्कूलों को भी क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार भीलवाड़ा जिले की उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय छाजुओं का खेड़ा को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालयों की क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर निर्धारित मानदण्डों के तहत गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

(2) उक्त वर्ष में प्राथमिक से उप्रावि, 100, उप्रावि से मावि में 50 तथा मावि से उमावि में 50 विद्यालयों के क्रमोन्नत करने का बजट में प्रावधान रखा है।

(3) जी, हां। वर्ष 1998-99 में संस्कृत विद्यालयों के क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाना संभव होंगे।

(4) वर्ष 1998-99 में संस्कृत उप्रावि को मावि में क्रमोन्नत करते समय उप्रावि संस्कृत छाजुओं का खेड़ा का प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ छाजुओं का खेड़ा द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने, उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुये गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नति हेतु विचार किया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

244. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(1) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कौन-कौन से उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1997-98 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार की उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में गत चार वर्षों में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है ।

(2 वर्ष 1997-98 में उक्त विधान सभा क्षेत्र में सिघनिया में छात्र एवं बरदाला में छात्रा विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है ।

(3) राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नयन के लिए जो मापदण्ड निर्धारित किए हुए हैं वे इस प्रकार है :—

ग्राम की जनसंख्या	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
1. ग्राम की जनसंख्या	1000	500
2. कक्षा-5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15
3. कक्षा 1-5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4. फीडर प्राथमिक विद्यालय	2	2
5. 2 किमी परिधी में अन्य उच्च प्रा. वि. की सुविधा का नहीं होना ।		

उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार कर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जिला करौली के राज्य कर्मियों का वेतन भुगतान प्रकरण

245. श्री हंसराम गुर्जर (करौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला करौली में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों एवम् अध्यापकों को जनवरी, 1997 से मई, 1998 तक निरन्तर सेवा में रहने के बाद भी वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान नहीं किया

(श्री हंसराज गुर्जर)

गया है ? यदि हां, तो कितने व किस-किस कर्मचारियों के किन-किन कारणों से भुगतान नहीं किये गये ?

(2) क्या ऐसे कर्मचारियों एवं अध्यापकों द्वारा अपने वेतन भत्तों के भुगतान के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी द्वारा तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार उक्त कर्मचारियों एवं अध्यापकों को बकाया वेतन भत्तों का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । करौली जिले में 14 अध्यापक तथा 07 मंत्रालयिक कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि ये कर्मचारी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर अधिशेष है । संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को इनके बकाया वेतन तत्काल आहरण करने के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

(2) जी, हां । केवल 02 कर्मचारियों द्वारा जो कि क्रमशः श्रीमती निर्मला शर्मा वरिष्ठ अध्यापिका एवं श्री प्रहलाद कुमार गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं । प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वेतन आहरण की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी, हां । वेतन भुगतान किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

पंचायत समिति बांदीकुई में शिक्षाकर्मी विद्यालय की स्थापना

246. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बांदीकुई (दौसा) में शिक्षाकर्मी योजना चल रही है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में शिक्षाकर्मी योजनान्तर्गत कुल कितने विद्यालय हैं ? कक्षा एवं छात्र संख्यावार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) शिक्षाकर्मी योजना में अध्यापकों को नियुक्ति देने का क्या प्रावधान है ?

(4) सरकार तहसील बसवा में और कितने शिक्षाकर्मी विद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां । निम्नांकित 21 गांवों में शिक्षाकर्मी योजना चल रही है ।

1. बनापुरा, 2. गिरधरपुरा, 3. रलावता 4. चौबड़ीवाला, 5. तूंगड़वास, 6. कोठीन 7. भूंथाहेड़ा खुर्द, 8. चोरवाड़ा, 9. बैंसलावास, 10. शेखपुरा, 11. खूंटला, 12. नानगवाड़ा रामपुरा, 13. गादरवाड़ा गूजरान, 14. उरवाड़ी, 15. दुडकी, 16. तिहाड़ा, 17. रेहड़िया, 18. मुही की झौंपड़ी, 19. खोहरा, 20. गोला का बास, 21. खाथोलाई

(शिक्षा मंत्री)

(2) पंचायत समिति बांदीकुई में 21 शिक्षाकर्मी विद्यालय चल रहे हैं। विद्यालयों के नाम कक्षा एवं वर्ष 1997-98 की छात्र संख्या की सूची पटल पर रख दी गई है।

(3) शिक्षाकर्मी परियोजना में शिक्षकों का चयन नहीं किया जाता है, वरन् विद्यालय परिक्षेत्र के पढ़े लिखे नवयुवक/नवयुवतियां (बहुएं) का चयन शिक्षाकर्मी के रूप में किया जाता है। उसके चयन के आधार निम्नलिखित हैं :—

01 न्यूनतम योग्यता :—

(अ) पुरुष आशार्थी कक्षा-8 उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ब) महिला आशार्थी कक्षा-5 उत्तीर्ण होनी चाहिए।

02 विद्यालय परिक्षेत्र में रहने वाला हो।

03 इसके अतिरिक्त निम्नलिखित क्षमताएं देखी जाती हैं :—

(अ) मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति।

(ब) गणित, भाषा व पर्यावरण विषय का बुनियादी ज्ञान।

(स) गांव में उसकी प्रतिष्ठा।

(द) परियोजना की दृष्टि से उसका व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण।

(य) स्वेच्छा से समाज में कार्य करने का उत्तरदायित्व को स्वीकार कर सम्पन्न करने की क्षमता।

(र) गांव वालों का उसके प्रति विश्वास।

इसके लिए निश्चित प्रक्रिया बनी हुई है। चयन कार्य चयन दल के द्वारा ग्राम में ग्रामवासियों के सम्मुख निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उनकी सहमति से किया जाता है। चयन के बाद प्रारम्भिक प्रशिक्षण में भेजा जाता है। प्रशिक्षण में सफल होने पर स्वैच्छिक रूप से कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, नियुक्ति नहीं दी जाती है।

(4) वर्तमान में तृतीय चरण की स्वीकृति तक तहसील बसवा में और शिक्षा-कर्मी विद्यालय खोलने का कोई विचार नहीं रखती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

जिला बांसवाड़ा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

247. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा के कौन-कौनसे माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार छोटी सखा माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) निर्वाचन क्षेत्र कुशलगढ़ में कितनी उच्च प्राथमिक शालायें हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त उच्च प्राथमिक शालाओं में से कितनी शालाओं को

(श्री फतेह सिंह)

माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार रामगढ़, सागवा, लसूड़ीया एवं मोहकपुरा उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष में वर्तमान में किसी भी श्रेणी के विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया है ।

(2) राज्य सरकार अपने सीमित वित्तीय संशोधन की उपलब्धता पर क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर गुणवत्ता एवं क्षेत्रीय मांग के अतिरिक्त मानदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों को क्रमोन्नत के लिए विचार करती है । उस समय रा. मा. वि. छोटी को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रास्तावों के साथ विचार किया जाना संभव हो सकेगा ।

(3) निर्वाचन क्षेत्र कुशलगढ़ में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(4) वित्तीय प्रावधान की उपलब्धता पर समग्र रूप से क्रमोन्नति के मानदण्डों की पूर्ति करने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति हेतु विचार किया जाना संभव हो सकेगा ।

(5) वर्ष 1998-99 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करते समय रामगढ़, सागवा, लसूड़ी या एवं मोहकपुरा उच्च प्राथमिक शालाओं के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य विद्यालयों को क्रमोन्नत करते समय निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने, बजट प्रावधान को ध्यान में रखते हुये गुणावगुण के आधार पर उक्त विद्यालयों की क्रमोन्नति पर विचार किया जायेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

गुड़गावां नहर (कामां क्षेत्र) की मरम्मत पर व्यय

248. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में कामां क्षेत्र की गुड़गांवा नहर की किस-किस माइनर पर कितनी-कितनी राशि मरम्मत व निर्माण कार्य पर व्यय की गई है ?

(2) उक्त माइनरों से प्रतिवर्ष कितने-कितने क्षेत्र में सिंचाई की गई ?

(3) उक्त में से ऐसी कितनी माइनर हैं जिनसे अभी तक कोई रकबा सिंचित नहीं हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) गत 5 वर्षों में कामां क्षेत्र की गुड़गावां नहर की माइनरों पर मरम्मत पर

(मुख्य (सिचाई) मंत्री)

वर्ष वाईज निम्न प्रकार व्यय किया गया है :—

1993-94	1.45 लाख
1994-95	1.15 लाख
1995-96	9.20 लाख
1996-97	12.04 लाख
1997-98	24.53 लाख

माइनरों के निर्माण पर कोई व्यय नहीं किया गया है। कार्यवार व्यय की पूर्ण सूची संलग्न है। (प्रपत्र "अ")

(2) उक्त माइनरों से वर्षवार की गई सिंचाई का विवरण निम्न है :—

1993-94	4467.32 एकड़
1994-95	527.00 एकड़
1995-96	1848.32 एकड़
1996-97	1379.5 एकड़
1997-98	912.98 एकड़

पूर्ण सूची संलग्न प्रपत्र "अ" पर है।

(3) गत 5 वर्षों में 9 माइनरों से कोई सिंचाई नहीं हुई। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

कुशलगढ़ क्षेत्र की अपूर्ण सिंचाई परियोजनायें

249. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा की कितनी सिंचाई परियोजनाएं अधूरी हैं तथा इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखण्ड क्षेत्र के पिपलोन, कुन्डिया, गोपालपुरा, खजुरा, कोटड़ी (रामगढ़) टिडियां देव सिंचाई परियोजनाओं को प्लान में लेकर पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) निर्वाचन क्षेत्र कुशलगढ़ के पाणदा, नागदा, अखेपुर, बियापाड़ा, घोड़ादरां, सुरवन, झीकली, रामगढ़, टांडी, गोयका, प्रसाद, चतरा, खुटा तालाबों की नहरों के रख-रखाव हेतु इस वर्ष कितनी राशि स्वीकृत की गई ? स्वीकृत राशि से कौन-कौनसे कार्य कराये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अखेपुरा तथा घोड़ादरा तालाबों की ऊंचाई बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में कुल 30 परियोजनाएं अधूरी हैं इनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। इनमें से दो परियोजनाओं का कार्य वर्ष 3/99 तक एवं दो का कार्य वर्ष 2000 तक पूर्ण किया जावेगा एवं शेष 26 की स्वीकृति होने पर निर्माण कार्य पूर्ण किये जा सकेंगे।

(2) पीपलोन तालाब, लाभ लागत में अनुपयुक्त होने से बनाने का विचार नहीं है।

(मुख्य (सिंचाई) मंत्री)

कुशलगढ़ क्षेत्र में गोपालपुरा, टिडियादेव, कुण्डिया कोटडी (रामगढ़) व खजूरा परियोजना को प्लान में प्रस्तावित कर पूर्ण करने का विचार है। इन परियोजनाओं की स्वीकृति के पश्चात् बजट की उपलब्धता के आधार पर पूर्ण कराया जावेगा।

(3) बांध व नहरों के विशेष नाम से रख-रखाव हेतु बजट की राशि स्वीकृत नहीं की जाती है। परन्तु सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा को चार माह के लिए राशि 2.00 लाख स्वीकृत की गयी है। वर्तमान में इस खण्ड के अधीन 98 बांधों व नहरों में से आवश्यकता अनुसार पाणदा, नागदा, अखेपुरा, बियापाड़ा, घोडादरा सुरवन, झोकली, रामगढ़, टांड़ी, गोयका प्रसाद, चतराखूंटा की नहरों पर खर्च किये जावेंगे। उक्त वर्णित तालाबों की नहरों पर 98-99 में अभी तक रख-रखाव पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

(4) जी, नहीं। इन तालाबों की ऊंचाई बढ़ाना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जिला नागौर के बाढ़ग्रस्त ग्रामों में बांध निर्माण

250. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996-97 में नागौर जिले के अनेक गांव अतिवृष्टि से बाढ़ की चपेट में आ गये थे? यदि हां, तो कितने और कौन-कौन से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बाढ़ प्रभावित गांवों का सर्वे कराकर इन गांवों के मध्य में छोटे बांध बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि वर्ष 1996-97 की बरसात से नागौर जिले के कुछ गांवों में पानी घुस गया था। परन्तु बाढ की स्थिति में जिन गांवों में पानी घुसता है इसकी सूचना सिंचाई विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती है। फिर भी मौके/क्षेत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त की गयी जानकारी के आधार पर वर्ष 1996-97 की बरसात से नागौर जिले के निम्नलिखित गांवों में पानी घुसा था :—

नागौर, मकराना, डेगाना, नांवा, खीवसर, सुरयास, कुबेरा, ताऊसर, बेनार, मोजात, करणु, माणकपुर, बुटाटी, सिद्धलास, आकेली बी, बच्छधारी, माजू खजवाना, रूण, रेखवास, बेराथल, आकला, लालाप, दोतीना, पांचला सिद्ध एवं ग्वाल, बिखरणिया। वैसे नागौर जिले का नोडल विभाग पी. एच. ई. डी. है एवं इससे अतिरिक्त सूचना उन्हीं से प्राप्त हो सकती है।

(2) उपरोक्त 27 गांवों/कस्बों में से 13 गांवों/कस्बों हेतु प्रस्ताव बनाकर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर, संभागीय

(मुख्य (सिंचाई) मंत्री)

आयुक्त अजमेर को प्रस्तुत किये जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। शेष 14 गांवों/कस्बों हेतु सर्वे करवाकर प्रस्ताव बनाये जाने हेतु निर्देश फील्ड अधिकारियों को दिये जा चुके हैं, प्रस्ताव प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही सम्भव होगी। जहां तक इन बांधों के लिए राशि स्वीकृत करने का प्रश्न है, इस हेतु सक्षम विभाग राहत विभाग अथवा विशिष्ट योजना संगठन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

जिला टोंक के काश्तकारों को विद्युत आपूर्ति

251. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक में 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि 33 के.वी. तथा 11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किये हुए हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) टोंक, निवाई व पीपलू तहसील के कौन-कौनसे गावों को किस-किस ग्रिड सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जा रही है ?

(4) वर्ष 1997 में टोंक जिले को किस-किस स्रोत से कितनी-कितनी विद्युत प्राप्त हुई ?

(5) वर्ष 1994 से 1998 तक टोंक जिले के काश्तकारों को कितने घण्टे विद्युत की आपूर्ति की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। टोंक जिले में निम्न चार 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन स्थापित है :—

1. टोंक, 2. निवाई, 3. देवली, 4. मालपुरा।

(2) टोंक जिले में 33/11 के. वी. के 23 सब स्टेशन स्थापित हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :—

1. देवली, 2 बीसलपुर, 3. बन्थली, 4. डिग्गी, 5. पचेवर, 6. लाम्बा हरिसिंह, 7. निवाई, 8. झिलाई, 9 बनस्थली, 10. सूर्या, 11. करेडा बुजुर्ग, 12. टोडारायसिंह, 13. बावड़ी, 14. टोंक, 15. मैन्दवास, 16 मोहम्मदपुरा, 17. सोहेला, 18 झिराना, 19 उनियारा, 20. अलीगढ़, 21 बनेठा, 22. फूलेता, 23. महुवा।

टोंक जिले में 11/0.4 के 1882 सब स्टेशन-तहसील टोंक में 474, निवाई में 382, उनियारा में 295, मालपुरा में 278, टोडारायसिंह मे 165 व देवली में 288 स्थापित हैं।

(3) टोंक व पीपलू तहसील के लगभग 195 ग्रामों को 132 के. वी. जी.एस.एस. टोंक से तथा निवाई तहसील के लगभग 168 ग्रामों को 132 के. वी. जी.एस.एस. निवाई से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) वर्ष 1997-98 में टोंक जिले को विभिन्न स्रोतों से कुल 1471.35 लाख यूनिट बिजली प्राप्त हुई, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	जी. एस एस. का नाम	प्राप्त यूनिट (लाखों में)
1.	टोंक	655 50
2.	निवाई	337.49
3.	देवली	284.00
4.	मालपुरा	193.56
	कुल योग	1471.35

(5) वर्ष 1994 से 98 तक टोंक जिले के काश्तकारों को विद्युत उपलब्धि के अनुसार तकनीकी कारणों व प्राकृतिक आपदाओं के कारण आये व्यवधानों को छोड़कर प्रतिदिन आमतौर पर 7 से 8 घण्टे विभिन्न ब्लाकों में दी गई।

तहसील भीम व देवगढ़ के ग्रामों का विद्युतीकरण

252. **श्री लक्ष्मणसिंह रावत** (भीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजसमन्द जिले की भीम व देवगढ़ तहसीलों के किन-किन ग्रामों को किस-किस वर्ष में "विद्युतीकृत" घोषित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्युतीकृत ग्रामों में से किन-किन में ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये हैं ? इन ग्रामों में ट्रांसफार्मर कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

(3) क्या सरकार तहसील भीम तथा देवगढ़ के राजस्व ग्राम आठोलिया बारला चौड़ा को इस वर्ष विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजसमंद जिले को भीम व देवगढ़ तहसीलों के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची मय तिथि सहित प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में से निम्न 23 ग्रामों में ट्रान्सफार्मर स्थापित नहीं हैं, इन ग्रामों में आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर ट्रान्सफार्मर स्थापित किये जावेंगे :–

1. बाड़िया, 2. बारवालों का खेड़ा, 3. रतना का गुढ़ा, 4. बीड देवगढ़, 5. ज्वार जी का खेड़ा, 6. सूरजी का खेड़ा, 7. माना नांगल, 8 जेतपुरा, 9. स्वजना चैनपुरा, 10. भोपालगढ़, 11. सापरा आस, 12. खेता खेड़ा, 13. उदयपुरा, 14. पीथागुडा, 15. उबजार, 16. खीमागुडा, 17. बांसवाटी, 18. जसवंतपुरा, 19. अटाली, 20. सदा भोजका बड़िया, 21 बारला चौड़ा, 22. आठोलिया, 23. बिच्छुदड़ा।

(3) तहसील भीम के नये सृजित राजस्व ग्राम आठोलिया व बारला चौड़ा पूर्व राजस्व ग्राम बगड़ व कूकरा के भाग

(ऊर्जा मंत्री)

है। यह ग्राम 31-3-66 व 29-3-85 से ही विद्युतीकृत घोषित है। मांग आने पर इनमें नियमानुसार विद्युत लाइन डालकर कनेक्शन देने का पूर्व में ही प्रावधान है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम हरदत्तपुरा (आमेर) में ट्रांसफार्मर से असुविधा

253. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हरदत्तपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में ग्राम के बीच व ग्राम रास्ते पर ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ट्रांसफार्मर के गलत जगह रखे होने से जनहानि का भय बना रहता है ? क्या इस ट्रांसफार्मर को अन्यत्र लगाये जाने बाबत ग्रामीणों से प्रार्थना-पत्र/शिकायतें विभिन्न अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? प्रार्थना-पत्रों की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब भी इस ट्रांसफार्मर को अन्यत्र लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जिला जयपुर की तहसील आमेर के ग्राम हरदत्तपुरा में स्थापित ट्रान्सफार्मर ग्राम रास्ते के बीच में लगा हुआ नहीं है।

(2) ग्राम हरदत्तपुरा में लगाया हुआ ट्रान्सफार्मर सही जगह पर रखा हुआ है। अतः इससे जनहानि का कोई भय नहीं है। इस ट्रान्सफार्मर को उक्त स्थान से अन्यत्र लगाये जाने के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र/शिकायत पत्र विद्युत मण्डल के सम्बन्धित कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) उक्त ट्रांसफार्मर रास्ते में एक ओर लगा हुआ है जिससे आम व्यक्तियों को कोई खतरा नहीं है। अतः इस ट्रान्सफार्मर को अन्यत्र लगाने की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है।

इटावा (कोटा) में रिक्त पदों पर नियुक्ति

254. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले के उप खण्ड इटावा में विभिन्न संवर्ग के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से कितने-कितने पद, कितने-कितने समय से रिक्त हैं ? रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कोटा जिले के इटावा उप खण्ड में विभिन्न संवर्ग में स्वीकृत पदों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	सहायक अभियन्ता	1	1	—
2.	कनिष्ठ अभियन्ता	2	2	—
3.	राजस्व लेखाकार	1	–	1
4.	कार्यालय अधीक्षक द्वितीय	1	–	1
5.	वरिष्ठ लिपिक	1	–	1
6.	कनिष्ठ लिपिक	5	4	1
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	1	2
8.	चौकीदार	3	1	2
9.	वाहन चालक	1	1	–
	योग :—	18	10	8

(2) उक्त स्वीकृत 18 पदों में से 8 पद इटावा उपखण्ड के सृजन के समय दिनांक 31-5-1995 से ही रिक्त चल रहे हैं। इटावा उपखण्ड सुल्तानपुर उपखण्ड से अलग होकर बना है। इसलिये तकनीकी पदों को अलग से कोई स्वीकृति नहीं दी गई, परन्तु इस उपखण्ड में वर्तमान में 24 तकनीकि कर्मचारी कार्यरत हैं।

(3) रिक्त पदों को कार्य की आवश्यकतानुसार मितव्ययता का ध्यान रखते हुये भरा जाता है।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना में नवीन पशु चिकित्सालय

255. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांवों में वर्ष 1990 के पश्चात् एक भी पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पशुओं की कुल कितनी संख्या है ? सूची पशुवार सदन की मेज पर रखें ।

(3) पशु चिकित्सालय खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार वर्ष 1998-99 के दौरान जिला नागौर में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने तथा कहां-कहां पर और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । वर्ष 1990 के पश्चात् विधान सभा क्षेत्र डेगाना के गांव भेरुदा में पशु चिकित्सालय खोला गया है ।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के पशुओं की वंशवार संख्या निम्न प्रकार है :–

गोवंश	56,951
भैंसवंश	52,542
उष्ट्रवंश	3,221
भेड़वंश	1,69,892
बकरा-बकरी	1,23,038
अश्ववंश	115
खच्चर	3
गधा-गधी	950
सूअर	757
खरगोश (पालतू)	5
कुत्ते-कुतियां	14,563
योग :	4,22,037
कुक्कूट	4508

(3) पशु चिकित्सालय खोलने के कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है । नई पशु चिकित्सा संस्था स्थापित करते समय मुख्यत: निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जाता है :–

1. जिले एवं तहसीलों में उपलब्ध पशु संख्या (गौवंश इकाई)

2. पूर्व में कार्यरत एवं भविष्य में संभावित स्थापित किये जाने वाले पशु चिकित्सालय/औषधालयों की आपस में कम से कम 8 से 10 कि. मी. की दूरी ।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थान चयन हेतु भवन, डाक, आवागमन के साधन आदि न्यूनतम सुविधाओं एवं जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है ।

4. बड़े शहरों में प्रत्येक 50 हजार की आबादी पर एक पशु चिकित्सा संस्था की सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य ध्यान में रखा जाता है ।

5. जिले की पशु संख्या मुख्य आधार है ।

(4) वर्ष 1998-99 में राज्य में 25 नयी पशु चिकित्सा संस्था में स्थापित किये जाने का प्रावधान है । वार्षिक बजट स्वीकृति उपरान्त ही स्थान चयन कर पशु चिकित्सा संस्था खोलने पर विचार किया जावेगा ।

सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक (राजसमंद) द्वारा ऋणों में अनियमितताएं

256. श्री शांतिलाल चोईवाल (राजसमंद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शांतिलाल छोईवाल)

(1) क्या यह सही है कि सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, राजसमद के अधीन सहकारी समिति "पीपली आचार्यान" के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों द्वारा फर्जी ऋण दर्शाकर सदस्यों को परेशान किया जा रहा है ?

(2) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक, उदयपुर शाखा राजसमंद के अधीन ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पीपली आचार्यान जिला राजसमद द्वारा वितरित ऋण से सम्बन्धित शिकायत की जांच कार्यवाही राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत प्रारम्भ कर दी गई है।

(2) जी, हां। जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जिला झुन्झुनूं में पर्यटन विकास पर व्यय

257. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुन्झुनूं में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किस-किस स्थान पर कौन-कौन से विकास कार्य करवाये जा रहे हैं ?

(2) लाहोर जल शाकम्बरी, किरोड़ी आदि स्थानों के लिए कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हैं, उनमें कितना-कितना धन पर्यटन विभाग द्वारा तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनूं द्वारा अब तक खर्च किया जा चुका है ?

उत्तर

(1) पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा झुन्झुनूं जिले में निम्नलिखित विकास कार्य करवाये जा रहे हैं :—

(i) झुन्झुनूं मुख्यालय पर पर्यटक स्वागत केन्द्र भवन का निर्माण कार्य।
(ii) झुन्झुनूं मुख्यालय पर पर्यटक विश्राम गृह भवन का निर्माण कार्य।
(iii) झुन्झुनूं मुख्यालय पर सन्त कमरुद्दीन शाह की दरगाह का विकास कार्य।
(iv) लोहार्गल- उदयपुरवाटी सड़क से लोहार्गल तक सड़क का सुधार एवं विस्तार कार्य।
(v) शाकम्भरी माता सड़क का विस्तार कार्य।
(vi) किरोड़ी में विकास कार्य।
(vii) खेतड़ी का पर्यटन की दृष्टि से विकास कार्य।

(2) लोहार्गल, शाकम्भरी, किरोड़ी आदि स्थानों के लिए पर्यटन विभाग एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनूं द्वारा स्वीकृत कार्य, राशि एवं अब तक खर्च

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

जयपुर में अनधिकृत गाइड्स की रोकथाम

258. श्री रेवती प्रसाद कोली (वैर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित हवामहल को देखने हेतु देशी-विदेशी पर्यटक काफी संख्या में आते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है इन पर्यटकों को अनधिकृत गाइडों द्वारा ठगा जाता है ? यदि हां, तो सरकार ने इन अनधिकृत गाइडों की रोकथाम हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

(3) क्या सरकार पर्यटन स्थलों पर अधिकृत गाइड लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। पर्यटकों को अनधिकृत गाइडों द्वारा ठगे जाने की लिखित में एक भी शिकायत विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन पुलिस विभाग द्वारा टैम्पों वाले, दुकानदारों (शो-रूम्स) एवं लपका गिरोह द्वारा पर्यटकों को ठगने के विरुद्ध अभियोग पंजीबद्ध कर निरोधात्मक कार्यवाही की गई है। विवरण परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है।

(3) पर्यटन विभाग, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमश: 158 एवं 204 अनुमोदित गाइड राज्य सरकार के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर कार्यरत हैं। जिनमें से जयपुर में 118 भारत सरकार पर्यटन विभाग एवं 83 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित गाइड कार्यरत हैं। वर्तमान में राज्य में पर्याप्त मात्रा में अनुमोदित गाइड उपलब्ध हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) के विकास कार्य

259. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) में किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से विकास (निर्माण) कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये ? ग्राम पंचायत-वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में किन-किन पर, कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कौन-कौन से कार्य

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

अपूर्ण हैं ? कार्य अधूरे रहने के क्या कारण हैं ?

(4) उक्त अधूरे कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

(5) उक्त निर्माण कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) में गत पांच वर्षों के दौरान जिला ग्रा. वि. अभिकरण सीकर द्वारा संचालित कराई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों का ग्राम पंचायतवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-"अ" में अंकित है।

(2) उक्त कार्यों पर दिनांक 31-3-98 तक व्यय की गई राशि का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-"अ" में अंकित है।

(3) उक्त कार्यों की भौतिक स्थिति का विवरण एवं कार्यों के अधूरे रहने का कारण परिशिष्ट-"अ" में उल्लेखित कार्य के सम्मुख अंकित है।

(4) भूमि विवाद, न्यायालय स्थगन आदेश, जन सहयोग का अभाव तथा अकाल राहत में स्वीकृत कार्यों की समयावधि समाप्त हो जाने के कारण कार्य अधूरे रहे हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट-"अ" में अधूरे कार्य के सम्मुख अंकित है।

(5) कार्य को पूरा कराने का समय परिशिष्ट-"अ" में कार्य के सम्मुख अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं से करवाये गये कार्य

260. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उदयपुर और नागौर द्वारा विभिन्न योजनाओं में किस-किस स्वयंसेवी संस्थाओं को कितनी-कितनी राशि कब-कब, किस कार्य के लिए दी गई ? उक्त संस्थाओं ने सौंपे गये कार्य कब-कब सम्पन्न कराये ?

(2) स्वयंसेवी संस्थाओं से कार्य सम्पन्न कराने के बारे में भारत सरकार ने क्या-क्या आदेश-निर्देश जारी किये हैं ? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त संस्थाओं को अनुदान देते समय किसी प्रकार का अनुबंध किया गया ? यदि हां, तो क्या तथा उसकी पालना किस सीमा तक की गई ? अनुपालना रिपोर्ट मय अनुबन्ध की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन संस्थाओं को अनुदान दिया गया है, उनके पदाधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर एवं उदयपुर में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं को कार्य सम्पादन हेतु दी गई राशि तथा कार्य सम्पादन समय का विवरण परिशिष्ट' 'अ" में अंकित है।

(2) जी हां, मार्ग दर्शिका की प्रति परिशिष्ट "ब" पर अवलोकनीय है।

(3) एग्रीमेन्ट की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अनुबन्ध के अनुरूप कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

(4) अनुदानित संस्थाओं के पदाधिकारियों की सूची परिशिष्ट "द" पर अंकित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला झुन्झुनूं के विकास कार्यों का अनुमोदन

261. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) एवं श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनूं द्वारा वर्ष 1997-98 की अवधि में विधायक तथा सांसद कोष के अतिरिक्त कौन-कौन से विकास तथा निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां किस-किस योजना में जारी की गई हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से किन-किन कार्यों की स्वीकृति गवर्निंग काउन्सिल में अनुमोदन के बाद दी गई है?

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने ऐसे कार्य हैं जो वार्षिक योजना में नहीं थे फिर भी उनकी स्वीकृतियां जारी की गई?

(4) क्या इस प्रकार स्वीकृतियां जारी करना अनियमितता की श्रेणी में आता है?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झुन्झुनूं द्वारा वर्ष 1997-98 की अवधि में विधायक कोटे तथा सांसद कोटे के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्रवार स्वीकृत किये गये कार्यों का योजनावार विवरण परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

(2) 5.00 लाख से अधिक लागत के कार्य शासकीय निकाय के अनुमोदन पर अनुज्ञेय हैं, जिनका विवरण प्रश्न के भाग संख्या एक के उत्तर में उल्लेखित 5.00 लाख रुपयों से अधिक लागत के निर्माण कार्यों के सम्मुख संलग्न परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 6 में अंकित है।

(3) जवाहर रोजगार योजना एव सुनिश्चित रोजगार योजना की मार्गदर्शिका में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य योजना तैयार की जाती है। ग्राम पंचायत/ग्राम सभा/पंचायत समिति/जन प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों को कार्य योजना में सम्मिलित किया जाता है तथा उक्त प्रस्तावित कार्यों में से स्वीकृत किये गये कार्यों को शासकीय निकाय की बैठक में अनुमोदित करवाया जाता है।

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

इसमें निर्बन्ध राशि, बत्तीस जिला बत्तीस काम एवं ग्रामीण विकास केन्द्र योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले कार्य, शामिल नहीं किये जाते हैं।

(4) जी, नहीं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के विकास कार्यों पर व्यय

262. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में जनवरी, 1994 से जून, 1998 तक अपना गांव अपना काम, सुनिश्चित रोजगार, आई. आर. डी. पी., 32 जिले 32 काम, सहभागी बायोगैस, पी. ए. डी. पी. व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौनसे कार्य कराये गये हैं ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण कर लिये गए हैं तथा कितने अपूर्ण हैं ?

(3) अब अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

(4) उक्त कार्यों पर कितनी राशि व्यय हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में जनवरी, 1994 से जून, 1998 तक की अवधि में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्य सम्पादित/व्यक्तियों को लाभान्वित करवाये गये हैं :—

क्र.सं.	योजना का नाम	कुल कार्यों की संख्या	कार्य का विवरण			कुल व्यय की राशि (लाखों में)
			पूर्ण	प्रगति पर	चालू नहीं	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अपना गांव अपना काम	79	76	3	—	98.52
2.	सुनि. रोजगार योजना	31	31	-	—	39 96
3.	बत्तीस जिले बत्तीस काम	19	17	2	—	50 29
4.	सहभागी नगर योजना	26	17	9	—	117.44
5.	बायोगैस योजना	74	74	-	—	2.73
6.	बी. ए. डी. पी.	29	17	12	—	133.10
7.	सांसद स्था. क्षे. वि. यो.	24	21	2	1	63.63

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

1	2	3	4	5	6	7
8.	निर्बन्ध राशि	77	71	5	1	236.29
9.	इन्दिरा आवास योजना	142	142	–	—	24.68
10.	ज. रो. यो. (अनु.)	3	3	–	—	3.50
11.	आई. पी. पी. यो.	7	4	3	—	16.25
	योग :—	511	473	36	2	
12.	आई. आर. डी. पी. में लाभान्वितों की संख्या	324	324 लाभान्वित			11.27

(2) उक्त स्वीकृत 511 कार्यों में से पूर्ण/चालू/चालू नहीं कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" में उल्लेखित कार्य के सम्मुख अंकित है। कुल स्वीकृत कार्यों में से 36 कार्य प्रगति पर हैं तथा 2 कार्य स्थानाभाव तथा विवादित होने के कारण प्रारम्भ नहीं हो सके हैं।

(3) सभी 36 अपूर्ण कार्य प्रगति पर हैं, जिन्हें इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने बाबत निर्देशित किया जा चुका है।

(4) योजनावार कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण कार्य के सम्मुख परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मांवल लाडी से नीमड़ी की ढाणी (आमेर) तक सड़क निर्माण

263. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांसद कोष से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर ने तहसील आमेर में मांवल लाडी से नीमड़ी की ढाणी तक सड़क निर्माण कराया है? यदि हां, तो इस हेतु जारी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़क निर्माण पर अनुमानित राशि से अधिक

(श्री गोपीराम जाट)

व्यय किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? स्वीकृत राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क मात्र दो इंच डामर की परत डाल कर बनाई गई है ? क्या सरकार उक्त कार्य को सही मानती है ? यदि नहीं, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों की प्रति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 18-देखें)

मेवात विकास बोर्ड द्वारा स्वीकृत बजट

264. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गत पांच वर्षों में मेवात विकास बोर्ड द्वारा कितना-कितना बजट किन-किन कार्यों के लिए स्वीकृत किया गया और उक्त राशि किस-किस कार्य पर, कितनी-कितनी व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत पांच वर्षों में मेवात योजनान्तर्गत 919.14 लाख रुपये कार्यों के लिये निर्मुक्त किये गये। वर्षवार बजट का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	राशि (लाखों में)
93–94	98.39
94–95	297.75
95–96	197.50
96–97	197.50
97–98	128.00

मेवात योजनान्तर्गत गत पांच वर्षों में व्यय की गई राशि का जिलेवार, कार्यवार विवरण परिशिष्ट "1" पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला पाली में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवास

265. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली की पंचायत समिति पाली व रोहट में वर्ष 1997-98 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत कितने मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भीमराज भाटी)

(2) पंचायत समिति पाली व रोहट द्वारा कितनी-कितनी इंदिरा आवास योजना की स्वीकृतियां जारी की गई है ? पंचायत समिति व ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पाली जिले की पंचायत समिति पाली व रोहट में वर्ष 1997-98 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत क्रमश: 51 व 51 मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	नाम पंचायत समिति	लक्ष्य		
		अनु. जाति/ अनु. जनजाति	अन्य	कुल
1.	पाली	31	20	51
2.	रोहट	31	20	51
	योग :—	62	40	102

(2) पंचायत समिति पाली व रोहट द्वारा क्रमश: 51 व 51 आवासों की स्वीकृतियां जारी की गई । पंचायत समितिवार एवं ग्रामवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19-देखें)

प्रश्न संख्या 266

(स्थगित)

पदोन्नति में अनियमितताएं

267. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जिला आयुर्वेद अधिकारी एवं उसके समकक्ष कितने पद कितने समय से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त पदों पर कितने अधिकारी नियमानुसार पदोन्नति से नियुक्त हैं तथा कितने स्वयं की वेतन श्रृंखला में पद-स्थापित हैं ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या जिला आयुर्वेद अधिकारी व समकक्ष पदों के पदभार वरिष्ठता के अनुसार दिये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या रजिस्ट्रार, इण्डियन मेडिसन बोर्ड के पद पर स्थायी वरिष्ठता सूची के क्रम संख्या 387 पर दर्ज व्यक्ति को लगाया गया है ? यदि हां, तो वरिष्ठ व्यक्तियों को इस पद पर नहीं लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

(5) विभाग में वरिष्ठता को नजर अंदाज कर ऐसे कितने व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त/प्रतिनियुक्त कर रखा है ? पदवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या उच्च न्यायालय का निर्णय है कि स्वयं की वेतन श्रृंखला में उच्च पदों का कार्यभार नहीं दिया जाए ? यदि हां, तो इस के विपरीत स्वयं की वेतन श्रृंखला में उच्च पदों का कार्यभार देने वाले

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत, वर्तमान में जिला आयुर्वेद अधिकारी एवं इसके समकक्ष 27 पद निम्न अवधि अनुसार रिक्त हैं :—

वर्ष जब से पद रिक्त है	पदों की संख्या
1994–95	1 पद
1995 96	10 पद
1996–97	12 पद (8 नवीन पद)
1997–98	3 पद
1998–99	1 पद
योग :—	27 पद

विभागीय पदोन्नति करके पद शीघ्र भर दिए जावेंगे ।

(2) जिला आयुर्वेद अधिकारी एवं इसके समकक्ष पदों में से 17 पदों पर नियमित पदोन्नति से, एक पद तदर्थ पदोन्नति से तथा 2 पदों पर स्वयं की वेतन शृंखला में पदस्थापित हैं । इसके अतिरिक्त 17 पदों का चार्ज जिले के वरिष्ठतम चिकित्सकों को अपने कार्य के साथ दिया हुआ है ।

पदस्थापित व कार्यरत अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) जी, नहीं । वर्तमान में जिले के वरिष्ठतम आयुर्वेद चिकित्सक को जिला आयुर्वेद अधिकारी व समकक्ष पद का कार्यभार सौंपा हुआ है । आयुर्वेद चिकित्सकों की वरिष्ठता सूची दिनांक 23-4-98 को प्रकाशित हुई है, जिसके अनुसार वरिष्ठतम आयुर्वेद चिकित्सक को चार्ज दिलाने का प्रस्ताव निदेशालय स्तर से हाल ही में प्राप्त हुआ है, जो सरकार के विचाराधीन है ।

(4) जी, हां । राजस्थान इंडियन मेडिसन एक्ट, 1953 की धारा 26 के अन्तर्गत किसी भी पंजीयन व्यक्ति को रजिस्ट्रार पद पर लगाये जाने का प्रावधान है ।

(5) ऐसा कोई मामला प्रकाश में आने पर कार्यवाही की जावेगी ।

(6) कोर्ट केस की जानकारी प्राप्त की जा रही है । उक्त व्यवस्था विभाग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अस्थाई तौर पर की गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

शोकाभिव्यक्ति

श्री दलपत सिंह व श्री बहादुर सिंह के निधन पर

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) ; उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के पूर्व विधायक श्री दलपत सिंह का देहान्त 16 जुलाई को

Page No. 58

(58)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

हो गया। श्री दलपत सिंह दूसरी और तीसरी विधान सभा के सदस्य थे और आबू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और विधान सभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को दृढ़ता से उजागर करते थे।

मान्यवर, पूर्व विधायक श्री बहादुरसिंह का देहान्त भी 18 जुलाई को हो गया। वे द्वितीय विधान सभा के सदस्य थे और धौलपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री बहादुर सिंह अपने विधान सभा के काल में पिछड़े वर्ग की समस्याओं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को जोर-शोर से उठाते थे।

इन दोनों ही दिवंगत सदस्यों को मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक-संतप्त परिवार को इस बिछोह को सहने का धैर्य प्रदान करे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (उपनेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री दलपत सिंह और श्री बहादुर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए माननीय उप मुख्य मंत्री ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं उसमें मैं अपने-आपको सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व विधायक श्री दलपत सिंहजी का जन्म 1926 में हुआ था और उन्होंने सिंधिया स्कूल, ग्वालियर तथा मेयो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की।

दलपत सिंहजी, जैसा कहा गया, द्वितीय विधान सभा 1957 से 62 और 1962 से 67 तक सदस्य रहे थे। वे मृदुभाषी, मिलनसार थे। अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा विधान सभा में प्रतिनिधित्व करते रहे।

वे भूमि विकास बैंक के चेयरमैन भी रहे। वे तहसील पंचायत के अध्यक्ष भी रहे। उनका जनता से निरन्तर सम्पर्क रहा। वे कृषि के विकास में हमेशा अभिरुचि रखते थे, बाग-बगीचों में भी काफी दिलचस्पी रखते थे। उनके निधन से बड़ी क्षति हुई है।

पूर्व विधायक श्री बहादुर सिंहजी का जन्म 5 दिसम्बर, 1924 को धौलपुर में हुआ था। श्री बहादुर सिंहजी 1957 से 62 तक विधान सभा में धौलपुर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक थे। आप 1953 में जिला कांग्रेस कमेटी, धौलपुर के मंत्री रहे तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। आप वर्ष 1955 में भारत सेवक समाज, धौलपुर के संयोजक तथा 1957 में राजस्थान प्रदेश वैद्य सम्मेलन की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। पिछड़े वर्ग के उत्थान और उनकी समस्याओं की ओर हमेशा उन्होंने इस सदन में ध्यान आकर्षित किया है। वे श्रमिकों को संगठित करने में भी रुचि रखते थे। उन्होंने उसके लिए प्रयत्न किये।

श्री बहादुर सिंह जी का 18 जुलाई, 1998 को निधन हो गया।

श्री बहादुर सिंहजी 1957 से 62 में जब विधान सभा के सदस्य थे, मैं भी इस

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

सदन का सदस्य था। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता था। वे मिलनसार व्यक्ति थे। उनके निधन से बहुत क्षति हुई है।

मैं दिवगत आत्मा को अपनी ओर से, कांग्रेस विधायक दल की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री फतेहसिंह (नेता, जनता दल): उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य इस विधान सभा के सदस्य थे वे आज अपने बीच में नहीं रहे। उनके बारे में उप मुख्य मंत्री महोदय ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं उसमें अपने-आपको सम्मिलित करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जो सदस्य इस विधान सभा के सदस्य थे आज हमारे बीच में नहीं हैं और उनके बारे में सारी बात आपने बताई है कि ये सदस्य थे, अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां उठाते थे। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि उनके जो भी अधूरे काम रहे हों, उनके जो अधूरे सपने थे उन सपनों को पूरा किया जाए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे।

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के उप नेता और उप मुख्य मंत्रीजी ने शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव इस सदन के पूर्व माननीय सदस्य दलपत सिंहजी एवं बहादुर सिंहजी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, के बारे में रखा है। सदन के उप नेता महोदय, उप मुख्य मंत्री जी ने और प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने उनके जीवन के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है।

उन्होंने राजस्थान की जनता, किसान और मजदूरों के लिए अपने सार्वजनिक जीवन में जो योगदान दिया है, उसको राजस्थान की जनता मैं समझता हूं कि आगे बढ़ाएगी और उन अधूरे कामों को पूरा करेगी। आज वो नहीं रहे, उनके परिवार को इस प्राकृतिक आपदा में ईश्वर यह दुःख झेलने की क्षमता दे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे दो साथी श्री दलपत सिंहजी और बहादुर सिंहजी हमसे बिछुड़ गये। दोनों ही माननीय सदस्य इस विधान सभा के थे, उनके साथ बैठकर नजदीक से उनको जानने का अवसर मिला। बहुत ही अच्छे, मृदु स्वभाव के व्यक्ति थे।

बहादुर सिंहजी वास्तव में ही बहादुर थे। बड़े ही हंसमिजाज और मृदुभाषी थे। अपने क्षेत्र की समस्याओं को जुझारू ढंग से रखते थे। आज दोनों ही हमारे साथी हमारे बीच नहीं रहे, दुःख का विषय है। दोनों ही महान आत्माओं को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और दुःख के समय में उनके परिजनों को दुःख सहने की क्षमता प्रदान करे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर इस सदन

(श्री उपाध्यक्ष)

में माननीय उप मुख्य मंत्री, प्रतिपक्ष के उप नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री दलपत सिंह एवं श्री बहादुर सिंह के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना व्यक्त की है उसमें मैं अपने-आपको भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

पूर्व विधायक श्री दलपत सिंह का जन्म वर्ष 1926 में हुआ। आपने सिंधिया स्कूल, ग्वालियर तथा मेयो कालेज, अजमेर से इन्टरमीडियट तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री दलपत सिंह जी द्वितीय राजस्थान विधान सभा (1957-62) तथा तृतीय विधान सभा (1962-67) के लिए आबू क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक चुने गये। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे। आप भूमि विकास बैंक, सिरोही तथा तहसील पंचायत के भी अध्यक्ष रहे।

श्री दलपत सिंह जी की सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के साथ-साथ शिकार एवं बैडमिन्टन व टेनिस में भी विशेष रुचि थी। आपको बागवानी और अध्ययन का भी शौक था।

श्री दलपत सिंह जी का दिनांक 16 जुलाई, 1998 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री बहादुर सिंह का जन्म 5 दिसम्बर, 1923 को धौलपुर जिले में हुआ। आपने बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालिज, झांसी तथा आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से साहित्य भूषण व आयुर्वेद वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की।

श्री बहादुर सिंह जी द्वितीय विधान सभा (1957-62) के लिए धौलपुर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1953 में जिला कांग्रेस कमेटी, धौलपुर के मंत्री रहे तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। आप वर्ष 1955 में भारत सेवक समाज, धौलपुर के संयोजन तथा वर्ष 1957 में राजस्थान प्रदेश वैद्य सम्मेलन की कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे।

पिछड़े वर्ग के उत्थान तथा अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु सदैव सक्रिय रहे। श्री बहादुर सिंह श्रमिकों को संगठित करने हेतु सदैव प्रयत्नशील रहे। आपकी आयुर्वेद में विशेष रुचि होने के कारण आपने 'चिकित्सक' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया। लेखन में रुचि होने के कारण आपने "धौलपुर समाचार" नामक पत्रिका प्रकाशन किया।

श्री बहादुर सिंह जी का दिनांक 18 जुलाई, 1998 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत आत्माओं को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा, अंकित नहीं होगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री खेतसिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्षा नहीं होने से अभाव व अकाल की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री परसादी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा ज़िले की पंचायत समिति लालसोट की कतिपय पंचायतों में विकास कार्यों का भुगतान नहीं करने से विकास कार्यों के अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(3) श्री बनवारी लाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक जिले की नगरपालिका देवली के अध्यक्ष द्वारा कथित अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील सीकर की पंचायत समिति पिपराली की ग्राम पंचायत गुंगारा के शराब ठेकेदारों द्वारा अवैध शराब के ठेके संचालित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर 2 मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(5) श्री भीमसेन चौधरी एवं श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित पुस्तकें छात्रों को उपलब्ध न होने से छात्रों एवं उनके अभिभावकों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के विषय पर शिक्षा विभाग की मांग पर चर्चा हो चुकी है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेतर यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) डॉ. शंकर मानूदा एवं 42 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

चित्तौड़गढ़ के गांव मण्डपिया स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर बोर्ड द्वारा प्रशासन की कथित मिलीभगत से निरीह ग्रामीणों पर अत्याचार करने एवं मन्दिर की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के विषय पर राज्य सरकार की ओर से दिनांक 23 जुलाई, 1998 को वक्तव्य दिया जाएगा, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री शिवनाथ सिंह एवं 6 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर तथा झुन्झुनूं जिले में चेजा पत्थर एवं बजरी पर वसूले जा रहे सेल्स टैक्स में विसंगति होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में सदन में चर्चा कराई जाएगी अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती तारा भंडारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिरोही जिले के शिवगंज नगर में पेट्रोल पम्प नहीं होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला करौली में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देने एवं सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर पंचायत समिति में कार्यरत रहे मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सेवा में लेने के सम्बन्ध में।

(4) श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति धोद के लिए भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री उगमराज मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के कतिपय तालाबों का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु राशि सहायता विभाग से सिंचाई विभाग को देने के सम्बन्ध में।

(6) श्री गोपीचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के डीग उपखण्ड को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए उपाय करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अर्जुनलाल जीनगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति राशमी के ग्राम पंचायत वारू के सरपंच द्वारा किये गये कथित गबन के सम्बन्ध में।

(8) श्री हबीबुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं कार्मिक विभाग में विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के नियुक्ति प्रक्रिया आदेशों के स्पष्ट नहीं होने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हीरालाल इन्दोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमावर्ती क्षेत्र की मण्डियों में किराया पद्धति के अन्तर्गत आवंटित दुकानों के दुकानदारों को मुफ्त पट्टे प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(10) श्री बनवारीलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका धौलपुर द्वारा पंचगांव धौलपुर के गांव खंडाविट्टी बोल्डर में खनन कार्य में गैर-कानूनी व्यवधान डालने के संबंध में।

(11) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना रायसिंहनगर में एक हरिजन महिला द्वारा दर्ज कराई गई एफ. आई. आर. पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने के संबंध में।

(12) श्री शम्भूदयाल बड़गूजर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में वर्ष 1992 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए अम्बापुरा बांध का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में।

(13) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जहाजपुर तहसील के ग्राम बांकरा में भीमपुरा शंकरगढ़ सिंचाई परियोजना के वर्षा में पूरा भरने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री बनवारीलाल बैरवा। आप बाद में कहना, जो कुछ कहना चाहते हैं उसके बाद में।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती शशी दत्ता (टीबी) : एक मिनट, बनवारी लाल जी। उपाध्यक्ष महोदय, कल हनुमानगढ़ में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, बहुत लोगों को चोटें आई हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आपने मुझे सूचना दी क्या ? आप बिना सूचना के बोल रही हैं, आप बिराज जाएं। बिराजिए आप। बनवारीलाल जी बैरवा।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में प्रदूषण के कारण अनेक फैक्ट्रियों को वहां से हटाया गया और वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हटाया गया। डी. सी. एम. को दिल्ली से हटाकर हमारे टौंक में भेजा गया। 28 अप्रेल से उसने अपना कार्य आरम्भ किया। अब पर्यावरण प्रदूषण से कितना नुकसान हमें पहुंचेगा, वह अलग बात है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मंत्रीगण को टेबल पर कुछ पेपर्स ले करने हैं, उसके बाद में मेरे ख्याल से जीरो आवर होगा। पहले पेपर्स तो ले करवा दीजिए, आपने जीरो आवर शुरू करा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : करा देंगे इसके बाद।

श्री बनवारी लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि वह जो फैक्ट्री थी वह टौंक के अन्दर स्वतन्त्र भारत मिल्स के नाम से आकर स्थापित हो गई। उसके अन्दर 890 मजदूर हैं। माह जून की उन मजदूरों को जो तनख्वाह दी जाती है उसमें दो तरीके के मजदूर हो गये। एक तो वे जिनको काम उपलब्ध करवा रहे हैं फैक्ट्री में और एक वे जिनको काम उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। जिनको उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं उनको तनख्वाह दी जा रही है पूरी, पर जिनको काम उपलब्ध करवा रहे हैं

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

उनकी तनख्वाह काट ली गयी। मैंने स्वयं देखा है, सौ से लगाकर आठ सौ रुपये तक उनकी तनख्वाह काट ली गयी।

श्री उपाध्यक्ष : तो इसमें भ्रष्टाचार क्या हुआ ? भ्रष्टाचार तो कुछ नहीं हुआ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : नहीं, जीरो आवर का चल रहा है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, जीरो आवर तो चल रहा है.....

श्री बनवारीलाल बैरवा : जीरो आवर का है। उसके अन्दर वहां पर तीन मजदूर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। प्रदूषण का हमें कितना नुकसान होगा वह अलग बात है लेकिन आज हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और 890 लोग बिना तनख्वाह लिए हुए वहां कार्य कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसमें इंटरवीन करें। हम चाहते हैं कि वह मिल हमारे यहां पर काम करे, हमारे यहां के लोग उसके अन्दर काम करें, उनको मजदूरी मिले लेकिन जो वहां से आये हुए हैं उनकी समस्याओं का तो समाधान करवाएं। आज वे लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : इसलिए मेरा आपसे निवेदन था कि आप सरकार से फर्माएं कि हड़ताल के अन्दर यहां से कमिश्नर भेजकर उनसे बात करवाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : यह कौन सा है ? नहीं, नहीं मैं बोल रहा हूं। जब आपने समय दिया तो मैं उसका सदुपयोग करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सीकर की पंचायत समिति पिपराली ग्राम पंचायत गूंगारा के शराब ठेकेदार....

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक जीरो आवर की अर्जी दी है।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है इस मामले में।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर ही बोलिये आप। शराब के ठेकेदार के बारे में।

श्री राजेन्द्र पारीक : अच्छा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी और खान मंत्रीजी दोनों का सम्मिलित रूप से इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय वित्त राज्य मंत्री भी यहां बिराजे हुए हैं जो आबकारी से सम्बन्धित हैं। सीकर में शराब के ठेकेदारों द्वारा जो अनधिकृत दुकानें लगा रखी हैं वह तो एक मसला है ही, साथ ही कुशलपुरा और गूंगारा पंचायत के ग्राम कुशलपुरा में पहाड़ी के पास इन ठेकेदारों ने वहां एक ओर अपनी शराब की दुकानें लगा रखी हैं वहीं

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पर वन विभाग की पहाड़ी पर अवैध खनन करना भी शुरू कर दिया है। सैकड़ों वर्षों से ग्रामीणजन अपनी निजी आवश्यकता के लिए उस पहाड़ी से पत्थर ले जाते रहे हैं लेकिन अब उन शराब के ठेकेदारों ने ऐसा आतंक मचा दिया उस गांव में कि गांव का कोई भी आदमी अपना जो निजी व्यवसाय का दूध है वह भी गांव से लेकर सीकर तक पहुंचने में असमर्थ हो रहा है। अभी 17 तारीख को उसी गांव के एक घोकलराम जी चौधरी हैं, वे अपनी दो बच्चियों के साथ सीकर आ रहे थे। शराब के ठेकेदार ने उसे इस बुरी तरह से पीटा कि पूरे शरीर को नीला कर दिया, जिसकी एफ आई आर. रघुनाथगढ़ थाना सीकर में दर्ज हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहते हुए खेद होता है कि चार दिन बाद भी उस एफ.आई.आर. पर रघुनाथगढ़ थाना की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वे ठेकेदार खुले-आम यह कहते हुए घूम रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कल ग्रामीणजन में इस बात को लेकर काफी आक्रोश था, उन्होंने कलेक्टर सीकर को भी इस बात के लिए ज्ञापन दिया। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि गांव में बड़ा आतंक फैला हुआ है, आप मेहरबानी करके गांवों में आर ए सी. के जवानों को डैपूट करवाइये अन्यथा कोई न कोई हादसा वहां पर घटित हो जाएगा जिसके लिए बाद मे सिवाय खेद व्यक्त करने के कुछ बाकी नहीं बचेगा। शराब के ठेकेदारों ने वहां पर अनधिकृत दुकानें लगा रखी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहते हुए शर्म आती है कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय के बीच में केवल सड़क का रास्ता बचा हुआ है, 10 फीट और 20 फीट की दूरी पर शराब के ठेकेदारों ने दुकानें लगा रखी हैं। दुकान के साथ उनके पास में गुण्डा तत्व भी मौजूद होते हैं। वे पहाड़ी का अनधिकृत खनन भी करते हैं और अनधिकृत दुकानें भी शराब की लगा रखी हैं। ऐसे गुण्डा तत्व ने वहां पर असामाजिक आतंक फैला रखा है कि गांवों में इमीजिएट कोई व्यवस्था नहीं की गयी तो कोई भी बड़ा हादसा होगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय वित्त राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि गूंगारा ग्राम में आप कोई न कोई व्यवस्था करवाएं और जिन गुण्डा एलीमेंट्स ने वहां पर घोकलराम की पिटाई की है उनके खिलाफ तत्काल कोई कार्यवाही कराएं। मैं आपसे विशेष अनुरोध करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी। 295.

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी कुछ तो कहें।

श्री हीरालाल बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक चिट्ठी भेजी थी.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : शराब माफिया ही करते हैं इस राज्य का संचालन, उन्हें कौन रोक सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : 295 भी नहीं रोक सकते हैं। (व्यवधान) बिराजें आप। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी इतना तो आश्वस्त करें कि वहां पर जो केस दर्ज हुआ है उसकी तत्काल आप कार्यवाही करेंगे, इतना तो कम से कम कहें आप। 17 तारीख को हादसा हुआ, एक व्यक्ति जो अपने बच्चों के साथ वहां पर जा रहा था....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें। पारीक साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) आप सीधे बातचीत न करें।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल पहले होता है प्रश्न काल के बाद, मुझे सब पता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाएं।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

शिवगंज (सिरोही) में पैट्रोल पम्प

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, कार्य एवं संचालन प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत शिवगंज नगर पूरे में ही पैंट्रोल पम्प नहीं होने से जनता को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं।

महोदय, सिरोही जिले का शिवगंज नगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। यह नगर सिरोही जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है तथा शिवगंज कपड़े की सबसे बड़ी मण्डी के रूप में राजस्थान में विख्यात है। शिवगंज में कपड़े, मिठाई एवं दवाई खरीदने न केवल सिरोही जिले से बल्कि जालौर, पाली, जोधपुर, ब्यावर आदि दूर-दूर के शहरों से व्यापारी एवं जनता आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सब के अलावा शिवगंज पंचायत समिति मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय होने के कारण तहसील भर की जनता एवं जन प्रतिनिधि भी अपनी समस्याएं लेकर आते रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रमुख नगर में जिसकी आबादी 25 हजार से ज्यादा है, नगरपालिका एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र भी हैं परन्तु नेशनल हाई वे पर बसे इस नगर में एक भी पैंट्रोल पम्प नहीं होने से यहां की जनता एवं यहां आने व जाने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार को अनुरोध है कि शिवगंज नगर में पैंट्रोल पम्प खुलवाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जाए तथा केन्द्र सरकार को पुरजोर रूप में इसका औचित्य बताकर पैंट्रोल पम्प खुलवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। श्री रामस्वरूप जी मीणा।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या?

श्री राजेन्द्र पारीक : शराब के ठेकेदार खुलेआम यह कहते हुए घूम रहे हैं वहां पर कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। 17 तारीख को हादसा हुआ, आज तक कोई कार्यवाही

(श्री राजेन्द्र पारीक)

उसमें नहीं हुई और गृह मंत्री जी सुनकर चुपचाप जा रहे हैं। कम से कम गांवों में तो.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने रामस्वरूप जी को समय दे दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : समय देने से थोड़े ही हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ? वह समय की भूख थोड़े ही थी ? गांवों में इतना बड़ा आतंक फैला हुआ है उसको दूर करने की सोचें।

श्री अमराराम (धोद) : हालत यह है कि वहां बड़ा कोई हादसा नहीं हो जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं तो बड़ा हादसा हो जाएगा वहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये, आ रहे हैं गृह मंत्री जी, आप बिराजें। थोड़ा बिराजें, माननीय सदस्य। श्री रामस्वरूप जी मीणा, पढ़ दें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, पढ़ रहा हूं साहब।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ दें, पढ़ दें, थोड़ा जल्दी करिये।

करौली जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जिला करौली में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देने एवं सहायता प्रदान करने बाबत। महोदय, 14 जुलाई, बुधवार को हिण्डौन उप खण्ड में कई ग्राम जलमग्न हो गये एवं 4 जने लापता हो गये। पाचना बांध के काफर डेम के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। करौली क्षेत्र में एनीकट टूट गया है। इसी सब डिवीजन में मेरा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम आता है जिसकी तहसील नादौती के ग्राम बाशी, कूणेला, कैमला, खेड़ला, खेड़ली तहसील ग्राम नादौती कैमरी आदि में जन धन की हानि हुई है। ग्राम कैमला में वहां का बांध टूट गया, ग्राम में पानी घुस गया, सड़क टूट गयी, चारा एवं अनाज खराब हो गया, उनको क्या सरकार से मुआवजा दिया जाएगा ? जो किसान की फसल नष्ट हो गयी उसका सर्वे करवाकर फसल का मुआवजा एवं लगान माफ किया जाएगा व ऋण की वसूली रोकी जाएगी ? मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। श्री शंकरलाल अहारी।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री महोदय, से वक्तव्य दिलावें।

श्री उपाध्यक्ष : आ रहा है, आ रहा है। एक प्रक्रिया खतम होने दीजिए। (व्यवधान) मैं समय दे रहा हूं, आप बिराज जाएं।

श्री राजेन्द्र पारीक : गृह मंत्री महोदय से दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : 295 लेने के बाद में। आप प्रक्रिया का तो ध्यान रखें कम से कम।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : कम से कम आप प्रक्रिया का ध्यान रखें। एक सवाल समाप्त हो जाए, दूसरा आ जाएगा। मैं मंत्रीजी से वक्तव्य दिला दूंगा।

श्री शंकरलाल अहारी।

डूंगरपुर में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की सरकारी सेवा में नियुक्ति

श्री शंकरलाल अहारी (चोरासी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर जिले के मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ये प्रकरण वर्ष 1984 से 1997 तक के लम्बित चल रहे हैं। डूंगरपुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है। कृषि जोत भूमि बहुत कम है। वर्तमान में महंगाई का दौर तीव्र गति से बढ़ रहा है। परिवारों के पास सिर्फ मजदूरी करने के अलावा कोई सहारा नहीं है। मजदूरी कर अपने पेट का भरण-पोषण करते हैं।

डूंगरपुर जिले के सभी मृतक कर्मचारी अध्यापक पद पर कार्यरत थे और ये अपनी सेवाएं डूंगरपुर पंचायत समितियों में दे रहे थे। राज्य सरकार के ऐसे आदेश व निर्देश हैं कि मृतक राज्य कर्मचारियों के पीछे जो भी आश्रित परिवार का सदस्य हो उसे शीघ्र प्रभाव से नियुक्ति दी जाए। परन्तु आज तक इन मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति नहीं दी गयी है। हम यह मानते हैं कि मृतक राज्य कर्मचारी अनुसूचित जनजाति के हैं या उनको घोर उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। मैं पंचायत राज्य मंत्री से एवं मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि निम्नांकित नीचे लिखे गये मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित लोगों को अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्तियां दी जाएं :—

क्र.सं. 1	नाम व पद 2		निधन की तिथि 3	आश्रित का नाम 4	आवेदित पद 5
1.	स्व. कटूलाल	अध्यापक	23-2-95	श्रीमती चंचलदेवी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
2.	स्व. शशिकान्त	"	21-1-84	सुश्री मीना उपाध्याय	"
3.	स्व. लाल शंकर	"	28-9-84	श्रीमती रमीला	"
4.	स्व. बाजूलाल बलात	"	24-3-89	श्रीमती रमीला बलात	"
5.	स्व. जयन्तिलाल रोत	"	11-1-96	श्री मनोज रोत	"

(श्री शंकरलाल ग्रहारी)

1	2		3	4	5
6.	स्व. ममता चोबीसा	ग्रध्यापक	13-2-95	श्री जितेन्द्र चोबीसा	कनिष्ठ लिपिक
7.	स्व. मांगीलाल मनात	"	23-1-95	श्री भरतलाल मनात	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
8.	स्व. हीरालाल डामोर	"	19-12-96	श्री शिवशंकर डेंडोर	कनिष्ट लिपिक
9.	स्व. शंकरलाल कोटेड	"	16-7-97	श्री गोविन्द कोटेड	ग्रध्यापक
10.	स्व. हीरालाल डामोर	"	3-11-94	श्रीमती बसंती डामोर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार व मंत्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित कर यह मांग करता हूं कि ऊपर वर्णित सभी मृतक सरकारी कर्मचारियों के ग्राश्रितों को शीघ्र नियुक्ति प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम।

पंचायत समिति धोद के लिये भवन निर्माण

श्री ग्रमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के ग्रंतर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के 50 वर्ष बाद भी राजस्थान की 237 पंचायत समितियों में से मात्र एक पंचायत समिति धोद भवनहीन समिति है। यह किराए के मकान में चलती है जो समय-समय पर स्थान बदलती रहती है जिससे समिति क्षेत्र की आम जनता को काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। जो पंचायत समिति अन्य विभागों शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा एवं ग्रन्य के भवन बनाकर देती है उसका खुद का भवन नहीं बना है। अतः शीघ्र भवन बनवाने की व्यवस्था की जाए जिससे क्षेत्र की जनता को असुविधाग्रों का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता।

ब्यावर के तालाबों का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु सहायता राशि

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के ग्रन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1997-98 की ग्रतिवृष्टि से ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के निम्नांकित तालाब क्षतिग्रस्त हुए हैं :—

(श्री उगमराज मेहता)

1.	राजियावास टैंक	3.00 लाख
2.	सरबीना टैंक	2.00 लाख
3.	सेदरिया टैंक	0.50 लाख
4.	गोहाना टैंक	2.00 लाख
5.	लोहलाव टैंक	1.00 लाख
6.	दुधालिश्वर टैंक	4.00 लाख
7.	कालातोला वाघयाल टैंक	2.00 लाख
8	लोतियाना तालाब	2.50 लाख
9.	देवाता तालाब	3.00 लाख
10.	राताभाटा घीडर	2.00 लाख
11.	सारोठ घीडर	1.00 लाख
12.	काबरा टैंक	0.50 लाख
13.	कालीकाकर टैंक	0.50 लाख
14.	भीमगोगेलाव टैंक	7.50 लाख

इन तालाबों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु प्रस्ताव जिला कलेक्टर, अजमेर के अनुमोदन के पश्चात् राजस्थान सरकार के सहायता विभाग को सिंचाई विभाग से प्रेषित किये जाने के उपरान्त आज वर्षाकाल पुनः प्रारम्भ हो जाने के पश्चात भी इन कार्यों को करवाने की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई। इन कार्यों हेतु मेरे द्वारा समय-समय पर सहायता मंत्रीजी से व्यक्तिगत एवं लिखित रूप से सम्पर्क कर कार्य स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया परन्तु ये कार्य स्वीकृत नहीं हुए। दूसरी ओर सहायता मंत्रीजी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इन क्षतिग्रस्त तालाबों में कुछ तालाब, जैसे भीमगोगेलाव तालाब की तो स्थिति काफी दयनीय है। इस भीमगोगेलाव तालाब के वर्षाकाल के दौरान कभी भी टूट जाने से काफी जान-माल की क्षति का अंदेशा है। यही हालत अन्य तालाबों की है जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। पूर्व में भी आपको निवेदन किया गया है परन्तु आज दिन तक उक्त राशि सिंचाई विभाग को नहीं दी गयी। अतः शीघ्र ही उपरोक्त राशि सिंचाई विभाग को दिलाकर अनुग्रहित करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीचन्द गुर्जर।

डीग उपखण्ड (भरतपुर) के बाढ़ से बचाव की योजना

श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि विगत वर्षों में भरतपुर जिले का डीग उपखण्ड बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का शिकार रहा है जिसमें जमीन के कटाव के साथ जानवरों और सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ। भविष्य में इस उपखण्ड को बाढ़ से बचाने के लिये सरकार द्वारा कोई ठोस कार्य योजना का निर्माण कर उसकी क्रियान्विति का प्रयास नहीं किया गया। इसी उपखण्ड में सीकरी सिंचाई सिस्टम के नाम से विख्यात सिस्टम जो सैंकड़ों वर्षों पुराना है उसकी मरम्मत एवं निर्माण का कार्य भी नहीं हुआ। अतः मैं सिंचाई मंत्री का इस विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस दिशा में तत्काल ध्यान दें एवं बाढ़ से बचाने के लिये व्यापक कार्य योजना बनाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर।

ग्राम पंचायत वारू (चित्तौड़गढ़) के सरपंच द्वारा गबन

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगरार की ग्राम पंचायत वारू, पंचायत समिति राशमी (चित्तौड़गढ़) के पूर्व व वर्तमान सरपंच श्री शंकरलाल जाट उर्फ बालूराम ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत वारू में कराये गये निर्माण कार्यों में 1,62,372/– रुपये का गबन किया। गबन की जांच होने के बाद उक्त सरपंच का चालान कोर्ट में पेश किया गया लेकिन अभी तक उक्त सरपंच को निलम्बित नहीं किया गया है। अतः जल्दी से जल्दी उक्त सरपंच को निलम्बित करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हबीबुर्रहमान।

(अनुपस्थित)

श्री हीरालाल इन्दौरा।

(अनुपस्थित)

श्री बनवारीलाल शर्मा।

नगरपालिका धौलपुर द्वारा खनन कार्य में व्यवधान

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, निवेदन है कि श्री गिरिजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद, पंचगांव, धौलपुर के गांव खंडा बिट्टी-बोल्डर के खनन कार्य हेतु खनिज विभाग द्वारा 200 × 50 वर्ग मीटर क्षेत्र का वर्ष 1990 में पट्टा जारी किया गया था। इसका दुबारा 23-4-2000 तक नवीनीकरण किया गया था।

नगरपालिका धौलपुर एवं जिला टाउन प्लानर की एक योजना पंचगांव में खसरा नम्बर 3669 कुल रकबा 115 बीघा 6 बिस्वा में से जरिए इंतकाल नम्बर 1064 दिनांक 6 जनवरी, 1995 को नगरपालिका धौलपुर के नाम आवंटित करा ली। इस भूमि के कुल क्षेत्र में से 28 बीघा 2 बिस्वा जमीन पर माइनर द्वारा आज भी खान चलाई जा रही है। जिला कलेक्टर एवं नगरपालिका द्वारा बार-बार पुलिस बल का प्रयोग कर खनन कार्य को रोका जा रहा है जिससे खान पट्टाधारी को तो नुकसान हो ही रहा है, वहां कार्यरत मजदूरों को भी अपने परिवारों के पालन-पोषण में कठिनाई आ रही है। यह सभी कार्य सरकार द्वारा गैरकानूनी तरीके से किया जा रहा है क्योंकि न तो इस भूमि को सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है और न ही किसी प्रकार का किसी भी विभाग ने खनिज पट्टाधारी को कोई नोटिस दिया।

उपरोक्त स्थिति से उक्त पंचगांव में ग्रामवासियों में भयंकर असंतोष है व उनकी रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है। मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नगरपालिका धौलपुर द्वारा गैरकानूनी रूप से

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

किये जा रहे प्रयासों को तत्काल रोककर खनिज पट्टाधारी एवं ग्रामवासियों को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि गत वर्ष भारत सरकार की स्वेच्छा आय योजना, (वी. डी. आई. एस.) के अन्तर्गत करदाताओं को अपनी पिछली अघोषित आय को स्वीकृत करने के अलावा एक अन्य प्रलोभन भी दिया गया था। उनकी घोषित आय 21...., 775.5, उनकी आधारभूत सुविधाओं, सड़क.....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या पढ़ रहे हैं, माननीय सदस्य ? प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपने दिया है अलग, पुलिस का मामला है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : यही दिया है जी।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पुलिस का।

श्री राधेश्याम गंगानगर : वह चिट होगी। जीरो आवर में चिट है पुलिस की।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वह अलग है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सॉरी। जो भी है। दो दिये थे। नहीं, ये दो हैं, मैं भूल सुधार कर रहा हूं। दो दिये थे, अब हो सकता है एक ही लगा हो। मेरे दिमाग में याद था कि यह ही लगा है।

रायसिंहनगर पुलिस थाने में दर्ज प्रथम सूचना रपट पर कार्यवाही

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस थाना रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर की एफ. आई. आर. नम्बर 49/98, दिनांक 20-2-98, 54/98, दिनांक 25-2-98 व 55/98, दिनांक 28-2-98 में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपितु निर्दोष हरिजन महिला पर अत्याचार किया गया है। प्रभावशाली व्यक्तियों की पुलिस ने मदद की है परन्तु हरिजन महिला पर होने वाले अत्याचारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

हरिजन महिला की अपराधियों द्वारा मारपीट की गयी। सिर में उक्त महिला को गहरी चोट आई तथा सिर में दस टांके भी लगे परन्तु पुलिस ने मुल्जिमों का पक्ष लिया। माननीय गृह मंत्री महोदय से भी इस महिला ने अपना दुःख दर्द सुनाया। गृह मंत्री महोदय ने डी. आई. जी., बीकानेर को दोनों प्रकरणों की पत्रावलियों का परीक्षण का निष्पक्ष तफ्तीश करवाने के आदेश दिये परन्तु पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उक्त महिला व इसके परिवार को अब दिन-प्रतिदिन इनके विरोधियों द्वारा डराया-धमकाया जा रहा है। हथियारों से लैस होकर व्यक्ति इनको नित्य धमकियां देते हैं। महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

के अन्तर्गत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस महिला द्वारा दर्ज एफ. आई आर. की तरफ ध्यान दिया जाए तथा मामले की जांच की जाए तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शम्भू दयाल बड़गूजर।

केकड़ी में बाढ़ से क्षतिग्रस्त अम्बापुरा बांध का पुनर्निर्माण

श्री शम्भू दयाल बड़गूजर (केकड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत सन् 1992 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त अम्बापुरा बांध के पुनर्निर्माण बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में अम्बापुरा बांध वर्ष 1992 में आयी भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था। तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंहजी शेखावत एवं सिंचाई मंत्री श्री कैलाशजी मेघवाल भी बांध के निरीक्षण पर पधारे थे और वहां इसके पुनर्निर्माण की घोषणा की थी। उक्त बांध की डिजाइन एवं ड्राइंग मुख्य अभियन्ता, अन्वेषण रूपांकन एवं अनुसंधान सिंचाई, जयपुर द्वारा बना ली है। सिंचाई विभाग ने बजट आबंटन करने हेतु प्रस्ताव सहायता विभाग को भिजवा दिये हैं।

मुझे जानकारी मिली है कि सहायता मंत्रीजी ने 78 लाख के अम्बापुरा बांध को पुनर्निर्माण के प्रस्ताव सहायता विभाग की अनुशंसा के साथ वित्त विभाग को भिजवा दिये है।

मैं सिंचाई मंत्रीजी एवं सहायता मंत्रीजी दोनों से ही निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त वित्त विभाग की स्वीकृति शीघ्र जारी करवाने की कृपा करें। सिंचाई मंत्रीजी यहां पर बिराजे हुए हैं, मैं सोचता हूं कि आज ही यह घोषणा हो जाए। सिंचाई विभाग की मांग 23 तारीख को है आज ही यह घोषणा हो जाए।

एक माननीय सदस्य : आज ही घोषणा कर दें।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : कर दो न आप।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

जहाजपुर तहसील में भीमपुरा–शंकरगढ़ सिंचाई परियोजना के कारण उत्पन्न स्थिति

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत जहाजपुर तहसील के ग्राम बांकरा में भीमपुरा, शकरगढ़ सिंचाई परियोजना के कारण रोड पर पुलिया न बनने से वहां पर जो गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई है उसके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सादर अनुरोध है कि जहाजपुर तहसील के ग्राम बांकरा के पास स्थित नाले में भीमपुरा-शकरगढ़ सिचाई परियोजना के भराव के बाद पीछे पानी के दबाव से नाले के भारी पानी के कारण दर्जनों गांवों का आना-जाना अवरुद्ध हो गया है। बांकरा ग्राम एक ओर तथा खेती, चारागाह दूसरी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

ओर होने से समूचा ग्राम गहरे संकट में फंस रहा है। तालाब पूरा भर गया मगर किसानों को मुआवजा नहीं मिला और आज 350 से 500 बीघा भूमि की फसल डूब रही है और आने-जाने का रास्ता बन्द हो गया। विभाग ने फसल नहीं बोने बाबत पूर्व में कभी कोई सूचना नहीं दी। गत 12 जुलाई को श्री किशन पिता गोकल तेली, शाम को खेत से घर आ रहा था तब नाले के दलदल में नीचे उतर गया जो दो दिन बाद खड़ा का खड़ा मृतक के रूप में नजर आया, जिसको निकाल कर गांव वालों ने दाह-संस्कार किया।

सिंचाई विभाग द्वारा अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस नाले पर स्थायी पुल का निर्माण अभी तक नहीं करने से दर्जनों गांवों का बरसात में सम्बन्ध टूट गया है जिसके निर्माण की तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जाए। साथ ही खेतों पर जाने-आने के लिए बरसात में एक नाव की व्यवस्था तुरन्त ही की जाए ताकि किसान खेतों पर तथा अन्य गांवों में जा-आ सकें। मृतक के परिवार में उसकी विधवा को तुरन्त नियमानुसार सहायता राशि मुख्य मंत्री सहायता कोष से दी जाए तथा समूचे जन-जीवन की प्रभावित स्थिति की तुरन्त जांच कर समुचित कार्यवाही की जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री बनवारी लालजी ने एक बात रखी है। आपने एक समस्या रखी है कि धौलपुर में कोई खनन कार्य हो रहा है, उसको अनधिकृत रूप से नगरपालिका रोक रही है। कृपया मुझे इस बात को बता दें और मेरे से मिलकर इस बारे में बात कर लें। खोदने वाला अनधिकृत काम कर रहा है या हम अनधिकृत काम कर रहे हैं, बता दीजिये, बात कर लेंगे।

श्री बनवारीलाल शर्मा : ठीक है, मैं बात कर लूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि सीकर से आने वाले माननीय विधायक ने यहां पर जीरो ऑवर में एक प्रकरण उठाया है। उसके तीन पक्ष थे। एक आबकारी से सम्बन्धित था, एक पुलिस की निष्क्रियता से सम्बन्धित था और एक अवैध खनन के बारे में उन्होंने संकेत दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर उठाया जाने वाला कोई भी मुद्दा स्पष्टत: बोधगम्य और समझ में आने वाली स्थिति में अगर सामने आएगा तो उस पर प्रतिक्रिया भी सही की जाएगी। मैंने उसी समय यहां सचिवालय में पुलिस कंट्रोल रूम से जो मेरे सहयोग के रूप में अधिकारी थे, उनको निर्देश दे दिये हैं कि आपने जिस प्रकरण को उठाया है उसमें तथ्यों की जानकारी मंगवाएं। तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिए उठाया था। आज भी कुशलपुरा.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : आज भी कुशलपुरा और गुंगारा ग्राम में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस पर वाद-विवाद नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य पारीक साहब, वाद-विवाद नहीं होगा। वाद-विवाद नहीं होगा। (व्यवधान) गृह मंत्री महोदय, वाद-विवाद नहीं होगा। कृपया बिराजें। सहायता मंत्री महोदय।

श्री सांवरलाल (सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्षतिग्रस्त अम्बापुरा बांध के सम्बन्ध में अभी चर्चा हुई थी। जब यह बांध क्षतिग्रस्त हुआ था उस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी, सिंचाई मंत्रीजी और मैं उस समय विधायक था, साथ गये थे। उसके बाद जब मैं मंत्री बना उस समय भी यह बात आयी थी तब मैंने आश्वासन दिया था कि सिंचाई विभाग में क्षतिग्रस्त बांधों के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं थी, सहायता विभाग क्षतिग्रस्त बांधों को वापस बनवाने के लिए जितनी आवश्यकता होगी, राशि उपलब्ध करवाये। हमने यह कार्यवाही भी कर दी है और मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि शीघ्र ही यह राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी और बांध का पुनर्निर्माण सिंचाई विभाग करवा देगा।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आ रहा है। माननीय सदस्य श्री बनवारी लालजी।

श्री उगमराज मेहता : माननीय सहायता मंत्रीजी, ब्यावर का क्या हुआ? ब्यावर आपके नक्शे में है कि नहीं ? अजमेर जिले में ब्यावर भी एक है बहुत इम्पार्टेंट। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इसमें तो मिली-भगत लग रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल जी। स्वतन्त्र भारत मिल्स, टौंक के मजदूरों द्वारा....(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : थोड़े से काम का आपने एक पैसा भी अभी तक नहीं दिया वहां। (व्यवधान) आज दे रहे हैं ?....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आ रहा है। थोड़ा वेट करिए। थोड़ी तसल्ली रखिए। (व्यवधान) कृपया माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान) कृपया बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : ब्यावर को तो ये जिला बना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, श्री परसादीलाल जी। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नगर-पालिका अध्यक्ष, देवली के विरुद्ध कुछ शिकायतें थीं, जिनके लिए आपको स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वही है शायद। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्वतन्त्र भारत मिल्स, टौंक के मजदूरों द्वारा....(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : यह तो जीरो ऑवर के अन्दर दिया था, बोल चुका।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो हो गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तब आप बिराजें। पराक्रम सिंह जी।

श्री बनवारीलाल बैरवा : स्थगन प्रस्ताव पर बोल देता हूं। यह स्थगन प्रस्ताव पर दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। आप इस पर बोल चुके क्या ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : नहीं, नहीं बोला। इस पर नहीं बोला स्थगन प्रस्ताव पर।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिए।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका अध्यक्ष, देवली के विरुद्ध, हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था क्योंकि उन्होंने बहुत अनियमिताएं कर रखी हैं और अनियमितताएं ऐसी कर रखी हैं जो अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेण्ड किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैटीरियल सप्लाई के लिए उन्होंने रेट्स इन्वाइट कीं। उन रेट्स के अन्दर जो 99 पैसे किये हैं उन्होंने, उस 99 पैसे को निरस्त नहीं करके बल्कि एक डण्डा उसके आगे लगा कर 199 कर दिया और अपने चहेते व्यक्ति को 116.50 पैसे के अन्दर वह रेट उन्होंने मंजूर कर दी। जहां उनके खिलाफ फौजदारी कार्यवाही की जानी चाहिए, आज वे अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा, उन्होंने 17-12-97 को नगर पालिका के अन्दर बैठकर उनके ई. ओ. के विरुद्ध कुछ शिकायतें आयी थीं, उनके स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया और उसी तारीख के अन्दर उन्होंने टौंक का दौरा बता रखा है। टौंक का टी. ए., डी. ए. उठा रखा है और जीप के पैसे उठा रखे हैं। ये अनियमितताएं उन्होंने उस दौरे में कर रखी हैं। सफाई के लिए 6,25,000 जो उनके अधिकार में नहीं था, पांच लाख रुपये मंडलगढ़ कार्यवाही का उन्होंने जोड़कर 6,25,000 की स्वीकृति देकर उनको अदा कर दिये जो कि डी. एल. पी. के पॉवर के अन्दर था। डी. एल. पी. के पॉवर का जो आदमी यूज कर रहा है वह उनके पॉवर में नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। आप मेरी बात भी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं ? आप बिराजें। बैठिए आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : एक मिनट तो बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष : अवसर दे दिया आपको। जीरो ऑवर में दो-दो अवसर थोड़े ही मिलते हैं। कृपया बिराजें। आपने अपनी बात कह दी। बात कह दी इन्होंने, बिराजें। आप हर समय हर अवसर पर विवाद करते हैं। बिराजें। श्री पराक्रम सिंह जी।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान जिंक ग्रीन फिल्ड एक नया स्मैल्टर प्लांट तीन जिलों में से एक जिले में लगाना चाह रहा है जिसमें एक भीलवाड़ा जिले का चयन हुआ है। मुझे मालूम पड़ा है कि भीलवाड़ा जिले में सुल्तानपुरा जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है, उसको इसलिए नकार दिया गया कि वहां पानी की व्यवस्था कम है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य दो जिलों के अन्दर भी भीलवाड़ा से कोई अच्छी स्थिति नहीं है। भीलवाड़ा में सुल्तानपुरा में अगर यह प्लांट लगता है तो बीसलपुर से पानी लाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे कि यह मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिकुमार धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोटा शहर में इन दिनों बहुत चोरियां हुई है और पांच या सात मन्दिरों में तो लगातार चोरियां हुई हैं। दो मन्दिरों से तो मूर्तियां चोरी हो गयीं और दो मन्दिर ऐसे थे जिनमें कि बहुमूल्य पत्थर की आंखें बनी हुई थीं मूर्तियों की वह और छत्र वगैरह इस तरह की चोरी हो गयी। पिछले एक महिने के अन्दर-अन्दर कोटा शहर में कम से कम 45 चोरियां हुई हैं। अभी तीन चार रोज पहले तक जो कार्यरत थे वहां पर ए.डी.एम. (सिटी) उनके घर पर भी चोरी हो गयी। चोरी इस नेचर की हुई है कि वे सो रहे थे उनके गले में से चेन काटकर चोर चले गए। फ्रिज में से आम खाए, पानी पीया ठंडा, लाइट जलाकर चले गए। उनका मकान ऐसी जगह स्थित है कि जहां पर ग्रामीण पुलिस के एस. पी. रहते हैं। एक भी चोरी का माल बरामद नहीं हुआ है, इन 35 चोरियों में से एक भी। मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां से स्पेशल फोर्स आप लगाएं ताकि इन चोरियों का पता लग पाए। आम जनता में भय व्याप्त है इन चोरियों के प्रति और खासकर जो धर्मावलम्बी लोग हैं, मन्दिरों की चोरियों से वे भयभीत हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गंभीर नदी में तेज बहाव के कारण 18-7-98 को नदी के गांव तहसील बयाना के निवासी पूरण काछी व दो लड़कियां, जिनकी उम्र 10 एवं 12 साल की थी, वे अपने मामा के साथ निकल रही थीं जिनमें से एक लड़की तेज प्रवाह कारण बह गयी। गांव वालों ने उसके मामा और एक लड़की को बचा लिया, उसकी लाश बरामद हो गयी परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन पूरी तरह सोया हुआ था और प्रशासन ने आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं ली। गांव वालों ने सारे दिन उस लाश को रखे रखा। और गांव वालों ने मजबूर होकर उसको बिना पोस्टमार्टम के जला दिया।

(श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा)

यही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 19-7-98 को समयसिंह जाटव जिसकी उम्र 35 वर्ष और उसका भतीजा, जिसकी उम्र 18 साल गांव मगोरा तहसील बयाना के थे, वे भी गंभीर नदी में बह गए जिनकी लाश का आज तक कोई पता नहीं पड़ा। गांव वाले उन लाशों को देखने के लिए बड़े व्यस्त हैं और बड़े चिन्तित हैं क्योंकि गांव में खाना नहीं बनता जब तक लाश बरामद नहीं हो जाए। उसके बावजूद भी वहां का प्रशासन अब भी सोया हुआ पड़ा है। मुझे अभी-अभी मालूम पड़ा है कि उसमें एक-एक लाश तो बरामद हो गयी है परन्तु प्रशासन का उसकी तरफ ध्यान नहीं है, न इस सरकार का कि उन लाशों को देखा जाए। ऐसी स्थिति वहां की हो रही है। जबकि वहां ऐसी आपाधापी बी. जे. पी. की पड़ी हुई है कि हमारे यहां के एस.डी.ओ. का तीन बार ट्रांसफर हो गया। तीन एस डी.ओ. बदल चुके क्योंकि वहां प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। समझ में नहीं आता यह सरकार क्या करना चाहती है। उन गरीबों की हालत यह है कि वे नदी में बह जाएं तो उनको कोई राहत नहीं दिलाए। वे गरीब इस कदर परेशान हैं कि गांव में खाना नहीं बन रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र उन लाशों की तलाश कराई जाए। गांव वालों की मदद की जाए, उनको कुछ राहत दिलायी जाए। मैं यह चाहता हूं कि इसी सदन में उनको ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। क्योंकि गंभीर नदी में जो पानी आ रहा है पाचना बांध से ... (व्यवधान)

(13.00)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : मेरा निवेदन सुनिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्रीजी से निवेदन है। माननीय बिजली मंत्रीजी बातों में दतचित्त हो रहे हैं, सार्वजनिक मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी, इधर देखें।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम और तहसील नादौती में एक 3 एम. बी. का ट्रांसफार्मर, गुढ़ाचन्द्रजी के अन्दर एक नया 33 के. वी. का बनाया, उसमें ढाई लाख के तार आये हुए थे। ढाई लाख के तार रात को आकर पटके, दूसरे ही दिन वे ढाई लाख के तार चोरी चले गये। बड़े अचम्भे की बात है कि रात को नादौती के गुढ़ाचन्द्रजी में तार आकर पड़े, वहां पर इनके विभाग का एक आदमी सो रहा था, चारों तरफ तारों की बाउंड्री कर रखी थी उसके बावजूद भी ढाई लाख के तार कहां चोरी चले गये? मन्त्री महोदय, आपने अब इस विभाग का भार सभाला है, इस प्रकार ढाई-ढाई लाख के तार चोरी चले जाएं और वह भी विभाग की मिलीभगत से,

(श्री रामस्वरूप मीणा)

क्योंकि वहां पर आदमी सोया हुआ था। ऐसे लगातार तारों की चोरियां हो रही हैं। मेरा जो सब स्टेशन चालू होने वाला था वह इसके कारण से लेट हो गया, गुढ़ाचन्द्रजी में बिजली की हालत खराब हो गयी। आज तक उन तारों का पता आपका विभाग नहीं लगा सका। राजस्थान में इस प्रकार से लगातार तारों की चोरियां बढ़ रही हैं। यह तो ढाई लाख का एक उदाहरण मैंने मेरे क्षेत्र का पेश किया है और वह भी नादौती का जिसके कारण मैं खुद दुःखी हूं। मेरा क्षेत्र आज बिजली के बगैर पड़ा हुआ है, वहां पर अंधेरा हो रहा है। मेहरबानी करके गुढ़ाचन्द्रजी में जो तार चोरी गये हैं, आप इनका पता लगवाएं। जो चोरी करके चले गये वे आपके विभाग से मिले हुए हैं। कृपया दुबारा इस प्रकार की वारदात नहीं हो, इस पर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप। श्री रामगोपालजी बैरवा।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री महोदय, क्या करने जा रहे हैं ? क्या आप इस प्रकार की चोरियों को रोकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

गत वर्षों में राइट मेन कैनाल से जो गणेशगंज लिफ्ट स्कीम के नाम से निकाली गयी थी.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने स्थान पर पधारें।

श्री रामगोपाल बैरवा : जब से इसका कार्य करवाया गया उसके बाद बजट के अभाव में नहरों की सफाई और बैड कटिंग का कार्य नहीं होने से आज भी अंतिम छोर के किसानों तक पानी नहीं पहुंच पाता है और किसानों की फसल बरबाद हो जाती है। इसी तरह से धोरे और आउटले नहीं निकालने के कारण भी पानी की भराव क्षमता कम रहती है और पानी अधिकांश व्यर्थ हो जाता है।

तीसरी बात, इस योजना में विभाग द्वारा समय-समय पर विद्युत का बिल जमा नहीं कराने से इसका कनेक्शन काट दिया जाता है। इससे भी किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। गत वर्ष सितम्बर माह में 20 दिन तक विद्युत कनेक्शन नहीं होने से पानी की सप्लाई के अभाव में किसानों की फसल बरबाद हो गयी। इस समय भी इस लिफ्ट स्कीम पर विद्युत कनेक्शन कटा हुआ है और आने वाले सितम्बर के महीने में फिर वही स्थिति जो पिछले सालों में हुई थी, पैदा होने वाली है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लिफ्ट स्कीम पर सफाई के लिए बजट उपलब्ध करवाने व समय पर इसका कनेक्शन करवाने का कष्ट कर किसानों को राहत पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। श्री हरिसिंहजी महुवा। आप एक मिनट में अपनी बात कहें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सिर्फ एक मिनट में ?

श्री उपाध्यक्ष : यही प्रोसीजर है इसमें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मसले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं।

राजस्थान के हमारे प्रथम निर्वाचित मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री टीकारामजी पालीवाल जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, उनकी स्मृति को चिर स्थायी बनाने के लिए अभी भी राजस्थान सरकार ने न तो किसी नगर, उपनगर न विद्यालय, न महाविद्यालय, न चिकित्सालय और न किसी मार्ग पर कहीं कोई याददाश्त का पत्थर लगाया है जबकि मुख्य मत्री हीरालालजी शास्त्री, माननीय जयनारायणजी व्यास, स्वर्गीय श्री बरकतुल्लाजी, स्वर्गीय श्री मोहनलालजी सुखाड़िया जैसे मुख्य मंत्रियों की याददाश्त को चिर स्थायी बनाने के लिए कहीं महाविद्यालय, कहीं औषधालय, कहीं अस्पताल, कोई मार्ग, नगर-उपनगर बसाये जा चुके हैं। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भागीदारियां निभाईं, उनकी जन्मस्थली मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा मंडावर में है और उनकी कर्मस्थली हिण्डौन और करौली है। हिण्डौन में उन्होंने वकालत प्रारम्भ की। मैं आपके माध्यम से माननीय पी. डब्ल्यू डी. मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपने एक सड़क निकाली है भिवाड़ी से करौली, स्टेट हाई-वे है। स्टेट हाई-वे नम्बर 24, स्टेट हाई-वे नम्बर 22 और मंडावर टू राजगढ़ तीनों सड़कों को मिला कर आपने स्टेट हाई-वे जो निकाली है, यह सड़क उनकी जन्मस्थली और उनकी कर्मस्थली दोनों ही जगह होकर जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सड़क मार्ग का नाम अगर आप टीकाराम पालीवाल मार्ग रखें तो उनकी याददाश्त के लिए बहुत अच्छी बात होगी। चूंकि 1942 के बाद में उनकी कर्मस्थली जयपुर में बन गयी, यहां पर स्वायत्त शासन मंत्रीजी नहीं हैं, जयपुर में बहुत सारे नगर, उपनगर जे. डी. ए. और आवासन मंडल द्वारा बनाये जा रहे हैं, बहुत अच्छा हो किसी नगर या उप नगर का नाम भी उनके नाम पर रखा जाए।

साथ ही मैं शिक्षा मंत्रीजी से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि उनका निर्वाचन क्षेत्र महुवा रहा, प्रथम और द्वितीय दोनों चुनाव महुवा से जीते और महुवा सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय नेशनल हाई-वे नम्बर 11 पर है, महुवा सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय का नाम श्री टीकाराम पालीवाल सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवानी जोशी।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। बांसवाड़ा जिले में जब माही पुल बना तो माही के विस्थापितों को उस समय मुआवजा भी दिया गया था और टेबल पर बैठ कर उनको जमीन अलाटमेंट कर दिया गया था। उन्होंने उस समय कब्जे लिये नहीं और उस जमीन पर दूसरे आदिवासियों

(श्री भवानी जोशी)

के कब्जे थे। वहां मकान बने हुए थे, ग्राम के पेड़ थे, कुए थे और आज तक वे कभी कब्जा लेने के लिए नहीं आये। लेकिन अभी राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया कि सारी जमीन को नियमित कर दिया जाएगा तो वे कब्जे लेने के लिए अब आ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आदिवासी-आदिवासी में एक संघर्ष छिड़ रहा है, उसको तत्काल समाप्त किया जाए। राज्य सरकार का एक आदेश है कि सात साल तक कोई कब्जा लेने के लिए नहीं आता है तो उसको स्वतः ही निरस्त मान लिया जाता है। आज 35 वर्षों के बाद वे कब्जे लेने के लिए आए तो वहां पर हिंसा होगी और आपस में झगड़े होंगे। इसका तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मसूदा क्षेत्र में कल एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरे क्षेत्र में एक सोपराघाटा है, विजयनगर से ब्यावर बस का रूट है। कल 9 30 बजे रतनपुरा-घाटा में एक बस पलटी खा गयी उससे तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और 32 लोग घायल हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, विजयनगर से बस जा रही थी, रतनपुरा-घाटा में ट्रैक्टर के सामने से आने पर उसको ओवरटेक करने के चक्कर में यात्री बस 15 फीट नीचे खड्डे में गिर गयी। ड्राइवर का बैलेंस चूक गया। इससे एक व्यक्ति तो हाथों-हाथ उसी स्थान पर ही मर गया बाबू मेहराव पुत्र हीरा मेहराव, निवासी रेल का बाड़िया जो देवास पंचायत में है। दो व्यक्तियों की ब्यावर अस्पताल में मृत्यु हुई है एक तो है भूराराम पुत्र घोला-राम भील, केसरपुरा बाड़ी पंचायत का और एक है लक्ष्मण पुत्र घीसा जाटव सवादना, भीम तहसील का। इसके साथ-साथ सात महिलाएं घायल हुई हैं और 25 व्यक्ति घायल हुए जिनको अमृतकौर अस्पताल, ब्यावर में भर्ती कराया गया है। मैं आपके माध्यम से यातायात मंत्री और सहायता मंत्री से आग्रह करूंगा कि मृतक व्यक्तियों को राज्य की सहायता दी जाए और जो अस्पताल में भर्ती हैं उनको उपचार के लिए सहायता दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यातायात मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि मेरे उस रूट पर विजयनगर–ब्यावर में 25–30 सालों से वही बसें चल रही हैं जिनके न तो फाटक हैं न उनमें कांच हैं। गाड़ी की स्थिति यह है कि उनमें ब्रेक भी नहीं हैं। ब्रेक भी बहुत बार फेल हो जाते हैं और ये हादसे होते रहते हैं। वहां पर चढ़ाई है, सौ फीट ऊपर बस जाती है और आती है। मेरा यह आग्रह है कि उस रूट पर जो भी बसें हैं उनकी एक बार जांच की जाए, उनकी फिटनेस चैक करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यातायात मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बांदीकुई से बैजूपाड़ा, बांदीकुई से बिवाई और बांदीकुई से धनावड़, ये बसें गये दो-तीन महीने तो चली थीं उसके बाद इनका संचालन बन्द हो गया। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि बांदीकुई से महुवा और बांदीकुई से राजगढ़, अलवर और दिल्ली जाने के लिए सायंकाल कोई भी बस का प्रावधान नहीं है। बांदीकुई चूंकि उपखण्ड है, वहां सिकराय और महुवा के लोग प्रतिदिन अपने मुकदमों की खातिर उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहां और ए. डी. जे. कोर्ट में पैरवी के लिए आते हैं। इसलिए इस रूट पर बसों का संचालन बिलकुल अनिवार्य हो गया है। इस नये मार्ग पर बसें संचालित की जाएं और पूर्व में जो बांदीकुई निर्वाचन क्षेत्र में बसों का संचालन था उनको पुनः चालू करवाया जाए। श्रीमान्, पहले जवाहर नगर डिपो से ये सारी बसें चलती थीं किन्तु जैसे ही दौसा डिपो का उद्घाटन हुआ, दौसा डिपो ने इन बसों का संचालन करना बन्द कर दिया। पब्लिक को बहुत नुकसान हो रहा है। यातायात की कमी के कारण लोग समय पर नहीं पहुंच पाते हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यातायात मंत्री महोदय मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति संवेदनशील हों और वे यह कहें कि वे कोई न कोई व्यवस्था करेंगे और रेस्टोरेशन करें। धन्यवाद।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक बात इसी में जोड़ दें। हमारे यहां एक बस आपने दो महीने चलायी थी, ज्योंही मंत्रीजी का चुनाव पूरा हुआ बस बन्द हो गयी। उसको भी चालू करो। चुनाव के लिए बस क्यों चलायी? दौलतपुरा को बन्द कर दिया आपने।

श्री रामस्वरूप मीणा : सब जगह बन्द कर दी आपने। हमारे क्षेत्र में भी आपने चलायी थी वह भी बन्द हो गयी। करौली जिले के लिए.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा भी आ जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसी-इसी का अन्त नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एक सैकण्ड।

श्री हीरालाल इन्दौरा : उपाध्यक्ष महोदय,.... (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व (यातायात राज्य मंत्री) : अभी तो दौसा जिले की बात चल रही है, अभी आप.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन तहसील बसवा, सिकराय और महुआ इनका सब डिवीजन हैडक्वार्टर बांदीकुई है और ए. डी. जे. कोर्ट भी महुवा और सिकराय तहसील की वहीं लग रही है। हमारे यहां के लिटिगेंट्स जाते हैं, वकील जाते हैं उन सबको सिकन्दरा उतरना पड़ता है, क्योंकि वहां से सीधी बसें बांदीकुई कोई नहीं जा रही। सबको सिकन्दरा उतरना पड़ता है, बसें बदलनी पड़ती हैं, इसलिए महुआ और सिकराय से सीधी बांदीकुई बस सेवा चलायी जाए।

श्री रोहिताश्व : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने दौसा जिले की यातायात व्यवस्था के बारे में जो चिन्ता व्यक्त की है....

श्री रामस्वरूप मीणा : करौली की कह दें।

श्री रोहिताश्व : करौली को भी मैं उसमें शामिल करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पूर्वी राजस्थान को भी।

श्री रोहिताश्व : मैं सारे राजस्थान को शामिल करता हूं।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस रूट पर वे बस चाहते हैं, दो-तीन माननीय सदस्यों ने यह भी कहा था कि पहले बस चलती थी। मैं रोडवेज से जानकारी कर लूंगा कि बसें चलती थीं और फिर बन्द क्यों हुईं। और नये रूट के बारे में भी कह रहे हैं, मैं सर्वे करवाकर तुरन्त प्रभाव से वहां की जनता की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था शीघ्र ही चालू करवा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बढ़िया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : राय ले लेना।

श्री रोहिताश्व : आपने मुझे + + + दिया इसलिए बन्द की।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री परसादीलाल मीणा : आप इधर के हिसाब से जीतकर आये और उधर जा बैठे, हमारा और आपका क्या लेना देना ?

श्री रामस्वरूप मीणा : जहां + + + नहीं दिया वहां तो कर दो।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री और राजस्थान की सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं स्कूल की अनियमितता के बारे। बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, गंगानगर को जो लाटूर भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने निर्देश दिये थे उसके आधार पर इस विद्यालय के मैनेजमैंट और प्रिंसीपल द्वारा वहां के छात्रों से, शिक्षकों से और तमाम से 50 हजार रुपये से ज्यादा की राशि प्राप्त की गयी लेकिन वह सहायता प्राप्त करने के बाद आज तक मुख्य मंत्री सहायता कोष में नहीं भिजवायी गयी इसलिए महाराष्ट्र तक भी नहीं पहुंची।

दूसरा मेरा निवेदन है इसी में कि उसी विद्यालय में प्रिंसीपल की नियुक्ति को अवैधानिक तरीके से रेगुलाइज करने के लिए शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को जो उसमें उपस्थित थे, भेंटस्वरूप और रिश्वतस्वरूप पैसे और कुछ वस्तुएं दी गयी हैं और स्कूल की जो छात्र निधि है उसको व्यक्तिगत रूप में शेयर और बांड खरीदने के काम में लिया गया। अत: शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि विद्यालय की जो 90 प्रतिशत सरकारी सहायता है, जनता का पैसा है, इसकी समुचित जांच करवाकर उचित कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके

+++ शब्द अध्यक्षपीठ आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री जगदीप धनखड़)

माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में कल भारी अव्यवस्था हुई, जनता में अफरा-तफरी मच गयी। पता नहीं किन मापदण्डों के आधार पर यातायात अव्यवस्था फैलायी गयी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस दायरे के अन्दर करीब आधा दर्जन दफ्तर स्थित हों, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खण्डपीठ स्थित हो वहां पर पूरी तरह से बल्लियां लगाकर न्यायाधीशों को भी नहीं जाने दिया गया। यह पहली बार हुआ है कि उच्च न्यायालय के प्रवेश के ऊपर भी रोक लगा दी गयी और उसकी कोई पूर्व सूचना किसी भी स्तर पर नहीं दी गयी। स्थिति यह हो गयी कि जब न्यायाधीश, वकील, अधिकारी, जनता के लोग और मंत्रीगण रवाना हुए रास्ता बन्द। दूसरी तरफ गये वहां रास्ता बन्द। दो तीन घंटे तक यही स्थिति रही। आखिर में पुलिस वालों ने उनको हटा दिया। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि वैज्ञानिक युग आगे बढ़ चुका है, यदि आपको कोई व्यवस्था करनी है तो क्यों नहीं उसको ढंग से करें? क्यों नहीं आप इस प्रकार के उपाय सोचें जिससे असुविधा नहीं हो?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की स्थिति उच्च न्यायालय को लेकर उत्तर प्रदेश में भी हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने बड़ा गम्भीर रूख अपनाया। आप देखिये, जनता में किस प्रकार का संकेत जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय में ही जाने को आते हैं और पूरा दरवाजा बन्द मिलता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय नीचे क्यों देख रहे थे? ये भी फंस गये थे। मैंने देखा आपको, आप नीचे मुंह किये हुए थे क्योंकि आपने सोचा कि यह जनता देखेगी। मेरी गाड़ी रूकी हुई थी, मैं पूरी तरह से फंसा हुआ था। एक आदमी ने कहा दो मंत्री भी हैं। मैंने कहा पता लगाओ कौनसे मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ललितकिशोर चतुर्वेदी और और मदन दिलावर हैं। मैंने कहा अच्छी तरह देखो। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि नीचे मुंह कर रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको तीन सुझाव देना चाहता हूं। एक तो सरकार इस बात की जांच करे कि इस प्रकार की भयंकर यातायात अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है। जो भी कोई जिम्मेदार है उसको दण्डित किया जाए। मान्यवर, पूरा प्रशासन बैठ गया। 01 जून को कांग्रेस का आन्दोलन हुआ, सचिवालय के अन्दर चले गये। मान्यवर, अगर नयी विधान सभा में चले जाएंगे तो उच्च न्यायालय को तो बन्द ही करना पड़ेगा और यह स्थिति आ जाएगी कि आन्दोलन होते ही उच्च न्यायालय को रोक दें। यदि आपको सचिवालय को सुरक्षित रखना था तो क्यों नहीं पहले प्रसारित किया गया कि क्या रूट होगा? इस प्रकार की कल कोई आवश्यकता भी नहीं थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस मामले को गम्भीरता से ले। यह एक तरीके से न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है। सरकार गम्भीर हो

(श्री जगदीप धनखड़)

और भविष्य में जब भी इस प्रकार की स्थिति हो, पूर्व प्रसारित करें जैसे कई अन्य शहरों में होता है । दिल्ली में ऐसी स्थिति होती है, लखनऊ में होती है, प्रसारित करते हैं कि आज यह है । इस प्रकार की व्यवस्था कर आप अपने रूट को इधर-उधर रखिये ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें । सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा 295.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : शून्यकाल में मेरा बहुत अहम मामला है, मैंने चिट दी है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले के अन्दर.... (व्यवधान)

श्रीमती शशी दत्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत इम्पोर्टेन्ट.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें पहले । कृपया एक मिनट बिराजें । आप बैठिये न, मैं जवाब दे रहा हूं कि चिट सिस्टम जो है, 11 बजे तक जो चिट आ जाती हैं उनको मैं बुलवा देता हूं । मैंने कल भी यह व्यवस्था दी थी । 11 बजे के बाद कोई चिट आएगी तो उसको मैं नहीं बुलवा पाऊंगा । (व्यवधान) मैंने आपका नाम पुकारा, आप एबसेन्ट थे । (व्यवधान) चलिए, बोलिए आप ।

श्री हीरालाल विश्नोई : कानून व्यवस्था को लेकर मेरा बहुत अहम् प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : न, न, कोई अहम् नहीं है । सदन की व्यवस्था चलानी है, सदन को चलाना है ।

श्री हीरालाल विश्नोई : कानून व्यवस्था.....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा । मेरी व्यवस्था के खिलाफ आप बोलना चाहते हैं । आप बैठिये, माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल विश्नोई : × × ×

श्री रतनलाल ताम्बी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रतनलाल ताम्बी । श्री हीरालाल इन्दौरा, 295,.... (व्यवधान)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सीमावर्ती क्षेत्र की मण्डियों के दुकानदारों को मुफ्त पट्टों का आवंटन

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार का ध्यान सीमावर्ती क्षेत्र में बसी छोटी मण्डियों में किराया पद्धति के अन्तर्गत आवंटित दुकानदारों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि उनकी दुकानों को उन्हें स्थायी रूप से आवंटित कर उन्हें मुफ्त पट्टे प्रदान किये जाएं । वैसे भी इन दुकानदारों द्वारा चुकाया गया किराया इनकी कीमत से काफी अधिक है ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

सीमावर्ती क्षेत्र की मण्डियों में बसे ये छोटे दुकानदार जोखिम भरी परिस्थितियों में भी रह कर व्यवसाय करते हैं, इन्हें लाभ कम प्राप्त है। इन दुकानदारों के कारण वहां वांछित सामान आसानी से मिल जाता है। इन दुकानदारों में मण्डियों को छोड़कर नगरों की ओर या दूसरी मण्डियों में जाने की प्रवृत्ति पैदा न हो, ये अपना व्यवसाय जारी रख सकें इसलिए सरकार को दुकानों के पट्टे मुफ्त प्रदान करने चाहिए।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक लेखा विवरण

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी, ऊर्जा मंत्री, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण 1995-96 एवं 1996-97 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण 1995-96 एवं वार्षिक लेखा विवरण 1996-97 सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

सदन की मेज पर रखे गये वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर अण्डर रूल 126,

श्री उपाध्यक्ष : रूल 126.

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपने संचालन के लिए नियम बना रखे हैं लेकिन दुःख और आक्रोश का विषय यह है कि हम स्वयं भी कई नियमों की पालना नहीं करते हैं। नियम तीन की पालना नहीं होती, 269 से 274 के बीच में कई नियमों की पालना नहीं होती और इस 126 रूल की तो हम पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं। मैं आपको इसमें से कोट करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, 126 में स्पष्ट दिया हुआ है कि "In any session or sessions of the House, the House shall discuss every year such of the following reports etc. as have been laid on the Table of the House, on the recommendation of the Business Advisory Committee, namely :-..." इसमें आर. पी. एस. सी. की रिपोर्ट, एस. सी. एस. टी. कमीशन की रिपोर्ट, लोकायुक्त की रिपोर्ट और यह इम्पॉर्टेंट कार्पोरेशन हैं हमारे राजस्थान के, उनकी रिपोर्ट के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के आर. एस. ई. बी. से सम्बन्धित हमारे माननीय नये प्रतिभावान, निष्ठावान और ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री ने यह रिपोर्ट यहां प्रस्तुत की है। अब राजस्थान के लिए आप स्वयं सहमत होंगे कि ऊर्जा कितना महत्वपूर्ण विषय है, पूरे साल में हमने किसी भी रिपोर्ट के ऊपर यहां डिस्कस नहीं किया। यहां पर आज आर एस.ई.बी. की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है जिसके ऊपर ऊर्जा के ऊपर हमारा राजस्थान का भविष्य निर्भर करता है और पूरे बजट सैशन में हम उसके ऊपर कुछ भी चर्चा नहीं करें ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य, मैं समझ गया।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक मैंडेटरी प्रोवीजन है, मैंडेटरी क्लाज है "शेल डिस्कस"। बिजनस एडवाइजरी कमेटी, उपाध्यक्ष महोदय, इन नियमों से ऊपर नहीं है। और इसमें "शैल" का प्रोवीजन है। बिजनस एडवाइजरी कमेटी सिर्फ यह तय करेगी कि कब कौन-कौन-सी रिपोर्ट जो भी टेबल की गयी हैं उनको डिस्कस किया जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि यहां पर जब भी सम्भव हो आर एस.ई.बी. की रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन किया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : जब भी समय की बात नहीं है, राजस्थान का भविष्य ऊर्जा के ऊपर आधारित है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, इसी सत्र में बहस हो। कृषि नीति को भारी परिवर्तन कर दिया, 9 हजार की जगह 12 हजार रुपये प्रति पोल आपने कर दिया। आपने नर्सरी घोषणा हाउस के बाहर की। आपको हाउस में करने में एतराज क्या था? जो भी आप घोषणाएं करें, किसानों को रियायत दें उनकी घोषणा, मंत्रीजी आप हाउस में करिये। आप हाउस से बाहर जाकर कर रहे हैं। आपको यहां कहने में क्या हो गया है? आप स्टेटमेंट दीजिये अपना। हमने एडजोर्नमेंट मोशन लगा रखे हैं। किसानों को 9 हजार की जगह 12 हजार प्रति पोल की रेट कैसे कर दी आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप। बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : जो घटना ग्यारह बजे बाद घटित हो और उसकी सूचना मिले, ऐसी गम्भीर घटना के बारे में निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये, माननीय सदस्य। विद्युत मंत्रीजी कुछ निवेदन कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी। रिपोर्ट पर यहां विचार-विमर्श के लिए सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग मे आप जिस प्रकार तय करेंगे हमने रख दी है उस पर विचार करना चाहें तो कर लें। दूसरा सवाल यह कि मैं स्वयं भी आपकी इजाजत जब भी होगी, जैसा माननीय परसादीलालजी ने कहा, किसानों के बारे में और बिजली के बारे में कुछ वक्तव्य देना चाहूंगा। आप जब भी समय तय करेंगे मैं हाउस में अपना वक्तव्य दूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने कुछ रियायत दी है, हाउस के बाहर जाकर दी है।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये आप। बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : किसानों का मामला है। बाइपास किया है हाउस को।

श्री राजेन्द्र पारीक : हाउस को बाइपास नहीं कर सकते ।

श्री परसादीलाल मीणा : आप हाउस में करिये ना ।....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जो भी आपको घोषणा करनी है, मंत्री महोदय, यहां हाउस में करिये । यह हाउस की गरिमा का प्रश्न है ।....(व्यवधान)....मंत्री महोदय, आप हाउस की गरिमा बनाये रखें ।.... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्णतया सहमत हूं कि सदन के चलते समय जो भी रियायत दी जाए या जो भी महत्वपूर्ण घोषणा हो वह सदन में की जाए । लेकिन मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि यह जो नर्सरी का दो साल का नियम लागू हुआ है, हमने घोषणा की, जिन्होंने नर्सरी में कनेक्शन लिया, मैं इस बात को मानने के लिए कतई भी तैयार नहीं हूं कि एक किसान से एक रेट लेंगे, दूसरी रेट लेंगे । लेकिन जो उन्होंने प्रायोरिटी जम्प लिया है उसके बाद भी हमने तय किया है कि दो साल....

श्रीमती कमला : पहले तो लूट लिया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं लूटा, बिलकुल नहीं लूटा । वह भी बहस होगी तो बता दूंगा ।

श्री राजेन्द्र पारीक : चुनाव नजदीक आ रहे हैं जब सारी घोषणाएं याद आ रही हैं आपको ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने लुटवाया है, आपने ।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह सदन की अवमानना है । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : हम जहां छोड़ गये थे वापस वहीं जाकर खड़े हो जाओ तो पता लगेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया माननीय सदस्य श्री पारीक साहब, विद्युत मंत्रीजी को आप पहले सुनें । पारीक साहब, सुनें तो सही ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे शपथ ग्रहण करने के चार-पांच रोज बाद सदन आहूत हुआ, प्रारम्भ हुआ । मैं नहीं चाहता था कि चार-पांच दिन भी किसानों का विलम्ब हो इसलिए शपथ के तुरन्त बाद मैंने इसको कर दिया कि इसको चालू कर दिया जाए । इस सदन को बाइपास करने का कोई नहीं है, अब जो....

श्री परसादीलाल मीणा : उनका क्या कर रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह आप बता दें । मंत्री महोदय, आप बिराजें । (व्यवधान) कृपया आप बिराजें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब मैं जो भी घोषणा करूंगा सदन में करूंगा । (व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

याचिका समिति का 9 वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपीराम जाट, सभापति, याचिका समिति 1998-99 याचिका समिति का नवां प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे ।

श्री गोपीराम जाट (सभापति, याचिका समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का नवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 1998-99 का पंचम प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगी ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सभापति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1991-93 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 1998-99 का पंचम प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूं ।

याचिका का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे ।

सीकर-नवलगढ़ रोड रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज निर्माण बाबत

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीकर-नवलगढ़ रोड रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज निर्माण बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री भरतसिंह, श्री शैलेन्द्र जोशी, श्रीमती इंदिरा मायाराम, श्री राजेन्द्र पारीक, श्री श्रवण कुमार, श्री खेतसिंह राठौड़, श्री भीमराज भाटी एवं श्री जगतार सिंह सदस्य, विधान सभा राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में उप मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

एक माननीय सदस्य कर दें ध्यान आकर्षित ।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सम्पूर्ण राजस्थान के हित का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये । आप बैठिये, मैं चर्चा करा रहा हूं ।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : उपाध्यक्षजी, राज्य सरकार ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आदेश पारित करके....

श्री उपाध्यक्ष : आप ध्यान आकर्षित कर दीजिये । बोल दीजिये आप ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि बेरोजगारों के लिए 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष उम्र की है और जिससे बेरोजगारी प्रभावित

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

हुई है उसके बारे में मैं ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने दिनांक 27 जून, 1998 को आदेश जारी कर राज्य कर्मचारियों की अधिवार्षिकी की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष की है।

नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु अगले दो वर्ष के लिए अर्थात् 26-6-2000 तक के लिए 33 से बढ़ाकर 35 व महिला प्रत्याशियों के लिए 40 से बढ़ाकर 42 वर्ष की है। साथ ही यह भी निर्णय लिया है कि किसी भी राज्य कर्मचारी को 60 वर्ष के पश्चात् सेवा में अभिवृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा।

ऐसे राज्य कर्मचारी जिनकी निष्ठा में संदेह है अथवा उनका कार्य संतोषजनक नहीं है उन्हें 25 वर्ष की सेवा के पश्चात् अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने या जो भी पहले हो, सेवानिवृत्ति किया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्णय पंचायत समितियों, जिला परिषदों एवं कार्यप्रभारी कर्मचारियों पर भी लागू किये गये हैं।

राज्य सरकार ने अधिवार्षिकी की आयु बढ़ाने का निर्णय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर लिया है :—

1. राज्य सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की केन्द्र सरकार द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते इत्यादि संशोधित किये। केन्द्र सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की है। अतः राज्य सरकार द्वारा भी सेवानिवृत्ति की आयु तदनुसार बढ़ायी गयी है।

2. अन्य राज्य सरकारों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं पश्चिमी बंगाल ने भी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष की है।

3. राज्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनकी संख्या लगभग एक लाख है एवं विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों आदि की अधिवार्षिकी की आयु पहले से ही 60 वर्ष है।

4. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की अधिवार्षिकी की आयु 60 वर्ष किया जाना।

5. उच्चतर न्यायिक सेवा एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में 60 वर्ष होना।

6. संभावित जीवन काल में वृद्धि, दुनिया के अन्य देशों में भी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाये जाने का क्रम, राज्य सेवा में देरी से नियुक्ति के कारण अधिकांश व्यक्तियों की पेंशन योग्य पूरी सेवा का नहीं होना।

7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी, को तृतीय श्रेणी में पदोन्नत किये जाने पर, जिसकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होने के

(श्री अनंग कुमार जैन)

कारण पदोन्नति स्वीकार करने से मना करना।

8. शादी विवाह उच्च उम्र में होने के कारण सेवानिवृत्ति की आयु तक कर्मचारी के सामाजिक दायित्वों का पूर्ण नहीं होना।

9. सेवानिवृत्ति आयु में बढ़ोतरी से पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के कारण राजस्व व्यय में जो वृद्धि हुई है उसके कारण होने वाले राजस्व खाते के घाटे में अंतरिम राहत देना व राजकोष में बचत।

माननीय सदस्यों की यह आशंका कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के कारण बेरोजगारी की समस्या और गंभीर रूप धारण करेगी, सही नहीं है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु में बढ़ोतरी के साथ-साथ सेवा में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में भी सभी वर्गों के लिये बढ़ोतरी दो वर्ष के लिये की है।

इसके अतिरिक्त शासन द्वारा समस्त रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी। रिक्त पदों को शीघ्र भरने के कारण अगले दो वर्षों में सेवानिवृत्ति की आयु में बढ़ोतरी के कारण रोजगार के अवसरों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु तो पहले भी 60 वर्ष ही थी। अतः इस श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में रोजगार के अवसरों पर वैसे भी कोई प्रभाव नहीं होगा। शेष पदों के सम्बन्ध में रिक्तियों पर शीघ्र नियुक्ति के कारण रोजगार के अवसर प्रभावित नहीं होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरत सिंह।

श्री भरतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने विस्तार से अपना उत्तर दिया है मगर जिस बात को लेकर सरकार का ध्यान दिलाया था, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर एक बार सदन में चर्चा कर लेनी चाहिये थी। चर्चा नहीं की उस पर भी अभी आपने उत्तर दिया है।

इस प्रदेश में युवकों के साथ अत्याचार हुआ है क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार युवक हैं। अभी हाल ही में जिला परिषदों में भर्ती हुई, आर. ए सी. में भर्ती होती है, पुलिस में जहां भर्ती होती है वहां एक छोटा-मोटा मेला लग जाता है। इतना व्यापक असंतोष युवकों में बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से जो उम्र बढ़ायी है उससे युवकों के अन्दर व्यापक असंतोष और बढ़ा है। आज सरकार ही एक सबसे बड़ी एजेंसी हो गयी है जहां पर लोग-बाग आते हैं कि हमको नौकरी मिलेगी।

उद्योग की दृष्टि से मैं जिस संभाग से आता हूं, कोटा के अन्दर मैं आपको बताता हूं कि उद्योग की हालत यह हो गयी कि मोडर्नाइजेशन के बाद उनमें भर्तियां लगभग बंद हैं। ठेकेदारों के माध्यम से बड़े-बड़े उद्योग काम करवाते हैं और कहीं भी लोगों को किसी प्रकार की मजदूरी नहीं मिलती है। मैं तो इस पक्ष में हूं कि उम्र बढ़ाने के बजाय आपको उम्र दो साल और घटानी चाहिये। युवकों की भर्ती की उम्र जो बढ़ा रहे हैं, तीस से आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी

(श्री भरतसिंह)

बहुत ही एफिशियेंसी का यह पीरियड था जितनी कम उम्र में लोग-बाग काम में लगेंगे उतनी ही उनकी एफीशियेंसी रहेगी। मेरी भावना यह है कि सरकार पुनर्विचार करे और उम्र को बढ़ाने के बजाय दो वर्ष कम किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी। यह आपके हाथ में क्या हो गया, रामस्वरूपजी ?

श्री रामस्वरूप मीणा : आज्ञा मांग रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह असंसदीय है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की उम्र 58 से 60 किये जाने के दुष्परिणाम निकलेंगे। इससे 19 लाख शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार के जो अवसर हैं वे दो साल और दो साल से ज्यादा वर्षों के लिये आगे धकेल दिये जाएंगे। यही नहीं, श्रीमान्, इसके कारण युवक-युवतियों में जो रोजगार के इच्छुक हैं, बड़ी निराशा हुई है।

आज पूरे देश में युवकों को न केवल मताधिकार 21 से घटा कर 18 वर्ष किया गया है बल्कि जो 25 साल उम्मीदवार की आयु है उसमें भी 21 साल किये जाने की ओर पूरे भारत में जनमत दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में पूरे भारत के युवक-युवतियों की जो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं उसके घोर प्रतिकूल जाकर राजस्थान सरकार ने 58 से 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इससे बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही।

इसके अलावा मेरा यह निवेदन है कि यदि राज्य सरकार अभी 58 से 60 नहीं करती तो इसके परिणामस्वरूप तीन लाख कर्मचारी जो 1962 तक सर्विस में थे, वे सब रिटायर होते और 237 करोड़ का रिटायरमेंट बेनिफिट राजस्थान गवर्नमेंट को अदा करना पड़ता।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था नहीं की। श्रीमान्, मैं निवेदन करूं महाराष्ट्र में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष : क्या परम्परा डाल रहे हैं आप ? मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया। सुनिये आप। पहले आप समझने की कोशिश कीजिये। मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया। उसमें कोई कमी हो तो एक-दो बात पूछ लें। बात खतम करिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं सवाल पूछ रहा हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : अब सवाल पूछेंगे, अब तक क्या कर रहे थे आप ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं यथार्थपरक या रियलिस्टिक बोल रहा हूं। चित्तौड़गढ़ में अभी इंटरव्यू हुआ बीस पोस्ट के लिये, लाठीचार्ज हुआ। साढ़े पांच हजार आवेदन आ गये। आज बेरोजगारी की समस्या इस तरह हमारे प्रान्त में मुखरित हो रही है ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का यह निर्णय लेना पूरी जनरेशन के खिलाफ है, स्टूडेंट के

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

खिलाफ है, यूथ के खिलाफ है, बेरोजगार युवकों और आंशिक रोजगार के भी खिलाफ है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें-बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आज अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, ग्रामीण, एजुकेटेड मास, सब इससे अफैक्टेड है। मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार इस पर पुनर्विचार करे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, अन्य प्रान्त जैसे महाराष्ट्र सरकार दे रही है, उसी तरह दे जिससे कि समय रहते बेरोजगारों में यह....

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान में आत्मदाह जो एक बढ़ती हुई एक नयी लोगों में तमन्ना आ गयी है, इसको निराशा में नहीं बदलें....

श्री उपाध्यक्ष : यह न तमन्ना है, न शौक है, माननीय सदस्य। आत्मदाह न तमन्ना होती है, न शौक होता है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस सरकार ने आत्मदाह की शुरूआत करवायी है और इसका अनुसरण बेरोजगार युवक-युवती कर रहे हैं इसलिये इसको 60 की जगह आप 58 वर्ष करें, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक अति महत्वपूर्ण फैसला बिलकुल जल्दबाजी में लिया। यह तो बात जग जाहिर है कि आज जिस तरह से भारत में जनसंख्या बढ़ी है उसी अनुपात में युवाओं में बेरोजगारी और बढ़ी है। हर वर्ष करीब 15-16 हजार व्यक्ति रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के बाद उतने ही दूसरे युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट ने काफी समय से करीब-करीब हर विभाग में एक ऐसी पाबंदी लगा रखी है कि जो व्यक्ति रिटायर हो गया उसकी जगह दूसरे को अपाइंटमेंट नहीं देना है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को रोजगार मिलता है। गवर्नमेंट ने यह कह कर इसकी उपयोगिता और औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की है कि हम दो वर्ष बढ़ाकर बुजुर्ग लोग जो अब सर्विस में हैं उनकी योग्यता का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी इस बात को समझते हैं कि आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका आई. क्यू., उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। जो युवा डायरेक्ट भर्ती होकर आ रहा है उस युवा में एक एनर्जी है, वह अपनी योग्यता का ज्यादा प्रभावी ढंग से उस डिपार्टमेंट में रहकर सदुपयोग करता। बजाय उसके आपने औचित्य सिद्ध करने की कोशिश की कि इनकी योग्यता ज्यादा है, ये 50 साल से वहां पर काम कर रहे हैं। 50 साल तक आदमी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाया, वह अचानक दो वर्ष के लिये अपनी योग्यता सिद्ध कर देगा? इन्होंने आल्टरनेटिवली व्यवस्था यह की कि दो वर्ष इधर बढ़ाये हैं तो दो वर्ष की इन्होंने सुविधा यह दे दी कि आयु सीमा में 33 की बजाय 35 की सीमा रख दी।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

उपाध्यक्ष महोदय, यह दो वर्ष की जो कुंठा है यह युवाओं में एक ग्रंथि पैदा कर देगी। आज मैं आपको निवेदन करूं, जितने भी ठेकेदार आपके शराब माफिया होते हों या कोई से भी माफिया हों, इन सबने जितने भी बेरोजगार युवा हैं जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं उनको यह लालच देकर कि हम तुमको रोजगार उपलब्ध कराएंगे, उनको अपने रोजगार में सम्मिलित कर लिया। इससे आज न केवल ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरी क्षेत्रों में जितने भी युवा थे वे रोजगार के अभाव में इन ठेकेदारों के चंगुल में फंस गये और सारी नैतिकता भूल गये। दो वर्ष बाद में जब आप उसके लिए यह उम्मीद करेंगे कि वह किसी अच्छे रोजगार में जाएगा....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : तब तक तो वह अपना नैतिक पतन कर चुका होगा और पूरी तरह से ग्रसित हो चुका होगा। मेरा स्पष्ट निवेदन इतना-सा ही है कि राज्य सरकार द्वारा केवल अपनी कंगाली को छिपाने के लिये, अपनी जो माली हालत थी उसे छुपाने के लिये एक षड्यन्त्रपूर्वक यह जो फैसला किया गया है, उस पर पुनर्विचार करें और युवकों की भावनाओं को समझें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यही सरकार से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवण कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री खेतसिंह राठौड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला तो यह है कि यह आपने 58 से 60 की, इससे आपको फाइनेंशल कितना लाभ पहुंचा है कि जिसकी वजह से आपको यह करना पड़ा? दूसरा, क्या आप यह महसूस करते हैं कि 58 से 60 करने से उन अफसरों की, उन अधिकारियों की, उन कर्मचारियों की एफीशिएन्सी बढ़ेगी? समझ तो गये ना आप? तीसरा मेरा यह निवेदन है.....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : समझ गया। आपकी एफीशिएन्सी बढ़ी है कि घटी है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरी एफीशिएन्सी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं गवर्नमेंट सर्वेन्ट की बात कर रहा हूं। मेरी एफीशिएन्सी घटी है, मैं इस बात को मानता हूं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बढ़ी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं बढ़ी है। आप देखिये, फिजिकली घटी है, मैन्टली थोड़ी बहुत बढ़ सकती है लेकिन आप गवर्नमेंट सर्वेन्ट से काम लेना चाहते हैं और काम लेने वाले व्यक्ति के अंदर ज्यों ही 58 से 60 होती है, बुढ़ापा आता है। उसमें व्याधि आती है, काम करने की वह शक्ति नहीं रहती और वह उतना काम कर भी नहीं सकता है। इसलिए आपने यह काम करके अच्छा काम नहीं किया।

दूसरा, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता भरतसिंह जी ने आपसे कहा है इतनी बेरोजगारी बढ़ी है, बढ़ी है सो तो बढ़ी है वह आपसे

(श्री खेतसिंह राठौड़)

घटनी नहीं है लेकिन बेरोजगारों के अंदर और पढ़े-लिखे बेरोजगारों के अंदर यह भावना बहुत ज्यादा बैठी है कि यह सरकार युवाओं के विरुद्ध है, यह उनको एम्प्लायमेंट नहीं देना चाहती है और इसलिए उन्होंने जानबूझकर क्योंकि इनके बजट में घाटा था उस घाटे की पूर्ति के लिये यह घूंट पीया है। स्वयं भी नहीं चाहते हुए ऐसा करना पड़ा, यह एक मान्यता है।

एक आपके एंम्प्लाई का गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हुए स्वर्गवास हो जाता है तो उसके बच्चों को नौकरी दी जाती है, आपने उस पर भी अभी पाबंदी लगा दी है। हमारी कांस्टीट्यूएन्सी का एक केस है जो रैफर हुआ है आपके यहां सैक्रेटेरिएट में।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आप भिजवा देना, जल्दी करवा देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : करवा देंगे ? अच्छा।

श्री उपाध्यक्ष : पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं बता रहे हैं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : विभाग ने एक सर्कुलर भेजा है कि इस तरह के मामलों पर तुरंत निर्णय किया जाए। सबको नौकरी दी जाए जो मृतक कर्मचारी हैं उनके आश्रितों को.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य। श्री भीमसेन जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने फोर्थ क्लास सर्वेन्ट की नियुक्ति पर पाबंदी लगा दी है, यह आपने अच्छा काम नहीं किया। फोर्थ क्लास सर्वेन्ट की कई जगह बड़ी मांग है, उनकी नियुक्ति आपको करनी चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् सचेतक महोदय भली-भांति परिचित हैं कि 131 के तहत केवल कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ही पूछे हैं उन्होंने, प्रश्न ही पूछे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, प्रश्न नहीं पूछे हैं। आप कहें तो मैं व्यवस्था पढ़कर सुनाऊं। उन्हें परसराम मदेरणा जी ने....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाएं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : .... खुद हैं। पर लंबा-चौड़ा भाषण कर रहे हैं। यह ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, कोई कुछ नहीं बताया है। आप बैठिये, बार-बार नहीं। बिराजिये। आपको कुछ याद आ जाए तो वह लास्ट में कह दीजिये। बीच में नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या आपने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में होने की वजह से यह कार्य किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो इसमें एक ही निवेदन है

(श्री भीमराज भाटी)

कि जो आदमी 58 साल से राजकीय सेवा में है वह आदमी राजकीय सेवा में रहते-रहते कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरते-गुजरते खुद इतना रंग जाता है कि फिर उसकी सारी हिम्मत, सारा कलेजा खुल जाता है। जबकि जो नया ब्लड आपका आएगा, जो नौजवान लोगों को आप अभी राजकीय सेवाओं में लेंगे, कम से कम उनमें भय होगा, उनको भ्रष्टाचार की तरफ हाथ करने की कोई हिम्मत भी नहीं होगी। अगर यह चेंज आफ गार्ड होता है, 58 साल के लोगों को आप दो साल कंटीन्यू करने देंगे तो इससे एक भ्रष्टाचार की तरफ भी आप बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि राज्य सरकार का यह है कि हम तो भ्रष्टाचार बिलकुल ही खत्म करना चाहते हैं। यंग ब्लड होगा उसमें डर भी कम होगा, उसमें जोश भी ज्यादा होगा आप्टीमम एफीशियेन्सी। किसी भी राजकीय कर्मचारी, किसी भी आदमी की उम्र में एफीशियेन्सी एक सरटेन एज के बाद नीचे आनी चालू हो जाती है जबकि युवा आदमी में, नये आदमी में एक उमंग होती है, काम करने की प्रवृत्ति होती है, सेवा करने की प्रवृत्ति होती है। इस मौके पर आपके माध्यम से यही राज्य सरकार से निवेदन है कि क्यों न राज्य सरकार इस आदेश को निरस्त कर दे। छोटी-मोटी फाइनेंशियल कमिटमेंट या फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को नहीं सहन करने की स्थिति है तो अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी से मुक्त होकर करेजियस स्टैप क्यों नहीं उठाती है? धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। माननीय मंत्री महोदय.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह जो आपने स्थिति खड़ी की है, आपने इमरजेंसी के दौरान जब यह व्यवस्था लागू की गयी थी तब बड़ा विरोध किया था कि उनको कंपलसरी रिटायरमेंट केवल षड्यंत्रपूर्वक दिया जा रहा है। अब आपने यह व्यवस्था कर दी कि जिनकी संदिग्ध अवस्था है उनको हम कंपलसरी रिटायरमेंट दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह दोहरी नीति आप क्यों अपना रहे हैं?

श्री रामस्वरूप मीणा : पुलिस और ड्राइवर......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं है। मैं नहीं बुला पाऊंगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय सदस्यों ने....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य। नो, नो, नाम नहीं है। कहां....

श्री श्रवण कुमार : नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : कहां है? अच्छा-अच्छा, जगतार सिंह जी, श्रवण कुमार जी।

एक माननीय सदस्य : उपस्थित नहीं थे। आपने जब आवाज.... (व्यवधान) वे उपस्थित नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, आपका नाम है। मैं बता रहा हूं आपको।

श्री श्रवण कुमार : इसलिए तो कह रहे हैं कि 60 साल के बाद में मामला गड़बड़ हो जाता है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रवण कुमार जी, मैंने आपको एबसेन्ट कर दिया। मैंने आपको एबसेन्ट मार्क कर दिया, आप थे ही नहीं। आप उस समय नहीं थे। (व्यवधान) श्रीमान् रामस्वरूप जी, आपका क्या इलाज किया जाए, यह सदन को विचार करना चाहिए। श्रवण कुमारजी ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह जो राजस्थान के लिए 60 वर्ष का + + + बनाया है इसके मैं खिलाफ हूं। इससे बड़ा युवाओं के साथ कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। आज राजस्थान का युवा दर-दर की ठोकरें खा रहा है, बेरोजगार घूम रहा है और आपने 60 साल के आदमी को जिसकी काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, रिन्यू किया है। इससे बड़ा देश के लिए और दुर्भाग्य हो नहीं सकता। आपने जो मृतक कर्मचारियों की विधवाएं हैं जिसका जीता-जागता उदाहरण मैं हमारे झुन्झुनूं जिले में बता सकता हूं, फोर्थ क्लाश के अन्दर उनका अपाइंटमेंट करने के लिए सरकार कहती है कि हमने चपरासी की पोस्ट खतम कर दी।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह अलग से सवाल है, यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : यही वित्त का तो मामला होगा। अब आपके पास 60 वर्ष के आदमी को नौकरी देने के लिए सुविधा होगी....

श्री उपाध्यक्ष : 58 से 60 का मामला है।

श्री श्रवण कुमार : मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि आप एक तरफ तो 60 साल के आदमी को नौकरी पर चाहते हो और दूसरी तरफ जो आदमी मर गए उनकी विधवाओं और आश्रितों को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास वित्तीय व्यवस्था नहीं है। आप अन्य नई-नई योजनाएं तैयार कर रहे हो यह युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हो। यह बहुत बड़ी दयनीय बात है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 60 वर्ष का जो कानून बनाया है उसको तत्काल खतम करें और युवाओं को मौका दें जिससे राजस्थान की मान और मर्यादा जिंदा रहे, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। उप मुख्य मंत्री महोदय।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक देश में बेकारी का प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बेकारी बढ़ रही है और बेकारी को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय राज्य सरकार की ओर से हो रहे हैं। शायद आपको यह भी पता होगा कि बेकारी जिस अनुपात में बढ़ रही है उस अनुपात में राजकीय सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं। पूरे भारत वर्ष में तीन से चार करोड़ ऑफिस हैं और दस करोड़ तक बेकारी की संख्या बतायी जाती

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

(13.50)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

है। जबकि राज्य कर्मचारी पूरे देश में डेढ़ करोड़ ही हैं। ऐसी स्थिति में यह अपेक्षा करना कि बेकारी की समस्या का समाधान केवल राज्य सेवा से हो जाएगा, यह उचित नहीं होगा। बेकारी दूर करने के लिए हमें अनेक उपाय करने होंगे। जहां तक इस वर्ष 60 साल की उम्र करने का प्रश्न है, सन् 1984 में रिटायरमेंट की एज 55 साल थी परन्तु तत्कालीन सरकार ने उसको 55 साल से बढ़ाकर 58 साल किया। इसी प्रकार से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 58 साल से बढ़ाकर 60 साल किया।

मान्यवर, 60 साल उम्र करने के पीछे जो आधार हैं उनको मैं फिर से पढ़कर सुना देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि सन् 1988 में तत्कालीन सरकार ने कर्मचारियों से एग्रीमेंट किया था और यह कमिटमेंट किया था कि केन्द्रीय वेतनमान और वेतन आयोग की सिफारिशों को हम लागू करेंगे। इसलिए हम बाध्य हैं कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें हम राजस्थान में लागू करें। यह 1988 में एग्रीमेंट हुआ था इसलिए हम कमिटेड हैं। पांचवें वेतन आयोग ने उम्र को बढ़ाने की सिफारिश की है, इसके अनुसार केन्द्र ने भी उम्र बढ़ायी है। अब चूंकि हम बाध्य हैं 1988 के समझौते के अनुसार, इसलिए हमको भी यह उम्र बढ़ाना लाजमी हो गया है। परन्तु राज्य सरकार ने, नवयुवकों को नौकरी का अवसर न गंवाना पड़े इसलिए उनकी उम्र भी दो साल बढ़ा दी ताकि उनको नौकरी प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध रहे।

मान्यवर, आप सब जानते हैं कि हमारे देश में औसत आयु बढ़ गई है। आपको शायद ध्यान होगा कि औसत आयु पिछली बार जब इसकी जांच की गयी थी तो 53 साल थी जो अब बढ़कर मेरे ख्याल से 60 साल पहुंच गई। इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, अधिक उम्र तक व्यक्ति जिन्दा रहता है। ऐसी हालत में राज्य कर्मचारी जिसकी भर्ती की उम्र अभी 35 साल है, 35 साल में जो भर्ती होता है वह 58 साल के अन्दर इतनी सेवा भी पूरा नहीं कर सकता कि उसको पेंशन प्राप्त हो सके। यह सबसे बड़ा घाटा है। और 58 साल में रिटायर होने के बाद चूंकि शादियां भी बहुत देर से होती हैं इसलिए बच्चे भी छोटे-छोटे होते हैं और 58 साल की उम्र में रिटायर होकर न वह अपने बच्चों की शादियां कर सकता है और न उनका परिपालन कर सकता है। फिर उसको लम्बा जीना है, कम से कम 75 साल तक। ये सारी बातें कर्मचारियों और जनता के ही हित में हैं। जो बेकार आयंदा गवर्नमेंट सर्विस में आने वाले हैं, उनके भी हित में है यह बात, तो यह लाइफ एक्सपेक्टेंसी का सवाल है।

दूसरी बात यह है कि यह केवल हमने ही किया है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के लगभग सभी देशों में, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, फिलीपिंस हो, वहां 65 और और 60 वर्ष की उम्र है। (व्यवधान) आप पाकिस्तान का अनुसरण करिए, मुझे खुशी होगी। चले जाइए पाकिस्तान। दूसरी

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

बात यह है कि हमारे यहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु पहले से ही 60 वर्ष है। अब हालत यह हो गई है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रमोशन मिलेगा तो जो 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाला है वह 58 साल में होगा। यह बहुत भारी विसंगति है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर रहते हुए तो 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा और जैसे ही वह क्लर्क बनेगा उसको 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। इसके अलावा केन्द्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल हो गई तो एक ही सरकार में तीन तरह की बातें होंगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 वर्ष में, फिर 58 वर्ष में और आई. ए. एस. 60 वर्ष में सेवा-निवृत्त होगा। इसलिए इन सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए और हमारा जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमें करना लाजमी था।

माननीय खेतसिंहजी ने कहा कि इससे कितना लाभ होगा हमको। लाभ कुछ नहीं होगा। दो साल बाद देना है हमको पैसा। यह जरूर है कि इस वर्ष हम उनका पेमेंट नहीं कर पाएंगे जो करीब 300 करोड़ रुपये होगा। यह मैं अपने बजट भाषण में भी कह चुका हूं लेकिन यह हमको देना पड़ेगा, यह तो एकुमुलेट है कि कोई हमारे घर में रहने वाला नहीं, देना ही पड़ेगा हमें। (व्यवधान) मुझे खुशी होगी कि आप हमारे साथ आकर मंत्रिमण्डल में बैठेंगे इसलिए आपको देना पड़ेगा। हम आपको जरूर शामिल करेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : हमारे मुख्य मंत्रीजी के आप उप मुख्य मंत्री होंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मान्यवर, जहां तक यह सवाल उठाया गया कि 13 हजार कर्मचारी प्रति वर्ष रिटायर होंगे, इस बार हमने 60 साल की उम्र करने के कारण यह भी निर्णय किया है कि इस वर्ष जितने भी पद रिक्त होंगे, जो अब तक भरे नहीं गये थे, उनको हम त्वरित गति से भरेंगे ताकि अधिक से अधिक बेकार लोगों को अवसर उसमें मिल सके। सभी विभागों में उनकी भर्ती करेंगे ताकि ये जो 13 हजार का रिटायर न होने का कुछ खामियाजा उससे पूरा हो जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, बेकारी को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हम उद्योगों का भी प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। बल्कि उद्योग विभाग में हमने त्वरित गति से भर्ती की योजना चालू की है, जहां उद्योगपतियों को बुलाकर, उनके यहां कितनी वैकेंसीज हैं, उनकी लिस्ट लेकर इस तरह के कैम्प पिछले वर्ष हमने भीलवाड़ा, भिवाड़ी आबू रोड, आपके जयपुर में कई जगह लगाए हैं जिनमें लगभग 15–20 हजार लोगों को तुरन्त उसी दिन एम्प्लायमेंट मिल गया। इसको हम चालू रखना चाहते हैं अगली साल फिर प्रत्येक जिले में। वैसे आपने अभी सारे विभागों में देखा होगा कि अलग-अलग विभागों में अलग-अलग एम्प्लायमेंट जनरेट करने के लिए जितनी भी व्यवस्था की जा सकती है, वह व्यवस्था करेंगे। निश्चित रूप से इस बेकारी की समस्या को दूर करने में जो चिन्ता आपने दिखाई है, मैं भी उससे चिंतित हूं और हमारे नौजवानों को जल्दी से जल्दी काम

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

मिले इसके लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी।

श्री श्रवण कुमार : मैं एक बात कहूंगा कि आप कह रहे हैं कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे....(व्यवधान)....13 हजार आदमी तो रिटायर हो गए, नगरपालिकाओं में बेरोजगार कर दिया, 20 हजार आदमी बेरोजगार हो गए राजस्थान में, 13 और 7 20 की संख्या हो गई आपके तो....

श्री सभापति : चर्चा समाप्त । श्री कालूलाल गूजर ।

भीलवाड़ा नगर परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : माननीय सभापति महोदया, मैं भीलवाड़ा नगर परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, आपने जो ध्यान आकर्षित किया है और जिस प्रकार की अनियमितताओं का आपने वर्णन किया है, उसकी जांच हमने करवाई है और आपके अधिकांश आरोप सत्य हैं। आपने जो तथ्य बताए हैं....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : यह तो तय करो, माननीय मंत्री महोदय, कि कल को आप उधर से इधर आ जाओ तो परेशानी न खड़ी हो जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : आपने जो तथ्य दिए हैं उसके अतिरिक्त भी कुछ हमारे पास तथ्य आये हैं उनकी जांच हमने की है। सामान्य नियम यह है कि जांच प्रारम्भ होने के बाद जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत है उसका स्पष्टीकरण लिया जाए उसके बाद ही कोई एक्शन होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ बिन्दुओं का जो रह गए थे, उत्तर प्राप्त करने के लिए हमने नोटिस दिया है। उसकी मियाद आने वाली 25 तारीख तक है, उसका उत्तर मिलना चाहिए। अगर उत्तर संतोषप्रद है तो वैसी कार्यवाही होगी, संतोषप्रद नहीं है तो वैसी कार्यवाही होगी। उत्तर नहीं आता है तो वैसी कार्यवाही होगी। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 25 तारीख तक का समय है उस तक का इंतजार करें। वह उत्तर प्राप्त होने के बाद हम निश्चित रूप से जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह करेंगे और जो भी अनियमितताएं हैं उन पर कार्यवाही होगी। यदि नहीं है तो पूर्ति कर देंगे।

(14.00)

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि जो शिकायत हमने की है उसकी जांच हो गयी है। जांच रिपोर्ट आए कितने दिन हो गये ? सरकार ने अब तक उस जांच के ऊपर उनसे जवाब ले लिया हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं नगर परिषद के सभापति पर, उनके खिलाफ दो-दो, तीन-तीन जांचें हुई। पिछले दो सालों से शिकायतें बराबर होती रहीं, जांचें होती

(श्री कालूलाल गूजर)

रहीं। जांच होकर आए हुए भी करीब 6-7 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। उसको नोटिस दे दिया, उसने अपना जवाब दे दिया। जवाब को भी सफीसिएंट नहीं मानते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही करने का सरकार का मानस भी है, जैसा इसमें लिखा है। उन्होंने कई भ्रष्टाचार किए, सड़क बनाने में किए, प्लाट आबंटन करने में किए, छोटे पट्टे के टुकड़े जो आबंटित करते हैं, जिनको अधिकार ही नहीं नगर परिषद को, वे पट्टे भी आबंटित कर दिए। 900 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन आबंटित नहीं की जा सकती, उसकी बजाय ज्यादा कर दी।

श्री परसादीलाल मीणा : आपका काम नहीं किया इसलिए अब आप शिकायत कर रहे हैं उनकी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिए। चर्चा उनकी है, आपकी नहीं। बिराजें आप। (व्यवधान), आप बिराजिए। (व्यवधान) ध्यानाकर्षण कालूलालजी का है, आपका नहीं है। वे पूछेंगे। बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जवाब दे दिया, फिर क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : चर्चा षड्यंत्रपूर्वक की जाएगी तो विरोध किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए, वे पूछेंगे। ध्यानाकर्षण कालूलालजी का है, आपका नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : वह बी. जे. पी. की पार्षद थी, कांग्रेस जोइन कर ली इसलिए कर रहे हैं आप।

श्री सभापति : यहां बी. जे. पी.–कांग्रेस नहीं है, बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सारे गलत काम तो आपने कराए, अब आप ही शिकायत कर रहे हैं।

श्री सभापति : बिराजिए आप, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदया, उसको आतंकित किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि दोषी माना। मैं इनकी बात को स्वीकार करता हूं। माननीय सभापति महोदया, आप देखिए तो सही, भ्रष्टाचार कोई छोटा-मोटा नहीं है, 5–10–15 दिन में हो और फाइलों को घुमाते रहें, ऐसी बात नहीं। मंत्री महोदय को यह शिकायत आए कितना टाइम हो गया ? अब तक उसकी जांच होने के बाद, उसका जवाब आने के बाद आपने टेलीफोन के बारे में तो 18 हजार रुपये वसूल भी कर लिये, एक लाख 18 हजार और वसूल करने हैं। उसकी कार्यवाही भी रोक रखी है। सभापति महोदय, आश्चर्य की बात है कि शहर में सड़क बनाने का ठेका दिया दो लाख 25 हजार रुपये का और पेमेंट कर दिया 6 लाख 64 हजार का। दो लाख 27 हजार का ठेका दिया और 8 लाख 17 हजार का पेमेंट कर दिया। इसी तरह से.... (व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : इनकी पार्टी में रहते हुए घोटाले किए तब कुछ नहीं बोले। कांग्रेस जॉइन कर ली तब आज इनको परेशानी हो रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : सुनिए। राजेन्द्र जी, सुनें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सुबह प्रश्नकाल के दौरान....(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए। कृपया बिराजिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप बिराजिए।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : सभापति महोदया, क्या भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस वाले बचा रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं।

श्री सभापति : परसादीलाल जी, बिराजिए। (व्यवधान) बिराजिए।

श्री कालूलाल गूजर : कांग्रेस का होने से उनको क्या भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिल गया है ?

श्री सभापति : श्री परसादीलाल जी, बिराजिए।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : चार साल तक इनसे मिलीभगत थी।

श्री रामरिछपाल नुवाल : कोई मिलीभगत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए। (व्यवधान) आप भी बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रामरिछपाल नुवाल : अगर ये साबित कर दें तो आप कहेंगे वह कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : भीलवाड़ा से आने एम. एल. ए. साहब नकली कपड़ा बनाने के मामले में....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए। आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री रामरिछपाल नुवाल : ये आरोप लगा रहे हैं। अगर ये साबित कर दें.... (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप नकली कपड़े के मामले में लिप्त थे। इनके खिलाफ जांचें हुई हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : राजेन्द्र जी, बिराजिए। आसन पैरों पर हैं, बिराजिए।

श्री रामरिछपाल नुवाल : + + + हमने पुरुषार्थ दिखाया है, इन्होंने स्वार्थ दिखाया है।

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदया, आप इनको बिठाइए। ये बोल रहे हैं और हमको आप बैठने का कह रही हैं। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री परसादीलाल मीणा : सारे गलत काम आपने करवाए हैं। अब उसकी शिकायत करके उसको सस्पैंड कराना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप ही का राज है, फिर आपकी मर्जी आये जैसा करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको नकली कपड़े में पकड़ना शुरू कर दिया, इसलिए उनके खिलाफ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : + + + (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सभापति महोदय, मैंने भ्रष्टाचार करने वाले का मामला उठाया, अब वे चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे बी. जे. पी. के हों। यदि कोई भ्रष्टाचारी कांग्रेस जोइन कर ले तो उसे भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : तो क्या बी.जे.पी. वालों को मिल गया ? (व्यवधान)

श्री रामरिछपाल नुवाल : सभापति महोदय, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में मिलाकर बचाने का ठेका ले रखा है ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपकी जनता पार्टी में सारे ईमानदार हो गये हैं क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह + + + है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ये + + + करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये जानबूझकर उस सभापति को फंसाना चाहते हैं। ये मंत्री जी और एम. एल. ए. सब मिले हुए हैं इस मामले में। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ये + + + कर-करके इस प्रकार से प्रताड़ित करना चाहते हैं। (व्यवधान) यह ट्रिक नहीं चलेगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : जब नकली कपड़ों की वे चैकिंग करते हैं.... (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, बोलते रहेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके खिलाफ कार्यवाही की, इसलिए आप उनके खिलाफ हो गए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप चुंगी देते। नकली कपड़ा बनाते हैं आप।

श्री सभापति : क्यों बार-बार खड़े होते हैं आप ? बिराजिए आप। (व्यवधान) लक्ष्मणसिंहजी, बिराजिए आप। (व्यवधान) बिराजिए, परसादीलालजी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलेंगे और बोलते आये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य रामस्वरूप जी, आप जिस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं और जो आपने कहा है वह कांग्रेस में आ गई इसलिए भ्रष्टाचार हो गया, यह कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस कोई भ्रष्टाचार को समाप्त कर देगी क्या ? +++ बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जब तक ये बी. जे. पी. में थी तब तक ईमानदार थी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सभापति महोदया, आप चेयर से बंधी हुई हैं, आप इस वक्त यहां नहीं बैठी हुई हैं। आप चेयर पर बैठकर कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा सकतीं। (व्यवधान)

श्री सभापति : चर्चा नोटिस देकर की गई है। चर्चा का नोटिस दिया गया है, बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप चेयर पर बैठकर कांग्रेस के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकतीं।

श्री सभापति : चर्चा का नोटिस दिया हुआ है, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : अभी आप सभापति हैं।

श्री सभापति : यह ध्यानाकर्षण आया है. बिराजिए। आसन पैरों पर है, बिराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, मैं मेरे यहां का एक उदाहरण देना चाहता हूं। श्रीमती सेन कांग्रेस की पार्षद थीं।

श्री सभापति : अभी विषय नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : उसने बी.जे.पी. जॉइन कर लिया। उसे सस्पेंड कर दिया था, लेकिन बी.जे.पी. जोइन करते ही मंत्री जी ने बहाल कर दिया। यह हालत है। ये लोगों को पार्टी चेंज कराना चाहते हैं।

श्री सभापति : माननीय मोदी जी, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : सभापति महोदया, भीलवाड़ा नगर परिषद की सभापति ने कितना भ्रष्टाचार किया.... (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए। (व्यवधान) श्री धारीवाल साहब। (व्यवधान) धारीवाल साहब, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : बी. जे. पी. में है तो सही है और कांग्रेस में आ जाए तो गलत है। यह समानता नहीं है, न्याय नहीं है। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सभापति : बिराजिए आप। माननीय धारीवाल साहब, बिराजिए। क्यों सदन का समय खराब करना चाहते हैं ? बोलने दीजिए उनको। उन्होंने चर्चा का नोटिस दिया है, आप इस चर्चा का नोटिस दीजिए। बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : नुवाल साहब की चुंगी चोरी की... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय लक्ष्मण सिंहजी, बिराजिए। (व्यवधान) बिराजिए। (व्यवधान) यह अंकित नहीं होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : × × ×

श्री रामरिछपाल नुवाल : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री सभापति : माननीय धारीवाल साहब, बिराजिये। (व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : आप बिराजिये। आप अब बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री श्रवण कुमार : × × ×

श्री रामरिछपाल नुवाल : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री पराक्रम सिंह : × × ×

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : आप बिराजिये। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : माननीय वरिष्ठ सदस्य धारीवाल साहब, बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री सभापति : क्या पाइंट आफ आर्डर सुनेंगे ? (व्यवधान) सुनने लायक हो तो सुनें। क्या सुनेंगे एक साथ सबका ? (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री रामरिछपाल नुवाल : × × ×

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नगर परिषद् भीलवाड़ा की सभापति ने जो कारनामे किये हैं वे इतने गम्भीर हैं कि मैं

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कालूलाल गूजर)

थोड़े माननीय सभापति महोदय...(व्यवधान) आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूं, इसी शहर के अन्दर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री रामरिछपाल नुवाल : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : प्रक्रिया और नियमों में ऐसा है कि जिसने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है वह और या कोई भी अन्य माननीय सदस्य एक आध सवाल पूछ सकता है। (व्यवधान) लेकिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा कोई भी मानहानिकारक अभिद्रोहात्मक अव्यवस्था, ऐसे आरोप यहां नहीं किये जा सकते। व्यवस्था यह है कि ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : या तो नियमों से मूव करना पड़ेगा। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन आरोप-प्रत्यारोपों का + + + न बने। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : और यदि किसी ने पलट कर यह कह दिया कि तुम चोर हो, डाकू हो तो क्या यह सदन इसी बात पर चर्चा करता रहेगा ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या यह सदन इस बात पर कि ये कांग्रेस में हैं या बी.जे.पी. में हैं, कोई तथ्यों के आधार पर न होकर केवल आरोप-प्रत्यारोप लगाकर इस प्रकार अभद्र व्यवस्था की जाए, मैं समझता हूं इससे सदन की गरिमा गिरती है। इसलिए मेरा.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : 131 का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का बहुत थोड़ा है और इसमें इतना लम्बा नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दोरा : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस समय और बात की जा सकती है इसलिए कृपया... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन : महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा होने वाली है इसलिए मेरा निवेदन है कि (व्यवधान) इसको संक्षेप में करके पूरा कर लिया जाए और फालतू बातों को नहीं किया जाए। इस

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

प्रकार जो कार्यवाही थोपते हैं उनको आप रोकें। आसन को बहुत अधिकार हैं, आप उनका प्रयोग करें, यह मेरा निवेदन है।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र जी, बिराजिये।

श्री श्रवण कुमार : × × ×

श्री सभापति : आप सभी समझदार सदस्य हैं, क्या कहूं मैं आपको ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : × × ×

श्री सभापति : श्री श्रवणकुमार जी, बिराजिये। आप क्यों बार-बार खड़े होते हैं ? बिराजिये। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार : × × ×

श्री किशन गोपाल कोगटा : × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री सभापति : आप बिराजिये। आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। आप भी बिराजिये, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि भीलवाड़ा शहर में..... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री सभापति : माननीय राजेन्द्र जी, आप बार-बार क्यों खड़े होते हैं ? सदन का समय खराब करते हैं, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री रतनलाल ताम्बी : × × ×

श्री सभापति : आप कौन होते हैं यह सब बात कहने वाले ? यह आसन की व्यवस्था है। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जो नियम 131 के अन्तर्गत दिया गया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री सभापति : आप बिराजिये। आसन पैरों पर है, आप बिराजिये। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 131 के नोटिस के अन्तर्गत दिया गया है। (व्यवधान) प्रथम सवालकर्ता को अधिकार है, पहले वे पूछेंगे उसके बाद दूसरे पूछेंगे। आपको भी मौका एक आध प्रश्न के लिए दिया जा सकता है। पहले आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सभापति महोदया, मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताएंगे कि भीलवाड़ा शहर में.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप पूछने ही नहीं देंगे। बिराजिये। (व्यवधान) आप कौन होते हैं व्यवस्था.... (व्यवधान) देने वाले। बिराजिये आप। सवाल पूछवा रहे हैं या क्या चाहते हैं ? बिराजिये आप। (व्यवधान)

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री सभापति : बिराजिये। राजेन्द्र जी, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री सभापति : बिराजिये। कहां आसन की गरिमा रखते हैं ? आसन पैरों पर है और आप खड़े हैं। बिराजिये आप। आसन की गरिमा रखिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था माननीय मंत्री महोदय से कि भीलवाड़ा शहर में जो पैचवर्क निकाले गये हैं, उसमें जो ठेके दिये गये वे बराबर दिये गये ? सभापति महोदया, मैं पूछना चाहता हूं कि एक गांधीनगर में जो सड़क के पैच का ठेका दिया गया वह तो दिया गया 6 परसेंट बिलो रेट से और शहर के अन्य स्थानों पर एक और ठेका दिया गया वह 36 परसेंट एबव रेट पर दिया गया। 36 परसेंट एबव भी जब दिया गया जब बी. एस. आर. की रेट भी और बढ़ गयी। 93 की बी. एस. आर. में 6 परसेंट कम में ठेका दिया गया, वही ठेका चार महीने बाद उसी सड़क का जो दिया 36 परसेंट तो वैसे ही रेट बढ़ गयी और 36 परसेंट एबव दिया गया। इसी तरह से यह भ्रष्टाचार हुआ है और यह मिलीभगत के कारण इतना बड़ा ठेका दिया गया है।

इसी तरह से परिषद क्षेत्र के अशोक नगर में जो ठेका दिया गया वह भी 15 प्रतिशत अभी की एबव रेट पर दिया गया। इसी तरह से, माननीय सभापति महोदया, मैं और पूछना चाहता हूं कि धांधोलिया में जो सड़क निर्माण हुआ भीलवाड़ा में, उसमें 2 लाख 25 हजार का ठेका था उसके अगेंस्ट में 6 लाख 99 हजार 598 रुपये का भुगतान किस आधार पर किया गया ? क्या आधार था ? (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : आप तारीख तो बताएं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : ....आप 36 की बात कर रहे हैं। सी. ए. जी की रिपोर्ट में सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में क्या-क्या कहा गया है, यह पढ़िये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ....डिमांड नोट के बारे में क्या-क्या कहा गया है, यह पढ़िये आप इसमें। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : एक सड़क बड़ला चौराहे पर बनायी और इस सड़क का ठेका भी दो लाख 27 हजार का था उसके बजाय 8 लाख 17 हजार 465 रुपये का भुगतान कर दिया गया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य, कभी-कभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आता है और यदि आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No. 109

(109)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

में यह व्यवस्था कायम कर दी कि किसी एम. एल. ए. को नहीं बोलने दिया जाए तो इसका क्या हृश्र होगा ? क्या कोई बोलेगा, क्या कोई बोल पाएगा ? (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : + + + (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : सरकार आपको चलानी है, हाउस आपको चलाना है । (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : आप व्यवस्था को बनाये रखने में मदद करो, + + + (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : + + +

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने कहा कि इस तरह से.... (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : मैंने क्या पूछा इनसे ? मैंने पूछा कि जो ठेके हैं उनकी तारीखें भी बता दो । मैंने इतना कह दिया । (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सभापति महोदया, मैं तारीख बता देता हूं । गांधीनगर में जो ठेका विलो रेट पर दिया गया है उसकी तारीख 19-3-96 है और जो रेट ज्यादा बढ़ाकर ठेका दिया गया है उसमें एक 15-3-96 की तारीख है जिसमें 15 परसेंट एबव दिया गया और एक 21-11-96 को दिया गया उसमें 36 परसेंट बढ़ाकर दिया गया । मैंने पहले ही कहा कि 6–7 महीने बाद में ठेका दिया उसमें बी.एस.आर. की रेट रिवाइज हो गयी, 36 परसेंट वैसे ही पैसा बढ गया और फिर 36 परसेंट एबव में दिया गया । इसका मतलब 72 प्रतिशत पैसा ज्यादा दिया गया है केवल चार महीने के अन्तराल में । इतनी बड़ी रकम देने का कारण नहीं है, इसमें लाखों रुपये का घोटाला किया गया है । यह करीब 10 लाख रुपये का 2–3 सड़कों के अन्दर गड़बड़–घोटाला है । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कितनी रकम है ? सी. ए. जी. की रिपोर्ट में 238 लाख रुपये दिखाये गये हैं । पी. डब्लू. डी के मामले में निविदाएं इसी तरह से आमंत्रित होती हैं आपके यहां ।

श्री परसादीलाल मीणा : 10 लाख तो खा जाओ । (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदया, नियम यह है कि यदि कोई टेण्डर उठाता है, यदि कोई.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह विभाग की प्रक्रिया है । यह प्रक्रिया है विभाग की । (व्यवधान) एक निविदा को दूसरा निविदाकर्ता लेगा, वह रेट बढ़ाकर लेगा, इसमें क्या एतराज हो गया ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह एबव रेट है 72 प्रतिशत, यह सी. ए. जी. की रिपोर्ट है विभाग की। आप देखिये । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक मिनट,... डकैती डाली है इसलिए वह.... (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

जिसने भी डकैती डाली (व्यवधान) आप बताइये, ये लोग ऐसे हैं कि (व्यवधान) सरकार का ध्यान आकर्षित करो। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदया, जितनी राशि का सड़क का ठेका दिया जाता है, उसको ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत तक बढ़ाया–घटाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : 72 प्रतिशत एबव +++ करो थोड़ी-सी।

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदया, मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ....लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यदि एक में कहीं गड़बड़ हुई है तो दूसरे को आप यह अधिकृत करना चाहते हैं। वह तो ठीक किया है, क्या यह कहना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : भंवरजी गलत कर रहे हैं इसका मतलब ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि गलत कर रहे हैं..... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह विभाग की प्रक्रिया है, इसमें क्या दिक्कत है किसी को ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि आप यह समझते हैं तो उठाइये। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह विभाग ने कहा है, 72 प्रतिशत एबव में हुआ है। उसमें चतुर्वेदीजी क्या करते ? आज चतुर्वेदीजी की मांग पर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप नियमों, प्रक्रिया के बारे में तो जानकारी रखते होंगे, 131 के अन्तर्गत नोटिस देकर बोला जा रहा है, बोलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : प्रश्न पूछना चाहिए, यहां पूरा का पूरा बयान दिया गया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप लोग जुझारू हैं, बैठिये आप।

एक माननीय सदस्य : फालतू बात मत करो। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप स्वयं नियंत्रण रखिये क्योंकि यहां पर नियंत्रणकर्ता नहीं है। खुद को नियंत्रण कर लो। अब आप स्व-नियंत्रण करिये। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि एक भूखण्ड भीलवाड़ा के अन्दर नगर परिषद ने स्वीकृत किया। वह भीलवाड़ा की मेन जगह है व्यावसायिक काम्प्लेक्स की। राजेन्द्र बाहेती ने एक एप्लीकेशन लगाई कि मेरे आवासीय भूखण्ड के सामने छोटी-सी जमीन पट्टी के रूप में पड़ी हुई है, वह मुझे आबंटित की जाए। उसकी प्रोसीडिंग चल ही रही थी, मीनव्हाइल उस जमीन को दूसरे ने खरीद लिया। चूंकि वह जमीन पड़त 1403

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कालूलाल गूजर)

स्क्वायर फुट थी, इसमें नियम यह है कि कोई भी नगर परिषद केवल मात्र 900 स्क्वायर फुट तक की पट्टी आबंटित कर सकती है और वह भी व्यावसायिक नहीं, केवल आवासीय प्रयोजनार्थ आबंटित कर सकती है। मैं इसमें आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भीलवाड़ा नगर परिषद की सभापति ने सारे कानूनों को ताक में रखते हुए उस छोटी जमीन को, छोटी पट्टी को आबटन कर दिया जो कि 900 से ज्यादा नहीं कर सकती। उन्होंने तो मांगा था कि हमें व्यावसायिक काम्प्लेक्स बनाने के लिए इजाजत दी जाए उसके बजाय उन्होंने आवासीय आबंटन कर दिया और उसकी जो रेट है, वह जितनी रेट आनी चाहिए, उससे बहुत कम रेट ली गई क्योंकि उन्होंने आवासीय रेट ले ली व्यावसायिक काम्प्लेक्स की। पांच लाख रुपये का उस अकेली जमीन में बहुत बड़ा फर्क सरकार को दिया।

दूसरा, प्रश्न यह है कि उन्होंने जो जमीन दी, वह उनको देने का अधिकार ही नहीं था। 200 स्क्वायर फुट जमीन होती तो फिर भी नगर परिषद दे सकती थी। यहां बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई, बोर्ड का प्रस्ताव नहीं और उस जमीन से ज्यादा जमीन को राज्य सरकार ही दे सकती है, उसके बावजूद उन्होंने दे दी।

तीसरा मेरा प्रश्न यह है, सभापति को यह अधिकार नहीं था कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ एक इंच जमीन भी दे सकती। सरकार ही दे सकती है। उन्होंने सारे अधिकारों का अतिक्रमण करके, बिना अधिकार के व्यावसायिक स्वीकृति भी दे दी। पहले तो आवासीय दी और उसके बाद उसका व्यावसायिक नक्शा भी पास कर दिया। इसके खिलाफ धारा 285 में कलेक्टर के पास शिकायत की, कलेक्टर साहब ने अवैध मानते हुए इस आर्डर को कैंसिल किया। इसमें ऐसा लगता है कि लाखों रुपयों का घोटाला करने के कारण ही इस तरह से अवैधानिक स्वीकृतियां दी गई हैं, जो नियमों के बिलकुल विपरीत है। इस तरह से कार्य करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही मैं निवेदन कर रहा हूं कि नगर परिषद....

श्री मोहनलाल मोदी : निवेदन करना चाह रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री कालूलाल गूजर : प्रश्न पूछ रहा हूं और निवेदन भी कर रहा हूं। सभापति महोदया, जो....

श्री राजेन्द्र पारीक : वैसे ही मंत्रीजी के पास जाकर पूछिये, यहां क्या पूछ रहे हैं ?

श्री कालूलाल गूजर : मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, नगर परिषद के नियमित कार्य हैं, नियमित स्वीकृति हैं, उसके अलावा यदि किसी संस्था को कहीं बिल्डिंग बनाने के लिए, कहीं विशेष सहायता देने के लिए, किसी अनुदान की राशि देने के लिए धारा 101 (एक्स) बनी हुई है। उसमें नियम यह है कि परिषद के कार्यों के अलावा कोई गौण कार्य यदि परिषद करना चाहती है तो दो तिहाई बहुमत से बोर्ड के द्वारा उन कार्यों को स्वीकृत करना पड़ेगा। उसके बाद राज्य सरकार की स्वीकृति लेने के बाद ही

(श्री कालूलाल गूजर)

वे निर्माण कार्य कराये जा सकते हैं। भीलवाड़ा नगर परिषद के द्वारा इस तरह के 11 कार्य ऐसे कराये गये 36 लाख रुपये के जिनकी स्वीकृति न तो नगर परिषद में बोर्ड से ली गई और न राज्य सरकार से। वहां की सभापति ने अपने पद का दुरूपयोग करके 36 लाख रुपये जिन कार्यों का नगर परिषद से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी प्राइवेट संस्थाओं को पैसे आबंटित कर दिये। कुछ पैसे के तो उन्होंने सरकारी स्कूल के अन्दर भवन बना लिये, लेकिन ज्यादातर पैसा उन्होंने प्राइवेट संस्थाओं को दे दिया और उसमें लाखों रुपयों का घोटाला किया, नियमों के विपरीत काम किया।

इसके अलावा सभापति का स्वयं का एक मकान जिसके अन्दर पीछे सैट-बैक छोड़ना था, साइड में जगह छोड़नी थी, उन्होंने जगह नहीं छोड़ी। जगह नहीं छोड़कर उसके ऊपर रैगुलराइजेशन के लिए पैनल्टी इम्पोज करते। नगर परिषद की मीटिंग हुई उसमें मीटिंग को प्रिसाइड किया, उसकी अध्यक्षता की और खुद के मकान के मामले में भी उन्होंने स्वीकृति दे दी। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे ज्यादा नियमों की अवहेलना और क्या हो सकती है कि नगर परिषद की सभापति है वह स्वयं अपने मकान का सैट-बैक और सबका नियमन करती है। इसमें नियम तो यह है कि अगर उनका खुद का मामला था तो उनको सीट छोड़कर उप चेयरमैन को या और किसी को बैठाकर उस पर निर्णय कराना चाहिए था। लेकिन खुद ने अपनी खुद का सब कुछ कर लिया और धोखा देने के लिए उसमें खुद का नाम नहीं लिखा, उसमें अपने पति का नाम लगाकर आगे कर दिया ताकि लोगों को पता नहीं लगे। कितना पैसा रेगुलराइज के लिए उन्होंने वसूली के लिए आदेश दिया ? उससे कई गुना ज्यादा पैनल्टी बनती है, बहुत बड़ा उसमें एरिया है लेकिन उसका असैसमेंट ही गलत कराया। केवल आठ-नौ हजार रुपये जमा करने के लिए आदेश दिये.....

श्री सभापति : अब आप पूरा कीजिये।

श्री कालूलाल गूजर : मैं पूरा कर रहा हूं, 2-3 मामले और हैं। इसी तरह से टेलीफोन बिल का है। ढाई साल के अन्दर नियमों के अनुसार जितना टेलीफोन करना चाहिए उसकी बजाय 1,18,000 रुपये का ज्यादा बिल है। वह बिल कैसे है ? फोरेन के अन्दर टेलीफोन हो रहे हैं, एस. टी. डी. पर विदेशों से बात हो रही है और वह पैसा नगर परिषद ने चुका दिया। सभापति महोदय, हमने यह मामला उठाया, हमने यह कहा कि यह भ्रष्टाचार है, यह इस तरह से नहीं कर सकती है। आपने स्वयं ने स्वीकार किया कि इस तरह से... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको क्या चिंता हो रही है ? बी. जे. पी. चिन्ता कर लेगी, बिराजिये।

श्री कालूलाल गूजर : आपसे 18,000 रुपये वसूल भी हो गये। बाकी और रुपया वसूल करने में क्या दिक्कत आ रही है ? मंत्री महोदय बता दें कि वह पैसा अब तक क्यों नहीं वसूल हुआ ? बल्कि यह और लिख रहे हैं कि सही गणना करके रुपया

(श्री कालूलाल गूजर)

किया जाएगा। सही गणना तो आपने कर ली है, 1,18,000 रुपये, आपने स्वयं ने मान ली जवाब में, फिर आप सही गणना और क्या करना चाहते हैं ?

सभापति महोदय, इसी तरह से हैण्ड पम्प लगाये। अब हैण्ड पम्पों के बारे में जवाब में लिख दिया कि नगर परिषद ने पी. एच. ई. डी. से लगाये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, आपका जवाब बिलकुल गलत है। अभी 100 हैण्ड पम्प तो इस साल स्वीकृत हुए, उनका जिक्र नहीं है। ये तो गये साल जो हैण्ड पम्प लगाये 12 महीने पहले, वे पी. एच. ई. डी. ने लगाये थे इसीलिए यह आपके जवाब में लिख दिया गया। मैं मानता हूं लेकिन इस साल के हैण्ड पम्प में कितना बड़ा घोटाला हुआ ? 100 हैण्ड पम्प इस साल स्वीकृत हुए, वे किस भाव में दिये गये ? अपने चहेतों को दिये गये। उन हैण्ड पम्पों की जांच कराई जाए, वे हैण्ड पम्प कितने गहरे खुदे हैं। 50–50, 60–60 फुट खोद दिये गये, हल्की मशीन लगाई गई और वह भी बहुत कम पैसा लगाकर भारी मात्रा में पैसा उठाया गया है। सभापति महोदया, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : नगर परिषद में हैण्ड पम्प (व्यवधान) अधिकारियों के.... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : नगर परिषद भीलवाड़ा के द्वारा जो....

श्री सभापति : आप सुनें, बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : पी. एच. ई. डी. कर रही है, इसमें कहां भ्रष्टाचार हो गया ?

श्री सभापति : बैठिये तो सही।

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदया, जो फरनेस आयल भीलवाड़ा नगर में आता है उसमें 2 प्रतिशत चुंगी लगती है। भीलवाड़ा की सभापति ने क्या किया कि उनकी इच्छा हुई जिसको तो 2 प्रतिशत चुंगी लगाई और उनके जो मिलने वाले हैं या उनको कुछ लाभ दे सकते हैं, उनको जो क्वान्टिटी आती है कितना लीटर आयल आता है उनका 3 प्रतिशत, आयल के अन्दर 3 प्रतिशत तीन रुपये पर लीटर। सभापति महोदया, यह दोहरा मानदण्ड था। जब लोगों ने आबजेक्शन किया तो दो प्रतिशत। मैं आपको रसीद बता रहा हूं जैसे एक ट्रैक्टर के अन्दर 1456 रुपये बनते हैं उसकी जगह केवल 365 रुपये लिये। क्यों ? जानबूझकर यह भ्रष्टाचार करने के लिए उनको कमीशन मिलता है, उनको इस तरह का प्रोत्साहन देने के लिए यह काम किया।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ये प्रश्न हो रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न ही हो रहा है। पर प्रश्न की पृष्ठभूमि भी बनानी पड़ती है, फिर प्रश्न पूछते हैं। पृष्ठभूमि के बिना प्रश्न कैसे ? (व्यवधान) बिराजिये।

श्री कालूलाल गूजर : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि भीलवाड़ा नगर परिषद में.... (व्यवधान)

श्री सभापति : सारा समय आप ले रहे हैं तो उनका समय बढ़ता जा रहा है । आप समय पूरा करने दीजिये न, फिर चर्चा समाप्त हो जाएगी ।

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, उनकी शिकायतें मंजूर कर लीं, बात कर ली, अब फिर क्या समय ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मोदीजी, आप इतने वरिष्ठ हैं, आप तो विराजें । इनको कंट्रोल में करो सब को ।

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदया, भीलवाड़ा नगर परिषद के अहाते में फायर के सामने एक रोड बनाई । रोड बिना टेण्डर किये बनाई गई और चार लाख रुपये बिना किसी स्वीकृति के दे दिये... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह सारा मिलीभगत से हो रहा है ।

श्री हीरालाल बिश्नोई : सभापति महोदया, यह मंत्रीजी का और इनका आपस का मामला है, इनको आफिस में भेज दीजिये ।

श्री सभापति : अब आप इसको पूरा करें, माननीय सदस्य ।

श्री कालूलाल गूजर : मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी वहां जीपें किराये पर लगा रखी हैं वह किराये पर टैक्सी कोटा की लगनी चाहिए, लेकिन सभापति ने स्वयं अपने चहेतों की जीपें लगाकर फर्जी बिल बना कर सारे पैसे उठाये ।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह षड्यंत्र है, और कुछ नहीं है कि कैसे भी चुनाव से पहले बी. जे. पी. जाइन कर ले ।

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कि ये सारे मामले तो वे हैं जो हमारी जानकारी में हैं । आपने जैसा अपने उत्तर में कहा, मेरे द्वारा उठाये गये मामलों के अलावा भी मामले हैं । आपने कहा कि ऐसे और हमारे ध्यान में आये हैं जिनमें भी भ्रष्टाचार हुआ है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब आपने जांच करा ली, आपके सामने तथ्य आ गये, भीलवाड़ा के ए. डी. एम. (सिटी), ए. डी. एम. (प्रशासन) ने इसकी जांच कर ली, जांच रिपोर्ट आने के बाद में आपने नगर परिषद की सभापति को नोटिस दे दिया, उसका जवाब आ गया, जवाब आने के बाद भी आपने, डायरेक्टर साहब को दोबारा और भेज दिया और उन्होंने भी जांच करके अपनी टिप्पणी में यह लिख दिया कि इसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है और दोषी माना गया है, उसके बाद आप किस बात के लिए, किस खुशी में उसको और इंतजार करवा रहे हैं कि 25 तारीख तक कर देंगे आर्डर ? आज मैं मांग करता हूं, सभापति महोदय, कि इसी वक्त और तत्काल उसको सस्पैण्ड किया जाए । और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन भ्रष्टाचार के मामलों में भी आप तुरंत निर्णय दीजिए । (व्यवधान) इजाजत दीजिए ताकि जो भी भ्रष्टाचार विभाग, भीलवाड़ा में दर्ज हैं उनमें भी वे गिरफ्तार हों ।

(श्री कालूलाल गूजर)

भ्रष्टाचार कोई भी करे, किसी भी पार्टी का आदमी करे वह जेल के सीखंजों में हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे विपक्ष में बैठे हुए भाइयों से कि आप भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास मत करिये। केवल कांग्रेस पार्टी में जाने से कोई दूध का धुला नहीं हो जाता, भ्रष्टाचार हमेशा भ्रष्टाचार होता है, राजेन्द्रजी। आपको कोई कमीशन देने वाला नहीं है, आप चिन्ता मत करो, आप भ्रष्टाचारियों की वकालत मत करो, आपको वकालत ही करनी है तो किसी अच्छे आदमी की करना।

श्री हीरालाल बिश्नोई : इसका मतलब आपको कमीशन नहीं मिला इसलिए आप इस बात को उठा रहे हो।

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि अभी इसी वक्त उसको सस्पैण्ड करने की घोषणा की जाए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई और किसी को उपलब्ध करा दी तब झगड़ा खड़ा हो गया वहां पर।

श्री सभापति : श्री रामरिछपाल नुवाल। (व्यवधान) जिनका प्रश्न है वे तो बोलेंगे। बिराजिए आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये तो पार्टी हैं उसमें।

श्री सभापति : रामरिछपालजी का सवाल है।

एक माननीय सदस्य : बोलेंगे, सभी का है।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री रामरिछपाल नुवाल, सदस्य का स्पष्टीकरण

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : मेरे साइन हैं, मैंने भी साइन दिये हैं। आदरणीय सभापति महोदया, अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर आपने सारी बातें सुनी। माननीय सदस्य जी ने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करने जा रहा हूं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप तो काम की बात करो, छोड़ो, रोज आरोप लगते हैं।

श्री रामरिछपाल नुवाल : हां, बोल रहा हूं मैं। वह तो ठीक बात है। (व्यवधान) पारीक साहब, मैं करता हूं, मैं सारा बोलूंगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, मैं एक व्यापारी हूं, मैं एक उद्योगपति भी हूं। परन्तु इन्होंने जो आरोप लगाया है चुंगी का, मेरे पास नगर परिषद् की एन. ओ. सी. है....

श्री सभापति : आप तो अपनी बात कह दीजिए।

श्री रामरिछपाल नुवाल : मैंने लिखकर दिया था कि इस ढंग से कोई भी अगर मेरे ऊपर आरोप है तो लिख कर दीजिए। उन्होंने लिखा है कि आपकी इन कम्पनियों

(श्री रामरिछपाल नुवाल)

में, इन-इन फर्मों में कोई भी चुंगी चोरी का मामला नहीं दर्ज होता है। इसलिए ये बिलकुल+ ++ बोलते हैं, यह सरासर +++बात है। मेरा दूसरा निवेदन है चेयरमैन के बारे में, यह चेयरमैन के बारे में जैसे माननीय सदस्य....

श्री सभापति : आप अपना सवाल कर दीजिए।

श्री रामरिछपाल नुवाल : गुर्जर साहब ने जो सवाल पूछे हैं, मैं भी आपसे इन्हीं सवालों के लिए पूछ रहा हूं कि वाकई में यह क्या किया? भ्रष्टाचार उससे सम्बन्धित नहीं है, क्या इससे यह आरोप नहीं लग रहा है? यह आरोप बिलकुल एक सौ एक बटा सही है। 26 पार्षदों ने साइन करके लिख कर दिया। एक बार नहीं, करीब दो साल से यह संघर्ष चल रहा है। वहां पर बदनामी हो रही है भयंकर, बड़ी बदनामी हो रही है। अभी 200 हरिजनों की भर्ती का मामला चला था उसके अन्दर भी इस मैडम ने, इस चेयरमैन ने तीस-तीस हजार रुपये लिये। जब हम लोगों को पता लगा तो हमने कलेक्टर के माध्यम से यह कहा था कि तीस-तीस हजार रुपये हरिजनों की भर्ती के लिए ले रहे हैं, यह शर्म की बात है। +++। ऐसा इन्होंने किया है तो हम लाटरी सिस्टम से लाटरी निकालेंगे। जिस व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली है उस व्यक्ति को नौकरी मिले, यह भी हमने किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि इसकी भी तुरन्त जांच कराई जाकर उसको लाटरी सिस्टम से निकालें। जिन हरिजनों को नौकरी नहीं मिली है उनको नौकरी मिले, कोई पैसे के आधार पर नौकरी नहीं मिले। ऐसे अनेकों कारण हैं, अनेकों ऐसे काम्प्लेक्स बनाये जिसके अन्दर भ्रष्टाचार खुले आम किया है। बच्चा-बच्चा भीलवाड़ा शहर का जानता है कि इसने कितना क्या-क्या काम किया है, क्या-क्या नहीं किया है।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामरिछपाल नुवाल : मेरा निवेदन है, आज ये लोग क्यों भ्रष्टाचारी का साथ दे रहे हैं, क्यों उसको बचा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपनी बात बोल कर बिराज जाइये, उनका काम वे करें।

श्री रामरिछपाल नुवाल : ये सारी बातें हैं। मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इसको 25 तारीख नहीं देकर आज ही ससपेण्ड करें। हमारी पुरजोर मांग है। इस भीलवाड़ा जिले का भला होगा, भ्रष्टाचारियों का मुंह काला होगा और जो साथ दे रहे हैं उनका भी मुंह काला होगा। आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : अर्जुनदास मदान। सिर्फ एक सवाल करेंगे। सिर्फ सवाल।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनका क्या लेना-देना भीलवाड़ा से ?

+++शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक सवाल मुझे भी।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से केवल मात्र एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आफ्टर आल सरकार की कुछ ड्यूटी है। सरकार यदि किसी को अहसास नहीं कराएगी, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि धरती पर भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन वह अहसास कराता है धरती के लोगों को, किसी का बेटा ले लेता है, किसी को लड़कियां ही लड़कियां देता है, किसी की टांग तोड़ देता है तो आदमी अहसास करता है उसको।

श्री सभापति : यह सवाल नहीं है।

श्री अर्जुनदास मदान : मेरा एक निवेदन सुनिये। मैं यह कहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार के लोग जो यह महसूस कर चुके कि कोई आदमी भ्रष्ट है, उसने अनुचित तौर-तरीकों से धन बटोरा है और उसके कार्यों में नाना प्रकार की विसंगतियां हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का पर्दा डालने की आखिर जरूरत है कहां? यह मेरा सवाल है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरा सवाल है, साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अब क्या करोगे, रतन लालजी +++

श्री सभापति : मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मंत्रीजी क्या बोल रहे हैं, मंत्रीजी से पहले इनसे पूछना चाहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, जैसे अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, भ्रष्टाचारी की भी न कोई जाति होती है, न कोई पार्टी। अभी आप तो यह चार्ज लगा रहे थे कि क्योंकि वे कांग्रेस में आ गये इसलिए आप सस्पेण्ड कर रहे हो, और वे यह कह रहे हैं कि इतना लम्बा क्यों कर रहे हैं आप, जल्दी क्यों नहीं करते।

श्री राजेन्द्र पारीक : सत्य वचन।

श्री भंवरलाल शर्मा : लेकिन हमारे सामने न वह कांग्रेस पार्टी की है, न वह बी. जे. पी. की है, वह एक सभापति है, चुनी हुई महिला है। उसके खिलाफ कोई शिकायत भी है। अब उसका एक तरीका है। हमारे नगरपालिका अधिनियम में धारा 63 है, उसके अन्तर्गत इस प्रकार की कार्यवाही होती है। यदि किसी माननीय सदस्य के प्रति या अध्यक्ष के प्रति कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच होती है। प्रिलिमिनरी जांच तो हमारा विभाग करता है और उसके बाद अगर प्राइमाफेसी यह लगे कि इन्होंने कोई वास्तव में ऐसा काम किया है जिसको नहीं करना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार आदि-आदि जो भी हैं, तो फिर एक जुडीशियल इन्क्वायरी का भी प्रोवीजन है, वह मामला जुडीशियल इन्क्वायरी में भेजते हैं। जुडीशियल इन्क्वायरी के बाद उसको

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

भी वहां पक्ष रखने का मौका मिलता है, माननीय शिकायत करने वाले को भी मिलता है। अपना-अपना पक्ष रखने के बाद जुडीशियल इंक्वायरी में निर्णय होता है कि वह आदमी दोषी है कि नहीं है। दोषी यदि होता है तो फिर उसकी तजबीज देकर हमारे पास भेज देते हैं और सरकार अपना माइंड एप्लाई करके उसका निर्णय करती है। यह आज की कानून की व्यवस्था है। इसलिए मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया, आपके चार्जेज हैं उनकी जांच होगी। मैं मना नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे बिन्दु रह गये जिनकी जांच तो हुई है लेकिन उनका उत्तर हम नहीं ले पाए। अब अगर उन बिन्दुओं को छोड़ देंगे, तो कभी आप यह कहेंगे कि जो महत्वपूर्ण बिन्दु दे उनको ही छोड़ दिया, आपने इनकी जांच क्यों नहीं कराई। इसलिए मैंने यह निवेदन किया आपको कि उसका मैंने नोटिस दिया है, क्योंकि उसको अपनी सफाई पेश करने का मौका देना न्यायसंगत होता है। इसलिए हमने यह कहा है कि आपके खिलाफ हमारे पास है, आप इसका भी उत्तर दे दीजिये। जैसा मैंने निवेदन किया, 25 तारीख को इसकी लगभग अन्तिम तिथि है, उस समय तक उसका जवाब आने के बाद यदि संतुष्ट हैं तो ड्राप कर देंगे और यदि संतुष्ट हम नहीं हैं तो उसको भी उस आरोप को भेज देंगे। अगर उत्तर नहीं देगी तो हम यह मान लेंगे कि वे आरोप जिनका उसको उत्तर देना है, वे सही है। इसके अलावा क्या आप चाहते हैं, मुझे बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी :....(व्यवधान)... ये कह रहे हैं उसका उलटा मामला बता रहा हूं।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त।

श्री कालूलाल गूजर : सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं उनमें भी कार्यवाही आगे करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त। बिराजिए।

श्री कालूलाल गूजर : ....वह भी बिलकुल....सभापति महोदया, भ्रष्टाचार के....

श्री सभापति : कोई सवाल नहीं, बिराजिए। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री अनुदान की मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल विचार एवं मतदान प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल की प्रस्तुति

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 21-सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में ? 31 मार्च,1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,27,64,90,000/- (रुपये चार अरब सत्ताईस करोड़ चौसठ लाख नब्बे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 21 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक सड़कें एवं पुल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :–

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

1. बूंदी जिले में गंवार से गरड़दा, जमीतपुरा रेलवे फाटक से पीपल्दा हाड़ा वाया जलौदी में सड़कें एवं बरूधा चौराहा से सूतड़ा रोड वाया लक्ष्मीपुरा, डोरा और बूंदी से गरड़दा सड़कों की मरम्मत तथा नांगली नदी, घोड़ा पछाड़ नदी पर पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण किसान (फुलेरा)

2. फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में 1000 की आबादी वाले गांव सड़कों से जोड़ने तथा त्योद से मैंसलाना सड़क वाया, सिनोदिया, श्यामपुरा, ब्रिजरानिया का बास को बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

3. जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र की अधूरी सड़कों का कार्य पूर्ण करवाने एवं पारोली काछोला सड़क पर बनास नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)

4. रायपुर जागीर से छापड़ा तक सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

5. काचरड़ा से हसामपुर तक सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

6. हसामपुर से लादी का बास तक सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

7. तहसील नीमकाथाना में पाटन से डाबला तक सड़क की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर)

8. आखा से सूराचन्द्र तहसील सांचौर सड़क के डामरीकरण, हरियाली से चोहरा सड़क निर्माण व सिवाड़ा से चितलवाणा सड़क के मरम्मत कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

9. लियादरा से खेड़ा, व खेड़ा से देवड़ा सड़क पर डामरीकरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

10. पमाणा से खेड़ा तक की वर्ष 1995 में स्वीकृत सड़क का निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

डा. शंकर मानूदा (कपासन)

11. ग्राम भैरूपाल्या खेड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ को मुख्य सड़क मार्ग से नहीं जोड़े जाने एवं इस क्षेत्र की उपेक्षा के फलस्वरूप व्याप्त जनाक्रोश पर चर्चा के लिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

12. राज्य में सड़क निर्माण कार्य में तकनीकी खामियां होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. सड़क मरम्मत के मापदण्ड निर्धारित करने एवं बालेसर तिवरी सड़क पर पुलिया बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरतसिंह (खानपुर)

14. कोटा सम्भाग में रियासत काल की रपटों के स्थान पर नये पुलों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क व पुल निर्माण कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. प्रदेश में पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. झालावाड़ जिले में सड़कों की खस्ता हालत से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर)

18. अलवर निर्वाचन क्षेत्र में टूटी हुई सड़कों की मरम्मत एवं राजाजी का बास (लाल डिग्गी के सामने) हीराबाग में नई सड़क निर्माण एवं अलवर शहर के सभी चौराहों पर रबर मैटिंग बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

19. बांदीकुई क्षेत्र की सड़कों में जगह-जगह खड्डे होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल)

20. भीलवाड़ा नगर के बाहर बनाये जाने वाले बाईपास की प्रगति काफी धीमी गति से चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. भीलवाड़ा जिले में बनास नदी पर ग्राम जबासिया से भोपालगढ़ के बीच सड़क एवं नदी पर पुलिया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के ग्राम पीथास से घोड़ास तक की सड़क एवं पुलिया निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत मोटाका खेड़ा सहेनून्दा, गोरधनपुरा, अलमास, संतोषपुरा को डामर की सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. भीलवाड़ा जिले में रायला के पास स्टेट हाइवे पर एवं माण्डल रेल्वे स्टेशन के पास फ्लाई ओवर (ब्रीज) नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)

25. राजसमंद, रेलमगरा, क्षेत्र में विभाग द्वारा निर्मित डामर सड़कों यथा दरीबा-सांसेरा, दरीबा-राजपुरा, फीयावडी माटोली, सुन्दरचा, वामन टुकड़ा, जुगदा मझानदोड़ा इत्यादि पर पेवर कार्य लम्बे समय से नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. काकरोली-रेलमगरा सड़क के मध्य गांव ग्रमलोई में अधूरी–बाईपास सड़क को पूरी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. राजसमंद जिले में केलवा-झांझर सड़क जो पुराना मार्ग केलवा बस्ती रेगर मोहल्ला से गुजरती है, का पुनः निर्माण कराये जाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. राजसमंद के केलवा–झांझर–सापोल सड़क पर एक-एक फीट के खड्डे होने से यातायात में अवरोध उत्पन्न होने के बावजूद, विभाग द्वारा सड़क का पुर्ननिर्माण नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

29. लूणकरणसर मण्डी को छतरगढ़ मण्डी से जोड़ने वाली सड़क के मिसिंग लिंक शुललाइ से ग्रजीताना तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केशरीसिंहपुर)

30. राज्य में अधूरी सड़कों को पूरा करने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. राज्य में टूटी हुई सड़कों की मरम्मत की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. राज्य में कम चौड़ी सड़कों को चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर)

33. चूरू जिले में सड़कों के जगह-जगह से टूटी-फूटी एवं गहरे गढ्ढे होने से ग्राये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली)

34. कोटा-बून्दी, व झालावाड़ तथा बारां में राजस्थान ब्रिज कारपारेशन द्वारा सन् 1995, 1996 एवं 1997 में करवाये गये कार्य के संबंध में चर्चा के लिये।

35. कोटा में चम्बल नदी पर दूसरा पुल एवं बाईपास का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ग्रर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)

36. गंगरार विधान सभा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालयों को डामरीकृत सड़कों से जोड़ने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

37. खण्डेला कस्बे में उदयपुरवाटी रोड पर पेट्रोल पम्प के पास पुल निर्माण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री महादेव सिंह)

38. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कांवट की नदी पर पुल नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. खण्डेला विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की हो रही भारी दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

40. केशवरायपाटन क्षेत्र में डागाहेड़ी पचीपला पुलिया के गत तीन वर्षों से अधूरे कार्य को पूरा न करने से जनता को हो रही भारी असुविधा पर चर्चा के लिये।

41. केशवरायपाटन क्षेत्र में तीन वर्षों पूर्व स्वीकृत सड़कें यथा बरूवाड़ा, गुहाटा, चरड़ाना, जोताड़ां, हिन्गोनिया एवं चड़ी के कार्य बिल्कुल भी नहीं होने से जनता में हो रहे असंतोष पर चर्चा के लिये।

42. कोटा-लाखेरी सड़क की स्थिति अत्यन्त खराब व साइड न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. केशवरायपाटन क्षेत्र में पुरानी सड़कों बड़ाखेड़ा, जैयल, रोटेदा, करवाला आदि की अत्यन्त खराब हालत से जनता को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

44. चम्बल नदी पर रोटेदा-मण्डावरा पुल के अभाव में कोटा एवं बून्दी दोनों जिलों के नागरिकों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी)

45. गहलोद घाट पर पुलिया नहीं बनाये जाने से पांच ग्राम पंचायतों को हो रही असुविधा व ग्राम ढोडवाड़ी के निर्धारित नीति में आने के बावजूद अभी तक सड़क से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

46. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के राजियावास पंचायत से कोटडा सिलेबेरी, दर्जी फाटक एवं पाली जिला बोर्डर तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

47. रेनवाल पंचायत मुख्यालय से गोहन्दी पंचायत मुख्यालय तक सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. मासी नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र फागी के सभी पंचायत हैडक्वार्टर व 1000 के आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. मेंहदवास से मण्डावरी तक की सड़क की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

51. दूदू से चाकसू राज्य उच्च मार्ग संख्या 2 की मरम्मत एवं चौड़ा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)

52. खेतड़ी निगामपुर सड़क से बालिपाल व नालपुर सड़क, बडाल से श्री कृष्ण नगर तक सड़क, बढ़ाऊ से कुम्हारों की ढाणी तक सड़क एवं बीलवा से खेतड़ी सड़क निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

53. खेतड़ी तहसील मेहाडा-शिमला सड़क पर पुल बनवाने व करामाडी (पपुटना पं.) से संजय नगर सीमा तक सड़क निर्माण एवं खेतड़ी तहसील की क्षति-ग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

54. खेतड़ी तहसील की मागोता कलां से चिपाका, बबाई से माधोगढ़, रसूलपुर सफैदा ग्वार, खेतड़ी से जसरापुर मोधच में सड़क के पेच रिपेयर व सिंघाला से कतीजा देवता में सड़क रिपेयर, दमेच-पुरा से सफेदा ग्वार 34 किमी. पर सड़क निर्माण एवं संजय नगर (पपुटना) में नाले पर पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)

55. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में वर्ल्ड बैंक द्वारा स्वीकृत सड़कों का कार्य लंबे अरसे से बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये ।

56. कोटा जिले में सांसद फण्ड से स्वीकृत झाड़ोल की पुलिया पर हुये घटिया कार्य की जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

57. कोटा जिले के कस्बा इटावा में सा. नि. वि. की सड़क पर पानी भरने, गहरे गड्डे पड़ने से ग्रामवासियों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

58. बारां जिले के कस्बा मालबम्बोरी में सड़क को ठीक करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

59. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की बनी सड़कों पर पेच वर्क व मरम्मत का कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)

60. जनजाति क्षेत्र में सड़क नीति बदलने व सड़कें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

61. पंचायत मुख्यालय पंडियावाड़ा को डामरीकृत सड़क से जोड़ने की आव-श्यकता पर चर्चा के लिये ।

62. बावलवाड़ा के पास सोम नदी पर पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री दयाराम परमार)

63. खैरवाड़ा से झांझरी अन्तरराज्यीय सड़क का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. ग्राम पंचायत मुख्यालय भोमटावाड़ा पाटिया एवं गुद्रा को पक्की सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

65. ग्राम उमाड़ा से वाया-भूरड़ो का बास मेई, होकर-दांतारामगढ़ नांवा-सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. सीकर जिले की पंचायत मुख्यालय की सड़कों को शीघ्र डामर से पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. सीकर शहर में नवलगढ़ रोड पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. ग्राम मंढा-मढ़नी से वाया जीनमाता-खुड सड़क को शीघ्र ही पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. सीकर जिले की अधिकतर सड़कें टूटी हुई एवं लम्बे समय से पेच वर्क तक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई)

70. निवाई से टौंक जाने वाली सड़क पर भारी गड्ढों को ठीक नहीं कराये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

71. निवाई विधान सभा क्षेत्र की रोहोली, सिरस, बोली, दतवास से भितरपुरा सड़कें टूट जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

72. कोथून-लालसोट रोड को टौंक जिला के सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

73. ख्वाजा सा. के 786वें उर्स के संबंध में सड़कों के लिये स्वीकृत राशि का समय पर उपयोग कर कार्यों को समय पर पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विभाग द्वारा अजमेर जिले में अनटाइड फंड से स्वीकृत निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण न करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

75 विभाग द्वारा मापदंडों के विरुद्ध नारेली गांव से पहाड़ पर डामर सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. वर्ष 1997-98 में अजमेर जिले में विभाग द्वारा स्वीकृत एवं कार्य आदेश देने के उपरान्त भी कराये जाने वाले सभी कार्यों को बन्द कर देने के निर्देशों की पालना में कार्य बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. अजमेर जिले में वर्तमान में पदस्थापित विभागीय अधिकारियों के स्थान पर

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

कार्यों में गुणवत्ता के लिये अन्य अधिकारियों को लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

78. ग्राम कैलाशनगर पंचायत समिति शिवगंज से ग्राम पंचायत वाण तक, ग्राम पंचायत नारादरा से ग्राम पंचायत ओडा तक, रोड स्वीकृत करने एवं प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ काम्बेश्वर को डामर रोड से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

79. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत रेवदर से जसवन्तपुरा के बीच पड़ने वाले पुल, रपटें इतने वर्षों बाद भी शुरू नहीं करने से वहां की जनता को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

80. सिरोही से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर सिरोही से सिरोही रोड के बीच भयंकर घाटा पड़ने के कारण ढलान पर गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाते हैं तथा प्रत्येक दूसरे तीसरे दिन भयानक दुर्घटनाएं होती हैं तथा वर्ष भर में अनेकों जानें जाती हैं एवं करोड़ों की हानि होती है इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने विधान सभा में बाईपास बनाने की घोषणा करने बाद भी बाईपास नहीं बनाये जाने पर आम जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

श्री भगराज चौधरी (आहोर)

81. जालोर जिले की आहोर तहसील में सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों-मोरडा से घाणा कानीवाडा से हरजी, चूंडा से संखवाली, चवंरचा एप्रोच सड़क आईपुरा, भोगडा से निलकंठ सड़क का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

82. जालोर जिले की आहोर तहसील के पंचायत मुख्यावास के ग्राम वेडीया एवं बाकली एवं सन् 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 अथवा उससे अधिक आबादी के ग्राम बरवा, मालगढ को डामर की पक्की सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

83. जालोर जिले की आहोर तहसील में स्थिति सांडेराव से मोकलसर स्वीकृत डामर सड़क के शेष हिस्से भवरानी से रायथल (जिला सीमा तक) का डामरीकरण करने एवं ग्राम बाला से भोरडा तक ग्रेवल सड़क का डामरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

84. बजट के अभाव में डूंगरपुर जिले की सड़कों की हालत खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

85. डूंगरपुर जिले की अधूरी पुलियाओं को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)

86. खरबर से लिम्बोढ़ा सराडा अधूरी सड़क केजड से सराडा वाया नीमच सड़क थाणा से बामणिया वाया नहारा सड़क को पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. सरू से सरूपाल पंचायत समिति गिर्वा (उदयपुर) में सड़क पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. देवलदा एप्रोच रोड पर अधूरी पुलिया पूर्ण नहीं करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

89. जिला पाली के ग्राम बींजा, भांगेसर, गेलावास, सावलंता कल्लां, धोलेरिया जागीर आदि पंचायत मुख्यालय को पेवर सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. जिला पाली के पंचायत मुख्यालय खाण्डी ग्राम से रोहट वाली सड़क पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. जिला पाली के ग्राम बस्सी से पानी ग्राम के बीच नदी पर पुल बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. जिला पाली के ग्राम निम्बलाखेडा से राजकियावास मार्ग पर अधूरे रपट/पुल को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. जिला पाली के ग्राम काला पीपल की ढाणी, नया चैण्डा, धोगांणा, आकडावास सीखीयान आदि गांवों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

94. टोडाभीम तहसील की नादौती तहसील में नादौती से गढमोरा एवं लाजसर, गुढाचन्द्रजी से पालवाली सड़क को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. टोडाभीम क्षेत्र में जो सड़क केवल डामर के कारण अपूर्ण है उनका डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. टोडाभीम क्षेत्र में विधायक कोटे से ग्राम सोकरवाड़ा में सड़क का काम पूर्ण करा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. टोडाभीम तहसील की पहाड़ी से शेखपुरा वाली सड़क को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. मेंहदीपुर बालाजी में बाईपास बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)

99. लाडनूं से नागौर रोड की हालत अत्यन्त खराब होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्री हरजीराम बुरडक)

100. डीडवाना से सीकर वाया दयालपुरा सड़क की हालत अत्यधिक खराब होने के उपरान्त भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उभरे असंतोष पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं में बनी हुई बी. टी. सड़कों पर डामर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. लाडनूं नागौर सड़क पर बढ़ते यातायात को देखते हुये स्टेट हाईवे घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. उप खण्ड लाडनूं के ग्राम सुनारी से ही रावती सड़क पर गिट्टी के स्थान पर पत्थर की खदानों का ओवर बर्डन डालने व क्वालिटी कन्ट्रोल द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)

104. तहसील सरदारशहर की टूटी-फूटी सड़कों की अभी तक भी मरम्मत नहीं कराने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

105. सरदारशहर क्षेत्र की सड़कों पर आंधी से आई मिट्टी को नहीं हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. सरदारशहर कालू रोड पर मरम्मत नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. सरदारशहर-चूरू रोड, वाया पुलासा पर मरम्मत नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिये जाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)

109. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में पिड़ावा के पास वाली छोटी नदी पर बनी रपट को रेंजकर पुलिया बनाने एवं 3-4 घण्टे तक लगने वाले जाम से राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में सिरपोई से बोलिया बुजुर्ग व गेलानी से सिलेहगढ़ क्रमश: 6 व 5 कि. मी. की अन्तरराज्यीय रोड स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में सूलीया चौकी से पिड़ावा तक की रोड अत्यन्त खराब हो चुकी है इसे पेवर से बनाये जाने तथा साइडों को भराया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के सुनेल रायपुर रोड पर यशवंतपुरा से कडोदिया तक स्वीकृत डामरीकरण का कार्य कराये जाने एवं कडोदिया के नाले पर रपट का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

113. विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में वाहनों के आवागमन की सुविधा की दृष्टि से आहू नदी पर (सुनेल) अति संकीर्ण पुल को चौड़ा कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)

114. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में सारथल से बिलेण्डी सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के कवाई छबड़ा मार्ग पर लहासी नदी पर पुल नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

116. मूण्डला ग्राम पंचायत मुख्यालय को सड़क से नहीं जोड़ने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

117. रीझा से दिलोद तक सड़क नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

118 छीपाबड़ौद कस्बे की सड़क ठीक नहीं होने एवं सड़क के दोनों तरफ विभाग द्वारा नालिया नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़)

119. छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत मुख्यालयों को सड़क से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

120. छीपा बड़ौद इकलेरा रोड़ पर पर्वन नदी पर पुल बनाये जाने की महती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. छीपा बड़ौद से गंगचाना सड़क नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

122. छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र के 1000 की आबादी से अधिक के गांवों को सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के पेचों को रिपेयर कर ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा)

124. भीलवाड़ा के ग्राम पीपली के पास बनास नदी पर काजवे पुलिया का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. भीलवाड़ा के ग्राम आटूण से बोरड़ा, सड़क निर्माण कराने एवं कोदु कोटा से सोदड़ीयास सड़क का डामरीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रेवती प्रसाद कोली (वैर)

126. विधान सभा क्षेत्र वैर के हन्तरा, खेड़ली और रमासपुरा के मध्य तथा घरसोजी एवं चक घरसोनी के मध्य क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री रेवती प्रसाद कोली)

127. विधान सभा क्षेत्र वैर की बैर से मुहारी मोड़ तक, मुसावर से इटावंदा सिरसियान की नगला, मुसावर से कमालपुरा तक मुसावर से नगला फौजीपुरा सड़कें क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र वैर की हलेना से वैर, हन्तरा से वैर, वैर से भगोरा, वैर से भोपर, वैर से गांगरौली, वैर से बासी अजरोन्दा सड़कों की मरम्मत न कराने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

129. बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराने एवं जोधपुर जिले में खवासपुरा से पालड़ीसिंहा, रामड़ावास खुर्द से पीपाड़रोड वाया खेड़ी सालवा, रामड़ावास कला से पीपाड़ रोड वाया बाड़ा कला मण्डावा से सिंधिपुरा (मांकरी की ढाणी) ग्राम पंचायत तक सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. जोधपुर जिले के कोसावा से खासपुरा के बीच सड़क मरम्मत एवं चौकड़ी के नाले पर पुन: निर्माण नहीं कराने, जोधपुर जिले के ग्राम साथीन में पूर्व निर्मित डामर की सड़क को ठीक नहीं कराने, बोरून्दा से पटेल नगर वाया मांकरा की ढाणी सड़क निर्माण स्वीकृति के बाद निर्माण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

131. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय नीति के अनुसार उन सड़कें जैसे लुधावई से सिनसिनी होते हुए ग्राम टहरकी तक जिन पर केवल गिट्टी कुटी हुई है उस पर डामर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. ग्राम बासी से खेड़ली गड़ासिया तहसील बयाना जिला भरतपुर की सड़क पर बाणगंगा नदी के पानी के बहाव के क्षेत्र में पुलिया अथवा काजबे बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

133. वर्तमान में हुई अधिक बरसात से कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में टूटी सड़कें जैसा साबोरा से महराबा, जागरौली से भाटावली, साबोरा से कुरबारा कुम्हेर से तालफरा, सेबर से हेलक गांधी नगर व अन्य की मरम्मत शीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में 1000 से अधिक आबादी वाले ग्राम राध हेलक को राजकीय नीति के अनुसार सड़क निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1995 व 1996 से आई बाढ़ से टूटी हुई सड़कों की अभी तक भी

(श्री हरिसिंह)

मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ब्रजेन्द्रसिंह सूपा (बयाना)

136. घाघरेन से ईटखोड़ा (बयाना) की सड़क का डामरीकरण कतिपय कारणों से नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

137. बयाना से रूदावल सड़क की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

138. सिहोली से कुईया (धौलपुर) सड़क निर्माण करवाने एवं ग्रेवल रोड पर रोलर चलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. बयाना से बसेड़ी सड़क की मरम्मत अतिवृष्टि के बाद न करने के कारणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

140. बयाना हिण्डौन सड़क पर गदेरबार पास की पुलिया निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी)

141. केकड़ी तहसील में पंचायत बघेरा से पंचायत कावरिया वाया कणोज को अभी तक सड़क से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

142. केकड़ी तहसील में पारा रोड से काली तलाई खेड़ा तक नई सड़क नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

143. केकड़ी तहसील के ग्राम जालिया से वाया गुन्दाली, चन्दाली ताजपुरा छापरी सरवाड़ तक सड़क निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)

144. कुशलगढ़ क्षेत्र में पंचायतों से जोड़ने वाले रोड व पुलिया का निर्माण नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

145. कुशलगढ़ क्षेत्र के टिमेड़ा, बिलड़ी, राडीबडी, जालिमपुरा, हेजामाल महुडो, सड़कों पर डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. कुशलगढ़ क्षेत्र की टिमेड़ा पुलिया को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. कुशलगढ़ क्षेत्र में सड़कों के डामरीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

148. कुशलगढ़ क्षेत्र में पुरानी सड़कों के पेंच निकलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

149. राज्य की सड़क नीति की विसंगतियां दूर करने तथा इस नीति के कारण गांवों को जोड़ने की आवश्यक सड़कों के निर्माण में आई कठिनाई को दूर

(श्री रामनारायण चौधरी)

करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. झुन्झुनूं जिले की भौगोलिक स्थिति एवं सड़कों की लम्बाई आदि को देखते हुए एक अधिशाषी अभियंता का और पद सृजन करने तथा कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

151. झुन्झुनूं जिले में बिसाऊ से झुन्झुनूं–उदयपुरवाटी खण्डेला–रींगस राजमार्ग को चौड़ा करने तथा मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. झुन्झुनूं जिले में डामर की कमी तथा मरम्मत कार्यों के लिए उचित मात्रा में धन आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

153. झुन्झुनूं जिले की मोड की जाखल/सींगनोर से परसरामपुरा/घोका खेड़ा धमोरा/गुढ़ाबासड़ी/जैतपुरा इन्द्रपुरा/केढ़ मैनपुरा/मैनपुरा चंवरा सड़कों के अधूरे पड़े कामों को पूरा न करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

154. उदयपुरवाटी तहसील (झुन्झुनूं) में मणकसास बागोली/झड़ासा पंचकेसी नवलगढ़ सींगनोर सड़कों की मरम्मत कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में बागोली तथा पापड़ा के पास काटली नदी पर पुल अथवा रपटें बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर)

156. रूपवास रोड से घेरी वाली क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. भरतपुर गोरधन रोड पर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए पुल की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़)

158. पंचायत मुख्यालय गेन्दलिया को जिला से गेन्डलिया तक सड़क का डामरीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

159. पंचायत मुख्यालय गेगा का खेड़ा की शेष बची सड़क के डामरीकरण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

160. लालसोट-श्यामपुरा सड़क की मरम्मत करने एवं उक्त सड़क पर बान्डा नाला पर पुलिया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री परसादीलाल मीणा)

161. दौसा जिले की लालसोट तहसील में सड़कों की मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

162. लालसोट-कोथून सड़क पर मोरेल पुलिया का निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर)

163. मण्डार से पादर वाया बड़ेर्चा तहसील रेवदर जिला सिरोही सड़क का डामरीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

164. रानाड़ी विकनपास, रेवदर तहसील जिला सिरोही का डामरीकरण करवाने की आवश्कता पर चर्चा के लिए।

165. पंचायत मुख्यालय पादर रोहुआ, रायपुर, हालीवाड़ा को सिरोही जिले के पंचायत मुख्यालय सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166. रेवदर नदी रेवदर तहसील जिला सिरोही का स्वीकृत पुल शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

167. पिथापुरा (मण्डार) तहसील रेवदर की अधूरी सड़क को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिनारायण (खण्डार)

168. ग्राम भूरी पहाड़ी, डूंगरी, गोठड़ा व डेहकबा (स.म.स.) की अधूरी सड़कों (जो विश्व बैंक द्वारा बनवाई गई है) को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

169. खण्डार से उटगिरी सड़क जिला सवाई माधोपुर में बनास नदी पर चल रहे पुलिया के कार्य को शीघ्र ही पूरा करवाने की आवश्यकता चर्चा के लिए।

170. खण्डार (स.मा.) से रामेश्वर (स.मा.) तक की अधूरी सड़क को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. फलौदी (स.मा.) से कमलेश्वर महादेव तक की सड़क को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

172. भगवतगढ़ (स. मा.) से चौथ का बरवाड़ा (स. मा.) तक पक्की डामर की सड़क बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल)

173. जयपुर मावां तथा नारायणपुरा से मकराना के रास्तों में पड़ने वाले रेलवे फाटकों को सीधा नई सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. बीकानेर-जयपुर मार्ग चौमू पुलिया हरमाड़ा तक सड़क मार्ग 6 लाइन में कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175. जयपुर क्षेत्र के बाईपास सड़कों पर नये पुलों का निर्माण शीघ्र शुरु

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176. जयपुर शहर में विभाग की सड़कों का सुधार कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

177. जयपुर शहर के अधूरी पुलों का निर्माण शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीखा भाई (सागवाडा)

178. ग्राम लेम्बोड पंचायत समिति सागवाड़ा से आश्रम स्कूल चित्रकूट की सड़क के डामरीकरण में पांच लाख रुपयों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

179. डूंगरपुर से बीछीवाड़ा एवं आसपुर से सागवाड़ा की सड़कों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए।

180. माही पुल के टोल टैक्स की अनुचित तरीके से वसूली को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

181. सन् 1996 के 10वें वित्त आयोग द्वारा प्रदान की गई राशि गंगापुर पंचायत समिति ने आज तक ग्राम पंचायतों को सड़क निर्माण हेतु उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

182. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालय में ग्राम शिवाला ग्राम मोहचां, ग्राम पंचायत मुख्यालय सलेमपुर, ग्राम बुचालाई, ग्राम खेड़ाबाढ़ रामगढ़ ग्राम नोगांवा, ग्राम नारायणपुर नटवाड़ा एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय हियोटा की अधूरे हुए सड़क निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

183. गंगापुर एवं हिण्डौन के मध्य गंभिरी नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184. गंगापुर सिटी के बाईपास सड़क निर्माण में शिथिलता बरतने व कार्य बंद करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

185. गंगापुर विधान सभा क्षेत्र के एक हजार से कहीं अधिक आबादी वाले ग्रामों जैसे कि :–रामगढ़, मुराड़ा, बाढ़ रामसर, बिदरखा, किशोरपुर छडोब आदि ग्रामों में सम्पर्क सड़कों को शीघ्र बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)

186. जोधपुर जिले में टूटी सड़कों के मरम्मत के सम्बन्ध में आश्वासित रोजगार योजना में स्वीकृत सड़कों का डामरीकरण बिलाड़ा विधान सभा में करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

187. श्रीगंगानगर जिले की सम्पूर्ण सड़कों को दुरुस्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

188. श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र की नई मंजूर हुई सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

189. श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र (शहरी) की सड़कों को ऊंचा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

190. श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की टूटी हुई पुलियों के पुनः निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)

191. केन्द्रीय सहायता से निर्माणाधीन सीकर से कोटपूतली सड़क को छापोली से आगे बढ़ाकर सीकर तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192. सीकर से जगमालपुरा सड़क पर मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

193. पंचायत मुख्यालय रघुनाथ जिला सीकर में निर्विघ्न आवागमन हेतु नदी पर कॉजवे बनाकर सड़क निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

194. तारपुरा से कोलीडा वाया खेदड़ों की ढाणी सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

195. सिहासन से गुगारा 6 कि. मी. सड़क निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह (महुआ) :

196. सार्वजनिक निर्माण खण्ड करौली के ग्राम पंचायत मुख्यालय तिघरिया पंचायत समिति टोडाभीम की अधूरी पड़ी सम्पर्क सड़क महू से तिघरिया को पूरा बनाये जाने एव टूटी सड़क पर पुलिया एवं कॉजवे बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

197. विधान सभा क्षेत्र महुवा के पंचायत मुख्यालय बडागांव एवं ग्राम खावदा के 1500 से अधिक जनसंख्या के गांव को सम्पर्क सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

198. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड करौली की देवलेन मोड़ से बालघाट वाया जगदीशपुरा मूंडिया सड़क की मरम्मत एवं पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

199. सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड करौली क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय कटारा अजीत को सम्पर्क सड़क से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

200. विधान सभा क्षेत्र महुवा की सम्पर्क सड़क खेड़ला बुजुर्ग से पंचायत मुख्यालय बोंल एवं खेड़ला से खासपुर तक बनी डब्ल्यू. बी. एम. सम्पर्क सड़क का डामरीकरण करवाये जाने की

(श्री हरिसिंह)

महती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

201. धोद विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सुजानपुरा, जाचास, जस्सुपुरा, मण्डोली, रेवासी, भीगर बड़ी, मुकन्दपुरा आदि गांवों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

202. धोद विधान सभा क्षेत्र की टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

203. सीकर जिले की रामपुरा से पूरा छोटी सड़क नहीं बनाने से जनता की परेशानी से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री कमल (हिण्डौन)

204. हिण्डौन बयाना सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

205. हिण्डौन क्षेत्र में स्टेट हाई-वे 22 पर रेलवे स्टेशन के निकट ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

206. हिण्डौन बाईपास को अधूरा छोड़ देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

207. रेलवे स्टेशन हिण्डौन से गऊशाला तक सड़क की हालत नहीं सुधारने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

208. जगर नदी पर हिण्डौन बयाना सड़क पर पुल या वेन्टेड कॉजवे बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (मकराना)

209. मकराना विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत एवं नई सड़कों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपीराम जाट (आमेर)

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल)

210. जयपुर से किशनगढ़ तक अजमेर रोड को चार लेन बनाने के लिए कार्य का शीघ्र निष्पादन कराये जाने में हो रहे विलम्ब से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

211. जयपुर से जोधपुर के लिए स्टेट हाई-वे बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

212. दिल्ली रोड से आगरा व टोंक रोड तक बाईपास सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

213. जयपुर से सीरसी व बोराज तक सड़क बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

214. बाईपास जोन "सी" को अविलम्ब पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण)

215. शत प्रतिशत जनजाति गांव फोपटी जिसकी ग्राबादी एक हजार से ऊपर है, को पक्की सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत ग्रम्बेरी के मुख्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. पर्यटन स्थल माउंट ग्राबू एवं रणकपुर को कैलाशपुरी, नाथद्वारा से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण एवं ईसवाल रोड से रामा कैलाशपुरी की सड़क के डामरीकरण की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. गिर्वा पंचायत समिति के तहत शेष रहे 1991 की ग्राबादी के 750 की ग्राबादी वाले गांव एवं पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी)

219. चिड़ावा नगरपालिका में चुंगी नाका से लेकर बाईपास तक सड़क निर्माण पिलानी नगरपालिका में सड़क निर्माण तथा पिलानी क्षेत्र के ग्रामों की सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर)

220. धौलपुर जिले में सेपद्रा-बाडी सड़क पर नदी से बार-बार सड़क कटने और उस पर पुलिया नहीं बनाने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

221. धौलपुर जिले में ग्रोडेला कोलारी सड़क पर ग्राम मालोनी खुर्द के पास पार्वती नदी पर रपट को ऊंचा उठाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की सभी टूटी पड़ी सड़कों की मरम्मत नहीं कराने से व्याप्त ग्रसंतोष पर चर्चा के लिये।

223. धौलपुर जिले में डांग विकास योजना में स्वीकृत ग्राम विपरपुर से मानपुर तक सड़क को अधूरा बनाकर छोड़ देने व ग्राम मानपुर तक नहीं जोड़ने से व्याप्त ग्रसंतोष पर चर्चा के लिये।

224. धौलपुर जिले में ग्राम टहरी से मानपुर सड़क पर आज तक कार्य प्रारंभ नहीं करने से व्याप्त ग्रसंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर)

225. जालोर शहर के पास सोनपुरा में जवाई नदी पर पुल बनाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. पंचायत समिति जालोर में ग्राकोली नदी पर पुल बनवाने की ग्रावश्यकत॰ पर चर्चा के लिये।

227. जालोर पंचायत समिति के गांव मेडा उपरला (पंचायत मुख्यालय) को डामर की सड़क से जोड़ने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

228. मसूदा विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. मसूदा विजयनगर रोड को चौड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. मसूदा क्षेत्र के सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. पंचायत लोडिया मसूदा में मसूदा नाले पर पुल विजयनगर मसूदा रोड पर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी)

232 पंचायत समिति केकड़ी (अजमेर) पारा से काली तलाई खेड़ा व बघेरा से करोज वाया काबरियां सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 21 पर विचार

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

एक माननीय सदस्य : पहले इनको ?

श्री सभापति : हो गई न प्रस्तुत। वाद-विवाद होगा अब। श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : ये आ गये चुन्नीलाल जी। बोलो आपका नाम लिया गया है।

श्री सभापति : आपकी लिस्ट ही नहीं है, लिस्ट लाओ।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मैं बोलूं क्या ?

श्री सभापति : हां, बोलिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदया, आज रोड एवं पुल विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले मुझे मौका दिया उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हमारे माननीय सरकारी मुख्य सचेतक महोदय का भी कर रहा हूं। पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद सरकार के निर्माण में एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ। बम्बई से चलने वाला यात्री गुजरात आता था और जब राजस्थान में प्रवेश करता था और उसकी गाड़ी के धक्के लगते थे तो वह समझता था कि मैं राजस्थान में आ गया... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, टोका-टाकी नहीं करें। अभी शुरूआत ही नहीं की उसके पहले बोलना शुरू।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद....

श्री हीरालाल बिश्नोई : ....(व्यवधान) अभी पता चल जाता है कि हमारा राजस्थान आ गया है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : गुजरात में प्रवेश करने वाला यात्री राजस्थान में आने के बाद यह पूछता है कि यह राजस्थान है या गुजरात है। मतलब, हम भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, विपक्ष के लोग और एक आने वाला यात्री भी प्रदेश में प्रशंसा करता है तो आपको भी मन से मानना चाहिए, मैं प्रतिपक्ष के हमारे बन्धुओं से भी यह निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय ललितकिशोर जी चतुर्वेदी ने इस विभाग को सम्भाला। सम्भालने के बाद उनकी एक भावना रही, मानसिकता रही कि वास्तव में काम में क्वालिटी आनी चाहिए, गुणात्मक ढंग से इसका निर्माण होना चाहिए और आज सारे राजस्थान में बनने वाली सड़कें पेवर से बनती हैं। मैं समझता हूं कि पहली बार इस तरह की टैक्नालॉजी चेंज की गयी है। मैं मानता हूं कि उस चीज को कि पेवर से बनने वाली सड़कों में गुणात्मक परिवर्तन काफी हुआ है, क्वालिटी में अन्तर आया है। इसको हम सबको भी मानना चाहिए। राजस्थान में जो एक पालिसी बनाई गयी है कि ग्राम पंचायत और हजार की आबादी से ऊपर के गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे, मैं समझता हूं लोकतंत्र की हमारी पद्धति चालू हुई उसके बाद राजस्थान में पहली बार इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें चाहे कांग्रेस का विधायक है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, चाहे निर्दलीय विधायक है ईमानदारी से ऐसे गांवों को जोड़ा गया जो पूर्व में राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित रखे गये थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कौन, किसने उपेक्षा की ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : ये सब समझते हैं सामने वाले। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसमें रहने वाले मंत्री की सोच है कि प्रदेश का सामूहिक और समान रूप से विकास होना चाहिए और इस भावना को ले कर सारे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया। विशेष रूप से जनजाति क्षेत्र में जहां पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर ऐसे गांव हैं कि जहां कोई अगर बीमार हो जाए, कोई बहन का डिलीवरी केस हो जाए तो चारपाई में डालकर हास्पिटल में लाते थे। लेकिन आज सड़क बनने के बाद यातायात के साधन मिले, आवागमन के साधन मिले और वे आवागमन के साधन मिलने के कारण शहर और गांव के बीच में आने-जाने के लिए एक मजदूरी मिली, लोगों को एक नया शहरी वातावरण मिला। इसलिए एक परिवर्तन आया इन सड़कों का। मैं कहता हूं कि सड़क तो एक विकास का आयाम है। इस विकास के आयाम को गांवों तक पहुंचाया उसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

आपने जो नियम बनाये, जो आधार रखा उसमें कई गांव जुड़े हैं लेकिन साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासी गांव मजरों में बंटे रहते हैं इसलिए आबादी के अनुसार ये कुछ गांव ऐसे जुड़ नहीं पाये। भौगोलिक दृष्टि से ऐसे गांवों की एक गांव से दूसरे गांव के बीच में अगर सीधी नाप ली जाए तो बहुत कम डिस्टेंस होता है, बहुत कम दूरी होती है लेकिन पहाड़ों के बीच में दर्रे होते हैं और दर्रों के बीच में आने-जाने में बड़ी दुविधा होती है। तो

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

नियमों में शिथिलता अगर ट्राइबल बैल्ट में अपनाएंगे तो मैं समझता हूं कि कुछ गांव जो ऐसे वंचित रहे, सड़कों से वे निश्चित रूप से जुड़ेंगे। पक्की सड़कों से नहीं जोड़ें आप, पुल बना दें, छोटी-छोटी पुलिया बना दें, सी. डी. वर्क कर लें और ग्रेवल रोड बना दें तो मैं समझता हूं कि ये सारे गांव जुड़ेंगे और उससे जो हमारे आदिवासी भाई हैं बनवासी भाई हैं उनका सम्बन्ध शहर तक जुड़ेगा। उसको शहर में रोजगार के के लिए अवसर मिलेगा और वह शहर तक आएगा। सारे शहर के विकास के काम में उसे सुविधा है, उसकी समस्याओं के लिए उसका एक बहुत बड़ा सहयोग हम कर पाएंगे।

माननीय मंत्री महोदय, यह जनजाति क्षेत्र दक्षिणी भाग राजस्थान का है गुजरात से जुड़ता है, मध्य प्रदेश से जुड़ता है। कई ऐसी सड़कें हैं जिनका वापस पैच वर्क नहीं हुआ, दुबारा डामरीकरण नहीं हुआ। उस कारण से हमारे प्रदेश के बारे में सही मैसेज नहीं जाता है। तो कम से कम अपने प्रदेश में सीमाओं से मिलने वाली जो सड़कें हैं–चाहे गुजरात से मिलती हों, चाहे मध्य प्रदेश से मिलती हों, सड़कों के बारे में जैसे आपने एक पालिसी बनाई है इन अन्तरराज्यीय सड़कों के बारे में भी एक निश्चित पालिसी होनी चाहिए कि कितने समय में इनका दुबारा रीमूल्यांकन होना चाहिए, कितने समय में वापस उनका रीकारपेट होना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय, कुछ नदियां पड़ती हैं, कुछ नाले पड़ते हैं जिसमें सी. डी. वर्क जुड़ने से आपको डामरीकरण की जरूरत पड़ेगी। ग्रेवल रोड बनी हुई हैं लेकिन पुलिया न होने के कारण बरसात के टाइम में वहां आवागमन के साधन बंद हो जाते हैं। ऐसे स्थान विशेष रूप से मेरे गिर्वा क्षेत्र में बहुत हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया है, लिखकर भी दिया है और आज मैं विशेष रूप से आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे सी. डी. वर्क जो ग्रेवल रोड से जुड़े हुए हैं लेकिन सी.डी. वर्क पुलिया न होने के कारण बरसात के समय में कट जाता है, अगर आप उस सी. डी. वर्क को प्राथमिकता देंगे तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा लाभ हम उस क्षेत्र को दे पाएंगे।

माननीय मंत्री महोदय, हमारे पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया आपने लेकिन जो असेट्स हम तैयार करते हैं उन असेट्स की वापस देखभाल भी होनी चाहिए। इन सड़कों की अगर आपने देखभाल नहीं की तो मैं समझता हूं आने वाले समय में प्रदेश के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। जो जाल बिछाया सड़कों का उसका रीकारपेट, पैचवर्क नहीं होगा तो वे सड़कें टूटेंगी और हाल यह बनेगा कि आपको नयी सड़कों का निर्माण करना पड़ेगा। अपने बजट में इनके लिए निश्चित निर्धारण होना चाहिए कि हमारी जो सड़कें बनी हुई हैं निश्चित समय पर वापस उनका पुनः निर्माण हो ताकि कम से कम जो टूटी-फूटी सड़कें हैं वे ठीक हो सकें। हमारे बांसवाड़ा जिले में ईगढ़ी से आनन्दपुरी और गुजरात को जो रोड मिलाता है वहां डामर पर गाडियां नहीं चलती हैं, सारा डामर टूट चुका है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, कुछ ऐसी अन्तरराज्यीय सड़कें हैं, इन पर ध्यान देवें।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

सड़कों के लिये इस साल बजट कम रखा है आपने लेकिन मैं समझता हूं अन्य कई तरह से या लोन लेकर भी प्रदेश की जो सड़कें हैं ठीक कर सकते हैं। हजार से साढ़े सात सौ आबादी और जनजाति क्षेत्र में साढ़े सात सौ रखा है आपने, ऐसे गांव आपके कार्यकाल में जुड़कर प्लान में आ जाएं, यही मेरी विनती है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः माननीय सभापति महोदय को धन्यवाद देता हूं धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामेश्वरजी भारद्वाज।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह कौनसा + + + है ? आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

श्री सभापति : ले रही हूं, + + + नहीं है। + + + नहीं है, ले रही हूं। आज इधर बोलने वाले ज्यादा हैं। अगर आपका पूरा हो गया तो आप चले जाएंगे, इसलिए।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : सभापति महोदय, आज सड़क और पुल की मांग संख्या-21 पर चर्चा सदन में हो रही है, मैं भी अपने विचार इसमें व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने राजस्थान में सड़कों का एक जाल बिछाया है और सड़क हमारे विकास की कुंजी है। आवागमन के जितने भी साधन बढ़ेंगे वह बिना सड़क के संभव नहीं है। चाहे उद्योग हों, चाहे व्यक्ति के आने-जाने के साधन हों या अन्य किसी प्रकार के काम हों, सड़क के बिना संभव नहीं हैं। आपने एक विशेष योजना बनाकर, सड़क नीति बनाकर एक उद्देश्य सामने रखकर विकास किया है। कई सारे गांवों का इस प्रकार से पहले विकास नहीं हो पाया, कई बार उपेक्षा के शिकार हुए, व्यक्तिगत रूप से प्रभाव डालकर अपने गांवों की सड़क भी बनवा ली गई लेकिन मैं इस बारे में मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि विधिवत विकास के लिये उन्होंने एक सड़क नीति बनाई और एक टारगेट अपने सामने रखा। एक हजार तक के 1991 तक की आबादी के गांव, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय, इसी प्रकार से नेशनल हाई-वे हैं उनका सुधार कार्य तथा मुख्य सड़क से जुड़े तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर के धार्मिक स्थान, उन सबको बिना भेदभाव के सड़क से जोड़ने का आपने संकल्प लिया और इसी के अनुसार उसको पूरा भी किया। इसी तरह से कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है और एक माननीय सदस्य ने तो उदाहरण देकर समझाया कि जब राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो पता लग जाता है कि अब राजस्थान में प्रवेश कर गये हैं। लेकिन जो धक्के वाली सड़कें थीं उन सड़कों में सुधार किया और उसका उलटा परिणाम हुआ कि राजस्थान से बाहर जाने के बाद पता लगता है कि हम राजस्थान से बाहर आ गये हैं। इतना व्यापक सुधार सड़क में किया है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जयपुर में भी आपके कार्यकाल में अच्छे सुधार कार्य हुए हैं-आगरा रोड या

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

घाट की गूनी, दिल्ली बाई पास रोड पर बंध की घाटी और इसी प्रकार जयपुर शहर के जितने भी चौराहे, तिराहे और सर्किल थे उन सबका भी व्यापक विकास किया है। चाहे संजय सर्किल, चांदपोल के बाहर आप देख लें या कई बार माननीय सदस्य राम बाग सर्किल से भी जाते होंगे, आज देखकर अपने को प्रसन्नता होती है।

लेकिन सारी सड़कों को ठीक प्रकार से मेन्टेन रखने का जो अभाव रहा है उस ओर मैं जरूर माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैंने पहले भी अपने सुझाव में एक बात कही थी कि जो वर्षा का मौसम है इस वर्षा के मौसम में हमको सभी रास्तों को ठीक प्रकार से देखना चाहिये। माननीय अधिकारियों को निर्देश दें कि वे इस समय सभी सड़कों का निरीक्षण करें। जयपुर शहर में पिछले दिनों जो बारिश हुई उस बारिश में माननीय मंत्री जी ने भी सब प्रकार से सूचनाएं संकलित की होंगी, शहर की अनेक बस्तियां और रोड ऐसे थे जिनमें पानी पर्याप्त मात्रा में भरा। आप यदि कभी सोढाला चले जाए तो सोढाला में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था वर्षा के समय। इतनी बड़ी व्यापक सड़क है उस पर भी पानी इस प्रकार से भर गया था कि दो-दो फीट पानी में से लोगों को आना-जाना पड़ा। इसी तरह से एम. आई. रोड पर भी कई स्थानों पर इस प्रकार के अवरोध हैं कि थोड़ी-सी बरसात आ जाने के बाद मकानों और दुकानों में पानी चला जाता है। अभी पिछले दिनों में हमारे जी. पी. ओ. के पीछे की जो सड़क थी, सारी की सारी पानी से भर गई थी। मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है, जो नाले बनाये जाते हैं पानी के निकास के लिए, कोई भी एजेंसी उनको बनाती है लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग को उसकी मानिटरिंग करनी चाहिये कि यह जो नाला बना रहे हैं वह पर्याप्त ढलान से बना रहे हैं, पर्याप्त पानी के दबाव की निकासी के लिये बना रहे हैं। आखिर हमारा पैसा भी खर्च होता है, उसका यदि ठीक उपयोग नहीं हो तो फिर उसका बनाने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं यह चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से कि वे अपने विभाग को यह निर्देश दें कि जो भी सड़क के किनारे नाले नगर निगम बनाता है या जयपुर विकास प्राधिकरण बनाता है, उसका निरीक्षण निश्चित रूप से अपने अधिकारियों से करवाना चाहिए।

इसी तरह से बहुत अच्छी सड़क में भी छोटे-छोटे गड्ढों के कारण हमारी बहुत बदनामी होती है। इस समय भी आप देखेंगे तो बहुत थोड़ी वर्षा में अनेक स्थानों पर टूट-फूट हुई है। अगर हम मिर्जा इस्माइल रोड का उदाहरण लें तो इतनी अच्छी सड़क पर भी चार गड्ढे हो जाने के कारण आने-जाने वाले को वे गढ्ढे चुभते हैं। यह बात सही है कि जब एक बार हम अच्छी सड़क बना देते हैं और थोड़ी-सी भी टूट-फूट होती है तो हमें निश्चित रूप से दिखाई देती है। मेरा माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन है कि ऐसी सड़कों को त्वरित गति से एक बार ठीक कराने का जो प्रयास है उसमें कहीं न कहीं गति लानी चाहिये। इस समय वर्षा से टूटी सड़कों में जो एक-एक फीट, दो-दो फीट के गड्ढे हैं उनमें कोई भी मैटेरियल डलवाकर एक बार उनको बंद करना नितान्त आव-

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

श्यक है, अन्यथा जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता है हमारी बहुत अच्छी सड़कों की भी तौहीन करता है। इससे हमें निश्चित रूप से बचाव करना चाहिये।

इसी तरह से नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण या टेलीफोन विभाग द्वारा पाइप लाइन के लिए जो सड़क टूट जाती है हालांकि उसका पैसा जमा होता है, लेकिन उसके सम्बन्ध में नियमों में कोई संशोधन अवश्य करना चाहिए अन्यथा वे सड़क खोदने के बाद ऐसे के ऐसे छोड़ देते हैं। अभी पिछले दिनों बारिश में थोड़ा-सा पानी बह जाने से जो मिट्टी कच्ची थी वह निकल गई और एक पूरी की पूरी बड़ी बस के एक साइड के सारे के सारे व्हील उस गड्ढे में फंस गये और घंटों रास्ता अवरुद्ध हो गया। इस प्रकार से उन रास्तों को तुरन्त ठीक कराना चाहिये। वनस्थली मार्ग का इस सम्बन्ध में उदाहरण देकर समझाता हूं कि वहां से सारी राजस्थान रोडवेज की बसें निकलती हैं और जितने भी यात्री जयपुर आते हैं, वनस्थली मार्ग से निश्चित रूप से उनको आना-जाना पड़ता है। उस सड़क पर इसी प्रकार से सीवरेज लाइन डालने से वह कटी हुई सड़क आज भी ऐसे के ऐसे पड़ी है।

कुछ सुझाव मैं और देना चाहूंगा कि जब आप सड़क बड़ी करते हैं उस समय कई सारे अवरोध छोड़ देते हैं। किसी व्यक्ति के प्रभाव से पूरी सड़क तो चौड़ी कर दी परन्तु 10 फीट की बीच में छोड़ देते हैं। उस सम्बन्ध में हमको पूरा ध्यान रखना चाहिये। कई स्थानों पर सड़क चौड़ी की है वहां बिजली के खम्भे आज भी 6-6, 8-8 महीने से खड़े हैं। अभी सी-स्कीम में एक सड़क चौड़ी की जा रही है जिसमें बहुत बड़े-बड़े पेड़ चौड़ी करने के बाद भी बीच में खड़े हैं। हमारे नियमों में कोई न कोई संशोधन करना आवश्यक है। जब एक बार हमने सड़क चौड़ी करने की मन में ठान ली और बिजली विभाग या अन्य कोई जो विभाग हैं, उसमें हमारा सहयोग नहीं करें तो मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी विसंगति है। इसके सम्बन्ध में भी अपने विभाग या अन्य विभागों के साथ बैठकर बात करनी चाहिये। इसी तरह से अनेक ऐसे तिराहे हैं जहां एक्सीडेन्ट का आज भी खतरा बना हुआ है। वहां भी एक बार निश्चित रूप से ध्यान देकर आप उसमें सुधार करवाएंगे, ऐसा मुझे निश्चित रूप से विश्वास है।

जो हमारे नेशनल हाई-वे हैं, आपने दिल्ली बाइपास को भी किया है, आगरा रोड को भी ठीक किया है, अजमेर रोड को भी ठीक किया है, टोंक रोड को भी ठीक किया है, परन्तु बीकानेर जाने वाली सड़क बहुत उपेक्षित है। मैंने कई बार यह बात आपसे निवेदन करके कही है, आपने अधिकारियों के साथ बैठकर उसका एस्टीमेट भी बनाया लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि आज हम पानीपेच के चौराहे से लेकर हरमाड़ा तक देखेंगे तो आपकी 6 लाइन की सड़क बन सकती है लेकिन आज व्यक्ति के मन में जमीन रोकने का जो लालच है। आज मैं समझता हूं पानीपेच से लेकर हरमाड़ा तक कोई अवरोध नहीं है, आपने भी निरीक्षण किया है। इसको प्राथमिकता से लें अन्यथा लोगों के कब्जे हो जाएंगे फिर

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

हमारी इच्छा होगी तो भी हम पूरा नहीं कर सकेंगे ।

एक मेरा सुझाव और था। आपने एक बार सब विधायकों के साथ जयपुर शहर का निरीक्षण किया था अपनी सड़कों का, लेकिन एक बार होने के बाद अब वह प्रक्रिया बंद हो गयी है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वह बहुत ही सफल प्रयास था आपका । हमारे मन में जो बातें उठती रहती हैं, जो हमें तकलीफ लगती है, आपको बताने में कोई संकोच नहीं है परन्तु आप स्वयं भी आंखों से देखें तो आप और आपके अधिकारी बहुत आसानी से निर्णय ले सकते हैं, इसलिए मेरा पुनः आपसे अनुरोध है कि आप फिर से इस प्रक्रिया को चालू करें । केवल जयपुर में ही नहीं, मैं तो कहूंगा कि सभी विधायकों के क्षेत्र में जब भी आप प्रवास पर जाएं तो इस प्रकार का निश्चित कार्यक्रम रखें । इससे आपके कार्य में गति भी आएगी और सुधार भी होगा ।

(15.00)

इसी तरह से आपने पुलों का भी निर्माण काफी मात्रा में कराया है । हमारे जयपुर में अभी जो निर्माणाधीन पुल है उनकी गति काफी कम हो गयी है । थोड़े से काम के लिए वे पुल अधूरे पड़े हैं, उन अधूरे पुलों के कारण आवागमन की बहुत असुविधा होती है । मेरा आपसे आग्रह है कि जो निर्माणाधीन पुल हैं उन पुलों को आप एक बार निश्चित रूप से गति दें । इसी प्रकार से, 22 गोदाम का जो आपने पुल बनाया है यह पुल भी जो दोहरी लाइन बनना था, एक लाइन में बना है । आप कई बार वहां से आते-जाते भी होंगे, जब आप सिविल लाइन की ओर से सी-स्कीम में आने के लिए आएंगे तो एक कोना ऐसा बना है कि वहां कई गाड़ियां एक्सीडेन्ट हुई हैं और कई-कई बार तो बड़े-बड़े ट्रक भी वहां जाकर टकरा जाते हैं एक ऐसा कोना जो बना हुआ है या तो आप उसको टेढ़ा करके एक दीवार बनाएं अन्यथा प्रतिदिन कोई न कोई एक गाड़ी आकर टकराती है और उससे बहुत जानमाल का खतरा बना रहता है । इसी तरह से उसकी एक साइड में जो उतरने के लिए आपने रास्ता बनाया है वह भी आज बन्द है । उसका कारण मुझे समझ में नहीं आता । उसे आप प्राथमिकता से लें । उसमें मुझे बहुत खर्च वाली बात नहीं लगती । आप अपने विभाग के अधिकारियों को एक बार कहें कि वे रास्ता तो चालू करायें ताकि वहां इण्डस्ट्री एरिया में जाने-आने की सुविधा मिल सके । इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, झोटवाड़ा है, गोपालपुरा बाइपास है या मालवीय नगर में रेलवे लाइन के नीचे से जो मार्ग बना है वह लगभग पूरा होने को तैयार है, आप थोड़ा-सा इनको गति प्रदान करें । अन्य भी ऐसे 2–3 स्थान हैं जयपुर शहर में जिनको पुलिया से जोड़ना बहुत आवश्यक है, आप इसको प्राथमिकता से लें । मैं जयपुर स्टेशन के पास के रेलवे फाटक की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । वहां बहुत आवागमन है और जो पुल बना अजमेर रोड का वह स्टेशन से दूर पड़ता है । मेरी ऐसी इच्छा है कि आप इसको ओवरब्रिज नहीं बनायें तो कम से कम एक नीचे से ऐसा रास्ता बना दें ताकि छोटी कार जैसी गाड़ी

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

आसानी से आ जा सके। यह बहुत आवश्यक है। रेलवे स्टेशन का विकास होने के कारण अब दोनों ओर बुकिंग आफिस और प्रवेश द्वार आप स्टेशन पर बनाएं। अगर यह रास्ता नीचे से जोड़ देते हैं आप तो मैं समझता हूं कि स्टेशन से निकलने वाला जो यातायात है उसको बहुत सुगमता से आने-जाने की सुविधा होगी। इस रास्ते पर आगे तक, मैं समझता हूं सिरसी और बिंदायका तक बहुत बड़ी आबादी बसी है और रेलवे का गुड्स शेड भी उधर कनकपुरा में बनने जा रहा है इसलिए इस रोड की बहुत आवश्यकता है। इसी तरह से अमानीशाह के नाले में भी जिस प्रकार से हम जाते हैं, बहुत छोटा रास्ता है। अभी-अभी आपने अजमेर रोड पर साइड में एक छोटा-सा मार्ग बनाया है, मैं उसको ठीक से नहीं समझ पाया कि वह क्यों बनाया गया है। इसी रास्ते को यदि चौड़ा करते तो और अच्छी तरह से हम उसको ठीक कर सकते थे।

कुछ सुझाव मेरे और भी हैं। अजमेर रोड पर से यातायात कम करने के लिए आपने इधर से नावां वाले शहर को बड़ा किया है और सुधार किया है। मेरा एक सुझाव है। इस रास्ते में नमक की ढुलाई और मार्बल की ढुलाई बहुत बड़ी मात्रा में होती है। यदि आप नावां शहर के पहले वाले फाटक को और अन्त वाले फाटक को सीधी सड़क से जोड़ दें और शहर में से उसका प्रवेश जो शहर में जाते हैं उन्हीं के लिए चालू रखें तो मैं समझता हूं यातायात में बहुत बड़ी सुगमता होगी और हमारी बहुत बड़ी बचत भी होगी अन्यथा घंटों तक यातायात अवरुद्ध हो जाता है। इसी तरह से मंगलाना से पहले और मंगलाना के बाद मकराना की ओर भी दो रेलवे फाटक ऐसे हैं जिनके कारण ट्रैफिक रूकता है। इन दो स्थानों पर अगर आप इस रोड को सीधे बना देते हैं तो दो फाटकों में से आना-जाना नहीं पड़ेगा और घंटों तक जो यातायात खड़ा रहता है उसको सुगमता रहेगी, ईंधन की भी बहुत बड़ी बचत होगी।

इसी तरह से आप जयपुर में जो सर्किल रोड बना रहे हैं उसमें दिल्ली बाइपास से आगरा और आगरा से टोंक रोड को जोड़ने वाली एक बाइपास सड़क अधूरी है। उसको भी आप प्राथमिकता देकर शीघ्र बनाएंगे तो मैं समझता हूं, जयपुर शहर में जो यातायात आता है उससे बहुत बड़ी सुगमता होगी। इन्हीं सुझावों के साथ मैं आपसे पुन: एक बार यह आग्रह करूंगा कि तुरन्त सुधार वाला कार्य, बरसात के दिनों में जो छोटे-छोटे गड्ढे हो गये हैं इन सब को आप प्राथमिकता से ठीक करा दें। आपने जो ये जोन बना रखे हैं उनमें अभी यदि कर्मचारियों की कमी है तो इसके लिए एक स्पेशल सेल बनाकर इस कार्य को प्राथमिकता दें। माननीय मंत्री जी को मैं पुन: एक बार धन्यवाद करता हूं। आपने समय दिया, सभापति जी, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शांतिकुमारजी धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : सभापति महोदया, मैं मांग संख्या-21 के बारे में कहूंगा। सभापति महोदया, पिछले सत्र में मैंने एक तारांकित प्रश्न का जवाब

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

सरकार से चाहा था । सैशन खत्म होने के बाद में मुझे जवाब मिला । उस जवाब को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ । मेरे मूल प्रश्न को ही बदल दिया गया बगैर मुझसे पूछे । मेरा मूल प्रश्न यह था कि वर्ष 1995-96 से 1996-97 तक राजस्थान स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड, कोटा की यूनिट द्वितीय व चतुर्थ में जारी किये गये कुल कार्यादेश (वर्क-आर्डर) की प्रति और "जी" शिड्यूल की प्रति मेज पर रखें । बदलकर उसको यह कर दिया गया कि राजस्थान स्टेट ब्रिज कारपोरेशन, कोटा की यूनिट द्वितीय व चतुर्थ में वर्ष 1995-96 के सारे कार्यादेशों की प्रति व "जी" शिड्यूल की प्रति सदन के पटल पर रखें और 1996-97 के बारे में यहां बदला है, सभापति महोदया, कि 1996-97 के बाबत मुझे जानकारी देने की कृपा करें जबकि मैंने जानकारी ही नहीं चाही थी । मैंने 1995-96 में वर्क आर्डर जितने भी इश्यु हुए थे उनकी और "जी" शियूड्ल की कॉपी मांगी थी और 1996-97 की भी मांगी थी । 1995-96 की कॉपी आपने मुझे वर्क आर्डर और "जी" शिड्यूल की भी दे दी लेकिन 1996-97 की कॉपी न देने के पीछे क्या कारण था ? सभापति महोदया, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि यह मूल प्रश्न मेरा इसलिए बदला गया कि 1996-97 में यूनिट द्वितीय और चतुर्थ में जितने बड़े घोटाले और जितनी बड़ी अनियमितताएं हुई हैं, करोड़ों रुपये का सरकार को जो चूना लगाया गया है और अपने चहेतों को जिस तरीके से फायदा पहुंचाया गया है उसकी जानकारी मुझे न हो । मेरा स्पष्ट आरोप है, यह सवाल इसलिए बदला गया है । न केवल इसका फर्स्ट पार्ट बल्कि सैकण्ड पार्ट भी, सभापति महोदया, बदल दिया गया जिसमें मेरे द्वारा यह पूछा गया था कि क्या ब्रिज कारपोरेशन की कोटा यूनिट द्वितीय व चतुर्थ द्वारा बिना खुली निविदाएं आमंत्रित किये ही....

श्री मदन दिलावर : विधान सभा सचिवालय बदलता है, डिपार्टमेंट नहीं बदलता प्रश्न ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दूसरा पार्ट मेरे सवाल का यह है, सभापति महोदया, कि क्या ब्रिज कारपोरेशन की यूनिट द्वितीय व चतुर्थ द्वारा बिना खुली निविदाएं आमंत्रित किये ही कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इन कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखते हुए उनका औचित्य भी बताएं । इसके बजाय जो मुझे जवाब दिया गया वह यह दे दिया गया कि नहीं । सभापति महोदया, सन् 1995–96 की वर्क आर्डर जो मुझे सूची उपलब्ध करायी गयी उसके अनुसार आर. बी. सी. सी. की सैकिण्ड यूनिट में कुल मिलाकर 498

(15.10)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

कार्यादेश और यूनिट फोर्थ में 235 कार्यादेश जारी किये गये और इन्हीं दोनों यूनिटों में सिर्फ एक-एक, एक एन.आई टी. तो निकाली आपने यूनिट सैकिण्ड में और एक एन.आई टी. निकाली आपने यूनिट फोर्थ में । बाकी जितने भी कार्यादेश थे, कुल मिलाकर 733 कार्यादेश बिना खुली निविदाओं के दे दिये गये, जबकि आपके जवाब में यह लिखा है

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आपने कि बिना खुली निविदाओं के कोई भी कार्यादेश जारी नहीं किये गये। यह सब कुछ क्यों हुआ? ठीक इसी तरीके से सन् 1996-97 में कुल कार्यादेश जारी हुए 1036 जो कि बिना खुली निविदाएं आमंत्रित करके सीधे के सीधे दे दिये गये। यह स्पष्ट आरोप है, सभापति महोदय, कि 1995 से लेकर के 1997 तक 40 करोड़ के काम इन दोनों यूनिटों में बगैर खुली निविदाएं आयोजित किये दे दिये गये, अपने चहेतों को दे दिये गये। अब आप उनका वैल्युएशन करें तो 40 करोड़ के बजाय 20 करोड़ रुपये का भी कंस्ट्रक्शन काम वहां पर नहीं हुआ। मेरे पास वह जवाब भी मौजूद है, सभापति महोदय, जो डिपार्टमेंट के द्वारा....

एक माननीय सदस्य : महोदय।

श्री सभापति : शांतिकुमारीजी, आज यह क्या कर रही हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आसन में परिवर्तन हो गया, आप मेरा नाम तो परिवर्तित न करें।

आपके द्वारा यह बताया गया कि खुली निविदाओं के बगैर कोई भी कार्यादेश जारी नहीं हुए। मैं आपको यह लिस्ट बताना चाहता हूं। यह देखिये आप कि 726 काम तो सिर्फ एक यूनिट में और 1036 काम दूसरी यूनिट में बगैर खुली निविदाओं के जारी हुए हैं, 40 करोड़ के काम हैं। आप बताइये यह कि कौनसे नियम में लिखा हुआ है बगैर खुली निविदाओं के? यह गलत जवाब, इस तरीके का जवाब आप जैसे वरिष्ठ मंत्री के द्वारा, मैं नहीं सोचता कि यह कोई शोभाजनक बात है या कोई अच्छी बात है।

मेरे पास वह जवाब भी मौजूद है, मंत्री महोदय, जो विभाग के द्वारा आपके पास भेजा गया और जिसमें यहां पर आकर परिवर्तन कर दिया गया। दोनों आवासीय अभियंताओं के दस्तखत भी मौजूद हैं मेरे पास। लेकिन यहां आकर यह परिवर्तन क्यों कर दिया गया? क्यों नहीं आप उनके 1996-97 के जो शिड्यूल और वर्क आर्डर की कॉपी दिलवाना चाहते हैं? सभापति महोदय, मेरा स्पष्ट आरोप है कि करोड़ों रुपये के घोटाले उस यूनिट सैकिण्ड में और यूनिट फोर्थ में 1996 और 1997 में हुए हैं और उन कागजों की उपलब्धि मुझे इसलिए नहीं करवायी जा सकती कि उसमें करोड़ों रुपये का जो + + + सरकार को लगाया गया है, उसमें कई ऐसे नाम हैं जिनका नाम यहां लूं तो बड़ी विस्फोटक स्थिति हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, नहीं, आर्डर प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, न केवल इन कार्यादेशों को जारी करने में ही करोड़ों का + + + लगा, + + + एक दूसरे तरीके से भी लगाया गया। अपने चहेतों को लाभ पहुंचाना, मुख्य मकसद यह है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं कि जैसे एक

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

स्थान पर पुल के निर्माण कार्य या अन्य कोई निर्माण कार्य हेतु कोई मैटीरियल डाल दिया जाए। निर्माण कार्य के दो सौ मीटर दूरी पर मैटीरियल डाला हुआ है तो दो सौ मीटर की लीड के लिये ट्रांसपोर्टेशन, जिसको साइड टू साइड ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, उसकी आवश्यकता अभियंता क्रीएट कर देते हैं कि यहां से वहां तक साइड टू साइड ट्रांसपोर्टेशन दिया जा रहा है। ये डाकूमेंट्स मेरे द्वारा बनाये हुए नहीं हैं, स्टेट ब्रिज कारपोरेशन के हैं, आप ही के विभाग के द्वारा। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके के फर्जी ट्रांसपोर्टेशन के बिल किस प्रकार से बनते हैं। दो सौ मीटर लीड के दिये गये 30 रुपये पर-क्यूबिक मीटर और उसी दो सौ मीटर की लीड के 43 रुपये भी दिये गये। यह 30 रुपये का कागज है और यह 43 रुपये का कागज है। अब ये 43 रुपये क्यों दिये गये ? क्योंकि वह शशी चतुर्वेदीजी, सुरभि कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं उनको ठेका दिया गया और 30 रुपये का संतोखसिंह को दिया गया दो सौ मीटर की लीड के ट्रांसपोर्टेशन का ठेका। ताज्जुब की बात तो, सभापति महोदय, यह है कि महीना वही, साइट वही।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नाम क्या बताया, शशी चतुर्वेदी ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपको यह कागज दे देता हूं। शशी चतुर्वेदी, आप तो खूब जानते हैं, अपने ही परिवार के हैं। खूब जानते हैं आप, सुरभि कंस्ट्रक्शन।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : महिला हैं कि पुरुष हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : शशी, शशी। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और ताज्जुब की बात यह है, सभापति महोदय।

श्री शांतिलाल चोईवाल : सारे ताम्बी रतनलाल ताम्बी के रिश्तेदार नहीं होते हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मसूरिया चौबे हैं, मसूरिया चौबे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसी यूनिट में और उसी महीने दो सौ मीटर की लीड के एक पार्टी को 30 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के और दूसरी पार्टी को 43 रुपये। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो आप देखेंगे कि दो किलोमीटर की लीड के भी 43 रुपये और दो सौ मीटर की लीड के भी 43 रुपये। महीना वही, यूनिट वही और दो किलोमीटर की लीड के भी 43 रुपये। लाखों रुपये के ट्रांसपोर्टेशन के ये फर्जी बिल सिर्फ इसलिए बनाये गये कि अपने चहेतों को... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय शांतिकुमारजी, आप आपस में बात न करें, प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : न तो कोई मैटीरियल दूर डाला गया साइट से। आवश्यकता इस बात की क्रीएट की गयी कि बिल फर्जी किस तरीके से बनाए जाएं, तो उस मैटीरियल को दूर डालना बता दिया गया, कोई दो सौ मीटर दूर और कोई

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

दो किलोमीटर दूर। मंत्री महोदय से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये बातें आपकी जानकारी में पहले भी आ चुकी हैं लेकिन आपने और आपके विभाग ने, किसी ने भी इन बातों को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया। पिछले दो साल से आपकी जानकारी में है और मेरा निश्चित रूप से आरोप है, वे लोग यह कहते हैं कि जब तक ललितकिशोर चतुर्वेदी सार्वजनिक निर्माण विभाग में हैं +++ जाओ, करते जाओ, हम ऐसे ही ऐश करते रहेंगे। खुले आम कोटा की सड़कों पर वे लोग कहते फिरते हैं। इस प्रजातंत्र में, सभापति महोदय, इन बातों को सुनकर बड़ी शर्म-सी महसूस होती है।

श्री मदन दिलावर : कांग्रेस के जमाने में खूब भ्रष्टाचार हुआ। (व्यवधान) यह ज्ञान आपको अभी हुआ है ?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, आप बैठें। आपके मंत्रीजी स्वयं सक्षम हैं, जवाब दे देंगे। आप क्यों बीच में व्यवधान डालते हैं ? प्लीज।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : कांग्रेस के राज में.... (व्यवधान) चतुर्वेदीजी के टाइम में हो रहा है, यह असेंप्ट कर रहे हैं क्या आप ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज, प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, पिछले 3 वर्षों में, 1996 से लेकर 1997 तक लीड ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर बगैर कोई काम करवाए करोड़ों रुपये के बिल उठा दिये गये फर्जी बिल बनाकर। ये बिलों की कापियां मौजूद हैं। सारी की सारी ये बिलों की कापियां मेरे पास मौजूद हैं। जबरदस्त स्कैंडल है। एक तो यह असत्य कि खुली निविदाओं के बगैर कोई कार्यादेश जारी नहीं किये गये जबकि यूनिट सैकिण्ड में 733 और यूनिट फोर्थ में 1036 कार्य बगैर खुली निविदाओं के आयोजित किये गये, कार्यादेश दिये गये।

श्री सभापति : आप रिपीट न करें। आपने यह बात पहले कह दी है। यह बगैर निविदाओं के कार्य देने का पहले आप कह चुके इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें, प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : धन्यवाद आपके सजेशंस का।

सभापति महोदय, काफर डेम बनता है। काफर डेम कहते हैं जहां पुल का निर्माण हो उसके पिलर्स के लिये नदी का रास्ता, नदी का बहाव रोका जाए। उसको आड़ा-टेढ़ा कर दिया जाए ताकि गोलाई में पिलर बन पाए काफर डेम के लिये।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, समय सीमा तय करें।

श्री सभापति : I know. I know my job. आप बार-बार बोल रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, काफर डेम बनाने के लिये सीमेंट के कट्टों में मिट्टी डालकर उन कट्टों को जमा दिया जाता है ताकि पानी का बहाव

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

टेढ़े से निकल जाए और वहां पर पिलर्स का निर्माण हो सके। आपको ऐसे तो पचास उदाहरण मिल जाएगे लेकिन एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं कि खातोली की पुलिया बनी मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच में, कोटा डिस्ट्रिक्ट में। उस पुलिया के ऊपर एक लाख आठ हजार मिट्टी के कट्टे काफर डैम बनाने के लिये काम में लिये गये, यह बताया गया। जबकि मेरा आपसे यह निवेदन है कि एक लाख आठ हजार मिट्टी के कट्टो में तो वह पूरा पुल ही बन जाता काफर डैम का। पुल का निर्माण हो सकता था। ताज्जुब की बात तो यह है कि आर. बी. सी. सी. के पास लाखों की तादाद में खाली सीमेंट के कट्टे गोदामों में पड़े-पड़े सड़ रहे हैं लेकिन आपके विभाग ने एक मिट्टी का कट्टा डालने के लिये सात रुपये का पेमेंट किया, सात रुपये। चार रुपये तो कट्टे और मिट्टी की कीमत और तीन रुपये उस कट्टे को उठाकर साइट पर डालने की कीमत। इस तरीके से आठ-नौ लाख रुपये का फायदा एक पार्टी को सिर्फ इसलिए पहुंचाया गया क्योंकि वह दिन-रात हाजरी भरता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री परसादीलाल मीणा : किन को ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सेवा करता है।

श्री सभापति : समाप्त करें। Wind it up. Wind it up, please.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वाइंड अप ही है, साहब। यह मेरा आखरी निवेदन है। मैं बार-बार आपसे निवेदन करता आ रहा हूं कि इस विभाग को सुधारिये, इस विभाग को सुधारिये, नजदीक लोगों को इसमे हटाइये। तीन साल की जांच की मांग जरूरी है, करोड़ों रुपयों की हेराफेरी है। रुपया सरकारी और जेब अपनी है इसलिए इसमें आप इन बीमारियों को हटाओ। कुछ दो-तीन महीने का समय और है, छवि सुधारने का प्रोग्राम बनाओ।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, साहब। मैं एक मिनट में खतम ही कर रहा हूं। एकाध और है।

श्री सभापति : यह सलाह तो आखरी में दी जाती है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 1994 में सड़क नीति बनायी और सड़क नीति में आपने बी ओ. टी. बेसिस पर पुल और सड़क बनाने के लिये कई काम जारी किये, आबंटित किये। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बी. ओ. टी. बेसिस पर आपने जो काम आबंटित किये, जो आपकी घोषित नीति थी क्या उस नीति के अन्तर्गत कोटा में चम्बल का पुल दूसरा नहीं आता है ? कोटा में बाइपास नहीं आता है ? मेरा निश्चित तौर पर यह आप पर आरोप है कि आप नहीं चाहते कि कोटा में चम्बल पर दूसरा पुल बन पाये इस बी. ओ. टी. बेसिस पर। वहां पर बाइपास का समय से पूर्व निर्माण होता। सैंकडों दुर्घटनाएं, सभापति

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

महोदय, सिर्फ इस वजह से हो रही हैं। आपने बी. ओ. टी. बेसिस पर नौ या दस काम मंजूर किये हैं। जितने भी काम किये हैं उनसे दस गुणा ज्यादा जरूरी था कोटा की चम्बल नदी पर दूसरा पुल बनाना और उसके लिये बाइपास बनाना। लेकिन इसको आपने नजरन्दाज किया। नजरन्दाज क्यों किया, यह आप भी जानते हैं। कोई पोलिटिकल फायदा नहीं मिल पाता इसलिए आपने दूसरी जगह यह पैसा बी. ओ. टी. बेसिस पर खर्च किया है। और ऐसी-ऐसी जगह पर आपने काम मंजूर किये हैं कि....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्य, Please, co-operate now.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बस एक आखरी निवेदन है मेरा तो। घोषित नीति के अन्तर्गत आपने बताया कि निश्चित मापदंड है, जनसंख्या के हैं, पंचायत मुख्यालय के हैं, और भी कुछ आपके मापदंड हैं। एक बात आप मुझे बता दें कि 1997 और 98 में जितने भी वर्क आर्डर पी. डब्ल्यू. डी. के थे वे सब आपने अजमेर जिले में स्थगित कर दिये। सारे वर्क आर्डर स्थगित कर दिये। वर्क-आर्डर देने के बाद भी आपने काम सारे बंद कर दिये लेकिन नारोली के पहाड़ पर 90 लाख रुपये खर्च करके किस मापदंड के अन्तर्गत आपने वह सड़क बनायी? कौनसा मापदंड था आपका? 90 लाख रुपये खर्च हुए हैं, पहाड़ के ऊपर आप सड़क ले गये। जो मापदंड में गांव आते थे, जो सही बैठते थे जनसंख्या के अन्तर्गत, उनमें काम नहीं हुए लेकिन 90 लाख रुपये सिर्फ एक पहाड़ के ऊपर सड़क ले जाकर आपने खर्च कर दिये।

एक माननीय सदस्य : वहां पर मन्दिर है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ये नारोली कह रहे हैं, हमारे यहां पर तो नारेली है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यही तो जवाब चाहता हूं, क्यों? मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से....

श्री सभापति : नारोली है या नारेली है?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप हिन्दी में समझ रहे होंगे, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : अच्छा, now, please, finish it. Please finish it.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि छवि सुधार कार्यक्रम चालू कीजिये वरना बहुत मुश्किल है।

श्री सभापति : माननीय बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (मांडलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 21 पर चर्चा हो रही है....

श्री परसादीलाल मीणा : मोटे हो गये गुरुजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : आपका आशिर्वाद है।

मांग संख्या 21 पर चर्चा हो रही है। माननीय शांतिजी अभी बहुत ज्ञानवर्द्धन कर रहे थे। कुछ लोगों की आदत है, माननीय सभापति महोदय, कि + + + जोर-जोर से बोलो और झट-झट बोलो। अब यह तो क्रम चला आ रहा है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आप भी उनमें से एक हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : शांतिजी पड़ोस के हैं मेरे, हिण्डोली कांस्टीट्यूएंसी लगी हुई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आयी है, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की बहबूदी के लिये, सर्वांगीण विकास के लिये कुछ मान-बिन्दु तय किये गये हैं। आखिर में हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं और विकास तभी होगा जब अपने-पराये का भेद मिटा कर एक नियम से, एक नीति से और जो वंचित व्यक्ति है उसको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इस आधार पर सरकार काम करे। इस नाते सरकार ने नीतियां बनायीं, अपने कार्य की गाइडलाइन तय की सड़क नीति बनायी, खनिज नीति बनायी, उद्योग नीति बनायी।

माननीय सभापति महोदय, सड़क नीति बनायी तो देखा गया कि 1971 के एक हजार की आबादी के गांव और पंचायत मुख्यालय देश आजाद होने के चालीस-तियालीस साल बाद भी हम सड़कों से जोड़ नहीं पाये हैं। तो यह तय किया गया कि हम इनको सड़कों से जोड़ेंगे। माननीय सभापति महोदय, 1971 की एक हजार से अधिक की आबादी के 5707 गांव हैं जिनमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत 2244 गांव आज डामर की सड़क से जोड़ दिये गये हैं। यह प्रगति की है। केवल 288 गांव ही ऐसे बचे हैं जो डामर की सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं। कुल 9195 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें आज 7129 पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़क से जोड़ दिया है, 719 को मैटल की सड़कों से जोड़ दिया है और 1109 को ग्रेवल सड़क से जोड़ दिया है। यह जो प्रगति की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, निश्चित रूप से अभूतपूर्व है और इसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी बधाई के पात्र हैं। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के बन्धु कहते हैं कि सड़कों में गड्ढे पड़ गए.... (व्यवधान) या सड़कें खराब हो गयीं। प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है। डामर और पानी का बैर है। राजस्थान में इन पिछले वर्षों में कम से कम आठ-दस जिले अतिवृष्टि से प्रभावित होते रहे हैं और जब अतिवृष्टि हो गयी तो निश्चित रूप से सड़कें खराब होंगी। फिर भी, माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस के शासन में जो सड़कें बनती थीं वे छह महीने में खराब हो जाती थी, हमारी सड़कें कम से कम छह साल तो टिकती हैं। यह तो हमारी गुणवत्ता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मांडलगढ़ में तेरह पंचायत

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

मुख्यालय हैं। जब मैं विधायक बना तब किसी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए नहीं थे। आज उनमें से थल, बड़ला, मोकरण, गेगा का खेड़ा और शिवपुरा, पांच पंचायत मुख्यालय करीब एक करोड़ रुपए लगाकर डामर की सड़कों से जोड़ दिए गए हैं, कार्य चल रहा है। बाकी के पंचायत मुख्यालयों में से दो पंचायत मुख्यालयों में मैटल रोड का काम चल रहा है और बाकी में मैटल रोड हो चुका है। यह प्रगति की है पांच साल में। माननीय सभापति महोदय, तेरह में से नौ पंचायत मुख्यालय तो ऐसे थे जो पंचायतीराज का जब गठन हुआ तब से ही पंचायत मुख्यालय थे और उनमें किसी प्रकार की सड़क नहीं बनी थी। पर भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक नीति बनाकर जो काम किए गये, निश्चित रूप से कार्य का विकास हुआ और कार्य दिखा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि कोई भी पंचायत मुख्यालय.... (व्यवधान)

श्री कुबेर खान : यह भारत सरकार का पैसा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : भारत सरकार ने क्या दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : पैसा तो जनता का है। न तो भारत सरकार का है, न राजस्थान सरकार का है। पैसा तो जनता का है, जनता की जेब से आता है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। Please, continue.

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : बस पांच मिनट में करता हूं... (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो पंचायत मुख्यालय या एक हजार की आबादी वाले गांव मैटल की सड़क से जुड़ गए हैं, गिट्टी रोड हो चुकी है उनको तो कम से कम डामर करवा दें, उसकी स्वीकृतियां जारी करवा दें। जो गिट्टी बनायी गयी है, मैट्ल रोड बनायी गयी है यदि उस पर डामर करने में देरी होगी तो दुबारा मैटल बनाना पड़ेगा और उससे ज्यादा पैसा लगेगा। कम से कम यह व्यवस्था निश्चित रूप से करावें।

माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत मुख्यालय और 1991 की एक हजार की आबादी के गांव हमने ले लिये, यह क्राइट एरिया तय किया पर आज पंचायत मुख्यालय से अन्य जो गांव हैं, माननीय सभापति महोदय, उनमें जाने के साधन नहीं हैं। आपने यह घोषणा की थी कि सन् 2000 तक हम प्रत्येक गांव को ग्रेवल सड़क से जोड़ देंगे। पर मैं यह चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कोई ऐसी योजना बनाएं कि प्रत्येक गांव कम से कम ग्रेवल सड़क से जुड़ जाए, जल्दी से जल्दी जुड़ जाए और उसमें सी. डी. वर्क जो छोटे-मोटे नाले-पुलिया का काम है, वह हो जाए। जिससे आवागमन के साधन बनेंगे। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में खतम करूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

माननीय मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र मांडलगढ़ में आई. टी. आई. भवन के लिए आपने 85 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। उनमें से करीब 60-65 लाख रुपये तो विभाग से आ गए हैं, पी. डब्ल्यू. डी. काम कर रहा है। दोनों के मंत्री भी आप हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री भी आप हैं और पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री भी आप हैं। पिछले कुछ समय से वह काम बंद पड़ा है, शायद विभाग से पैसा नहीं पहुंचा या विभाग के पास पैसा नहीं है या तकनीकी शिक्षा विभाग से पैसा नहीं पहुंचा। मैं आपसे यह चाहूंगा कि अविलम्ब उसका काम चालू हो जाए। आपने वादा भी किया है कि वह भवन बनते ही उसको एन. सी. टी वी. में परिवर्तित कर दिया जाएगा। वे छात्र आज कृषि उपज मंडी के भवन में रह रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : इनके वायदे कभी पूरे नहीं होंगे। (व्यवधान) मेरे यहां और करके आए थे वायदे कालेज के, इन सबको पूरे नहीं किए। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : बहुत कर दिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप, माननीय सदस्य, मत कहो और कोई कहे तो ठीक है, आप नहीं कह सकते। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, यही बता दो आप लोग..... (व्यवधान)

श्री समापति : माननीय मंत्रीजी आपका इशारा समझ गए, वे अब नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : सभापतिजी, एक बात ये कह रहे हैं कि हर पंचायत को ग्रेवल सड़क से जोड़ा जाएगा लेकिन जोड़ा कहां गया ?

श्री सभापति : Please, sit down now. आपका जब टर्न आए जब बोलिएगा। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आज भी नहीं जोड़ा गया है। मैं कह रहा हूं, आज भी पंचायत हैडक्वार्टर से नहीं जुड़ी (व्यवधान) कब जुड़ेगी ? श्री ललितकिशोर जी चतुर्वेदी कहते हैं विकास का नाम.... (व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें। प्लीज सिट डाउन नाऊ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां गेन्दलिया पंचायत मुख्यालय है, बेगूं और भीलवाड़ा का महत्वपूर्ण बस रूट भी है, लेकिन बीच का सात किलोमीटर का टुकड़ा है जिस पर डामर की सड़क नहीं बनी है, जिसमें गेन्दलिया भी आता है। तो जित्या से लेकर हासियास तक यह सड़क बन जाए। करीब 60–70–80 बसें निकलती हैं, काफी लोग जाते हैं उनको फायदा हो जाएगा। ऐसे ही गेगा का खेड़ा की पंचायत मुख्यालय का डामर का काम चल रहा है, परन्तु एक-दो किलोमीटर का काम और रहा है उसकी स्वीकृति दिला दें।

आपने यहां कहा कि तीर्थस्थलों को भी हम सड़क से जोड़ेंगे। मेरे क्षेत्र में जोगणिया माता प्रसिद्ध शक्ति पीठ तीर्थस्थल है। वैसे

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

आता तो चुन्नीलाल जी के क्षेत्र में है परन्तु लाखों यात्री वहां प्रति वर्ष आते हैं। वह सड़क खराब हो रही है। और उधर बेगूं की तरफ से आते हैं तो उसमें जो चढ़ाई पड़ती है उस चढ़ाई में एक-दो खतरनाक मोड हैं, उससे वहां प्रति वर्ष काफी एक्सीडेंट होते हैं और काफी यात्री असमय ही काल कवलित हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि उसको थोड़ा-सा टर्न दे दिया जाए, थोड़ी-सी लम्बाई दे दी जाए तो निश्चित रूप से फायदा होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : समाप्त करें। माननीय श्री राजेन्द्र जी पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग एक इतने बड़े बेड़े के रूप में कार्यरत है और एक ऐसे मामले से जुड़ा हुआ है जो पानी जैसे महत्वपूर्ण मसले के बाद सबसे महत्वपूर्ण है। ज्यों-ज्यों आबादी का विस्तार हो रहा है वैसे-वैसे लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ रही हैं। माननीय मंत्री महोदय, एक तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो शहरी क्षेत्र में आबादी का दबाव बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए शहर के पांच-सात किलोमीटर की पेरीफेरी में जितने भी गांव हैं, भले ही वे आबादी के लिहाज से आपके नोर्म्स में न आते हों लेकिन यदि आप उन गांवों को सड़क से जोड़ देंगे तो शहरों पर जो अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है वह निश्चित रूप से कम होगा। शहर में जो दबाव बढ़ रहा है यदि ग्रामीण इलाके से आने वाले व्यक्ति को सड़क की सुविधा वहां गांव में मिल जाएगी तो वह शहर तक आने के लिए कभी भी इतनी जहमत नहीं उठाएगा। इससे शहर में आबादी का दबाव कम होगा और जो अन्य आवश्यकताएं होती हैं शहर में आबादी बढ़ने के साथ-साथ उन व्यवस्थाओं में भी कुछ न कुछ सुधार होगा।

माननीय सभापति महोदय, विभाग में विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं हैं, विभाग की स्वयं की भी योजना है, नाबार्ड की भी हैं, कृषि विभाग के माध्यम से भी सड़कें बन रही हैं। इन सभी योजनाओं के साथ मंत्री महोदय का बराबर सदन के माध्यम से हर वक्त एक यह संकल्प भी रहा है कि सड़कों का मैं रख-रखाव उचित करूंगा और हर तरह से इस विभाग को एक बहुत ही सुन्दर स्वरूप प्रदान करूंगा। मैं सिर्फ आलोचना करने के लिए न तो यहां खड़ा हुआ हूं और न मेरा यह कोई मकसद ही है लेकिन आज जो हालात बने हैं उनको देख-कर एक बात स्पष्ट हकीकत है कि सड़क के रख-रखाव के मामले में जितनी शिथिलता बरती गयी है, माननीय मंत्री महोदय, आपके बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद भी सड़कों की हालत आज जिस दयनीय स्थिति में है वैसी शायद कल्पना के बाहर है। आप बाकी सड़कों की बात तो छोड़िये, जिस विधान सभा में पांच-पांच मंत्री एक ही क्षेत्र से आये हुए हों–डा. राम-प्रतापजी भी वहीं बिराजते हैं, शशी दत्ताजी भी उस वक्त मंत्री थीं, आपके ज्ञान सिंहजी भी मंत्री थे, आपके सरदार साहब भी मंत्री थे, इन सबके बावजूद पल्लू से लेकर हनुमानगढ़ और गंगानगर सड़क की क्या

(श्री राजेन्द्र पारीक)

स्थिति है ? इतनी महत्वपूर्ण सड़क जो सेना के साधनों के लिए भी अत्यावश्यक है। मंत्री महोदय, कभी आप स्वयं उस सड़क पर पधारें तो आपको स्वयं को यह महसूस होगा कि यह इतनी महत्वपूर्ण सड़क है। विधान सभा में पांच-पांच मंत्री बैठे हैं लेकिन आज तक उन्होंने उस सड़क की सुध नहीं ली।

छोटी-छोटी सड़कों की चर्चा नहीं करूंगा, समय बहुत कम है, लेकिन मैं मेरे जिले की एक सड़क निवेदन जरूर करना चाहूंगा। सीकर-कोटपूतली सड़क, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के माध्यम से सभापति महोदय, इस सड़क की स्वीकृति 1994 में हुई। यह पांच करोड़ की स्कीम थी लेकिन 1994 के बाद से अभी तक राजस्थान सरकार ने इस पर मात्र 116 लाख रुपये खर्च किये हैं। इस सड़क के निर्माण से कोटपूतली से जितना भी बड़ा ट्रैफिक है वह सीकर/डाइवर्ट होता और इतना दबाव नहीं होता। यह महत्वपूर्ण सड़क है लेकिन 1994 के बाद में जो केन्द्रीय प्रवर्तित योजना थी, या तो पूरा लायजन भारत सरकार के साथ इनका नहीं बैठ पाया। क्या कारण रहा, यह तो, माननीय मंत्री महोदय, आप स्वयं भी थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे। पांच करोड़ में से मात्र 116 लाख रुपये आपने इस योजना में खर्च किये हैं वह भी कोटपूतली से सिर्फ छापोली तक सड़क का निर्माण कर रहे हैं, जबकि यह महत्वपूर्ण सड़क है, जिसकी भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा निर्माण की घोषणा की गई थी। ई.आई. योजना में यह योजना स्वीकृत हुई थी, उसमें 116 लाख रुपये अभी तक खर्च हुए हैं। कृपया आप यह बताने की चेष्टा करेंगे कि बाकी पैसा इस पर कब खर्च होगा और यह सड़क कोटपूतली से सीकर कब तक तक निर्मित हो जाएगी।

सभापति महोदय, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में आपके सुनिश्चित रोजगार योजना भी एक साधन है। इसके तहत ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्रेवल सड़क के नाम से जो सड़क निर्मित हो रही है इसमें इतना बड़ा घपला इस वक्त हो रहा है कि इस पर तो तत्काल आपको मानिटरिंग कराने की जरूरत है, इसका इवैल्युएशन कराने की जरूरत है। जितनी भी सड़कें बनी हुई हैं इन सड़कों को बजाय ग्रेवल बनाने के भले ही सड़क की लैंग्थ कम हो लेकिन जितनी सड़क बने वह तो कम से कम अच्छी क्वालिटी की बने और सुविधाजनक बने। ग्रेवल सड़क बना दी और 10-10, 15-15 साल तक उस सड़क पर बी. टी नहीं होती, डब्ल्यू बी. एम. नहीं होता। गांव वालों का एक आम रास्ता है उस रास्ते पर चलना दूभर हो जाता है, मवेशियों का जो रोज का आवागमन होता है उसमें भी दुनिया भर की परेशानी खड़ी हो जाती है। ग्रेवल सड़क का जो कंसेप्ट ले रखा है उसमें सुधार कर कम से कम इसको डब्ल्यू.बी.एम. स्तर तक का आप करें। जब कभी भी आप ई. ए. एस. योजना में इस सड़क का निर्माण स्वीकृत करें तो तत्काल इसके साथ-साथ बी. टी. की स्वीकृति भी करें। आपके नार्म्स

(श्री राजेन्द्र पारीक)

में है कि यदि ई. ए. एस. में डब्ल्यू बी.एम. स्वीकृत होती है तो उसके बी.टी. की स्वीकृति भी आपको जारी करनी है । इस पर तत्काल आप बी. टी. की स्वीकृति जारी करवाएं ताकि वह जो पैसा लगा हुआ है उसका मिसयूटिलाइजेशन नहीं हो और जब कभी आपको दोबारा सड़क बनाने की जरूरत पड़े तो यह परेशानी सामने नहीं हो ।

सभापति महोदय, कितने ताज्जुब की बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद आज दिन तक भी हम रोड के निर्माण की जो स्पेसिफिकेशस हैं वह तय नहीं कर पाये हैं । हम यह तय नहीं कर पाये हैं कि आखिर किस स्पेसिफिकेशन से हमको यह सड़क निर्माण करनी है । कृषि विभाग की योजना उठाइये तो उनके स्पेसिफिकेशंस अलग ढंग के होंगे, नाबार्ड की योजना उठाइये तो उनमें स्पेसिफिकेशंस अलग होंगे, नगर परिषद का आप उठाइये उनमें स्पेसिफिकेशंस अलग होंगे, सार्वजनिक निर्माण विभाग का आप लीजिये उसमें स्पेसिफिकेशंस अलग होंगे। आखिर ऐसा क्या कारण है ? वही टेक्नोक्रेट्स हैं, वही सारे अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग में बैठते हैं लेकिन उनके स्पेसिफिकेशंस बदल जाते हैं । जब वे अधिकारी नाबार्ड में जाकर योजना बनाते हैं तो उनकी योजना बिलकुल भिन्न हो जाती है । आखिर यह क्या बात है जो आप उसमें एकरूपता यूनिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं ? सड़क का सुदृढ़ीकरण हो ।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय स्वयं भी काफी यात्राएं करते हैं । मैं समझता हूं कि राजस्थान में शायद सर्वाधिक यात्रा करने वाले आप मंत्री हैं । सड़क स्ट्रैंग्थनिंग के नाम पर आप आये दिन सड़क का लेवल ऊपर बढ़ाते रहते हैं लेकिन दोनों साइडों में सड़क को पूरा नहीं करने की वजह से दोनों साइडों में पानी इकट्ठा होता रहता है । कई-कई जगह तो आप सात-सात, आठ-आठ फीट लेवल ऊपर उठाते हैं, पर सड़क की दोनों साइडों का आप उस वक्त स्ट्रैंथन नहीं करते । इसका नतीजा यह निकलता है कि जब कभी भी कोई छोटी-मोटी बरसात भी होती है तब दुनिया भर के खड्डे हो जाते हैं । तब उन खड्डों को भरने के लिए आप साइडवाल बनाते हैं या उन खड्डों के भरने के लिए और तरह से आपूर्ति करते हैं । बेहतर यह होगा कि जब आप रोड का लेवल ऊपर उठाने की योजना चला रहे हैं उसी वक्त रोड के दोनों तरफ साइड वाल बना कर आपको ऐसी योजना बनानी चाहिये कि जिसमें भले ही ज्यादा पैसा खर्च हो लेकिन कम से कम जो एक्सीडेन्ट्स की स्थिति होती है और थोड़ी-सी बरसात आने के साथ ही रोड पर जो कटाव होता है, उससे आप बच सकें ।

सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछा था, मेरे विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न था । मादवासी पंचायत मुख्यालय है, कुड़ली से मादवासी सड़क के लिए मैंने निबंध राशि में पैसा स्वीकृत किया । मैंने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न के उत्तर में आपका जवाब आया कि ठेकेदार द्वारा बरती गयी शिथिलता के कारण प्रगति नहीं बढ़ायी जा सकी अतः अनुबंध की धारा दो एवं तीन-सी के तहत कार्यवाही 2-11-96 को पूरी कर संवेदक से कार्य विथड्रा कर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

लिया गया है तथा पुन: निविदाएं आमंत्रित कर कार्य जून, 1997 तक पूर्ण करवा दिया जाएगा। मंत्री महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि कुड़ली से मादवासी सड़क आज दिन तक उसी स्थिति में हैं जबकि आपके विभाग द्वारा यह मुझे रिप्लाई दिया गया है कि जून, 1997 में इस सड़क का निर्माण हो जाएगा। यदि आपको कोई और परेशानी है तो यह पंचायत मुख्यालय है इसको आप जगमालपुरा से जोड़िये। लेकिन कम से कम उस गांव के लोगों की जो एक मूलभूत आवश्यकता है, उनकी सुविधा के हिसाब से वह सड़क से जुड़ना चाहिए।

सभापति महोदय, आपके पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की बात है। अधिकतर जगह क्या हो रहा है कि एक सड़क गांव से होती हुई निकलती है लम्बी दूरी तक और उसके बीच में पंचायत मुख्यालय पड़ता है। मुख्य मार्ग से होती हुई सड़क तो आगे निकल जाती है लेकिन गांव उस सड़क से अभी भी एक-एक, डेढ़-डेढ़ किलोमीटर दूर है। विभाग से जब कभी भी बात होती है तो उस पंचायत मुख्यालय को उन्होंने सड़क पर तय कर दिया। विभाग से यह जवाब आता है कि वह पंचायत मुख्यालय है और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है जबकि हकीकत यह है कि वह सड़क मार्ग से डेढ़ किलोमीटर दूर है।

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, सिर्फ दो-तीन मिनट और लूंगा।

दिनारपुर सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ बताया है जबकि दिनारपुरा एक किलोमीटर दूर है। कोथड़ा भूखरान को सड़क से जुड़ा हुआ बताया है। जबकि वह सड़क से एक डेढ़ किलोमीटर दूर है। राधाकिशनपुरा पंचायत मुख्यालय है, आपने इसको सड़क से जुड़ा हुआ बताया है जबकि वह तीन किलोमीटर सड़क से दूर है। सभापति महोदय, एक लम्बी सड़क जो बन रही है उसके मार्ग में पड़ने वाले जितने भी पंचायत मुख्यालय हैं उन सबको इन्होंने सड़क से जुड़ा हुआ मान लिया है जबकि हकीकत में वे सड़क से आज भी एक-एक, डेढ़-डेढ़ किलोमीटर दूर हैं। तो ऐसे जितने भी पंचायत मुख्यालय हैं उनको तत्काल प्रभाव से सड़क से जोड़ने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : माननीय शम्भूदयालजी बड़गूजर।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, सिर्फ दो-तीन मिनट और लूंगा मैं।

श्री सभापति : दो-तीन मिनट नहीं, प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुख्य बात जो मंत्री महोदय से करनी है....

श्री सभापति : आज आप एक तो स्लो स्पीड से चल रहे हैं। सुनिये मेरी बात को। आज आप शायद कन्फ्यूज्ड हैं, स्लो स्पीड से चल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : समापति महोदय, करबद्ध निवेदन है, एक मिनट और लूंगा। विधान सभा के प्रांगण में आज एक संकल्प करना पड़ेगा। 1990 से लेकर आज दिन तक लगातार मैं सीकर के नवलगढ़ रोड पर पुलिया निर्माण के लिए माननीय मंत्री महोदय को हर तरह से करबद्ध प्रार्थनायें, निवेदन, याचिकायें जो कुछ भी मेरे लिए अपनी वाणी से सम्भव था सारी की सारी बात कर चुका हूं। माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे कभी थकने नहीं दिया। हर वक्त ये मुस्कराते रहे और यह कहते रहे कि मेरी बड़ी मंशा है, मैं भी चाहता हूं कि इस पुलिया का निर्माण हो। इन्होंने मुझे इतना सम्बल तो दिया लेकिन उस पुलिया निर्माण की बाबत आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई इसलिए मैं आज इस सदन में एक संकल्प लेता हूं। मुझे एक संकल्प लेना पड़ रहा है ताकि मुझे कम से कम यह स्मरण रहे कि मैं 1990 से लेकर 1998 तक सीकर शहर की इस महती योजना को पूरी नहीं करवा सका। इसलिए मैं आपके समक्ष यह संकल्प लेता हूं कि जब तक इस नवलगढ़ रेलवे पुलिया निर्माण की स्वीकृति होकर उसका शिलान्यास नहीं किया जाता + + + माननीय मंत्री महोदय, + + + जब तक आप इसकी स्वीकृति जारी करके इसका शिलान्यास नहीं करवा देते। + + +

श्री समापति : नहीं-नहीं, इस संकल्प को रिकार्ड पर नहीं लिया जाए। इस संकल्प को रिकार्ड पर नहीं लिया जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह संकल्प लेना पड़ेगा, माननीय समापति महोदय। लगातार नौ वर्ष से मैं माननीय मंत्री महोदय के पास जाता रहा हूं।

श्री समापति : आर्डर प्लीज...(व्यवधान) आसन पैरों पर। प्लीज सिट डाउन।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : राजेन्द्रजी, चुनाव नहीं लडूंगा, यह संकल्प लो।

श्री समापति : मैं यह नम्र निवेदन करूंगा माननीय सदस्य से कि यह संकल्प बहुत ही गहन है इसीलिए मैंने कहा कि रिकार्ड पर नहीं आए। तब तक आप मंत्री महोदय से बात कर लें। आज जो आपने.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : संकल्प तो दोहरा दिया गया। माननीय समापति महोदय, संकल्प ले लिया और लेकर जुबान से फिरने वाला राजेन्द्र पारीक नहीं है।

श्री समापति : माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। मैंने यह देखा कि आज आपने जो शुरूआत की थी, इसीलिए की थी कि आपकी बात मंत्रीजी के मन को छुए, आत्मा को छुए और आखिर में आपने यह बात कही है। इस सन्दर्भ में मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय संतुष्ट करें हमारे माननीय सदस्य को, कि ऐसा कोई संकल्प नहीं लेना पड़े। यह मेरा निवेदन है, निर्देश है, बात करें। माननीय शम्भूदयालजी।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सदस्य दुःखी है। माननीय मंत्रीजी को भी दुःखी होना चाहिए, हम भी आपके हिस्से हैं, आप भी विधायक थे, मंत्री तो अब बने हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा संकल्प है। +++जब मंत्रीजी पुल का शिलान्यास करेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : बड़े दुःख की बात है। सब इतने दुःखी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह संकल्प पारित नहीं किया गया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय शम्भूदयालजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, कुछ तो करो, साहब। ऐसा क्यों करते हो? +++ (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय शम्भूदयालजी।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : माननीय सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज मांग संख्या 21 सड़क एवं पुल पर चर्चा हो रही है और मैं भी मेरे विचार इस चर्चा में शामिल करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : Please, sit down. The House may come to order, please.

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : राजस्थान राज्य में औद्योगिक एवं खनिज विकास के फलस्वरूप सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। राज्य के सड़क तंत्र को और विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 1998-99 में 257 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जिससे लगभग 3400 किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है। नवीन सड़कों का निर्माण करवाकर इस वर्ष 1050 और गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, माननीय मंत्री महोदय ने अपने कार्यकाल में अधिकांश पैसा गांवों में सड़कों के निर्माण पर खर्च किया है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय सभापतिजी, +++श्रावण का महीना है, कुछ तो बुलवाओ।

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब कम से कम सुनो इनके भाई की।

श्री सभापति : आप बहुत लेट बोले हैं। प्लीज सिट डाउन नाऊ। बैठें आप। को-आपरेट प्लीज। बैठिये आप। माननीय मंत्रीजी।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : वर्ष 1994 में सड़क नीति बनाकर प्रत्येक एक हजार की जनसंख्या वाले गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा है। राजस्थान के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ा जा रहा है। लोगों की इतनी भूख बढ़ गयी है कि आज

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

राजेन्द्र पारीक जैसे वरिष्ठ माननीय सदस्य इस पवित्र सदन में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह संकल्प तक ले रहे हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें, प्लीज ।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : यह लोगों की आशा और अपेक्षा का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने जो घोषणाएं की हैं वे लोहे की लकीर हैं, असत्य आश्वासन नहीं दिया है । इनकी घोषण वही होती है जो ये कर पाते हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि सन् 1990 से लेकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आपने जूनिया से देवगांव पंचायत मुख्यालय को जोड़ा, कादोलाई से कैरोड जो काला पानी कहलाता था उस सड़क को जोड़ा, मोलक्या से सलारी दो-दो पंचायत मुख्यालयों को जोड़ा, गोरदा रोड से पीपलाद को जोड़ा और कादेरा रोड से पीपलाद को जोड़ा । यही बात नहीं माननीय सभापति महोदय, आपने अजमेर-कोटा मार्ग को देखा है, वहां सरवाड़ से नदी का पुल जिससे कई बार बरसात में यात्री और बसों को मार्ग अवरुद्ध होने के कारण एक-एक, दो-दो दिन तक रुक जाना पड़ता था, उस पुल को आपने निर्माण करके सेतु का कार्य किया ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी तो + + + और आप हाथ जोड़ते हो ।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर :... 25 लाख रुपये की लागत....(व्यवधान) यही बात नहीं, केकड़ी और बगेरा रोड पर आपने 25 लाख रुपये की लागत से डाय नदी पर पुलिया का निर्माण किया । माननीय मंत्री महोदय का सतत् प्रयास रहा कि राजस्थान के जो गांव सड़कों अब तक नहीं जुड़ पाये थे, एक योजनाबद्ध तरीके से और नीति का निर्धारण करके इन गांवों को जोड़ा जाये । मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे केकड़ी में जो जयपुर से केकड़ी को मार्ग जाता है उस पर चार प्राथमिक विद्यालय हैं–गर्ल्स स्कूल है, छात्रों का स्कूल है, कोर्ट है, थाने हैं और तहसील है । यहां से हैवी ट्रैफिक गुजरता है और कई बार दुर्घटनायें होती हैं । जयपुर-केकड़ी मार्ग को अजमेर-कोटा मार्ग, बीसलपुर परियोजना के लिए मेंटिनेंस का जो रोड बना हुआ है, उससे मिलान के लिए जलदाय मंत्रीजी ने बीसलपुर के अधिकारियों से वार्ता करके इस रोड को पी. डब्ल्यू. डी. को देने का आश्वासन दिया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारी यातायात को देखते हुए जयपुर-केकड़ी मार्ग को अजमेर-कोटा मार्ग से मिलाने के लिए बीसलपुर बाईपास सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से बनवाया जाये तो मैं आपका अत्यन्त आभारी होऊंगा ।

माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के सांवला सूपा, रामपाली और जालिया के ग्रामवासी अपने तहसील मुख्यालय पर समस्या रखने के लिए जाते हैं तो करीब 10–12 किलोमीटर का कच्चा रास्ता उनको तय करना पड़ता है । जालिया

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

से चण्डाली, गुन्दाली, छापरी, ताजपुरा और अरनिया होते हुए उनको सरवाड़ भी जाना पड़ता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आपको निवेदन किया कि इन गांवों के गरीब, किसान और मजदूरों को अपने तहसील मुख्यालय पर जाने के लिए इस सड़क का नवीन निर्माण कराना अत्यन्त आवश्यक है। जालिया से गुन्दाली, छापरी, ताजपुरा होते हुए सरवाड़ तहसील मुख्यालय पर एक ही सड़क आपकी नीति में तो नहीं आती लेकिन तहसील मुख्यालय पर ही जाने के लिए सड़क का मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी सड़क नीति में लेकर इसका निर्माण करवाएं। वैसे तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ा है लेकिन एक बगेरा से कड़ोच वाया काबरिया सड़क का निर्माण करना इसलिए जरूरी है कि एक तरफ से तो आपने इस पंचायत मुख्यालय को जोड़ दिया है लेकिन दूसरे पंचायत मुख्यालय से इन लोगों का आना-जाना बना रहता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बगैरा से कड़ोच सड़क को वाया काबरिया तक जोड़ने की कृपा करें।

माननीय मंत्री महोदय, अभी 19-7-98 को परसों ही अखबार में छपा था कि जयपुर-केकड़ी मार्ग जो शहर से गुजरता है कोटा-अजमेर मार्ग पर, वहां अभी डामरीकरण किया गया है बरसात से पहले। लेकिन डामरीकरण करने के बाद सारी सड़क उखड़ गयी। डामर तो चला ही गया सड़क में दो-दो फीट के खड्डे और पड़ गये। हमने एक्सपेरीमेंट के तौर पर पहले पत्थर का खरंजा लगवाया था करीब 1000 फीट में और उसके बाद अभी बाढ़ सहायता कोष से हमने सीमेन्ट की सड़क बनायी, इसलिए जो शहर होकर आपकी सड़क गुजर रही है यह डामर से ज्यादा कामयाब नहीं होगी। मेरा यह निवेदन है कि जो बरसात से सड़क में खड्डे हो गये हैं इनको आप सीमेन्ट की सड़क बनाकर संशोधन करिये। मंत्री महोदय, बरसात का पानी और शहर का पानी भी आता है इसलिए यहां डामर की सड़क के बजाय सीमेन्ट की सड़क ही ज्यादा उपयोगी होगी। इसी तरीके से अजमेर-कोटा मार्ग पर, जब भी आप कोटा से पधारते हैं अजमेर तो आप यह देखते होंगे कि दो-दो फीट के गड्ढे इस समय बरसात से पड़े हैं। इस सड़क को सीमेंट से बनवा दें।

माननीय सभापति महोदय, अभी टोंक लोक सभा क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला। मैं टोंक क्षेत्र में जब गया तो.....

(16.00)

श्री परसादीलाल मीणा : क्या हुआ ?

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : हुआ जो कुछ तो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है।

मैं मंत्री महोदय की भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं कि टोंक क्षेत्र से जो बनास नदी पर आपने पुलिया बनायी उस पुलिया से टोंक क्षेत्र को तो काफी लाभ मिला ही, कोटा तक को लाभ मिला। लेकिन टोंक क्षेत्र में बनास नदी पर गहलोत घाट पर

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

पुलिया बनाना इसलिये जरूरी है कि यह रास्ता पांच ग्राम पंचायतों के लिये जाता है। यहां सड़क बनी हुई है, 1971 की 1500 की आबादी होने के बाद भी सड़कें तो बन गयीं लेकिन इस पुलिया की वजह से यह सड़क वहां से जुड़े बिना रह गयी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन पांच ग्राम पंचायतों के गांवों के गरीब किसान, मजदूरों के हित में, डोडवाडी और चार अन्य पंचायतों के हित में टौंक क्षेत्र में गहलोत घाट पर पुलिया निर्माण कराने की कृपा करें। माननीय मुख्य सचेतक जी से भी आपके अच्छे सम्बन्ध हैं और उनका भी यह आग्रह है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे भी कहें। शायद आप भी जाते होंगे निवाई टौंक से आने वाले माननीय विधायक भी चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे कि गहलोत घाट पर पुलिया का निर्माण हो और मुख्य सचेतक जी भी चाहते होंगे। माननीय मंत्री महोदय, आपके लिये बहुत बड़ा काम नहीं है। आपने राजस्थान का बहुत बड़ा विकास किया, सड़कों का जाल बिछाया और दुर्गम पुलियाओं का भी निर्माण आपने किया है इसलिये गहलोत घाट पर भी पुलिया बनाएं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय कृषि उपज मण्डी समितियों से जो सड़कें बनी थीं, वे सड़कें कृषि उपज मण्डी समिति ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द कर दी लेकिन जब भी हम बात करते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग यह बताता है कि वहां से फण्ड ट्रांसफर नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब कृषि उपज मण्डी समितियों की सड़कें आपने मेंटिनेंस के लिये सुपुर्द कर दी तो इनके रख-रखाव के लिये आप दोनों विभागों में इस तरीके का तालमेल बैठाएं ताकि इन मण्डी समितियों की सड़कों की मरम्मत वगैरह का कार्य भी सुचारू रूप से हो सके।

श्री सभापति : श्री अमराराम जी।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : मैं माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन और कर दूं। कुछ सड़कें मेरे विधान सभा क्षेत्र की ऐसी हैं जो आपकी सड़क नीति में तो नहीं आतीं लेकिन गांव के गरीब किसान अपनी उपज को लेकर जब मण्डी समिति आते हैं तो उन्हें बड़ी असुविधा होती है इसलिये सड़क नीति में कुछ रिलैक्सेशन करके कादेडा से अलाडु तक की सड़क, बारां से कालीतलाई खेड़ा, भिनाय तहसील में नागोडा से बडला, सोनपुर से खायडा और नागोडा से केरिया-खुर्द की सड़कों का निर्माण कराने की कृपा करें। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, आज सड़क एवं पुल की मांग संख्या-21 पर चर्चा चल रही है। मांग संख्या जरूर 21 है लेकिन विभाग का काम 19 है क्योंकि जिस तरह से....

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : मांग संख्या 21 है और विभाग का काम भी 21 है।

श्री ग्रमराराम (धोद) : मुझे तो 19 लगा। सीकर जिले में पिछले दो साल से सिवाय एक एन. एच-11 को छोड़ दें तो कोई सड़क ऐसी नहीं है, मंत्री महोदय चाहे सीकर से डीडवाना वाया शाहपुरा जाने वाली हो, सीकर से नावां जाने वाली हो, चाहे सीकर से नीमकाथाना जाने वाली हो ग्रौर चाहे उदयपुरवाटी से ग्रजीतगढ़ होकर जयपुर ग्राने वाली सड़क हो, कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पर चल सकें। कभी कोई मंत्री जी गये हों और मिट्टी डाल दी हो तो मैं कह नहीं सकता। बाकी पिछले दो साल में जिस तरह से सीकर की आम सड़कों की हालत है, लोगों को मजबूर होकर आपके विभाग के ग्रधीक्षण ग्रभियन्ता के यहां आना पड़ा, घेराव करना पड़ा। उसके बाद पिछले साल मे जो सड़कें टूटीं बरसात में उनको ग्राज तक रिपेयर नहीं किया गया। जबकि मत्री जी घोषणा हमारे यहां करते हैं कि सड़क पर राजस्थान में कहीं भी खड्डा होगा तो जैसे मेरे शरीर पर फफोले पड़ जाएंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्रीजी ने यह कहा था कि फफोले पड़ जाएंगे।

श्री ग्रमराराम (धोद) : मंत्रीजी ने बार-बार घोषणाएं भी कीं कि सितम्बर तक पूरी हो जाएगी लेकिन वे तारीखें आती रहीं ग्रौर खड्डे ग्रभी तक नहीं बूरे गये।

जहां तक सवाल है सीकर जिले का तो मंत्री महोदय ने सौतेला व्यवहार किया है। ग्रगर सीकर में ही ऐसा है और राजस्थान में पूरे में ग्रच्छा है तो मैं कह नहीं सकता, बाकी सीकर जिले की स्थिति ऐसी है। सवाल केवल यहीं तक नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो एम. एन. पी. में स्वीकृतियां की, निश्चित रूप से सड़क नीति के तहत की गयी थी। लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन का जहां तक सवाल है, सभापति महोदय, तो 1995 में ग्रापने स्वीकृत की ग्रौर ग्रभी उत्तर आपने दिया है चार दिन पहले कि 1995 में स्वीकृत हुई है वह 1999 के दिसम्बर में पूरी होगी। 1995 में स्वीकृत हुई हो चाहे 1996 में स्वीकृत हुई हो, जब भी विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं एक ही उत्तर मिलता है कि बजट नहीं है। चौदह लाख की स्वीकृति है पर साल भर में खर्च करने के लिये साठ हजार रुपये भी नहीं। यह एक्चुग्रल पोजीशन है।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं एक-दो सड़कें ग्रापने स्वीकृत कीं। पूरा गांव जो 1971 में एक हजार से ज्यादा की ग्राबादी का था, आपकी नीति के तहत वह स्वीकृत भी हो गया। एक व्यक्ति जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उसको जोड़ने के लिये मंत्री महोदय को रिप्रजेन्टेशन दिया। इन्होंने कहा कि हम दिखा लेंगे। ग्रब इन्होंने दिखाया कि नहीं दिखाया लेकिन मैं जब इनके अधिकारी के पास गया तो उन्होंने कहा कि इसको रिजेक्ट कर दिया। तमाम जो सड़कें स्वीकृत हुई हैं एम. एन. पी. में उनकी यह हालत है। सड़क नीति जरूर घोषित कर दी इन्होंने लेकिन नाबार्ड में सीकर जिले में जितनी भी सड़कों की स्वीकृति निकाली है, मंत्री महोदय, ग्राप दिखवा लें, एक भी सड़क ग्रापकी नीति के तहत नहीं है। घोषणा हम सड़क नीति के तहत करें, स्वागत योग्य है, नियम के अनुसार जो भी आएगा लेकिन नाबार्ड में जितनी भी स्वीकृतियां निकली हैं, एक-ग्राध स्वीकृति की तो मैं कह नहीं सकता, बाकी

(श्री अमराराम)

98 प्रतिशत स्वीकृतियां केवल इच्छाओं से निकाली गयी हैं। मैं कहना चाहूंगा सड़क के निर्माण का कम्पेरिजन करके देखें, सभापति महोदय, तो एक ग्राम पंचायत में केवल ग्रेवल सड़क बनायी और वह सड़क आपकी मैटल सड़क से बढ़िया है। ग्रेवल सड़क अगर विभाग बनाता है तो उसकी हालत अभी राजेन्द्र जी जैसा कह रहे थे कि गांव वाले गालियां देते हैं कि ऐसी सड़क न बनाते तो बढ़िया, क्योंकि गांव में जो ऊंट गाड़े जाने वाले हैं, जो बैलगाड़े जाने वाले हैं वे उससे 6 महीने के बाद नहीं जा सकते और उनको दूसरे रास्ते तय करने पड़ते हैं।

इस चर्चा के माध्यम से मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि आपने नीति बनायी है तो पूर्ण रूप से उसके अनुसार रहें। जो पंचायत हैडक्वार्टर जोड़ने का सवाल है, आज भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे कई पंचायत हैड-क्वार्टर हैं जिनको आज तक नहीं जोड़ा गया। सबसे बडा दुःख तो, सभापति महो-दय, तब होता है जब माननीय सदस्य यहां खड़े होकर कहते हैं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में 97 प्रतिशत गांव सड़क से जुड़ गये और यहां पचास भी नहीं जुड़े हैं। नीति में अब कहां रूकावट आ रही है? जहां तक मैं समझता हूं ये घोषणाएं केवल कागजों में हैं। स्वीकृतियां और विकास केवल कागजों में होता है, जमीन पर नहीं होता। आज हालत यह हो गयी, सभापति महोदय, कि एक किलोमीटर सड़क बनाने के 11 लाख रुपये खर्च होते हैं। अगर वही गांव की सम्पर्क सड़क पंचायत से बनवायी जाए, केवल टैक्निकली इनको लिया जाए, तो मैं कह सकता हूं कि 5-6 लाख के अन्दर एक किलोमीटर सड़क ग्राम पंचायत इनको बना-कर दे सकती है। जितनी भी ऐसी सड़कें हैं उनको ये बनाए लेकिन जो सम्पर्क सड़क हैं इनके टैक्निकल अधिकारी उपस्थित होकर सहयोग करके ग्राम पंचायत से बनवाएं। मैं समझता हूं उसमें केवल बनाने का ही नहीं है, ग्रामीण जनता उस पर पूर्ण निगरानी रखती है और पैसे को खुर्द-बुर्द नहीं होने देती है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि जिन सड़कों पर डिवाइडर या मोड़ ऐसे हैं जो 90 और 65 डिग्री के कोण पर हैं, उन पर डिवाइडर बना दिये जाएं। वहां भी कुछ बनाये गये हैं तो जो कैजुअल्टीज होती हैं, उनमें बहुत बड़ी रूकावट होगी। दांतारामगढ़ में दांता गांव में 90 डिग्री कोण पर है, उस पर डिवाइडर बना दिया जाए। एक साथ दस-दस कैजुअल्टीज हुई हैं, सात फीट सड़क को बढ़ाकर अगर आप डिवाइडर बना देते हैं तो एक्सीडेंट होने के रेयर चांस रहते हैं। ऐसे मोड जहां भी हैं, उन पर डिवाइडर बना दें। मेरा तो मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि जो नीति बनायी है उसको लागू करें और जो स्वीकृतियां निकली हैं उनमें कम से कम यह तो नहीं करें कि 95 में आपने स्वीकृति दी है और 99, दिसम्बर में आप पूरा करेंगे। सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल जी मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, मांग संख्या-21 सड़क

(श्री मोहनलाल मोदी)

और पुल पर चर्चा है, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये सड़क और बिजली का होना बड़ा आवश्यक है। आपने जो सड़क नीति बनायी है उसमें ग्राम पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया है। आपके विभाग से तो मेरे ख्याल से एक भी पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। पांच वर्ष के अरसे में एक भी सड़क आपके विभाग ने नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में नहीं बनायी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, आवागमन के साधन नहीं हैं इसलिए वहां का विकास बिलकुल अवरुद्ध हो गया है। मैंने कई दफा आपको प्रश्न भी विधान सभा में दिये हैं, 295 में भी दिये हैं लेकिन आपने यह कह दिया कि यह सड़क नीति में नहीं आता है। अब सड़क नीति खाली पंचायत मुख्यालय को जोड़ने की ही थोड़े ही है, आगे भी गांवों का विकास चाहते हैं। उस गांव से 2-3 किलोमीटर पर दूसरी जगह है, वह पंचायत मुख्यालय भी है। वहां के लिये मैं आपको कल मिला था, मैंने आपको दिया भी है कि रायपुर जागीर से छापरा जयपुर का तीन किलोमीटर है। सभापति महोदय, यह तीन किलोमीटर जुड़ने से वहां के लोगों को 40 किलोमीटर का चक्कर लगाकर शाहपुरा जाकर नहीं आना पड़ता। टटेरा और रायपुर जागीर, ये दोनों ऐसे इलाके हैं कि वहां पर काफी मात्रा में टिण्डा पैदा होता है। करीब 2-3 करोड़ रुपये का टिण्डा पैदा होता है जिसको वे बैलगाडी से लेकर जाते हैं और फिर गाडियों से लेकर जाते हैं। उस किसान को कुछ नहीं मिलता है। मेरे क्षेत्र की जो ऐसी सड़कें हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रायपुर जागीर और टटेरा ये तो छापरा से ही जुड़ेंगे जयपुर से। रायपुर पाटन से हसामपुर, अब आप देखिये कि रायपुर पाटन का आदमी कोटपूतली जाए तो उसको 40 किलोमीटर तय करके जाना पड़ेगा जबकि रायपुर पाटन से 8 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर तो डी. आर. डी. ए. से बनी हुई है और 4 किलोमीटर आगे आपको बनाने की आवश्यकता पड़ेगी।

भराला मोड़ से एक रोड है महावा के लिये। सांसद कोटे में उसका पैसा दिलाया गया लेकिन वह रोड पर नहीं लगाकर उन्होंने वहां पुल के काम में ले लिया। मंत्री महोदय, एक जीर की चढ़ाई पड़ती है। आपके चीफ इंजीनियर साहब को तो मालूम है, वे वहां रहे हैं। उस जीर की चौकी में इतनी चढ़ाई होती है कि आए साल एक्सीडेंट में 10–20 लोगों की मृत्यु होती है। कई ट्रक उलट जाते हैं, बैलगाड़ियां पलट जाती हैं, ऐसी परिस्थिति है। इस साइड से अगर बन जाती है तो वह भी बचत होती है और इस रोड को भी अगर आप थोड़ा कटाव करा कर नीची करा दें तो यह भी बहुत सुन्दर रहेगा। हसामपुर से लादिकाबास, मंत्री महोदय, इम्पोर्टेंट सड़क है, सारा गूजर बैल्ट है। वोटर हैं बी.जे.पी. के, लेकिन मैं इसलिये प्रयत्न कर रहा हूं कि लोगों का विकास हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : वह जो बैल्ट है, आप टोडा पधारे थे, आज कितना बड़ा

(श्री मोहनलाल मोदी)

टाइम लगता है। आप कोटपूतली से आकर बलेश्वर होते हुए टोडा गये थे.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : आप टोडा गये हैं, आपकी जानकारी में है यह रोड। (व्यवधान) आप जब टोडा गये हैं तो कोटपूतली से बलेश्वर होते हुए गये हैं। हसामपुर से सीधे आप टोडा जा सकते हैं और टोडा ही नहीं बल्कि आगे सांवलपुरा तोहरान जगह पड़ती है वहां से सीधा जयपुर के लिये रास्ता है। यह जो 40 किलोमीटर का अंतर पड़ता है, इसे कम से कम आपको ध्यान में रखना चाहिये।

अब सिरोही से मेरा झुंझनूं जिला, तीन किलोमीटर का टुकड़ा अगर जुड़ जाता तो पूरे झुंझनूं जिले से हमारा सम्पर्क हो जाता है। मेरे प्रश्न के जवाब में डी आर.डी.ए. से जितने पंचायत हैडक्वार्टर जोड़ने की घोषणाएं हुई हैं, कागजी हैं वे सारी की सारी। मैं आपको बताऊं, एक भी पंचायत हैडक्वार्टर मेरा जुड़ा नहीं है। अधूरे पड़े हैं सारे के सारे। मैं आपको बताऊं, बूजीवाला से दीपावास, मेरे को यह लिख दिया कि यह पूर्ण हो गया। लेकिन यह जवाब अधूरा है। आज आप किसी को भी कभी भी दिखवा लें, वह पूरी नहीं है। डाबला से बिहार यह पूरी नहीं है, चरा की ढाणी से मांवडाकलां यह पूरी नहीं है। सम्पर्क सड़क कंहरवाली से पुरानावास, नापावाली, इस पर तो शायद काम ही चालू नहीं हुआ। सम्पर्क सड़क गणेश्वर से मुकुलवास, यह भी

(16.20)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

अधूरी है। सम्पर्क सड़क बागेश्वर से लादिकावास, भूदोली से आगवाडी, सम्पर्क सड़क खादरा, इनमें एक भी कम्प्लीट नहीं है क्योंकि पैसा जो उन्होंने दिया वह पैसा पूरा हो गया। अब मैं यह कहना नहीं चाहता कि किस तरह से हो गया। जो वहां ठेकेदार रहे, उन्होंने रोड़ियों के ट्रक कम डाले और पैसा ज्यादा उठा लिया। उन पर कुछ विभागीय कृपा थी, क्या कह सकता हूं मैं उसके लिये।

मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मेरा टोरडा पंचायत मुख्यालय है बहुत बड़ा, 5 हजार की आबादी का। उसकी सड़क 1990 में मंजूर हुई थी। कृषि उपज मंडी से 17-7-90 को वह सड़क मंजूर हुई थी। उस सड़क में एक-दो किलोमीटर पर रोडी डाल दी गयी, अब तक वह सड़क कम्प्लीट नहीं हुई। मैंने डी. आर. डी. ए. से भी बहुत कोशिश कर ली। अब मैंने सुना है कि विपणन बोर्ड से उस सड़क को स्वीकृत किया गया है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी जगहें जो हैं उनको थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखकर कराएं, महत्वपूर्ण रहेगा।

सड़कों की हालत तो आप जानते हैं कि जगह-जगह खड्डे पड़े हुए हैं, जा नहीं सकते हैं। आप देखिये, नीमकाथाना से सीकर आना हो, जयपुर आना हो तो बीच में चले के पास जो नाला है वह टूटा हुआ है। मेरे यहां तो निकलते ही रेलवे फाटक है, वहां से निकलते ही खड्डे पड़े हुए हैं। अभी

(श्री मोहनलाल मोदी)

10 लाख रुपये दिये गये हैं लेकिन उसमें तो उपयोग नहीं हुए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इन खड्डों को तो थोड़ी-सी रोड़ी वगैरह डालकर ठीक कराएं। लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, जितनी गाड़ियां आती हैं किसी का टायर फट जाता है। टायर फटते ही मंत्री महोदय सीधी गाली आपको देते हैं। तो कम से कम ऐसा ध्यान रखें, इससे सही स्थिति रहेगी।

मैं आपके विभाग का एक छोटा-सा उदाहरण और निवेदन करना चाहूंगा। एक सड़क मंजूर हुई डी. आर. डी. ए. से पंचायत हैडक्वार्टर रामसिंहपुरा। ए. ईएन. से एस्टीमेट बना, नीमकाथाना–कोटपूतली रोड की 30 किलोमीटर सड़क का प्रपोजल दिया, एस्टीमेट दिया और फिर ए. ईएन. ने उसका अलाइंनमैंट चेंज कर दिया। 30 की बजाय अपनी मर्जी से 26 किलोमीटर से जोड़ दिया और वह भी जुड़ी नहीं है। इन अधिकारियों को इतने बड़े अधिकार आप दें कि वे अपनी मर्जी से अलाइंनमैंट चेंज कर दें तो कम से कम इसकी आप जांच तो करें। इस ए. ईएन. के खिलाफ एक्शन लें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदय, मांग संख्या 21–सड़क पर चर्चा हो रही है, मैं भी इसमें भाग ले रहा हूं। सड़क एक ऐसी आवश्यकता है कि जैसे शरीर में रक्त होता है उसी प्रकार से सड़कें गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना तक 8991.57 लाख रुपये खर्च किये गये थे सड़कों पर और नई सड़कें बनायी गयी थी 8145 किलोमीटर। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 70169.25 लाख रुपये खर्च किये गये और 15034 किलोमीटर सड़कें बनायी गयीं। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997–98 में 20697.59 लाख रुपये खर्च किये गये और 3546 किलोमीटर नवीन सड़कें बनायी गयीं। यह एक कीर्तिमान है। यह दर्शाता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजस्थान के मुख्य मंत्री और पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री गांवों का किस प्रकार विकास करना चाहते हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछली सरकार ने कितनी-कितनी सड़कें बनायीं, कितना पैसा खर्च किया ? यह इस बात से स्पष्ट जाहिर होता है। नवीं पंचवर्षीय योजना में हमने 1353 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

इसी प्रकार से मैं गांवों के बारे में और पंचायतों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। कुल पंचायत मुख्यालय 9195 हैं, 8957 पंचायतें जुड़ चुकी हैं, 238 पंचायत मुख्यालय अभी बाकी हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 697.50 करोड़ रुपये सड़कों व पुलों के ऊपर खर्च किये गये। कुल 38889 राजस्व गांव हैं 1991 में 1500 की आबादी के ऊपर के कुल गांव 3300 थे जिनमें 3103 गांव सड़कों से जुड़े हुए थे। 1992 से 1997 के अंदर पूरे 3300 गांव सड़कों से जोड़ दिये गये। 197 गांव जोड़े गये हैं। इसी प्रकार एक हजार से पन्द्रह सौ की आबादी के कुल गांव 2407 हैं।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

1991–92 में 1694 गांव जोड़े थे और 1992 से 1997 के बीच 592 गांव जोड़े हैं, कुल 2286 गांव जोड़े हैं। इसी प्रकार एक हजार से नीचे के गांव कुल 27598 हैं। 1991–92 तक जोड़े गये 7527 और 1992 से 1997 तक जो जोड़े जाने थे केवल 2250 परन्तु हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री महोदय ने इच्छाशक्ति के जरिये 4445 गांव जोड़े हैं। यह एक कीर्तिमान है। 1997 तक कुल 11972 गांव जोड़े गये हैं। आंकड़ों के लिये पुस्तकें मौजूद हैं।

मैं बूंदी जिले के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। 1971 की जनगणना के अनुसार 31-3-98 तक 1000 से अधिक कुल ग्राम 79 थे जिसमें डामर से 70 गांव जोड़े और 4 मैटल और 5 ग्रेवल से जुड़े हुए थे। 1991 की जनगणना के अनुसार 31-3-98 में जिनकी जनसंख्या 1500 से अधिक थी ऐसे कुल गांव 88 थे। डामर से 76 गांव, मैटल से 5 गांव और ग्रेवल से 5, कुल 86 गांव जोड़े गये। 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 से 1500 की आबादी के कुल गांव 78 थे जिनमें डामरीकरण हुआ 37 में, 8 मे मैटल और 17 में ग्रेवल। कुल 62 गांव जुड़े और बिना जुड़े गांव 16 हैं। डामर सड़क मे बिना जुड़े हुए गांव 41 हैं।

इसी प्रकार 1991 की जनगणना के अनुसार 31-3-98 तक 1000 से कम जनसंख्या वाले गांव कुल 660 थे जिनमें डामरीकरण 124 में 17 में मैटल और 60 में ग्रेवल कुल 201। बिना जुड़े गांव 459, डामर सड़क से बिना जुड़े हुए गांव 536, यह बूंदी जिले की स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बूंदी जिले की सड़कों के बारे में अभी माननीय सदस्य विपक्ष के बोल रहे थे कि सड़कें अच्छी नहीं बनाई जा रही हैं, कमियां हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले उनकी सरकार के समय जो सड़कें बनाई गईं, तीन लेयर कूटनी थी वहां एक लेयर कूटी, दो लेयर कूटी। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि बरूधण चौराहे से लेकर सूतड़ा वाया लक्ष्मीपुरा–डोरा सड़क जो उस समय बनाई गई थी, एक लेयर कूट कर छोड़ दी। आज भी गांव वाले वहां पर जाने से परेशान हैं। उस पर बार-बार डामरीकरण किया जाता है लेकिन गड्ढे बन जाते हैं, आज तक भी उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। इसी तरह से माताजी का महल से लेकर बोरकुई वाया बुधपुरा डाबी-सूतड़ा, यह सड़क भी उस समय बनाई गई। वहां भी तीन लेयर के बजाय दो लेयर कूट दी गईं। वह सड़क आज बिलकुल तालाब की तरह बनी हुई है, वहां निकलने के रास्ते नहीं हैं। सभापति महोदया, मंत्री महोदय अभी कुछ दिन पहले वहां होकर आये हैं, उन्होंने स्वयं वहां स्थिति देखी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह क्षेत्र खनिज क्षेत्र है। राजस्थान का बुधपुरा–पटपड़िया–परोना, यह क्षेत्र ऐसा है जहां माइन्स हैं, वहां से लगभग 300 ट्रक रोज जयपुर और कोटा की ओर आते हैं। परंतु जैसा मैंने निवेदन किया, दो लेयर कूट दी गईं, तीसरी लेयर नहीं कूटी गई, पूरा पानी नहीं छोड़ा गया। ऐसी स्थिति हुई जिससे सड़क जर्जर हो गई और सड़कों के

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

किनारे माइन्स वालों ने मलबा डाल दिया उसके कारण आज वह सड़क बिलकुल तालाब बन गई है ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां भी खनिज क्षेत्र हैं वहां पर जो सड़क बनाई जाए वह खरजे के रूप में बनाई जाए जिससे डामर उखड़े नहीं । मलबा जो डाला जाता है, जब तक खनिज विभाग के साथ बैठकर आप विचार नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे कि मलबा, रोड से कम से कम 100 फीट दूर डाला जाए, तब तक सड़क सुरक्षित नहीं रहेगी । इसके साथ-साथ खरंजा उसमें डाला जाए ।

आज जो सड़कें खुर्द-बुर्द हो रही हैं उसमें मैंने दो सड़कों के बारे में निवेदन किया । कोटा–केशोरायपाटन मार्ग से बाजड वाया देलून्दा सड़क, यह सड़क मण्डी कमेटी से 1978 में बनी थी । उसके बाद वह सड़क शायद पी. डब्ल्यू डी को दी या नहीं दी, मुझे जानकारी नहीं है परन्तु उस सड़क की स्थिति ऐसी है कि नहर के किनारे वह सड़क बनी हुई है और वहां पर निकल नहीं सकता कोई व्यक्ति । आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है परन्तु कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनकी मरम्मत किया जाना और डामरीकरण किया जाना अति आवश्यक है । मैंने जो निवेदन किया तीन सड़कों के बारे में, इनके साथ एक सड़क और है बूंदी से गरड़दा वाया नमाना, वह सड़क भी जर्जर हो रही है, स्थिति बहुत खराब है । इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उन सड़कों को निश्चित रूप से ठीक किया जाए ।

सभापति महोदया, एक मिनट और लूंगा । नवीन सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जमीतपुरा रेलवे फाटक से पीपल्दा हाड़ा वाया जालोदी, यहां की आबादी 1991 की जनसंख्या के आधार पर एक हजार से ऊपर है । इसी प्रकार बाजड़ से अथड़ा रोड पर भी पुलिया का शिलान्यास करके आये हैं । ठिकरिया गांव जहां बारह सौ की आबादी है, उसको भी जोड़ा जाए । इसी प्रकार सुवांसा से सेदड़ी, छपावदा माइनर से तीतरवासा, 68 लाख 50 हजार रुपये की पुलिया जिससे 20 गांव प्रभावित होंगे, उसका शिलान्यास किया है । काम चालू हो गया है, पिलर खड़े हो गए हैं । अब कोई कमी नहीं, काम चल रहा है । इसी प्रकार छपावदा माइनर से तीतरवासा, नमाना आमली रोड से प्रेमपुरा, लोइचा से देवनारायण का मंदिर वाया श्रवण की झोंपड़ियां, घोड़ा पछाड़ नदी से सप्तीजा, गरड़दा से डाबी रोड के बारे में कई बार मैंने निवेदन किया । डाबी से बूंदी आने के लिए कोटा होकर आना पड़ता है, 30 किलोमीटर का अन्तर होता है । केवल 4 किलोमीटर की सड़क बाकी है, अगर उसको ले लिया जाए तो 30 किलोमीटर आने-जाने का डीजल बचेगा, टायर जो खराब होते हैं वे बचेंगे और सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी । इसी के साथ गेण्डोली से मांडपुर, वह सड़क भी ली जाए ।

कुछ सड़कें जो आपने मंजूर की थीं वे अधूरी छूट गईं, जैसे ठीकरिया चारणान एक किलोमीटर दूर, अकतासा से जालोदा

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

डेढ़ किलोमीटर दूर, गामछ से कणां एक किलोमीटर दूर, ये ऐसी सड़कें हैं जिनसे कोई लाभ नहीं है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको पूरा कराया जाए। घोड़ा पछाड़ नदी और मांगली नदी, जयपुर से कोटा, झालावाड़, भोपाल, इन्दौर जाने वाला रास्ता, इन दोनों जगहों पर नदी है। अगर मांगली नदी में पानी आ गया तो वह दो दिन रोक सकता है, कोई रास्ता नहीं है आने-जाने का। घोड़ा पछाड़ नदी की भी यही स्थिति है। अभी आपने स्वतंत्र नाला बनाया, पुलिया बनाई, कानला की पुलिया पर काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। इसके साथ ही बिजौलिया से भोपतपुरा वाया गरड़दा, बूंदी और बरूधंण चौराहा से सूतड़ा वाया लक्ष्मीपुरा, ये दो सड़कें ऐसी हैं कि इनको स्टेट हाई वे में लिया जाना चाहिए क्योंकि जैसा मैंने निवेदन किया तीन सौ ट्रक वहां से रोज आते-जाते हैं। इसलिए उनको स्टेट हाई वे में लिया जाए। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महादेव सिंहजी। इससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि बोलने वाले सदस्यों की संख्या आज बहुत है, कृपया सभी सदस्य पांच-पांच मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। (व्यवधान) बिराजिए, आपके कहने से हाउस थोड़े ही चलेगा ? व्यवस्था है, पांच-पांच मिनट की व्यवस्था दे दी।

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा (बयाना) : व्यवस्था तो आप दे रही हैं पर लिमिटेशन का ध्यान तो रखें।

श्री सभापति : बिराजिए, यह बहस का विषय नहीं है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 21 पर विचार

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : सभापति महोदया, अनुदान की मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल पर चर्चा करने हेतु मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि खण्डेला विधान सभा क्षेत्र की जितनी भी सड़कें हैं उन पर इन तीन-चार सालों के अंदर कोई कार्य नहीं हुआ है। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, हर जगह दो-दो, तीन-तीन फीट के गड्डे पड़े हुए हैं। बहुत-सी जगह ऐसी हैं जहां पर सड़क का अस्तित्व ही खतम हो गया है। मैंने दो-तीन रोज पहले 295 के अंतर्गत भी मंत्री महोदय से निवेदन किया था।

(श्री महादेव सिंह)

श्रीमाधोपुर से खण्डेला, खण्डेला से पलसाना और खण्डेला से कोटड़ी लुहारवास, खण्डेला से कांवट, चौमूं पुरोहितान से आमावास, कांवट से प्रीतमपुरी, खण्डेला से गुरारा तक, ये जितनी भी सड़कें हैं, वे सारी बिलकुल टूट चुकी हैं, आने-जाने वालों को इतनी बड़ी दिक्कत होती है कि सड़क को छोड़कर सड़क के बराबर दूसरा रास्ता बना लिया है। लेकिन आजकल बरसात के समय में काश्तकारों ने अपनी काश्त को बो दिया है इसलिए उनको आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है।

माननीय सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज से करीब ढाई-तीन साल पहले इस सदन के नेता, माननीय मुख्य मंत्री महोदय नवलगढ़ पधारे थे और जब वापस आए तो चिराणा, उदयपुरवाटी और खण्डेला होते हुए जयपुर आए थे। संयोग से दूसरे ही रोज मैं उनके कार्यालय में गया था, उन्होंने मुझसे चलाकर कहा कि आपके सड़कें बहुत खराब हैं। उन्होंने खुद मुझे एक कागज दिया और कहा कि मुझे लिखकर दो, वे सड़कें ठीक करवाएंगे। बहुत बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज तीन साल होने को आए, उन सड़कों का पुनर्निर्माण तो दूर, उन पर मिट्टी तक नहीं डाली गई। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय की भी बरसात के समय चिट्ठी आती है। वे हमसे पूछते हैं कि आपके विधान सभा क्षेत्र में बरसात के अंदर सड़कें टूट गई हैं और उनका निर्माण कार्य नहीं हुआ हो, उनको ठीक नहीं करवाया गया हो तो हमें सूचित करें। मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद देता हूं कि वे हमसे पूछते तो हैं, लेकिन काम के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप देखिये या आप किसी से भी दिखवा लीजिए, सड़कों का सर्वसत्यानाश हो गया है, सड़कों का अस्तित्व खतम हो गया है। और तो क्या, वहां सड़कों के ऊपर हमेशा–हमेशा मिट्टी डालने वाले वर्कर्स काम करते थे उनको भी हटा दिया गया है। मैं परसों ही गांव गया था, मैंने देखा अब उस सड़क के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। डामर और रोड़ी का नाम नहीं है। मिट्टी डालते ही बरसात तो दूर रही, जरा-सी हवा चलेगी तो वे खड्ढे वैसे के वैसे पड़ जाएंगे। विभाग के पैसे लग रहे हैं लेकिन जनता के वे कोई काम नहीं आएंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कांवट एक कस्बानुमा गांव है, कांवट से नीमकाथाना जाने के लिए कांवट की एक नदी पड़ती है। उस नदी का बिलकुल ही आने-जाने का रास्ता नहीं है। एक साधारण-सा, छोटा-सा उस पर रपटा बन जाए तो वहां आने-जाने का साधन हो जाएगा। लेकिन वहां की जनता इतनी परेशान है, हमेशा-हमेशा एक ही बात कहती है कि इस विभाग के अंदर कोई काम करने वाला है या नहीं। राजस्थान के अंदर आपने कितनी ही सड़कों के निर्माण कराये होंगे, राजस्थान का सर्वांगीण विकास किया होगा लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आपके नेशनल हाईवे नम्बर-11 को छोड़कर सीकर जिले की करीब–करीब सभी सड़कें टूटी हुई हैं और खण्डेला का हाल तो इतना बेहाल है कि उन सड़कों के ऊपर चल भी नहीं सकते।

(श्री महादेव सिंह)

इसी तरह से खण्डेला से उदयपुरवाटी की तरफ जाते हैं तो कोटड़ी लुहारवास की नदी है। वहां के पुल के लिए पैसा आपने पास करवा दिया, पुल का कार्य चालू भी था, लेकिन क्या मालूम क्या हो गया आज तक वह कार्य अधूरा पड़ा है। इसलिए उस पुल की तरफ से यातायात नहीं जा सकता है और नीचे से नदी आती है इसलिए वहां आना-जाना भी बंद है। बरसात के समय में 100-200 वाहन वहां खड़े हो जाते हैं, 24-24 घण्टे तक यातायात ठप्प हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप उसकी तरफ भी ध्यान दें। आप खण्डेला विधान सभा क्षेत्र की जितनी भी सड़कें टूटी हुई हैं उनको तुरन्त ठीक कराएं, यही मैं आपसे उम्मीद और आशा रखता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बृजेन्द्र सिंह।

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा (बयाना) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। मांग संख्या 21 पर चर्चा चल रही है, मैंने इस पर कुछ कटौती प्रस्ताव भी दिए हैं। वैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, माननीय सदस्यों ने राजस्थान की सड़कों के बारे में जो उल्लेख किया है उससे सभी विदित हैं। जब भी दूसरे राज्यों से राजस्थान में प्रवेश करते हैं तो अपने आप ही मालूम पड़ जाता है कि राजस्थान आ गया, कहने की आवश्यकता नहीं। चाहे राष्ट्रीय मार्ग हो, चाहे राज्य मार्ग हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के हाईवे हों या ग्राम सड़कें हों, सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है। मैं माननीय मंत्रीजी का आभारी हूं जिन्होंने कुछ नगर पालिकाओं की सड़कें ब्रिज कारपोरेशन से ठीक कराने का प्रयास किया है। परन्तु मैं मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि उन सड़कों में जो माल डला उसमें डामर की क्षमता कम थी या गिट्टियों की क्षमता कम थी, वह मात्र दो महीने बाद उखड़ गयी। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन बयाना नगर पालिका की सड़कें जो ब्रिज कारपोरेशन द्वारा बनायी गयीं वे पूरी तरह उखड़ चुकी हैं और उनमें खड्डे पड़ चुके हैं। उसमें हमारे साथ भेदभाव बरता गया। जो सड़क पी.डब्ल्यू डी. की जाटव बस्ती होते हुए निकलती थी उस पर कार्य नहीं कराया गया और अधूरी छोड़ दी गई। माननीय मंत्रीजी, ग्राम सड़कों की स्थिति बहुत गंभीर है। बयाना सब डिवीजनल हैडक्वार्टर छह सड़कों से जुड़ा हुआ है-बयाना से भरतपुर, बयाना से हिण्डौन, बयाना से छोंकरवाडा, बयाना से रूपवास, बयाना से बसेड़ी और बयाना से तालचीड़ी। इन छह सड़कों में से पांच सड़कें बिलकुल क्षतिग्रस्त हैं जिन पर आम आदमी चल भी नहीं सकता, ट्रैफिक सही ढंग से चल नहीं सकता। खास तौर से बयाना से तालचीड़ी रोड की इतनी दुर्दशा है कि अगर उस पर वाहन चला जाए तो कई बार तो उस पर बसें उलटी हुई हैं। 1996 में उस रोड में कटाव पड़ने के बाद उसे अब तक दुरुस्त नहीं कराया गया। माननीय सभापति महोदया, बयाना से छोकरवाडा रोड जिस पर कई बार माननीय मंत्रीजी पधारे हैं, उसकी हालत भी आपने देखी होगी।

(श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा)

छोंकरवाड़ा से बयाना तक जाने में कम से कम दो घण्टे लगते हैं और जयपुर से छोंकरवाड़ा तक जाने का समय मात्र दो घण्टा है। सोचिए, उस सड़क की कैसी दुर्दशा है। कई गांवों में आप निकल नहीं सकते, सड़क के नाम पर वहां खड्डे हो रहे हैं। आप किस आधार पर कहते हैं कि सड़कों पर खड्डे पड़े तो ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर पर छाले पड़ते हैं ? माननीय मंत्रीजी, आपकी कार इन दिनों में उन गांवों में होकर छोंकरवाड़ से बयाना जाए तो शायद आपकी कार में पानी भर जाए, निकलेगी नहीं।

मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं बयाना से बसेडी की रोड, यदि आप कोट से जैसोरा तक के बीच में देखें तो इतने गड्डे पड़े हुए हैं कि कार तो निकलना मुश्किल है ट्रैक्टर भी इधर-उधर होकर निकलते हैं। यही नहीं, बयाना से हिण्डौन वाली रोड पर गदेखार के पास जो पुलिया है, 1996 में टूटी। उसी समय आपने काम स्वीकृत भी कर दिया, काम कराया भी लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, उसकी हालत वो की वो है। माननीय मंत्रीजी, बयाना से रूपवास वाली रोड को लें, उसकी भी हालत बड़ी बदतर है। एक-एक रोड आप लें। शायद मेरा दुर्भाग्य है या बयाना क्षेत्र के निवासियों का दुर्भाग्य है कि किसी रोड पर कोई काम नहीं कराया गया।

माननीय मंत्रीजी, आपने मुझे आश्वासन दिया था कि कुछ सड़कें आपकी पूर्ण करा दी जाएंगी। सिंघाड़ा से तरसुमा बाया घाघरान 1986 में स्वीकृत हुई, परन्तु अभी तक 1990 के बाद कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। 1990 के बाद जैसी सड़क है वैसी की वैसी पड़ी हुई है जबकि आपने मुआवजा स्वीकृत कर दिया। मुआवजा स्वीकृत करने के बाद वहां के किसान लेने को तैयार है, परन्तु पता नहीं क्या कारण है कि आपके अधिकारी उसको बांटना नहीं चाहते। आप प्रयास कर रहे हैं, किन्तु अधिकारियों से भी कहें कि कम से कम उस मुआवजे को देकर सड़क तो निकालें। यही नहीं....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैंने अपनी बात तो की ही नहीं।

श्री सभापति : सुझाव ही होंगे मांग पर, भाषण नहीं। बहुत सारे माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : सुझाव ही दे रहा हूं, मान्यवर।

श्री सभापति : शॉर्ट में।

श्री हीरालाल इन्दौरा : बहुत अच्छा बोलते हैं।

श्री सभापति : अच्छा बोलते हैं तो क्या हुआ ? बुरा बोलेंगे क्या ? आपका नाम नहीं लूं ?

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि घाघरन से ईंटखेड़ा वाली रोड 1985 में स्वीकृत हुई। पूरी तरह काश्तकारों ने अपनी जमीन दे दी, रोड निकल गई, कलेक्शन आपने करवा दिया, तीन-चार ठेकेदार बदल दिए, उसके बावजूद भी उस

(श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा)

सड़क की वैसी की वैसी हालत है। दूसरे रोड निकाल रखे हैं, लोगों का खेतों में नुकसान हो रहा है। ऐसी हालत मेरे क्षेत्र की है। यही नहीं, बसेड़ी भी मेरे क्षेत्र में आता है, वहां की सड़कों की हालत तो बहुत ही खराब है। बसेड़ी से मासरपुर वाली रोड मेरे ख्याल से जब से बनी है तब से उसकी मरम्मत नहीं हुई। धोबी की तेवरिया से बडरिया की रोड भी जब से बनी है तब से अब तक मरम्मत नहीं हुई। उसके लिए पत्र भी आपको लिखा। उस पर जो पुलिया बन रही है उनके ठेकेदारों को ठेके हो गये, ठेके भी मेरे ख्याल में 1986 में हुए लेकिन अब तक वह पुलिया नहीं बनी। कारण क्या है यह तो आप जानें पता नहीं पर उनका काम नहीं हो रहा है और सड़कें इतनी खराब हैं कि आप चल नहीं सकते।

बसेड़ी से बाखरवाली रोड, बसेड़ी से यू. पी. बोर्डर के लिए सिंहोली तक रोड, माननीय मंत्रीजी, इन सड़कों की जो दुर्दशा है उसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन सड़कों को आप मरम्मत में या किसी में, कई जगह डांग विकास के भी मामले आये हैं, दुरुस्त कराएं। उन सड़कों की तो कच्चे रास्तों से भी बदतर हालत है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं कि छोंकरबाड़ा से धौलपुर वाया बयाना, बसेड़ी, बाड़ी होते हुए इसे आप स्टेट हाई-वे के रूप में कर दें तो जो बसेज या आपका साधन यू. पी. होकर जाता है वह सीधा जाएगा और उससे हमें राजस्व लाभ भी मिलेगा।

माननीय मंत्रीजी, इसके साथ मैं और भी सुझाव देना चाहता हूं। जो कोटा-दिल्ली हाई-वे रोड है उसे खेड़ला से भरतपुर तक आप डिस्ट्रिक्ट हाई-वे के रूप में बदल दें तो मैं समझता हूं बयाना, रूपवास होते हुए लोगों को भारी सुविधा मिलेगी और आने–जाने के अच्छे साधन हो सकेंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) माननीय मंत्रीजी, आपने हमको आश्वासन दिया था कि जो रोड 1996 में ओलावृष्टि से, अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं उनकी मरम्मत अक्टूबर, 1998 तक पूर्ण करा दी जाएगी। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है....

श्री सभापति : अक्टूबर, 1998 तो आने वाला है।

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : मार्च, 1998 तक।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पूरा करें। मैं दूसरा नाम पुकार रही हूं।

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : मार्च, 1998 तक आपने पूर्ण करा देने का वायदा किया था परन्तु आपको मैं बताना चाहता हूं कि उन सड़कों में से अब तक किसी भी सड़क का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ और न कोई मरम्मत हुई।

श्री सभापति : बिराजिये। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। माननीय सदस्य, बिराजिये, बहुत समय दे दिया। आपको मैंने डबल समय दिया। सभी सदस्यों के साथ न्याय होना है। बिराजिये।

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : न्याय करिये। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं....

श्री सभापति : हो गया न, बिराजिये।

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : आगरा-जयपुर रोड पर भयंकर एक्सीडेन्ट होते हैं, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि फोर लेन रोड के रूप में उस पर जल्दी काम चालू करवाएं। मुझे ऐसा लगता है कि स्वीकृत तो आपने कर दिया, परन्तु इसका जल्दी कार्य कराएं। मैं इसके साथ-साथ एक ग्राम पंचायत जो मेरी....

श्री सभापति : बस, अब लिखकर भेज देना आप।

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : नहीं जुड़ी है, ग्राम पंचायत भाड़ली पंचायत समिति बसेड़ी है उसे हैडक्वार्टर से जोड़ा जाए। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 21 पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुए निवेदन करूंगी कि उन्होंने सड़कों की व्यवस्था में सुधार किया है।

जोधपुर शहर राजस्थान में जयपुर के बाद दूसरे नम्बर का शहर है जिसमें जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र से मैं निर्वाचित हुई हूं। वहां की भौगोलिक स्थिति अन्य विधान सभा क्षेत्रों से भिन्न है क्योंकि यह क्षेत्र शहर परकोटे के अन्दर पुराना बसा हुआ है। यह बात सही है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने सड़कों की तो काफी अच्छी सुविधा की है मगर जिस क्षेत्र से मैं निर्वाचित हुई हूं उसमें जालोरी गेट से खाण्डाफलसा फतेहपोल तक की सड़क की हालत बहुत ही खराब है। यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित सड़क तो है मगर वह आपकी वजह से खराब नहीं है। माननीय सभापति महोदया, इस सड़क के ऊपर पाइप लाइन डाली गई थी, टेलीफोन के तार डाले गये थे। उसके बाद इस सड़क की इतनी दुर्दशा है कि आने-जाने में बहुत असुविधा रहती है। मैंने जानकारी प्राप्त की तो मुझे यह पता चला कि पी.डब्ल्यू.डी. के अन्दर इनका पैसा जमा करा दिया गया था। फिर भी यह सड़क ठीक नहीं होने से बरसात का मौसम है, इस सड़क पर आने-जाने वालों को बहुत असुविधा रहती है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इन सड़कों की मरम्मत करने की तत्काल कार्यवाही करने को प्राथमिकता दी जाए ताकि आवागमन में सुविधा हो सके।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि बरसात में पानी के साथ डामर बह जाता है सड़क का। यह जोधपुर की सड़क जो जालोरी गेट से फतेहपोल तक जाती है, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है–किले से उतरते हैं तो भी इधर से जाएंगे और जालोरी गेट से जायेंगे तो भी इधर से जायेंगे। इस सड़क को सीमेंट या आर. सी सी. की सड़क बना दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि डामर और पानी में बैर होता है जिससे डामर बह जाता है। वहां ऊपर की तरफ रानीसर, पदमसर आया हुआ है, जब बरसात आती है तो रानीसर-पदमसर का बहाव

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

इतना आता है कि इसी सड़क से पूरा पानी निकलता है, बाहर जाता है। इसकी वजह से डामर बिल्कुल तहस-नहस हो जाता है। वास्तव में इस सड़क को अगर सीमेंटेड करा दिया जाये तो मैं समझती हूं कि कम से कम 5–10 साल इसको ठीक कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

माननीय सभापति महोदया, अभी सामने बिराजने वाले माननीय सदस्य कुछ सड़कों के बारे में बता रहे थे कि सड़कें बहुत खराब हैं मगर मैं एक बात बताना चाहती हूं कि भारत को स्वतंत्र होने के बाद राजस्थान में जितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी ने करायी हैं उसमें से आपने एक-चौथाई हिस्सा भी नहीं किया था। हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने आपकी कांग्रेस सरकार के राज के अलावा चार गुना सड़कें जोधपुर में नहीं पूरे राजस्थान में बनवाई हैं। इसकी प्रशंसा तो करनी दूर रही, आप सड़कों पर खड्डों की बातें कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जो बनाने वाले थे वे तो यहां हैं ही नहीं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मार्च, 90 तक 78,493 किलोमीटर सड़कें निर्मित थीं। इस प्रकार कांग्रेस के शासनकाल में 43 वर्षों में 23,670 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ और दूसरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 7 वर्षों में 21,537 किलोमीटर सड़कें निर्मित कीं। इस प्रकार से कांग्रेस सरकार में एक वर्ष में एक हजार किलोमीटर सड़क बनी व भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक वर्ष में 3 हजार किलोमीटर सड़क बनाई गई।

श्री हीरालाल बिश्नोई : जोधपुर की बात करो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जोधपुर की बात कर रहे हैं, आप क्यों चिन्ता कर रहे हो? मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, टोका-टाकी नहीं करें।

(17.00)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जालोरी गेट से खाण्डा-नवचौकियां व फतेहपोल तक मुख्य सड़क भैरजी की होटल से मेड़तियां गेट सर्राफा बाजार, कटला बाजार-घंटाघर क्षेत्र से गुजरती है। जालोरी गेट बारी से पुंगलपाड़ा, जो दूध का चोटा, कबूतरों का चौक, हटरियों का चौक से गुजरती है वह सड़क पी.डब्ल्यू.डी. की है। सोजती गेट से नागौरी गेट तक जो नगर निगम, त्रिपोलिया बाजार व बुरजी के झालरा की तरफ गुजरती है और नागौरी गेट से हाथीरामजी ओडा, मसतूर मलजी हवेली तक गुजरती है, वह सड़क पी. डब्ल्यू. डी. की है। मैं चाहूंगी कि इस सड़क को तुरन्त ठीक करवाया जाए ताकि आने-जाने वाले लोगों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

सभापति महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन करूंगी। जोधपुर शहर के अन्दर बहुत ही कंजस्टेड जगह है जिससे मैं निर्वाचित हूं, वह ऐसा क्षेत्र है कि छोटी-

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

छोटी तंग गलियां हैं। उनके अन्दर सीमेंट की सड़कें बनी हैं मगर मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं हैं, मैं उनको बताना चाहती हूं कि उन सड़कों में से जो अधिकारियों की देख-रेख में सड़क बनी है वे तो कुछ ठीक हैं, बाकी में सीमेंट की सड़क बनने के बाद भी वहां सारे कंकड़ निकल गये, उसको कोई देखने वाला नहीं है। ब्रह्मपुरी सबसे अच्छा स्थान है, वहां पर सारी सड़क सीमेंट की बनी मगर वहां पर सारे कंकड़ निकल गये। जब सीमेंट की सड़क बनने के बाद भी कंकड़ निकलते हैं तो डामर की सड़क का तो उथलना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि उसमें और पानी में दुश्मनी होती है। सड़कें खूब बनीं मगर उनमें कुछ अनियमिततायें भी हुई हैं। मैं चाहूंगी कि उनकी जांच कराई जाए और जांच कराने के बाद जोधपुर शहर की उन सड़कों को तुरन्त ठीक करा दिया जाए। सभापति महोदया, आप घंटी नहीं बजाना, मैं मेरी बात फिर कहना भूल जाऊंगी, मैं पहले ही आपको कह देती हूं।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि जब हर विभाग अपना-अपना काम देखता है तो एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर दी जाए कि जोधपुर शहर की जितनी सड़कें हैं उनको सिर्फ पी. डब्ल्यू. डी. देखे ताकि आम जनता को यह तो मालूम पड़े कि उनकी शिकायत लेकर उनके पास जाना है? अभी वह किसके पास जाए? कहीं जाए तो कहते हैं कि पी. डब्ल्यू. डी. करेगी, कहीं जाए तो कह दें कि नगर सुधार न्यास करेगी, कहीं जाए तो कहें कि कृषि मण्डी करेगी, कहीं जाए तो कहें कि नगर निगम करेगी, तो जनता किसके पास जाए? जनता तो एक ही बात समझती है, जाकर कहना, मगर किसको कहे? तो मेरी एक मांग है, जवाब के अन्दर मेरी मांग पर विचार करें क्योंकि आपने काफी अच्छी नीतियां बनायी हैं। सड़कों के लिए नीति बनाई, पुलों के लिए नीति बनाई, दुनिया भर की नीतियां बनाईं, मंत्रीजी, एक यह भी नीति बना दें कि एक ही विभाग उन सड़कों को देखें। आपके पास सारे अधिकारीगण हैं, सब व्यवस्था है। नगर निगम के पास सफाई का काम है, वह हो जाएगा, वही बहुत है मगर सारी सड़कों का काम अगर एक ही विभाग देखे तो अच्छा रहेगा।

मैं आपके माध्यम से 2–4 बातें और कहना चाहूंगी। जोधपुर से सरदारसमंद एक रोड स्टेट टाइम की बनी हुई है। यह सड़क पहले जोधपुर राजघराने की व्यक्तिगत सड़क थी, बाद में राजघराने ने इस सड़क को मारवाड़ की जनता को सुपुर्द कर दिया। यह सड़क 35 किलोमीटर जोधपुर में तथा 30 किलोमीटर पाली में चलती है। जोधपुर शहर में 17 किलोमीटर यह सड़क डामरीकरण हो चुकी है और 33 किलोमीटर तक अभी भी ग्रेवल सड़क है। 23 किलोमीटर से 65 किलोमीटर तक डामर सड़क है, अब केवल छह किलोमीटर सड़क रह गई। इस सड़क पर 50 गांव हैं तथा पेड़ों के लिए शहीद हुए 363 नर-नारियों का महान स्थल, खेजड़ली भी इसी सड़क पर आया हुआ। मैं यह चाहूंगी इस सड़क को भी तुरन्त ठीक करवाया जाए।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सभापति महोदय, अब मेरी 2–4 मांग रह गयी हैं, वह मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी। जोधपुर शहर के अन्दर पुराना डाक बंगला है, उसका क्या विस्तार करने की मंत्री महोदय की और सरकार की योजना है? वह भी आप अपने यहां लिखें और मुझे भी इस बारे में जानकारी दें तो अच्छा रहेगा। सिवांची गेट से चांदपोल तक जाने वाली सड़क, स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने खुद ने शिलान्यास किया था मगर आज वह सड़क इतनी दुर्दशा में है कि अगर गर्भवती महिला उधर से जाए तो मेरे ख्याल से उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं होगी। वह सड़क ऐसी है जहां पर मरने वाला जाता है, जन्म देने वाली जाती है, सामान खरीदने वाले जाते हैं। उस सड़क को....(व्यवधान) आज सड़क की बात है तो मैं साथ ही कह दूं ना। मौके का फायदा तो उठाना ही चाहिए। वह सड़क आपमें भी आधी आ रही है, आधी उनके आ रही है, उसके लिए भी कह दूं तो कोई बुरी बात नहीं है।

मैं कुछ और बात कहना चाहती हूं। जोधपुर शहर में पी. डब्ल्यू. डी. का डाक बंगला आया हुआ है। इसमें ज्यादातर लोग कैसे रहते हैं, उनको थोड़ा देखा जाए। इस तरह के लोग वहां पर नहीं रहें और इसके अन्दर वास्तव में रहने वाले लोग ही रहने चाहिए, सरकारी अधिकारी वगैरह। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि कई ऐसे लोग उसमें रहते हैं इसलिए उसको भी देखा जाए।

मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं सिद्धनाथ जाने वाली सड़क के लिए। आपने स्वयं ने यह घोषणा की थी कि सिद्धनाथ जाने वाली सड़क को मैं तुरन्त तैयार करवा दूंगा मगर अभी तक सड़क नहीं हुई है। उस सड़क के बारे में भी आप अपने विचार रखें।

वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण बात रह गई। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि जोधपुर-पाली रोड पर टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए क्योंकि एक वर्ष पहले ही पुल निर्माण की राशि सरकार द्वारा वसूल की जा चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले जनता द्वारा इसका विरोध भी किया गया था फिर भी, मैं अभी दो दिन पहले ही पाली गई थी वहां टोल टैक्स वसूल कर रहे थे कुड़ी के पास में। ऐसा कितना न जाने सब जनता से ले रहे हैं? वह टोल टैक्स तुरन्त बंद किया जाए। पुल बने हुए इतना अरसा हो गया है तो अब टोल टैक्स किस बात का? और वह तो जोधपुर के अन्दर आता है। उसको तुरन्त बंद करवाया जाए। सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं मगर एक और निवेदन करना चाहती हूं मंत्रीजी से....

श्री सभापति : आभार होने के बाद अगर नहीं होता है। श्री हीरालालजी विश्नोई। बिराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जय नारायण व्यास टाउन हाल जोधपुर के अन्दर है, वह कला संस्कृति विभाग को सुपुर्द किया हुआ

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

है। उस टाउन हाल की स्थिति ऐसी है कि बैठने लायक नहीं है, कुर्सियां सब फटी हुई हैं। क्या सरकार की मंशा है वापस पी. डब्ल्यू. डी. को देने की? अगर नहीं तो इस पर थोड़ा विचार किया जाए ताकि वहां के लोगों को अच्छी तरह से यह हाल मिल सके। पहले पी. डब्ल्यू. डी. उसकी अच्छी मरम्मत करता था, अच्छी व्यवस्था होती थी। सामने वाले कई इस बात के ऊपर छींटा-कशी करते थे मगर मैं पी. डब्ल्यू डी. मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि इनके विभाग के अन्दर स्कूलों वगैरह में जो काम हो है उसके अन्दर बचत की जाती है। खराब काम नहीं होता है, अच्छा काम होता है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि पैसे का सदुपयोग होता है।

एक निवेदन और है। जोधपुर शहर के अन्दर पुराने स्कूल हैं जो कि पी. डब्ल्यू. डी. से सम्बन्धित है, और बंगले वगैरह भी हैं। हमारे पास तो पैसा नहीं है, वह काम ही नहीं हो रहा है, यह बात दो साल से सुनने में आ रही है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि ये जो भवन पुराने हैं और जो-जो पी. डब्ल्यू. डी. से सम्बन्धित हैं, उनकी तुरन्त मरम्मत कराई जाए और आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : बिराजिये आप।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : सभापति महोदया, मैं आज मांग संख्या-21 पर सड़क निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा इलाका जालोर जिला, तहसील सांचोर एकदम बोर्डर पर आया हुआ है। मंत्री महोदय को याद दिला दूं कि आपने सन् 1991 में सांचोर-सरवाड़ा सड़क का शिलान्यास किया था। सरवाड़ा-सांचोर 30 किलोमीटर लम्बी सड़क है, 2–3 मद में अलग-अलग टाइम में सड़क बनी लेकिन उसमें भी आपके अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से सांचोर से लगते ही 7 किलोमीटर के बाद में ढाई किलोमीटर के बीच में एक टुकड़ा छोड़ दिया, तपाव से मावरला तक का बीच का टुकड़ा छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया गया कि सांचोर से सरवाड़ा तक सरकारी बस चल सके। वहां के जो प्राइवेट टेकेदार हैं उन्होंने आपके अधिकारियों-कर्मचारियों से मिलकर इस तरीके से घोर अनियमितता की है।

मंत्री महोदय, मैं एक और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा बोर्डर गुजरात से लगता हुआ है। सांचोर से नैनवां सिर्फ पांच-छह किलोमीटर पड़ता है, जब से सड़क बनी है उस सड़क का आज दिन तक रिपेयरिंग का एक भी पैसे का बजट नहीं आया है। हमारे सांचोर तहसील में आपने 1995-96 में सिवाणे से चितलवाड़े का रिपेयरिंग का 12 लाख रुपये का बजट दिया लेकिन 1996-97 के अन्दर आपके अधिकारियों की लापरवाही की वजह से वह बजट वहां यूटिलाइज नहीं किया गया और खारिज हो गया। यह हमारे साथ दोहरा व्यवहार नहीं है क्या? ऐसी कई 1995-96 की सड़कें सांचोर तहसील में स्वीकृत पड़ी हैं। पमाणा से खेड़ा बहुत लम्बी सड़क है, रानीवाड़ा से भाग तक कम से कम पचास किलोमीटर लम्बी सड़क है, टुकड़े-टुकड़े वह सड़क बनी। 1995-96

(श्री हीरालाल विश्नोई)

में जो आपकी सड़कें स्वीकृत हुईं, वहां का ठेकेदार जो वहां का आपका जे. ईएन. है, उन अधिकारियों का भाई है। उनकी मिलीभगत से और द्वेष भावना से कि एरिये में काम नहीं हो, उस सड़क पर आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद में हमने एम. पी. कोटे में खेड़ा से देवड़ा तक दस लाख का आपका बी पी. करवा दिया, फिर भी आज दिन तक वहां डामरीकरण की स्वीकृति नहीं आई। स्वीकृति आने के बाद रानीवाड़ा से झाग तक यह पूरी सड़क सम्पर्क सड़क बन जाएगी। इसी तरीके से जो आपकी सम्पर्क सड़क सूरा तक स्वीकृत है और मैटल बन गई है, उसका डामरीकरण नहीं हुआ है। डूंगरी से टांपी सड़क भी स्वीकृत है मगर वहां भी थोड़ा टुकड़ा बाकी रह गया है। टांपी पंचायत हैडक्वाटर है, आज दिन तक वह टांपी नहीं जोड़ा गया। इसी तरीके से हाडेसा से ददूसर भी आपकी सड़क स्वीकृत है मगर वहां पर अभी तक भी कोई काम नहीं हुआ। ठेका तक नहीं हुआ वहां का। आपकी खेड़ा से जेलादरा सड़क भी स्वीकृत है 1995-96 की, मगर आज दिन तक, मंत्री महोदय, वहां डामरीकरण नहीं हुआ। यह दोहरा व्यवहार हमारे साथ आपके विभाग वाले क्यों कर रहे हैं ? आप इस पर ध्यान दें। दूसरा, भीनमाल से सांचोर की सड़कें जब से बनी है तब से कोई रिपेयरिंग उस पर नहीं हुई। वह हमारे जालौर जिले से जुड़ी हुई सड़क है। बीच में दो नदी आती हैं, नदी के अन्दर आप अगर सी. डी. वर्क नहीं करेंगे तो भीनमाल से सांचोर जाने का रास्ता बंद हो जाता है पानी आने से और हमको रानीवाड़ा होकर घूम कर जाना पड़ता है। रानीवाड़ा से सांचोर की सड़क जब से बनी है तब से आज दिन तक उसकी रिपेयर नहीं हुई है। सिवाड़ा से होतीगांव चार साल पुरानी स्वीकृत है लेकिन होतीगांव के पास में दो किलोमीटर टुकड़ा आज पांच साल से अधूरा पड़ा है। ऐसी जो भी हमारे वहां आपके महकमे द्वारा स्वीकृत हुईं, सभी सड़कें इसी तरह से पड़ी हैं। हाडेसा से खेजड़ियाली रोड, सूंथरी तक जो हमारा नेड इलाका है उसके लिये भी सडक स्वीकृत है, पैसा स्वीकृत है मगर ठेकेदारों की और अधिकारियों की मिलीभगत है। आज से छह महीने पहले सूंथरी में डी. एल. ओज की मीटिंग हुई, उसके अन्दर सभी अधिकारियों को कहा गया। यह सड़क चूंकि हमारा नेड इलाका वह है, वह सड़क नहीं बनती है। खेजड़ियाली तक आपकी स्वीकृति है, सूंथरी तक का बजट भी आप दे चुके, लेकिन सूंथरी तक जब नहीं होगी तो हमारी वहां की दस पन्द्रह पंचायतें हैं उनका सम्पर्क बिलकुल टूट जाता है, आवागमन बिलकुल बंद हो जाता है और वहां के लोग वहां रह जाते हैं। आज जो तूफान आया, उस तूफान के अन्दर बारिश हुई और आपके अधिकारी/कर्मचारीगण एरिये की सुध-बुध लेने तक नहीं जा सके। मैं स्वयं खासरवी तक गया था पर खासरवी के आगे बीस किलोमीटर का रास्ता बंद था। मान्यवर मंत्री महोदय, इस तरीके के इलाके को आप खास प्रायर्टी पर देखेंगे। हमारे इलाके में बरसात के अन्दर आदमी बीमार हो जाता है तो उसको सांचोर तक के लिये आवागमन का रास्ता भी नहीं है। सड़कें हमारी बंद हो गईं, बसें हमारी बंद हो जाती हैं, टैक्सियां वहां जा नहीं सकतीं तो जो लोग वहां रहने वाले हैं

(श्री हीरालाल विश्नोई)

वे बीमार हो जाएं, उनको कोई तकलीफ हो जाए तो सांचोर तक नहीं पहुंच सकते। सभापति महोदया, नई सड़कों के लिए तो मैंने कट मोशंस दो-तीन छोटे-छोटे टुकड़ों में दे रखे हैं, मगर जो आपकी स्वीकृत की हुई सड़कें हैं, वे भी पड़ी हैं। आपने पैसा दे दिया, आपके जो एक्स. ईएन. साहब हैं उन्होंने कर्मचारियों को कितनी बार बुला-बुलाकर कह दिया, डी. आर. डी. ए. ने कह दिया कि हमने पैसे दे दिये लेकिन वह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आया और आया तो दूसरी मद में खर्च हो गया। एम. एल. ए., एम. पी. कोटे की दो-तीन सड़कें हैं जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। एक तो बिजोल से भादरणा एम पी. कोटे की स्वीकृत है, ग्रेवल सड़क की स्वीकृति है, पैसा डी. आर. डी. ए ने दे दिया फिर भी आपके अधिकारीगण वह काम नहीं करना चाहते। लियादरा से जेरोल तक की भी स्वीकृति हो चुकी है लेकिन दो साल हो गये, आज दिन तक उस पर एक पैसे का काम नहीं हुआ। आपके अधिकारीगण ठेकेदारों से मिलकर नीची रेट पर बदनीयति से ठेका दे देते हैं। पांच-दस हजार रुपये जो आप ठेकेदारों का डिपाजिट लेते हैं भले ही वह डिपाजिट जब्त हो जाए मगर वहां काम होना नहीं चाहिए, ऐसी नीयत आपके अधिकारी रखेंगे तो वहां जनता को कैसे लाभ मिल सकता है, कैसे वह काम हो सकता है ? तो मेरा निवेदन है कि आप अच्छे अधिकारियों को रखिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें अब, पूरा करें। ऐसे सभी....

श्री हीरालाल विश्नोई : सभापति महोदया, जो खास बात कहनी है वह बात तो कहने दीजिये।

श्री सभापति : बात कहिये न फिर आप अपनी।

श्री हीरालाल विश्नोई : ऐसे जे. ईएन., ए. ईएन. दें ताकि लोगों का काम हो सके। बार-बार वहां के कार्यकर्तागण किसी की शिकायत कर देते हैं, जो काम करने वाला आदमी होता है, कि यह कांग्रेसी है इसकी शिकायत कर दो.....

श्री सभापति : सुझाव।

श्री हीरालाल विश्नोई : सभापति महोदया, इसीलिए तो हमारे सब काम अटके पड़े हैं। मैं यह कह रहा हूं कि 1995-96 की सड़कें स्वीकृत हैं मगर आपके कर्मचारी-अधिकारीगण इस तरीके से दुर्भावना से जनता का काम रोक रहे हैं। ऐसे लोगों पर आपको सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए और जो ईमानदार आदमी है, जो काम करता है ऐसे आदमी को रखना चाहिए। सभापति महोदय, हमारे जो काम बाकी पड़े हैं वे काम आप जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराने की कृपा करें। वैसे मैंने कट मोशन में दो-तीन सुझाव आपको दे रखे हैं....

श्री सभापति : पढ़ लेंगे, कट मोशन को पढ़ लेंगे, मैं अगला नाम पुकारती हूं। हो गया, कट मोशन पढ़ लेंगे।

श्री हीरालाल विश्नोई : खेड़ा की सम्पर्क सड़क है, इसको दो किलोमीटर बीच

(श्री हीरालाल विश्नोई)

में जो सड़क बन रही है लियादरा से खेड़ा, उससे अगर जोड़ देंगे तो हमारे सांचौर का सीधा सम्पर्क इस सड़क से उस सड़क तक हो जाएगा । मेरा यह भी आपसे निवेदन है कि जो भी हमारे अधूरे काम पड़े हैं आप कृपा कर जल्दी से जल्दी कराने का कष्ट करें । आपने, सभापति महोदया, मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद । जय हिन्द ।

श्री सभापति : धन्यवाद । श्री रामनारायण किसान ।

श्री रामनारायण किसान (फुलेरा) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में किशनगढ़ रेनवाल 30-35 हजार की आबादी वाला कस्बा है, नागौर और सीकर का मुख्य मार्ग वहां से गुजरता है जिसमें इतने साधन जाते हैं कि कभी जाम लग जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है । माननीय मंत्री महोदय, वह जो रेनवाल बाइपास बनाना था उसका तीन बार सर्वे कर लिया गया और माननीय मुख्य मंत्रीजी दो-तीन बार जनता को आश्वासन दे चुके, क्योंकि उनको गांव जाना पड़ता है खाचरियावास, उनके पास में है । जब भी जाते हैं वे रेनवाल के अन्दर से जाते हैं, सारी जनता को यह आश्वासन दे रखा है कि इसी बजट में आपके रेनवाल का जो बाइपास है वह बना देंगे । लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, तीन-चार बार सर्वे होने के बाद भी उसमें आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई । दूसरा निवेदन यह है कि मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में.....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कुछ आपके यहां किया भी है कि नहीं हुआ ?

श्री रामनारायण किसान : हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कुछ काम किया भी है कि नहीं ?

श्री रामनारायण किसान : नहीं, सर्वे नहीं हुआ, साहब ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नहीं, ये बाइपास छोड़ो और भी कुछ काम हुआ है कि नहीं ?

श्री रामनारायण किसान : और तो साहब बहुत हुए । माननीय सभापति महोदया, जो हमारे मंत्री महोदय ने फरमाया, मैं तो करीब....

श्री परसादीलाल मीणा : आप माननीय सदस्य को +++

श्री सभापति : +++ याद दिलाते हैं कि कुछ किया हुआ काम तो बताएं ।

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : किया होता तो बताते ।

श्री सभापति : अभी बताएंगे । वे आपकी तरह थोड़े ही हैं कि किया हुआ तो पी जाएं और नहीं किया हुआ बोलें ।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा : जो काम किया हुआ है वह बताया है हमने तो बिल्कुल स्पष्ट, परन्तु जहां नहीं हुआ है उसके लिए जरूर खेद व्यक्त किया है ।

श्री सभापति : अब बोलने दो, नये सदस्य हैं ।

श्री रामनारायण किसान : माननीय सभापति महोदया, 40 साल का विकास एक साइड है, और मेरे एक साल का विकास एक साइड है, माननीय ललितकिशोर चतुर्वेदीजी की मेहरबानी है कि इतना विकास हो गया । मेरा तो एक ही आपसे निवेदन है कि आप मेरे यहां बाइपास जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराएं । धन्यवाद ।

श्री सभापति : धन्यवाद । श्री भीमराज भाटी । कितने समझदार सदस्य हैं । एक मिनट में अपनी बात पूरी करके बैठे हैं और सबसे नये हैं ।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय सभापति महोदया, यह प्रगति प्रतिवेदन दिया गया है कि एक हजार से ज्यादा की आबादी के इतने गांव हैं, उनमें से इतने गांव और पंचायत मुख्यालय जोड़े गये हैं । सरसरी तौर पर बता देना चाहता हूं कि 1971 की सेन्सस के हिसाब से एक हजार से ज्यादा आबादी के 5707 गांव थे उसमें से अभी तक बिना सड़क से जुड़े 463 गांव रहे हैं । इसी तरह पन्द्रह सौ से ज्यादा की आबादी के 6131 गांव थे, 763 रहे हैं । एक हजार से कम आबादी के जो गांव हैं, सभापति महोदया, वे 27123 गांव हैं उनमें से बीस हजार से ज्यादा गांव अभी तक जुड़े हुए रहे हैं और पंचायत मुख्यालयों की जहां तक हालत है 9195 में से 238 तो अभी तक किसी सड़क से नहीं जुड़े, बिना किसी सड़क के अभी भी मौजूद हैं और 1828 गांव डामर की सड़क से नहीं जुड़े हैं । मेरा आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से इतना ही निवेदन है कि वे पूरे राजस्थान के दो सौ विधान सभा क्षेत्रों की एक स्टेट्स रिपोर्ट बना लें, यह सारा भेद खुलकर सामने आ जाएगा कि कौन से विधान सभा क्षेत्र में कौनसे पंचायत मुख्यालय जुड़ गये, कौनसे एक हजार की आबादी के गांव जुड़ गये, कौनसे एक हजार से पन्द्रह सौ की आबादी वाले गांव जुड़ गये ? यह सारा स्टेट्स आपके डिपार्टमेंट के सामने आ जाएगा कि यह भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई जा रही है । ढिंढोरा तो बहुत पीटा जा रहा है सड़क नीति का लेकिन यह भेदभावपूर्ण नीति है । अगर हकीकत में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो आप एक स्टेट्स रिपोर्ट जारी करवा दीजिए दो सौ विधान सभा क्षेत्रों की, अपने-आप इस सदन को समझ में आ जाएगा ।

दूसरी बात, मेरा एक सुझाव है । माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, आप ग्रेवल सड़क बनाते हैं, ग्रेवल से फिर डब्ल्यू. बी. एम बनाते हैं, डब्ल्यू. बी. एम. से फिर डामर बनाते हैं । ग्रेवल सड़क डी. आर. डी. ए. बनाता है, डब्ल्यू. बी. एम. भी डी. आर. डी. ए. बनाता है । डामर का पैसा डी. आर. डी ए. नहीं देता लेकिन जब आप ग्रेवल से डब्ल्यू. बी. एम. बनाते हैं और डब्ल्यू. बी. एम. से डामर बनाने की स्थिति आती है तब तक वह डब्ल्यू. बी. एम. की जो कुटाई है चाहे एक लेयर की कुटाई हो, दो लेयर की कुटाई हो, तीसरी लेयर की कुटाई हो वह पूरी टूट जाती है और जो

(श्री भीमराज भाटी)

गिट्टी है वह पूरी बाहर आ जाती है। गिट्टी के बाहर आ जाने से फिर उस सड़क पर आना-जाना दूभर हो जाता है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, मैं निवेदन करूंगा इससे तो बेहतर है कि आप कम किलोमीटर सड़क बनाइये लेकिन जो ग्रेवल बनाते हैं उसको इमीजिएट डब्ल्यू. बी. एम. करवा दीजिये, उसको इमीजिएट डामर करा दीजिये। आप भले ही 20 किलोमीटर नहीं कराएं, चार किलोमीटर ही कराएं लेकिन उस चार किलोमीटर में जो परिसम्पत्तियों का निर्माण करना चाहते हैं उसे कम से कम इस स्थिति में तो रखिये कि वह सड़क किसी हालत में खत्म ही नहीं हो। नहीं तो जब तक डामर की स्टेज आती है तब तक आपका पहले का लगा हुआ पैसा बारिश में बह जाता है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कि आप डिपार्टमेंट में सी. डी. वर्क्स की मंजूरी नहीं देते। मैं बीसों ऐसे किस्से बता सकता हूं जहां आपने सड़क बनाई लेकिन उस सड़क में बीच से जो नदी-नाले आने की जगह है उसमें रपट नहीं है। अब रपट नहीं है तो बरसात के मौसम में जैसे ही उस नाले में पानी बहता है आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, जाना-आना तो सम्भव ही नही है। डिपार्टमेंट को जब हम कहते हैं तो वे कहते हैं कि सी डी. वर्क्स की हमको परमीशन ही नहीं है, सी. डी वर्क्स के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है बिना सी. डी. वर्क्स, बिना पुलिया, बिना रपट के आपकी सड़क तो व्यर्थ हो गई। आपने उस गांव को तो जोड़ दिया लेकिन उस गांव में जब तक पुलिया और रपट नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं है।

तीसरा मेरा यह निवेदन है, सभापति महोदया, कि जो मौजूदा सड़कें हैं उनकी साइड की पटरियों की मरम्मत का बहुत पैसा आपके डिपार्टमेंट से उठता है। लेकिन हकीकत में अगर ग्रामीण क्षेत्र में, इंटीरियर में जाएं, आप स्वयं कभी पधारो–आप पधारते ही रहते हो, और उन सड़कों की हालत देख लें तो जो सड़क के साइड की पटरियां हैं वे कभी भी दुरूस्त होती नहीं और पॉट होल्स के नाम से और मरम्मत के नाम से लाखों रुपया आपके डिपार्टमेंट में उठता है। मैं बड़े खेद के साथ इस सदन में कहता हूं कि मरम्मत के नाम पर और साइड की पटरियां बनाने के नाम से आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी पोल है। राजस्थान सरकार और पब्लिक का जो गाढ़ी कमाई का पैसा है, उस पैसे के खर्चे का मरम्मत का जो हैड है उस हैड में बहुत सारा लीकेज है। किसी को पता ही नहीं चलता। मैं तो नया सदस्य हूं, मैंने विधान सभा में पूछा तब मुझे पता चला कि हमारे विधान सभा क्षेत्र मे मरम्मत के नाम पर कितना पैसा खर्च हो गया। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि उन सड़कों की अभी तक हकीकत में कोई मरम्मत नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदया, हमारे यहां अंग्रेजी बबूल बहुत होता है। आपके इलाके में भी होता है। वह बबूल इतना बढ़ गया है कि वह सड़क पर आ जाने से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं मोड पर आगे कुछ दिखता नहीं, झाड़ियां आ जाती हैं। क्यों नहीं

(श्री भीमराज भाटी)

महकमे की तरफ से अंग्रेजी बबूल को कटाने के लिए वहां के जो अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग हैं या जो गरीब मजदूर लोग हैं जिनको कोई रोजगार नहीं मिल सकता उनको अनुमति दे दें कि अपने आप मजदूरी करके उन झाड़ियों को काटकर ले जाएं। तो उस जंगल की सफाई भी हो जाएगी और अंग्रेजी बबूल काट देने से कोई नुकसान भी नहीं होगा। वह तो वैसे ही बढ़ता है, वैसे ही कटता है तो उनको क्यों नहीं खुली छूट दें ? आपके महकमे के लोग उनको जाकर तंग करते हैं, कोई लोग काट भी लेते हैं बाई द वे तो। वह काटेगा तो ईंधन के भी काम आएगा। यह एक काम आप कर सकते हैं।

दूसरा माननीय सभापति महोदया, स्टेट हाईवेज हैं स्टेट हाईवेज की ऐसी हालत है हमारे रोहिट से कुलथाणा जाने वाला हाईवे है उस हाईवे पर एक नया पैसा नहीं लगा। पिछले पांच साल में लम्बा-चौड़ा....

श्री सभापति : पाली बाइपास का धन्यवाद तो दे दो।

श्री भीमराज भाटी : मैं धन्यवाद देने की स्थिति आएगी तो दूंगा। एक बार नहीं बीस बार दूंगा और आभार प्रकट करूंगा। मुझे कोई अच्छा काम होता है तो उसको कहने में कोई तकलीफ नहीं होती है, कतई तकलीफ नहीं होती है। मैं धन्यवाद भी दूंगा लेकिन मेरी जो तकलीफ है वह तकलीफ तो पहले कहूं। पहले ही धन्यवाद दूंगा तो फिर मंत्री महोदय तकलीफ की बात तो सुनेंगे ही नहीं अभी तो पूरा प्रेम से सुन रहे हैं। पाली शहर से पी. डब्ल्यू. डी. की दो सड़कें जाती हैं सभापति महोदया, पाली से जोधपुर वाली सड़क और पाली से इधर सुमेरपुर से रूपावास कुलथाणा जाने वाली सड़क। शहर से जो स्टेट हाईवे जा रहा है उस स्टेट हाईवे की यह हालत है कि मंत्री महोदय ने सैंक्शन भी किया कुछ पैसा लेकिन वह सैंक्शन इतनी नामीनल सैंक्शन थी, इतना कम पैसा सैंक्शन किया गया कि उसमें जिस स्तर का सुधार होना चाहिए था उस स्तर का सुधार नहीं हुआ।

दूसरा माननीय सभापति महोदया, हमारी रूरल की जो सड़कें हैं जैतपुर से मांडावास–कुटाणे की सड़क, जैतपुर से मांडावास–चैंडा की सड़क है, जिप्सम की वहां बहुत खानें हैं, रोज वहां से सौ ट्रकें भरती हैं। उन सड़कों की हालत मेरे विधायक बनने के बाद ही नहीं, मेरे विधायक बनने के पूर्व में मंत्री महोदया जब थीं उनके कार्यकाल में भी उन सड़कों पर एक नया पैसा नहीं लगा। बहुत सारा रेवेन्यू वह देता है, छोटे-से गांव में जिप्सम की बहुत बड़ी खानें हैं। जैतपुर से मांडावास का टुकड़ा वह सब इस तरह है, उसकी वजह यह है माननीय मंत्री महोदय, कि आपके डिपार्टमेंट में ठेकेदारों को ठेके दिये जाते हैं। वे ठेकेदार कम रेट में टेंडर ले तो लेते हैं लेकिन जब उनको दिखता है कि इस पर्टीकुलर सड़क में तो नुकसान होने वाला है, तो वे उस टेंडर को छोड़ कर भाग जाते हैं। आपके महकमे की जो प्रक्रिया है उन ठेकेदारों को रेगुलराइज करने की, उस पर्टीकुलर वर्क को री-टेंडर करने की, वह

(श्री भीमराज भाटी)

प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आपका ठेकेदार कितना ही बदमाश हो, कितनी ही कम रेट में लेकर चला गया, भाग गया, महकमे के लोग उस ठेकेदार के बजाय दूसरे ठेकेदार से काम कराना चाहते हैं। इसलिए आपकी ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया और री-टेंडर करने की जो प्रक्रिया है उसको मेहरबानी करके थोड़ा छोटा करवाइए। उससे आपके कई काम बिलकुल ठीक-ठाक हो सकेंगे और आप समय पर कुछ काम कर पाएगे नहीं तो एक ठेकेदार कम रेट में काम लेकर चला गया, भाग गया।

दूसरा मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से, आप भले ही अपने दिल में खुश हो रहे होगे कि हमारी सड़कों की बहुत अच्छी क्वालिटी है लेकिन आपकी सड़कों की गुणवत्ता की हालत मैं बताऊ, पेवर की सड़क का 20–20, 30–30, 40–40 लाख रुपये का काम दो–दो, तीन–तीन दिन में पेवर के ठेकेदार अपनी मशीनों से कर जाते हैं। न तो उसकी थिकनैस पूरी होती है, न मैटीरियल का जो कम्पोजिशन है वह पूरा होता है। हमने देखा है हमारी नजरों से, शाम को हम यहां से जोधपुर गये और जोधपुर से वापस आये तब तक वह 3–4 किलोमीटर की सड़क बन गई। लाखों रुपये का उसका बिल उठ जाता है, न उसकी थिकनैस है न उस पर प्रोपर मैटीरियल डाला जाता है। इसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस 40 साल का मुकाबला कर रहे हैं, उस 40 साल के पीरियड में पी. डब्ल्यू. डी. की जो सड़कें बनी हैं उनकी आज की स्टेट्स देख लीजिए और आपके कार्यकाल में जो सड़कें बनी हैं उसको देख लीजिए। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि सत्ताधारी पार्टी के लोग इस तरह सड़कों पर डिलीवरी की बात करें, जैसा दूसरे माननीय सदस्य कह रहे थे। क्वालिटी कंट्रोल की जहां तक बात है, आप बहुत पैसा लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी का जब तक ध्यान नहीं करेंगे सुधार नहीं होगा। आप किसी इंडिपेन्डेन्ट एजेंसी से जांच करवा लीजिए पिछले 30–40 सालों में जो सड़कें बनीं उनकी और आपके 8–10 सालों के पीरियड में जो सड़कें बनी हैं उनकी और उसकी जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट सदन को बता दीजिए, उसको पब्लिक में जाहिर कर दीजिए, क्या हालत बनती है।

एक दूसरा निवेदन है। धार्मिक स्थानों की सड़को के लिए सड़क नीति में मैंने भी रिक्वेस्ट की थी। सड़क नीति में आपने धार्मिक स्थानों को जोड़ने की बात की। पाली जिले में एक तोरनिया मठ करके स्थान है, जहां पर कृष्ण भगवान ने तोरण टेका था। वह ऐतिहासिक तोरण आज भी पत्थर का तोरण है, वह भगवान महादेव के मंदिर में मौजूद है। हमने जब से विधान सभा में प्रवेश किया हम उस स्थान को जोड़ने के लिये आपसे निवेदन करते रहे, लेकिन वह अभी तक जुड़ा नहीं। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि धार्मिक स्थानों की जो बात है उसको तो कम से कम प्राथमिकता के तौर पर लें।

अब मैं आपको धन्यवाद देता हूं, अपार धन्यवाद देता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि बी. ओ. टी. के तहत हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी आपने सवा दस करोड़

(श्री भीमराज भाटी)

रुपये का एक काम किया है। एस. एन. अग्रवाल मेरे भी मित्र हैं जो टी. सी. आई. के चेयरमैन हैं मेरे भी पारिवारिक मित्र हैं जैसे आपके पारिवारिक मित्र हैं। मैं भी उनके साथ सी. आई. आई. में एग्जीक्यूटिव कमेटी में मैम्बर था। मैं उसके लिये आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और सदन में खुले आम, खुले दिल से करता हूं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक निवेदन और मैं माननीय मंत्रीजी से करता हूं कि अगर बी. ओ. टी. में हो तो बी. ओ टी. में करवा दीजिए। गड़बाड़ा में आपको ख्याल हो तो पिछले साल बाढ़ के समय उस पुलिया में बस में 19 जिन्दा आदमी मर गये थे। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी वहां पर हैलीकाप्टर लेकर पधारे। उन्होंने जहां एक्सीडेंट हुआ था उस स्पाट को स्वय ने देखा। एक तो उस पुलिया को रेज करने वाली बात है, नहीं तो इस साल फिर बरसात होने वाली है। पूरे 12 महीने हो गये, उसकी रिपेयर अभी तक चल रही है। जो टूटा था पिछले साल वह रिपेयर भी पूरी नहीं हुई, उसको रेज करने के लिये मैं आपसे निवेदन करता हूं। मैं बस खतम ही कर रहा हूं। एक बार पुन: मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए सिर्फ एक ही निवेदन करता हूं कि गड़वाड़ा की बांडी नदी की जो पुलिया है जिस पर इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया है, उस पुलिया को रेज चाहे बी. ओ. टी में, चाहे विभागीय स्तर से, जिस स्तर से भी हो उस स्तर से इसको करवाइए। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री भरत-सह जी।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या–21 पर मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप पिछले साढ़े चार साल से पी. डब्ल्यू. डी. के मिनिस्टर हैं और उसके पहले भी आपको गौरव प्राप्त है राजस्थान को पी. डब्ल्यू. डी. की दृष्टि से समझने का। खास तौर से जिस संभाग से आप आते हैं, मैं समझता हूं कि आपको पूरी जानकारी उस क्षेत्र की है।

मैं कुछ कार्य के लिये आपको बधाई दूंगा। एक तो आप उन इने-गिने मंत्रियों में से हैं जिनको हम हमारी समस्या लिख रहे हैं और आप उत्तर दे रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है कि हम आपके सामने जो समस्या रख रहे हैं उसका उत्तर हमें आप दे रहे हैं और कुछ हमारी समस्याओं को समझकर उनका समाधान भी किया है। मैं आपको बधाई देता हूं कि काली सिंध का पुल जिसकी मैं बहुत समय से मांग कर रहा था, जिसके लिए हमने आंदोलन किये, वह काली सिंध का पुल, जो हो सकता है कि राजस्थान का सबसे श्रेष्ठ पुल हो, चालू हो गया। जब भी है उस पर से निकलता हूं तब मैं अपनी ओर से और उन लाखों लोगों की ओर से जो उस पुल पर से निकलते हैं या जो बैठकर चले गये जिनका अता-पता नहीं लगा उस नदी को पार करने में, उनकी ओर से भी धन्यवाद देता हूं कि ऐसा पुल चालू हो गया। उन नदियों पर जहां पर आपने पिछले चार साल में हमारी मांग पर रपटे ऊंची की हैं, उनके लिये भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जयपुर से कोटा तक और कोटा से झालावाड़ तक जो नेशनल हाइवे-12 है उसके सुधार के लिये भी आपको

(श्री भरत सिंह)

धन्यवाद देता हूं। मगर उसके बाद, जिस संभाग से आप आते हैं उस संभाग की सड़कों की हालत, उस संभाग में सड़कों की संख्या राजस्थान के सभी संभागों की तुलना में मैं कहूंगा कि लगभग आधी है। आंकड़ों के आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। पिछले साढ़े चार साल में सौ से अधिक तारांकित–अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपके विभाग से इन्फोर्मेशन कलेक्ट की है। इसलिए जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह आपके विभाग से जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर आपसे निवेदन कर रहा हूं। कुछ सुझाव भी मेरे हैं। लेकिन मैं मेरी बात को जो चार कटौती प्रस्ताव मैंने दिये हैं वहीं तक सीमित रखूंगा। उन चार कटौती प्रस्तावों के अलावा भी आपको विचार करने का मौका मिला है, आपका विभाग जवाब भी देगा, लेकिन मैं इसी तक सीमित रखूंगा। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जब आप उत्तर दें, उचित समझें तो उसके ऊपर प्रकाश डालें।

अभी आपके विभाग ने 1997–98 की जो लेटेस्ट इन्फोर्मेशन दी है उसके अनुसार हिन्दुस्तान की सड़कों का जो घनत्व है सौ किलोमीटर के ऊपर, वह 66 9 है और आपके इतने प्रयास के बाद, इतना पैसा अधिक खर्च करने के बाद और सब कुछ करने के बाद भी राजस्थान का जो औसत है वह अभी 41.75 है। यह आपकी लेटेस्ट इन्फोर्मेशन आई है। हमारे जितने भी पड़ौसी राज्य हैं उनकी तुलना में हम पीछे हैं, जितने भी लगे हुए राज्य हैं उनसे पीछे हैं। तो इस बिन्दु पर और पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। जो राजस्थान का औसत है 41.75, झालावाड़ जिले का औसत इसका भी आधा है, शुद्ध आधा, जिस जिले का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। उस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, 10 प्रमुख नदियां हैं, 25 छोटी नदियां हैं और अनेक नाले हैं और उनके ऊपर कोटा संभाग की जो भौगोलिक हालत है उसके सन्दर्भ में चर्चा होती है। पूरे राजस्थान की सड़क नीति तो नहीं बनी, सड़कें नहीं बनीं मगर बुद्धि का उपयोग करके जहां आवश्यकता थी वहां पर गांव के लोगों को बैलगाड़ी का साधन निकालने के लिये 60–70–80 साल पहले नालों के ऊपर रपटें बनीं। मेरा पहला जो कटौती प्रस्ताव है वह यह है कि हाड़ौती के नदी-नालों पर जो सी. डी. वर्क्स हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। आपकी पूरी प्लानिंग है, आपने सड़क नीति बनाई, मैं इसके लिये बधाई देता हूं। आपने सड़क नीति यह सोच कर बनाई कि पोलेटिकल आधार पर हम सड़कों का निर्माण नहीं करके एक नीतिगत तरीके से इस राज्य का विकास करेंगे। आपकी जो सड़क नीति है उसका मुख्य आधार 1971, 1981 और 1991 की जनगणना में थाउजेंड की पापुलेशन का है कि हम इन गांवों को सड़क से जोड़ेंगे। आपने पंचायत मुख्यालयों को भी एक आधार बनाया। यही आपका आधार है। लेकिन जहां तक पुलियाओं का उल्लेख है, आपने यह भी आधार नहीं बनाया कि हम अमुक पंचवर्षीय योजना तक कम से कम एक जिले से दूसरे जिले तक जाने के रास्तों को तो पूरा कर दें। आपकी योजना में यह कहीं उल्लेख नहीं है कि झालावाड़ का आदमी बारां

(श्री भरत सिंह)

जिला जा सकेगा। उस स्टेट हाइवे के ऊपर अगर पुलिया आएगी तो वह नवीं पंचवर्षीय योजना में होगी या दसवीं में होगी। आप 2002 से 2007 तक राजस्थान के हर गांव को जोड़ने की बात करते हैं। सड़क नीति में आपने जो पहले उल्लेख किया है उसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि आपने बहुत कायदे की बात कही। आपने कहा कि सड़कें राष्ट्र के विकास की धमनियां हैं। इस एक लाइन में ही आपने सारी बात कह दी, विकास की धमनियां। सही है, सड़क विकास की धमनियां हैं लेकिन अगर दो सड़कों के बीच सेतु नहीं हो तो क्या विकास? आदमी को जरा-सा अंदेशा हो जाए कि उसकी धमनियों में कहीं रूकावट है तो वह सदन को छोड़कर भाग जाएगा और अपने आपरेशन के लिए डाक्टर से सम्पर्क करेगा कि मेरा इलाज करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। हमारा झालावाड़ जिला मर रहा है। सड़कों का घनत्व कम है और पुलियाओं का अभाव है। तो मैंने प्रथम बात कही है पुलियाओं को बनाने की आवश्यकता की। मेरे ख्याल से काफी विस्तार से मैंने इस बात पर प्रकाश डाला है। इस बिन्दु के ऊपर मेरे पास बहुत चीजें हैं कहने को, मगर मैं समझता हूं कि आप मेरी भावना को समझ रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

दूसरा बिन्दु है विभाग में भ्रष्टाचार की बात। माननीया सभापति महोदया, भ्रष्टाचार को मिटाने की कोई दवा नहीं है, भ्रष्टाचार को रोका भी नहीं जा सकता। मेरे एक भाई हिण्डौली के माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े देकर भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जो फुल कोआपरेशन की बात कर रहे थे मैं उसी की तारीफ कर रहा हूं क्योंकि हम आपका यहां हिसाब लेने नहीं आये हैं। भ्रष्टाचार मिटाना हम चाहते हैं, 20 करोड़ का पुल बनाया है उसमें एक करोड़ रुपये कोई खा गया है तो हम यह नहीं चाहते कि वह खा जाए मगर उसका हिसाब लेने भी नहीं आये हैं। पीड़ा तो तब होती है जब पैसा भी खर्च हो जाए और काम भी घटिया हो। अधिकांश काम इस प्रकार के होते हैं जिनमें काम घटिया होता है और उससे क्षेत्र के लोगों को तकलीफ होना स्वाभाविक है।

मैं अब उस जिले की बात करता हूं, उस जिले के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसके आप रहने वाले हैं, जिसका मैं रहने वाला हूं। मुझे अत्यन्त पीड़ा होती है कि जब वहां पर खेत को खेत की बाड़ ही खाने लग जाए, विभाग में ऐसे लोग बैठे हुए हों जो भ्रष्टाचार की चरमसीमा पर पहुंच कर उच्चाधिकारी का वहां पर रहना हराम कर दें। मैं अभी किसी काम से, रिबेट के ऊपर कुछ इन्फार्मेशन लेने के लिए आपके एडिशनल चीफ इंजिनियर के कार्यालय में गया। वह बब्बर शेर का पिंजरा है, जू में जिस प्रकार बब्बर शेर घुसे हुए हैं उस प्रकार एडिशनल चीफ अपने कमरे में लोहे की सांखियां लगाकर अपने आपकी सुरक्षा कर रहे हैं वह आपका एडिशनल चीफ डरा हुआ है जिस प्रकार शेर से आदमी की सुरक्षा की जाती है, दो संतरी उनके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। उनके बीच में मैं गया तो संतरी ने मुझे रोका कि आप कहां जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि

(श्री भरत सिंह)

कोई ठेकेदार आ गया जो फिर इसके जाकर टेलीफोन तोड़ेगा। इस माहौल में काम करें, जे. ईएन. को चुना हुआ जनप्रतिनिधि सांगोद में ठोके, यह क्यों हो रहा है ? यह इसलिए हो रहा है कि आप और हमारे नजदीक के लोग, राजनीति करने वाले लोग ठेकेदारी में चले गये हैं। राजनीति नहीं चली तो टेबल ठोककर दादागिरी के बलबूते पर सड़कों का काम लेते हैं। कोई अधिकारी हिम्मत करके काम करने की कोशिश करे उसको.... धन्यवाद।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : नहीं, आप बात पूरी कर लें, शार्ट में कर लें।

श्री भरत सिंह : नहीं मैं नहीं बोलता हूं। आपकी घंटी से....

श्री सभापति नहीं, आपको बुलवा रही हूं शार्ट में करें। बहुत लोग बोलने वाले हैं इसलिए शार्ट कर दें आप इसको।

श्री भरत सिंह : पूरा कंसनट्रेशन बिगड़ जाता है।

श्री सभापति : शार्ट में पूरी करें।

श्री भरत सिंह : मंत्रीजी खुद ही बोल देंगे, इनके हित की बात बता रहा हूं।

श्री सभापति : बोल लेंगे, उनका जवाब आएगा तब बोल लेंगे।

श्री भरत सिंह : माननीय मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं और बिन्दुओं के ऊपर अब नहीं बोलूंगा, इसी एक बात को खत्म करूंगा।

अभी आपके यहां कोटा के हास्पिटल काम्प्लेक्स का काम चल रहा है, 6 करोड़ का कार्य है। उस 6 करोड़ के कार्य का इंस्पेक्शन करने के लिए आपके एडिशनल चीफ इंजीनियर, सिटी डिवीजन के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एक्स. ईएन. वहां जाते हैं। जे. ईएन. को इन्फार्मेशन है कि ये लोग आ रहे हैं। जे. ईएन., आपका एडिशनल चीफ इंजीनियर, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आप सबको मालूम है, कम्प्लेंट आपके पास आयी है। एक हफ्ते तक दफ्तर में हड़ताल रही है, पूरे डिवीजन में हड़ताल रही है। वे जे. ईएन. से वहां काम का निरीक्षण करने के लिए जब ड्राइंग्स मांगते हैं तो जे. ईएन. की यह हिम्मत कि एडिशनल चीफ और स्टाफ को बोले, गाली-गलौच करे उनसे। बोले कि आप होते कौन हो। ड्राइंग्स तो दी ही नहीं और तीन साल तक उस काम के ऊपर बैठा हुआ है। किसी का संरक्षण तो है उसको।

माननीय मंत्री महोदय, कैथून के अन्दर बस स्टैण्ड पर जो यात्री विश्राम गृह है जिसमें 10 लाख रुपया सांसद कोष से दिया हुआ है, भवन बना नहीं, ध्वस्त हो गया। इसलिए ध्वस्त हो गया कि वहां पर वह ए. ईएन. है जो कोटा के अन्दर जब आप लोग जाते हैं तो आपके स्वागत में आपके नजदीक दिखते हैं। उससे आपके ऊपर अंगुली उठती है, हमें पीड़ा होती है। आप काम करना चाहते हैं आपके ऊपर सीधे अंगुली उठती है। उसका जवाब भी आप देंगे लेकिन वह जवाब बातों से नहीं होगा,

(श्री भरत सिंह)

वह एक्शन से होगा। आप सस्पैण्ड करिये। मैं एक मिसाल और दूंगा। एडिशनल चीफ इंजीनियर के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, वैसे ही एडिशनल चीफ इंजीनियर को एक वहां के नेता ने धमकी दी कि उसके भाई के ठेके को कैसे नोटिस दिया। पिड़ावा का ही कांट्रेक्ट था काम का, काम समय पर चालू नहीं किया गया, उन्होंने उसको नोटिस दिया। नोटिस दिया तो क्यों दिया ? उसको सतर्क किया कि आप आफिस में जाना, मैं आपको देख दूंगा। उसको अधिकारियों ने सतर्क किया कि इस प्रकार की धमकी है, आप आफिस नहीं जाएं। उन्होंने उन लोगों की बात मान ली, वे नहीं गये। वहां नेतागण जाते हैं, आफिस में तोड़फोड़ करते हैं। उसके बाद क्योंकि उसका काम कैंसिल किया गया था, बैंक को झालावाड़ के एक्स. ईएन. लिखते हैं कि इसकी डिपोजिट जो आपके पास जमा है सवा लाख रुपये, वह आप हमको दे दीजिये, हम उसको जब्त करेंगे। बैंक इत्तला करता है, सिंडीकेट बैंक, कोटा का उत्तर है कि जो कागजात आपको दिये गये हैं ये सब फर्जी हैं। इस प्रकार के कितने फर्जीवाड़े हैं ? आप इनको चैक तो कराइये। आप कौन-सा पैसा रोकेंगे ? दादागिरी अलग, एफ. आई. आर. दर्ज हुई है। गृह मंत्री यहां बिराजमान हैं, आप इनसे बोलिये कि उस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करें। इस प्रकार की व्यवस्था को आप रोकेंगे तो सुधार होगा। मुझे बहुत कहना है। माननीया सभापति महोदया, जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जयन्तिलाल कोली।

श्री भरत सिंह : अच्छी बात है, आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर) : सभापति महोदया, आज मांग संख्या 21 सड़क एवं पुल पर चर्चा हो रही है, मैं भी अपने आपको इसमें शरीक करते हुए सरकार को और माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरह से राजस्थान में और सिरोही जिले में आपने सड़कों और पुलों का कार्य करवाया है उसके लिए सिरोही जिले की जनता की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हाइवे पर करोती का 3 करोड़ रुपये का पुल बनवाकर आवागमन के लिए सुविधाजनक कार्य किया, इसी तरह करेली का पुल बनाकर जनता के हित में कार्य किया उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 8 ऐसे गांव जो एस. टी., एस. सी के हैं, उनको आपने सड़क व डामरीकरण से जोड़ा, आवारा-माटासन, रामपुरा-थरडाक, बाड़ का धानेरा जिनको आपने डामरीकरण से जोड़कर वहां की जनता को राहत दिलायी उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके साथ में मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई पंचायत मुख्यालय भी आपने सड़क से जोड़े हैं उनके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री जयन्तिलाल कोली)

लेकिन साथ ही, कुछ कार्य जो स्वीकृत हैं लेकिन अपूर्ण हैं, जो चालू वर्ष में पूर्ण नहीं हो पाये हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा कराने के लिए निवेदन करुंगा। रेवदर से जसवंतपुरा सड़क जिससे जालौर जिले से हम जुड़ते हैं, वहां पर छोटे-छोटे तीन रपट पुल आते हैं। आपने स्वीकृति तो दे दी लेकिन कार्य अभी तक चालू नहीं किया गया है। करीब दो महीने पहले आर. बी. सी. सी. ने वहां पर किसी को टेण्डर भी कर दिया था और सामान भी वहां पहुंचा दिया था लेकिन वे सामग्री वापस ले गये। कृपया बतावें कि किस कारणवश वहां कार्य चालू नहीं किया गया है? दूसरा, दो पंचायत मुख्यालय सीतापुरा और रायपुर, दोनों सड़कें स्वीकृत हैं लेकिन कार्य अभी बंद पड़ा है। माननीय सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस कार्य को भी जल्दी से जल्दी चालू करवाकर पूर्ण करवाने का कष्ट करें। इसी तरह हमारे सिरोही जिले में भारी घाटा है, वहां से आवागमन के लिए निकलते हैं तो हाई-वे नम्बर 14 पर आये दिन चौबीसों घण्टे कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है, रास्ता जाम हो जाता है। वहां आने-जाने के लिए दूसरी सुविधा नहीं है, कोई दूसरी जगह से रास्ता नहीं है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस रास्ते को किसी बाइपास से जोड़ दिया जाए तो वहां की जनता को राहत मिलेगी। इसी तरह हमारा पर्यटन स्थल माउण्ट आबू एक तरफ से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से कोई 9 किलोमीटर की सड़क बनी हुई है लेकिन उसके आगे का कुछ टुकड़ा बाकी है। अगर मंत्री महोदय दूसरी तरफ से भी इसको जुड़ाने का कष्ट करें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। इसी तरह हमारे यहां पर दो कार्य हैं, एक तो दांतराई से धाण तक पंचायत मुख्यालय का जो स्वीकृत है लेकिन उसका भी कार्य बाकी है।

एक मेरा निवेदन है कि हमारे पामेरा गांव में गांव तो एक तरफ आया है और दूसरी तरफ में पूरे काश्तकार, जिनके कुएं दूसरी तरफ आए हुए हैं। वहां पर रपट बन रही थी। रपट के ऊपर पानी की वजह से बरसात में उनका आवागमन रुक जाता था। गांव से परिवार कुओं पर जाते थे, सभापति महोदय तो शाम को घर नहीं आ सकते थे। तीन साल पहले वहां पर एक रपट पुलिया स्वीकृत हुई थी। वह तीन वर्ष में अभी तक पूर्ण नहीं हुई और दो बार बह गयी। किन कारणों से वह बही है? सम्बन्धित ठेकेदार या सम्बन्धि अधिकारी से जांच करवा कर यह कार्य पूर्ण कराने का कष्ट करेंगे? मंत्री महोदय से मेरा एक और निवेदन है कि मेरे पंचायत मुख्यालय 3 या 4 हैं–रहुआ, रायपुर, पादर और हालेवाड़ा, आप इनको जल्दी से जल्दी जुड़वाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल जी मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदया, मांग संख्या 21 जिस पर आज माननीय मंत्रीजी ने मांग रखी है, है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि मंत्रीजी इस विभाग को मार्च, 90 से अब तक सम्भाले हुए हैं। इस विभाग में जितनी कमियां-खामियां आपके समय में आयी हैं

(श्री परसादीलाल मीणा)

उतनी पहले कभी नहीं आयीं, माननीय मंत्री महोदय। सी. ए. जी. रिपोर्ट जो अभी मिली है हमको, उसके अनुसार अजमेर रोड पर कोई ठेका था रोड का, ए कान्ट्रेक्टर और बी कान्ट्रेक्टर। ए कान्ट्रेक्टर का 41 प्रतिशत एबव था, बी काण्ट्रैक्टर का 42 प्रतिशत था। ए काण्ट्रैक्टर ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया तो आपको बी कान्ट्रैक्टर को आर्डर देना चाहिए था। उसको आर्डर नहीं देकर समयावधि होने के बाद भी आपके अधिकारियों ने उस टेण्डर को कैंसिल करके उसका री-टेण्डर उसी समय किया जबकि उसकी अगस्त तक मियाद थी। उसको 72 प्रतिशत एबव पर उसी ठेकेदार को दिया गया। हमें जो रिपोर्ट मिली है उसके 148 पेज पर यह टिप्पणी की गई है। माननीय मंत्री महोदय, यह तो सी. ए. जी. की रिपोर्ट के कारण मामला हमारे सामने आया है। मान लो, अगर इसी तरह आपका विभाग चला होगा मार्च, 90 से अब तक तो इस प्रदेश को करोड़ों रुपये का + + + ठेकेदारों ने और अधिकारियों ने मिलकर इस विभाग को लगाया होगा जिसकी क्षतिपूर्ति कभी भी नहीं हो सकेगी। आप अपने अधिकारियों से पूछिये कि उसी कान्ट्रैक्टर को दो महीने बाद 72 प्रतिशत एबव पर कैसे ठेका दे दिया ? यह सी. ए. जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में सड़कों की जो हालत है, आपकी भावना ठीक थी, आपने सदन में एक बयान दिया था कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सड़कों की प्रोपर रिपेयर, प्रोपर टाइम पर बारिश के बाद होनी चाहिए। मुझे कहते हुए दुःख है कि दूसरी बारिश आ गयी, आज तक सड़कों की रिपेयरिंग नहीं हुई है। ठेकेदारों ने जो रिपेयरिंग की है, बिना डामर के, कच्ची मिट्टी डाल कर रिपेयरिंग की है। अभी गर्मियों के टाइम में डामर का एक भी पैंच मेरे इलाके में रिपेयर नहीं किया। मैं तो धौलपुर भी गया था वहां भी कहीं भी रिपेयरिंग का काम आपके अधिकारियों ने हाथ में नहीं लिया है। सारे ठेकेदार और इंजीनियर मिलकर लूट-खसोट कर रहे हैं।

दूसरी बात, इस विभाग में यह पहले प्रवृत्ति नहीं थी। कांग्रेस का राज भी रहा है 40 साल तक, लेकिन कांग्रेस के मंत्री भी इतने लम्बे टाइम तक इस विभाग में नहीं रहे। आप जितने लम्बे टाइम इसमें रहे हैं। आपको अहम् हो गया, बहुत बड़े मंत्री हैं। आपको जानकारी नहीं कि नीचे के लेबल पर आपके कार्यकर्ता ठेकेदार बनकर किस तरह की लूट-खसोट कर रहे हैं। पुल बनाने के नाम पर ठेकेदार अधिकारियों से मिल कर जो लूट-खसोट कर रहे हैं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। आप बताइये, कोई 35 प्रतिशत बिलों में काम कर सकते हैं ? 35 प्रतिशत बिलों में भी आपके यहां काम कर रहे हैं। काम के नाम पर वहां मिट्टी भी नहीं डालते। ट्रैक्टर लिया, मिट्टी डाली, एम बी. भरवाई और काम कम्पलीट। हमारे सांसद महोदय ने हमको 35 लाख रुपये सड़कों के लिए दिये थे, साढ़े सात-सात लाख की तीन सड़कें उन्होंने बड़ी दीं। पर, मंत्री महोदय, एक साल हो गया आपके अधिकारी और ठेकेदार मिल गये। ठेकेदार आपकी पार्टी का कोई जिला परिषद का मैम्बर, कोई पंचायत समिति का मैम्बर,

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसादीलाल मीणा)

कोई आपके जिले का अध्यक्ष-तीनों सड़कों में वहां पर 35 प्रतिशत बिलों में लिया है लेकिन काम एक पैसे का नहीं किया और बिल बनवा लिया। मैंने सवाल पूछा था उसमें आपने कह दिया कि इतना-इतना पेमेंट कर दिया। मैं आपको चुनौती देता हूं। रामपुरा पचवारा से नापा का बास सौ रुपये का काम नहीं हुआ, 42 हजार रुपये उठा लिये गये। डिगो से ब्याही माता, वहां पर एक लाख 42 हजार रुपये उठा लिये गये। इसी तरह की व्यवस्थाएं यदि होंगी तो हो चुका काम। हम भी अनुनय-विनम्र करके हमारे एम. पी. महोदय से आपके विभाग को लाकर पैसा देते हैं।

आपकी जो ग्रेवल सड़कें बनी हैं, आप एक दिन का टाइम हमको दें, आपको सही विभाग की जानकारी देंगे। डी. आर. डी.ए. की सड़कें, पहले भी सवाल आया था, मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम एडिशनल चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी से जांच करवाएंगे। दौसा डी. आर. डी. ए. की सड़कों में घपला हुआ है, परन्तु मुझे दुःख है कि मुख्य मंत्रीजी की बात की पालना भी आज तक नहीं हुई है। पता नहीं क्यों नहीं हुई, आपके प्रभाव से नहीं हुई। वे ठेकेदार ताकतवर हैं, वे आपके नाम का भरपूर उपयोग करते हैं। अधिकारी उनसे डरते हैं। अधिकारी उनकी एम. बी. जैसे कहते हैं वे भरते हैं। अगर नहीं करें, तो अभी तो आपकी मेहरबानी है कि एक साल से एक्स. ईएन. बैठा है वह हमने पहले सवाल उठाया उसके बाद एक साल से वह बैठा है, पर दूसरे अधिकारी ठेकेदारों की मर्जी पर दौसा जिले में लग रहे हैं। आप मेरा कांस्टिट्युएंसी में कहीं भी देख लीजिए, चाहे हरिसिंहजी की में देख लीजिए। अगर आप डी. आर. डी. ए. की सड़कों की हालत देख लें, आप स्वयं कहेंगे कि सरकारी खजाने की लूट हुई है। ठेकेदारों ने मनमर्जी से लूट की है और आपकी पार्टी के नाम पर लूट की है, पार्टी के बिल्ले लगाकर लूट की है। मंत्री महोदय, आपने गांवों को जोड़ा। आज डामर से हमारे सिर्फ 15 हजार गांव जुड़े हैं उसमें भी मेरी कांस्टिट्युएंसी में मार्च, 90 से अब तक एक किलोमीटर सड़क नहीं दी। या बनी हैं मण्डी समिति से या वर्ल्ड बैंक से बनी हैं। आपके विभाग का क्या योगदान है? मेहरबानी करके आप तो जो आपकी सड़कें बनीं हैं-लालसोट, गंगापुर, सवाईमाधोपुर है चाहे दौसा है, चाहे कोथून है, उनकी रिपेयरिंग टाइम पर करा दें। आज एक-एक फीट गहरे सड़कों पर खड्डे हैं।

(18.00)

इसलिए हालत बद से बदतर होती जा रही है। कई बार हम आपके अधिकारियों से मिले लेकिन एक साल में एक भी डामर का पैच इन्होंने रिपेयर आज तक अगर कराया हो तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। इस तरह के जो हालात प्रदेश में बने हैं, सरकारी पार्टी के नाम पर जो लूट हुई है आप उस लूट को रोकें। जिस तरह के आज पुल बनाने के नाम पर ठेकेदार आपके हैं, जो आपकी टेण्डर कापी है उन्हीं ठेकेदार लोगों को देते हैं, जिनका उनसे तालमेल हो जाता है, आम ठेकेदार को टेण्डर कापी नहीं देते हैं। यह नहीं देने के कारण ही लूट हो रही है। अगर वह फर्जी चाहे तो 35

(श्री परसादीलाल मीणा)

परसेंट बिलो कर ली, 50 परसेंट बिलो कर ली, काम के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जैसी हालत आपकी सड़कों की आज है वैसी हालत हमने कभी नहीं देखी। मैं आपको तीन-चार बार निवेदन कर चुका, मंत्री महोदय, हमारे एम. पी. साहब ने सवाईमाधोपुर–लालसोट रोड पर मोरेल नदी पर पुलिया बना दी। रामगढ़-पचवारा पुलिया पर आप और हमारे एम. पी. साहब साथ गये थे, एम. पी. साहब और आपकी दो-तीन बार बात भी हो गई लेकिन कोथून पर जो मोरेल है उसका पुल आपके कारण नहीं बना। व्यक्तिगत रूप से आप उसमें रुकावट बने हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपसे हमारे एम. पी. साहब ने बात की और तीन-चार बार आपकी पी. डब्ल्यू. सैक्रेटरी से, आपके चीफ सैक्रेटरी से मैंने बात की। आप सिर्फ मेहरबानी करके सैन्ट्रल गवर्नमेंट को एस. एण्ड आई. में इसका प्रपोजल भेज दें, वहां पर चार करोड़, तीन करोड़ जितना भी आपका एस्टीमेट है, वह मंजूर हो जायेगा। लालसोट का आदमी अगर चाकसू जायेगा तो, मंत्री महोदय, वह दौसा और जयपुर फिरता हुआ वहां चाकसू जायेगा, कोथून जायेगा। अगर टोंक जाना होगा तो दौसा और जयपुर होकर टोंक जाना पड़ेगा। आप इन परिस्थितियों को देखें, इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखें। महावीरजी बैठे हुए हैं, हमारे आरोली से आएंगे, या आपके बूंदी–कोटा से ट्रक आएंगे, उन्हें गंगापुर जाना होगा या आगरा जाना होगा तो कोथून का पुल नहीं होगा तो, मंत्री महोदय, वे किधर से जाएंगे? आप इस पुल को व्यक्तिगत रूप से रोककर बैठे हैं। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है, आप इस पुल की आज घोषणा करें एस. एण्ड आई. जो सेंटर की स्कीम है, आप उसमें इस पुलिया का प्रस्ताव भेजेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दूसरा, जितने भी इलाके की सड़कें हैं, आपने कभी मेरे को एक किलोमीटर सड़क नहीं दी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आधा पुल तो बन गया।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, कोथून वाला कहां पर बना है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोथून से जो लालसोट जाता है।

श्री परसादीलाल मीणा : कोथून वाला पुल आज तक नहीं बना है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह कारण बताऊंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्रीजी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मंत्रीजी का लालसोट से, विशेषकर दौसा जिले से व्यक्तिगत रूप से बहुत लगाव है। हम उनके आभारी हैं। उनके कहे अनुसार हम नहीं चले। इन्होंने कहा था कि भाई, हमारा एम. पी. जीताओ तो हम पुल बनाएं, नहीं तो नहीं बनाएं। यह तो जनता के हाथ की बात है, न मेरे हाथ में और न आपके हाथ में है। आपका कैंडिडेट दोनों बार हारता है। इतने बड़े राष्ट्रीय नेता के आगे आपके

(श्री परसादीलाल मीणा)

+ + +कैंडिडेट कभी भी जीतने वाले नहीं हैं। आप मेहरबानी करके....(व्यवधान) मेरी आपसे और कोई मांग नहीं है। सड़कें हमारी मण्डी की, दो करोड़ की मण्डी है, मैं आपसे एक किलोमीटर सड़क मांगने नहीं आऊंगा कभी। पांच साल हो गये, मंत्री महोदय, मैंने न कभी आपका आफिस देखा है, न कभी घर देखा है। मैंने जब भी डिमाण्ड हुई है, इस पुलिया की बात आपसे सिर्फ यहीं की है, क्योंकि मैं जानता हूं कि

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

लालसोट के लोगों के लिए आपके दिल में जगह नहीं है। इसलिए मैं कभी एक बार भी आपके पास आया होऊं या मैंने आपको पत्र लिखा हो, आपसे कोई मांग की हो। सिर्फ हमारी पुलिया की बात है जिससे दौसा और टोंक जिले को कोटा और बूंदी से हम जोड़ सकें। अगर आपने इस पुल की स्वीकृति के लिए कार्यवाही नहीं की तो आप दौसा के ही विरोधी नहीं, आप टोंक के भी, बूंदी के भी, कोटा के भी, भीलवाड़ा के भी और अजमेर के भी विकास में अवरोधक बनेंगे। मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इस पुलिया के सिर्फ प्रस्ताव भिजवा दें। मंजूर कराना हमारे हाथ में है, प्रस्ताव भिजवाना आपका। आपने जान-बूझकर अधिकारियों को डरा रखा है कि इसको मंजूर नहीं करें। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि आप इस पुलिया का प्रस्ताव भिजवाएं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय सभापति महोदया, आज मांग संख्या 21 को पारित करने पर जो चर्चा हो रही है उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान में सड़कों के लिए चहुंमुखी विकास किया है और राजस्थान में जिस तरह मकड़ी का जाल फैला हुआ है, उसी तरह सड़कों का जाल फैला दिया। (व्यवधान) खूब बोलो। यह सड़क नीति का फायदा है कि आप आज बोल रहे हैं। अगर सड़क नीति माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री नहीं बनाते तो आपके एक सड़क नहीं बनती और आप बोलने लायक नहीं रहते।

श्री राजेन्द्र पारीक : वह अपराधी नहीं भागता।

श्री राकेश मेघवाल : लेकिन हमने, पूरे भाजपा के विधायकों ने सर्वसम्मति से माननीय ललितकिशोरजी चतुर्वेदी से यह निवेदन किया कि राजनीति से ऊपर उठकर आप सड़क नीति बनाइये।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह सड़क बनी तभी अपराधी भाग गया, गृह मंत्रीजी के हाथ में नहीं आया।

श्री राकेश मेघवाल : उद्योग नीति बनाइये, खनिज नीति बनाइये। यह नीतियों के चक्कर में ही आपको बातें आ रही हैं। आज आप इस सदन में हमारे विपक्ष में बैठकर यह कहते हैं कि एक भी पंचायत मुख्यालय नहीं जुड़ा। दावे के साथ कह सकता है कोई भी माननीय सदस्य, लेकिन...

+ + +शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री किशन मोटवानी : आपके सदस्य ही कह रहे हैं।

श्री राकेश मेघवाल : +++ बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्रीजी ने जो सड़कें बनायीं उनकी वजह से आपके पिताजी का हत्यारा भाग गया। यह मेघवालजी के हाथ नहीं आया, उसी सड़क से भाग गया। सड़क नहीं रहती तो वह नहीं भाग पाता। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : ऐसा है, आप.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सड़क की सुविधा देना ही अपराध हो गया भाई।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें। व्यक्तिगत चोट नहीं पहुंचाएं। विराजिये। उनके पिताजी हैं, मजाक नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल : ये उनके संस्कार बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। इनके संस्कार बोल रहे हैं राजनीति में मुझे दबाने के लिये। आज तक, साढ़े चार साल में इन किसी कांग्रेस वालों से दबा नहीं और उस जिले में से चुनकर आया हूं जिस जिले में इनका दबदबा रहा है। मुझे चारों तरफ से दबाने की कोशिश की लेकिन मैं इनके नीचे, इनके तले दबा नहीं। मैंने भी जिस तरह माननीय गृह मंत्रीजी शिड्यूल्ड कास्ट और मेघवाल समाज के गृह मंत्री हैं मैं उनका चेला हूं दबने वाला नहीं हूं। माननीय सभापति महोदया, इन्होंने मेरे को व्यक्तिगत चोट पहुंचायी है, यह कल इनके पिता के साथ में भी हो सकता है। पिता सबका सम्माननीय होता है। इनके पिता के साथ में भी हो सकता है और वह तो राजस्थान सरकार ने....

श्री राजेन्द्र पारीक : पिताजी का.... (व्यवधान) प्रचार मत करिये।

श्री राकेश मेघवाल : अगर यह मामला न्यायालय में नहीं उठाते तो आपको यह बात करने का मौका ही नहीं मिलता।

श्री राजेन्द्र पारीक : गृह मंत्रीजी, बोलो।

श्री राकेश मेघवाल : आपने तो सारी उम्र यही किया है। (व्यवधान) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दबाने के लिये चालीस साल से यही किया है कि या तो इनके भाइयों को मरवा दो या इनके पिता को मरवा दो। किसी तरह से यह भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अनुसूचित जाति और.....

श्री राजेन्द्र पारीक : इस षड्यंत्र में गृह मंत्रीजी भी लिप्त हैं। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : और मेघवाल जाति हमारे नीचे आ जाए लेकिन राजस्थान की अनुसूचित जाति और जनजाति तुम्हारे कब्जे में अब नहीं रहेगी। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, ये अभी बात कर रहे थे कि हमारे एक भी पंचायत मुख्यालय नहीं जुड़ा, लेकिन राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने आंकड़े दिये हैं । एक कहावत है कि "सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से ।" माननीय सभापति महोदया, अगर पूरे राजस्थान का ब्यौरा दूंगा तो मुझे समय देना पड़ेगा लेकिन आप मुझे समय नहीं दे पाएंगे ।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्रीजी तो दे नहीं पाएंगे, पूरे राजस्थान का ब्यौरा आपको ही देना पड़ेगा ।

श्री राकेश मेघवाल : आप बैठ जाइये । आपकी आदत + + + ।

इसलिए मैं मात्र नागौर जिले का आंकड़ा दे रहा हूं, उससे आपको पूरे प्रदेश के जिलों का विस्तार से पता लग जाएगा । नागौर में कुल 461 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें डामर की सड़कें बनीं 315 पर, मैटल की बनीं 107 और ग्रेवल बनीं 37, कुल टोटल ग्राम पंचायतें 459 । बचीं कितनी ? मात्र दो । नागौर जिले में जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, मात्र दो ग्राम पंचायतें बिना सड़क के रही हैं । आप देखिए ये आंकड़े । इसलिए जो बात सदन में कही विपक्ष के माननीय सदस्यों ने, वह निराधार है, एकदम असत्य है । माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि नागौर जिले में सबसे ज्यादा सड़कें बनायीं और खासकर परबतसर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ दिया । सभापति महोदय, आजादी की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में परबतसर उप खण्ड मुख्यालय पर पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी के आशीर्वाद और राजस्थान सरकार के सहयोग से ए. डी. जे. कोर्ट खुला है । इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से मांग करूंगा कि ए. डी. जे. कोर्ट की बिल्डिंग दानदाताओं द्वारा बनकर तैयार है, आज काम चालू है उसमें लेकिन ए. डी. जे. महोदय के लिए आवास गृह नया बनवाया जाए ।

माननीय सभापति महोदया, परबतसर डाक बंगला उप खण्ड मुख्यालय है और नेशनल हाई-वे पर है, कई बार सरकार के माननीय मंत्री इस रोड से गुजरते हैं । मकराना जब-जब भी प्रवास करते हैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी और अन्य मंत्री उस डाक बंगले में ही रूकते हैं । लेकिन उसकी बिल्डिंग बहुत पुराने समय की बनी हुई है, उसकी स्थिति आज अगर देखें तो जर्जर अवस्था में है । एक तो उसकी मरम्मत करवायी जाए और अलग से एक नया हाल बनवाया जाए । कई बार बड़े-बड़े माननीय मंत्री महोदय और आजकल बी. जे. पी. की सरकार है केन्द्र में भी तो वहां से भी माननीय मंत्री पधारते हैं तो वहां डाक बंगले

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री राकेश मेघवाल)

में रूकते हैं, उनके लिए पूरी सुविधा की जाए और बड़ा हाल बनाया जाए। (व्यवधान) इटली से आएगा, इटली मैं भी जाकर आया आया हूं। आपकी जो सोनिया जी हैं, उस इटली में मैं भी माननीय गृह मंत्रीजी के साथ जाकर देखकर आया हूं। इसलिए मुझ से यह मत छिपाओ कि वहां है। मैं पूरे देश में घूमा हूं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदया, इनको एक बार यह कह दें कि कम से कम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन लें।

श्री सभापति : ध्यानपूर्वक सुनो।

श्री राकेश मेघवाल : इससे ज्ञानवर्द्धन होगा। जब इटली की बात करूंगा तो फिर आप उफनने लग जाएंगे। इसलिए मैं इटली की बात नहीं करके राजस्थान में सिर्फ नागौर जिले के इर्द-गिर्द ही बात करूंगा। (व्यवधान) +++ तो पहली बार चुनाव में जीतकर आया हूं। पहली बार राजनीति में आया हूं और चालीस साल में पहली बार ही कांग्रेस को +++ कर आया हूं। नागौर जिला है उसका नाम, जिसके नाम पर आज तक किसी ने गौर नहीं किया। राजस्थान में नागौर जिले पर कोई गौर करने वाला नहीं है। पहली बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की दस में से दो सीटें जीतकर आने वाले माननीय गृह राज्य मंत्रीजी भंवरसिंह जी डांगावास और मैं। जहां एकछत्र राज रहा है नाथूराम जी मिर्धा का। वहां अगर आपमें से कोई भी खड़ा हो जाए तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा, आप सब हारकर आओगे। भले ही बड़े-बड़े लीडरों को भेज देना नागौर जिले में...... (व्यवधान) कैलाश मेघवाल जीत सकते हैं। (व्यवधान) आप आ जाओ भले ही, नागौर जिले में कहीं भी आप आ जाओ, आपका भी स्वागत है। यह जिले का नाम इसलिए ही रखा है नागौर।

श्री परसादीलाल मीणा : आप तो अपनी बात कहो, इतना अहम् मत करो। 42 वोटों से जीतकर आ गए, इतना ढोल मत बजाओ।

श्री राकेश मेघवाल : 42 वोट से जीतकर आकर भी इस सदन में बैठा हूं और एक बात और बताऊं, आपका सदस्य जिसने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, उसने हाई कोर्ट में रिट की थी, वहां से भी जीतकर आया हूं। अब उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है वहां से भी जीतकर आऊंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : अभी लोक सभा में कितने वोटों से हारे ?

श्री सभापति : विराज जाओ। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : लोक सभा चुनाव में आपके सदस्य कितने वोट से हारे, याद है ?

श्री राकेश मेघवाल : कौन ?

श्री सभापति : विराजिए।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री परसादीलाल मीणा : लोक सभा चुनाव में कितने वोटों से आपके विधान सभा क्षेत्र में हारे हैं, याद है आपको ? बी.जे पी. हारी है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करें । आपस में बातचीत नहीं ।

श्री परसादीलाल मीणा : आप अपनी बात मत कहो, फालतू बात क्यों करते हो ?

श्री राकेश मेघवाल : ऐसा है, मेरी बात सुनो । यह तो आप ही की हार है..... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करें ।

श्री परसादीलाल मीणा : 42 वोटों से जीतकर आए हैं, ढोल मत बजाओ । 42 से जीते हैं.... (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, जरा इनसे कह दीजिए, ध्यान-पूर्वक सुनें ।

श्री सभापति : ध्यान मत चूको ।

श्री राकेश मेघवाल : सड़क नीति में संशोधन करना चाहिए । सड़क नीति में पंचायत मुख्यालय जोड़ने की बात है, वह बिलकुल ठीक है और 1971–81 और 91 की एक हजार की आबादी से जोड़ने वाले गांवों की भी बात सही है लेकिन एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने वाली जो बात है,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह सड़क नीति में नहीं है, इसका पुनर्विचार करना चाहिए । जैसे नागौर जिले से अजमेर जिले को जोड़ती है मांकड़ा वाली सड़क, नागौर जिले को अजमेर जिले से जोड़ती है कालेटड़ा मंडोवरी सड़क । आगे बबाचा तक बनी हुई है । मेरे परबतसर विधान सभा क्षेत्र बस्सी के बाद में ही 20 किलोमीटर पर पुष्कर राज है, वहां पर गुलाब के फूल और पौधे लेकर आते हैं । यह मांकड़ावाली सड़क बन जाए तो बहुत ही नजदीक रहेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, मेरा समय तो इन्होंने यूं ही ले लिया ।

श्री सभापति : पूरा करिए आप । पूरा करिए ।

श्री राकेश मेघवाल : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि परबतसर से किशनगढ़–अजमेर और कुचामन हाइवे रोड है, जहां से हरियाणा, पंजाब, बोम्बे, दिल्ली का बहुत ट्रैफिक गुजरता है । जयपुर और अजमेर का ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से हरियाणा–पंजाब के जितने ट्रक हैं वे सीधे उधर से निकलते हैं । यहां सड़क जो नेशनल हाइवे पर बनी हुई है उसमें जगह-जगह गड्ढे हो गए । उनकी वापिस मरम्मत कर दें । एक गड्ढे में जहां सामग्री डाली वह सामग्री ट्रक के टायरों से जिस दिन डाली उसी दिन उखड़-कर चली जाती है । मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा । (व्यवधान)

श्री सभापति : पूरा करें, पूरा ।

श्री राकेश मेघवाल : चाहे उसमें 20 एम. एम. कारपेट ही डालें लेकिन एक बार दुबारा से उसमें पेवर डाली जाए, मरम्मत की हुई सड़क के बजाय कारपेट किया हुआ ठीक ढंग से चलेगा ।

राजस्थान में खनिज सम्पदा के हिसाब से करोड़ों की टैक्स रायल्टी, यू. आर. डी. और टैक्स मिलता है विश्वविख्यात मार्बल मंडी मकराना से । आज देश में ही नहीं बल्कि इटली में जहां इंटरनेशनल मार्बल एक्जिबिशन लगी थी, वहां भी मकराना का नाम था । वहां पर संसार के कोने-कोने से आने वाले व्यापारी यह सोचते हैं कि मकराना में तो मार्बल की सड़क होगी लेकिन यहां आकर कोई भी व्यापारी देखता है तो दुर्दशा है ।

श्री सभापति : बिराजें ।

श्री राकेश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, मकराना–बोरावड़ विकास समिति के माध्यम से एक करोड़ रुपया व्यापारियों ने इकट्ठा करके इस विकास समिति में जमा कराए । लेकिन विभाग की शिथिलता की वजह से रोज खानों का पांडु मलबा डाल देते हैं । एक साइड से लेवलिंग नीचे हो जाती है और दूसरी साइड में पांडु डाल देते हैं । आज की तारीख में साठ हजार रुपए व्यापारियों के विकास समिति के खाते में जमा हैं । मैं चाहूंगा कि फिफ्टी परसेंट तुरन्त स्वीकृत कर मकराना की सड़क को जो बोरावड़ से मकराना और मंगलाना तक हाइवे रोड है, तुरन्त बनाया जाए ।

मैं आपके माध्यम से मंगलाना क्रासिंग बाईपास रोड है उसको भी दुबारा बनवाने की मांग करता हूं । परबतसर मेड़ता तक 100 किलोमीटर सड़क बनी हुई है लेकिन जगह-जगह गड्ढे हैं उसको रिपेयर किया जाए ।

माननीय सभापति महोदया, परबतसर के औद्योगिक क्षेत्र मंगलाना से बोरावड़ रेल्वे स्टेशन तक मकराना–बोरावड़ विकास समिति द्वारा बाईपास सड़क बनानी है और बोरावड़ से गच्छीपुरा मुख्य सड़क से गांवों को जोड़ने के लिए । यह सड़क नीति में नहीं है । मुख्य सड़क है और एक गांव उस सड़क से आधा किलोमीटर बसा हुआ है, 877 की आबादी है या 977 की आबादी है । गांव भरा है लेकिन आधा किलोमीटर की वजह से,। इस सड़क नीति की वजह से वह गांव जुड़ नहीं सकता । इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, कि अपनी नीति से, भाजपा की नीति से स्पेशल बजट देकर ऐसे गांवों को जोड़ने की मेहरबानी करें । एक बार परबतसर से बागोट से हसौर सड़क स्वीकृत हुई.....

श्री सभापति : धन्यवाद ।

श्री राकेश मेघवाल : एक सैकण्ड, अभी तो बहुत रह गया । पांच मिनट में स्पीड में बोल दूंगा ।

श्री सभापति : नहीं, पांच मिनट नहीं, एक मिनट में पूरा करें ।

श्री राकेश मेघवाल : परबतसर से बागोट से हसौर पेवर सड़क स्वीकृत हुई

(श्री राकेश मेघवाल)

थी। परबतसर में पेवर सड़क बने..... (व्यवधान)

श्री सभापति : क्या फायदा होगा स्पीड से बोलने में ? आप तो लिखित में सुझाव दे दीजिए। धन्यवाद। श्री हरिसिंह जी (महुवा)।

श्री राकेश मेघवाल : एक मिनट। पुलिया....

श्री सभापति : लिखित में दे दें।

श्री राकेश मेघवाल : पुलिया रह गयी। परबतसर से औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद में दो पुलिया–जावला पुलिया, खेड़ी-खिवशी पुलिया, लेंगा की ढाणी सड़क पर पुलिया, परबतसर से मंगलाना पुलिया, जो कि स्टेट हाइवे पर है।

श्री सभापति : बिराज जाएं।

श्री राकेश मेघवाल : मंगलाना फाटक से रेल्वे क्रासिंग नयी पुलिया बनायी जाए। पांडु डालकर रेल्वे क्रासिंग के पास 20–20 फीट दोनों तरफ मंगलाना रेल्वे क्रासिंग के ऊपर कर दिया, वहां भी नई पुलिया बनायी जाए। सभापति महोदया, एक रामदेवजी का मंदिर है लाखों आदमी हर साल वहां जाते हैं एक दिन में। मड़सिया से रामदेवजी का मंदिर है, वहां सड़क निर्माण करवाया जाए। परबतसर से पीपलाद, कालेटड़ा, केकड़ी, मड़सिया, बस्सी....

श्री सभापति : अब आप बिराजें, आगे अंकित नहीं होगा। श्री हरिसिंह (महुवा)। आप लिखित में भेज दीजिये अपने सुझाव।

श्री राकेश मेघवाल : × × ×

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, सबसे छोटी उम्र के विधायक हैं।

श्री राकेश मेघवाल : × × ×

श्री सभापति : कोई बात नहीं, मैंने पूरा समय दिया, आपको पैरवी करने की जरूरत नहीं है।

श्री राकेश मेघवाल : × × ×

श्री सभापति : आप पूरी समस्या लिख कर भेजिये।

श्री राकेश मेघवाल : × × ×

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदया, लम्बे समय से माननीय चतुर्वेदीजी सार्वजनिक निर्माण विभाग संभाले हुए हैं। हर वर्ष बजट सत्र में और सामान्य जो एक छोटा-मोटा सत्र आप बुलाते हो उसमें सड़कों की दुर्गति और आपके विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अनेकों बार माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं लेकिन मंत्रीजी पर जूं तक नहीं रेंगती। माननीय मंत्रीजी हैं नहीं....

श्री किशन मोटवानी : भगोराजी कह देंगे आपको।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अब मगोराजी क्या कहेंगे।

मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस सदन में जितने भी माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष के बोले, एक स्वर से सबने यह शिकायत की कि सड़कों का रख-रखाव सही नहीं है, सड़कों में खड्डे पड़े हुए हैं। सभापति महोदया, माननीय मंत्रीजी ने यहां कई बार घोषणाएं कीं कि अक्टूबर तक अगर पैचिंग वर्क नहीं हुआ तो मैं फलां की लायबिलिटी फिक्स कर दूंगा, नवम्बर तक नहीं होगा तो एस. ई. को खींच दूंगा और दिसम्बर तक नहीं होगा तो चीफ इंजीनियर की लायबिलिटी फिक्स कर दूंगा कि सड़कों में जब खड्डे पड़ते हैं तो मेरे सीने में फफोले पड़ते हैं। सभापति महोदया, सड़कों की ऐसी दुर्गति जैसी चतुर्वेदीजी के शासनकाल में हुई है शायद राजस्थान में कभी नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाह रहा हूं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो बिलकुल गलत है। और सब बात ठीक हो सकती है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अब आप मेरे को बोलने दें।

सभापति महोदया, कल शाम से मैं एक परेशानी में हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांगों पर मैं अपने विचार रखूं या नहीं रखूं। बड़े संकट में था, क्यों ? कई बार सोचा कि भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा क्या है, भैंस नाचेगी तो है नहीं। यहां कितनी भी शिकायत करो, शिकवे करो, कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं है।

श्री सभापति : फिर तो अगला नाम बुला लूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यहीं इसी सदन में हमने दौसा जिले का डी. आर. डी. ए. का जो पैसा दिया सम्पर्क सड़कों का उसका मसला उठाया था कि सड़कों में बहुत भयंकर घपला हुआ है और कोई भी लिंक रोड पूरी नहीं हुई है। मुख्य मंत्रीजी ने यहीं आसन से हमें विश्वास दिलाया कि डी. आर. डी. ए. से आप इसकी जांच करवा लो। आपकी जो वहां की जांच आएगी उनमें अगर दोषी पाये गये तो मैं राजस्थान के एडिशनल चीफ इंजीनियर से इसकी जांच करवा कर दोषी अधिकारियों को सजा दूंगा। सभापति महोदया, डी. आर. डी. ए. ने पांचों विधान सभा क्षेत्र में पांच-पांच लिंक रोड का सैम्पल सर्वे करवाया, पच्चीसों सड़कों में वहां के एक्स. ईएन. ने घपला बताया। रिपोर्ट पी. डब्ल्यू. डी. को भेज दी लेकिन वह जांच आज तक नहीं हो रही है।

सभापति महोदया, एक सड़क भिवाड़ी से करौली बनी, विधान सभा में पिछले चार साल से लगातार मैंने अपने विचार व्यक्त किये। जितने मैंने उसमें घपले बताये, जब-जब घपलों की ओर इशारा किया सार्वजनिक निर्माण मत्रीजी का वजन और बढ़ गया। सुनवाई तो नहीं हुई लेकिन इनका वजन जरूर बढ़ गया और अधिकारियों की जेबें भारी हो गयीं। मैं आपको एक हकीकत बयान कर रहा हूं। कमीशन कांग्रेस के शासनकाल में भी चल रहा था जे. ईएन., ए. ईएन., एक्स. ईएन., अधीक्षण अभियंता और चीफ इंजीनियर का लेकिन उस समय कुल मिलाकर 11 प्रतिशत

(श्री हरिसिंह)

बैठता था और आज वह कमीशन कुल मिलाकर 21 प्रतिशत बैठ रहा है। महावीरजी, 21 प्रतिशत। इसके ऊपर अब आप भाषण देते हैं लम्बे। महावीरजी, आप सुन लीजिये कृपया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरे तो जानकारी में कोई है नहीं जो मैं मान लूं।

श्री रामप्रताप कासनियां : 11 प्रतिशत की आपको जानकारी कैसे है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदया, हम जो कुछ भी बजट विधान सभा में पास कर रहे हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग में हमारा एक रुपया 45 से लेकर 40 पैसे तक में चल रहा है। यह उपलब्धि है हमारी। 21 प्रतिशत का कमीशन, 25-30 प्रतिशत ठेकेदारों का मुनाफा और शेष जो रह जाता है वह इस जमीन पर उतरता है। लेकिन उसमें भी ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से जो दुर्गति सड़कों की हुई है, जिस प्रकार का घटिया काम हुआ है, जिस प्रकार की किस्म में गिरावट आयी है पहले कभी नहीं थी। (व्यवधान) मैंने स्वीकार किया है।

सभापति महोदया, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी कई एजेंसियां हैं सड़क निर्माण की पी. डब्ल्यू. डी. है, कृषि विपणन बोर्ड है, ए. डी. पी. है और डी. आर. डी. ए. है। डी. आर. डी. ए. का जो पैसा सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़कों के निर्माण के लिए जाता है, सभापति महोदया, पी. डब्ल्यू. डी. उसको दान-दक्षिणा का पैसा मानता है कि उसमें जितना घपला कर सको उतना कर लो। महावीरजी, ये जो ग्रेवल रोड बनी हैं इनसे लोगों का रास्ता नहीं बना, इनसे लोगों के रास्ते में अवरोध पैदा हो गये। पहले तो उसकी चौड़ाई पूरी नहीं। कोई लिंक रोड आपने दो किलोमीटर का बना दिया, एक ट्रैक्टर ट्रोली अगर गुजर रही है तो दूसरे को इन्तजार करना पड़ेगा, यह चौड़ाई है आपकी रोड की। जो थिकनैस आपको ग्रेवल की लेनी चाहिये थी वह थिकनैस ग्रेवल की नहीं हुई। एक बरसात के बाद में उनमें एक-एक, डेढ़-डेढ़ फीट के खड्डे पड़ गये। जो साफ-सुथरे गांवों के रास्ते थे आपने ग्रेवल रोड से लिंक करके उन रास्तों का सत्यानाश कर दिया। आज लोग बहुत दुःखी हैं, पीड़ित हैं। आपकी कोई भी लिंक रोड पूरी नहीं हुई।

मैं सब के हित की बात बता रहा हूं। कोई बात नहीं है। मंत्रीजी अगर ध्यान देंगे तो इसका राजस्थान की समूची जनता को फायदा मिलेगा।

सभापति महोदया, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि हमारे जो सड़क निर्माण की एजेंसियां हैं उनमें कोई तालमेल नहीं है। एक सड़क डी. आर. डी. ए. से मंजूर हो रही है, वही सड़क ए डी. पी. में आ गयी, वही सड़क पी. डब्ल्यू. डी. मंजूर कर रहा है। मेरे यहां हुआ है। मेरे यहां ए. डी. पी. की एक सड़क मंजूर हो गयी, दूसरी डी. आर. डी. ए. ने कर दी और दोनों ही बन रही हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, एक नहीं, कई उदाहरण हैं।

(श्री हरिसिंह)

सभापति महोदया, मैं लम्बा नहीं जाकर मात्र दो मिनट का समय चाहूंगा। आप बहुत सड़क नीति की बात कर रहे हैं। मंत्री महोदय जवाब दें, तुलनात्मक एक जवाब दे दें। आपके पास एक यह है कि इतने का लेबर बढ़ गया, इतना पैसा बढ़ा दिया सातवीं योजना में, आठवीं योजना में हम इतने रुपये की योजना बना रहे हैं। लेकिन, महावीरजी, आप ही के मुताबिक आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल योजना मद का 6 प्रतिशत सड़कों पर खर्च किया और नवीं योजना में आपने 5 प्रतिशत रखा है। वह घटा दिया।

सभापति महोदया, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं। पी. डब्ल्यू. डी. के स्टैंडर्ड के मुताबिक सड़कों के रख-रखाव के लिये, मेंटिनेंस के लिए, उन पर पैच वर्क के लिये साढ़े चार हजार रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्चा किया जाता है। सभापति महोदया, यहां सदन में 200 माननीय सदस्य बैठते हैं जिनमें मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल हैं, किसी से भी पूछ लो वह साढ़े चार हजार रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो मेंटिनेंस पर खर्च हुआ था आखिर वह पैसा कहां गया ईमानदारी से आकलन कर के आप देख लो, आप मनन कर लो, विचार कर लो कि क्या उससे कहीं किसी रोड पर पैच वर्क हुआ? ग्रामीण सड़कों की दुर्गति कर दी। अभी मंत्री महोदय ने करौली डिवीजन को साढ़े बारह लाख रुपये भिजवाये मेंटिनेंस के.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदया, माननीय सदस्य मेरा नाम लेकर कह रहे थे इसलिये मुझे कहना पड़ रहा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप मुख्य सचेतक हैं, मैं शिकायत किससे करूं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने अपने क्षेत्र में भी और जहां मैं गया हूं वहां देखा है कि वहां पैच वर्क भी हुआ है, वहां सड़कें भी बनी हैं और यह जो आप ग्रेवल सड़क की बात कर रहे हैं वे भी बनी हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप अब मेरा समय कंजूम नहीं करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब मुझे समझ में नहीं आता है कि आप जैसे सक्षम विधायक होते हुए भी वह सड़क नहीं बने। मैं समझता हूं यह आपकी बहुत बड़ी कमी है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ठीक है। देखिये, आप हैं चीफ ह्विप और ह्विप का मतलब है कोड़े वाला। आपके हाथ में कोड़ा है हमारे हाथ में नहीं है, आपकी बन जाती होंगी।

सभापति महोदया, मैं एक अनुरोध कर रहा हूं। पैच वर्क के नाम पर अभी सब डिवीजन करौली को साढ़े बारह लाख रुपये भेजे। मंत्री महोदय का और डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर का एक आदेश गया कि स्टेट हाइवे का पैच वर्क कर दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा? महावीरजी, ग्रामीण लिंक रोड की तरफ....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बिलकुल सार-संभाल नहीं है और अगर पैच वर्क कहीं किया है तो ग्रेवल डाल दी और चार-छह दिन बाद वह उखड़कर दूर हुई। कोई डामर का नाम नहीं बताया....

श्री सभापति : अब आप पूरा करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं नीति की बात कर रहा हूं। सड़क नीति आपने बनाई लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में जो कमजोर विधायक हैं उनको नीति की बात कहकर टाल दिया जाता है या प्रतिपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनको नीति की बात कर दी जाती है। मेरे यहां एक पंचायत हैडक्वार्टर है बाड़ाबुजुर, सन् 1980 में ही डामर की सड़क से जुड़ गया। एक गांव है डोराबली जो 1500 से अधिक की आबादी का है, उसी रोड से वह जुड़ गया। ए. डी. पी. की सड़कें मंजूर हुईं क्योंकि वहां के एक कार्यकर्ता हैं, सक्षम हैं और मंत्रीजी के चेले हैं। 20 लाख रुपये की उन्हीं दोनों गांवों को जोड़ने के लिए फिर दूसरी सड़कें मंजूर हुईं ए. डी. पी. की। कहां गयी आपकी सड़क नीति ? एक सड़क....

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह गांव जुड़ा न।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप सुन लीजिए।

श्री सभापति : पूरा करें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं आपका सिर्फ एक मिनट लूंगा फिर मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अब मैं नीति के खिलाफ बोलने लग गया, अनीति की बात हो रही है तो....

श्री सभापति : सुनने से सुनाने वाले ज्यादा हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : ....मैं मेरी व्यक्तिगत पीड़ा सुना रहा हूं। सभापति महोदया, मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

मेरे गांव की आबादी 5000 है, 200 व्यापारिक दुकानें हैं, आस-पास के एरिया खरीद-फरोख्त वहां है। एक सड़क मंजूर हुई पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ने के लिए मेरे गांव खेड़लापुजकी ओड मीणा से। मंत्री महोदय ने अपने चहेते के गांव से, उनके गांव की 65 घर की आबादी है, उस गांव से ओडमीणा को लिंक कर दिया और सड़क 700 मीटर कम बनी क्योंकि उनके घर से सड़क स्टार्ट हुई। 700 मीटर कम रह गई और वह गांव लिंक नहीं हुआ। दूसरी सड़क मेरे गांव से बोन को मंजूर हुई। उसको कटवाकर अपने गांव से उसको मंजूर करवा लिया। यह आपकी नीति चल रही है। मेरे गांव में....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य,धन्यवाद। मैं अगला नाम पुकारती हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) :....उसमें 300 मीटर सड़क के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। उसमें खड्डे पड़े हुए हैं, 300 मीटर की सड़क वहां नहीं बन रही क्योंकि वह सड़क अनुसूचित जाति के बीच में होकर निकल रही है। महावीरजी, मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी भी मेरे ही गांव का था मुझे 60 प्रतिशत वोट मिला और उसको 40

(श्री हरिसिंह)

प्रतिशत वोट मिला। आप उसके 40 प्रतिशत वोट का खयाल रखते तो मैं मानता।

श्री सभापति : विराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने उसको भी खड्डे में फेंक दिया। सभापति महोदया, आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपको इसके साथ धन्यवाद पेश करता हूं कि आप मेरी तरफ से मंत्रीजी से कहिये कि वे उनके विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से लड़े, इसको समाप्त करें, अपनी नीति में सुधार करें और नीति के साथ-साथ अपनी नीयत में भी सुधार करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : महावीरजी, आपकी तो + + + है।

श्री सभापति : श्री कालूलाल गूजर।

(अनुपस्थित)

श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 21 के बारे में आज चर्चा हो रही है जो कि सड़क और पुलिया निर्माण के बारे में है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस ढंग से सड़कों का जाल बिछा है, विस्तार हुआ है इस बारे में तो बहुत चर्चाएं हुई हैं लेकिन मैं इसके साथ-साथ एक बात और एड करना चाहता हूं कि सड़कों के निर्माण में गुणात्मक सुधार भी हुआ है।

यह तो प्रतिपक्ष के नेताओं का दायित्व है कि वे विरोध करें, इनको करना चाहिए लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि स्टेट की जनता अच्छी तरह जानती है। मैंने पांच दिन पहले अपने भाषण में यह कहा था और सभी लोगों ने इस बात को एडमिट किया था कि राजस्थान में भाजपा शासन के पूर्व सड़कों के किस तरह के हालत थे, आस-पास के स्टेट्स की सड़कें बहुत अच्छी कहलायी जाती थीं। मैंने यह भी कहा था कि यदि कोई कार से ट्रैवल कर रहा हो और राजस्थान से बाहर ज्यों ही प्रवेश करता था तो उसको यह अहसास हो जाता था कि अब हमारी स्टेट से हम बाहर निकल चुके हैं। आज स्थिति इसके ठीक विपरीत है। सभापति महोदया, कोई व्यक्ति राजस्थान स्टेट से बाहर जाता है अपनी गाड़ी से तो उसको स्पष्ट इस बात का अहसास हो जाता है कि अब सड़क बेकार आ गई है, अच्छी नहीं है। इसलिए हम कई स्टेट्स को क्रास कर गये हैं। ये अपनी बातों को अहसास नहीं करेंगे और इन्हें करना भी नहीं चाहिए क्योंकि प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं। इनका दायित्व है विरोध करने का और अपने दायित्व का निर्वहन इन्हें करना चाहिए। चाहे आप किसी भी सड़क पर चले जाइये, सभापति महोदया। मैं आपको ये तथ्य बता रहा हूं और इन तथ्यों को इन्हें एडमिट करना चाहिये। यदि एडमिट नहीं करते हैं तो विरोधियों को विरोध करना है, विरोध फार दि सेक आफ विरोध कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शांतिलाल चोईवाल)

सभापति महोदया, आज ये रीति-नीति का भी विरोध कर रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी के शासन में नीति के तहत सड़कों का निर्माण हुआ है और इसी कारण पूरे स्टेट में जाल बिछा है । क्या प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में पंचायत मुख्यालयों की सड़कें नहीं बनाई गई ? या इनके क्षेत्र में धार्मिक स्थलों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया ? क्या इनके शहरों में, इनके क्षेत्र में पेवर से सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है ? यह सारा कुछ हुआ है लेकिन इनको विरोध करना है इसलिए विरोध करेंगे । इस बात से राजस्थान की जनता अच्छी तरह अवगत है, माननीय सभापति महोदया । वस्तुस्थिति जो थी वह मैंने बता दी कि पंचायत मुख्यालय जुड़ गये तो लोगों को सुविधाएं मिली हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात मैं करूं तो पंचायत मुख्यालय तो लगभग सभी जुड़ चुके हैं लेकिन छोटे-छोटे मिसिंग लिंक हैं उससे दूरी कम हो जाती है । यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो और किसी यात्री को किराये के रूप में कुछ मिसिंग लिंक की सड़क के अभाव में एक जगह 20 रुपया किराया देना पड़ता है लेकिन यदि वह मिसिंग लिंक जुड़ जाता है तो वह पांच रुपये ही किराया देकर अपनी यात्रा को पूरी कर सकता है । ऐसी स्थिति में जब आपने पंचायत मुख्यालय जोड़ दिये तो कुछ स्थानों के मिसिंग लिंक हैं उनको भी जोड़ देना चाहिए ताकि जनता को लाभ मिले ।

राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में भाणा और धायेला दोनों पंचायत मुख्यालय हैं । एक किलोमीटर का डिसटेंस है, इस डिसटेंस पर यदि सड़क का निर्माण हो जाता है तो बहुत कम दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रह जायेगी । इसी तरह सांसेरा से बनड़िया सिर्फ डेढ़ किलोमीटर है । पूर्व में इसकी स्वीकृति भी जारी की गयी थी लेकिन वह कहीं दूसरे स्थान पर डाइवर्ट कर दी गई । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अनुरोध करूंगा कि इसको पुनः देखें और इसकी स्वीकृति जारी करें । मोई से राजियावास यह भी मात्र डेढ़ किलोमीटर है । मैं पंचायत मुख्यालय को जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं जिनके नाम ले रहा हूं वे सारे के सारे पंचायत मुख्यालय हैं । इसी तरह सांकडोदा और पुनावली एक बामनटूकड़ा है वहां पर एप्रोच रोड का निर्माण हुआ है । पंचायत मुख्यालय है । वहां पर डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का निर्माण तो हो चुका है, अब उसको डामर की सड़क का निर्माण करना शेष है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि एक मात्र सड़क बची है मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, इसको भी पूरा कर देंगे तो कम से कम मुझे यह कहने का मौका तो मिलेगा कि राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में एक भी ऐसा पंचायत मुख्यालय नहीं है जो कि डामर की सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है । वैसे नीति के तहत तो चाहे डामर से जुड़ा हो, चाहे डब्ल्यू. बी. एम. से जुड़ा हो और चाहे दूसरी श्रेणी का जुड़ा हो, सिर्फ सड़क जोड़ने का मामला है । बामनटूकड़ा ही एक ऐसा स्थान है जो डामर की सड़क से जुड़ा नहीं है ।

सभापति महोदया, इसके साथ-साथ मैं एक छोटा-सा निवेदन और करूंगा कि

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

नेशनल हाई-वे जो किशनगढ़ से चितौड़ की तरफ जाता है, जब किशनगढ़ से नसीराबाद रोड पर गुजरते हैं तो उस नेशनल हाई-वे पर लोगों ने दो-दो फीट के स्पीड ब्रेकर्स बना रखे हैं। मैं समझता हूं माननीय सदस्यों ने कभी उस मार्ग पर यात्रा की होगी तो निश्चित तौर पर उनकी कार को नुकसान पहुंचा होगा। कई बार इन स्पीड ब्रेकर्स से भारी एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और लोगों की मृत्यु भी हुई है। मुझे लगता है कि उस क्षेत्र का पी. डब्ल्यू. डी. का प्रशासन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, उनके सुपरवीजन में कहीं कोई कमी है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जनता के एक्सीडेन्ट होने के कारण उन्होंने ऐसा किया है। कुछ एक्सीडेन्ट्स हो गये थे।

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय मंत्री महोदय, आपका फरमाना बहुत ठीक है लेकिन स्पीड ब्रेकर्स तकनीकी दृष्टि से बनाये जाएं ताकि उससे कोई नुकसान नहीं हो। मेरा निवेदन बहुत स्पष्ट है, सुपरवीजन में तो कहीं न कहीं लैक्सिटी है उसको देखना चाहिए। एक चित्तौड़ तहसील में झांटला-माता पाण्डोली से घोसूण्डा पिछले 30 सालों से सड़क पर आवागमन था। डामर की सड़क निर्मित थी, बसों का आवागमन था यात्रीगण उससे यात्रा करते थे लेकिन रेलवे की कुछ दुविधा के कारण वह सड़क डिसकन्टीन्यू हो गयी। अब ओण्डूद से घोसूण्डा सड़क का एक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का निर्माण तो हो चुका है। यदि वह ओण्डूद से घोसूण्डा तक मात्र डेढ़ किलोमीटर की डामर की सड़क का निर्माण हो जाता है तो पुनः वह रोड प्रारम्भ हो जाएगा। और जो सड़क बनी हुई है उसका उपयोग हो जायेगा। यह बहुत छोटा-सा मामला है, मैं समझता हूं माननीय मंत्री महोदय, इस पर ध्यान देंगे।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदया, एक छोटा-सा अर्ज करना चाहूंगा कि रेलमगरा तहसील मुख्यालय है, पंचायत समिति मुख्यालय है। बड़े महत्वपूर्ण भारत सरकार के संस्थान हैं–हिन्दुस्तान जिंक, दरीबा माइन्स, जहां पर लोगों का आवागमन बहुत भारी संख्या में है लेकिन वहां डाक बंगलों की कोई व्यवस्था नहीं। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था और मंत्री महोदय ने आश्वस्त भी किया था कि रेलमगरा में डाक बंगले का निर्माण करा दिया जाएगा लेकिन अभी तक पता नहीं किन कारणों से नहीं हो सका। चूक हो गई होगी। मंशा में चूक नहीं हो सकती, माननीय सदस्यगण। कहीं न कहीं चूक हो गई होगी, मैं समझता हूं। मैं वापस अर्ज कर रहा हूं, वे निश्चित तौर से रेलमगरा में एक डाक बंगले का निर्माण कराएंगे।

इसी के साथ-साथ एक छोटा-सा निवेदन और कर रहा हूं कि एक धार्मिक स्थल है बारी का बाग, जो रेलमगरा के पास है। मैं प्रति वर्ष की बात नहीं करता, प्रति महीने की बात नहीं करता, हर शनिवार और इतवार को हजारों की संख्या में लोग अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए उस स्थान पर जाते हैं। कई लोगों को जिनको कहते हैं कि ये माताजी के बाण हैं या इनके इस तरह की बीमारी है, उनको राहत मिलती है। अपंग लोग जाते हैं जिनके लिए

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

सड़क का होना नितान्त आवश्यक है। मंत्री महोदय, वहां पर डब्ल्यू. बी. एम. सड़क का निर्माण तो आपकी कृपा से हो चुका है सिर्फ डामर सड़क का बाकी है, उसकी ज्यादा दूरी नहीं है, मात्र डेढ़ किलोमीटर है। मेरा अनुरोध है कि इसको भी आप निश्चित तौर से यथा सम्भव पूरा करने का अपने स्तर पर प्रयास करवाएंगे तो आपकी अति कृपा होगी। इसके अलावा और विशेष मिसिंग लिंक के अलावा मुझे और कुछ अर्ज नहीं करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री सभापति : श्री बनवारीलाल शर्मा।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदया, आज सड़क और पुल की मांग पर चर्चा हो रही है और बहुत-से साथियों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, यह तो मानकर चलिये कि सड़कों की हालत तो निश्चित तौर पर खराब है। हम आपसे केवल विरोध की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। अन्य जिलों की स्थिति मुझे जानकारी नहीं है लेकिन धौलपुर जिले की किस सड़क का नाम लूं? आपसे एक ही निवेदन है कि मेहरबानी करके एक दिन आप वहां पर विजिट कर लें, आप खुद देखेंगे कि वास्तव में हालत खराब है, तो आप खुद ही सन्तुष्ट हो जाएंगे। आपने कहा अक्टूबर तक हो जाएगी रिपेयर, नवम्बर तक हो जाएगी लेकिन हो नहीं पा रही है। अब आपकी क्या मजबूरी है, आप जानें। आप मेंटिनेंस के हिसाब से जो पैसा देते हैं, अमाउंट तो आप ज्यादा बता देते हैं लेकिन वास्तव में उस मेंटिनेंस का ज्यादा पैसा तो मजदूरों के वेतन पर चला जाता है और मेंटिनेंस इतनी हो नहीं पाती है। आपको फिगर्स के हिसाब से तो बहुत दिखती है। मेरा तो यह निवेदन है कि धौलपुर जिले की जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वह किसी भी विभाग, किसी भी तरीके से बनी हैं, उनकी हालत वास्तव में खस्ता है, इस पर आप जरूर नजर करिये।

कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनमें कि कहीं भी आर्थिक खर्चा नहीं है लेकिन विभाग की नेग्लीजेंस की वजह से कुछ काम अधूरे पड़े हुए हैं। इसके लिये तो आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप चिट्ठियों का जवाब तो निश्चित तौर पर देते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। समस्याओं का समाधान हो पाता है कि नहीं हो पाता है लेकिन कम से कम आप पत्रों का जवाब देते हैं। इसके लिये तो आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं पर उन पर कुछ एक्शन नहीं हो पाता है। अब यह आपकी क्या कमजोरी है, क्या मजबूरी है यह तो आप स्वतः ही समझें। आप अन्दाजा लगाइये, मेरे यहां सम्बल योजना में एक सड़क मंजूर हुई थी पथरोला के नाम से, सैंक्शन जारी हो गयी। दो सड़कें मंजूर हुई थीं–एक जहेरा की सड़क मंजूर हुई थी एक पथरोला की सड़क। जहेरा की सड़क पर 75 हजार रुपये खर्चा आता था और पथरोला की सड़क पर दो लाख समथिंग आता था। लेकिन आपके आर्डर्स वहां कुछ उल्टे प्रिंट हो गये और वहां के एक्स. ईएन. को दो साल हो गये चिट्ठी लिखते हुए। मैंने आपको भी चिट्ठी लिखी, आपके

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

अधिकारियों से सम्पर्क किया लेकिन आज तक करेक्शन होकर यहां से नहीं गया है। इसकी वजह से वह सड़क रुक गयी है। अब इसको क्या बताएंगे ? दोनों का बजट मौजूद है लेकिन चूंकि करेक्शन नहीं हो पा रहा है इसलिये वह सड़क आज अधूरी पड़ी हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके करेक्शन करवाइये जिससे कि उस सड़क का कार्य पूरा हो सके।

इसी तरह चार वर्ष पूर्व मंजूर हुई है एक टेहरी से मानपुर की सड़क, वर्ल्ड बैंक योजना में हुई थी लेकिन ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया। ठेकेदार कोई झुंझुनूं के रहने वाले थे, उन्होंने काम नहीं किया। वह फार्मलिटीज की पता नहीं क्या दिक्कतें आती हैं और क्यों नहीं हो पा रही है लेकिन चार वर्ष से वह सड़क मंजूर हुई पड़ी है, उस पर कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया। यह कहां, क्यों, किस स्तर पर है ? एक ठेकेदार छोड़कर भाग गया तो उस सड़क को आप तो पूरा कराइये। उसके खिलाफ एक्शन लीजिये, डिपार्टमेंटल बनाइये, किसी तरीके से करिये लेकिन उस सड़क को तो पूरा करिये।

इसी प्रकार विफरपुर से मानपुर एक सड़क मजूर हुई थी डांग विकास में। आपके इंजीनियर्स ने कैसे घर बैठे एस्टीमेट बना दिया या क्या प्राब्लम हुई, उसको दो किलोमीटर अधूरा छोड़ दिया है, उसको पूरा नहीं किया गया है। जिस उद्देश्य से बनायी गयी है कि पंचायत हैडक्वार्टर है, पंचायत हैडक्वार्टर को नहीं जोड़ा गया है। ग्राम रजोरा, पंचायत बिश्नोदा के लिये आपकी सड़क दो बार मंजूर हो चुकी है, 1500 से ज्यादा उसकी पापुलेशन है। दो बार सैंक्शन हो चुकी है लेकिन बीच में रास्ते में किसी का खेत आता है और खेत वाले निकलने नहीं देते हैं। मेरा यह निवेदन है कि आपके पेपर्स में तो हो गया कि हमने 1500 की आबादी वाले को मजूर कर दिया। उस जमीन को एक्वायर करें, अगर किसी का बीच में खेत पड़ता है। इधर से भी रास्ता है उधर से भी रास्ता है। खेत पड़ता है तो उसको एक्वायर करके उस सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाएं। आखिर उसमें क्या प्राब्लम आ रही है ? कई सड़कों के लिये आप एक्वायर करते हैं तो इस सड़क के लिये भी आप एक्वायर करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उसने कोर्ट से स्टे ले रखा है। मुझे याद है, आपने पत्र दिया था।

श्री बनवारीलाल शर्मा : इसमें नहीं है, इसमें कोर्ट स्टे नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बिना जानकारी के ही + + + दिया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ऐसा नहीं है। एक-एक पत्र पढ़ता हूं, जवाब देता हूं, ध्यान रखता हूं ऐसा नहीं है आपकी तरह क्षमा करें।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री बनवारीलाल शर्मा : वह जो कोर्ट से स्टे ले रखा है वह बरखेडा की पर ले रखा है, इसमें नहीं ले रखा है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैंने आपका दफ्तर देखा ही नहीं, आप कहां विराजमान थे।

श्री परसादीलाल मीणा : न आपका घर देखा न आपका दफ्तर देखा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बड़ी कृपा की, साहब, मैं बुलाऊंगा आपको।

श्री बनवारीलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आपने ए. डी. एफ. में डाकू उन्मूलन योजना में....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (ऊर्जा मंत्री) : आपने घर नहीं देखा, दफ्तर नहीं देखा, इसका पाप तो आप दोनों को लगने ही वाला है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नहीं, घर खाने पर बुलाऊंगा आपको।

श्री बनवारीलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने वर्ल्ड बैंक की योजना के तहत या डांग विकास योजना के तहत या एंटी डेकोइटी योजना के तहत कुछ सड़कों का निर्माण किया है। वे चम्बल के बीहड़ हैं। आपने सड़कों का निर्माण तो करा दिया लेकिन उसके बाद उनकी मरम्मत की तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है कि वास्तव में उन सड़कों की स्थिति क्या है। आपकी रिपोर्ट के हिसाब से आप अपना एरिया तो बढ़ा देते हैं, मीटर्स बढ़ा देते हैं, कहते हैं कि इतने लम्बे किलोमीटर की सड़कें बना दीं लेकिन यह नहीं देखा कि वास्तव में उन सड़कों का उपयोग हो पा रहा है या नहीं, जिस उद्देश्य के साथ उन सड़कों को बनाया गया था। उनको बनाकर आपने छोड़ दिया है और वे पूरी नहीं हो पा रही हैं। मोरोली की सड़क है, मोरोली की सड़क चम्बल के बीहड़ में कटते-कटते यह स्थिति होती जा रही है कि उसकी रोक के लिये दीवार नहीं बनायी गयी तो उस गांव का कनेक्शन ही रूक जाएगा। आप मेहरबानी करके इसकी तरफ ध्यान दें।

तीसरा मेरा यह निवेदन है कि आपने डब्ल्यू. बी एम. सड़कें तो बना दीं लेकिन डब्ल्यू. बी. एम. सड़क का उपयोग इतना नहीं उठा पाते हैं। उस समय तो जनता खुश हो जाती है कि हमारे गांव को सड़क से जोड़ दिया लेकिन उनकी हालत यह होती है कि जितने खुश नहीं होते हैं उससे ज्यादा नाराज हो जाते हैं। आपकी पालिसी भी है कि किसी भी योजना में बनाएंगे डब्ल्यू.बी.एम. सड़क उसको बी. टी. आप करेंगे, उनको डिपार्टमेंट टेकअप करेगा तो आप जितनी भी सड़कें हैं उनको अपने डिपार्टमेंट के द्वारा बी. टी. करने की कृपा करें। सगवारा पुलिया है, मैंने आपसे यहां विधान सभा में पूर्व में भी निवेदन किया था। पार्वती नदी पर दो-तीन पुल की बात है। सेंपो के पुल की बात थी, जहां पर लाखों आदमियों की भीड़ इकट्ठी होती है, मेला लगता है। आपने मेरे को आश्वासन दिया था लेकिन वह पुलिया आज तक नहीं बनायी गयी। बजट मंजूर हो गया है लेकिन वे कच्ची डाल

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

देते हैं। कच्ची बनाने के बाद उसको बार-बार नदी काट देती है। मेहरबानी करके उसका कोई पक्का इन्तजाम करिये। शेवरवाली ब्रिज है, बन जाता, करोड़ों रुपया आपने उस पर लगा दिया लेकिन अब उसका काम बंद है। क्यों बंद कर दिया गया है, क्यों उसकी प्रोग्रेस रोक दी गयी, इसकी मेहरबानी करके जांच करें।

इनके अलावा 2-3 मिसिंग रोड्स हैं। इधर से तो धौलपुर तहसील के एंड के गांव में पहुंच गयी, उधर से बाड़ी तहसील के गांव में पहुंच गयी है, बीच की 2–2, 3–3 किलोमीटर की सड़क बाकी है, उन मिसिंग रोड्स को आपको प्रायोरिटी पर लेना चाहिये। जैसे रानीखेड़ा से महुआखेड़ा की सड़क है, तीन किलोमीटर की ही है। इससे अगर हो जाएगा तो दोनों तहसीलों का डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। इसी तरीके से बीलोनी से पटोला का है वहां भी इसी तरह से डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। इसी तरीके से विश्नोदा से रानीखेड़ा है। पता नहीं किस हैड में मंजूर की थी और क्यों उसको रोक दिया गया। उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। पैसा खर्च किया है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि मेहरबानी करके पार्वती नदी पर पुलिया और मिसिंग रोड्स को पूरा कराएं और वहां क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सुरेन्द्र गोयल (उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा मांग संख्या-21 पर विचार रखने, मंत्री महोदय द्वारा जवाब देने और मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : सदन का समय बढ़ाए जाने की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 21 पर विचार

श्री अर्जुनलालजी जीनगर।

(अनुपस्थित)

श्री मांगीलाल मेघवाल।

(अनुपस्थित)

श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदया, जिस प्रकार से यहां सड़क नीति की बात की गयी, मैं यह कह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सारे पंचायत हैडक्वार्टर सड़कों से जुड़ गये हैं। मैं मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं।

(श्री उगमराज मेहता)

कुछ बातें यहां आई। माननीय सदस्य कह रहे थे कि मेंटिनेंस के लिये पैसा आता है लेकिन सड़कों में कई जगह खड्डे हैं। मेंटिनेंस का पैसा आता है और उसका उपयोग भी होता है। लेकिन जिस प्रकार से आप सड़कों में खड्डे कह रहे हैं, वे सड़कें कृषि मंडी द्वारा बनायी गयी सड़कें हैं, पहले की हैं और उनका मेंटिनेंस का पैसा यह कहा जाता है कि हमने पी. डब्ल्यू. डी. विभाग को दे दिया और पी. डब्ल्यू. डी. वाले कहते हैं हमको पैसा नहीं मिला। यह बात है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री और कृषि विपणन बोर्ड के मंत्री, दोनों बैठकर बात करें। उनके पास पैसे पड़े हैं, वे पैसे लेकर जहां-जहां भी पेंचिग वर्क और रिपेयरिंग कराना है, वह रिपेयरिंग कराने की युद्ध स्तर पर कार्यवाही कराएं।

मेंटिनेंस की बात की गयी। मेंटिनेंस का पैसा आता है, उसका उपयोग होता है। गत बार जिस प्रकार से मेंटिनेंस का पैसा आया, इस बार मेरे विधान सभा क्षेत्र में और आदेश आ गये कि ज्योंही बारिश खतम होगी चारों ही पेवर की रोड पूरी कर दी जाएंगी, अडनाली से बलाकन, झालिया से कोटड़ा, पूरी पेवर रोड कर दी आएगी।

माननीय मंत्री महोदय, आप ब्यावर पधारे थे, आपने मुझे कुछ आश्वासन दिया था। दो बहुत इम्पोर्टेंट रोड हैं, ऐसी कि इंटीरियर में गाबा लिंक रोड से सरूपा से पाली बोर्डर तक और दूसरा राजावास से गोलनीमड़ी, कोटड़ा, सेलीबरी, दर्जी की फाटक, पाली बोर्डर। इन इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़कों के लिये मैंने आपसे निवेदन किया था। आपने कहा था कि दो सड़कों के लिये मैं 50 लाख रुपये दे दूंगा लेकिन उसके बाद में आपने मुझे वापस कहा कि इस बजट में पैसा नहीं है। मैं वहां चुप हो गया कि बजट में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, अगले बजट में पैसा मिलेगा। इस बार उन दोनों सड़कों पर मैंने दूसरे मद से पैसे खर्च करवाएं हैं। कोजवे और पुलिया दोनों सड़कों पर अब बना दिये गये हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बार दोनों

(18.55)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

सड़कों के काम का वर्क आर्डर दे दें ताकि वहां काम वापस चालू हो जाए।

एक और निवेदन है मालाता की बेड, बडालिया और दूदालेश्वर महादेव होते हुए पाली बोर्डर तक सड़क, उस पर कुछ काम मैंने चालू करवाया है। काम चालू है। उस सड़क को भी आपके विभाग में लें। बलाकन से कंटाले पर मेरे अनटाइड फंड से भी पैसे खर्च हुए हैं, डी. आर. डी. ए. से अलग से फंड सैंक्शन करवाया पर कुछ और बाकी रह गया है। विभाग आपका पी. डब्ल्यू. डी. काम कर रहा है, आपसे निवेदन करूंगा कि बलाकन कंटाला रोड़ को इसी वर्ष पूरा करा दिया जाए।

एक निवेदन करना चाहूंगा, ब्यावर से विजयनगर रोड जो जाता है वहां पर एक्सीडेंट होते हैं। अभी 5–7 दिन पहले ही श्री सीमेंट के एक उच्च अधिकारी की

(श्री उगमराज मेहता)

वहां पर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गयी। ऊबड़-खाबड़ रोड है। उस रोड को आप थोड़ा चौड़ा करवाइये ताकि वहां से जाने वाली बसें, ट्रक वगैरह के लिए आवागमन का रास्ता क्लीयर हो सके।

अंधेरीडेरी से श्री सीमेंट रोड एक किलोमीटर है। लाखों रुपये महीने की श्री सीमेंट आपको कमाई देता है, आपकी सरकार को रेवेन्यू देता है। अंधेरीडेरी से श्री सीमेंट तक अगर एक किलोमीटर रोड आप डामर की बनाना चाहें तो बहुत अच्छा है। अगर सीमेंट की बनाना चाहें तो उनसे निवेदन करके सीमेंट आपको दिला देंगे, बाकी वर्क आप कराएं। जितना भी सीमेंट उस रोड पर लगेगा, फैक्टरी वालों से कह कर आपको सीमेंट अवेलेबल करा देंगे

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक निवेदन और है। मेरा क्षेत्र तो नहीं है, पर पीसांगन जो पुष्कर विधान सभा क्षेत्र का है, पीसांगन से जैठाणा, मांगलियावास रोड बहुत इम्पोर्टेंट रोड है, उस रोड के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दें और ठीक कराएं। पीसांगन से ब्यावर रोड भी खराब है, उसकी भी आप रिपेयरिंग करा कर उस रोड को थोड़ा ठीक कराएं। आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कातरघाटी, अंग्रेजों के समय में वह रोड बनी थी बलाकन से उधर ठेठागढ़ जाने की, किसी ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। रोड आधी तो बन गयी है और आधी का पैसा और मिल गया पी. डब्ल्यू. डी. विभाग को, मैं चाहता हूं कि अक्टूबर में उस पेवर रोड पर पूरे बलाकन तक जल्दी से जल्दी काम चालू करा दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री उगमराज मेहता : करा देंगे।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आखिर में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, वित्त मंत्रीजी आपके पास में हैं, आज उसके बारे में डिमांड तो नहीं है परन्तु आपको 2 करोड़ रुपये वित्त मंत्रीजी दे देंगे। उदार हैं, शिक्षा जगत में महाविद्यालयों के अनुदान के लिये आप वित्त मंत्रीजी से कहें कि 27 तारीख को 2 करोड़ रुपया आपको दें ताकि कन्या महाविद्यालय को अनुदान दिया जाए।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री उगमराज मेहता : दूसरा, गत बजट सत्र में, माननीय चतुर्वेदी साहब, आपने मेरा साथ दिया था ब्यावर को जिला बनाने के लिये। आप माननीय उप मुख्य मंत्रीजी को लेकर मेरे साथ चलें और ब्यावर को जिला घोषित कराने के लिये मेरा साथ दें। आपने गत सत्र में इसी विधान सभा में कहा था कि ब्यावर जिला बनना चाहिये। उप मुख्य मंत्रीजी और मैं आपके साथ चलेंगे, आप मुझे पूरा सहयोग दें।

श्री सभापति : माननीय जुबेर खान। (अनुपस्थित) श्री भगराजजी चौधरी.... (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व में जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं आज की मांग के बारे में, उन सबने यह चिन्ता व्यक्त की है कि....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आपने तो अनशन कर रखा है फिर बोल रहे हैं। प्लीज सिट डाउन।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उगमराजजी, मंत्रीजी से यह पूछ लीजिये कि "राखूं मूछयां पाड़ या राखूं कि तने निज गर्ज दीजे लिख चतुर्वेदीजी इण दोमेली बात।"

(19.00)

श्री सभापति : आप बोलें, चौधरी साहब। भगराज चौधरी, प्लीज।

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : सभापति महोदय, सारे माननीय सदस्य जो बोले हैं, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन्होंने राजस्थान में सड़कों की स्थिति के बारे में बहुत चिन्ता प्रकट की है। राजस्थान सड़कों के दृष्टिकोण से पूरे देश में सबसे पीछे है। जितना पीछे है उसके अनुपात में हम लोगों ने बनाने के लिए पिछले 3–4 साल से अलबत्ता धनराशि का अधिक आबंटन तो किया है मगर अधिक आबंटन करने के पश्चात भी सड़कों के निर्माण में विशेष कोई वांछित लक्ष्य नहीं मिला। उनका मुख्य कारण है, जैसा कि सारे माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि हमारे प्रदेश में सड़कों के निर्माण में भयंकर भ्रष्टाचार है। मंत्री महोदय, मुझे आप माफ करेंगे कि जबसे आपके पास विभाग आया है उसके पश्चात् तो भ्रष्टाचार में चार चांद लग गये। एक बात यह है कि जो सड़कें ग्रेवल की एक रुपये की लागत से आज बनाई जा सकती हैं, उन सड़कों को आपके अधिकारी और आप चार-चार लाख की लागत से बनाना चाहते हैं। जो सड़क मैटल की डेढ़ लाख रुपये की लागत से, ग्रेवल एक लाख रुपये की लागत से, यानि ग्रेवल प्लस मैटल दोनों मिलाकर दो लाख में बनाई जा सकती है, उन सड़कों को आप 6 लाख में बनाना चाहते हैं। जो सड़कें मैटल की बन चुकी हैं उन पर डामरीकरण करने के लिए आप चार लाख रुपये की धनराशि मांग रहे हैं, इतनी राशि का आबंटन कर रहे हैं। मैं समझता हूं बहुत ही चिन्ता का विषय है। मैं जो कह रहा हूं प्रामाणिक आधार पर कह रहा हूं। मुझे इस प्रकार की जानकारी मिली है कि मुख्य अभियन्ता के कार्यालय से इस प्रकार का एक पत्र जिले में अधिकारियों के पास गया है कि इस साल जब भी आप एस्टीमेट भेजें तो इस अनुपात में भेजें। अगर वहां बिल्कुल सड़क नहीं है, ग्रेवल से लगाकर डामर की बनानी है तो 8 लाख रुपये की राशि के आधार पर अपना आबंटन मंगाएं। पूर्व में अगर ग्रेवल सड़क बनी हुई है और मैटल प्लस डामर करवानी है तो 6 लाख रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से आप पैसा मंगाएं। मैटल बनी हुई है और डामर करानी है वहां पर आप डामर करने के लिए 4 लाख रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से पैसा मांगिये। यह स्थिति मैं आपसे कह रहा हूं रिकार्ड के आधार पर है। खैर, जैसी भी स्थिति है, मैं इसमें ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। मगर

(श्री भगराज चौधरी)

यह मामला बहुत ही चिंतनीय है, इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। आपकी सरकार ने ऐलान किया था कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार फैल गया है हमारी सरकार आने दीजिये हम भ्रष्टाचार कम करेंगे। मुझे माफ करेंगे, हरिसिंहजी साहब, मेरे पास बैठे हैं कहते हैं कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार था। मैं समझता हूं शुरूआत तो हो गई थी मगर जहां तक मेरी जानकारी है अलबत्ता, जे.ईएन. से लगाकर एक्स.ईएन. तक 2 प्रतिशत, डेढ़ प्रतिशत का भ्रष्टाचार था। उसके बाद में एस. ई. लेवल, एडीशनल चीफ और चीफ के लेवल तक पैसा जाता था कि नहीं जाता था, मैं कह नहीं सकता। मगर शुरूआत जरूर हो गयी थी। मगर आजकल तो जो एस्टीमेट बनता है, जो धनराशि खर्च की जाती है उसमें से 20, 21, 25 परसेंट तक ठेकेदार के अलावा पैसा नीचे से लगाकर ऊपर तक बटता है। ऊपर पैसा कहां-कहां तक जाता है मैं कुछ नहीं कह सकता। आप सब समझदार हैं, आप समझ सकते हैं यह बात। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आप चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं ? आप यह क्यों नहीं कह रहे हैं कि एक रुपया भी सड़क के नाम पर भ्रष्टाचार में नहीं लगने दूंगा, जहां कहीं भी शिकायतें आएंगी मैं एंटी-करप्शन में मामला दूंगा। मैं क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर कोई बोर्ड बैठाऊंगा, जांच कराऊंगा ? इस प्रकार आपने कभी कोई ऐलान नहीं किया है। उससे आप समझ सकते हैं कि आपकी क्या मंशा हो सकती है। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

अभी जो सड़कों का निर्माण हुआ है, प्रदेश के अन्दर आपने नीति घोषित की थी सड़कों के बारे में कि सन् 2000 तक जितने भी पंचायत हैडक्वार्टर हैं और जो गांव 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 के ऊपर की आबादी के हैं उन सबको जोड़ दिया जायेगा। मगर आज स्थिति क्या है ? आज स्थिति यह है कि राज्य के अन्दर 1991 की जनगणना के आधार पर 7195 जुड़े हैं डामर की सड़कों से और करीब-करीब 2067 पंचायत हैडक्वार्टर अभी डामर की सड़कों से जुड़ने बाकी हैं। अगर 700 गांव प्रति वर्ष जोड़ने जैसा आपने लक्ष्य अर्जित कर रखा है, उस हिसाब से आप चलेंगे तो केवल मात्र आपके पंचायत हैडक्वार्टर तीन साल में, सन् 2000 तक की अवधि समाप्त होने तक जुड़ेंगे। आपने नीति बनाई, आपने घोषणा की, आप बार-बार कहते रहे विधान सभा के अन्दर और विधान सभा के बाहर कि हम 1991 की जनगणना के आधार पर पंचायत हैडक्वार्टर के अलावा उन सारे गांवों को जिनकी कि आबादी 1000 से ऊपर हो चुकी है, सन् 2000 तक जोड़ देंगे। फिर ऐसे गांव कहां जाएंगे ? उन्वे आप किस प्रकार से जोड़ जाएंगे ? यह भी एक चिन्ता का विषय है। इस सदन में धनराशि तो ज्यादा आबंटन करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं पर उसके

(19.05)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अनुपात में सड़कों पर जो धनराशि खर्च हो रही है फिजूल की मेहरबानी करके उसको रोकिये, भ्रष्टाचार को रोकिये। जो घटिया

(श्री भगराज चौधरी)

क्वालिटी का मैटीरियल लगा रहे हैं उस पर भी थोड़ी रोक लगायें। आज सड़कें बनाने के पश्चात् पहली बरसात में टूट जाती हैं, क्या कारण है ? जहां पानी बहता रहता है वहां तो समझ आती है कि टूट जाती हैं मगर जहां बरसात हुई और बरसात भी कभी-कभी तो एवरेज से कम होती है, वहां सड़कें क्यों टूटती हैं ? आपकी सरकार आने से पहले कांग्रेस के राज में सड़कें बनाई गयी थीं। मुझे याद है, 20–20 साल तक वे सड़कें नहीं टूटती थीं। इसी कारण से हमारा रिपेयरिंग का जो साइकिल था वह ग्रामीण क्षेत्रों में 12 साल के बाद में बना हुआ था। स्टेट हाइवेज और बड़ी सड़कें 10 साल के बाद में रिपेयरिंग कराने का साइकिल बना हुआ था। मगर आपकी सरकार आने के पश्चात् तो एक साल के अन्दर ही डामर की सड़क टूट जाती है। मैं समझता हूं यह भी बहुत ही चिन्ता का विषय है, इसमें आपको विचार करना चाहिये। मगर बोर्डर रोड्स, मिलिट्री के द्वारा बनाई हुई रोड्स और दूसरे प्रकार की सड़कें नहीं टूटती हैं तो फिर आपके द्वारा बनाई गई सड़कें क्यों टूटती हैं ? इसके क्या कारण हैं? घटिया क्वालिटी का डामर काम में लिया जाता है। डामर के अलावा मैटल बिछाने के लिए दो लेयर का पैसा लेते हैं अधिकारीगण, स्वीकृति दो लेयर की मंजूर करवाते हैं मगर मैंने देखा है कि दो की बजाय एक लेयर ही मैटल बिछाते हैं और दूसरी लेयर का पैसा खा जाते हैं बांटकर। मेरे क्षेत्र के अन्दर एम. एन. पी. में सड़क मंजूर हुई। काम पूरा कर लिया एक लेयर का और एक लेयर करने के पश्चात् ठेकेदार और अधिकारी दोनों ने मिलकर साल भर तक दूसरी लेयर नहीं बिछाई। मुझे जानकारी मिली जब मैं दौरे पर गया तो, कि दूसरी लेयर नहीं बिछाई है। मैंने इसके बारे में....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री भगराज चौधरी : एक साल के बाद दूसरी लेयर उस ठेकेदार से बनायी गयी। इसलिए इस बारे में विचार करिये कि कम से कम इतनी सड़क आप किस हिसाब से बनवा पाएंगे।

दूसरा बिन्दु और निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक गांवों का सवाल है, आपकी नीति के आधार पर अभी तक आप देखिये, 1000 से अधिक की आबादी के 7799 गांव आप जोड़ पाये हैं जिसमें पंचायत हैडक्वार्टर शामिल हैं। मैं समझता हूं जिस रफ्तार से आप चल पा रहे हैं उस हिसाब से आप यह कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरा जैसा कि मैंने कहा, सड़कों में जो भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोकें और क्वालिटी कैसे कंट्रोल हो सकती है, बढ़िया सड़कें कैसे बनाई जा सकती हैं, खर्च कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में कोई न कोई आपको तरीका निकालना चाहिए। (व्यवधान) नहीं, कम क्यों, थोड़े का मतलब यह है कि इसको आप रोकिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री भगराज चौधरी : इसके अलावा जिस डिवीजन की सड़क आप स्वीकृत करते

(श्री मगराज चौधरी)

हैं उस डिजाइन की सड़क मौके पर क्यों नहीं बनाई जाती है ? मेरे क्षेत्र के अन्दर एक सड़क 14 लाख की मंजूर की डामर करने के लिए। एक भी रपट की मंजूरी नहीं थी और रपट बनाने की उसमें जरूरत भी नहीं थी मगर फिर भी अभियंताओं ने ठेकेदार से मिलावट करके 6 लाख रुपये रपट बनाने के नाम पर फिजूल खर्च कर दिये। घपला कितना कर दिया, वह तो वही जानें। मगर वहां जरूरत नहीं थी रपट बनाने की। रपट वहां बनानी चाहिए जहां पानी सड़क को पार करके बहता हो और काफी मात्रा में बहता हो। यहां कोई ऐसा नहीं था। मेरे पास रिपोर्ट आयी, मैं मौके पर गया। मैंने देखा कि वहां रपट बनाने की जरूरत नहीं थी फिर भी 6 लाख रुपये बरबाद कर दिये। मैं समझता हूं कि ऐसा काफी जगह हो रहा होगा और हो रहा है बराबर।

डी. आर. डी. ए. के माध्यम से जो सड़कें बनाई जाती हैं, जैसा कि आप पहले कह रहे थे कि डब्ल्यू बी. एम. तो डी. आर. डी. ए. से बनवा दें, उसके पश्चात् हम डामर सड़क बनाने की मंजूरी जारी कर देंगे, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जालोर जिले के अन्दर, और बाकी जिलों के अन्दर भी, दो-दो साल हो गये डब्ल्यू बी. एम. डी. आर डी. ए. द्वारा बनाई जा चुकी हैं परन्तु उन पर अभी तक डामर बिछाने की मंजूरी नहीं दी है। वह डामर उखड़ गया और सारा पैसा जो वहां लगाया गया वेस्ट चला गया। आवागमन में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो कम से कम आप डब्ल्यू. बी. एम. बनाने के पश्चात् तो शीघ्र सड़क पर डामर बिछाने की कार्यवाही करें, व्यवस्था करें, इसकी मंजूरी दें।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री मगराज चौधरी : थोड़ा-सा है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। थोड़ा-सा का कोई अंत नहीं है आपका। नहीं, अब आप बिराजें। कृपया बिराज जाएं, माननीय सदस्य। आप बहुत लम्बा बोल रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री मगराज चौधरी :....एक सड़कों के बारे में जो अनावश्यक रूप से देरी हो रही है ठेकेदारों के मौके पर नहीं आने के कारण से, काम शुरू नहीं करने के कारण से या और किसी कारण से, उससे भी अनावश्यक खर्च बढ़ता है और बिछा हुआ मैटीरियल बेस है वह भी उखड़ जाता है। डबल वे बनाने के पश्चात्, सड़क स्वीकृत होने के पश्चात् जल्दी से जल्दी सड़क बन जानी चाहिए। ठेके को बार-बार बदलने की भी मैं समझता हूं जरूरत नहीं है। अगर ऊंची रेट है तो नेगोशिएशन करके उसको तय करवाइए, पर अननेसेसरी खर्च बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है।

इसके अलावा मिसिंग लिंक्स हैं। एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने वाली रोड तो बन गई है, इसमें कोई टुकड़ा बीच में ऐसा है जहां सड़क नहीं बन पाई है, मिसिंग लिंक है। वह अगर आप नहीं बनाते हैं तो अन्तरजिला सड़कों का पूरा उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार की सड़कों के बारे में स्वीकृति आपको जारी करनी चाहिए।

(श्री मगराज चौधरी)

कुछ दर्शनीय स्थानों और धार्मिक स्थानों को जोड़ने वाली सड़कें भी हैं। जैसा कि आपने पहले कहा, तीन किलोमीटर तक की सड़कों की तो मैं स्वीकृति दे दूंगा मगर तीन किलोमीटर का हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा स्थान है, बड़ा स्थान है, साथ में गांव के लोग आते जाते रहते हैं, रमणीक स्थान है तो तीन से लगाकर पांच किलोमीटर तक की सड़कों की मंजूरी आपको दे देनी चाहिए।

अब रहा सवाल जालौर जिले की सड़कों की हालत के बारे में। जालौर जिले में जैसा आपने देखा होगा, आप तो कई बार वहां पधारे हैं, कि अरावली पहाड़ का सारा पानी पाली जिले से होकर जालौर जिले में आता है। दुर्भाग्य से अधिकतर पानी मेरे आहोर तहसील का जो क्षेत्र है उसमें से बहकर आगे जाता है, जाकर लूणी नदी में गिर जाता है और बड़ी भारी तबाही मचाता है। वहां सड़कों पर डामर वैसे भी बड़ी हलकी करते हैं, घटिया बनाते हैं और फिर बनाने के पश्चात् बड़े वेग से पानी जब चलता है तो और टूट जाती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि उन सड़कों की आप मरम्मत कराएं। वैसे तो मरम्मत के नाम पर जितना कुछ कहा जाए, थोड़ा है, सारे जिलों के अन्दर, मगर कुछ ऐसे विशेष पाकेट्स हैं, जिले हैं, जहां पर आपको ध्यान तत्परता से देने की जरूरत है।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप थोड़ी क्वालिटी सुधारिए, धनराशि का उपयोग कीजिए और भेदभाव के आधार पर सड़कें जो आप स्वीकृत कर रहे हैं वह बंद करिए। जालौर जिले के अन्दर सबसे कम सड़कों की स्वीकृति आपने मेरे क्षेत्र में की है। जहां-जहां कांग्रेस के विधायकगण थे, वहां-वहां आपने कम सड़कों की स्वीकृति दी और जहां-जहां बी. जे. पी. के विधायकगण थे....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजें। कितनी बार आपसे निवेदन करूंगा? अंकित नहीं हो रहा, अंकित नहीं होगा। बार-बार अवहेलना कर रहे हैं। श्री नाथूराम अहारी, एक मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री मगराज चौधरी : × × ×

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 21 रोड एवं पुल के बारे में अपनी बात बताऊंगा। महोदय हमारे डूंगरपुर जिले में रोडों की हालत अत्यन्त खराब है। वहां जो मेंटीनेंस का पैसा आता है वह सारा का सारा अस्थाई कर्मचारियों के पेमेंट में खर्च हो जाता है और पैचवर्क नाम की कोई चीज नहीं है। सारे के सारे रोड खराब पड़े हैं। वहां के रोडों की गिनती मैं नहीं बताता हूं लेकिन मैं कभी ऐसी आशा तो नहीं करता था। एक बार अगस्त में मंत्री महोदय के यहां चला गया, अतिवृष्टि के समय में। 1994–95 में टूट गई थी, केवल दो किलोमीटर की रोड है। आपने फट से मुझे बुलाया, एक अप्लीकेशन दी और उस पर

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नाथूराम अहारी)

लिखा कि माननीय सदस्य का रोड, सात दिन के अन्दर जो काम करें उसकी सूचना उनको दे दें। बस यह लिखकर दे दिया। इसके बाद आज 1998, आज तक उस पर काम कुछ नहीं हुआ, बिलकुल नहीं हुआ। अभी कह रहे थे पंचायतों को जोड़ने के लिए, मैं नाम गिनाऊं, मातूंगावाला जुड़ा हुआ है, मेहताली जुड़ा हुआ है, पीपल्दा जुड़ा हुआ है। पांच पंचायतें नहीं जुड़ी थीं, उसमें से केवल दो जुड़ी हैं और तीन तो यथावत अभी पड़ी हैं, जैसे बोजाता, वैसी की वैसी पड़ी हुई है, इसी तरह लोलकपुर, वैसी ही पड़ी हुई है। जितने भी रोड हैं, वे सारे कांग्रेस के टाइम से जुड़े हुए हैं और आप कहते हैं कि बी. जे. पी. के राज में जुड़े हैं। आप गिनती कर लें। मेरे एरिये में केवल तीन या चार पंचायतें हैडक्वार्टर से जुड़ी हैं, वे सारी पहले से जुड़ी हुई थीं। यह जो आप दुहाई देते हैं कि बी. जे. पी. के राज में हमने यह सारा कर दिया, + + + बातें करते हैं। मैं तो कहता हूं कि सरकार को फेल करने के लिए सारे सदस्य बैठे हैं वही हैं और कोई नहीं, क्यों? क्योंकि प्रशंसा करते हैं कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बंटाधार हो रहा है, वह भी अच्छा हो रहा है। यहां सीनियर मिनिस्टर्स हैं, सीनियर लोग बैठे हुए हैं लेकिन आपको डार्क में रखने वाले ये लोग ही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब हम साथ जाते है तो कहते हैं कि बंटाधार हो गया और यहां प्रशंसा करते हैं, क्या मतलब है? मैं तो कहता हूं कि इन सारों को अनुभव ही नहीं है। यहां कोई सीनियर मिनिस्टर सीनियर सदस्य, बोलता है, उसका भी + + + उड़ाते हूं। इनको पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं, इनको ध्यान ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मेरे आदमियों को ढूंढ-ढूंढ कर निकाला है कि इनका + + + हो जाए, यह करने बैठे हैं। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए।

आप तो जिलों में घूमते भी हैं, मैं कहता हूं कि जितने रोड बनाए हैं कांग्रेस के राज में, इनकी क्वालिटी देखिए, कब बने हैं, बिलकुल टूटे नहीं है। आप रोड बनाते हैं तो पांच महीने में डामर करने पर भी टूट जाता है। कहते हैं कि खूब पैसा खर्च कर दिया। यह बिलकुल + + + बात है। आप रोडों की क्वालिटी के बारे में ध्यान दीजिए। रोडों की हालत बहुत खराब है। आप पैसा नहीं देते हैं। कोई बात कहते हैं तो कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो काहे को + + + पैसा नहीं है तो आप जो भी काम होने चाहिए उसको मुस्तैदी से कीजिए। आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो जनता-जनार्दन की बातें सुनने के लिए बैठे हैं। मैं समझता हूं कि बी. जे. पी. का माइण्ड है वह माइण्ड बिलकुल एकतरफा है। ये जो कुछ प्रशंसा करते हैं सारे के सारे, मैं समझता हूं कि इनको पैसा दिया है और इन्होंने ठेकेदारी की है।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आप सड़कों की बात कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री नाथूराम महारी : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप रोडों के बारे में खूब ध्यान दें । पुलिया बहुत निर्माणाधीन पड़ी हुई हैं

एक बात जरूर कहूंगा कि दो साल पहले मेरे यहां कुछ पुलियाएं जरूर बनाई गई हैं । जो बनाए हैं सो बनाए हैं लेकिन दूसरी सारी बातें हैं वे सब झूठी हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि हमारी जितनी भी पुलियाएं हैं, मैं नाम नहीं गिनाता हूं, सारी की सारी लिखी हुई हैं, आप बार-बार मुझे संकेत कर रहे हैं कि मैं नहीं बोलूं लेकिन मुझे इजाजत दें तो मैं उन रोडो नाम बोल दूं ।

गोकुलपुरा मे उडवालिया 32 किलोमीटर है, यह मेरे समय में मंजूर हुई थी, उसमें दो किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ी है । इसी तरह हथाई से पालाथूर, यह पंचायत हैडक्वार्टर का रोड है, मंजूर है । गिट्टी तोड़ी है पर अभी ज्यों का त्यों पड़ा है । इसी तरह खजूरिया से तोरांणिया, वह मेरे टाइम के अन्दर मंजूर की थी, कांग्रेस के राज में की थी, अभी वैसी की वैसी पड़ी हुई है । रामपुर से काली होबड़ी, वह भी अभी तक नहीं बना है । सेरावड़ा से पालपाडर, वह भी अभी पूरा नहीं हुआ है । माण्डवा से पाण्डेश्वर, वह भी कुछ नहीं हुआ है, न के बराबर है । कहारी से डोजा यह जो है वह लगभग 15–20 साल होने को आ गए उस रोड का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है । आसेड़ा से मनकूड़ा, उसमें तीन किलोमीटर डामरीकरण हुआ है, उसका पूरा का पूरा पड़ा हुआ है । उसमें सात पंचायतें आती हैं, वह भी नहीं हुआ है । खेड़ा कछुआसा से आमरी सात किलोमीटर, वह भी वैसा ही पड़ा हुआ है । इसी तरह मोडवारिया पुल, पालूखामड़ा पुल, लोलकपुर पुल, मंभालिया ताला के नीचे डेसुमना पुल, रतनपुरा से फूटी तलाई तोराणिया पुल और देवरखाज, दूध की डेयरी के पास, ये पुल निर्माण करने बहुत जरूरी हैं, यह मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं । जिस तरह मेरा टाइम खतम हुआ है, मेरा तो खतम हुआ है लेकिन आप लोगों का भी हुआ है इसलिए जितने टाइम आप रहें, उतने टाइम अच्छा काम करें । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा, अपने इलाके की बात ही कहें ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अपने इलाके की ही कहूंगा और इलाके की नहीं कहूंगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का जो विभाग है वह सार्वजनिक निर्माण विभाग है । बहुत ही उत्तम विभाग है और इस उत्तम विभाग के उत्तम ही मंत्रीजी विराजमान हैं यहां पर । आज प्रत्येक गांव का विकास अगर किसी के द्वारा होता है तो वह सड़क के द्वारा होता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, यही बताऊंगा कि आपने विभाग के अन्दर वास्तव में जो कार्य किए हैं वे सारे कार्य सराहने योग्य हैं लेकिन भ्रष्टाचार तो आपसे मिटा नहीं है विभाग का । अब उसमें कारण क्या है यह तो आप जानें, आपका डिपार्टमेंट जाने । मेरा तो आपसे

(श्री रामस्वरूप मीणा)

यह कहना है कि मेरी दो-चार रोडें हैं, मेरे लिए कोई नई रोड आप मत दो। नहीं दोगे, मैं जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : भ्रष्टाचार की जड़ बहुत पुरानी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां तो उन जड़ों को खतम कराओ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इन्होंने यह घोषणा की थी कि इस विभाग में भ्रष्टाचार खतम करके छोड़ूंगा, क्यों नहीं इन्होंने भ्रष्टाचार को अब तक खतम किया? जितने भी अधिकारी पकड़े जाते हैं उनमें कितनों के खिलाफ कार्यवाही की? क्या कारण है उसके पीछे? आप ईमानदार हैं तो फिर बेइमानों को क्यों नहीं पकड़ते हैं? हम तो तंग हो जाते हैं कई बार। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सबसे पहले इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसकी जड़ों को खतम करें। आज उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है इसलिए आप विभाग खतम मत कर देना, जड़ खतम कर दो इस भ्रष्टाचार की। अब मैं अपनी उसी जगह आता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में आप नयी सड़क मत दो, लेकिन कम से कम एक मेहरबानी करो। आप मेंहदीपुर बालाजी पधारे थे, उस समय आपके लिए बहुत बढ़िया मंच बना था। उस समय आपने घोषणा की थी, यह इतनी बड़ी भीड़ बालाजी की जिसमें 3–3 घण्टे तक इन्तजार करना पड़ता है, मैं घोषणा करता हूं आपका बाइपास बना दिया जाएगा। आज तक बाइपास का काम चालू नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्षजी, आप भी पधारे हो, वहां पर बड़ी भीड़ रहती है, कई बार मंदिर के सामने एक्सीडेंट हो गए, लेकिन वह बाइपास अभी तक नहीं बना है। मुझे आपकी वाणी पर विश्वास है, आपने हनुमानजी महाराज के पावन तीर्थ-स्थान के ऊपर जो बोला है उसको कम से कम आज सदन के अन्दर ही घोषणा करेंगे कि कितने दिन के अन्दर आप बना देंगे।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि टोडाभीम से श्रीमहावीरजी जो जैनियों का महान तीर्थ स्थान है, उसके लिए आपने सड़क टोडाभीम से पहाड़ली तक बनवा दी, उधर महावीरजी से शेखपुरा तक सड़क बनवा दी। मात्र डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा बीच में रहा है। उसका ठेका भी आपने दिला दिया, लेकिन डेढ़ साल हो गए वह ठेकेदार ही पता नहीं कहां गायब हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : वह ठेकेदार कहीं आपका मिलने वाला तो नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा मिलने वाला नहीं है, माननीय मंत्रीजी का मिलने वाला था इसलिए उसको इतना घमण्ड है। आज तक उसका काम नहीं किया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नाम क्या है?

श्री रामस्वरूप मीणा : पहाड़ली से शेखपुरा, ठेकेदार का नाम है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। वह क्यों सड़क बनाएगा? मेरा आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि उस ठेकेदार को हटाओ और

(श्री रामस्वरूप मीणा)

दूसरा ठेकेदार नियुक्त करो। इतनी बड़ी सड़क जो आपने बनायी है उसको मात्र डेढ़ किलोमीटर के कारण यात्रियों को क्यों परेशान कर रहे हो ?

मेरा तीसरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हमारे विधायक कोटे से दो-तीन सड़कें हमने दी थीं, लेकिन बड़े दुःख की बात है कि हमने विधायक कोटे से पैसा दिया उसके बावजूद भी विधायक कोटे का पैसा आज तक संपूर्ण नहीं हुआ है। वह पैसा लैप्स हो जाता है, लेकिन सड़क पूरी नहीं हो पाती हैं। आप जांच करा लो। हमारे कोटे के पैसे की तुरन्त कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : दो पाइन्ट हैं। यह मेरे टोडाभीम का मामला है मैंने आपको बताया है, अब मैं आपको नादौती तहसील का मामला बताता हूं। हमारा गढ़मोरा महान तीर्थ स्थान है जिसके लिए नादौती के लिए सड़क है। आपने दो टुकड़े बना दिए। 40 साल से सड़क रूक रही थी उसको आपने पूरा करा दिया, इसके लिए धन्यवाद है। मैं आपकी सेवा में एक बार लोगों को लेकर हाजिर हुआ था, उसका काम तुरन्त आपने दो महीने के अंदर करा दिया। लेकिन गढ़मोरा के लिए दो जगह आपकी सड़क अभी अधूरी पड़ी हुई है। आप मेहरबानी करके नेशनल हाइवे से आण्डारेज से इसको जोड़ें। मात्र दो किलोमीटर के कारण यह पूरी सड़क नादौती को डाइरेक्ट हो जाएगी। श्री महावीरजी को जाने वाले लोग डाइरेक्ट जा सकेंगे, इतना बड़ा 50 किलोमीटर का चक्कर लोगों का बच जाएगा। इसलिए आप आण्डारेज से सीधी नादौती होते हुए श्रीमहावीरजी को जो रोड आयी है उसको पूरा कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : कृपया उसको पूरा करें। इसके साथ-साथ....

श्री उपाध्यक्ष : कभी–कभी तो आप राजी-खुशी बैठ जाया करो।

श्री रामस्वरूप मीणा : पांच सड़क और हैं जिनका काम अधूरा है। कृपया आप उनके काम को पूरा करें मात्र डामर घट रही है, आपसे निवेदन है कि आप डामर की करें। आपने समय दिया उसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मांग संख्या 21–सड़क एवं पुल की चर्चा में भाग लेते हुए मैं माननीय शेखावत साहब और पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री चतुर्वेदी जी का आभार व्यक्त करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की जानकारी जनता पार्टी के शासन में 1977 में हुई। उससे पहले सड़कों का नाम नहीं था। 1977 के अंदर जैसे ही जनता पार्टी का शासन आया सड़कों का निर्माण चालू हुआ और वर्तमान में जो सरकार चल रही

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

है उसमें तो सड़कों का निर्माण इतनी तेज गति से हुआ कि सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़ गए हैं। आपके कुशल नेतृत्व के द्वारा, वित्तीय प्रबंधन के द्वारा सड़कों पर जो खर्च होता है वह पर्याप्त है और अच्छी क्वालिटी की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में जो-जो भी सड़कें निर्मित हुई हैं उनका कार्य बहुत ही मजबूत है, अच्छा है। कुछ सड़कें शेष बची हैं जिनमें डामरीकरण का काम बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है। उनमें पंचायत मुख्यालय हैं सादी, उण्डवा, चोगावड़ी, रघुनाथपुरा, लालास, सोनगर, सोमरवालो का खेड़ा, यहां सड़कें शेष बची हैं। कुछ मिसिंग रोड हैं, इनके बन जाने से सारा काम सुविधाजनक हो जाएगा। 150 किलोमीटर लम्बी सड़क है चित्तौड़ से पाली, लेकिन उसके अंदर दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर के टुकड़े अलग–अलग जगह पर छूटे हैं। उनमें हैं बूढ़ से बालोटा की खेड़ी, ऊंचा से पहुवा दो किलोमीटर, रेवाड़ा से भीलवाड़ा की सीमा तक तीन किलोमीटर, यह 10 किलोमीटर सड़क बन जाए तो 150 किलोमीटर सड़क मार्ग का उपयोग अच्छे तरीके से हो सकेगा और आवागमन के साधन अधिक बढ़ेंगे। मिसिंग रोड में है बोलो का सांवता से गंगरार, जो पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ता है, अडाना से भीमगढ़ है, इस प्रकार की कुछ सड़कें शेष हैं उनकी भी आप स्वीकृति दिलाएं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : एक मिनट और लूंगा। एक विशेष सड़क है कोटा से चित्तौड़ और भीलवाड़ा को जोड़ने वाली विश्राम कुटीर गंगरार से बस्सी की सड़क। यदि यह 16 किलोमीटर का टुकड़ा बनता है तो चित्तौड़ और भीलवाड़ा के अंदर जो एक्सीडेंट होते हैं उनका भी बचाव हो जाएगा। यह 16 किलोमीटर का टुकड़ा बनने के बाद इन ट्रकों को जो 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी के लिए जाना पड़ता है वह नहीं जाना पड़ेगा, डीजल और किराये की भी बचत होगी।

चुन्नीलाल जी का क्षेत्र और मेरा क्षेत्र नजदीक है। अभी एक यज्ञ भी हुआ था साडास के पास में। वहां पर एक पुलिया निर्माण बहुत जरूरी है साडास के पास में बेडच नदी पर यदि साडास से कोई आदमी बेगूं क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसको 30–35 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है जबकि वह पुलिया बन जाए तो आधा किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। मंत्रीजी जब यज्ञ में पधारे थे, मैं भी गया था। उस समय लोगों की विशेष मांग थी और हमने उनको आश्वासन भी दिया था। इस अवसर पर मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि यह कार्य हो जाए तो बहुत अच्छा होगा।

अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चित्तौड़-कोटा मार्ग को चौड़ा करने की योजना चल रही है, सर्वे चालू है। बलदरखां के अंदर गांव से होकर जो सड़क जा रही है, आए दिन वहां एक्सीडेंट होते हैं। एक तरफ पहाड़ी है दूसरी तरफ एग्रीकल्चर लैण्ड है। लोगों का यह मानना है कि पहाड़ी की तलहटी के किनारे–किनारे

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

यदि सड़क बनती है, बाईपास बनता है तो एक्सीडेंट के चांस कम होंगे ।

अंत में एक प्रमुख समस्या है । राशमी मेरा गांव है, निवास स्थान भी है और तहसील हैडक्वार्टर भी है । भीलवाड़ा से चित्तौड़ और कपासन जाने वाला मार्ग उसी तरफ से निकलता है । लेकिन उस गांव में जो सड़क निकलती है वह मात्र 10 फीट चौड़ी है, वहां से एक ट्रक या बस एक समय में निकल सकती है । यह ज्यादा से ज्यादा एक किलोमीटर की दूरी है । यदि एक ट्रक खराब हो जाए या बस खराब हो जाए तो सारा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और कई घण्टों तक आवागमन बंद रहता है । बाईपास का काम पूरा हो चुका है, डामरीकरण करना शेष है । यह डामरीकरण हो जाए, इसके लिए दो-तीन लाख रुपये स्वीकृत कर दें तो वह बाईपास चालू हो जाए । आपने समय दिया, धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल । दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : हमारा ही नम्बर दो मिनट के लिए आता है । बहुत कम तो हम बोलते हैं और बार-बार इन्टरफियर हम करते नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आधा मिनट तो आपने खुद ने ही पूरा कर लिया ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज किसी भी क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए आवागमन के साधन मुख्य हैं । माननीय मंत्री महोदय, क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी के अंदर तो आपने इतने हजार किलोमीटर सड़कें बना दीं, सब कुछ बना दिया, लेकिन क्वालिटी के मामले में आपकी सड़कों के निर्माण का जो स्तर है वह दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है, घटिया है । इसका एकमात्र कारण ठेकेदार है । ठेकेदारों की इतनी संख्या हो गई है, कि जिस तरह किसी सीट के लिए 10 हजार बेरोजगार आदमी पहुंच जाते हैं उसी प्रकार ठेकेदारों की आज इतनी बहुतायत हो गई है जब वे ठेका लेते हैं तो यह नहीं देखते कि इस काम का हमको फायदा है या नुकसान है । इसके साथ-साथ आपके कुछ कर्मचारी सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता वे भी ठेकेदारी में पार्टनरशिप करने लग गये । खैर, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि आपको अपनी बात समाप्त करनी है । मेरा तो आपसे निवेदन है कि गंगापुर पंचायत समिति में 32 ग्राम पंचायतें थीं, 1975-76 में हमने 13 ग्राम पंचायतों को मुख्यालय से जोड़ दिया था और 1988 में 32 ग्राम पंचायतों में से 30 ग्राम पंचायतों को मुख्यालय से सड़क से जोड़ दिया था । जोड़ने का मतलब यह कि उनकी स्वीकृति निकल गयी थी । मुझे अफसोस तो आज तक इस बात का है कि सन् 1988 में जो स्वीकृति निकली ग्राम पंचायत मुख्यालयों की, 1989 के अन्दर उनकी वित्तीय स्वीकृति निकली, उनकी मंजूरी के लिए कार्यवाही हुई, ठेके भी हुए लेकिन आज 1998 जा रहा है, आज तक वे सड़कें पूरी नहीं हुई हैं । बार-बार विधान सभा में प्रश्न उठाता हूं, एक जवाब मिलता है कि

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

डिसपुट है। मैंने यह कहा कि डिसपुट है तो हम उसका समाधान करेंगे, रेवेन्यू अधिकारी को साथ लेकर जाएंगे। 1988 में जो सड़कें मंजूर हुई हैं उनमें एक ग्राम है मोचा, एक ग्राम है बूचोलाई और एक ग्राम पंचायत मुख्यालय है सलेमपुर, ग्राम पचायत मीनापाड़ा से तलाबड़ा। आपने भी कहा था 1996 में मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्रश्न पर कि सात विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मीनापाड़ा से लेकर नारायणपुर टकवाड़ा की सड़क मंजूर हुई थी। मिनिमम नीड प्रोग्राम में, जे.आर.वाई. में और ई. ए. एस. में, यानि जितनी भी योजनाएं लागू हुई हैं अब तक सारी की सारी उस मीनापाड़ा से लेकर नारायणपुर की सड़क के ऊपर स्वीकृति के रूप में निकल गयीं। नतीजा क्या निकला? वही ढाक के तीन पात। आज भी उसकी स्थिति वही है। खैर, मैं तो धन्यवाद देता हूं, आपके विभाग ने तो कुछ नहीं किया इसके अन्दर लेकिन तत्कालीन कृषि मंत्रीजी ने कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से 40 लाख रुपये की जाते-जाते स्वीकृति निकाल दी। यह अच्छा हुआ। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपने नहीं कराया, आपने तो हुडको के माध्यम से मेरे को तीन सड़कें दीं लेकिन दु:ख तो इस बात का है कि दो सड़क तो मेरी पूरी हो गयीं और एक सड़क पर ऐसा ठेकेदार सांप बनकर बैठा है कि जिसने वर्क आर्डर तो ले लिया हिंगोटा–मिर्जापुर से लेकर मोतीपुरा तक हरणिया तक का लेकिन वह काम नहीं करता। वह भी इसी बी. जे. पी. का है। सरपंच है गूजरबड़ोदा का। खैर, यह तो आपका विषय है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 1995-96 में गंगापुर के अन्दर 440 किलोमीटर बरसात हुई, अतिवृष्टि हुई। 295 में मैंने जो आपका ध्यानाकर्षण किया था उस सम्बन्ध में आपने मेरे पास एक टिप्पणी भेजी है कि वास्तव में गंगापुर के अन्दर एक दिन में 440 किलोमीटर बरसात हुई जिसका नतीजा हुआ कि राजपथ नम्बर दो, ताजपुर और चूली का नाला उस रोड से ऊपर से निकल जाता है और प्रति वर्ष जाता है। अगर 100 किलोमीटर बरसात भी होगी तो भी निकलकर जायेगा, 150 होगी तो भी निकलकर जाएगा। स्थिति यह है कि मुख्य रोड होने पर भी, गंगापुर से हिण्डौन तक की वह मुख्य सड़क है, वह हर साल बिलकुल बह जाती है। तो मेहरबानी करके इस सड़क को, जैसा कि आपके

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पास प्रस्ताव भी आ चुका है, इसके ऊपर कम से कम आप सीमेंट रोड तो बना दीजिये।

इसके साथ-साथ, मंत्री महोदय, आपने बाईपास की घोषणा की थी और इसके लिए मैंने आपको धन्यवाद भी दिया था। काम भी चालू हो गया, अर्थवर्क हो गया, डब्ल्यू. बी. एम. वर्क हो गया लेकिन जगह-जगह अब भी रुक रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि उन किसानों को हर्जा अब तक नहीं मिला। किसानों को मुआवजा अब तक नहीं मिला जिसके कारण से गत 8 महीने से वह सड़क बंद पड़ी हुई है, बाईपास बंद पड़ा हुआ है। इसलिए मेहरबानी करके आप मुआवजा दिलवाने का कष्ट करें। जिस बाईपास के लिए धन्यवाद दिया, पुन: मैं आपको धन्यवाद दे दूंगा पर उसका निर्माण कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ करा दें।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जगह-जगह झालावाड़ में, सिरोही में, जालौर में, पाली में, जैसे अभी माननीय सदस्य आपको धन्यवाद दे रहे थे कि हमारे पुलों का इतना आपने निर्माण कर दिया। सवाई माधोपुर जिले में, खास तौर से गंगापुर और हिण्डौन के बीच में गम्भीर नदी पड़ती है। क्या गुनाह किया था? गम्भीर नदी पर पुल के लिए कितनी आवश्यकता आप महसूस करते हो? आप भी कभी-कभी जब जाते हो करौली, क्योंकि करौली और पास के गांवों में आपका पारिवारिक रिश्ता है, आप भी जब जाते हो तो आप भी महसूस करते हो। आज स्थिति क्या है? जैसे अभी पाचना का आया था, चार महीने तो बरसात में बिलकुल बंद रहता है, रास्ता चालू ही नहीं होता और कभी पाचना से पानी निकालना हो गम्भीर नदी से होकर ही निकालना पड़ता है। इसलिए मेहरबानी करके इस गम्भीर नदी का पुल है, कैसे ही बना दीजिये इसे....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : इसलिए मेहरबानी करके आप इसको बनवा दीजिये। इसके साथ-साथ गंगापुर का एक राजपथ नम्बर दो, जो कि डाक-बंगले जाता है। वह तो भला हो गंगापुर ए. डी. जे. कोर्ट का जिसने कुछ टुकड़ा तो आदेश देकर बनवा दिया। लेकिन कुछ टुकड़ा जो आपका है डाक बंगले का बाकी है। वह आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग में ही है, गंगापुर नगरपालिका में नहीं है। इस बात का अच्छी तरह से विचार कर लीजिये, आपके सामने स्थिति आ जायेगी कि वास्तव में वह रोड नगरपालिका की नहीं है। इतना अर्सा हो गया मुझे विधान सभा में आते हुए गंगापुर से, लेकिन आज तक उस रोड को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ही बनवाया है, नगरपालिका ने आज तक नहीं बनवाया है। इसलिए मेहरबानी करके आप सार्वजनिक निर्माण विभाग में ही उस रोड को भी मानते हुए निर्माण करवा दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवानी जोशी।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-21 पर सदन में चर्चा हो रही है। इसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि बांसवाड़ा जिला जनजाति बहुल क्षेत्र है, उसमें आपने जो सड़कों का जाल बिछाया है उसके लिए बांसवाड़ा की जनता और हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। वर्षों से कांग्रेस के शासन में बेणेश्वर धाम में पुल का निर्माण नहीं कर सके, उस पुल का आपके समय में निर्माण हुआ। आपने कहा था कि इस समय निर्माण हो जायेगा और उस समयावधि के अन्दर निर्माण हुआ, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी भी बांसवाड़ा की भौगोलिक परिस्थिति से बिलकुल परिचित हैं। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात से सटा हुआ है। दुर्भाग्य कहें उस बांसवाड़ा का कि बांसवाड़ा का जो प्रतिनिधित्व करते थे वे एक बार नहीं, तीन-तीन बार मुख्य मंत्री रहे और उदयपुर सम्भाग का शासन इस राजस्थान में 35 वर्षों तक रहा लेकिन बांसवाड़ा कभी रेल्वे लाइन से नहीं जुड़

(श्री भवानी जोशी)

पाया। बांसवाड़ा न हवाई सेना से जुड़ा हुआ है, न रेल्वे लाइन से जुड़ा हुआ है, बांसवाड़ा जुड़ा हुआ है तो सिर्फ सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि स्टेट हाईवे नम्बर 12 जो चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और मोनारोडूंगर तक है, उसको फोर लेन का किया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे नम्बर 8 जिस पर उदयपुर से रतनपुर तक ट्रैफिक का दबाव बहुत है, इसके होते हुए इसको कीर की चौकी से सलूम्बर, डूंगरपुर, सीमलवाड़ा होते हुए अरथूना तक जोड़ने की स्वीकृति दें जिससे हमारे यहां के लोगों के लिए बड़ौदा, सूरत और बम्बई की दूरी कम हो जाती है। यह प्रयास करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है और रतलाम और बांसवाड़ा का मार्ग बहुत ही खराब स्थिति में है। रतलाम से दानपुर तक तो बिलकुल ही सड़क खराब है। वहां के मुख्य मंत्री तीन बार आये, तीन बार घोषणा कर गये कि रतलाम से दानपुर की सड़क मैं तत्काल बना दूंगा लेकिन वह आज तक बन नहीं पायी। तो मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि राजस्थान की जहां तक सीमा है, दानपुर, बांसवाड़ा और इधर डूंगरपुर और अहमदाबाद को स्टेट हाई-वे के रूप में स्वीकृति प्रदान करें। माननीय मंत्रीजी से एक और निवेदन करना चाहता हूं, माही का पुल जिसको करोड़ों रुपये खर्च कर बनवाया गया, उसका ठेकेदार के नाम से नामान्तरण किया गया। जैमन पुल के नाम से जाना जाता है, मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इसको महाराणा प्रताप सेतु के नाम से नामान्तरण करना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा में आपने बहुत पुल बनाये और अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में जन्तोड़ा पुल की आपने स्वीकृति दी। वह अधूरा बन चुका है लेकिन मुझे आपके अधिकारियों ने यह बताया कि कोई टैक्नीकल समस्या के कारण उसकी नई स्वीकृति फिर से लेनी पड़ेगी। तो मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि उसकी नई स्वीकृति दी जाए। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल बैरवा। जल्दी-जल्दी समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि टौंक प्रॉपर में एक सड़क आपने सौन्दर्यीकरण के नाम पर बनाई थी। सड़क बहुत अच्छी बनाई थी आपने लेकिन उसके बनते बनते उसका + + + करने के लिए आपने कैसे इजाजत दे दी हमारे चेयरमैन को? उसमें कहां आपको डिवाइडर की जरूरत पड़ गई थी? टौंक के अन्दर ऐसा कौनसा रश था? कम से कम छह फीट तक तोड़ना पड़ा और रास्ता बीच में तंग कर दिया। इस तरह आपने जो अच्छा काम

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

किया था, उसके ऊपर आपके ही लोग, आपके ही कार्यकर्ता पानी फेरते जा रहे हैं, एक तो यह मुझे आपसे निवेदन करना था।

दूसरा, पहले नेशनल हाई-वे टोंक सिटी में से निकलता था तो छावनी से लेकर बड़े कुएं तक जो स्थिति है वह बहुत कंजस्टेड थी। आज भी बरना तलाई से बड़े कुएं तक की जो स्थिति है उस सड़क के अन्दर खड्डे पड़े हुए हैं। अब वह नेशनल हाई-वे तो रहा नहीं है, अब तो स्टेट की सड़क हो गई है, एक तो उसको दिखवाइये, उसकी हालत बहुत खराब है। मैं टोंक क्षेत्र के बारे में बात कहना चाहता हूं कि सीतारामपुरा एक गांव है मंडावर के पास में, 4000 की पापुलेशन उसकी कब की हो गई है। उसकी मंजूरी दीजिये ताकि वहां काली मिट्टी से लोगों को जो परेशानी है उसका समापन हो सके। इसी तरह से दोताना बरोनी बड़ा मसला है उसकी आप मंजूरी फर्माएं।

निवाई के बारे में मुझे आप से खास तौर से निवेदन करना था कि निवाई कस्बे के अन्दर जब आप घुसेंगे तो तीन जगह बड़े डिप्रेशन दिखेंगे सड़क के अन्दर। पहले चूंकि वह नेशनल हाईवे था तो यह समझते थे कि नेशनल हाईवे के हिसाब से बन जायेगा लेकिन अब बाईपास हो गया। आज कस्बे की जो सड़क है उसमें तीन जगह डिप्रेशन हैं–एक तो थाने के पास में, एक निवाई डैम के पास में और एक उससे आगे। तीनों खतरनाक जगह हैं। जरा पानी बरस जाता है तो दो-दो फीट पानी उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है, लोगों को बड़ी भारी परेशानी होती है।

मान्यवर, आपकी नई सड़कों की तो लोगों ने बहुत तारीफ की है लेकिन मैं आपको मेरे क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। माननीय मंत्रीजी से तवज्जोह चाहूंगा, उपाध्यक्षजी, क्योंकि हम लोग सुबह से बैठे हैं, इसी इंतजार में कि माननीय मंत्रीजी को कोई बात कहें और माननीय मंत्रीजी मशगूल हैं दूसरी बातें करने के अन्दर। मंत्री महोदय, अभी तो हमारी सुनो।

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड में आ रही हैं सारी बातें, रिकार्ड हो रही हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं सुन रहा हूं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : रिकार्ड नहीं, हमको तो इनको सुनाना है। इसमें हमारी मुख्य सड़क है बोरखण्डी से मंडावर। यह ऐसी सड़क है जो जनता पार्टी के रिजीम से पहले बनी थी। निवाई से बौली जनता पार्टी के रिजीम से पहले बनी थी। गुंसी से राहोली जनता पार्टी के रिजीम से पहले बनी थी। रजवास, यह जनता पार्टी के रिजीम से पहले बनी थी। बनस्थली से आगे की जो सड़क है यह आपके टेन्योर की नहीं बनी हुई है। मेरा निवेदन करना यह है कि जो खस्ता हालत आज है, उसके बारे में आपको अनेक बार निवेदन कर दिया है, उसको आप दिखवाइये। वहां पर हाथ-हाथ भर के खड्डे पड़े हुए हैं। कहने को तो यह है कि सबकी मरम्मत कर दी जायेगी, ठीक कर दी जायेगी लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा कि उनको ठीक कराना नितान्त आवश्यक है। बनस्थली विद्यापीठ मशहूर है पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर, लड़कियों की बहुत बड़ी संस्था है लेकिन

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

उस वनस्थली विद्यापीठ से हटकर जरा आप थोड़ा-सा पीछे की तरफ जाएं तो आप देखेंगे वनस्थली विद्यापीठ का और इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं हो सकता है। ऐसी बुरी हालत है कि उधर से गुजरना मुश्किल है साधारण हालत के अन्दर और बरसात के अन्दर तो नितान्त असम्भव हो जाता है उधर से गुजरना। वहां पर दूसरे गांव भी हैं–सुनारा है, सुनारी है, चतुर्भुजपुरा है, वहां एक हमारा बहुत अच्छा पवित्र स्थान है देवनारायणजी का मन्दिर। वे तमाम गांव जैसे कि जुड़े हुए नहीं हों, बिलकुल कट-आफ होकर रह जाते हैं। क्योंकि इन दिनों ठेकेदारी के अन्दर वे लोग आ गये जो काम तो जानते नहीं। जो ठेकेदारी करते थे वे चूंकि आज अपनी मैरिट खोना नहीं चाहते, वे तो सिमटकर बैठ गये और जो काम नहीं जानते थे यह देखते हैं कि आज हमारा राज आ गया। ठेकेदारी में नाम एनरोल कराकर तो आ गये लेकिन अब उनसे काम होता नहीं है। वनस्थली बाईपास का काम दिया हुआ है किसी ठेकेदार को, वह काम पूरा नहीं कर पा रहा है। आप क्यों इंटरवीन कर रहे हैं? आप बाद में बोल देना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, सड़क बननी चाहिए, इसमें मैं आपके साथ हूं लेकिन यह जो अतिशयोक्तिपूर्ण बात है कि ठेकेदार बदल गया, वह बदल गया, हमारे यहां कोई आपकी तरह ठेकेदारी नहीं करता है। वह बनेठा की रोड है, बनेठा की रोड, बनेठा-सूतड़ा रोड है.....

श्री बनवारीलाल बैरवा : ठेकेदारी करने वाले लोग थे वे तो सिमट कर इसलिए बैठ गये कि आज क्वालिटी आफ वर्क तो रहा नहीं। आप क्यों वक्त खराब कर रहे हैं?

मान्यवर, नेशनल हाइवे की महत्वपूर्ण सड़क मेरे यहां से गुजर रही है। उसकी कुछ सहूलियतें भी हैं, फायदे भी हैं तो कुछ उससे नुकसानात भी हैं, परेशानी भी है। सोहेला एक ब्लाइंड मोड़ है उसके अन्दर महीने-दो महीने में आप देखेंगे कि दो आदमी, चार आदमी, पांच आदमी मरते रहते हैं। मेरे ख्याल से इस होली के बाद से अब तक 20 आदमियों के वहां पर एक्सीडेंट हो गये होंगे, 20 आदमी मर गये होंगे। मेरा आपसे निवेदन है, मंत्री महोदय, एक सोहेला में भी बाईपास का प्रपोजल करें ताकि हम लोग उस मौत के कुए से निकलकर तो बाहर खड़े हों। जब हम गुजरते हैं तो हमारी बहुत परेशानी है। इस नेशनल हाईवे के ऊपर एक झिलाई मोड़ है....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं जब आपने टाइम बढ़वा लिया है तो....

श्री उपाध्यक्ष : ये दो-दो मिनट का कोई अंत नहीं है, समाप्त करें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : हां, मैं समाप्त ही कह रहा हूं। झिलाई बाईपास आज एक बहुत बड़ा चौराहा है, उसको आपको डवलप करना चाहिए। नेशनल हाइवे के ऊपर अन्नपूर्णा, मेरी बात का इत्तफाक करेंगे,

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

अन्नपूर्णा एक ऐसी जगह है जहां का चौराहा डवलप होना चाहिए। अगर वहां डवलप नहीं हुआ तो किसी भी दिन भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है क्योंकि आजकल उधर से रोडवेज बहुत जा रही हैं। मान्यवर, ये दोनों बातें इसके अन्दर समावेश कर लें। एक हमारा हाईवे के ऊपर पुल बना है। इस पुल के पहले एक फ्रेजर ब्रिज था बनास के ऊपर, वह आजकल काम नहीं आ रहा है लेकिन उसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, हमारी सम्पदा है। मेरी जानकारी है कि उसके पाइप तक लोग उतारकर ले गये। किसी भी दिन अगर कोई गड़बड़ हो तो हमारे लिए वही पुल काम में आएगा, तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था आप करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : रामरिछपाल नुवाल। श्री रामरिछपाल नुवाल, आपका समय जा रहा है, आप बोलिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : दो मिनट में बात समाप्त कर रहा हूं। हमारे यहां कोथून से लालसोट एक सड़क है जो बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, दौसा जिले से मिलती है। इसी तरह से देतवास से एक लिंक रोड है जो भित्रपुरा से मोरेल मिलती है। बरौनी–सिरस रोड है जिस पर लालसोट पुल है। इसके बीच में नदी आती है, मोरेल नदी को पार करना बरसात के अन्दर बड़ा दिक्कततलब होता है। आप उसके ऊपर एक पुल की योजना बनाकर पुल हमको दीजिये ताकि दो जिले मिल जाएं। उसी तरीके से आप जामडोली से बासड़ा के बीच का ढूंढ नदी का टोंक नदी से पुल दीजिये। यहां सांगानेर से डिग्गी तक हम जाते हैं, आजकल बहुत यात्राएं हो रही हैं। कभी बरसात हो जाती है तो कई बार वहां पर लोग बह गये। वहां पर एक पुल अगर आप बनाते हैं तो बड़ी कृपा होगी। मैं मासी नदी की बात कर रहा हूं, मासी नदी के ऊपर एक पुल बना दें, बहुत बड़ी कृपा होगी। अब इसके अलावा कुछ सड़कें हैं, मेरा प्रस्ताव है.....

श्री उपाध्यक्ष : नो नो। आप बिराजिये। आप बैठिये। आप बिराजिये। श्री बैरवा साहब। आप कार्यवाही थोप रहे हैं, माननीय सदस्य। कई बार आपसे निवेदन किया। मैंने दूसरे माननीय सदस्य को पुकार लिया। श्री नुवाल साहब, शुरू करिये आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है। आप सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, टोडारायसिंह में....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बैरवा साहब। बिराजिये, बिराजिये। कृपया बिराजिये। आप विवाद नहीं करें। बैठिये, बैठिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मैं विवाद तो नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बिराजिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। हमें बात तो करने दें।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे मंत्री महोदय को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से भीलवाड़ा के अन्दर एक बाईपास का कार्य प्रारम्भ कर दिया है जो बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। उसकी तीस करोड़ की लागत है। वाकई आप बधाई के पात्र हैं। मेरी 24 पंचायतों के अन्दर सारी पंचायतें डामर से जुड़ी हुई हैं, एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जो डामर से जुड़ी हुई न हो। भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी है और भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। मेरा आज आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि भीलवाड़ा के दोनों साइड के अन्दर, एक साइड के अन्दर कोठ्यारी नदी है, एक साइड के अन्दर बनास नदी है। दोनों पर पुल बने हुए हैं परन्तु वे छोटे, सकड़े बने हुए हैं। ये दोनों पुल थोड़े चौड़े हो जाएंगे तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। नेशनल हाईवे रूट है, यहां से बाम्बे के लिए है, यहां से कलकत्ता जाने के लिए सड़क है, अगर ये दोनों पुल ठीक हो जाएंगे तो काफी बड़ा लाभ मिल जाएगा।

मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन और है, चूंकि भीलवाड़ा एक औद्योगिक नगरी है, यहां पर 25 हजार मजदूर काम करते हैं। उनको फैक्ट्री जाने के लिए पुर रोड के ऊपर बाइपास थोड़ा छोटा बना हुआ है। अगर उस बाईपास को डेढ़ किलोमीटर और बढ़ा देंगे, जहां तक फैक्ट्रियां हैं तो मजदूरों को आने-जाने के लिए काफी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। डेढ़-डेढ़ मीटर दोनों साइडें बड़ी हो जाएंगी तो उसका काफी लाभ होगा। इस ढंग से ये सारी बातें होंगी तो काफी बड़ा लाभ होगा।

ज्यादा निवेदन नहीं करते हुए एक सुझाव मेरा और है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आटूण और बोरड़ा रोड, तीन किलोमीटर है, अगर वह डामर से हो जाए। मजरा गांव है आटूण का। इसी ढंग से कोटूकोटा से छिबियास रोड है, वह भी मजरा गांव है। उनके अन्दर ग्रेवल रोड तो है, अगर डामर रोड हो जाएगी तो बहुत बढ़िया होगा। ये बंधु बोलते हैं हमारे ऐसा काम है, वैसा काम है, भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार का एक प्रमाण आपको मैं देता हूं। अभी हमारे एम. पी. +++ ने अपने फण्ड से वहां से स्वीकृति नहीं आने के बाद भी एक पालड़ी एप्रोच रोड के नाम से सड़क बना दी। एक लाख 48 हजार रुपये उसके ऊपर स्वीकृत हुए हैं जबकि वहां कोई एक व्यक्ति रहता है। केवल वहां के इनके जिलाध्यक्ष हैं.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : +++ का नाम लिया गया है, आप एक्सपंज कराइये। प्लीज, एक्सपंज कराइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : नाम एक्सपंज कराइये आप।

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामरिछपाल नुवाल : देवेन्द्र सिंहजी। देवेन्द्र सिंहजी का बंगला है। देवेन्द्र सिंहजी का बंगला होने के नाते एक एप्रोच रोड बना दी है। उसका भयंकर मिसयूज हुआ है, उसका जबरदस्त मिसयूज किया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करने जा रहा हूं, कि एम. पी. के कोटे से केवल एक व्यक्ति के लिए सड़क बनाई गई है, यह बिलकुल बड़ाबोल है, अन्याय है। ऐसा इंसीडेंट नहीं होना चाहिए, इस रोड को रोकना चाहिए। जिन अधिकारियों ने गलती की है, जो अधिकारी लोग उनके दबाव मे आकर वहां खड़े होकर यह सड़क बनाई है उनको.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी हार नजदीक आ रही है कि एम. पी. साहब का नाम लिया है। इसको एक्सपंज कराएं, साहब। आरोप लगाया है एक आदमी के लिए उन्होंने कि सड़क बनाई है।

श्री रामरिछपाल नुवाल : बिलकुल लिया है।

श्री परसादीलाल मीणा : इसको एक्स-पंज कराओ आप।

अनेक माननीय सदस्य : नो। (व्यवधान)

श्री रामरिछपाल नुवाल : वहां से स्वीकृति नहीं आई है फिर भी डामर रोड की पेवर रोड बना दी है, जो सरासर गलत काम है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : कैसे नहीं कराएंगे। नहीं-नहीं, एक्सपंज करवाओ। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये कह रहे हैं कोई दे सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : नाम लेने में क्या हुआ? नाम लेने से क्या हो गया? क्या हुआ नाम लेने से? नहीं, कोई मिसयूज नहीं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : पहले वाले एम. पी., जो उनके पहले के एम. पी.....

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं, भ्रष्टाचार क्या हो गया? भ्रष्टाचार क्या हुआ इसमें? व्यक्तिगत जैलेसी और व्यक्तिगत राजनीतिक हार से आप इस मंच को माध्यम बनाना चाहते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री रामरिछपाल नुवाल : जबकि पालड़ी एप्रोच रोड पहले बनी हुई है.... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : वह सड़क पहले से बनी हुई थी। आगे काम होकर आगे गांवों में जाती वह सड़क।

श्री रामरिछपाल नुवाल ये बिलकुल सही कह रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : इसकी जांच करवा लें, मंत्री महोदय। एम. पी. के फण्ड को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पालड़ी सड़क पहले बनी हुई है, उस सड़क का आगे काम बढ़ाया है.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : एम. पी. के फण्ड को आप कैसे चुनौती दे सकते हैं? उनको अधिकार है वे कहीं भी काम करा सकते हैं। (व्यवधान)

श्री रामरिछपाल नुवाल : साधारण रोड थी उसी रोड.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की बातें ये कहते हैं, इनको आप बैठा दीजिये अगर ये + + + तो।

श्री रामरिछपाल नुवाल : इन्होंने पैसे का मिसयूज किया है।

श्री रतनलाल ताम्बी : अभी भ्रष्टाचार बताया, अब मिसयूज कह दिया। एक मिनट में बदल जाते हैं। भ्रष्टाचार किस बात का है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाएं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : पी. डब्ल्यू. डी. को पैसा दिया और पी. डब्ल्यू. डी. ने बनाई, भ्रष्टाचार किसने किया ? पूरा पैसा कलेक्टर ने सीधा पी. डब्ल्यू. डी. को दिया ?

श्री रामरिछपाल नुवाल : पूरा पैसा उठा लिया, सड़क नहीं बनी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। माननीय नुवाल साहब, बिराजें। बैठिये आप। कृपया नुवाल साहब, बिराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : भ्रष्टाचार कैसे हुआ ? यह पी. डब्ल्यू. डी. ने पैसा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : भ्रष्टाचार नहीं है, मतलब ज़िलाध्यक्ष की सुविधानुसार काम किया है। (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 21–सड़क एवं पुल पर चर्चा हो रही है। मैं भी आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें कृपया। बैठे-बैठे नहीं बोलें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आपको क्या तकलीफ हो रही थी ? एम. पी. का फण्ड है, आपको क्या है, आप अपने फण्ड से मर्जी आए वहां लगाएं।

श्री रामरिछपाल नुवाल : मुझे तकलीफ यह है पालड़ी एप्रोच रोड का नाम लेकर सड़क बनाई गई है और उनके मकान में डामर रोड हुई। उनके मकान में डामर रोड.... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : वह सड़क पालड़ी गांव के नाम से है, पालड़ी गांव है। पालड़ी गांव के नाम से थी और पालड़ी गांव में जाती है, इसकी जांच करवा लीजिये आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य। माननीय नुवाल साहब, आप बिराज जाएं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, समय बरबाद नहीं करें। श्री अहारी। अहारी साहब, बोलिये।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शंकरलाल अहारी : मैं चौरासी विधान सभा क्षेत्र और सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी हार तो पक्की है।

श्री रतनलाल ताम्बी : वही तो खीझ आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठे-बैठे न बोलें, माननीय सुनिये बात।

श्री शंकरलाल अहारी : हमारे वहां बी. जे. पी. की सरकार की तरफ से नीति की बात की जाती है। उस नीति में कुछ पंचायत हैडक्वार्टर्स की सड़कें खोली थीं लेकिन वे पंचायत हैडक्वार्टर्स की सड़कें अधूरी हैं। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, हरिदेव जोशी की सरकार थी, उस समय हमने पंचायत हैडक्वार्टर्स को तो जोड़ लिया था, इनको हमने मुसीबत दी नहीं है, परंतु हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हम लोगों ने पूर्व में जो सड़कें बनाई हैं, इन लोगों ने उसमें माया का जाल रचाया है। जो सड़क पूर्व की बनी हुई है उसी पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। डूंगरपुर जिले के चौरासी विधान सभा क्षेत्र में जो सड़कें गुजरात बार्डर को जोड़ती हैं, आज उन सड़कों की ऐसी हालत हो गई है कि चलने-फिरने और यातायात के साधनों के चलने-फिरने में आफत हो गई है। पीठ से गुनावड़ा रोड 13 किलोमीटर है, वहां यह स्थिति हो गई है कि बिलकुल डामर उखड़ गया है और यातायात बिलकुल ठप्प हो गया है। लोग वहां से पैदल आते-जाते हैं। फिर सरथूरा रोड से गुजरात सीमा तक तीन किलोमीटर बाकी है, वह शुरू से बाकी है। वह जोड़ने के लिए हमने निवेदन किया था परन्तु आज तक जोड़ी नहीं है। पीठ मुख्यालय की दो किलोमीटर की एक सड़क है, अब हमारे सामने यह समस्या आ रही है कि पीठ मुख्यालय पर पंचायत हैडक्वार्टर और माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब अच्छी तरह जानते हैं कि पीठ से रियाठी निकलती है, पीठ से गुनावड़ा निकलती है, पीठ से सरथूरा निकलती है। अब वे पीठ को ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर तो मानते हैं, परन्तु उसके बीच में से वह निकल रही है और पी. डब्ल्यू. डी. उस दो किलोमीटर को करना नहीं चाहता है। वैसा का वैसा है। अभी चौमासे में चलने-फिरने में काफी दिक्कत है, गड्डे पड़ गये हैं। मेरा अनुरोध है कि उसको ठीक किया जाए। कराबला से नीलकंठ रोड है वह गुजरात बार्डर पर है, गेंजी से बनोणिया वाया चारवाड़ा रोड है वह भी गुजरात बार्डर पर है। वह एप्रोच रोड एवं महूडी-सांसरपुर, झोंतरी से सुराता मातचोकी रोड, गेंजी से डाकणमरिया गुजरात सीमा तक, घांटा से रामसगड़ा वाया गलंदर रोड, एप्रोच रोड माल माता पंचायत हैडक्वार्टर का अधूरा, बिछवाड़ा से तलैया वाया सुन्दावड़ा रोड, उनाली से सागवाड़ा वाया फाल मांडव, डूंगरपुर से देव सोमनाथ, रामपुर से टाडी ओबरी और सिराबाड़ा से पालपादर, हताई से भोजना, डूंगरपुर से पीठ और आंतरी से सवराता। ग्राम लेम्बोड़ा पचायत समिति सागवाड़ा, आश्रम स्कूल, चित्रकूट की जो सड़क है उसके डामरीकरण के लिए सैंक्शन हुई थी परन्तु, माननीय उपाध्यक्षजी, वह

(श्री शंकरलाल अहारी)

अधूरी है। हम आपसे चाहते हैं कि यह पूरी की जाए। डूंगरपुर से बिछवाड़ा एवं आसपुर से सागवाड़ा की सड़कों की स्थिति बिलकुल खराब है। माही पुल के टोल टैक्स की अनुचित तरीके से वसूली की जा रही है।

(20.00)

उपाध्यक्ष महोदय, ये जो टोल टैक्स की बात है उसकी अवधि पूरी हो गई है इसके बावजूद भी ये वसूल करता जा रहा है। न मालूम किस हिसाब से यह वसूली कर रहे हैं ? तत्काल उसको बंद कर देना चाहिए। जो ये सड़कें आपके सामने मैंने पढ़कर सुनाई हैं वे तमाम सड़कें पूर्व की हैं, डामरीकरण किया हुआ था लेकिन अब सड़कों पर गड्डे गिर गये हैं, सड़कें टूट गई हैं। अब नयी सड़कें बनानी की आवश्यकता है। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों मे मांग करता हूं कि विधान सभा चौरासी क्षेत्र सागवाड़ा और डूंगरपुर की जितनी सड़कें टूटी-फूटी हैं उनको पूरा किया जाए। एक आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र में

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मॉडल करके पुलिया है, वह पुलिया अधूरी है। गत वर्ष उसका काम किया था, अधूरा है। उसको पूरा करना अत्यन्त आवश्यक है। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगतार सिंह।

श्री जगतार सिंह कंग (श्रीकरणपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जो सड़कों के बारे में चर्चा हो रही है उसमें शामिल होते हुए निवेदन करता हूं कि सड़कों का टेण्डर होने के बाद ऐसे ठेकेदार आ जाते हैं जो काम को बिलकुल पूरा नहीं करते। वापस दूसरा ठेकेदार बदलना पड़ता है जिसमें लम्बा समय लग जाता है। हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि इस प्रक्रिया को रोकें। ठेकेदार को बहुत जल्दी अपन बदल नहीं सकते और वह काम होता नहीं। पैंडिंग होता जाता है उसके बाद उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। इस तरह से ये एक नयी परम्परा बन गई है कि ठेकेदार कम कीमत पर ठेका ले लेते हैं। टेण्डरों से नीचे काम चला जाता है और ठेकेदार काम को पूरा नहीं कर पाते।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा, माननीय मंत्रीजी को और हमारे चीफ इंजीनियर साहिबान को यह पता है कि ठेकेदारों का कमीशन 20% या 25% और डिपार्टमैंट का कमीशन 10 या 15% है तो जो वहां पैसा लगाता है उसको भी दो पैसे आमदनी चाहिए। इस तरह से उस काम में सारा कमीशन जोड़ने के बाद सड़क की सही कीमत क्या आती है उसमें जोड़कर इनको तकमीना और टैक्नीकल सैंक्शन जारी करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि अगला ठेकेदार प्राफिट ज्यादा लेता है और सड़क के काम की क्वालिटी दिन-प्रतिदिन इतनी नीचे आती जा रही है कि सड़क बनने के 6 महीने बाद ही सड़क टूट जाती है। इसी प्रकार मैं यह निवेदन करूं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ दो डिस्ट्रिक्ट राजधानी जयपुर से जुड़े हुए हैं, अगर एक बार आप सरकारी गाड़ी से भी वहां जाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं गाड़ी आपकी 16 या 17 घंटे में पहुंच सकेगी।

(श्री जगतार सिंह कंग)

रतनगढ़ से सरदारशहर, सरदारशहर से पल्लू और पल्लू से हनुमानगढ़ सड़क का नामोनिशान नहीं है। पिछले 3-4 सालों से हमने कई बार निवेदन भी कर लिया। मैं समझता हूं गंगानगर और हनुमानगढ़ को

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

समझा ही नहीं जा रहा है कि राजस्थान का वह पार्ट हो। इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूं कि हमारे करणपुर में मन्त्रीजी गये थे। इनके जाने पर सड़क के गड्डों को मिट्टी से भर दिया गया और इनके जाते ही जब गाड़ियों का काफीला निकला मिट्टी उड़ गयी और सड़क पर वो ही गड्डे। इन्होंने नीति निर्धारित कर दी कि हम 10 साल पुरानी सड़कों पर रीकारपेटिंग करवाएंगे, बजट में बड़ा लम्बा-चौड़ा प्रोविजन किया है। मगर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर के पिछले साल के रिपेयर के बजट में इन्होंने 95 लाख रुपये कम करके दिये और गंगानगर में इतना कम पैसा दिया जा रहा है जिससे कि रिपेयर तो क्या पैच वर्क भी नहीं हो पाता। हमारी सड़कें जिनको बने हुए 15 से 20 साल हो गये उनका भी रिपेयर में कहीं नम्बर नहीं आता और पैच वर्क नहीं हो पाता है। इसी तरह से सड़क है गजसिंहपुर से पदमपुर, अभी भी वह 8 फुट से 9 फुट चौड़ी बनी हुई है। इतना ट्रैफिक बढ़ गया, साइड में मजदूर कम कर दिये, मिट्टी डलती नहीं है और दो गाड़ियां तो कभी वहां क्रास होती नहीं हैं। 5–7 एक्सीडेंट तो वहां इतने भयंकर हो चुके हैं कि जिनमें 5–5, 4–4 आदमी मौत का शिकार हो गये। इस तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री जगतार सिंह कंग : एक सैकण्ड, साहब। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा बार्डर एरिया है लेकिन नीति के हिसाब से हमें सड़कों की रिपेयर के लिए, सड़कें नयी बनाने के लिए सबसे कम बजट मिलता है। बार्डर एरिया का पैसा आया सड़कों के लिए तो वह भी इन्होंने उधर जैसलमेर और बाड़मेर में भेज दिया। तो मेरा यह निवेदन है कि नीति के हिसाब से गंगानगर का जो हिस्सा बनता है उससे इतनी दयनीय वहां सड़कों की स्थिति है उसको सुधारें। इसी के साथ-साथ जो अभी आया था स्पीड ब्रेकर के बारे में, हम यह नहीं चाहते कि स्पीड ब्रेकर नहीं बनें मगर उनको तकनीकी दृष्टि से सही बनाना चाहिए ताकि आगे जो गाड़ी उससे गुजरती है उसका एक्सीडेंट नहीं हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिनारायण बैरवा। दो मिनट में समाप्त करें, हरिनारायजी।

श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : पांच मिनट तो दो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1994 के पहले विधान सभा क्षेत्र खण्डार में मात्र 10 सड़कें थीं, 1994 के बाद में 47 सड़कों का काम नया चला जिसमें 19 सड़कें डामरीकरण से पूरी हुई

(श्री हरिनारायण बैरवा)

हैं, इसके लिए मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। चार सड़कें विश्व बैंक की हैं, एक ठेकेदार क्लेम किग है, उसने क्लेम कर दिया और वे चार सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं 16 सड़कें ग्रेवल और 8 डब्ल्यू. बी. एम. की अधूरी हैं, उनको पूरा करने के लिए माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करता हूं। खंडार से करणपुर जाने वाली सड़क पर बनास नदी पर पुलिया का कार्य चालू है लेकिन पिछले 4–5 महीने से बंद पड़ा हुआ है जिसके कारण पुलिया अधूरी है उसको पूरा कराया जाये। चौथ का बरवाड़ा से चौरू तक जो सड़क है वह काली चिकनी मिट्टी के ऊपर बनाई है इसलिए प्रत्येक बरसात के अन्दर उसमें बड़े-बड़े गढ्ढे पड़ जाते है और आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। चौथ का बरवाड़ा अतिरिक्त तहसील है, चौथ माता का मन्दिर है, एक रेल्वे स्टेशन है वहां पर आवागमन के साधन बहुत ज्यादा तादाद में जाते हैं। पूरा हाड़ौती क्षेत्र भी वहां चौथ माता के आता है, तो यहां आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। इस सड़क को चौड़ा करवाया जाये। भगवतगढ़ से चौथ का बरवाड़ा तक जो सड़क है वह अधूरी पड़ी हुई है, उसको पूरा करवाया जाये क्योंकि भगवतगढ़ के साथ 15–16 पंचायतें ऐसी हैं जिनका सीधा सम्पर्क चौथ का बरवाड़ा मण्डी से है। इसके साथ ही भैंसवाड़ा खुर्द में सड़क इतनी क्षतिग्रस्त हो रही है कि वहां पर निकला नहीं जाता है। उसमें डामरीकरण की सड़क नहीं रुक सकती है इसलिए उस सड़क को सीमेंट कंक्रीट से बनाया जाए। पहले उसका टेण्डर हो चुका था लेकिन वह टेण्डर पैसे के अभाव में निरस्त हो गया। महापुरा के पास जो टापुर बांध है उसका नाला आता है, नाले को राजस्व विभाग ने खातेदारी में कर दिया जिसके कारण किसान नाले को भरकर उसमें खेती करने लग गये। नाला अवरुद्ध हो जाने के कारण दो किलोमीटर तक सड़क को वह प्रतिवर्ष तोड़ देता है। इसलिए इस सड़क के दोनों तरफ सेफ्टी वाल बनाकर सीमेंट कंक्रीट की सड़क बनायी जाये जिससे हमेशा के लिए यह समाप्त हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरिनारायण बैरवा : एक मिनट। हजार तक की आबादी के 8 गांव वहां ऐसे हैं जिनमें अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करवाया जाए। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल।

श्री हीरालाल (बामनवास) : सम्माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या 21 पर मैं भी मेरे क्षेत्र की समस्या के बारे में मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्षजी, इस सदन में सभी माननीय सदस्य कहते हैं कि रोडों का जाल बिछा दिया लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 1994 के बाद 8 किलोमीटर रोड जा रही है पी डब्ल्यू. डी. के माध्यम से, उस 8 किलोमीटर के अलावा अगर 10 किलोमीटर भी साबित कर दें तो मैं इनको मान जाऊं। पंचायत मुख्यालय जोड़ने के लिए सन् 1993 से ये वाहवाही लूट रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजाना के

(श्री हीरालाल)

अन्तर्गत इन्होंने स्वीकृतियां जारी कीं लेकिन आज दिन तक तीन-तीन किलोमीटर टुकड़े का डब्ल्यू. बी. एम. ग्रेवल रोड से जुड़ा ग्रेवल नहीं हो सका पूरा। डब्ल्यू. बी. एम. सैंक्शन किया डब्ल्यू. बी. एम. नहीं हो सका और न इन्होंने एक किलोमीटर पी. डब्ल्यू. डी. से मेरे क्षेत्र में आज दिन तक रोड का निर्माण करवाया डामर का। माननीय मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपके चहेते उम्मीदवार का प्रचार करने आप गये थे जब आपने बताया था कि रामपुरा रोड है। आज वहां डाक्टर किरोड़ी रोड भी निकल गया, चतुर्वेदीजी रोड भी पूरा है, क्या आज दिन तक आपने उसमें ढाई किलोमीटर तक भी डामर बनवायी ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया डिस्टर्ब न करें, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल (बामनवास) : मैं कहता हूं आप मुझे बता दीजिये। आज आपको दुनिया में इतनी शाबाशी दे रहे हैं, मैं किस बात की शाबाशी दूं आपको ? 10 किलोमीटर रोड भी आपने बनवाइ तो साबित कर दें। सब रास्ते खराब कर दिये। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत पैसा लगाकर दुनिया के खेत खराब कर दिये। नाले पर पुलिया नहीं बनाई, आज सारे काश्तकार रोजाना लड़ाई कर रहे हैं, रोजाना दंगे-फसाद हो रहे हैं। एक ग्रेवल रोड अगर आपने पूरा कर दिया और पंचायत मुख्यालय जोड़ दिया, तो आपके इतने अधिकारी बैठे हैं इनसे सूचना ले लें। उसके लिए मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ में पुरानी रोडों की मरम्मत के लिए कहते हो। पुरानी रोडों में मलगान रोड का क्या हाल है ? जिस्टाना का क्या हाल है ? बाटोदा का क्या हाल ? बामनवास का क्या हाल है ? एक किलोमीटर का रोड जो गंगापुर से वाया गढ़मुआ नोरा सागर जाता है उस एक किलोमीटर में आदमी एक-एक किलोमीटर दो-दो फीट पानी में होकर निकलते हैं। आप कह रहे हो कि हमने बहुत विकास किया और बहुत सड़कें बनायीं, कहां लगवा दिया आपने ? हम कहते हैं गुणी तहसील से जयपुर, टौंक–दौसा जाने के लिए मात्र एक रास्ता दुतवाल होकर है। दुतवाल में दो किलोमीटर रोड अधमरी पड़ी हुई है। पहले के जमाने में बनी हुई है जबकि। एक नाले की पुलिया के लिये इनसे चार साल से लगातार सम्पर्क करते हुए हो गये, आज वह पुल नहीं बना सके। दूसरे हम जाते हैं दौसा साइड मे तो मोरेल नदी की पुलिया के लिए माननीय सदस्य यह भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं, लेकिन उसके बाद कुछ लेना-देना नहीं है। डमडमी बजा रहे हैं और कह रहे हैं पुलिया बन गई। पुलिया बनाना तो छोड़ एन नाला भी नहीं बना इनसे। सांसद कोटा से लाकर हमने पैसा दिया बोरदा नाले पर रपट बनाने के लिए। इनके डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने साढ़े आठ लाख का एस्टीमेट बनाया, साढ़े आठ लाख रुपया मंजूर कराया और उसको खा गये। वह पुलिया टूट गई। उसमें भारी भ्रष्टाचार के लिए साल भर से शिकायत की लेकिन आज दिन तक उनके पास कोई लेना-देना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जाएं।

श्री हीरालाल (बामनवास) : आज कहते हैं हम प्रशासन लायेंगे, हमारा काम है, क्या करेंगे ये ? इनसे कहकर क्यों खोते हो, दो महीने के खातिर ? अब क्या करेंगे ये ? मैं तो इस बात के लिए कहता हूं, कर क्या देंगे ? आज इनको सुना-सुना कर कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार सब कुछ कर सकती है, आप बिराजें।

श्री हीरालाल (बामनवास) : मैं तो निवेदन करता हूं एक दतवास के लिए, इतनी-सी तो कर दो बहादुरी जो आपका नाम रह जाए। इतना कहते हुए, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयारामजी। दो मिनट में बात समाप्त करें। आपके बाद सरकार की ओर उत्तर आएगा।

श्री आर. पी. शर्मा : मेरा नाम भी तो है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है, बैठिए आप। बिराजिये आप।

श्री. आर. पी. शर्मा : मैं बोलूंगा मेरे क्षेत्र की समस्या के बारे में। मेरे क्षेत्र से एक भी नहीं बोला।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझसे विवाद मत करिये, आपके नेता से बात करिये आप।

श्री आर. पी. शर्मा : यह क्या बात हुई, साहब, नाम लिखा हुआ है उसमें।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप, आप बिराजिये, आपके लिखने से क्या होता है ?

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान सड़क नीति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपने जो सड़क नीति बनाई है उसके अन्तर्गत आपने कहा है कि सात सौ, साढ़े सात सौ की जनसंख्या वाले ट्राइबल एरिया के गांव सड़कों से जोड़े जायेंगे। लेकिन ट्राइबल एरिया में जो भी गांव हैं उनमें 20 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत ही गांव ऐसे हैं जो इस परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं, दूसरे शेष गांव जो हैं वे सात सौ की जनसंख्या के नीचे वाले गांव हैं। मेरी खैरवाड़ा तहसील में 245 गांव हैं, उसमें से 60 गांव ऐसे हैं जो सात सौ की जनसंख्या में आते हैं और वे करीब-करीब सभी रोडों से जुड़े हुए हैं। अब हमने 200 की जनसंख्या पर, डेढ़ सौ की जनसंख्या पर प्राइमरी स्कूल खोल दिये पर वहां जाने के लिए रास्ते बनाने के लिए सड़क नीति नहीं है। तो वहां पर मैटीरियल ले जाकर स्कूल भवन कैसे बनायें ? आपने सारी स्कीमों का पैसा उसके लिए पाबंद कर दिया कि सड़क नीति से बाहर हम खर्च नहीं कर सकेंगे। आपको कम से कम ट्राइबल एरिया के लिए तो यह करना चाहिए था कि ज्यादा नहीं तो ई. एस. का जो पैसा है उस पैसे को तो छोड़ देते हमारे लिए कि यह नीति से बाहर भी खर्च किया जा सकेगा। तब तो हम वहां गांवों तक पहुंचने के लिये नयी रोड बना सकते थे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो इंटर स्टेट रोड हैं वे किसी भी परिभाषा में नहीं आती हैं न तो नेशनल हाई-वे में आती हैं, न स्टेट हाई-वे में आती हैं न डिस्ट्रिक्ट रोड की परिभाषा में आती

(श्री दयाराम परमार)

हैं, जबकि वे दूसरे राज्य को भी मिलाती हैं। मेरे खैरवाड़ा से तीन रोड ऐसी हैं जो कि गुजरात को मिलाती हैं-खैरवाड़ा से राणी, खैरवाड़ा से भांभरी और खैरवाड़ा से खोखरा। इन तीनों रोडों की कंडीशन यह है कि जब नेशनल हाई-वे बंद हो जाता है तो हजारों की संख्या में वाहन उस रोड पर चलते रहते हैं। 30 किलोमीटर लम्बा रोड है लेकिन आदमी को डेढ़ घंटा उस रोड पर लगता हैं, इसलिए लगता है कि उस रोड का सुदृढ़ीकरण किया हुआ नहीं है। रोड की कैटेगिरी इतनी मजबूत बनी हुई नहीं हैं और बड़े-बड़े वाहन निकलते हैं इसलिए परेशानी होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क की क्वालिटी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे मन्त्रीजी बहुत दमदार आदमी हैं और अपने डिपार्टमेंट में इस तरह से रहते हैं कि कब्जा किये हुए अपने अधिकार के रूप में बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभाव है प्रभाव, कब्जा नहीं।

श्री दयाराम परमार : बहुत ही जोर का प्रभाव है लेकिन क्वालिटी के नाम पर इनकी डामर सड़क और पेवर बनाई हुई तीन महीने में टूट जाती है। मैं खैरवाड़ा में आपको 10 रोड गिना सकता हूं। आपने रोड बनाई, मना नहीं कर सकता हूं कि आपने रोड नहीं बनाई लेकिन रोड बनाई तो तीन महीने में पेवर टूट गया, आखिर उसका क्या होगा ? इसलिए आपको चाहिये कि जो भी रोड बनाने वाला अधिकारी है चाहे वह एक्स. ईएन. हो, चाहे ए. ईन. हो, चाहे एस. ई. हो, कोई भी हो उसकी जवाबदेही बनायें। पेवर रोड की उम्र क्या है ? अगर पांच साल की उसकी उम्र है और पांच साल से पहले वह तीन महीने में ही टूट जाती है तो आप इतना नहीं पूछ सकते कि तीन महीने में रोड क्यों टूट गई ? क्यों नहीं आप उसको जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। अगर आप क्वालिटी सुधारना चाहते हैं तो आपको जो भी अधिकारी रोड बनाते हैं उनकी जवाबदेही बनानी पड़ेगी। अगर आपने जवाबदेही बनाकर हर काम को किया तो निश्चित रूप से क्वालिटी सुधर जाएगी। मेरे को आपने समय दिया और थोड़ी मेहरबानी की, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। मंत्री महोदय। कृपया बिराज जाएं।

श्री आर. पी. शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलूंगा, साहब, मैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने माननीय मंत्रीजी को पुकार लिया है, बिराज जाएं। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, बिराजें। बिराजें।

श्री आर. पी. शर्मा : मैं तो बोलूंगा, आप कुछ भी कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं बोल सकते। मैं आपको नाम से पुकारता हूं, मैं आपको नाम से पुकारता हूं।

श्री आर. पी. शर्मा : मैं बोलूंगा, बोलूंगा, बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मार्शल को आदेश देता हूं माननीय सदस्य को बाहर करें। जाइए बाहर करिए।

श्री आर. पी. शर्मा : मैं नहीं जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बाहर करिए माननीय सदस्य को, माननीय सदस्य को बाहर करिए।

श्री आर. पी. शर्मा : मैं एक मिनट ही बोलूंगा, मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कोई समय नहीं दूंगा, कृपया इनको बाहर करें। माननीय मार्शल, बाहर करें इनको। आप बाहर जाइए, माननीय सदस्य, आप बाहर जाइए। आप आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। कृपया व्यवधान नहीं करें, माननीय सदस्य। कृपया इनको बाहर जाने दें, इनको बाहर जाने दें। मैं आदेश दे रहा हूं, आप बीच में व्यवधान नहीं करें। आप व्यवधान न करें, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इनको बाहर जाने की आज्ञा वापस ले लें और इनको बैठने दें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामस्वरूप मीणा : वे खुद ही चले जाएंगे, खुद निकलने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मार्शल कृपया। माननीय सदस्य, बिराजें आप। आप बिराज जाएं। बैठिए। मार्शल, वापस आ जाओ। मार्शल, आप वापस आ जाएं, कृपया वापस आ जाएं। माननीय मंत्री महोदय (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : मुझे एक बात कहनी है केवल, मुझे एक मौका दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, नो। मैं फिर मार्शल को आदेश दे सकता हूं। मैंने अपना आदेश वापस लिया है, नो, नो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 21–पथ और पुल पर आज जो चर्चा सदन में हुई है और सम्माननीय सदस्यगण ने जो विभिन्न सुझाव और अभाव आपके माध्यम से दिये, उसके लिये मैं आपके मार्फत सभी माननीय सदस्यों को हृदय के अंतरतल से बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, सुझाव भी आये हैं, अभावों की भी चर्चा की है। निश्चित रूप से जो सड़क नीति का निर्माण किया 1994 में पी. डब्ल्यू. डी., राजस्थान सरकार ने, आज की चर्चा से उसको बहुत सम्बल मिला है। उसी प्रकार निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता, महत्ता और जो विभिन्न दबाव आज सड़कों के निर्माण की दृष्टि से प्रस्तुत हो रहे हैं, उसकी भी गहन चर्चा सारी चर्चा के माध्यम से हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 38 हजार गांव हैं और जैसा अभी चर्चा में बार-बार प्रकट हुआ है, इतनी भूख जागृत हो गयी है, इतनी उत्कंठा बढ़ गयी है कि आज प्रत्येक गांव को जोड़ने की चर्चा किसी न किसी तरह से सदन के बाहर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

और सदन के अन्दर माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट की गयी है । यह इस बात का परिचायक है । जो भूख लगी है, जो इच्छा जागृत हुई है प्रत्येक गांव को जोड़ने की, इसका प्रकटीकरण माननीय सदस्यों की चर्चा में हुआ है, यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है । वर्तमान सरकार ने सड़क नीति के आधार पर जिस तरीके से गांव-गांव को जोड़ने का विचार किया है, प्रयास किया है, लागू किया है उसी से भूख जागृत होकर आज प्रत्येक माननीय सदस्य के द्वारा अपने अपने गांवों को जोड़ने की चर्चा हुई है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों के अगर आंकड़े देखने की हम कोशिश करें तो इन 10 वर्षों में परिवहन का दबाव चाहे बसें हों, चाहे ट्रक हों, चाहे चौपहिया वाहन हों, चाहे दुपहिया वाहन हों, उनकी संख्या दुगुनी हो गयी है और जिस गति से बढ़ रहे हैं, आगे 10 वर्षों में 6 गुना दबाव सड़कों पर आ जाएगा । सब की जानकारी में है कि शनैः शनैः सड़कों पर बढ़ता हुआ दबाव उस दबाव के कारण हमको सड़कों का निर्माण करने के लिए क्वांटेटिव और क्वालिटेटिव क्या प्रयत्न करने पड़ेंगे । यह भी एक बात की दिशा को लगातार बताता है । 1994 में हमने सड़क नीति का निर्माण किया । राजस्थान राज्य था जिसकी सड़क नीति के निर्माण के पश्चात्, राजस्थान की सफल सड़क नीति के कारण प्रत्येक प्रदेश और देश में नीतिगत रूप से सड़कों का निर्माण हो, इस प्रकार का प्रयास और सोच विभिन्न प्रदेशों में प्रारम्भ हुआ । सड़क नीति बनने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य यह भी था कि सड़क निर्माण में कोई राजनीति नहीं आए । अगर नीति बन जाती है, ट्रांसपेरेंट रहती है तो ट्रांसपेरेंट रहने के कारण घर में बैठे, अपने क्षेत्र में घूमते हुए उस सड़क नीति के कारण आधार रहता है, बनने वाली सड़कें, बनायी जाने वाली सड़कें, निर्माण किये गये काम और उसका परिणाम प्रत्येक क्षेत्र तक दिखता है । आज प्रतिपक्ष के नेता महोदय नहीं हैं, अगर आप उनसे अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में पूछेंगे तो शायद इस सड़क नीति के कारण सबसे अधिक लम्बाई की सड़कों का निर्माण और गांवों को जोड़ने का काम हुआ है तो प्रतिपक्ष के नेता के विधान सभा क्षेत्र में हुआ है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जहां सड़क नीति ट्रांसपेरेंट है, उस ट्रांसपेरेंसी के साथ-साथ राजनीति से विलग होकर उसके निश्चित रूप से फल प्रकट हुए हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चर्चा की केवल मात्र 1991 में सड़कों से जोड़ने की, बात यह नहीं है । आठ बिन्दु हैं इसके जिन को एक बार फिर मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं । सड़कों के निर्माण के लिए उन्हीं सात उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चर्चा करूंगा मैं । गुणवत्ता, समयबद्धता, लागत प्रतिबद्धता, नैतिकता पारदर्शिता, जनोपयोगिता और मितव्ययता इन सातों को उद्देश्य मानकर यह प्रयास किया है । मैं जानता हूं प्रयास में बहुत खामी रहती है, सफलता पूरी नहीं मिल सकती क्योंकि समाज का वातावरण कैसा है, सोच कैसी है उसका प्रकटीकरण

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

अवश्य होता है किन्तु फिर भी हमने तय किया है। आठ सूत्रीय सन्दर्भ अगर निकालेंगे सड़क नीति के तो 1991 की जनसंख्या के आधार पर एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में जोड़ना। कई बार चर्चा आयी यहां क्या हो गया, अभी हमारे यहां तो इतने गांव बाकी हैं। यह नवीं पंचवर्षीय योजना तक जोड़ना है जिसका दूसरा वर्ष अभी चल रहा है। क्रमांक 2 जनजातीय मरू क्षेत्रों में 1991 की जनसंख्या के आधार पर 750 की जनसंख्या वाले गांवों को डामर की सड़क से जोड़ना है। वहां एक हजार है, यहां 750 है। खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की चर्चा की कि हमारे यहां तो साढ़े सात सौ के गांव बहुत कम हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जिन–जिन जिलों में जनजाति क्षेत्र के भी और सामान्य क्षेत्र के भी, एक हजार की आबादी के गांवों को जोड़ दिया गया, साढ़े सात सौ से ज्यादा आबादी के गांवों को जोड़ दिया गया तो फिर सड़क नीति के आधार पर हम आदेश दे रहे हैं और हमने दिये हैं कि फिर उन जिलों में इससे छोटी आबादी के गांवों को जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है। एक कदम आगे बढ़कर, उस सारे जिले में उस बात की अनुभूति लेकर इन दोनों बातों को पूरा करने की बात पूरी हुई। नवीं पंचवर्षीय योजना के तहत सभी पंचायत मुख्यालयों को डामर की सड़क से जोड़ना है। नवीं पंचवर्षीय योजना कहां है? एक कोशिश है, पहले उनको ग्रेवल से जोड़ दें और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएं धीरे-धीरे। किन्तु अभी तो दूसरा वर्ष है नवीं पंचवर्षीय योजना का। आखिर साधन सीमित हैं और विरासत में जो कुछ मिला है इसी नाते से मैं परिणाम बताऊंगा कि इस नीति के कारण आगे प्रकटीकरण क्या हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौथे बिन्दु के रूप में राज्य के प्रमुख राजमार्गों एवं प्रमुख जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाई बढ़ाकर नैटवर्क तैयार करना, उसके अन्तर्गत जिला मुख्यालयों को राजधानी से एवं जिला मुख्यालयों को एक दूसरे से सात मीटर चौड़ाई की डबल लेन से जोड़ना। उसी प्रकार सब डिवीजनल मुख्यालय, एस. डी. ओ. क्षेत्र एवं प्रमुख औद्योगिक केन्द्रों को इंटर मीडिएट लेन अर्थात् साढ़े पांच मीटर की चौड़ाई की सड़क से जोड़ना और तहसील मुख्यालयों, पंचायत समिति मुख्यालयों को परस्पर जोड़ने की व्यवस्था करना। पांचवें के नाते अन्तरराज्यीय, आर्थिक महत्व की तथा पर्यटन सम्बन्धी सड़कों का निर्माण और प्रमुख धार्मिक केन्द्रों तथा रेलवे स्टेशनों को सड़क से जोड़ने की व्यवस्था। छठा, राजमार्गों पर घनी जनसंख्या वाले और अधिक घने यातायात वाले स्थलों पर बाईपास सड़कों का निर्माण। यहां बाईपास के कार्य की चर्चा करते समय कुछ चर्चा आयी थी। गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य शायद अभी तो नहीं हैं, कहीं चले गये, उन्होंने चर्चा की थी। अगर अवरोध आ जाते हैं किसी के, मैं तो उनका भी सहयोग मांगता हूं, उन्होंने धन्यवाद भी दिया था मुझे, गंगापुर तो शायद उस श्रेणी में नहीं आता किन्तु गंगापुर का बाईपास आवश्यक था। मैं जानता हूं सारे डिवीजनल

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

प्रेशर को बाईपास से जोड़ दिया गया। हिंडोली से आने वाले माननीय विधायक बैठे हैं, उन्होंने मुझ पर ही चार्ज लगा दिया कि चतुर्वेदीजी कोटा की बाईपास बी.ओ.टी. के में क्यों नहीं बनाते। क्षमा कीजिए, बी. ओ. टी. में बनाने के लिये उस परिमाण में चलने वाले वाहन और उनसे टोल टैक्स की वसूली का परिमाण ठीक चाहिए। कोशिश की गयी केन्द्र से, किन्तु उन्होंने कहा अभी कितने व्हीकल्स चल रहे हैं। किन्तु फिक्र मत करिये, धारीवाल साहब, अगर बी. ओ. टी के लिये मना कर दिया है तो कोटा का विधायक भी मैं हूं, आपका सहयोगी भी मैं हूं, कोशिश करूंगा कि इस वर्ष में निश्चित रूप से कोटा का बाईपास और पुल दोनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जाए। आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी सहमति है आपके साथ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोरा शिलान्यास ही करवा लीजिए आप, होना-जाना कुछ नहीं है। अगर होना जाना होता तो पौने पांच साल में वह काम चालू होकर आधा काम कम्प्लीट हो जाता। (व्यवधान) अब आप शिलान्यास का + + + कर लो, होना जाना कुछ नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप तो तब यह भी कहते थे कि कोटा खुला विश्वविद्यालय पूरा नहीं बनेगा।

श्री आर. पी. शर्मा : मंत्रीजी, एक बात यह बताएं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप तो तब भी यह कहते थे कि मेडिकल कालेज नहीं बनेगा। आप तो तब भी यह कहते थे कि मेडिकल कालेज रिकोग्नाइज नहीं होगा। यह तो मैं कहना चाहता हूं इसलिए कि एक-एक बात पूरी करने की है....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं अब भी कहूंगा कि जिस मेडिकल कॉलेज को बनवाया गया, उसको मान्यता आज तक नहीं मिली मेडिकल कौंसिल के द्वारा और नतीजा यह हुआ है कि जो लोग फिफ्थ ईयर पास करके आज निकल गये, वे सड़कों पर हैं, उनको कोई नौकरी देने वाला नहीं है। आज भी कह रहा हूं कि मेडिकल कौंसिल ने उनको रिकोग्नाइज नहीं किया और मैं आज भी कहता हूं कि खुला विश्वविद्यालय जो कांग्रेस की सरकार ने खोल लिया वह खोल लिया, आप की घोषणा ही है सिर्फ हाड़ौती विश्वविद्यालय की।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया उत्तर सुन लें पहले, बैठ जाएं।

श्री आर. पी. शर्मा : एक मिनट, माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। (व्यवधान) मेरी बात सुन लें। (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि बना बर्ड सैंक्चुरी के पास प्रोसीक्यूट सेंटर जो चल रहा है, जिस पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर लोगों ने मकान बना रखे हैं, क्या उनको तुड़वाएंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप पूरा उत्तर दीजिए। माननीय मंत्री महोदय, प्रश्नों का उत्तर नहीं दें।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आर. पी. शर्मा साहब, आपसे तो बहुत बातें होती रहती हैं मेरी। चिन्ता क्यों करते हैं आप ? और सब प्रकार का सहयोग करता रहता हूं, ज्यादा चिन्ता क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सातवें सूत्र के नाते सभी प्रमुख राजमार्गों पर पुल और पुलियाओं का निर्माण। खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, उनकी टीस को मैं समझता हूं। उन्होंने अपने भाषण में ठीक कहा कि आज हाड़ौती में कितने नदी नाले हैं, सड़कों की कितनी कम लम्बाई है। मैं जानता हूं, किन्तु राजनैतिक आरोप मुझ पर नहीं लगे, तत्कालीन सरकार ने हाड़ौती की क्या अवस्था की थी ? खानपुर के माननीय सदस्य भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हम इतना पीछे रह गये। धीरे-धीरे कोशिश की जा रही है और उस कोशिश से परिणाम भी निकला है। आज मैं मंत्री हूं तो पूरे राजस्थान का हूं, केवल हाड़ौती का तो मंत्री नहीं हूं। शनैः शनैः हाड़ौती को राजस्थान के समकक्ष लाएंगे। हम अच्छा करेंगे और अच्छा दिखेंगे भी। ऐसा नहीं कि कोटा का विधायक होने के कारण हाड़ौती का मंत्री होने के कारण सारा फण्ड डाइवर्ट होकर वहां चला जाए। आठवें सूत्र के नाते सड़कों की गुणवत्ता में सुधार, इन सूत्रों को लेकर इस सड़क नीति का निर्माण हमने किया है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शनैः शनैः हिन्दुस्तान के प्रदेश ने राजस्थान की बनी हुई सड़क नीति की दृष्टि से धीरे-धीरे इस प्रकार की व्यवस्था की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में भी आपसे चर्चा की थी, मैं आज भी कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जब राजस्थान के इतिहास को देखने की मैं कोशिश करता हूं तब मुझे लगता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का राजस्थान में 9.2 प्रतिशत खर्च किया गया सड़कों पर, पुलों पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बढ़ गया वह बढ़कर 9.80 प्रतिशत हो गया। किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद क्या अवस्था हुई ? दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद घटना शुरू हुआ और घटते-घटते सातवीं पंचवर्षीय योजना में सड़कों पर होने वाला व्यय योजनागत व्यय का केवल 2.9 प्रतिशत रह गया। फिर आ गयी हमारी सरकार, आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो गयी।

श्री परसादीलाल मीणा : भाषण तो बहुत अच्छा है इनका।

श्री उपाध्यक्ष : समझने की जरूरत है इसको।

श्री शैलेन्द्र जोशी : समझा हुआ ही है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं चाहता हूं 2.9 प्रतिशत, जो निश्चित रूप से प्रावधान किया जाता था। सच बात है धमनियां हैं ये तो। विकास की धमनियों के नाम से पुकारा जाएगा तो सड़कों को पुकारा जाएगा। पानी के साथ, बिजली के साथ अगर तीसरी किसी की आवश्यकता हैं विकास के लिए तो वे सड़कें ही हैं जो धमनियों के रूप में हैं।

जब सातवीं पंचवर्षीय योजना में 2.92 प्रतिशत पहुंच गयी, वर्तमान सरकार आ

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

गयी। मन को बड़ी वेदना थी। ठीक कहा माननीय सदस्यों ने कि राजस्थान आज हिन्दुस्तान के प्रदेशों के अनुपात में सड़कों की दृष्टि से बहुत पीछे है। पहले ही पीछे है और उस पर जो खर्च किया जाएगा वह भी केवल 2.9 प्रतिशत ? लेकिन मुझे कहते हुए हर्ष है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने इसको बढ़ाकर 6.10 प्रतिशत कर दिया। किन्तु इससे भी काम नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : घटाकर 5 प्रतिशत क्यों कर दिया ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी चर्चा कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं 6.10 प्रतिशत से काम नहीं चलेगा। सामान्य रूप से राजस्थान को अगर अन्य प्रदेशों की पंक्ति में खड़ा होना है तो प्रावधान 10 प्रतिशत कम होना किसी भी सूरत में कम ही रहेगा। इसी का कारण हुआ कि सड़क नीति में डोव-टेलिंग किया गया। सड़क और पुल के योजनागत प्रावधान के साथ-साथ ग्रामीण विकास अभिकरण, कृषि विपणन बोर्ड, यहां तक कि अकाल राहत के चलने वाले कार्यों को भी इससे जोड़ा गया। 32 जिले 32 काम, निर्बन्ध योजना, अपना गांव अपना काम, इन सबको एक साथ डोव-टेलिंग किया गया, यह उसी का परिणाम है। उससे भी काम नहीं चलता, 10 प्रतिशत नहीं हुआ, दो कदम और आगे बढ़ाए। एक संस्थागत वित्त, फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस से लोन लेना। मुझे कहते हुए आज प्रसन्नता है कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस से इस दृष्टि से बहुत बड़ा लोन लेकर सड़कों का और पुलों का निर्माण कर रहा है। इससे भी काम नहीं चला, इसलिए आई. ओ. टी., बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर। इस बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर के माध्यम से निजी निवेशकों के 3 प्रोजेक्ट तो पूरे हो गये। तीन करोड़ का कैरोटी ब्रिज पूरा हो गया, उदयपुर का बाईपास 24 करोड़ का पूरा हो गया, पाली का बाईपास 12 करोड़ का पूरा हो गया। तीन तो पूरे हो गये और तीन का अभी 4-5 दिन के बाद ही जिसको काम अलाटमैंट किया उसको अलाटमैंट कर दिया जाएगा। मैं विस्तार से आगे चर्चा करूंगा। मैं तो इसलिए निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार की सोच कि इन धमनियों को विकसित करने के लिये योजनागत प्रावधान को बढ़ाकर किस प्रकार 10 प्रतिशत कम से कम किया जाए। इसके लिए इन कदमों को उठाया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे शिक्षा के समय चर्चा की थी, आज अधिक चर्चा नहीं करूंगा मैं। फाइनेंशल टार्गेट्स की मैं चर्चा नहीं करूंगा कि प्रावधान क्या थे। मैं चर्चा करूंगा भौतिक लक्ष्य क्या प्राप्त हुए, भौतिक उपलब्धियां क्या प्राप्त हुई। इसी नाते मे अगर मैं कहना चाहूं तो सोचने की कोशिश करें, 1991 की एक हजार से अधिक की जनसंख्या के कुल गांवों की संख्या 10776, आज 9741 गांव जुड़ गये हैं किसी न किसी प्रकार की सड़क से। 7999 जुड़ गये हैं डामर की सड़क से और मैटल की सड़क से जुड़ गये हैं 808 गांव। प्राथमिकता के तौर पर जैसा डोव-टेलिंग किया गया था, जिला विकास प्राधिकरण के

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

यहां से कोशिश करते हैं कि कुछ क्षेत्रों में मिट्टी का काम हो जाए, गिट्टी की एक लेयर हो जाए, गिट्टी की दो लेयर और हो जाएं। राजस्थान को देखने की कोशिश करेंगे तो मारवाड़ के क्षेत्र में 2 लेयर से काम चलता है किन्तु जहां कॉटन-सोइल है वहां तीन लेयर करना आवश्यक है। इसलिए इसको डोव-टेलिंग करके इस प्रकार उस नाते से करने की कोशिश की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो पंचायत मुख्यालय रखे गये थे, केवल एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। पंचायत मुख्यालय 9195 हैं, 1990 से नहीं....

श्री परसादीलाल मीणा : प्रगति विवरण है, उसमें है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नहीं, उसमें नहीं है। देख लीजिये। कुछ जोड़ना चाहता हूं, अभी बताऊंगा। उसके कारण हैं। 1990 तक केवल 5609 पंचायत केन्द्र जोड़े गये आउट आफ 9195 और अभी 8957 पंचायत केन्द्र जुड़ गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1980 से 90 के बीच में 1824 पंचायत केन्द्र जुड़े थे और 1990 से 1998 आठ साल में 2446 पंचायत केन्द्र जुड़े हैं। मैं केवल भौतिक उपलब्धियों की चर्चा कर रहा हूं, भौतिक लक्ष्य की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सड़कों की कुल लम्बाई देखने की कोशिश करें आप कि सड़कों की कुल लम्बाई कितनी बढ़ी है सातवीं पंचवर्षीय योजना में....

श्री राजेन्द्र पारीक : उपलब्धियां तो उधर कर दीं और आध्यात्मिक उपलब्धियां हमारे कर दीं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सातवीं पंचवर्षीय योजना में 8145 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ था तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में 15034 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कुछ और बताना चाहूं मैं, 1981 से 1990 तक जो सड़कों की लम्बाई निर्माण हुई थी वह हुई थी 20114 कि.मी./और 1990 से 1998 तक जो हुई है वह हुई है 20114 किलोमीटर। मैटल सड़कों के बारे में अगर बोलने की कोशिश करूं तो 1980 से 1990 तक इन एडिशन टू विथ डामर, 758 किलोमीटर हुई थी और 1990 से 1998 तक 1342 किलोमीटर एक्स्ट्रा बनी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कुछ आगे चलने की कोशिश करें और आज सड़कों से जुड़े गांवों का सवाल करूं मैं तो 1991 की जनसंख्या के अनुसार राज्य के कुल गांव हैं 37859। 31 मार्च, 1980 तक जुड़े थे 7202, 1980 से 89 में योग हुआ उसमें 5863 का और 1990 से 98 तक जुड़े हैं 7400 ग्राम। मैं यह आपके सामने फाइनेंशल टार्गेट्स की चर्चा नहीं कर रहा, जो फिजिकली प्राप्त हुए हैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1998-99 की जो योजना आयी है उसमें 251 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, योजनागत में। नाबार्ड में 86 करोड़ 50 लाख और दूसरा बुनियादी न्यूनतम कार्यक्रम में 35 करोड़ 9 लाख इसमें ओन गोइंग काम भी है,

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

सामान्य 59 करोड़ 21 लाख, जनजाति क्षेत्र में और इन एडिशन टू इट 8 करोड़, 189 करोड़ का योजनागत प्रावधान ऑन गोइंग कामों के लिये और आगे नये कामों के लिये किया। ग्रामीण सड़कों के लिये जो सम्बल ग्राम हैं उनके लिए 8 करोड़ का प्रावधान, शहरी सड़कों के लिये 10 करोड़ 54 लाख का प्रावधान है और राजमार्ग के कार्य 13 करोड़, सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण 5 50 करोड़, भूमि अवाप्ति 9.46 करोड़। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बड़ा प्रावधान इस बार किया गया है। जो जो भी समस्याएं हैं जैसे भूमि-अवाप्ति की, जो यहां पर माननीय सदस्यों के द्वारा प्रकट हुईं, इस सारी वरबेटम रिपोर्टिंग से उसको निकालूंगा और कोशिश करूंगा, वहां के लोगों के प्रार्थना पत्र अगर ठीक रूप से प्राप्त हो गये तो निश्चित रूप से भूमि अवाप्ति का चुकारा किया जाएगा।

विश्व बैंक के तहत राज-कार्यों का सुधार 11 करोड़ रुपये का और विविध कार्य साढ़े चार करोड़ रुपये के, कुल मिलाकर 251 करोड़ रुपये का प्रावधान 1998–99 के बजट में किया गया है जिसमें से 179 ऑन गोइंग काम के लिये हैं और 71 करोड़ 29 लाख रुपये नये कामों की दृष्टि से किये गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाबार्ड की जो योजनाएं बनी थीं, आर. डी. एफ. द्वितीय उसका काम पूरा होने को है। आर. डी. एफ. तृतीय के प्रथम चरण और द्वितीय चरण, इन दोनों को पिछली बार रोका था हमने, पांचवें वेतन कमीशन के कारण एक आफत आ गयी थी इसलिए। ये सब काम शुरू हो जाएंगे आर. डी. एफ. चतुर्थ जिसमें साढ़े चार करोड़ के नये प्रावधान हैं, उनका नया सैंक्शन करेंगे और आर. डी. एफ. थ्री के तीनों प्रावधानों को करने की कोशिश करेंगे। बुनियादी न्यूनतम कार्यक्रम की दृष्टि से भी उसी प्रकार, जैसा मैंने कहा, 57.91 करोड़ के प्रावधान करने का हमारा कार्यक्रम है।

श्री परसादीलाल मीणा : तेजी से चलिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व बैंक से हमने सहयोग लिया था। राजस्थान की चार प्रमुख सड़कें बनी थीं 599 किलोमीटर की, 275.07 करोड़ रुपया लागत थी उनकी, उसका विकास किया गया था। वर्ल्ड बैंक ने उसको एप्रीसिएट किया है और इसी कारण से 1972 करोड़ रुपये की नयी सैंक्शन 1500 किलोमीटर की करने की प्रक्रिया में है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर से लुहारू सड़क के लिये 22 करोड़ रुपया विश्व बैंक ने स्वीकृत किया था। आपके विभाग की शिथिलता और ठेकेदार की लापरवाही की वजह से गमन इंडिया कम्पनी को जो ठेका दिया गया था, वह पिछड़ा हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं जवाब दूंगा उसका। जी हां, जी हां।

श्री राजेन्द्र पारीक : और 22 करोड़ के बजाए उस सड़क को फिर से स्ट्रेन्थन करने के लिये 60 लाख रुपये का आपने खर्चा किया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उस समय यह गेमन इंडिया को किया गया था। जब सारी बात प्रारम्भ हुई थी उस समय कौन-सी सरकार थी, मैं कहना नहीं चाहता। ऐसी कन्सर्न आ गयी थी कि जिसकी फाइनेंशल लाइबिलिटी ठीक प्रकार से देखी नहीं गयी थी। परिणाम यह हुआ कि आते ही हाथ झटक दिये, फेल हो गयी। उसका परिणाम है यह।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 1972 करोड़ रुपये की योजना वर्ल्ड बैंक के पास स्वीकृति के लिये है। अभी 1500 किलोमीटर पहली सड़क इसमें है, जो मजूरी की स्थिति में है, निकट भविष्य में मजूर होकर आ रही है। जयपुर-जोबनेर-कुचामन-नागौर 220 किलोमीटर की यह प्रथम चरण की सड़क है, जो वर्ल्ड बैंक स्वीकृत करने की स्थिति में है और दूसरी है चित्तौड़-बिजोलिया-कोटा 176 किलोमीटर की सड़क। इस प्रकार 404 किलोमीटर का यह प्रथम चरण है जो स्वीकृति की इमीजिएट स्थिति में है। अभी ग्यारह करोड़ रुपये की कन्सलटेन्सी लगाकर इन सबकी डिटेल एनेलिसिस की जा रही है।

प्रथम "अ" चरण है, इसके बाद रतनगढ़-हनुमानगढ़ बहुत चर्चा हुई। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी भी वहां से आते हैं। मैं जानता हूं कि उस सड़क पर बहुत अधिक दबाव है, लगातार दबाव आ रहा है। और इसीलिए यह रतनगढ़-हनुमानगढ़ सड़क जिसकी लम्बाई 189 किलोमीटर है, यह भी वर्ल्ड बैंक से उसी प्रकार की बनेगी, जैसे सिरोही से आने वाली सड़क बनी है, जैसी सड़क बनी है उदयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़ तक और अजमेर से लेकर वहां तक। कोटा-बारां 72 किलोमीटर की दूसरी, इसके बाद तीसरी राजगढ़-सिकन्दरा आपके क्षेत्र की, माननीय सदस्य महोदय, 38 किलोमीटर की और चौथी इन्दरगढ़-कोटा 72 किलोमीटर की। 404 और 72, इसी के द्वितीय चरण में....

श्री रामस्वरूप मीणा : + + + हमारा तो नाम ही नहीं है इसमें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : द्वितीय चरण में चित्तौड़गढ़-निम्बाहेड़ा पर बहुत अधिक प्रेशर है, 35 किलोमीटर है। दौसा-सवाईमाधोपुर-इन्दरगढ़ 135 किलोमीटर जो आपके क्षेत्र में है, जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं। सिरोही-मडार-डीसा 71 किलोमीटर, तीसरी प्रायोरिटी बारां-शाहबाद 80 किलोमीटर, चौथा नागौर-मेड़तासिटी-अजमेर 158 किलोमीटर, नागौर-बीकानेर 110 किलोमीटर, रतनगढ़-नोखा 143 किलोमीटर, इस प्रकार यह 1500 किलोमीटर की योजना आज वर्ल्ड बैंक के पास प्रस्तावित करके भेज दी गयी है और फाइनल कन्सलटेशन की दृष्टि से उस पर सारा काम हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप.... (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री परसादीलाल मीणा : कब तक आ जाएगी ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी विद इन टू-थ्री मंथ्स । दो तीन महीने में ।

श्री हीरालाल विश्नोई : आपने हमारे जालोर को गायब कर दिया ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आ रहा है वह भी । सैकण्ड स्टेज में । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक की सहायता से उसी प्रकार कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत (व्यवधान) उसकी चर्चा मैं अधिक नहीं करना चाहता ।

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर से जोधपुर महत्वपूर्ण सड़क मार्ग था । माननीय मंत्रीजी, सीकर से जोधपुर सड़क मार्ग अति महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है, आपकी सेना सेवाओं के लिए भी अत्यावश्यक सड़क मार्ग है । कृपया ऐसे सड़क मार्गों को लीजिए आपकी, वाह-वाही होगी ।

श्री परसादीलाल मीणा : अजमेर से किशनगढ़-बांदीकुई-दौसा को बनाओ, बहुत परेशानी है इस कारण ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि....(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : टोंक और सवाईमाधोपुर को भी इन्क्लूड करो आप, टोंक और सवाईमाधोपुर बहुत महत्वपूर्ण सड़क है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उसके बाद मैं वह सूची नहीं बताना चाहता जो हमने और प्रस्तावित की है किन्तु वर्ल्ड बैंक के लोग स्वयं कंसल्टेंसी के माध्यम से उस सब बातों को देखते हैं और उनके देखने के पश्चात् दोनों के समझौते से खड़ी होती है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से 14 जिलों में जो कार्य चलाया गया था उसमें कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से 6 जिले जयपुर, दौसा, टोंक, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर और पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से 8 जिले बारां, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, गंगानगर, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, इनके 75.13 करोड़ रुपए की लागत के काम सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से और कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से बाकी यह एक हजार की आबादी को जोड़ने के हैं । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : भीलवाड़ा को क्यों छोड़ दिया ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वहां के मुख्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने बहुत सड़कें बना लीं, वहां की चिन्ता क्यों करते हो आप ? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 58 पैकेजेज पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के हैं, 30 पूरे हो चुके हैं । कृषि विपणन बोर्ड के 56 हैं, 33 पूरे हो गए हैं और बाकी पूरे करने की प्रक्रिया आगे चली हुई है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य में पुलों के निर्माण की भी चर्चा करना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से इसलिए कहना चाहता हूं, अगर आप इसको देखेंगे

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

तो चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने आएंगे। उसकी भी चर्चा करूंगा। 1980 से 90 की अवधि में 52 संख्या में हैं, (व्यवधान) उसकी चर्चा करूंगा। 52 संख्या में हैं, 24.94 करोड़ रुपए के पुल पूरे किए गए हैं और 1990 से 98 में 68 काम तो 119.20 करोड़ के पूरे हो गए। 18 काम 81.28 करोड़ के 2000 तक पूरे होने में हैं, 16 काम स्वीकृत, प्रस्तावित हो गए और 100.46 करोड़ के और हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आर. एस. बी. सी. सी. के अधिकारियों के उस मैनेजमैंट को, जिस मैनेजमैंट की चर्चा की थी हिण्डौली से आने वाले माननीय विधायक ने, जिसकी चर्चा थोड़ी-सी देर में मैं करूंगा।

वहां से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा की थी कोथून के ब्रिज की, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हमारे वहां के एम. पी. साहब मंत्री थे, मंत्री के नाते उन्होंने कई पुल बनवाए। यानी आए तो वहां केन्द्र सरकार से किन्तु कहना चाहता हूं कि उनका पूरा का पूरा पैसा केन्द्र सरकार से आया नहीं और राजस्थान के योजनाबद्ध पैसे से उन पुलों को पूरा किया गया है। यह जब प्रस्ताव आया था कोथून का, जिसकी चर्चा कर रहे थे आप केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिए.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : बनी ही नहीं कोथून की पुलिया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बिराजो तो सही अभी। हमने दिया पैसा।

श्री परसादीलाल मीणा : बनी ही नहीं कोथून की पुलिया, क्या बात कर रहे हो आप ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्षमा करिए, उसका पैसा भी लगा रहे हैं हम।

श्री परसादीलाल मीणा : बनी ही नहीं, सैंक्शन ही नहीं हुई।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बिराजो तो सही। नहीं, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तो उन दो-तीन पुलियाओं की चर्चा करना चाहता हूं जो हमने साथ में की थी। अब कोथून की चर्चा करना चाहता हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : कोथून की बात करो आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जब मेरे पास फोन आया माननीय एम. पी. साहब का, मैं दिल्ली गया। केवल पत्र से काम नहीं चलाया मैंने। यह केन्द्र प्रवर्तित योजना जो होती है, जो पेट्रोल बिकता है हमारे यहां उस पर 3.41 पैसा केन्द्र के पास इकट्ठा होता है। और वह पैसा हम देते हैं। उस योजना में ये निर्माण होते हैं जिसको केन्द्र प्रवर्तित योजना कहते हैं। उनका फोन आया, चतुर्वेदी जी, आप तो अपने यहां से पत्र भेजो। मैं जब गया तब मैंने पूछा। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो ? इतना पैसा राजस्थान के आप लोग ले चुके हो कि आपके यहां की केन्द्र प्रवर्तित योजना में पैसा ही नहीं बचा है। और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि, चतुर्वेदीजी, आप बाधा बन रहे हैं कोथून के पुल को बनाने

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

में। मैं आपसे कहना चाहता हूं सीना ठोककर कह रहा हूं, हिम्मत से कह रहा हूं, आपका सहयोगी हूं, यह राजस्थान मेरा है और मेरा स्नेह है लालसोट से, जिस दिन मौका मिलेगा और मैं राजस्थान से प्रावधान करने की स्थिति में रहूंगा, मैं केन्द्र प्रवर्तित योजना की चर्चा नहीं करूंगा, कोथून को जल्दी से जल्दी स्वीकृति करूंगा। मुझ पर आरोप लगा रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : जल्दी से कब करवाएंगे ? आप भारत सरकार को प्रस्ताव तो भिजवा दो कम से कम मेहरबानी करके।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जांच करूंगा। उन्होंने कहा है, पैसा ही नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप खुद अड़चन बने हुए हो उसमें। आप प्रस्ताव भेज दो। आपको प्रस्ताव भेजने में क्या आपत्ति है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आपसे यह चाहता हूं आप अपने विभाग को कहें कि वह प्रपोजल भेज दे, आपको आपत्ति क्या है ? आपत्ति क्या है, यह बता दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सुनो, प्रपोजल भेजने का काम मेरे दफ्तर से करने के बाद मैंने एम. पी. साहब से कहा कि क्षमा करिए, जो दो-तीन पुल आपने और मैंने सात शिलान्यास किए हैं उनका पैसा तो भिजवा दीजिए पूरा। केन्द्र वाले कहते हैं कि आपका पैसा बचा ही नहीं इस योजना में। राज्य सरकार का प्रतिनिधि हूं ....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : कौनसी पुलिया बाकी है आपकी ? कौनसी पुलिया का बाकी है ? ये कौनसी बात कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : (व्यवधान) चलने वाला आदमी नहीं हूं। अपनी हेठी नहीं कराना चाहता कि प्रपोजल भेज दूं और मंजूर नहीं कराऊं। जिस दिन इस स्थिति में आऊंगा, बुला रहा हूं मैं। अभी 25 तारीख को सीकर से रींगस में आरोबी का उद्घाटन हो रहा है, उस समय हमारे केन्द्र के श्रीमान् प्रधान जी जो राज्य मंत्री हैं, वे पधार रहे हैं। योजना में एक बात यह भी रखी है, केन्द्र प्रवर्तित योजना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं बहुत अच्छे मित्र हैं आप मेरे और आपकी जो समस्या है बिलकुल कठिन समस्या है, मेरा एग्रीमेंट है। इसलिए मैं एक कोशिश करता हूं। सफल होऊं या न होऊं लेकिन कम से कम जो कहूं वह करने की कोशिश करूं। जब तक उसका पूरा तकमीना नहीं बैठता, क्योंकि पब्लिकली यह बात मुझसे कही है, मैं कहना चाहता हूं। आधा पैसा तो रेलवे देगी किन्तु रेलवे ने कहा है, हम पैसा तब देंगे जब आप अपनी योजना में इस प्रकार प्रावधान करें। एक करोड़ का प्रावधान नगरपालिका से करने का निश्चय किया है। मैं कहना चाहता हूं, एक बार एक करोड़ नहीं, आप उसमें से 50 लाख रुपए प्रस्ताव पास करवाकर और श्रीमान् भंवरलाल जी शर्मा, स्वायत्त शासन मंत्री हैं, इनसे सैंक्शन भेज दीजिये ताकि मेरा काम आसान हो

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

जाए और मैं राज्य सरकार से भी प्रभाव उत्पन्न कर सकूं। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से भी कह सकूं कि यह बहुत आवश्यक पुल है और संस्था के वित्त के पास जाकर भी इस पुल को बनाने की प्रक्रिया करूं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आपकी मेरे साथ सहमति है, सैद्धान्तिक सहमति है पर जरूरत है तो पैसे की है, उस पैसे का प्रावधान होना आवश्यक है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी उनके साथ तो सहमति है, हमारे साथ नहीं है। आप राजनैतिक कारणों से कोथून पुल को नहीं बनने देना चाहते। उसमें मैंने पहले भी कहा है, आपने उसमें प्रेस्टीज पाइंट बना रखा है कि कोथून की पुलिया नहीं बने। क्या है इसमें ? आपको बनाने में कहां दिक्कत आ रही है ? आपका कोटा–बूंदी सारा इलाका जुड़ेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अब मैंने सब बात स्पष्ट कर दी, आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्रीजी, आप कुछ फरमा रहे थे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कंक्लूजन चर्चा करूंगा, बिराजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राज मार्ग का निर्माण का कार्य और संधारण का कार्य केन्द्र सरकार देती है। हमने कोशिश की, इस प्रकार का प्रयास किया कि जो पिछले वर्षों में राजस्थान में प्रावधान कम होता था वह प्रावधान बढ़ जाए। मुझे आज करते हुए प्रसन्नता है कि आज हम राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए प्रावधान, चाहे निर्माण के कार्य में, चाहे रियेयर्स के कार्य में, उतना ही ले रहे हैं जितना हिन्दुस्तान के और प्रदेशों को मिल रहा है। अब कामयाब हो सके हैं हम। उचित में फायदा हमको हमारी सरकार आने का भी हुआ है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देना चाहता हूं सीकर के लोगों को, कि जो कुछ प्रस्ताव हमने किये थे नये राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए, उसमें से एक की घोषणा केन्द्र सरकार की ओर से थोड़े दिन पहले हो गयी है। वह सड़क फतेहपुर शेखावाटी से चूरू होती हुई 118 किलोमीटर राजस्थान में है और फिर अम्बाला तक चली जाएगी।

(21.00)

हमने चार प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास और दिये हुए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने लिए हमारा प्रयास है। पहला है–दारूहेड़ा-भिवाड़ी-अलवर-सिकन्दरा-दौसा-सवाईमाधोपुर-कोटा–चित्तौड़गढ़–मंगलवाड़– सलूम्बर-आसपुर-डूंगरपुर, मोडसा (गुजरात) जिसकी जिसकी लम्बाई 875 किलोमीटर है। दूसरी, सड़क के नाते डीसा (गुजरात)-रेवदर सिरोही–उदयपुर–चित्तौड़गढ़–कोटा - बारां-शिवपुरी जो मिल जायेगी मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे से, जहां कांडला से आने वाला मार्ग जा सकेगा। तीसरा–बीकानेर-मेड़ता–अजमेर–भीलवाड़ा-चित्तौड़- रतलाम और इन्दौर। चौथी– देवली - अजमेर-पीसांगन-पीपाड़सिटी-जोधपुर और पोकरण। इन चार को हमने प्रस्तावित किया है हम जोर लगा रहे हैं। मैं जानता हूं कि राष्ट्रीय

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

राजमार्ग बनाना बहुत आसान नहीं है बहुत कठिन है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की चर्चा और आपके माध्यम से करना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय, यह केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में कोटपूतली-पीकर रोड का पांच करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ था उसका एक करोड़ रुपया आपको मिल भी गया ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बताता हूं ।

एक बहुत आवश्यक बात है, आवश्यक व्यवस्था की बात है और राजस्थान के लिए अत्यन्त आनन्द देने वाली है, वह है 786वां उर्स का मेला । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने इसकी तैयारियों को बहुत गम्भीरता से लिया है । इसमें 10 लाख से अधिक जायरिन आयेंगे । पुराने उर्स में डेढ़-दो लाख लोग आया करते थे, 786वां उर्स मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत श्रेयस्कर है इसलिए 786वें उर्स में जो अक्टूबर, 1998 में होने वाला है, बहुत तादाद में 10 लाख जायरीन आने वाले हैं । इसी दृष्टि से राजस्थान सरकार ने तय किया है कि 22 करोड़ 35 लाख 89 रुपये के 20 कार्य करवाये जाएंगे राजस्थान की मुख्यत: इस सड़क पर । आपको कभी जयपुर से अजमेर जाने का मौका मिला हो तो पूरा काम चल रहा है वहां । पेव शोल्डर्स बन रहे हैं, सड़क को तीन लेन की बनाया जा रहा हैं, यह कोशिश की जा रही है । साथ-साथ यह भी कोशिश की जा रही है कि जहां-जहां ब्लोकेज होने के चांसेज हैं वहां कोई न कोई उप मार्ग की व्यवस्था साथ-साथ की जाए । उपाध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से 41.70 किलोमीटर की लम्बाई में काम पूरा हो चुका है और 51 किलोमीटर की लम्बाई में पेव शोल्डर्स का काम प्रगति पर है जो सितम्बर तक पूरा हो जाएगा ।

आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि 19 छोटे पुलों को चौड़ा करने का कार्य सड़क पर चल रहा है । 12 मीटर चौड़ाई में उनको बढ़ाने की दृष्टि से 19 पुलों में से 10 पुलों को चौड़ा करने का कार्य पूरा हो चुका है और 9 पुलों का कार्य प्रगति पर है । इसी प्रकार से अजमेर की नगरीय सीमा में, अभी अजमेर से आने वाले माननीय मंत्रीजी तो बिराज रहे हैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य नहीं हैं मैं कहना चाहता हूं कि 22 कार्य करवाने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करने का काम प्रस्तावित किया है । नगरीय एवं आवासीय विकास सचिव के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ 38 लाख 23 हजार रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है । इन प्रस्ताविक कार्यों में हैं– दरगाह क्षेत्र में सड़कों का नवीनीकरण और निर्माण कार्य, पार्किंग क्षेत्रों का विकास, अंडर ब्रिजों को चौड़ा करने का कार्य, ट्रैफिक सिग्नल्स का संस्थापन, दरगाह के लिए नये वैकल्पिक एप्रोच मार्ग का निर्माण, दरगाह क्षेत्र में हैलीपैड का निर्माण, अजमेर के सर्किट हाउस और डाक बंगले का नवीनीकरण । अभी तक 13 करोड़ 57 लाख रुपये का खर्चा इन पूरे कार्यों में हो चुका है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

करना चाहता हूं कि यह बात हमको ध्यान में आयी इस साल के प्रारम्भ से और पिछले 6 महीने से सार्वजनिक निर्माण विभाग 786वें उर्स को सामने रखकर, अल्पसंख्यक भाइयों की दृष्टि से ध्यान में रख कर, अजमेर की बहबूदी की दृष्टि से लगातार काम कर रहा है। आज वे यहां नहीं हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक अवरोध आ रहा है। एक-दो बंगले हैं वे बंगले अवरोध बन रहे हैं, दरगाह के लिए एप्रोच सड़क में अवरोध बन रहे हैं। शांति और कानून की व्यवस्था का थोड़ा सवाल है, मैं चाहता हूं कि जन-प्रतिनिधि आगे आएं। अजमेर जिले के और भी माननीय विधायक बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि इसमें वे भी अपने प्रभाव का उपयोग करें और एक शुभ कार्य 786वें उर्स की दृष्टि से हो रहा है, उसमें अपना सहयोग करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा कर रहा था स्टेट ब्रिज एण्ड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन की। एक चर्चा की थी यहां हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने, शायद वे अन्तर नहीं समझते कि दोनों पद्धतियों में कैसा अन्तर है, पी. डब्ल्यू. डी. और आर. एस. बी. सी. सी. की पद्धति में क्या अन्तर है। पी. डब्ल्यू. डी. में तो प्रत्येक काम की निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं किन्तु आर. एस. बी. सी. सी. में नहीं की जातीं। वहां तो चीजों की होती है। 1995-96 में विभिन्न समाचार पत्रों में कोटा जिले में सात निविदाएं प्रकाशित करवायी गयीं, इसी प्रकार से 1996-97 में 9 निविदाएं प्रकाशित करवायी गयीं। पुल निगम की कार्य-प्रणाली के अनुसार विभिन्न आइटमों की सीलिंग दर तय की जाती है उन सीलिंग दरों के आधार पर....(व्यवधान) उसी को कहते हैं वहां।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मंत्री महोदय, यह जवाब आपका ही है जिसमें आपने साफ लिखा है। मेरा सवाल यह था कि क्या ब्रिज कारपोरेशन की कोटा यूनिट द्वितीय व चतुर्थ द्वारा बिना खुली निविदाएं आमंत्रित किये कार्य आदेश जारी किये गये हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, इनको निविदाएं कहते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने लिखा है कि कोई कार्य आदेश बिना खुली निविदाओं के....(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, इन्हीं को निविदाएं कहते। वहां चीजों की निविदाएं होती हैं, सीमेंट, डामर, ईंटें आदि उसके हिसाब से निविदाएं होती हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सब ले जाओ, कर इकट्ठा। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : फिर फिक्स रेट जो बन जाती है उसके आधार पर ले जाकर निर्माण कराया जाता है। मैं यह पूछना चाहता हूं....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह आपका जवाब है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुझ पर इन्होंने आरोप लगा दिया। (व्यवधान) कोई नाम चतुर्वेदी का ले दिया कि आपके चहेते। मैं कोटा का विधायक हूं और कोटा की सवा लाख जनता मेरी चहेती है, आपकी चहेती नहीं है। चिंता मत करिये, चुनाव में आइये मुकाबला करेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : आइये, हो जाए मुकाबला। अगले चुनाव में मुकाबला हो जाए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं कहना चाहता हूं, आप मेरे मित्र हैं एक बात जीवन में रखने की प्रक्रिया की है। यह बात सच है कि ठेकेदार लोग बन जाते हैं, बन सकते हैं, गलती कर सकते हैं, उनको निकाला जा सकता है किंतु मुझ पर आरोप लगा रहे हो कि मेरा चहेता और मेरा व्यक्ति, यह आपसे शोभा नहीं देता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मंत्री महोदय, आरोप लगा नहीं रहा हूं, आरोप साबित कर रहा हूं। ये कागज रहे, आप कहो तो आपको पेश कर दूं, आपको दिखा दूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप कहो तो आपको दिखा दूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, उसी को बता रहा हूं मैं, निविदाएं....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये असत्य बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में जो प्रश्न उठ गया उसके बारे में आप.... (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ये कागज मेरे द्वारा तैयार नहीं किये गये, ये आप ही के विभाग के कागज हैं। (व्यवधान) जो साफ बोल रहे हैं कि शशी चतुर्वेदी को 43 रुपये पर क्यूबिक मीटर ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज दिया आपने और दूसरे को 32 रुपये दिया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि विधान सभा में जो सवाल संशोधित होते हैं या विधान सभा में जो सवाल उठाये जाते है वे केवल आपके माध्यम से और आपके आदेश से उठते हैं। विधान सभा की कार्य-प्रणाली के बारे में यहां कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह चार्ज नहीं लगा रहा हूं मैं, यह देखिये आप, यह साबित है। (व्यवधान) यह है बिल। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसके बावजूद भी इन्होंने गलत तथ्य पेश किये हैं और स्वयं उसमें संशोधन कर आये हैं। (व्यवधान) इसके बाद गलत तथ्य प्रस्तुत किये हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप स्वयं यह देख लीजिये, आप कहो तो आपको लाकर दिखा दूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पधारें आप, माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गलत चार्ज नहीं लगाता कभी। बेहतर तो यह होता आप बात को छेड़ते ही नहीं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता जो माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने बता दी। मेरे पास यह उस प्रश्न पत्र की फोटो स्टेट कापी है, कि जिसके बारे में संशोधित स्वीकार करें। अब मैं क्या बोलूं? आपके और आपकी सहमति से जो बैठ कर उस प्रश्न का होता है, प्रिविलेज होता है अगर हम कोई बोलें उस पर तो। मैं चाहता हूं, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य कुछ मर्यादाओं की चिन्ता करें। कौनसी बात बोलनी है कौनसी बात नहीं बोलनी है। मुझ पर आरोप लगाने के बहाने अगर सारे सचिवालय को....(व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरे खिलाफ प्रिविलेज ले आइये, आपके प्रिविलेज का मैं स्वागत करूंगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : विधान सभा सचिवालय को कटघरे में खड़ा कर प्रिविलेज खतम करने की कोशिश करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरे खिलाफ प्रिविलेज ले आओ, मैं तैयार हूं। आप अगर मेरे खिलाफ प्रिविलेज लाते हैं तो मैं स्वागत करूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह उपाध्यक्ष महोदय स्वयं व्यवस्था करेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : अगली बार हिण्डौली से नहीं कोटा से आएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : + + +....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया सुनें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर चर्चा करना चाहता हूं। सड़कों के रख-रखाव के विषय में चर्चा जिस प्रकार की हुई है उसमें सहमति बहुत अधिक मिली नहीं है, किन्तु योजनागत प्रावधान और गैर योजना में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उप मुख्य मंत्री को कि फाइनेंसेज कम थे, बजट कम था फिर भी इस बार इन्होंने हमारे यहां 13 करोड़ रुपये का प्रावधान और अधिक संधारण के लिए किया है। पिछली बार 112.59 करोड़ था इस बार 12.13 करोड़ बढ़ाकर कर दिया है। मेरी तो और रिक्वेस्ट है, आज मैं संकोच नहीं करूंगा कि राजस्थान भर की सड़कों की जैसी स्थिति है उसमें संधारण के लिए 10 करोड़ रुपया और चाहिए। मैं जानता हूं कि आज कहने की स्थिति में नहीं हूं किन्तु जिस समय विनियोजन पर बहस का सवाल आएगा, अगर 10 करोड़ रुपये मुझे मिल गये तो एक सितम्बर से संधारण का काम प्रारम्भ होकर 30 नवम्बर तक प्रत्येक रोड की रिपेयर करने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : वे अपने विवेक से काम करेंगे।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ी-सी चर्चा बी. ग्रो. टी. की ओर करना चाहता हूं। यह एक ऐसा विषय है कि जिस विषय में राजस्थान देश के सभी प्रान्तों में बहुत आगे है। बाकी प्रदेशों में योजनाएं चल रही हैं, सेमीनार्स हो रही हैं, चर्चा हो रही हैं, कुछ सड़कें भी लीं पर उन्होंने बी. ग्रो. टी. में नहीं लिये। जैसे ग्रार. एस. बी. सी. सी. हमारा है वैसे ही उनके संस्थानों से संस्थागत वित्त उधार लेकर करवा लिये। यह राजस्थान ही है जिसने तीन प्रोजेक्ट पूरे कर दिये हैं भरतपुर बाइपास, ग्रार. पी. शर्मा साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि 13.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, सीकर बाईपास 13.25 करोड़ रुपये, नसीराबाद-केकड़ी राजमार्ग चार करोड़ रुपये। 31 करोड़ रुपये के काम पूरे करने वाला व्यक्ति ग्राज के चार दिन बाद ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करने के लिए जयपुर में हमारे पास उपस्थित हो रहा है ग्रौर उसके बाद काम शुरू हो जाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, 17 ग्रन्य परियोजनाएं जिनको बी. ग्रो टी. के नाम से हमने कैलकुलेट किया है कि कितने व्हीकल्स चलते हैं। पता नहीं इसमें टेण्डर ग्राएंगे कि नहीं, लोग करने के लिए ग्राएंगे कि नहीं ग्राएंगे किन्तु राजस्थान की इतनी प्रसिद्धि हुई है कि बी. ग्रो. टी. जैसे काम में स्वयं का पैसा लगाकर के काम में लोग ग्राये हैं। उसमें अजमेर-भीलवाड़ा सड़क पर रायेला के पास रेलवे लाइन पर पुल बनाने का कार्य-लागत 8.50 करोड़, ग्रजमेर-भीलवाड़ा सड़क पर बांदनवाड़ा के पास रेलवे लाइन पर पुल बनाने का काम लागत 8.50 करोड़। 17 करोड़ के काम एक व्यक्ति करने के लिए तैयार है किन्तु हम सोच रहे हैं कि ग्रार. एस. बी. सी. सी. जो एक कान्ट्रेक्टर के नाते काम करता है राज्य सरकार कोई गारंटी नहीं देगी, कोई पैसा नहीं देगी किन्तु हमारा प्रतिष्ठान है इसलिए हमारी कोशिश है, हम फाइनेंस को मना रहे हैं इन दोनों पुलों का 17 करोड़ का काम बी. ग्रो. टी. के नाते हमारे ग्रार. एस. बी. सी. सी. को दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ हमने प्रस्तावित किये हैं-मंगलवाड़, निम्बाहेड़ा ग्रौर नीमच को मध्य प्रदेश की सीमा तक चौड़ा करना, सुदृढ़ीकरण करना, दस करोड़ रुपये के। इसके ग्रलावा 13 काम ग्रौर हमने छांटे हैं-बीकानेर संभाग में बीकानेर-नोखा सड़क, नोखा-नागौर सड़क, ग्रजमेर संभाग में कुचामन-डीडवाना सड़क, लाडनूं-तालछापर सड़क, मेड़ता सिटी-लाम्बिया-ब्यावर सड़क, कुचामन-परबतसर-किशनगढ़ सड़क। इसी प्रकार जोधपुर संभाग में उदयपुर-जोधपुर सड़क, रोहित बस्ती-आहोर-जालोर सड़क, कोटा संभाग में रामगंजमण्डी-सुकेत सड़क, बाबादेव मोलक-रामगंजमण्डी सड़क, ये दोनों सड़कें, बी. जे. पी. का एम. एल. ए. नहीं है वहां, श्रीमान् रामकिशनजी हैं, उनके दोनों प्रस्तावित किये हैं राजनीति से दूर रहकर। उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा-दोहद सड़क, मंगलवाड़-डबोक सड़क। इन योजनाग्रों का हम फाइनल सर्वे करवा रहे हैं कि क्या कितने व्हीकल्स चल रहे हैं। बाकी प्रदेशों में काम क्यों नहीं हो रहा ? इसलिए नहीं हो रहा कि निवेशक जो ग्राते हैं उनको भरोसा नहीं होता है कि काम पूरा करने के बाद भी उनके पैसे पूरे हो जाएंगे। फाइनेंशल इस्टीट्यूशन भी पैसा उधार देते हुए घबराते हैं।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

राजस्थान सरकार पहली सरकार है जिसने ट्राई पार्टी एग्रीमेंट किया है। एक पार्टी हम हैं, एक पार्टी निजी निवेशक है और तीसरी पार्टी फाइनेंशल इन्स्टीट्यूशन हैं। अगर कहीं बाधा आएगी तो फाइनेंशल इन्स्टीट्यूशन को अधिकार होगा कि वह टोल टैक्स वसूल करके उस काम को पूरा कर सकें। हिन्दुस्तान भर में प्रत्येक प्रदेश ने राजस्थान के इस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट को आनर किया है, इसका स्वागत किया है, इसकी प्रशंसा की है और उसी कारण बी. ओ. टी. के क्षेत्र में लगातार हमारे यहां काम बढ़ते चले जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : जोधपुर-जयपुर बाईपास का कोई है क्या ? जयपुर-चौमूं बाईपास की कोई योजना विचाराधीन है क्या ? (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जयपुर के दोनों बाईपास चाहे सी जोन हो और चाहे बी जोन हो, दोनों एन. एच. ए. आई., जो केन्द्र का संस्थान है, उसने ले लिये हैं। एक काम पूरा हो गया है, राजस्थान सरकार ने कर दिया है दूसरे जयपुर से लेकर किशनगढ़ तक का फोर लेनिंग का काम, उसकी प्राइमरी बातें करके एन. एच. ए. आई. आगे बढ़ रही है फोर लेनिंग करने की दृष्टि से।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक चर्चा आयी थी। 1996 को जो बाढ़ आयी अलवर, भरतपुर और कुछ क्षेत्र में, इस पर आज चर्चा हुई। बहुत चर्चा की भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने। पहले कमी कम थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय को कि उन्होंने 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जिसका काम सितम्बर से प्रारम्भ हो जाएगा उन सड़कों के डेमेजेज के लिए अतिवृष्टि के कारण जिनकी हालत खराब है और जिनकी चर्चा की गयी है। मैं मानता हूं, मैं संकोच नहीं करता कि पैसे का प्रावधान नहीं होने के कारण जिस प्रकार मेंटीनेंस करना संभव होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। पर एक ओर जहां पैसा बढ़ गया 12 करोड़ रुपये का दूसरी ओर 50 करोड़ का प्रावधान यह बढ़ गया, इनके आधार पर करने की हमने कोशिश की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के सुझाव आये थे, दिशादर्शन आये थे और मार्गदर्शन आये थे। (व्यवधान) उस गहलोत संभाग को हम नाबार्ड में ले रहे हैं। आप चिन्ता मत करिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मांग को स्वीकार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्री महोदय, मेंहदीपुर बालाजी बाईपास का क्या हुआ ? (व्यवधान) कब शुरू हो जाएगा ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अक्टूबर, 98 के आखिर में शुरू हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री हीरालाल बिश्नोई : मंत्री महोदय, हमारे 1995-96 की सड़कें अभी अधूरी पड़ी हुई हैं कब तक पूरी हो जाएगी ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि केन्द्र प्रवर्तित योजना में जो कोटपूतली-सीकर.... (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्रश्न का त्याग नहीं करें। मुझसे मिल लें, अपन कोई न कोई रास्ता बैठकर इसमें निकालने का प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मंत्री महोदय, कोटपूतली–सीकर का क्या होगा ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय मंत्रीजी, हमारे फोर लेनिंग का क्या होगा ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उदयपुर से रतनपुर के बीच में जिस तरीके से एक्सीडेंट्स होते हैं उसको भी फोर लेनिंग करना चाहिए और आबू से लेकर उदयपुर तक.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराज जाएं माननीय सदस्य। बिराजें..... (व्यवधान) अब आप बिराजें, माननीय सदस्य, कृपया। राजेन्द्रजी, आसन पैरों पर है, आप बिराजें, बिराज जाएं। बिराज जाएं, माननीय सदस्य।

मांग संख्या 21 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21–सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,27,64,90,000/- (चार अरब सत्ताईस करोड़ चौंसठ लाख नब्बे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 1998 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 21.21 बजे बुधवार; दिनांक 22 जुलाई, 1998 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सूची "क"

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 179 की सूची)

जिला पाली के पंचायत समिति पाली में कार्यरत पशु चिकित्सालयों के स्वीकृत पद एवं पदस्थापन की सूची

पंचायत समिति—पाली

नाम पद	बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय पाली		पशु चिकित्सालय गुन्दोज		पशु चिकित्सालय रूपवास		पशु चिकित्सालय गुढ़ाएन्दला		
	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
सहायक निदेशक	1	—	—	—	—	—	—	—	
व. प. चिकित्सा अधिकारी	5	4	—	—	—	—	—	—	स्थानान्तरण के कारण 3 पद 9/97 से एवं 1 पद 7/98 से
प. चिकित्सा अधिकारी	—	—	1	—	1	—	1	1	2/97 स्थानान्तरण से
प. चिकित्सा सहायक	—	—	1	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पशुधन सहायक	6	—	1	—	2	—	2	1 5/98 से पदोन्नति के कारण
एक्स-रे तकनीशियन	1	1	—	—	—	—	—	— } बजट निर्णायक समिति की बैठक में समाप्त करने का निर्णय
डार्करूम सहायक	1	1	—	—	—	—	—	—
सईस	1	—	1	—	—	—	—	—
जलधारी	1	—	1	—	1	—	1	1 वे. शृं. 1 से 6 तक के पदों पर प्रतिबन्ध होने के कारण
पट्टीबन्धक	1	—	—	—	—	—	—	—
सफाईकर्त्ता	1	—	1	—	—	—	—	—

सूची "ख"

जिला पाली के पंचायत समिति, रोहट में कार्यरत पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत पद एवं पदस्थापन की सूची

पंचायत समिति—रोहट

पद नाम	पशु चिकित्सालय, रोहट		पशु चिकित्सालय, माण्डावास		पशु चिकित्सालय, वायद		
	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	
पशु चिकित्सा अधिकारी	1	—	1	—	1	1	4/97 से स्थानान्तरण के कारण
पशु चिकित्सा सहायक	1	—	1	1	—	—	31-3-97 को सेवानिवृत्त के कारण
पशुधन सहायक	1	1	1	—	2	—	5/98 से पदोन्नति के कारण
सईस	1	—	1	—	1	—	
जलधारी	1	—	1	—	1	—	
सफाईकर्ता	1	—	1	—	1	—	

(266)

परिशिष्ट—2

(तारांकित प्रश्न संख्या 181 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

श्रम विभाग में अधिकारियों/निरीक्षकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं. 1	पद का नाम 2	कहां रिक्त है 3	कब से रिक्त है 4
1.	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	मुख्यालय	1-11-97
1.	संयुक्त श्रम आयुक्त	जयपुर (रीजन)	8-9-97
2.	"	जोधपुर	18-8-96
3.	"	कोटा	2-5-94
4.	"	मुख्यालय	1-11-96
5.	"	उदयपुर	5-4-94
6.	"	अजमेर	1-8-97
7.	"	बीकानेर	27-7-95
8.	"	अलवर	7-5-94
9.	"	पी. एच. ई. डी., जयपुर	22-12-95
10.	"	निदेशक, बाल श्रमिक परियोजना, जयपुर	20-7-95
1.	उप श्रम आयुक्त	मुख्यालय (प्रशासन)	31-5-93
2.	"	मुख्यालय (विधि)	15-6-93
3.	"	मुख्यालय (नवसृजित पद)	3-6-97
4.	"	भरतपुर	8-7-97
5.	"	श्रीगंगानगर	3-4-96
6.	"	सिचाई, जोधपुर	2-1-93
7.	"	सिचाई, जयपुर	22-7-94
8.	"	सा. नि. विभाग, जयपुर	11-5-93
9.	"	रोडवेज, जयपुर	5-4-94
10.	"	पी. एच. ई. डी., जयपुर	3-12-97

1	2	3	4
1.	सहायक श्रम आयुक्त	मुख्यालय	1-2-94
2.	,,	मुख्यालय	1-2-94
3.	,,	जयपुर (रीजन)	1-6-98
4.	,,	जोधपुर	7-5-94
5.	,,	अजमेर	20-7-95
6.	,,	टोंक	26-4-95
7.	,,	सीकर	27-7-97
8.	,,	उदयपुर	6-10-97
9.	,,	सिंचाई, हनुमानगढ़	14-8-95
10.	,,	अल्पबचत, कोटा	21-3-96
11.	,,	माही प्रोजेक्ट, बांसवाड़ा	15-5-92
12.	,,	सिंचित विकास, बीकानेर	16-1-92
13.	,,	वन विभाग, जयपुर	23-3-96
14.	,,	पी. एच. ई. डी. (लिटि.), जोधपुर	11-5-94
15.	,,	,, जयपुर	11-5-94
16.	,,	ई. गा. न. परियोजना, बीकानेर	1-8-95
17.	,,	पी. एच. ई. डी., उदयपुर	18-9-97
18.	,,	,, (ड्रिलिंग क्षेत्र, जयपुर	11-5-94
1.	श्रम कल्याण अधिकारी	जैसलमेर	3-5-93
2.	,,	नागौर	24-7-95
3.	,,	भरतपुर	26-7-95
4.	,,	बीकानेर	21-8-95
5.	,,	डूंगरपुर	15-6-98
6.	,,	जयपुर (रीजन)	22-3-98
7.	,,	सिंचाई विभाग, कोटा	22-7-95
8.	,,	सा. नि. विभाग, कोटा	28-7-95

1	2	3	4
9.	श्रम कल्याण अधिकारी	सा. नि. विभाग, जोधपुर	6-1-96
10.	"	इं. गा. न. परियोजना, जैसलमेर	31-8-91
11.	"	सा. नि. विभाग, बीकानेर	17-9-96
12.	"	सिचाई विभाग, जयपुर	15-6-98
1.	श्रम निरीक्षक,	उप श्रम आयुक्त, भरतपुर	7/97
2.	"	सा. नि. विभाग, जयपुर	12/95
3.	"	श्रम कल्याण अधिकारी, झालावाड़	6/98
4.	"	बीसलपुर परियोजना, जयपुर	1993
5.	"	सा. नि. विभाग, श्रीगंगानगर	1997
6.	"	" वृत-II, जोधपुर	8-5-95
7.	"	" वृत-5, जयपुर	5-12-95
8.	"	" भरतपुर	1997
9.	"	माही बजाजसागर परि., बांसवाड़ा	26-4-89
10.	"	सा. नि. विभाग, वृत-II, जयपुर	1997

नोट :— उपरोक्त रिक्त पदों में से निम्नलिखित रिक्त पदों के विरुद्ध निम्निलिखित अधिकारी पदस्थापित हैं :—

1.	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	अतिरिक्त चार्ज श्री ए. के. माथुर, संयुक्त श्रम आयुक्त के पास	1-11-97
2.	संयुक्त श्रम आयुक्त, रीजन, जयपुर	श्री नारायणसिंह, उप श्रम आयुक्त	8-9-97
3.	" जोधपुर	श्री गोपाल लाल शर्मा, उप श्रम आयुक्त	3-12-97
4.	" कोटा	श्री राजाराम मीणा "	27-7-94
5.	" उदयपुर	श्री सी. एफ. कैन, उप श्रम आयुक्त	11-12-95
6.	" अजमेर	श्री आर. एस. सोढ़ानी, उप श्रम आयुक्त	11-9-97
7.	" अलवर	श्री एच. पी. गुप्ता, उप श्रम आयुक्त	11-2-97

1	2	3	4
8.	संयुक्त श्रम आयुक्त, रीजन, बीकानेर	श्री एम. आर पूनिया, सहायक श्रम आयुक्त	4-8-97
9.	निदेशक, बालश्रमिक परि., जयपुर	अतिरिक्त चार्ज श्री आर. पी. पारीक सहा. श्रम आयुक्त	—
10.	उप श्रम आयुक्त. मु. (प्रशा.)	श्री सत्यव्रत शर्मा, सहा. श्रम. आयुक्त	1-4-95
11.	,, (विधि)	श्री आर. पी. पारीक, सहा. श्रम आयुक्त	22-4-95
12.	,, (नवसृजित)	श्री धनराज शर्मा, सहा. श्रम आयुक्त	22-7-97
13.	,, भरतपुर	अति. चार्ज श्री एच. पी. गुप्ता, उप श्रम आयुक्त	8-9-97
14.	,, सिंचाई, जोधपुर	श्री ए. बी. एल. माथुर, स. श्रम आयुक्त	31-7-94
15.	सहायक श्रम आयुक्त, मुख्यालय	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, श्र. क. अधिकारी	29-4-95
16.	,, ,,	श्री विष्णु कुमार शर्मा ,,	9-2-94
17.	,, जोधपुर	अति. चार्ज श्री राकेश थानवी, श्रम कल्याण अधिकारी	—
18.	,, अजमेर	श्री जीवराज सिंह, श्रम कल्याण अधिकारी	24-6-97
19.	,, टोंक	श्री दिवाकर व्यास, श्रम कल्याण अधिकारी	5-8-95
20.	,, पीएचईडी, बीकानेर	श्री एन. के. सोलंकी, श्रम कल्याण अधिकारी	15-6-98

(270)

परिशिष्ट "ख"

श्रम विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति समिति की अन्तिम बैठकों का विवरण

क्र. सं.	पद नाम	अंतिम विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि
1.	श्रम कल्याण अधिकारी	14-2-89
2.	सहायक श्रम आयुक्त	8-1-92
3.	उप श्रम आयुक्त	3-7-91
4.	संयुक्त श्रम आयुक्त	16-3-91
5.	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	11-4 94 (पद सृजित होने की तिथि)

परिशिष्ट—3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

माही परियोजना का घोषित सिंचित क्षेत्र

182. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले की माही परियोजना के घोषित सिंचित क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या नहरों के निर्माण क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल में सामंजस्य के अभाव के कारण भूमि को पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है ? क्या सरकार सिंचित क्षेत्र को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, नहीं । माही परियोजना के सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी नहीं पहुंच रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि पूर्व में इसका कमाण्ड क्षेत्र 80 हजार हैक्टेयर था । जल की उपलब्धता को देखते हुए 1,23,500 हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र कर दिया गया है । इस बढ़े हुए कमाण्ड क्षेत्र में नहरों का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो प्रगति पर है ।

(2) जी, नहीं । नहरों के निर्माण क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल में कोई सामंजस्य का अभाव नहीं है । माही परियोजना में सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध है । यह सही है कि टेल पर पानी की उपलब्धता कम होती है । इसका मुख्य कारण पानी के प्रबन्धन की कमी, जिसके फलस्वरूप हैड क्षेत्र के किसानों को प्रयोजन से अतिरिक्त पानी मिल रहा है । प्रबन्धन में सुधार लाया जाकर पूरे क्षेत्र में पर्याप्त पानी पहुंचाने हेतु कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ।

जिला बून्दी में पर्यटन विकास

183. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में पर्यटन विकास की दृष्टि से सरकार द्वारा कोई योजनाएं बनाई गई है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी ? मार्च, 1994 से 30 जून, 1998 तक क्या-क्या योजनाएं बनाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि बून्दी जिला पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ? यदि हां, तो उक्त अवधि में उक्त क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए क्या-क्या कार्य करवाये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि बून्दी में ताज एवं अन्य संस्थाएं होटल लगाना चाहती हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां । बून्दी जिले में पर्यटन विकास की दृष्टि से मई,1994 से 30 जून, 1998 तक राज्य योजनान्तर्गत निम्नलिखित योजनाएं बनायी गई हैं :–

(i) पर्यटक सूचना केन्द्र, बून्दी का निर्माण

(ii) पर्यटक विश्राम गृह, बून्दी का निर्माण

(iii) हाड़ौती सर्किट के तहत बून्दी में विकास कार्य

(iv) पेइंग गेस्ट योजना का प्रारम्भ ।

(2) जी, हां । मार्च,1994 से 30 जून, 1998 तक किये गये कार्यों की योजना का विवरण परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है ।

(3) जी, हां । बून्दी जिले में मैसर्स गेटवे होटल्स एण्ड गेटवे रिसोर्टस लि., बम्बई व श्री अरुण कुमार अरोड़ा होटल लगाना चाहते हैं । मैसर्स गेटवे होटल्स एवं गेटवे रिसोर्टस का मामला न्यायालय में विचाराधीन था, जो दिनांक 1-12-1997 को निर्णित हुआ है । श्री अरुण कुमार अरोड़ा का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है ।

परिशिष्ट—"क"

बून्दी जिले में मार्च 1994 से 30 जून, 1998 तक किये गये कार्यों की योजना का विवरण

1. वर्ष 1993-94 में पर्यटक सूचना केन्द्र, बून्दी के निर्माण हेतु राशि रु. 3.00 लाख स्वीकृत किये । पर्यटक स्वागत केन्द्र, बून्दी के लिए अभी तक भूमि का आबंटन नहीं हुआ है । ।
2. वर्ष 1994-95 में पर्यटक विश्राम गृह, बून्दी के निर्माण हेतु राशि रु. 10.00 लाख स्वीकृत किये गये । पांच कमरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।
3. वर्ष 1998-99 में हाड़ौती सर्किट (कोटा, बून्दी, झालावाड़, बारां) विकास कार्य हेतु राशि रु. 50.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं ।
4. वर्ष 1995 में पेइंग गेस्ट योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके तहत 22 पेइंग गेस्ट अवास पंजीबद्ध हैं ।
5. बून्दी जिले के पर्यटन स्थलों का पर्यटन साहित्य के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है ।
6. दिनांक 30 से 31 मार्च, 1996 तक बून्दी मुख्यालय में तथा दिनांक 24 से 26 नवम्बर, 1996 तक बून्दी जिले की केशवरायपाटन तहसील मुख्यालय पर बून्दी उत्सव का आयोजन किया गया ।
7. विभाग द्वारा इस अवधि में हाड़ौती क्षेत्र पर 30 मिनट की फिल्म प्रचार प्रसार हेतु निर्माणाधीन है, जिसमें बून्दी के पर्यटन स्थलों को दर्शाया जायेगा ।

रामगढ़ (जैसलमेर) में विद्युत उत्पादन

184. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जैसलमेर रामगढ़ में गैस आधारित विद्युत केन्द्र से कितने मेगावाट विद्युत पैदा की जा रही ।

(2) उक्त विद्युत में से जैसलमेर में कितने मेगावाट की खपत हो रही है ?

(3) क्या सरकार शेष विद्युत की आपूर्ति तहसील शेरगढ़ में करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) सौर ऊर्जा परियोजना कब शुरू की जा रही है ?

उत्तर

(1) जैसलमेर में रामगढ़ गैस आधारित विद्युत केन्द्र की 35.5 मेगावाट एवं 3 मेगावाट की विद्युत इकाइयों से गैस की उपलब्धता के आधार पर 30 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है ।

(2) रामगढ़ गैस आधारित विद्युत केन्द्र को राजस्थान के इ. एच. वी. ग्रिड से जोड़ा गया है जिससे जैसलमेर में करीब 10 एम. वी. ए. की बिजली की खपत हो रही है ।

(3) राज्य ही नहीं, समस्त उत्तर क्षेत्र (यानि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर) का एक्स्ट्रा हाईवोल्टेज विद्युत तंत्र एकीकृत रूप (Integrated manner) में कार्य कर रहा है । उत्तर क्षेत्र के समस्त विद्युत गृह जिसमें राज्य में स्थित सभी विद्युत गृह, व्यास व भांखड़ा की भागीदारी की योजनाओं के विद्युत गृह व केन्द्रीय परियोजनाओं के विद्युत गृह भी शामिल हैं, इस एकीकृत विद्युत तन्त्र से जुड़े हैं । लघुपन विद्युत गृहों को छोड़कर राज्य को विद्युत इसी एकीकृत ग्रिड से सप्लाई की जाती है । विद्युत उत्पादन व संचारण, लाइनों की उपलब्धि व उस क्षेत्र के विद्युत भार के अनुसार विद्युत, विद्युत गृह से स्वतः बहती है । रामगढ़ गैस विद्युत गृह भी इसी एकीकृत ग्रिड प्रणाली से जुड़ा हुआ है व इससे उत्पादित बिजली किस तरफ जावेगी यह ग्रिड व विभिन्न विद्युत गृहों से उत्पादन की अवस्था पर निर्भर है । अतः रामगढ़ की शेष बिजली को शेरगढ़ तहसील में ही देना तकनीकी आधार पर सम्भव नहीं है ।

(4) मथानिया (जोधपुर) में लगने वाले 140 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाकर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को दिनांक 20-5-1998 को पेश कर दिया गया है । वहां से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति मिलने पर यह प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाएगा । इसके अलावा निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा से 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन हेतु आशय पत्र जारी किये गये हैं, जिसमें से 50–50 मेगावाट के मै. एमको एनरान व मै. सनसोर्स के साथ फोटो वोल्टिक पद्धति पर आधारित विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत क्रय अनुबन्ध कर लिये गये हैं । अन्य 200 मेगावाट का आशय पत्र मै. एनरजन को सोलर चिमनी आधारित विद्युत गृह के लिए दिया गया है । इन प्रोजेक्ट्स पर फिलहाल कोई प्रगति

(ऊर्जा मंत्री)

नहीं हुई है । अतः शुरू किये जाने के विषय में बताना सम्भव नहीं है ।

राजसमन्द के आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

185. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के आयुर्वेदिक औषधालयों में कहां-कहां पर किस-किस श्रेणी के पद कब से रिक्त है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में संचालित आयुर्वेद औषधालयों में से 2 औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सकों के पद एवं 6 औषधालयों में नर्स/कम्पाउण्डर के पद रिक्त हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	औषधालय का नाम	दिनांक जब से पद रिक्त है
	आयुर्वेद चिकित्सक	
1.	पुनावली	30-10-97
2.	सांगड़	30-9-97
	नर्स/कम्पाउण्डर	
1.	रेलमगरा	1-6-97
2.	रेलमगरा	1-4-98
3.	बोरज	1-10-96
4.	बोरज	20-8-96
5.	पीपली आचार्यान	1-3-97
6.	तासोल	24-12-97

परिचालक का कोई पद रिक्त नहीं है ।

(2) जी, हां । आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पदों को स्थानान्तरण अथवा नवीन नियुक्ति की कार्यवाही की जाकर भरा जावेगा । नर्स/कम्पाउण्डर्स की नियुक्ति के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है । अतः माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार ही नियुक्ति की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना

186. डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के लिए नवीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट कितने करोड़ का है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ड्राफ्ट में पांच हजार करोड़ रुपया विदेशी सहायता के आधार पर जोड़ा हुआ है ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पांच हजार करोड़ रुपया विदेशी सहायता को बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो अब ड्राफ्ट कितने करोड़ का होगा ?

उत्तर

(1) राज्य की नवीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट प्रचलित मूल्यों पर 27443.80 करोड़ रुपये का योजना आयोग, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया।

(2) उक्त ड्राफ्ट में 5980.00 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी सहायता के आधार पर जोड़ा हुआ है।

(3) जी, नहीं।

संस्कृत विद्यालयों के रिक्त पदों पर पदस्थान

187. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा हेतु कितने विद्यालय किस-किस स्तर के कहां-कहां संचालित किये जा रहे हैं और कितने कहां-कहां निजी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त संचालित है ?

(2) क्या गत चार वर्षों में संस्कृत शिक्षा हेतु नवीन विद्यालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विद्यालयों में, पद रिक्त है ? यदि हां, तो कहां-कहां और उन्हें अब कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य में संस्कृत शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तर के राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रमांक	स्तर	राजकीय	अराजकीय
1.	वरिष्ठ उपाध्याय	23	9
2.	प्रवेशिका	69	18
3.	उच्च प्राथमिक	154	124
4.	प्राथमिक	677	30

सूची परिशिष्ट अ-I, अ-II संलग्न हैं।

(2) जी, हां। गत चार वर्षों में संस्कृत शिक्षा हेतु 184 नवीन संस्कृत प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी, हां। स्वीकृत नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में कुल 97 पद अध्यापक तृतीय श्रेणी के रिक्त हैं। रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है। रिक्त पदों को भरने हेतु नियमानुसार विज्ञप्ति जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

रामगंजमण्डी में जलग्रहण—एवं भूसंरक्षण योजना के अन्तर्गत विकास कार्य

188. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जलग्रहण एवं भूसंरक्षण योजना अन्तर्गत रामगंजमण्डी तहसील क्षेत्र के कितने गांवों में क्या-क्या कार्य करवाये गये

(श्री रामकिशन वर्मा)

हैं तथा कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जल ग्रहण एवं भूसंरक्षण की योजना में वृक्षारोपण व पौध वितरण कार्य भी करवाया गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां व वर्ष 1995 से जून, 1998 तक इस योजना में कितने पौधे लगाये व बांटे गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस योजना में चेक डैम भी बनवाये गये थे ? यदि हां, तो कहां-कहां ? क्या बनाये गये चेक डैम अभी मौजूद है यदि नहीं, तो क्यों ? इन पर हुए व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जलग्रहण योजना से क्षेत्र का भूगर्भीय जल बढ़ा है ? यदि हां, तो इसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट व मूल्यांकन का प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विशिष्ट योजनान्तर्गत वर्ष 1995 से जलग्रहण क्षेत्र के 21 गांवों में कार्य करवाये गये हैं। जिनमें 10 कार्य जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के एवं पांच कार्य एनीकट निर्माण के करवाये गये हैं जिनकी कुल लागत 59.47 है, सूची परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत हैं।

(2) जी, हां। इस योजनान्तर्गत 61,483 पौधे लगाये एवं वितरण का कार्य करवाया गया है जिसकी लागत रुपये 3.45 लाख आयी है। जिसकी सूची परिशिष्ट-ब पर प्रस्तुत हैं।

(3) जी, हां। इन योजनाओं में चेक डैम का निर्माण भी करवाया गया था। चेक डैम के निर्माण एवं स्थिति की जांच संयुक्त निदेशक, गुण नियंत्रण एवं सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जारी है जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि कोई अनियमितता पायी गयी तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। निर्माण कराये गये क्षेत्र का नाम एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न कर प्रस्तुत हैं।

(4) जलग्रहण क्षेत्र में भूगर्भीय जल बढ़ने के बारे में अभी तक कोई सर्वेक्षण एव मूल्यांकन नहीं करवाया गया है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	कार्य का नाम	योजना का नाम	वर्ष 95 से अब तक का व्यय (लाखों में)	गांवों का नाम जिनमें कार्य कराये गये
1	2	3	4	5
1.	घायपुरा जलग्रहण	डीपीएपी	13.22	घायपुरा, गणेशपुरा, गुमानपुरा, बडोदिया, मोड़क, भगवानपुरा
2.	मदनपुरा जलग्रहण	ई.ए.एस. (सु.रो.यो.)	6.00	मदनपुरा
3.	कंवरपुरा जलग्रहण	डीपीएपी	5.16	मीन्याखेड़ी
4.	देवली कलां जलग्रहण	ई.ए.एस.	2.07	देवली कलां
5.	खेड़ली–ए जलग्रहण	डीपीएपी	4.24	कोटड़ी
6.	खेड़ली–बी जलग्रहण	डीपीएपी	3.04	खेड़ली
7.	बोरीना–ए, जलग्रहण	ई.ए.एस.	4.96	राजपुरा, गुलाबपुरा
8.	बोरीना–बी, जलग्रहण	ई.ए.एस.	2.61	हाथियाखेड़ी
9.	बोरीना–सी, जलग्रहण	ई.ए.एस.	2.63	बोरीना
10.	बोरीना–डी, जलग्रहण	ई.ए.सए.	2.15	सालेड़ा खुर्द
		एनीकट		
1.	चारिया खेड़ी एनीकट	ई.ए.एस.	2.70	चारियाखेड़ी
2.	कुटकिया एनीकट	ई.ए.एस.	1.48	कुटकिया
3.	हथोना एनीकट	ई.ए.एस.	3.32	हथोना
4.	दुड़कली एनीकट	ई.ए.एस.	3.51	दुड़कली
5.	हाथिया एनीकट	ई.ए.एस.	2.38	हाथिया
		कुल व्यय	59.47 लाख	

278

(राज्य मंत्री, कृषि) परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	जलग्रहण क्षेत्र का नाम	गांव का नाम	वृक्षारोपण व पौध वितरण की संख्या	व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	धायपुरा	धायपुरा, गणेशपुरा, गुमानपुरा, बड़ोदिया मोड़क, भगवानपुरा	9900 पौध रोपण	0.57
2.	मदनपुरा	मदनपुरा	5500 पौध रोपण 1300 वितरण 6800	0.58
3.	कंवरपुरा	मीन्याखेड़ी	5000 पौध रोपण 5000 वितरण 10000	0.57
4.	देवली कलां	देवली कलां	5830 पौध रोपण	0.45
5.	खेड़ली–ए	कोटड़ी	4371 पौध रोपण 1700 फलदार बितरण 6071	0.27
6.	खेड़ली–बी	खेड़ली	2720 पौध रोपण 300 फलदार वितरण 3020	0.18
7.	बोरीना–ए	गुलाबपुरा, राजपुरा	9102 पौध रोपण 1000 वितरण वानिकी 10102 1100 फलदार वितरण 11202	0.50

(राज्य मंत्री, कृषि)

1	2	3	4	5
8.	बोरीना–बी	हाथियाखेड़ी	2940 पौध रोपण 3000 वितरण वानिकी 1100 वितरण फलदार 7040	0.23
9.	बोरीना–सी	बोरीना	480 पौध रोपण 1140 वितरण फलदार 1620	0.10
		कुल पौधों की संख्या	61483	3.45

परिशिष्ट "स"

लूज स्टोन चेक डैम की सूचना

क्र. सं.	जलग्रहण क्षेत्र का काम	गांव का नाम	बनाये गये लूज स्टोन चेक डैम की संख्या	व्यय राशि (लाखों में)
1.	धायपुरा	धायपुरा, गणेशपुरा भगवानपुरा, मोंड़क बड़ोंदिया, गुमानपुरा	9	0.25
2.	देवली कलां	देवली कलां	51	0.73
			60	0.98 लाख

जिला दौसा में शारीरिक शिक्षकों का नियुक्ति प्रकरण

189. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1997-98 में जिला दौसा में शारीरिक शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त थे ? उक्त पदों में से कितने पदों पर नियुक्तियां की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला दौसा में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति एक साथ की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जिला दौसा में वर्तमान में कुल कितने पद रिक्त हैं ? सरकार द्वारा इन पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1997-98 में दौसा जिले में तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों के कुल 48 पद रिक्त थे। रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त आशार्थियों के नियुक्ति आदेश की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) नियुक्ति आदेश अलग-अलग तिथि में प्रसारित किये गये। वर्ष भर में रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता सूची का निर्माण किया जाकर रिक्तियों के अनुरूप नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जाते हैं।

(3) वर्तमान में 4 तृतीय श्रेणी तथा 2 द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक के पद दौसा जिले में रिक्त हैं, जिसमें 3 पद न्यायालय निर्णय के आदेशों के परिपेक्ष में रिक्त रखे जाने हैं। एक तृतीय श्रेणी तथा दो द्वितीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर को प्राप्त राशि

190. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर द्वारा कौन-कौन सी स्वीकृतियां जारी की गई ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभिकरण द्वारा जारी की जाने वाली स्वीकृतियों के क्या मानदंड हैं ?

(3) उक्त अभिकरण द्वारा स्वीकृतियां जारी होने से पूर्व क्या अभिकरण के सदस्यों की राय ली जाती है ?

(4) उक्त अवधि में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर को राज्य सरकार/भारत सरकार तथा अन्य मदों से प्राप्त होने वाली राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर द्वारा वर्ष 1995-96, 96-97 एवं 97-98 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का वर्षवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट "क" "ख" एवं "ग" में अंकित है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की संख्या सूची निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	योजना का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या (वर्ष 1995-96 से 97-98)
1.	जवाहर रोजगार योजना	421
2.	आश्वासित रोजगार योजना	1246
3.	निर्बन्ध राशि	157
4.	अपना गांव अपना काम	297
5.	बत्तीस जिले बत्तीस काम	219
6.	ग्रामीण विकास केन्द्र	93
7.	सांसद क्षेत्रीय विकास योजना	117
8.	आई. पी. पी. नवम्	73
9.	न्यूनतम आवश्यकता, कार्यक्रम	32
		2655

(2) विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की कार्य योजना वर्ष के आरम्भ में तैयार कर ली जाती है। कार्यों के प्रस्ताव ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होते हैं, जिनका उक्त कार्य योजना में समावेश किया जाता है। बत्तीस जिला बत्तीस काम, निर्बन्ध राशि योजना एवं सांसद क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जनप्रतिनिधियों के कार्यों के प्रस्ताव समय समय पर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कार्य योजना में समावेशित तथा समय-समय पर जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों को क्षेत्र की आवश्यकता, सन्तुलित क्षेत्र विकास एवं कोष की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये कार्य स्वीकृत किये जाते हैं, जिनका अनुमोदन अभिकरण की संचालन परिषद् की बैठक में करवा लिया जाता है।

(3) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों के प्रस्ताव प्रथमतः जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आते हैं, जिन्हें कार्यों की स्वीकृतियां जारी करते समय मध्य नजर

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

रखा जाता है। स्वीकृत कार्यों का अनुमोदन संचालन परिषद् की बैठक में करवा लिया जाता है।

(4) उक्त तीन वर्षों में प्रभिकरण को राज्य सरकार/भारत सरकार तथा अन्य मदों से प्राप्त हुई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड नसीराबाद का भवन प्रकरण

191. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड अजमेर की शाखा नसीराबाद के संबध में सचिव सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक 452 दिनांक 13-10-97 एवं ईएस/एस.सी./97/488 दिनांक 23-10-97 द्वारा भवन के जीर्णशीर्ण एवं असुरक्षित होने के संबंध में कोई टिप्पणी प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड अजमेर से भेजने को लिखा था ? यदि हां, तो प्रत्युत्तर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त भवन गिर गया तो उसके लिये जिम्मेदार कौन होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या शाखा के भवन निर्माण के लिए भूमि क्रय कर ली गई है ? यदि हां, तो भवन निर्माण न करवाने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जब तक इस शाखा भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं होता, इसे अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिए क्या प्रयास किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। प्रत्युत्तर की प्रति परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में बैंक शाखा भवन सुरक्षित पाये जाने से जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) यह सही है कि बैंक द्वारा कई वर्ष से शाखा भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय की हुई है। बैंक की वित्तीय स्थिति कमजोर होने तथा भवन निर्माण हेतु पर्याप्त कोष का अभाव होने से भवन निर्माण किया जाना संभव नहीं हो पाया।

(4) शाखा भवन सुरक्षित माने जाने के कारण शाखा को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के प्रयास किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रशासन/97-98/ प्रधान कार्यालय अजमेर

श्रीमान् संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) 19-12-97

सहकारी विभाग,

राजस्थान जयपुर।

विषय :— केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. अजमेर को शाखा नसीराबाद का असुरक्षित एवं अनुपयुक्त होना।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बैंक की शाखा जो कि भवन संख्या 863-64 में कार्यरत है की जांच बैंक के प्रशासनिक अधिकारी से करवाई गई। प्रशासनिक अधिकारी स्वयं द्वारा शाखा भवन का अवलोकन किया गया तथा साथ ही शाखा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों एवं शाखा में उपस्थित समिति/व्यवस्थापकों/सदस्यों द्वारा उक्त भवन का अवलोकन निरीक्षण करने पर पाया गया कि शाखा भवन की स्थिति न तो असुरक्षित एवं ना ही अनुपयुक्त है। पत्र के साथ रिपोर्ट की प्रति की फोटो प्रति संलग्न है, शाखा नसीराबाद का भवन झर-झर स्थिति में नहीं है। शाखा भवन की स्थिति संतोषप्रद है तथा भवन में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना प्रतीत नहीं होती। शाखा भवन की मालकिन द्वारा शाखा भवन खाली कराने हेतु विवाद बैंक के विरुद्ध न्यायालय में वर्ष 1988 से चल रहा है जो वर्तमान में भी विचाराधीन हैं।

धन्यवाद।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

ह./—

प्रबन्ध निदेशक

ग्राम चकरोजदा (आमेर) के अमीन के विरुद्ध जांच प्रकरण

192. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भू-प्रबन्ध विभाग ने तहसील आमेर के किन-किन ग्रामों के पर्चा लगान वितरण कर दिये और कितनों के शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील आमेर के ग्राम चकरोजदा के तैयार पर्चे सम्बन्धित अमीन ने वितरित कर दिये थे ? क्या तैयार शुदा कुछ पर्चों का अमीन द्वारा वितरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में अमीन की शिकायत हुई थी ? यदि हां, तो शिकायती पत्र और जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित अमीन को निलम्बित किया और बाद में बहाल कर दिया, जबकि जांच में दोषी पाये जाने पर भी किसी प्रकार की सजा नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) अभी तक जिन ग्रामों में पर्चे वितरित नहीं हुए हैं उन ग्रामों में पर्चे कब तक वितरित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) तहसील आमेर के 199 ग्रामों में से 190 ग्रामों के पर्चे लगान वितरण कर दिये गये हैं। शेष 9 ग्रामों के पर्चा लगान वितरण से शेष है। सूची संलग्न है।

(2) ग्राम चकरोजदा तहसील आमेर के पर्चे लगान, संबंधित भू-मापक द्वारा वितरण किये गये थे, किन्तु 4 खातेदारों के पर्चा लगान तैयार शुदा होने के उपरान्त भी वितरण नहीं किये गये, क्योंकि ग्राम की गत खसरा नम्बर 106, 111 व 112 के मध्य स्थित बिना नम्बरी भूमि होने के कारण आस-पड़ौस के पर्चे लगान रोके गये थे।

(3) जी, हां। शिकायत पत्र एवं जांच रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न हैं।

(4) जी, हां। भू-मापक को 31-3-97 को निलंबित किया गया था तथा बाद में 26-9-97 को बहाल किया गया। अतिरिक्त आयुक्त, भू-प्रबन्ध द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के विरुद्ध भू-मापक संघ के ज्ञापन के क्रम में विभाग के तीन अधिकारियों का एक जांच दल गठित कर पुनः जांच करवाई गई। इस कमेटी के जांच प्रतिवेदन के अनुसार अमीन का दोष नहीं पाये जाने पर निलम्बित भू-मापक को बहाल किया गया।

(5) तहसील आमेर के शेष रहे 9 ग्रामों में पर्चा लगान वितरण से पूर्व की कार्यवाही "मिलान क्षेत्रफल" तैयार किया जा रहा है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर पर्चे लगान वितरण कर दिये जायेंगे।

ग्राम चकरोजदा के समस्त पर्चों का वितरण कर दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में जनजाति क्षेत्रीय परिषद् का गठन

193. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास परिषद् का गठन किया गया है ? यदि हां, तो कब ? सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परिषद् की वर्ष में कितनी बैठकें बुलाया जाना आवश्यक है ? गत चार वर्षों में परिषद् की बैठकें कब-कब आयोजित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा जनजाति परामर्शदात्री समिति का गठन किया हुआ है जिसका पुनर्गठन दिनांक 9-8-95 को किया गया। उक्त समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) उक्त समिति की तीन माह में बैठक बुलाये जाने का प्रावधान है। गत चार वर्षों में परिषद् की निम्न बैठकें आयोजित की गई :—

1. 5-9-95
2. 27-28 दिसम्बर, 1995
3. 30-31 अगस्त, 1996
4. 27-28 जून, 1997

परिशिष्ट "अ"

1.	राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	पदेन अध्यक्ष
2.	श्री चुन्नीलाल गरासिया, सदस्य राज. विधान सभा, उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर।	उपाध्यक्ष
3.	श्री भीमराज मीणा, सदस्य राज. विधान सभा, आसपुर	सदस्य
4.	श्री भीखा भाई, सदस्य, राजस्थान विधान सभा, सागवाड़ा	सदस्य
5.	श्री शंकर लाल अहारी, सदस्य राज. विधान सभा, डूंगरपुर	सदस्य
6.	श्री नाथू राम अहारी, सदस्य राज. विधान सभा, डूंगरपुर	सदस्य
7.	श्री नारायण लाल, सदस्य राज. विधान सभा, लसाड़िया	सदस्य
8.	श्री फूल चन्द, सदस्य, राज. विधान सभा, सलूम्बर	सदस्य
9.	श्री महावीर भगोरा, सदस्य विधान सभा, गोगुन्दा	सदस्य
10.	श्री दयाराम परमार, सदस्य विधान सभा, खेरवाड़ा	सदस्य
11.	श्री रघुवीर सिंह, सदस्य राज. विधान सभा, सराड़ा	सदस्य
12.	श्री कुबेर सिंह, सदस्य राज. विधान सभा, फलासिया	सदस्य
13.	श्री प्रभुराम, सदस्य राज. विधान सभा, पिण्डवाड़ा	सदस्य
14.	श्री जितेन्द्र नीनामा, सदस्य राज. विधान सभा, घाटोल	सदस्य

15.	श्री फतेह सिंह, सदस्य राज. विधान सभा, कुशलगढ़	सदस्य
16.	श्री दुलीचन्द, सदस्य राज. विधान सभा, दानपुर	सदस्य
17.	श्री गुणवन्त सिंह कोठारी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद्, उदयपुर	सदस्य
18.	सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,	सदस्य
19.	सचिव, विशिष्ट योजना संगठन विभाग,	सदस्य
20.	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	सदस्य सचिव

राज्य में गंगनहर–भाखड़ा बांध व इन्दिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति

194. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगनहर, भाखड़ा व इन्दिरा नहर को अन्तरराज्यीय समझौते के अनुसार जितना पानी मिलना चाहिए, उस मात्रा में नहीं मिल पाता ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्षों में उक्त नहरों पर डिसिल्टिंग कार्य करवाये गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब एवं कितनी राशि के तथा इनका भौतिक सत्यापन कब-कब किया गया ?

(3) क्या गंगनहर (बीकानेर फीडर) की मरम्मत के लिए लिंक नहर बने काफी समय हो गया है और इस नहर से पानी की आपूर्ति भी हो रही है ? क्या सरकार उक्त नहर की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या गंगनहर लिंक चैनल से पानी का वितरण सही नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो किस कारण से ? क्या सरकार इस पर अतिशीघ्र रेग्यूलेटर बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अन्तरराज्यीय समझौते के अनुसार पानी सही मात्रा में प्राप्त हो रहा है।

(2) जी हां। डिसिल्टिंग कार्यों की सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। भौतिक सत्यापन नियमानुसार भुगतान से पूर्व ही किया जाता है।

(3) जी हां। नहर से पानी की आपूर्ति भी हो रही है। मरम्मत के प्रस्ताव/तखमीने केन्द्रीय जल आयोग को भेजे जा चुके हैं। स्वीकृति एवं वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर 6 वर्ष में कार्य करा दिया जायेगा।

(4) जी नहीं। रेगूलेटर पूर्व से ही निर्मित है।

परिशिष्ट 'अ–1'

सिंचाई वृत्त हनुमानगढ़

वर्ष 1997-98 में सिल्ट सफाई के कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य कराने की अवधि प्रारम्भ	समाप्ति	राशि रुपयों में
1	2	3	4	5
1.	सिल्ट सफाई एल.एल.डब्ल्यू., आर.डी. 153 से 175	6-12-96	9-2-97	26875 00
2.	सिल्ट सफाई डी.के.डब्ल्यू., आर.डी. 0 से 40	6-12-96	9-3-97	61759.00
3.	सिल्ट सफाई बी.जी.एस. आर.डी. 11 से 24.033	30-11-96	16-3-97	39213 00
4.	सिल्ट सफाई एफ.टी.पी. आर.डी. 0 से 6250	17-11-96	प्रगति पर	16878 00
5.	सिल्ट सफाई सी.डी.आर. एफ.टी.पी.आई.जी.एन.पी. लिंक आर.डी. 0 से 380	1-2-97	3-2-97	3028.00
6.	सिल्ट सफाई व बर्म कटिंग सी.डी.आर.एफ.टी.पी. 0 से 5	17-11-96	16-12-96	45253.00
7.	सिल्ट सफाई एफ.टी.पी. आर.डी. 0 से 6.250	17-11-96	16-12-96	17251.00
8.	सिल्ट सफाई एस.डी.पी. माइनर आर.डी. 0 से 24	2-11-96	28-10-96	77964.00
9.	सिल्ट सफाई एल.एल.जी. माइनर आर.डी. 0 से 15	2-11-96	12-11-96	52425.00

287

1	2	3	4	5
10.	सिल्ट सफाई व बर्म कटिंग वाट कोर्स कैनाल कलोनी हनुमानगढ़	9-11-97	प्रगति पर	8855.00
11.	सिल्ट सफाई एस.डी.एस. माइनर आर.डी. 12 से 25	20-12-97	11-12-97	78099.00
12.	सिल्ट सफाई एस.डी.एस. माइनर आर.डी. 0 से 12	22-1-98	12-1-98	83041.00
13.	सिल्ट सफाई एस.पी.एम. माइनर आर. 8.5 से 20	1-12-97	28-11-97	49712.00
14.	सिल्ट जाला टी.एल.डब्ल्यू की आर.डी. 0 से टेल	4-7-97	13-7-97	25322.00
15.	सिल्ट सफाई एम.ओ.डी. आर.डी. 120 से 141	29-6-97	6-7-97	24794.00
16.	सिल्ट सफाई डी.बी.एन. माइनर 2 से 10, 15 से 21.500	23-6-97	6-7-97	19928.00
17.	सिल्ट सफाई जे.एस.एन. शाखा आर.डी. 40.5 से 52.6	10-6-97	10-7-97	18446.00
18.	सिल्ट सफाई जे.एस.एन. शाखा आर.डी. 52.5 से 63.800	11-6-97	11-7-97	11470.00
19.	सिल्ट सफाई जे.आर.के. शाखा आर.डी. 57 से 78	4-7-97	23-7-97	19744.00
20.	सिल्ट सफाई एम.आर.एम. शाखा आर.डी. 0 से 12	16-12-97	22-12-97	106219.00
21.	सिल्ट सफाई एन.डी.आर. शाखा आर.डी. 75 से 100	14-12-97	20-12-97	86610.00
22.	सिल्ट सफाई एन.टी.आर. शाखा आर.डी. 55 से 75	14-12-97	22-12-97	74803.00
23.	सिल्ट सफाई डी.पी.एन. शाखा आर.डी. 68.3 से 84	12-12-97	30-12-97	39474.00

1	2	3	4	5
24.	सिल्ट सफाई जे.जी.डब्ल्यू. ग्रार.डी. 25 से 45.3	14-12-97	29-12-97	28746.00
25.	सिल्ट सफाई जे.एस.एन. शाखा आर.डी. 64 से 77.500	9-12-97	29-12-97	35730.00
26.	सिल्ट सफाई जे.एस.एन. मेजर ग्रार.डी. 3.5 से 7	2-1-98	7-1-98	144847.00
27.	सिल्ट सफाई जे.एस.एन. मेजर ग्रार.डी. 0 से 3.5	2-1-98	12-1-98	144984.00
28.	सिल्ट सफाई आर.डी. 7 से 10200	2-1-98	8-1-98	131985.00
29.	सिल्ट सफाई डी.डब्ल्यू डी. आर.डी. 25000 से 30000	4-8-97	10-8-97	30813.00
30.	सिल्ट व बर्म सफाई डी.डब्ल्यू. डी.ग्रार.डी. 30.00 से 36.00	4-8-97	13-8-97	30102.00
31.	सिल्ट व बर्म सफाई डी.डब्ल्यू. डी.ग्रार.डी. 42.000 से 53.000	4-8-97	प्रगति पर	31045.00
32.	सिल्ट व बर्म सफाई एन डब्ल्यू. डी.ग्रार.डी. 20.00 से 33.500	4-8-97	प्रगति पर	44569.00
33.	सिल्ट व बर्म सफाई एम जेड. डब्ल्यू एस.एम.ग्रार.डी. 0.002 से 7.000	13-6-97	19-6-97	18782.00
34.	सिल्ट व बर्म सफाई एम. जेड.डब्ल्यू.एम.आर.डी. 7.00 से 14.00	13-6-97	19-6-97	29801.00
35.	सिल्ट व बर्म सफाई बावली माइनर ग्रार.डी. 0.000 से 15.000	4-3-97	10-8-97	86516.00
36.	बर्म अनलोडिंग ग्रोफ पी.पी.एम. ग्रार.डी. 0.000 से 20.000	4-3-97	26-9-97	114057.00

289

1	2	3	4	5
37.	सिल्ट व बर्म सफाई के.डब्ल्यू.डी. आर.डी. 27.000 से 34.000	30-11-97	6-12-97	17945.00
38.	सिल्ट व बर्म सफाई के.डब्ल्यू. एम.आर.डी. 0.000 से 10.000	6-1-98	14-1-98	64873.00
39.	सिल्ट सफाई मुन्डा माइनर आर डी. 0.000 से 1500	9/97	प्रगति पर	44000.00
40.	पी.टी.डी.आर.डी. 0 से 10	25-1-97	3-2-97	56000.00
	,, 20 से 30	,,	,,	60000.00
	,, 33 से 43	9-1-98	19-1-98	104000.00
41.	अनूपगढ़ शाखा आर.डी. 60 से 62	25-1-97	3-2-97	21000.00
	,, आर.डी. 73 से 74	,,	,,	11000.00
42.	सरदारपुरा शाखा आर.डी. 0 से 4	22-3-97	29-3-97	42000.00
	,, ,, 10 से 21	,,	,,	65000.00
43.	बूगिया शाखा आर.डी. 2 से 8	22-3-97	29-3-97	51000.00
	,, ,, 8 से 13	,,	,,	35000.00
	,, ,, 13 से 22	,,	,,	55000.00
	,, ,, 22 से 33	,,	,,	52000.00

1	2	3	4	5
44.	मालसर शाखा आर.डी. 0 से 15	11-3-98	21-3-98	95000.00
45.	जैतसर शाखा आर.डी. 0 से 12	,,	,,	45000.00
46.	जे.के.एम.आर.डी. 0 से 5	,,	,,	51000.00
	आर.डी. 51 से 10.750	,,	,,	54000.00
47.	के.जे.डी.आर.डी. 0 से 6	9-9-98	18-1-98	77000.00
48.	,, ,, 17 से 30	22-5-97	31-5-97	151000.00
49.	,, ,, 30 से 43250	,,	,,	126000.00
50.	,, ,, 73250 से 82000	8-1-98	17-1-98	62000.00
51.	,, ,, 105 से 115	,,	,,	36000.00
52.	,, ,, 115 से 126500	,,	,,	58000.00
				510000.00
53.	के.पे.डी.आर.डी. 6 से 33500	22-5-97	31-5-97	90000.00
54.	के.एन.डी.आर.डी. 10 से 20	9-1-98	18-1-98	63000.00
55.	,, ,, 20 से 30	,,	,,	69000.00
			योग :	35,14,958.00

परिशिष्ट 'अ-2'

इन्दिरा गांधी नहर द्वितीय चरण में डिसिल्टिंग पर किये गये व्यय का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1.	1992–93	36.50
2.	1993-94	38.19
3.	1994–95	39.50
4.	1995–96	3,41,638 + 07.50 = 10.92
5.	1996–97	10.35
6.	1997–98	34.12
	कुल	169.78

हाड़ौती क्षेत्र का पर्यटन विकास

195. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन विकास की दृष्टि से कोटा, बून्दी में शाही रेल रुकवा कर, झालावाड़ में बुद्ध-कालीन गुफाओं तथा पर्यटन स्थलों को प्रचारित प्रसारित किये जाने की दृष्टि से कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो किस रूप में ? और नहीं, तो क्यों ?

(2) कोटा, बून्दी, झालावाड़ एवं बारां जिलों में पर्यटन विकास हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप किये जाने की दृष्टि से कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो किस रूप में ?

उत्तर

(1) वर्तमान हाड़ौती क्षेत्र में पर्यटन विकास की दृष्टि से कोटा, बून्दी में शाही रेल रुकवाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। झालावाड़ में बुद्धकालीन गुफाओं तथा हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार हेतु विभाग द्वारा पर्यटन साहित्य मुद्रित करवाकर वितरित किया जा रहा है।

(2) कोटा, बून्दी, झालावाड़, बारां जिलों में पर्यटन विकास की दृष्टि से वर्ष वर्ष 1998-99 में राज्य योजनान्तर्गत राशि

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

रु. 50.00 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त कोटा, बून्दी एवं झालावाड़ में पर्यटक विश्राम गृह एवं पर्यटक सूचना केन्द्र संचालित है।

तहसील बौंली के ग्रामों का विद्युतीकरण

196. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील–बौंली जिला–सवाई माधोपुर में कितने गांव विद्युतीकृत हैं और कितने गांवों को विद्युतीकृत किया जाना शेष है ?

(2) उक्त कितने गांवों में अब तक कनेक्शन दिये जा चुके हैं और कितने गांवों में शेष हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गांवों में विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र जमा कराये गये हैं ? यदि हां, तो इन्हें अब कब तक कनेक्शन दे दिया जाएगा ? विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की संख्या ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1981 को जनगणना पुस्तिका के अनुसार तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर) में 175 गांव विद्युतीकृत घोषित हैं, इनमें से 151 गांवों में बिजली उपलब्ध है।

(2) तहसील बौंली के विद्युतीकृत ग्रामों में से 151 गांवों में कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा 20 ग्रामों में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं। चार ग्रामों मांगरोल, बाढ़ बिलोली, बिलोली नदी व सामोली में आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं।

(3) जी, हां। ग्राम मांगरोली, बाढ़ बिलोली, बिलोली नदी व सामोली में घरेलू श्रेणी के 81, अघरेलू श्रेणी का एक व कृषि के 4 आवेदन पत्र लम्बित हैं। उक्त चारों ग्रामों की लाइनें आंधी, तूफान व बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, उन लाइनों को उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ठीक कर शीघ्र कनेक्शन देने के प्रयास किये जावेंगे।

आयुर्वेद चिकित्सक का गबन प्रकरण

197. श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या आयुर्वेद विभाग में एक चिकित्सक द्वारा झूठा शपथ पत्र पेश कर करीब 41,860/- रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग करने का प्रकरण सामने आया है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरण की जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्रकरण में लिप्त अधिकारियों की प्रकरण को प्रभावित करने की

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

आशंका के कारण कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित अथवा निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। आयुर्वेद चिकित्सक श्री महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा 41,866.00 रुपये दुरुपयोग करने का प्रकरण सामने आया है। विवरण परिशिष्ट-"क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। जांच उपरान्त राज्य सरकार ने श्री महावीर प्रसाद को प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाया। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-"क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) मुख्य आरोपी श्री महावीर प्रसाद के विरुद्ध सी. सी. ए. नियमों के नियम-17 में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है एवं निम्न सहयोगी आरोपियों को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई है :–

1. श्री श्याम सुन्दर वशिष्ठ, रजिस्ट्रार, इण्डियन मेडिसिन बोर्ड, जयपुर।
2. श्री मदन मिश्रा, जिला आयुर्वेद अधिकारी, सीकर।
3. श्री जगदीशराम शर्मा, अतिरिक्त निदेशक, (आयुर्वेद) जयपुर।
4. श्री भगवान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र।

(4) जी, नहीं। आरोपी के विरुद्ध जांच पूरी होने पर कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

खीवासर (झुन्झुनूं) के समाज कल्याण भवन निर्माण में अनियमितता

198. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 1996–97 में विकास कार्यों के सम्बन्ध में सामाजिक अंकेक्षण करवाया गया था, जिसमें झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र की छऊ पंचायत के ग्राम खीवासर में समाज कल्याण भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि साठ हजार में से करीब अट्ठाईस हजार रुपये का कार्य भवन भर नहीं करवाया जाना पाया गया ?

(2) यदि हां, तो क्या इस बकाया राशि को सम्बन्धित सरपंच से वसूल करने बाबत अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? क्या सरकार अब कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि वर्ष 1996–97 में राज्य के अन्य जिलों के साथ झुन्झुनूं जिले में भी सामाजिक अंकेक्षण का अभियान चलाया गया था। झुन्झुनूं जिले की उदयपुरवाटी पंचायत समिति के छऊ पंचायत के ग्राम खीवासर में समाज कल्याण

(राज्य मंत्री, आयोजना)

भवन निर्माण हेतु साठ हजार रुपये स्वीकृत किये गये थे जिसमें से ईक्कतीस हजार का कार्य करवाया गया है। कार्य चौरासाई तक का हुआ है। छत की पट्टियां नहीं डाली गई। इस प्रकार रु उनतीस हजार का कार्य करवाना शेष है।

(2) सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच से चार्ज लेने हेतु मुन्सिफ कोर्ट उदयपुरवाटी में कार्यवाही चल रही है तथा बकाया राशि की वसूली हेतु कार्यवाही विकास अधिकारी स्तर से जारी है।

जिला टौंक में दोषपूर्ण सड़क निर्माण

199. **श्री जगदीश प्रसाद मीणा** (उनियारा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील उनियारा एवं देवली जिला टौंक में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा गत 5 वर्षों में कहां-कहां सड़कों का निर्माण कराया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनी सड़कें सही स्थिति में हैं तथा कितनी सड़कों का जीर्णोद्धार कराया गया ?

(3) सड़कें जल्दी खराब हो जाने के क्या कारण रहे तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) तहसील उनियारा एवं देवली जिला टौंक के अन्तर्गत कृ. उ. म. स., उनियारा एवं देवली द्वारा विगत 5 वर्षों में निर्माण कराई गई सड़कों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	कृ.उ.म.स. का नाम	सम्पर्क सड़क का नाम	निर्माण वर्ष
1.	उनियारा	1. स.स. उनियारा नैनवां रोड से समरावता	1993–94
		2. ,, उनियारा खोखिया रोड से बालीथल	1993–94
		3. ,, उनियारा खोलिया रोड से डाबला	1993–94
		4. ,, फुलेरा से भोजपुरा	1993–94
2.	देवली	1. स.स. घांघोली से निवारियो	1993–94

(2) उक्त सभी सड़कें फरवरी, 97 में चालू हालत में सार्वजनिक निर्माण विभाग को सम्भला दी गई थी। तत्पश्चात् इनके रख-रखाव का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है।

(3) अत्यधिक वर्षा के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होने से मरम्मत का कार्य करवाया गया था।

ग्राम ऊंटाफला (डूंगरपुर) में प्राथमिक संस्कृत विद्यालय की स्वीकृति

200. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1987-88 में जिला डूंगरपुर के ग्राम खैरवाड़ा, पंचायत समिति बिछीवाड़ा में प्राथमिक संस्कृत विद्यालय की स्वीकृति प्रदान का गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि बिना स्वीकृति के ग्राम खैरवाड़ा से क्षेत्र ऊंटाफला में उक्त संस्कृत विद्यालय को स्थानान्तरित किया गया और अब विद्यालय ऊंटाफला में चलाया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार उक्त आदेश को संशोधित कर ऊंटाफला में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 1988-89 में स्वीकृति जारी की गई है।

(2) खैरवाड़ा ग्राम पंचायत चुण्डावाड़ा पं. स. बिछीवाड़ा में भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत चुण्डावाड़ा के ग्राम ऊंटाफला में विद्यालय संचालित किया जा रहा है।

(3) जी, हां। आदेश जारी कर दिये है।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना की राशि के विकास कार्य

201. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि "केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं" के लिए भारत सरकार से मिलने वाली राशि "पी. डी. अकाउन्ट" में नहीं रखने के निर्देश हैं ? यदि हां, तो निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की कितनी राशि "पी डी. अकाउन्ट" में कब-कब जमा करवाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पी. डी. अकाउन्ट्स में से रकम निकालने में वित्त विभाग से विलम्ब के कारण योजनाओं में व्यय में कमी आयी और कार्यों में रुकावट पैदा हो रही है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी, हां। निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत पांच वर्षों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की राशि पी. डी. अकाउन्ट में जमा कराने का ब्यौरा परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) केवल 2 अभिकरणों द्वारा पी. डी. अकाउन्ट से राशि वापस निकालने में कठिनाई महसूस की गयी है। परन्तु अधिकांश अभिकरणों द्वारा इससे व्यवधान होना नहीं पाया गया है।

वित्त विभाग

(मार्गोपाय अनुभाग)

क्रमांक : प. 12 (3) विभा/89 जयपुर, दिनांक 15, जनवरी, 1996

आदेश

विषय :— स्थानीय निकायों स्वशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों इत्यादि द्वारा निधियों का जमा व निवेश (डिपोजिट एवं इन्वेस्टमेंट)

विभागीय निधियां और अन्य अर्द्धशासकीय संस्थाओं यथाशिक्षण संस्थाओं, पंचायत समितियां, पंचायतें एवं राजकीय उपक्रमों (निगमों, राजकीय कम्पनियों आदि) की निधियों के जमा एवं निवेश (डिपोजिट एवं इन्वेस्टमेंट) के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं। ऐसे समस्त आदेशों और संशोधनों को अधिक्रमण (सुपरसीड) करते हुए, राज्यपाल महोदय विभिन्न संस्थाओं, निकायों एवं राजकीय उपक्रमों की निधियों के विनिधान के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित करते हैं :—

1. समस्त अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा नगरपालिका, विकास न्यास, पंचायत समिति कृषि उपज मण्डी समिति, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरिया, देवस्थान विभाग के अधिकाराधीन मंदिर, जिला परिषद्, राज्य फसल बीमा निधि एवं शैक्षणिक संस्थाएं, सरकारी शिक्षण संस्थाएं, स्वशासी संस्थाएं यथा मालवीय इंजीनियरिंग कालेज/अकादमियां/शिक्षा बोर्ड पाठ्य पुस्तक मण्डल/विश्वविद्यालय और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं उदाहरणार्थ खेलकूद परिषद् आदि और सहायता प्राप्त प्राईवेट संस्थाएं।

(क) अधिशेष निधियां राज्य सरकार के पास कोष/उप कोष में ब्याज अर्जित करने वाले निक्षेप के रूप में रखी जावेगी।

(ख) नित्यप्रति के उपयोग के लिए अपेक्षित निधियां कोष/उप कोष में व्यक्तिगत निक्षेप (बिना ब्याज) खाते में रखी जावेगी।

(ग) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना द्वितीय धारा, सुनिश्चित रोजगार योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, टाइसम, ड्वाकरा, स्थानीय सांसद क्षेत्रीय विकास योजना तथा अंशोड श्रमिक योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि की जमा एवं निवेश भारत सरकार द्वारा निर्देशों के अनुसार बैंकों में किया जावे।

टिप्पणियां :

1. पंचायतों द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि का जमा व निवेश भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।

2. नगरपालिकाओं द्वारा नेहरू रोजगार योजना स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त राशि का जमा व निवेश भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बैंकों में भी किया जा सकेगा।

3. नाबार्ड द्वारा वित्त घोषित परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त राशि (ऋण के अव्ययनित भाग की सीमा तक) का जमा व निवेश कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सम्बन्धित बैंकों में किया जा सकेगा।

4. सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरियां देवस्थान विभाग के अधिकाराधीन मंदिर एवं सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा किसी वाणिज्यिक/ग्रामीण/सहकारी बैंकों में चालू खाते रखे जा सकेंगे।

2. समस्त राजकीय उपक्रम (राजकीय उपक्रम ब्यूरो के अन्तर्गत यथा समस्त निगम, मण्डल सरकारी कम्पनियां आदि)।

(क) अधिशेष निधियां सरकार के पास कोष/उप कोष में ब्याज वाले निजी निक्षेप खातों के रूप में रखी जावेंगी। कतिपय राशियां समयावधि निक्षेप

बैंकों में भी रखा जा सकेगा, यदि ऐसा करना व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यथा बैंक गारन्टी के विरूद्ध आवश्यक हो ।

(ख) नित्यप्रति के उपयोग के लिए अपेक्षित निधियां कोषागार/उपकोषागार में व्यक्तिगत निक्षेप खाते में (बिना ब्याज) अथवा किसी वाणिज्यिक/ग्रामीण/सहकारी बैंकों के चालू खाते में रखी जा सकेगी ।

उपरोक्त संस्थान अधिशेष निधियों को डाकघर के अल्प बचत खातों में भी रख सकते हैं ।

कोष/उपकोष में ब्याज वाले निक्षेप खोलने हेतु वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी । निक्षेप में रखी निधियों के आहरण हेतु भी वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी और सम्बन्धित संस्था उपक्रम अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर चैक द्वारा राशि निकाल सकेंगे । तथापि यह सुविधा उन मामलों में, जिनमें निजी निक्षेप खातों में रखी राशि को आहरण पर वित्त विभाग द्वारा कोई विशेष रोक लगाई हो, उपलब्ध नहीं रहेगी । वर्तमान में निक्षेपों को विभिन्न अवधि के लिए देय ब्याज दरें निम्न प्रकार है :—

1.	46 दिन अथवा एक वर्ष से कम	8 प्रतिशत
2.	एक वर्ष से दो वर्ष तक	10 प्रतिशत
3.	दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम	9.5 प्रतिशत
4.	तीन वर्ष से अधिक	9 प्रतिशत

नोट :— उपरोक्त ब्याज दरें दिनांक 1-1-1995 से प्रभावी होंगी एवं भविष्य में यदि आवश्यक हुआ तो प्रत्येक तिमाही के आधार पर संशोधित की जायेगी ।

कोषाधिकारी ब्याज एवं बिना ब्याजयुक्त निजी निक्षेप खातों में जमा एवं निकाली गई राशियों की एक मुश्त साप्ताहिक सूचना वित्त (मार्गोपाय अनुभाग) विभाग को निक नेट के द्वारा भेजते रहेंगे।

विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे एवं माह के अन्त में वित्त (मार्गोपाय अनुभाग) विभाग को यह सूचना प्रेषित करेंगे कि कितनी-कितनी राशियां बैंकों में चालू खाते, समयावधि व राज्य सरकार के कोष या उपकोष में संधारित ब्याजयुक्त व बिना ब्याज के निजी निक्षेप खातों में जमा है। इस बारे में की गई ढील एवं लापरवाही को राज्य सरकार द्वारा गम्भीरतापूर्वक लिया जावेगा।

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि इन अनुदेशों का सम्बन्धित संस्थाओं, निकायों एवं राजकीय उपक्रमों, जिनके लेखों का इस विभाग द्वारा परीक्षण किया जाता है, अनुसरण करें।

नोट :— यदि किन्हीं विभागों द्वारा वित्त विभाग के इन आदेशों के विपरीत कोई निर्देश जारी किये गये हैं तो वे बिना वित्त विभाग की अनुमति के प्रभावशील नहीं माने जावेंगे।

ह./-
(एम. एल. मेहता)
मुख्य सचिव

परिशिष्ट–2

गत 5 वर्षों में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं की पी. डी. अकाउन्ट में जमा करायी राशि का वर्षवार विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	1993–94	94–95	95–96	96–97	97–98
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	1531.41	1231.59	948.07	1767.49	1127.25
2.	अलवर	147.94	160.00	260.11	186.66	328.94
3.	बांसवाड़ा	00.00	00 00	00.00	000.00	000.00
4.	बाड़मेर	2171.07	3002.10	1832.63	1661.33	1970.94
5.	बारां	0000.00	0000.00	134.00	352.00	27.00
6.	भरतपुर	0000.00	0000.00	0000.00	401.50	150.00
7.	बीकानेर	1003.19	1918.83	483 32	712.75	1246.32
8.	भीलवाड़ा	0000.00	0000.00	0000.00	0000.00	0000.00
9.	बून्दी	253.14	426.96	491.73	406.97	275.86
10.	चित्तौड़गढ़	0000.00	0000.00	0000.00	0000.00	0000.00

1	2	3	4	5	6	7
11.	चूरू	289.76	235.36	348.15	299.93	277.00
12.	धौलपुर	0000.00	0000.00	0000.00	205.00	0000.00
13.	दौसा	443.99	475.62	606.34	738.18	478.79
14.	डूंगरपुर	1682.38	1135.09	1084.78	1082.09	725.73
15.	गंगानगर	24.48	1142.68	1020.43	723.35	1146.43
16.	हनुमानगढ़	0000.00	0000.00	230.00	379.00	150.00
17.	जयपुर	561.77	688.48	876.01	717.59	618.94
18.	जालौर	399.97	330.23	386.71	349.71	244.92
19.	झुन्झुनूं	664.20	848.28	787.19	1243.56	860.55
20.	जोधपुर	1085.29	1329.51	413.58	482.62	1125.95
21.	जैसलमेर	1243.55	1852.91	1570.40	1859.69	2676.55
22.	झालावाड़	458.69	438.43	488.94	190.75	222.45
23.	कोटा	260.03	311.93	364.67	285.00	150.00

1	2	3	4	5	6	7	
24.	करौली	0000.00	0000.00	0000.00	0000.00	209.51	
25.	नागौर	0000.00	50.00	200.00	2610 00	351.00	
26.	पाली	36.50	100.00	160.50	109.00	340.56	
27.	राजसमन्द	212.22	324.69	342.43	300.84	229.94	
28.	सवाईमाधोपुर	0000.00	0000 00	0000.00	247.50	365 00	
29.	सीकर	759.15	621.65	905.21	650.97	380.48	
30.	सिरोही	349.98	336.65	472.75	519 85	401.99	
31.	टौंक	0000.00	0000.00	0000.00	0000.00	0000.00	
32.	उदयपुर	0000 00	0000 00	0000.00	0000.00	0000.00	
	योग	13679.07	16960.99	14408.95	18493.38	16072.10	79514.49

मंडी खाजूवाला में भूमि विकास बैंक की शाखा का सृजन

202. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मण्डी खाजूवाला में व्यापारिक, कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए ऋण व्यवस्था सुलभ कराने हेतु वित्तीय संस्थाओं की कमी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कमी के कारण लीड बैंक ने भूमि विकास बैंक बीकानेर को अपने पत्र संख्या 3194-3243 दिनांक 8-11-97 द्वारा खाजूवाला में शाखा खोलने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या नाबार्ड ने उक्त शाखा खोलने पर स्वीकृति दे दी है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। खाजूवाला मण्डी में बीकानेर केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा खाजूवाला में कार्यरत है एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., बीकानेर की एक शाखा खाजूवाला खोले जाने की स्वीकृति भी नाबार्ड द्वारा दी जा चुकी है।

(2) जी, नहीं। भूमि विकास बैंकों की शाखायें लीड बैंक की अभिशंसा पर नहीं खोली जाती। भूमि विकास बैंक, बीकानेर की वित्तीय स्थिति में सुधार तथा खाजूवाला की दूरी बीकानेर से 113 किलोमीटर दूर होने के कारण इस क्षेत्र में हो रहे कृषि विकास को दृष्टिगत रखते हुए नाबार्ड के पत्र क्रमांक राजे. जय/आई. डी. डी. यू. जी. 24/बी. हि. 97/98 दिनांक 16-1-98 द्वारा स्वीकृति दे दी गई है एवं विभाग द्वारा भी स्वीकृति दे दी गई है। शाखा चालू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी, हां।

बालिका प्राथमिक विद्यालय रायपुरपाटन (सीकर) का भवन निर्माण

203. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रायपुरपाटन की बालिका प्राथमिक विद्यालय के लिए चारागाह भूमि के खसरा नं. 529 में से 0.50 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो कब ? उक्त भूमि पर विद्यालय भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग नहीं मिलने से विद्यालय का निर्माण कार्य चालू नहीं हो सका ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला कार्यालय सीकर के आदेश क्रमांक 149-159/राजस्व/98

(राजस्व मंत्री)

दिनांक 29-1-98 के द्वारा राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय रायपुरपाटन के लिये ग्राम रायपुरपाटन की भूमि ख. नं. 529 रकबा 3.37 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से 0.50 हैक्टेयर भूमि स्कूल भवन एवं खेल मैदान हेतु आबटन की गई थी। उक्त आबंटित भूमि का कब्जा तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा दिनांक 10-2-98 को प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय, रायपुरपाटन को दिया गया। उक्त आबंटित भूमि पर ग्राम पंचायत ने भवन निर्माण का कार्य माह फरवरी, 1998 में प्रारम्भ किया तो आबंटित भूमि पर रामवीर सिंह पुत्र सवाई सिंह राजपूत ने अतिक्रमण कर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। तहसीलदार, नीमकाथाना ने अतिक्रमी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उसको सुनवाई का मौका देकर दिनांक 14-7-98 को निर्णय पारित कर अतिक्रमण हटाकर संस्था प्रधान को पुनः आबंटित भूमि पर काबिज कर दिया है।

(2) जी, नहीं। किसी अधिकारी की गलती नहीं होने से ऐसी कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं होता।

भरतपुर के बाढ़ नियंत्रण कार्य

204. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या मुख्य (सिंचाई) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने बाढ़ नियंत्रण कार्यों हेतु अधिशासी अभियन्ता भरतपुर को चालू वर्ष में कितने एवं कौन–कौन से कार्य कितनी–कितनी राशि के कब–कब आबंटित किये ?

(2) क्या उक्त कार्य कराये जाने हेतु निर्धारित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त कार्य करवाने हेतु कोई निविदाएं आमंत्रित की थी ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने बाढ़ नियंत्रण कार्यों हेतु चालू वर्ष में अधिशासी अभियंता भरतपुर को कुल 79 कार्य आबंटित किये। कार्यों के नामों की सूची मय आबंटित राशि के प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जो दिनांक 4-5-98 को प्राप्त की जानी थी। परन्तु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। इसका मुख्य कारण स्थानीय ठेकेदारों की मिलीभगत थी, ताकि अत्यधिक दरों पर कार्य स्वीकृत हो सके। अतः इस कार्यवाही को विधिवत निरस्त कर दिया गया।

वर्षाकालीन समय नजदीक होने के कारण दिनांक 18-5-98 को जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक 1996–97 में स्वीकृत मशीनों की दरों पर शीघ्र कार्य कराने का निर्णय लिया गया। ये दरें 1996 में प्राप्त निविदाओं से कम थी तथा खुली निविदाओं द्वारा प्राप्त किये गये थे। दरें प्रतिस्पर्द्धात्मक थी।

प्रपत्र-अ

वर्ष 1998–99 में आबंटित कार्यों की सूचना

क्र. सं.	कार्य का नाम	आबंटित राशि लाखों में	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	कार्य आबंटित क्रमांक दिनांक	निविदा आमंत्रित की गई क्रमांक दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	निर्माण कार्य आउट लेट चैन 17,262 सीकरी मैन फीडर	11.47	5-5-98	20-7-98	2523-30, 25-4-98	6330-47, 26-5-97	
2.	रिपेयर आफ स्टल गेट हेलकरून्ध बन्ध	1.04	19-5-98	3-7-98	2986-92, 11-5-98	2591-2626, 11-3-97	
3.	हायर चार्जेज बेतीबीमरजीपुर डिस्ट्रीब्यूट्री	2.87	25-5-98	15-6-98	3538-45, 21-5-98	वृत कार्या. की स्वीकृति अनुसार मशीनों से कार्य कराये गये ।	
4.	,, बेतीबी पथेना कैनाल सिस्टम	2.87	25-5-98	15-6-98	3545, 21-5-98	,,	
5.	,, बेतीबी रामनगर दो मोरा	2.87	25-5-98	15-6-98	3552, 21-5-98	,,	
6.	,, डोबर गोवर्धन ड्रैन से गुनतारा बीच	4.49	25-5-98	15-6-98	3561-66, 21-5-98	,,	
7.	,, डोबर मैन ड्रेन चैन 206 से 239	2.67	25-5-98	15-6-98	3567, 21-5-98	,,	
8.	,, डी60 मैन ड्रेन चैन 180 से 208	2.67	25-5-98	15-6-98	3575-81, 21-5-98	,,	
9.	,, डोबर तेह बन्ध अप्रोच चैनल	2.67	25-5-98	15-6-98	3586-90, 21-5-98	,,	
10.	,, डोबर अजान कैनाल चैन 198 से 200	2.67	25-5-98	15-6-98	3590-97, 21-5-98	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	हायर चार्जेज डोगर सह बन्धली	2.67	25-5-98	15-6-98	3600-7, 21-5-98	वृत कार्यालय की स्वीकृति अनुसार मशीनों से कार्य कराये गये।	
12.	,, डोजर गोवर्धन ड्रेन खोरी का नगला	3.56	,,	,,	3608-15, ,,	,,	
13.	,, डोजर गोवर्धन ड्रेन ताखा बीच	3.56	,,	,,	3616-23, ,,	,,	
14.	,, डोजर आउट फाल चैनल मैन ड्रेन	2.67	,,	,,	3624-31, ,,	,,	
15.	,, सप्लाई आफ ट्रैक्टर 30 से 45 एच.पी. मैन ड्रेन चैन 180 से 206	2.90	,,	,,	3394, ,,	,,	
16.	,, मैन ड्रेन चैन 201 से 239	1.74	,,	,,	3401, ,,	,,	
17.	,, भरतपुर डिस्ट्रीब्यूटरी चैन 200 से टेल	1.74	,,	,,	3410, ,,	,,	
18.	,, डहरी चैनल 100 से 120	2.32	,,	,,	3418, ,,	,,	डीग खण्ड को स्थानान्तरण
19.	,, डहरी चैनल 60 से 100	2.32	,,	,,	3426, ,,	,,	,,
20.	,, सजोला माईनर चैन 200 से टेल	2.32	,,	,,	3433-40, ,,	,,	
21.	,, सजोला माईनर चैन 0 से 200	2.32	,,	,,	3441-49, ,,	,,	

307

Page No. 308

308

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	हायर पार्जेज प्रजान कैनाल चैन 200 से 300	2.32	25-5-98	15-6-98	3450-57, 21-5-98	वृत कार्यालय की स्वीकृति अनुसार मशीनों से कार्य कराये गये ।	
23.	,, एप्रोच चैनल मैन ड्रेन	1.74	,,	,,	3459, ,,	,,	
24.	,, एम. एम. कैनाल चैन 0 से 120	3.48	,,	,,	3466-73, ,,	,,	
25.	,, बन्डा बन्धा	1.74	,,	,,	3474-82, ,,	,,	
26.	,, पाउग्रा बन्ध क्रास डैम	1.74	,,	,,	3483-90, ,,	,,	
27.	सप्लाई आफ ट्रैक्टर कंपनपुरा बन्ध की	1.74	,,	,,	3491-98, ,,	,,	
28.	,, प्रजान कैनाल चैन 0 से 100	2.32	,,	,,	3500-6, ,,	,,	
29.	,, प्राउट कैनाल चैन हैडरीच मैन ड्रेन	1.74	,,	,,	3507, ,,	,,	
30.	,, करनसिंह बन्धली	1.16	,,	,,	3515-22, ,,	,,	
31.	,, लखनका माईनर भरतपुर फीडर	2.32	,,	,,	3523-30, ,,	,,	
32.	,, एमएम कैनाल चैन 178 से 180	1.74	,,	,,	3531-38, ,,	,,	
33.	,, गिर्राज कैनाल मरम्मत कार्य	1.16	,,	,,	3654, 22-5-98	,,	
34.	,, सहबन्ध टेलरीच	1.16	,,	,,	3837-44, ,,	,,	
35.	,, कछुरा बासी चैन डिस्ट्रीब्यूटरी	1.16	,,	,,	3845, ,,	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	सप्लाई सीकरी बन्ध टेल रीच	1.74	25-5-98	15-6-98	3729-85, 22-5-98	वृत कार्यालय की स्वीकृति डीग खण्ड है अनुसार मशीनों से कार्य स्थानान्तरण कराये गये।	
37.	„ ड्रोम्स कैनाल वेडकटिंग चैन 1124 से 1128	1.74	„	„	3711-18, „	„	
38.	„ के टीसी	1.45	„	„	3644-51, „	„	
39.	„ ड्रोम्स कैनाल सिघाडा माईनर भाडार बन्ध	1.16	„	„	3636-43, „	„	
40.	„ मैन ड्रेन चैन 206 से 239	1.74	„	„	3886, „	„	
41.	„ आउट फाल चैनल मैन ड्रेन	1.74	„	„	3870, „	„	
42.	„ सामन्तपुर माईनर पथैना नहर	1.74	„	„	3862, „	„	
43.	„ एप्रोच चैनल पथैना कैनाल	2.32	„	„	3695, „	„	
44.	„ एप्रोच चैनल क्रोस बन्ध पथैना कैनाल	1.74	„	„	3703, „	„	
45.	„ ग्राफ ट्रैक्टर भ्रमरून कैनाल चैन 300 से 600	1.74	„	„	3812-19, „	„	
46.	„ भजान कैनाल चैन 600 से टैल	1.74	„	„	3804-11, „	„	
47.	„ हैलक रूघ बन्ध चैन 0 से 60	1.45	„	„	3853-60, „	„	

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	सप्लाई हैलक रूप बन्ध चैन 60 से टेल	1.45	25-5-98	15-6-98	3893, 22-5-98	वृत कार्यालय की स्वीकृति अनुसार मशीनों से कार्य कराये गये।	
49.	„ हाउठ फाल चैनल मैन ड्रेन	1.74	„	„	3763, „	„	
50.	„ एमएम कैनाल चैन 200 से 450	1.74	„	„	3820-27, „	„	
51.	„ पथैना कैनाल सिस्टम सरसेना फीडर	1.74	„	„	3901, „	„	
52.	„ भरतपुर डिस्ट्रीब्यूटरी 300 से टेल	1.74	„	„	3661, „	„	
53.	„ रामनगर दो मेरा	1.74	„	„	3685-92, „	„	
54.	„ होम्स कैनाल टेलरीच	1.74	„	„	3669-76, „	„	
55.	„ एमएम कैनाल टेलरीच	1.74	„	„	3878-85, „	„	
56.	„ करनसिंह बन्धली चैन 30 से 55	1.16	„	„	3742-49, „	„	
57.	„ सत्यनगर वावैन बन्धी शेष कार्य	1.74	„	„	3733-40, „	„	
58.	„ बन्दा बन्ध	1.16	„	„	3677-84, „	„	
59.	„ सोमराना चैनल भजान कैनाल	1.16	„	„	3787-94, „	„	
60.	„ एप्रोच चैन मैन ड्रेन	1.74	„	„	3719, „	„	

1	2	3	4	5	6	7	8
61.	सप्लाई फैजा कैनाल टेलरीच	2.67	25--98	15-6-98	3828-36, 22-5-98	वृत कार्यालय की स्वीकृति अनुसार मशीनों से कार्य कराये गये ।	
62.	,, गोवर्धन ड्रेन चैन 59.600 से 50.400	2.67	,,	,,	3771-78, ,,	,,	
63.	,, गोवर्धन ड्रेन खारी का नगला	2.67	,,	,,	3795, ,,	,,	
64.	,, गोवर्धन ड्रेन पूछरी रीच 48.700 से 49.600	4.49	,,	,,	3750-58, ,,	,,	
65.	,, भारभार हिन्डोला बन्ध	2.96	,,	4-7-98	3100-04, 30-5-98	2214-38, 13-4-98	
66.	रिपेयर भ्राफ वर्क चौकी सेवर बन्ध	0.26	5-6-98	4-9-98	3105-9, 30-5-98	2214-38, 13-4-98	
67.	ट्रैक्टर सप्लाई भ्राफ लेइंग क्वारी स्पाल गिर्राज कैनाल	6.09	4-6-98	3-8-98	4017-23, 30-5-98	2935-58, 8-5-98	
68.	निर्माण कार्य होम्स कैनाल बीआरबी एट पैन 600	3.10	7-6-98	6-9-98	4051-57, 1-6-98	2214-38, 13-4-98	
69.	निर्माण कार्य एलूम चैन 21 वौवन बन्धली	0.61	7-6-98	6-7-98	4045-50, 1-6-98	2214-38, 14-4-98	
70.	निर्माण कार्य एलूम चैन 18 सत्यनगर बन्धली	0.51	7-6-98	6-7-98	4037-43, 1-6-98	2214-38, 13-4-98	

(311)

1	2	3	4	5	6	7	8
71.	रिपेयर आफ कल्वर्ट बहुरी बवांसी चैनल	1.61	10-6-98	9-7-98	4250-56, 4-6-98	2214-38, 14-4-98	
72.	अर्जेन्ट रिपेयर आफ स्ट्रक्चर मैन ड्रेन	5.26	11-6-98	10-8-98	4428-35, 6-6-98	2935-58, 8-5-98	
73.	रिपेयर आफ कन्ट्रोलरूम बिल्डिंग भरतपुर	3.45	11-6-98	10-8-98	4350-54, 4-6-98	2214-38, 13-4-98	
74.	निर्माण कार्य पथेना कैनाल चैन 200	0.64	16-6-98	15-8-98	4688-95, 10-6-98	2935-58, 8-5-98	
75.	सप्लाई लेअप स्प्रेडिंग स्पाल आफ पथेना कैनाल	1.37	16-6-98	15-7-98	4696-703, 10-6-98	2935-58, 8-5-98	
76.	रिपेयर आफ पक्का कार्य आफ पाउआ क्रास एण्ड पाउआ बन्ध	0.20	22-6-98	21-7-98	5055-61, 18-6-98	2214-38, 13-4-98	
77.	सप्लाई आफ ई सी पूट	0.67	एक सप्ताह	23-6-98	4543, 9-6-98	2935, 8-5-98	
78.	सप्लाई ईसी बैग पोलीथीन	0.99	;;	23-6-98	5373, 4781, 1-7-98 11-6-98	2935, 8-5-98	
79.	रिपेयर रेस्टोरेशन प्रोपीडिंग नान मोती झील बन्धा चैन 0 से 50	10.50	29-6-98	28-9-98	5152-59, 22-6-98	2214-38, 13-4-98	

ह०/–
अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, भरतपुर

ग्राम इन्दौरा (गंगरार) में प्रस्तावित ग्रिड सब–स्टेशन

205. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम इन्दौरा (गंगरार) में 33 के. वी. सब-स्टेशन बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कब एवं इसकी अब तक की क्या प्रगति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अब तक उक्त ग्रिड सब स्टेशन का कार्य चालू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और अब उक्त कार्य कब तक चालू कर पूर्ण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्राम इन्दौरा (गंगरार) में 33 के. वी. सब स्टेशन बनाये जाने की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 27-11-1997 को जारी कर दी गई थी तथा इसे वर्ष 1998–99 के सब ट्रांसमिशन प्रोग्राम में कार्य प्रारम्भ करने हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। इस सब स्टेशन से सम्बन्धित 33 के. वी. लाइन का कार्य प्रगति पर है।

(2) जी, नहीं। ग्राम इन्दौरा में 33 के.वी. सब स्टेशन से सम्बन्धित 33 के.वी. लाइन का कार्य शुरू किया जा चुका है तथा लगभग 8 कि. मी. लाइन के पोल अब तक खड़े किये जा चुके हैं। उक्त 33 के. वी. सब स्टेशन का कार्य संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार इसी वर्ष पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

नागौर में भू-संरक्षण योजनाओं पर व्यय

206. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला नागौर में भू-संरक्षण हेतु गत पांच वर्षों में कुल कितना बजट आबंटित किया गया था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 2 वर्षों में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध कार्य में अनियमितता किये जाने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई एवं बाद जांच दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र मकराना, परबतसर, नावां में वर्ष 1996–97 व 1997–98 में किन-किन योजनाओं के तहत किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई तथा उक्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का सर्वेक्षण किस–किस अधिकारी द्वारा कब–कब कराया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्रों में जल-ग्रहण क्षेत्र में लवणीय एवं क्षारीय भूमि के वनस्पतिकरण, चरागाह विकास, गोपाल योजना, खेतों में मेड़बन्दी, वृक्षारोपण आदि पर किये गये व्यय एवं वास्तविक प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्रों में जल-ग्रहण योजना में वृक्षारोपण एवं गड्ढे

(श्री अमराराम)

खुदाई पर अलग–अलग कितना व्यय किया गया तथा वर्तमान में कहां कितने पौधे मौजूद हैं ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में भू-संरक्षण कार्य हेतु गत पांच वर्षों में 1724.02 लाख रुपयों का आबंटन किया गया। विवरण परिशिष्ट 1 पर है।

(2) गत दो वर्षों में नागौर खण्ड में विभाग द्वारा करवाये गये विभिन्न कार्यों में तीन प्रकरणों में अनियमितताएं पायी गयी जिनमें निम्न प्रकार कार्यवाही की गई है :—

1. सर्वे कार्यों में की गयी अनियमितता के लिये श्री एस. एस. सक्सेना तत्कालीन उप निदेशक, नागौर को राज. सिविल सेवा के नियम 16 के तहत राज्य सरकार द्वारा आरोप पत्र दिया जा चुका है।

2. बडेड बैर क्रय करने के प्रकरण में पायी अनियमितता के परिणामस्वरूप श्री एस. एस. सक्सैना तत्कालीन उप निदेशक, नागौर के विरुद्ध राज. सिविल सेवा नियम-16 के तहत राज्य सरकार द्वारा आरोप पत्र जारी किये जा चुके है तथा श्री आर. के. अरोड़ा तत्कालीन संयुक्त निदेशक, वृत अजमेर के विरुद्ध आरोप पत्र निदेशक, कृषि विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजे जा चुके हैं।

3. निर्माण सामग्री में पायी गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप श्री अर्जुनसिंह राठौड़ तत्कालीन कृषि अधिकारी, श्री रघुवीरसिंह राठौड़, कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री अणदाराम चौधरी, कृषि पर्यवेक्षक को राज्य सरकार द्वारा निलम्बित कर सम्बन्धित को आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मकराना, परबतसर एवं नावां में वर्ष 96-97 व 97-98 में जलग्रहण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में व्यय की गयी धनराशि का कार्यवार विवरण परिशिष्ट "दो" पर प्रस्तुत है। उक्त कार्यों का भौतिक व वित्तीय सर्वेक्षण कृषि अधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक द्वारा समय-समय पर किया जाता रहा है। यह विवरण परिशिष्ट "तीन" पर प्रस्तुत है।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्रों के जलग्रहण क्षेत्रों में लवणीय एवं क्षारीय भूमि के वनस्पतिकरण, चारागाह विकास, गोपाल योजना, खेतों में मेडबंदी, वृक्षारोपण आदि कार्यों पर किये गये व्यय एवं वनस्पतिक प्रगति का विवरण परिशिष्ट "चार" पर उपलब्ध है।

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्रों में गत दो वर्षों में जलग्रहण विकास योजनान्तर्गत वृक्षारोपण एवं खड्डे खुदाई पर किया गया व्यय एवं पौधे की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट "पांच" पर प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट–1

परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 229 की सूचना)

कार्यक्रम/मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण
1. बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि	मेगावाट	540.19	262.45	250 मेगावाट की सूरतगढ़ तापीय परियोजना की प्रथम इकाई के चालू होने में देरी का कारण धन की कमी तथा रामगढ़ पर गैस आवंटन के अभाव में 35.5 मेगावाट की द्वितीय इकाई का कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकना रहा है।
2. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन	लाख हैक्टेयर	4.35	3.09	सिद्धमुख नोहर परियोजना (लक्ष्य 20000 हैक्टे.) के अन्तर्गत हरियाणा राज्य में समानान्तर नहरों को बनाये जाने की गति धीमी रहने के कारण राजस्थान राज्य में नहरों के निर्माण की गति अच्छी होते हुए भी सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं हो सका। इसी प्रकार बीसलपुर परियोजना में नहर निर्माण हेतु स्वीकृति में विलम्ब के कारण नहर निर्माण की गति धीमी रही और सिंचाई क्षमता का सृजन नहीं किया जा सका। नई मध्यम

कार्यक्रम/मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण
				परियोजनाएं जिनसे 15000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य रखा गया था, मात्र दो मध्यम परियोजनाएं क्रमशः चौली एवं बैथली नवम्बर, 94 में स्वीकृत की गई। आठवीं योजना के दौरान चालू परियोजनाओं को पूर्ण करने पर अधिक बल दिया गया।
3. ग्रामीण विकास				
i. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लाभान्वित परिवार	लाखों में	7.45 3.91 (संशोधित लक्ष्य)	4.88	केन्द्र सरकार से राशि की उपलब्धता एवं प्राप्त लक्ष्य के आधार पर लक्ष्य संशोधित किए गए हैं। वर्ष 1996-97 से भारत सरकार द्वारा भौतिक लक्ष्य निर्धारित करना बन्द कर दिया गया तथा इसके स्थान पर कार्यक्रम में गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से 20000 रुपये प्रति परिवार पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया जिसके विपरीत 18667 रुपये प्रति परिवार का निवेश किया गया।
ii. जवाहर रोजगार योजना-मानव दिवसों का सृजन	लाखों में	3409 1851.90 (संशोधित लक्ष्य)	1866.41	केन्द्र सरकार से उपलब्ध राशि एवं प्राप्त लक्ष्य के आधार पर लक्ष्य संशोधित किए गए हैं।

कार्यक्रम/मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण
iii. इन्दिरा आवास योजना—				
आवासों का निर्माण	लाखों में	1.43	1.49	
iv. जीवन धारा योजना—	संख्या	40686	22778	केन्द्र सरकार से उपलब्ध राशि एवं प्राप्त लक्ष्य के
कुओं का निर्माण		29136 (संशोधित लक्ष्य)	+6943 निर्माणाधीन	आधार पर लक्ष्य संशोधित किए गए हैं।
v. आश्वासित रोजगार योजना—				
मानव दिवसों का सृजन	लाखों में	निर्धारित नहीं	823.78	
vi. उन्नत चूल्हों का निर्माण	लाखों में	7.25	9.74	
vii. नि:शुल्क भूखण्डों का आवंटन—				
लाभान्वित व्यक्ति	लाखों में	1.50	1.84	
4. गृह निर्माण				
i. ग्रामीण आवासों के निर्माण हेतु सहायता—जनता आवास	लाखों में	1.34 0.73 (संशोधित लक्ष्य)	0.69	प्रति आवास सहायता राशि में वृद्धि किये जाने के कारण लक्ष्य संशोधित किए गए हैं। गत दो वर्षों की उपलब्धि निर्धारित लक्ष्यों से कुछ कम रही हैं

कार्यक्रम/मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के कारण
				इसका मुख्य कारण ग्रामीण गरीब परिवारों के लाभार्थियों से लाभार्थी अंश प्राप्त होने में कमी रही तथा इनकी इस ऋण योजना में रुचि भी कम रही है ।
ii. सामाजिक आवास योजना				
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के आवास	संख्या	6000	43	लक्ष्यों के विरुद्ध कम प्रगति होने का मूल कारण आवेदकों का जिला कलेक्टरों के यहां आवेदन न करना है ।
कमजोर आयवर्ग के आवास	संख्या	5064	1979	
मध्यम आयवर्ग के आवास	संख्या	1837	1041	
5. सड़क				
i. नवीन सड़कों का निर्माण	किमी.	6600	15032	
ii. गांवों को सड़कों से जोड़ना	गांव संख्या	3160	5234	

परिशिष्ट—5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 232 की छाया प्रति)

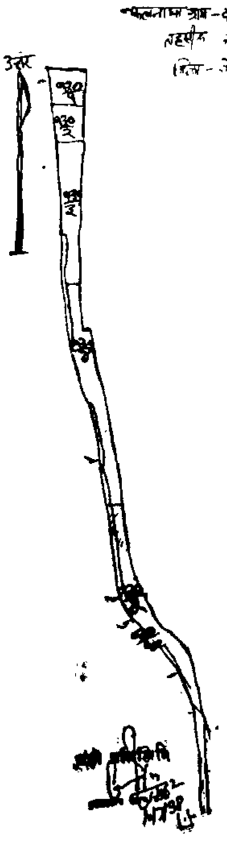

(320)

परिशिष्ट—6
(अतारांकित प्रश्न संख्या 236 का विवरण)

परिशिष्ट–"अ"

कृषि उपज मण्डी समिति, खाजूवाला व लूणकरणसर

क्र.सं.	नाम कार्य	स्वीकृत राशि (लाखों में) 1996–97	1997–98
	कृषि उपज मण्डी समिति, खाजूवाला		
1.	नीलामी चबूतरा मण्डी प्रांगण (अ) 250 × 80 (ब) 300 × 40	30.00	68.73
2.	आन्तरिक सड़क मय नाली	30.00	72.17
3.	कृषक विश्राम गृह	3.29	—
4.	डोरमेंट्री हाल	9.12	6.17
5.	क्योस 4 नग	0.91	0.13
6.	नीलामी चबूतरा 150+40	4.00	1.17
7.	कवरिंग प्लेट फार्म	19.36	12.00
8.	यूरीनल ब्लाक	0.20	—
9.	अप्रोच रोड	1.90	—
10.	50 नं. पुलिया निर्माण	6.00	14.04
11.	वार्षिक मरम्मत रेस्ट हाउस	0.92	—
12.	स्ट्रीट लाइट	0.27	—
13.	सुलभ काम्पलेक्स	1.99	—
14.	100 नं. पुलिया	—	9.00
15.	कर्मचारी क्वाटर "6" नं.	—	13.75
16.	टावर लाइट 1 + 2 नग	4.00	11.04
	सम्पर्क सड़कें :		
1.	आलादीन का बेरा से 34 के. वाई. डी.	5.65	34.71
2.	खाजूवाला से पावली सड़क	23.13	14.96
3.	25 के. वाई. डी. से 2 के. डब्ल्यू. एम.	11.46	—
4.	365 से 13 के. वाई. डी. सड़क	14.00	39.69
	योग	166.20	298.09

1	2	3	4
	कृषि उपज मण्डी समिति लूणकरणसर :		
1.	चोकीदार क्वार्टर	00.08	00.07
2.	ऊंट विश्राम गृह मय पानी खेल	—	00.10
3.	कामन नीलामी चबूतरा	8.00	9.52
4.	स्ट्रीट लाइट	00.06	—
5.	वार्षिक भवन मरम्मत	00.82	—
	सम्पर्क सड़कें :		
1.	बस स्टैण्ड से रेल्वे स्टेशन	00.20	—
2.	मलकीसर बड़ा से छोटा	00.72	—
3.	अर्जुनसर पीलू से मिठाड़ी	00.62	—
4.	घड़साना बस स्टेण्ड से लादूवाली	5.17	01.01
5.	राजपुरा हुडन से कार्मसर	10.00	15.05
6.	केला से रांजासर भाटीन	34.00	02.23
7.	सड़कों की वार्षिक मरम्मत	4.40	1.15
8.	मास्टर प्लान सम्पर्क सड़क (कालू से राजासर)	7.48	—
9.	राजपुरा से मुजफरसर	—	12.00
	योग	71.55	41.13

परिशिष्ट–"क"

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 238 का विवरण)

नागौर जिले के अन्तर्गत वर्ष 1998–99 में मण्डी समिति एवं मण्डी विकास कोष के माध्यम से स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र.सं.	मण्डी समिति का नाम	मण्डी समिति कोष से स्वीकृत सड़क का नाम	लम्बाई (कि. मी.)	लागत (लाखों में)	जिला एवं राज्य स्तरीय कोष से सड़क का नाम	लम्बाई (किमी.)	लागत (लाखों में)	विशेष विवरण
1.	मेड़तासिटी	1. संस. मेड़ता रोड से रियां श्यामदास	6.00	41.40				(ये सड़कें कृषि (विपणन निदेशा-(लय से स्वीकृत (की जा चुकी (है।
		2. ,, भैरून्दा अजमेर रोड से निम्बोला बिसवा।	1.80	9.00				
		3. ,, मेड़ता नागौर सड़क से ओलावान	5.00	25.00				
		4. ,, पांचरोलिया से चावड्याकलां	6.00	30.00				
		योग :–	10.80	105,40				
2.	नागौर	1. ,, भरबार	2.00	16.50	1. संस.सोमाजी से (जि.स्त.) छरप	2,00	13,80	
		2. ,, कराड से पाबूसर	1.00	5.00	2. ,, गाजू ,, ,,	1.00	10.35	यह सड़क कृषि विपणन निदेशालय से स्वीकृत हो चुकी है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. ,, देह से खेरत	2.00	10.00	3. ,, एस.एच. 3 से (किमी. 33) से (रा.स्त.) खेडकली	6.00	10.00	
		4. ,, गुढ़ाभगवानदास से रायधनु	2.50	17.25	4. ,, खियेसर मोरिया रोड से नरवाकलां	2.00	10.00	
		5. ,, तमक रोड से मीलगांव	8.00	41.00	5. ,, तरेलाऊ से ढेहरी	5.00	25.00	
		6. ,, गोवानकलां	8.00	66.00	6. ,, जायल से खाजोली	2.00	13.80	
		7. ,, थियोद	3.00	12.00	7. ,, खरियाकरण सोडा	7.00	35.00	
			26.50	167.75		25.50	137.95	
3.	कुचामनसिटी	1. रजलिया	9.00	52.60	1. ,, एमडीआर 46 (जि.स्त.) से शिव	6.00	41.40	
					2. ,, एस.एच. नं. 2 से ,, सरगोठ बिटपाडा	6.00	41.40	
					3. ,, एस.एच. नं. 7 से ,, ऊगरपुरा	4.00	27.60	
					4. ,, बरवाली से ,, बरवाली	2.00	13.80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					5. सं. स. केराय से इन्डाली (रा. स्त.)	4.00	33.00	
					6. ,, जीत जोत ,,	1.00	5.00	
					7. ,, गच्छीपुरा से मैयाकलां ,,	3.00	20.70	
					8. ,, एस.एच. नं. 21 से बदीयाद ,,	2.00	13.80	
					9. ,, रनवा ,,	3.40	27.20	
					10. ,, बेसरोली से मांडोती मेड़तिया ,,	1.00	8.25	
		योग :–	9.00	52.60		32.40	232.15	
4.	डीडवाना				1. ,, निम्बीजोदा से डेत (जि. स्त.)	3.00	15.00	
					2. ,, एस.एच. 7 से दोसर (रा. स्त.)	4.00	20.00	
					3. ,, केराय से प्रागुन्ता ,,	1.00	5.00	
					4. ,, मोलासर से अकोडा ,,	4.27	2760	
					5. ,, मोलासर अकोडा से बैरवा ,,	1.00	5.00	
					6. ,, मीठडी से फिरवासी ,,	1.00	5.00	
					7. ,, रतन से घुरीला ,,	4.00	27.60	
					8. ,, जसवन्तगढ़ से डाबरी ,,	2.00	10.00	
					9. ,, एस.एच. नं. 7 से छपरा ,,	1.00	6.00	
					योग :–	21.00	122.10	

परिशिष्ट—8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 239 की सूची)

परिशिष्ट–1

जिला—सवाईमाधोपुर

क्र.सं.	योजना का नाम	जलग्रहण क्षेत्र का नाम	पंचायत समिति का नाम	जिले का नाम	निर्माण वर्ष
1.	रा. ज. ग्र. वि.	उलियाना	स. माधोपुर	स. माधोपुर	97–98
2.	,,	शिशेलाव	बौंली	स. माधोपुर	97–98
3.	,,	मांवरा	बामनवास	स. माधोपुर	97–98
4.	,,	खेडी	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
5.	,,	बलावड़ा	गंगापुर	स. माधोपुर	97–98
6.	,,	सुलतानपुरा–खातोपुरा	गंगापुर	स. माधोपुर	97–98
7.	आश्वासित रोजगार योजना	मैंडोली - 1	सवाई माधोपुर	स. माधोपुर	97–98
8.	,,	मैंडोली - 2	सवाई माधोपुर	स. माधोपुर	97–98
9.	,,	मैंडोली - 3	सवाई माधोपुर	स. माधोपुर	97–98
10.	,,	मैंडोली - 4	सवाई माधोपुर	स. माधोपुर	97–98
11.	,,	मैंडोली - 5	सवाई माधोपुर	स. माधोपुर	97–98
12.	,,	जैतपुरा - 1	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
13.	,,	जैतपुरा - 2	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
14.	,,	जैतपुरा - 3	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
15.	,,	जैतपुरा - 4	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
16.	,,	जैतपुरा - 5	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
17.	,,	अरनिया- 1	गंगापुर	स. माधोपुर	97–98
18.	,,	अरनिया- 2	गंगापुर	स. माधोपुर	97–98

(326)

1	2	3	4	5	6
19.	आश्वासित	अरनिया- 3	गंगापुर	स. माधोपुर	97–98
20.	रोजगार योजना	अरनिया- 4	गंगापुर	स. माधोपुर	97–98
21.	डीपी. पी. एपी.	बरनावदा-1	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
22.	,,	बरनावदा-2	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
23.	,,	बरनावदा-3	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
24.	,,	बरनावदा-4	खण्डार	स माधोपुर	98–98
25.	,,	बरनावदा-5	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
26.	,,	बरनावदा-6	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
27.	,,	बरनावदा-7	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
28.	,,	कारोली - 1	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
29.	,,	कारोली - 2	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
30.	,,	कारोली - 3	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
31.	,,	कारोली - 4	खण्डार	स. माधोपुर	97–98
32.	,,	कारोली - 5	खण्डार	स. माधोपुर	97–98

परिशिष्ट—2

जिला-करौली

क्र.सं.	योजना का नाम	जलग्रहण क्षेत्र का नाम	पंचायत समिति का नाम	जिले का नाम	निर्माण वर्ष
1.	रा. ज. प्र. वि.	गुढ़ाराजपुर	नादौती	करौली	97–98
2.	,,	चैनपुर वरिया	करौली	करौली	97–98
3.	,,	सलेमपुर बटवाड़ी	सपोटरा	करौली	97–98
4.	,,	निनायटा	हिण्डौन	करौली	97–98
5.	,,	महरबा–बिलई	टोडाभीम	करौली	97–98
6.	आश्वासित रोजगार योजना	मदनपुर-1	करौली	करौली	97–98
7.	,,	मदनपुर-2	करौली	करौली	97–98
8.	,,	मदनपुर-3	करौली	करौली	97–98
9.	,,	मदनपुर-4	करौली	करौली	97–98
10.	,,	बुगडार-1	सपोटरा	करौली	97–98
11.	,,	बुगडार-2	सपोटरा	करौली	97–98
12.	,,	बुगडार-3	सपोटरा	करौली	97–98
13.	,,	बुगडार-4	सपोटरा	करौली	97–98
14.	,,	काचरौली-1	हिण्डौन	करौली	97–98
15.	,,	काचरौली-2	हिण्डौन	करौली	97–98
16.	,,	काचरौली-3	हिण्डौन	करौली	97–98
17.	,,	काचरौली-4	हिण्डौन	करौली	97–98
18.	,,	काचरौली-5	हिण्डौन	करौली	97–98
19.	,,	राजौर मण्डेरू-1	टोडाभीम	करौली	97–98
20.	,,	राजौर मण्डेरू-2	टोडाभीम	करौली	97–98
21.	,,	राजौर मण्डेरू-3	टोडाभीम	करौली	97–98
22.	,,	राजौर मण्डेरू-4	टोडाभीम	करौली	97–98
23.	,,	राजौर मण्डेरू-5	टोडाभीम	करौली	97–98
24.	,,	राजौर मण्डेरू-6	टोडाभीम	करौली	97–98

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 242 का विवरण)

(बिन्दु सं. 1 से 2 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की पंचायत समिति लूणकरणसर एवं बीकानेर में वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों की क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उनमें प्रथम वर्ष नियुक्ति अध्यापकों का विवरण

क्र. सं. 1	क्रमोन्नत विद्यालय का नाम 2	नियुक्त अध्यापक का नाम 3
	पंचायत समिति बीकानेर	
वर्ष 1994-95		
1.	राउप्रावि कावनी	श्री अनिल कुमार गोड़
2.	राउप्रावि 34 के वाई डी	श्रीमती गीता गुप्ता
3.	राउप्रावि 2 के डब्लूएम	श्री मंजूर अली
4.	राउप्रावि 22 के वाई डी	श्री लूणकरण चौधरी
वर्ष 1995-96		
5.	राउप्रावि जोधसरडेली तलाई	श्री शक्ति नन्दन भानति
6.	राउप्रावि दन्तौरि	श्री मदनसिंह शेखावत
वर्ष 1996-97		
7.	राउप्रावि रमणियाब डाबास	श्री माणकलाल सोनी
8.	राउप्रावि जालवाली	श्री गिरधारीलाल मोदी
9.	राउप्रावि करणासर भाटियान	श्री सोहनलाल गोयल
10.	राउप्रावि 3 पी डब्लूएम	श्रीमती नन्दराणी
11.	राउप्रावि सियासर चोगान	श्रीमती प्रेमलता शर्मा
12.	राउप्रावि लूणखा	श्रीमती निर्मला
13.	राउप्रावि खारवाली	श्रीमती तुलसी भाटी
वर्ष 1997-98		
14.	राउप्रावि किल्चू देवड़ान	श्री टीकाराम पवार
15.	राउप्रावि कतरियासर	श्रीमती शकुन्तला
16.	राउप्रावि बल्लर	श्री चम्पालाल
17.	राउप्रावि गुल्लुवाली	श्री सोहनलाल

1	2	3
18.	राउप्रावि भाडूरी	—
19.	राउप्रावि गंगजली	श्री छैतसिह
20.	राउप्रावि पहलवानका बेरा	—
21.	राउप्रावि मकेरी	श्री लालचन्द
22.	राउप्रावि शिवनगर	—
23.	राउप्रावि 17 के वाई डी	श्रीमती प्रेमलता
24.	राउप्रावि ई डी	—
25.	राउप्रावि आनन्दगढ़	—
26.	राउप्रावि कुण्डल	—
27.	राउप्रावि 2 के एल डी	—

पंचायत समिति लूणकरणसर

वर्ष 1994–95

1.	राउप्रावि संसारदेसर	श्रीमती कान्ती यादव
2.	राउप्रावि खरबारा	श्रीमती संतोष सक्सेना
3.	राउप्रावि हंसेरा	श्री रमेश राणा

वर्ष 1995–96

4.	राउप्रावि मकडासर	—
5.	राउप्रावि केला	श्री मोहम्मद गुलजार
6.	राउप्रावि अजीतमाना	—

वर्ष 1996–97

ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुआ

वर्ष 1997–98

7.	राउप्रावि ढाणी पाण्डूसर	—
8.	राउप्रावि रोजा	—
9.	राउप्रावि सोढवाली	—
10.	राउप्रावि बडेरण	—

नोट :— बीकानेर पंचायत समिति के क्रम संख्या 25 से 27 तक की विद्यालयों में कोई पद स्वीकृत नहीं हुआ है।

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 244 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में गत चार वर्षों में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	सत्र	नाम विद्यालय	राज्य सरकार के आदेश दिनांक
1.	1997–98	सिघानिया	29-7-97
2.	,,	बरदाला (बालिका)	20-9-97
3.	1996–97	झाडिया	22-7-96
4.	,,	नंगला मांडल	22-7-96
5.	1995–96	जोंल	15-6-95
6.	,,	कटाराअजीज	15-6-95
7.	,,	पांडली	15-6-95
8.	1994–95	धनावा	28-5-94
9.	,,	उरदेन	28-5-94
10.	,,	बेरूनी	18-8-94
11.	,,	अजीतपुर	28-5-94

परिशिष्ट—11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 246 की सूची)

शिक्षाकर्मी परियोजना, पंचायत समिति, बांदीकुई (दौसा)
विद्यालयों के नाम, कक्षा एवं छात्र संख्या वर्ष 1997-98

क्रम संख्या	नाम शिक्षाकर्मी विद्यालय	कक्षावार छात्र संख्या कक्षा-1	कक्षा-2	कक्षा-3	कक्षा-4	कक्षा-5	योग
01	उ.प्रा.वि. बनापुरा	25	22	20	17	21	105
02	प्रा.वि. गिरधरपुरा	26	35	25	12	16	114
03	,, रलावता	40	47	29	28	28	172
04	,, चोबड़ीवाला	40	23	19	20	17	119
05	,, तुंगड़वाला	26	14	14	18	17	89
06	,, कोठीन	31	29	10	13	20	103
07	,, झूंथाहेड़ा खुर्द	27	27	22	24	16	116
08	,, चोरवाड़ा	31	16	09	06	08	70
09	,, बैंसलावास	22	26	34	22	15	119
10	,, शेखपुरा	38	44	30	15	17	144
11	,, खूंटला	18	15	19	20	16	88
12	,, नानगवाड़ा रामपुरा	24	29	17	18	28	116
13	,, गादरवाड़ा गूजरान	28	30	17	09	09	93
14	,, उरवाड़ी	15	17	19	13	11	75
15	,, दुड़की	26	29	23	08	08	94
16	,, तिहाड़ा	22	20	16	09	07	74
17	,, रेहड़िया	60	29	16	05	04	114
18	,, मुही की झोपड़ी	65	—	—	—	—	65
19	,, खोहरा	29	—	—	—	—	29
20	,, गोलाकावास	68	—	—	—	—	68
21	,, खाथोलाई	42	—	—	—	—	42
	योग	703	452	339	257	258	2009

नोट :—ग्राम बनापुरा में शिक्षाकर्मी उ. प्रा. वि. चल रहा है, जिसमें कक्षा-6 में 27, कक्षा-7 में 13 एवं कक्षा-8 में 11 कुल 51 बालक-बालिकाएं वर्ष 1997-98 में अध्ययनरत हैं ।

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 247 की सूची)

(बिन्दू संख्या 3 की सूची)

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची निर्वाचन क्षेत्र कुशलगढ़

क्र.सं.		नाम विद्यालय	क्र.सं.		नाम विद्यालय
1.	रा.उ.प्रा.वि.	नवीन कुशलगढ़	31.	,,	खुण्टाचतारा
2.	,,	बागडियावाला कुशलगढ़	32.	रा.बा.उ.प्रा.वि.	डूंगराबड़ा
3.	,,	सज्जनगढ	33.	रा.उ.प्रा.वि.	अंकाला
4.	,,	बाण्डारत्ना	34.	,,	लोहारिया
5.	,,	रा. धनराज	35.	,,	टिम्बेडा बड़ा
6.	,,	खुन्दनीवाला	36.	,,	मून्दनी
7.	,,	बावडीपाडा	37.	,,	पोटलिया
8.	,,	सागवा	38.	,,	रामगढ़
9.	,,	मुरा कुआं	39.	,,	वसूनी
10.	,,	ढाण्डीबड़ी	40.	,,	चुड़ावा
11.	,,	लसोडिया	41.	,,	मोहकमपुरा
12.	,,	सातसेरा	42.	,,	कोटडा राणगा
13.	,,	रोहनीया लक्ष्मणसिंह	43.	,,	छबीपुरा
14.	,,	अन्देश्वर	44.	,,	पाटन
15.	,,	शक्करवाड़ा	45.	,,	बस्सी
16.	,,	महूडी	46.	,,	नागदा बड़ी
17.	,,	ईटाला	47.	,,	काकनबाड़ी
18.	,,	मछारासाथ	48.	,,	बड़वास छोटी
19.	,,	मंगलेश्वर	49.	,,	सबलपुरा
20.	,,	जालिमपुरा	50.	,,	वरकणी
21.	,,	मूनिया खेड़ा	51.	,,	सारणं
22.	,,	बरका बड़ा	52.	,,	बावलियापाड़ा
23.	,,	जीवा खुटा	53.	,,	बिजोरी बड़ी
24.	,,	सरलियापाडा	54.	,,	बीकली
25.	,,	कालाखूटा	55.	,,	कलिन्जरा
26.	,,	मोदावाडानारेन	56.	,,	महूडा
27.	,,	बिलड़ी	57.	,,	डूंगरीपाड़ा
28.	,,	पालीबड़ी	58.	,,	चोखवाड़ा
29.	,,	हिम्मतगढ	59.	,,	भगतपुरा
30.	,,	ताम्बेसरा	60.	,,	बागडिया फला कुशलगढ़

परिशिष्ट—13

प्रपत्र "म"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 248 की सूची)

पिछले 5 वर्षों में कामां क्षेत्र में गुडगांवा मुख्य नहर की माइनरों पर मरम्मत पर किये गये व्यय एवं उनसे सिंचित रकबे का पूर्ण विवरण

माइनर का नाम	मरम्मत पर व्यय की गई राशि	सिंचित रकबा (एकड़ों में)
1	2	3
1. वर्ष 1993-94		
1. सतपुरा माइनर	0.21	214.20
2. पहाड़ी वितरिका	0.36	1811.00
3. नोनेरा माइनर	0.20	882 40
4. मोंगरा माइनर	0.38	158.92
5. मकाता माइनर	0.23	कोई सिंचाई नहीं हुई
6. खिलवाटी माइनर	0.03	,,
7. पाई वितरिका	0.04	1401.20
योग :	1.45	4467.32
2. वर्ष 1994-95		
1. गामरी माइनर	0.14	52.00
2. घोंसिगा माइनर	0.62	10.00
3. संहसन माइनर	0.22	कोई सिंचाई नहीं हुई
4. नोनेरा, गामरी एवं नोगावां माइनर के हेडरेगुलेटर गेट्स की मरम्मत का कार्य	0.17	465.00
योग :	1.15	527.00

1	2	3
3. वर्ष 1995-96		
1. पहाड़ी वितरिका	0.09	407.49
2. गमरी माइनर	0.16	24.99
3. पाई वितरिका	4.85	628.84
4. हथीन माइनर	1.35	568.00
5. बडकली माइनर	0.94	कोई सिचाई नहीं हुई
6. कछवारी माइनर	0.33	,,
7. वामनी माइनर	1.18	219.00
8. अफाता माइनर	0.30	कोई सिचाई नहीं हुई
योग :	9.20	1848.32
4. वर्ष 1996-97		
1. पाई वितरिका	0.13	288.21
2. हथीन माइनर	0.47	256.00
3. पहाड़ी वितरिका	2.44	208.44
4. अकाता माइनर	0.65	कोई सिचाई नहीं हुई
5. पोसर माइनर	3.93	176.00
6. नोलेरा माइनर	3.23	298.63
7. किरावता माइनर	1.08	59.71
8. नोनेरा, गामरी एवं नोगांवा माइनर के हैड रेगुलेटर गेट्स की मरम्मत का कार्य	0.11	92.51
योग :	12.04	1379.50

1	2	3
5. वर्ष 1997-98		
1. अकाता माइनर	0.39	कोई सिंचाई नहीं हुई
2. नोनेरा माइनर	0.06	46.98
3. कुलवाना माइनर	0.40	काई सिंचाई नहीं हुई
4. पहाडी वितरिका	12.33	90.00
5. कंचननेर माइनर	2.01	कोई सिंचाई नहीं हुई
6. हथीन माइनर	2.48	683.00
7. पोसर माइनर	1.45	87.29
8. सतपुरा माइनर	3.64	1.38
9. किरावता माइनर	0.56	4.33
10. रसूलपुर माइनर	0.01	कोई सिचाई नहीं हुई
11. बडकली माइर	0.01	,,
12. अटलवाडी माइनर	1.13	,,
योग :	24.53	912.98

परिशिष्ट "ब"

गुड़गांवा नहर की माइनर की स्थिति जहां पर गत 5 वर्षों में सिंचाई नहीं हुई

1. कनवारी माइनर
2. अकाता माइनर
3. घिलावटी माइनर
4. कुलवाना माइनर
5. कचनेर माइनर
6. बड़कली माइनर
7. अटलवाड़ी माइनर
8. सहसन माइनर
9. रसूलपुर माइनर

336

परिशिष्ट—14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 249 की सूची)

सिंचाई खण्ड, बांसवाड़ा परिशिष्ट "अ"

अधूरे कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	तहसील	किस मद का अधूरा	परि. पर्ण करने का प्रस्तावित वर्ष	स्वीकृत/ स्वीकृत नहीं
1	2	3	4	5	6
1.	कलिजरा प्रोजेक्ट	कुशलगढ़	टी.ए.डी.	3/99	स्वीकृत
2.	चरखनी तालाब	"	"	3/99	"
3.	हिम्मतगढ़ी	"	"	3/2000	"
4.	बोरीवानघाटी	घाटोल	"	3/2000	"
5.	पोपालपुरा तालाब	कुशलगढ़	एन.आर.ई.पी.	स्वीकृति व बजट उपलब्धता पर	स्वीकृत नहीं
6.	शेरकीरेल तालाब	बांसवाड़ा	अकालराहत	पूर्ण किये जायेंगे	
7.	बडलीपाड़ा मानजी तालाब	"	"	"	"
8.	आम्बापाड़ा तालाब	"	"	"	"
9.	फेंफर तालाब	"	"	"	"
10.	नवाखेड़ा तालाब	"	"	"	"
11.	खेरडाबरा तालाब	"	"	"	"
12.	गणेशलालपाड़ला तालाब	"	"	"	"
13.	सिंगपुरा तालाब	"	"	"	"
14.	रामगढ़ तालाब	"	"	"	"
15.	बडलीखेड़ा तालाब	"	"	"	"
16.	कमलीपाड़ा तालाब	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6
17.	महुड़ीखेड़ा तालाब	बांसवाड़ा	अकालराहत	पूर्ण किये जायेंगे	स्वीकृत नहीं
18.	खटवा तालाब	बागीदौरा	"	"	"
19.	उदयपुराबड़ा तालाब	"	"	"	"
20.	देवकी का नाका	कुशलगढ़	"	"	"
21.	टिंडीयादेव तालाब	"	"	"	"
22.	सीमेला तालाब	"	"	"	"
23.	बगेरीखूंटा तालाब	"	"	"	"
24.	कोटड़ी बगायचा	"	"	"	"
25.	खजूरा तालाब	"	"	"	"
26.	पिपलोन तालाब	"	"	"	"
27.	उदयगढ़ वसुनी	"	"	"	"
28.	कालीघाटी तालाब	घाटोल	"	"	"
29.	बखतोड़ तालाब	"	"	"	"
30.	कुन्डा तालाब	"	"	"	"

परिशिष्ट—15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 250 का विवरण)

परिशिष्ट "ब"

बाढ़ से प्रभावित गांवों/कस्बों हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव की सूचना

क्र.सं.	नाम बांध	नाम गांव
1.	भोजवास बांध	भोजास
2.	केनावास बांध	पांचला सिद्ध
3.	करण बांध	करण्
4.	सोलियाना बांध	नागौर, ताऊसर
5.	गवातु बांध	ग्वाल्, खजवाना
6.	माणकपुर बांध	माणकपुर
7.	मूण्डवा बांध	नागौर
8.	भडाणा बांध	ताऊसर, नागौर
9.	गोवाकला बांध	लालप, खींवसर
10.	सुरियावास बाढ़ बचाव	सुरिवास
11.	बिखारणियां बाढ़ बचाव	बिखारणियां
12.	कालानाड़ा (मकराना)	मकराना
13.	मावा बाढ़ बचाव	मावा

परिशिष्ट—16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 257 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

(राशि लाख रु.)

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	विभाग का नाम	स्वीकृत राशि	अब तक व्यय की गई राशि
1.	लोहार्गल सड़क सुधार एवं विस्तार कार्य	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झुन्झुनूं	20.00	11.33
2.	शाकम्भरी माता सड़क का विस्तार कार्य	"	42.00	21.33
3.	किरोड़ी में विकास कार्य	पर्यटन विभाग	70.13	38.70

परिशिष्ट—17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 258 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

पुलिस विभाग द्वारा पर्यटकों को ठगे जाने वालों के विरुद्ध पंजीबद्ध किये गये अभियोगों की सूची

1. मुकदमा नं. 571/97 धारा 420, 384 के अन्तर्गत थाना माणक चौक पर विदेशी पर्यटक क्रेडिट कार्ड से ठगी करने का मामला दर्ज हुआ। जिसमें चार मुलजिमों के विरुद्ध चालान पेश अदालत किया गया।

2. मुकदमा नं. 580/97 धारा 408, 420 में दिनांक 14-10-97 थाना कोतवाली में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर चालान पेश अदालत किया गया।

3. मुकदमा नं. 600/97 धारा 409, 420 में दिनांक 23-10-97 को थाना कोतवाली में पंजीबद्ध किया जाकर दो अभियुक्तों के विरुद्ध चालान पेश अदालत किया गया।

इसी प्रकार वर्ष 1997 में 20 लपकों व 6 लपकों के विरुद्ध इनसदादी कार्यवाही की गई।

परिशिष्ट—18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 263 की प्रति)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर

क्रमांक : एफ. 03/एमपीएलएडीएस/जैपुर/94-95/5019-30 दिनांक : 28-2-97

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

अधिशासी अभियन्ता, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर की तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 176 दिनांक 20-2-97 के क्रम में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद श्री राजेश पायलट जयपुर की अनुशंषा के आधार पर वर्ष 1995-96/96-97 की उनके सांसद कोटे की आरक्षित राशि में से निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु निम्नांकित शर्तों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति का अनुमोदन जिला कलेक्टर महोदय से पत्रावली की नोटशीट के पैरा नं. 120 पर करवा लिया गया है :—

क्र. सं.	स्वीकृत निर्माण कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्यकारी एजेन्सी/विभाग का नाम
1.	डब्ल्यू.बी.एम. सड़क नांगलबाड़ी से नीमली की ढाणी	4.50 लाख	पंचायत समिति आमेर
2.	डब्ल्यू.बी.एम. सड़क रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा से साहिबपुरा श्मशान तक	2.25 लाख	,,

निर्माण कार्य की शर्तें :—

1. निर्माण कार्यों पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के नियम लागू होंगे।
2. उक्त कार्य पंचायत समिति आमेर जिला जयपुर द्वारा सम्पादित करवाये जायेंगे।
3. सहायक अभियन्ता/श्री ओ. पी. माथुर/अभिकरण, जयपुर समय-समय पर कार्यों का निरीक्षण करेंगे।
4. मासिक प्रगति वितरण प्रत्येक माह नियमानुसार प्रत्येक कार्य का पृथक-पृथक कार्यवार विवरण भिजवायें।
5. स्वीकृत राशि का उपयोग उक्त स्वीकृत कार्यों पर ही किया जायेगा।
6. स्वीकृत राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 96-97 में कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया जावें।

ह०/–

प्रति. कलेक्टर (विकास)

(342)

परिशिष्ट--19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 265 की सूची)

कार्यालय पंचायत समिति, रोहट (पाली)

वर्ष 1997-98 में पंचायत समिति, रोहट के अधीनस्थ स्वीकृत
इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों की सूची

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम मय पिता, जाति	गांव का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
	अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग अनुसार आवंटन			
1.	श्रीमती पानी/जोगाराम भाट	मांडावास	मांडावास	17500
2.	,, मोरकी/तेजाराम सरगरा	पुखतारी	गैलावास	17500
3.	,, काजली/हुकाराम सरगरा	,,	,,	17500
4.	,, देवी/गोपाराम ढोली	मांड़ावास	मांड़ावास	17500
5.	,, सुम्रा/सांवत सरगरा	बागड़िया	निमली उर्रा	17500
6.	,, दाकू/मांगीलाल सरगरा	,,	,,	17500
7.	,, पानकी/बुधाराम ढोली	मांडपुरिया	झींतड़ा	17500
8.	,, दरिया/भंवरलाल हरीजन	काला पीपल ग्रा.	,,	17500
9.	,, सुन्दरी/किसनाराम मेगवाल	आंटण	सांवलता	17500
10.	,, सूरज/हरदेव कोली	निमली उर्रा	निमली उर्रा	17500
11.	,, कमली/गोपाराम सरगरा	अरटिया	झाकरीवाला	17500
12.	,, पेपी/चिमना बावरी	,,	,,	17500
13.	,, रूकड़ी/मोहन सरगरा	,,	,,	17500
14.	,, सन्तोक/बजाराम सरगरा	,,	,,	17500

1	2	3	4	5
15.	श्रीमती भंवरी/उताराम मेगवाल	ढाबर	ढाबर	17500
16.	,, धापू/छगना भांबी	,,	,,	17500
17.	,, अणची/जस्साराम जटिया	गाजनगढ़	खारड़ा	17500
18.	,, पपली/मोवन सरगरा	कलाली	कलाली	17500
19.	,, पाबू/तलसाराम मेणा	वायद	वायद	17500
20.	,, मोरकी/वेलाराम मेणा	,,	,,	17500
21.	,, केलकी/आशाराम सरगरा	,,	,,	17500
22.	,, दरियाव/मदनलाल ढोली	रोहट	रोहट	17500
23.	,, राणी देवी/पुखराज ढोली	,,	,,	17500
24.	,, लक्ष्मी/चुतरा जोगी	,,	,,	17500
25.	,, अणची/बलाराम भील	राणा	राणा	17500
26.	,, मीमा/पीराम सरगरा	खुन्डावास	खुन्ड़ावास	17500
27.	,, तीजा/सोनाराम मेगवाल	,,	,,	17500
28.	,, शान्ती/पूसाराम सरगरा	सिराणा	चेण्ड़ा	17500
29.	,, शारदा/शेषा हरीजन	सांवलता कला	सांवलता कलां	17500
30.	,, देवी/सोमा भील	,,	,,	17500
31.	,, अणची/मोवन सरगरा	पीपलियाकीढाणी	भींतड़ा	17500
	(सामान्य वर्ग)			
32.	,, जतनी/मदनदास सन्त	मांड़ावास	मांडावास	17500
33.	,, शान्ती/मदनलाल नाई	,,	,,	17500
34.	,, गंगा/धनराज नाई	,,	,,	17500
35.	,, जतनी/नेमाराम चौधरी	चेण्ड़ा	चेण्ड़ा	17500

344

1	2	3		4
36.	श्रीमती सुमटी/सकराराम लुहार	राणा	राणा	17500
37.	,, ओमा/असकर मोयला	खारड़ा	खारड़ा	17500
38.	,, सायरी/बुधाराम कलाल	,,	,,	17500
39.	,, मोहनी/कृपादास सन्त	लाबड़ा	गैलावास	17500
40.	,, वक्तादेवी/नारायणदान चारण	गढवाड़ा	गढवाड़ा	17500
41.	,, दाकू/लालसिंह राजपूत	,,	,,	17500
42.	,, मोरी/मदनलाल नाई	जैतपुर	,,	17500
43.	,, घीसी/चुन्नीलाल ब्राह्मण	निमली उर्रा	निमली उर्रा	17500
44.	,, खमा/हीरालाल नाई	वायद	वायद	17500
45.	,, सरोजदेवी/जगदीश ब्राह्मण	इन्द्रोंका की ढाणी	झींतड़ा	17500
46.	,, कान्ता देवी/मुरलीधर ब्राह्मण	,,	,,	17500
47.	,, जमना देवी/जीवराज राजपुरो.	भूरियासनी	कलाली	17500
48.	,, विमला/अमृतलाल ब्राह्मण	निमली उर्रा	निमली उर्रा	17500
49.	,, तीजो/हड़मान राइका	खुटाणी	दिवान्दी	17500
50.	,, मदीना/अब्दुल हकीम कुरैशी	इन्द्रोका ढाणी	झींतड़ा	17500
51.	,, इन्द्रा/चुन्नीलाल माली	बीठू	बीठू	17500

ह०/-
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, रोहट (पाली)

कार्यालय पंचायत समिति पाली

वर्ष 1997–98 में स्वीकृत इन्दिरा आवासों का विवरण

क्र.सं. 1	नाम लाभार्थी/पति का नाम 2	जाति 3	गांव 4	ग्राम पं. 5	स्वीकृत राशि 6
(1)	श्रीमती शान्ति/पत्नी श्री जवरीलाल	हरिजन	पड़ासलाकलां	बाणियावास	17500/-
(2)	,, रम्भा/ ,, ,, हरीराम	बावरी	पड़ासलाकलां	बाणियावास	17500/-
(3)	,, कमली/ ,, ,, पीताराम	मेघवाल	पड़ासलाखुर्द	बाड़ियावास	17500/-
(4)	,, नारायणी/ ,, ,, मांगीलाल	नायक	सदावास	बोमादड़ा	17500/-
(5)	,, लक्ष्मी/ ,, ,, भंवरलाल	बावरी	बालेलाव	बोमादड़ा	17500/-
(6)	,, गीगली/ ,, मोहन	नायक	सदावास	बोमादड़ा	17500/-
(7)	,, उखड़ीदेवी/ ,, ,, सुखाराम	मेघवाल	जवड़िया	गिरादड़ा	17500/-
(8)	,, लीलादेवी/ ,, ,, पेमाराम	पटेल	बल्दों की ढाणी	गिरादड़ा	17500/-
(9)	,, देवी/ ,, ,, जोगाराम	मोची	खैरवा	खैरवा	17500/-
(10)	,, मगोदेवी/ ,, ,, शेपाराम	मोची	खैरवा	खैरवा	17500/-
(11)	,, सुखी/ ,, ,, नरसिंग	हरिजन	मनिहारी	मनिहारी	17500/-

1	2	3	4	5	6
(12)	श्रीमती कमला/पत्नि श्री लक्ष्मण	हरिजन	मनिहारी	मनिहारी	17500/-
(13)	,, छमनकंवर/ ,, ,, हीरसिंह	राजपूत	गुढ़ाप्रतापसिंह	मनिहारी	17500/-
(14)	,, गवरी/ ,, ,, थानाराम	मेघवाल	मनिहारी	मनिहारी	17500/-
(15)	,, दरिया/ ,, ,, कुकाराम	सरगड़ा	सोडावास	सोडावास	17500/-
(16)	,, पानीदेवी/ ,, ,, मोहनलाल	सरगड़ा	सोडावास	सोडावास	17500/-
(17)	,, इन्दिरादेवी/ ,, ,, सोहनदास	संत	सोडावास	सोड़ावास	17500/-
(18)	,, पांची/ ,, ,, कपूरा	मेघवाल	साकदड़ा	साकदड़ा	17500/-
(19)	,, भोमी/ ,, ,, मानाराम	भील	भावनगर	साकदड़ा	17500/-
(20)	,, कमलाकंवर/ ,, ,, मगसिंह	राजपूत	सुन्देलाव	साकदड़ा	17500/-
(21)	,, देवी/ ,, ,, उदा	मीणा	बाला	कूरना	17500/-
(22)	,, ऊकी/ ,, ,, चूनिया	मीणा	कूरना	कूरना	17500/-
(23)	,, आनन्दकंवर/ ,, ,, छतरसिंह	राजपूत	गिरतर	कूरना	17500/-
(24)	,, सायरी/ ,, ,, थानाराम	मेघवाल	मादड़ी	दयालपुरा	17500/-
(25)	,, बिदामी/ ,, ,, जेपाराम	गुरू	गुरड़ाई	दयालपुरा	17500/-

1	2	3	4	5	6
(26)	श्रीमती लक्ष्मीदेवी/पत्नि श्री सोहनसिंह	राजपुरोहित	दयालपुरा	दयालपुरा	17500/-
(27)	,, हंजा/ ,, ,, गिरधारी	मेगवाल	भांवरी	भांवरी	17500/-
(28)	,, हरियादेवी/ ,, ,, लक्ष्मण	भील	भांवरी	भांवरी	17500/-
(29)	,, पुनकी/ ,, ,, मोहनलाल	मेगवाल	गुढ़ाएन्दला	गुढ़ाएन्दला	17500/-
(30)	,, लक्ष्मी/ ,, ,, कपूरा	मीणा	गुढ़ाएन्दला	गुढ़ाएन्दला	17500/-
(31)	,, कंकू/ ,, ,, ऊमा	मेघवाल	जूनीएन्दला	गुढ़ाएन्दला	17500/-
(32)	,, नारायणी/ ,, ,, भंवरलाल	मेघवाल	गुढ़ाएन्दला	गुढ़ाएन्दला	17500/-
(33)	,, तीजोदेवी/ ,, ,, मोहनपुरी	स्वामी	केरला	रूपावास	17500/-
(34)	,, कमला/ ,, ,, पुकाराम	लुहार	रूपावास	रूपावास	17500/-
(35)	,, मीकी/ ,, ,, डूंगा	मेगवाल	लाम्बिया	लाम्बिया	17500/-
(36)	,, गवरी/ ,, ,, कैसा	मेगवाल	लाम्बिया	लाम्बिया	17500/-
(37)	,, हुसैना/ ,, ,, लालखाँ	तेली	लाम्बिया	लाम्बिया	17500/-
(38)	,, सुग्रा/ ,, ,, तेजा	मेगवाल	लाम्बिया	लाम्बिया	17500/-
(39)	,, प्यारी/ ,, ,, पुखिया	मेगवाल	हैमावास	हैमावास	17500/-

1	2	3	4	5	6
(40)	श्रीमती उगिया/पत्नि श्री उपाराम	सरगरा	भोगेसर	भोगेसर	17500/-
(41)	,, बेनिया/ ,, ,, शकर	भाट	भोगेसर	भोगेसर	17500/-
(42)	,, पुसिया/ ,, ,, हरिया	भाट	भोगेसर	भोगेसर	17500/-
(43)	,, गवरी/ ,, ,, रूघा	भाट	भीकाबा की ढाणी	भोगेसर	17500/-
(44)	,, कंकू/ ,, ,, राणाराम	भाट	महादेव की ढाणी	भोगेसर	17500/-
(45)	,, जपली/ ,, ,, पारसपुरी	गौस्वामी	खैलावास	सांपा	17500/-
(46)	,, सन्तोषदेवी/ ,, ,, सुखदास	संत	सोवनिया	सांपा	17500/-
(47)	,, सोनी/ ,, ,, दुर्गाराम	भोड	इन्द्रानग	सांपा	17500/-
(48)	,, समुद्रीदेवी/ ,, ,, बिरमाराम	देवासी	खैतावास	सांपा	17500/-
(49)	,, कैसी/ ,, , दलाराम	सरगरा	डेण्डा	डेण्डा	17500/-
(50)	,, उकरली/ ,, ,, भलाराम	हरिजन	डेण्डा	डेण्डा	17500/-
(51)	,, सुकिया/ ,, ,, पुकाराम	संत	डेण्डा	डेण्डा	17500/-
					892500/-

कुल कार्य = 51

कुल स्वीकृत राशि = 892500/–

अक्षरे–(आठ लाख बाणवें हजार पांच सौ मात्र)

ह०/–
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, पाली

परिशिष्ट—20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 267 की सूची)

जिला आयुर्वेद अधिकारियों की सूची

क्र सं.	नाम अधिकारी	पदस्थापन स्थान
1	2	3
1.	डी. पी. द्वारा चयनित जिला आयुर्वेद अधिकारी एवं समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी :—	
1.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	जिला आयुर्वेद अधिकारी, अजमेर
2.	,, मनोहरनाथ पण्ड्या	,, बांसवाड़ा
3.	,, कृष्णगोपाल पारीक	,, भीलवाड़ा
4.	,, जगधर भट्ट	,, दौसा
5.	श्रीमती प्रभा भटनागर	,, डूंगरपुर
6.	श्री नारायण सहाय शर्मा	,, हनुमानगढ़
7.	,, केदारनाथ शर्मा	,, जयपुर (ब)
8.	,, मदनमोहन शर्मा	,, झुंझुनूं
9.	,, मदनलाल जीनगर	,, जोधपुर
10.	,, श्यामबाबू गुप्ता	,, कोटा
11.	,, युगलकिशोर शर्मा	,, नागौर
12.	,, बाबूशंकर आमेटा	,, राजसमंद
13.	,, मोहनलाल जोशी	,, गंगानगर
14.	,, सत्यनारायण शर्मा	,, सवाईमाधोपुर
15.	,, गोविन्द सहाय	,, टौंक
16.	,, जगदीश प्रसाद शर्मा	सहायक निदेशक, आयुर्वेद अजमेर
17.	,, गोकुलनाथ शर्मा	प्रभारी अधिकारी, रसायनशाला, जोधपुर
2.	एडहाक पर कार्यरत जिला आयुर्वेद अधिकारी :—	
1.	श्री विनोदकुमार जोशी	जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर (अ)
3.	स्वयं की वेतन श्रृंखला में पदस्थापित जिला आयुर्वेद अधिकारी :—	
1.	श्री बृजमोहन शर्मा	जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर
2.	,, मदन मिश्र	,, सीकर

1	2	3

4. अतिरिक्त चार्ज (कार्यवाहक) जिला आयुर्वेद अधिकारी—एवं समकक्ष पद पर कार्यरत अधिकारी :—

1.	श्री जीवनराम शर्मा	जिला आयुर्वेद अधिकारी, अलवर	
2.	,, श्रीकृष्ण शर्मा	,,	बारां
3.	,, रमेशचंद	,,	भरतपुर
4.	,, जयनारायण शर्मा	,,	बीकानेर
5.	,, निर्भयकुमार गुप्ता	,,	बूंदी
6.	,, त्रिलोकीनाथ दशोरा	,,	चित्तौड़गढ़
7.	,, महेश्वरप्रसाद शर्मा	,,	चुरू
8.	,, हरिओम सिंह चौहान	,,	धौलपुर
9.	,, सुरेशचंद शर्मा	,,	जैसलमेर
10.	,, सुरेशचंद शर्मा	,,	जालोर
11.	,, हरिराम शर्मा	,,	झालावाड़
12.	,, बंशीधर शर्मा	,,	पाली
13.	,, श्यामसुंदर	,,	सिरोही
14.	,, बलवंतकुमार	,,	उदयपुर
15.	,, उमाशंकर चतुर्वेदी	प्रभारी अधिकारी, रसायनशाला, अजमेर	
16.	,, गजेन्द्र पाण्डे	,,	उदयपुर
17.	,, निर्मलकुमार	,,	भरतपुर

नोट :— श्री भगवती सहाय शर्मा, डी. पी. सी. द्वारा जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद पर चयनित है, किन्तु वर्तमान में उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, जयपुर के पद पर स्वयं की वेतन शृंखला में पदस्थापित है।

———